# ग्राहक आत्मीयता के नए आयाम
# OUR CUSTOMER FOCUS BECOMES WIDER

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2019-20

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

# निदेशक मंडल
# BOARD OF DIRECTORS

श्रीमती पी वी भारती
**Smt. P V Bharathi**
Managing Director & CEO

श्री बिरुपाक्ष मिश्रा
**Shri Birupaksha Mishra**
Executive Director

श्री अलोक तिवारी
**Shri Alok Tiwari**

श्री पी के पांडा
**Shri P K Panda**

श्री के श्रीनिवास मूर्ति
**Shri K Srinivasa Murthy**

श्री पी के जैन
**Shri P K Jain**

सुश्री चित्रा गौरी लाल
**Ms. Chitra Gouri Lal**

## मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER

| | |
|---|---|
| श्री ए बी विजयकुमार | Shri A. B. Vijayakumar |

## महा प्रबंधक / GENERAL MANAGER

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री जी गुरुहरिनाद राव | Shri G Guruharinadha Rao |
| 2 | श्री एस कुमार | Shri S. Kumar |
| 3 | श्री नारायणन एस | Shri Narayanan S |
| 4 | श्री शिव राज | Shri Shiv Raj |
| 5 | श्री एम एन के विश्वनाथन | Shri M N K Vishwanathan |
| 6 | श्री वी मुत्तुकृष्णन | Shri Muthukrishnan V |
| 7 | श्री राजेश कुमार वर्मा | Shri Rajesh Kumar Varma |
| 8 | श्री नागराज उडुपा  ई एस | Shri E.S.Nagaraja Udupa |
| 9 | श्री अशोक चंद्रा | Shri Ashok Chandra |
| 10 | श्री डी शिव कुमार शर्मा | Shri D. Shiva Kumar Sharma |
| 11 | श्री विजय वालिया | Shri Vijay Walia |
| 12 | श्री मेदा वेंकटा बालसुब्रमण्यम | Shri Meda Venkata Balasubramanyam |
| 13 | श्री ए के विनोद | Shri A.K. Vinod |
| 14 | श्री सुदर्शन कुमार मेहता | Shri Sudershan Kumar Mehta |
| 15 | श्री वी श्रीधर | Shri V.Sridhar |
| 16 | श्री गविसिद्धप्पा बेल्लद | Shri Gavisiddappa Bellad |
| 17 | श्री विजय कुमार उप्पल | Shri Vijay Kumar Uppal |
| 18 | श्री एस मीनाक्षी सुंदरम | Shri S Meenakshi Sundaram |
| 19 | श्री देशिकाचारी सुंदर | Shri Desiketchari Sunder |
| 20 | श्री एन वीरभद्रप्पा | Shri N Veerabhadrappa |

# विषय सूची / CONTENTS

**विवरण / Particulars** **पृष्ठ सं. / Page No.**


1. गत दस वर्ष के निष्पादन की विशिष्टताएं ....02
2. निदेशकों की रिपोर्ट ....03
3. प्रबंधन-वर्ग का विवेचन एवं विश्लेषण ....09
4. कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट ....29
5. नियामकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट ....49
6. नियामकी अनुपालन रिपोर्ट ....53
7. नई पूँजी पर्याप्तता के ढाँचे के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटीकरण ....56
8. एकल तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा ....64
9. समेकित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा ....124

1. Performance Highlights for the last 10 years ....02
2. Directors' Report ....153
3. Management Discussion and Analysis ....159
4. Report on Corporate Governance ....180
5. Secretarial Audit Report ....201
6. Secretarial Compliance Report ....205
7. Disclosure under New Capital Adequacy Framework guidelines ....208
8. Standalone Balance Sheet and Profit & Loss Account ....214
9. Consolidated Balance Sheet and Profit & Loss Account ....270


---

**मुख्य वित्तीय अधिकारी**
श्री वी. मुत्तुकृष्णन

**कंपनी सचिव**
श्री एस. के. दास

**सांविधिक केंद्रिय लेखा परीक्षक**
मेसर्स चंद्रन एण्ड रमन
मेसर्स रामानंद अय्यर एण्ड कं.

**Chief Executive Officer**
Shri V. Muthukrishnan

**Company Secretary**
Shri S. K. Dash

**Statutory Central Auditors**
M/s. Chandran & Raman
M/s. Ramanand Aiyer & Co.

**रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट**
केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
कार्वी सेलेनियम टावर, बी.
प्लाट सं ३१ एवं ३२
गाचिबोअली, वित्तीय जिला,
नानक्रामगुडा, सेरिलिंगम्पल्लि
हैद्राबाद - 500 032 (तेलगंना)
दूरभाष - 040-67161500/67161514
फैक्स : 040-23001153
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

**Registrar & Share Transfer Agent**
KFin Technologies Private Limited
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31-32,
Gachibowli Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally,
Hyedrabad-500 032 (Telangana)
Phone - 040-67161500/67161514
Fax : 040-23001153
E-mail : einward.ris@kfintech.com

**बैंक द्वारा जारी बॉंड के लिए ट्रस्टी**
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, निचला तल
17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई – 400 001
दूरभाष : 022 – 40807000
ई-मेल : itsl@idbitrustee.co.in;
sheetal@idbitrustee.com
वेबसाइट : http://www.idbitrustee.co.in

**Trustees for Bond issued by Bank:**
IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate
MUMBAI – 400 001
Ph : 022 – 40807000
Fax : 022-66311776/40807080
Email : itsl@idbitrustee.co.in;
sheetal@idbitrustee.com
Website : http://www.idbitrustee.co.in

**एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड**
रूबी दूसरा तल, SW
29 सेनापती बापट मार्ग
दादर पाश्चिम
मुंबई – 400 028
दूरभाष : 022-62300442/62300426
ई-मेल : swati.borkar@axistrustee.com
वेबसाइट : http://www.axistrustee.com

**Axis Trustee Services Limited**
The Ruby, 2nd Floor, SW
29 Senapati Bapat Marg
Dadar West
Mumbai – 400 028
Ph : 022-62300442/62300426
Email : swati.borkar@axistrustee.com
Website : http://www.axistrustee.com

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

## 2011 से 2020 तक बैक का निष्पादन

## BANK'S PERFORMANCE FROM 2011 TO 2020

| | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूँजी/Capital | 148.13 | 148.13 | 152.91 | 167.54 | 167.54 | 204.50 | 229.41 | 333.10 | 1198.83 | 1198.83 |
| आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष/ Reserves & Surplus | 6989.68 | 8127.80 | 9412.78 | 9917.56 | 10316.94 | 11161.39 | 12482.53 | 10512.74 | 15366.02 | 12551.63 |
| **कारोबार मानदंड / Business Parameters** | | | | | | | | | | |
| जमाराशियाँ/Deposits | 116747.50 | 136142.20 | 166005.45 | 193393.01 | 199345.82 | 205170.84 | 220559.62 | 183315.94 | 184567.84 | 205354.78 |
| अग्रिम/Advances | 86850.40 | 100469.02 | 118716.65 | 137086.30 | 145066.03 | 140322.24 | 140356.79 | 119868.83 | 121251.20 | 127399.05 |
| निवेश/Investments | 43452.74 | 47474.63 | 58164.49 | 66191.21 | 63412.28 | 63280.64 | 64072.98 | 70349.75 | 59979.19 | 66432.43 |
| कुल आय/Total Income | 10459.62 | 14510.40 | 16942.02 | 19606.29 | 21038.91 | 21146.40 | 22561.78 | 19941.41 | 17494.69 | 19919.77 |
| व्यय किया गया ब्याज/ Interest Expended | 6195.51 | 9870.89 | 11908.23 | 14174.88 | 15486.10 | 15171.78 | 15020.46 | 12790.10 | 10114.16 | 10942.09 |
| परिचालनगत व्यय/ Operating Expenses | 1641.71 | 1783.55 | 1996.79 | 2392.01 | 2525.36 | 2879.60 | 3101.79 | 3200.88 | 3486.06 | 5175.19 |
| परिचालनगत लाभ/ Operating Profit | 2622.40 | 2855.97 | 3037.00 | 3039.40 | 3027.45 | 3095.02 | 4439.53 | 3950.41 | 3894.46 | 3802.49 |
| निवल लाभ/Net Profit | 1413.27 | 1506.04 | 1434.67 | 561.72 | 584.26 | -506.48 | 561.21 | -4053.94 | -6332.98 | -2391.59 |
| **मुख्य अनुपात / Key Ratios** | | | | | | | | | | |
| पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)/ Capital Adequacy Ratio (%) | #12.90 ##14.11 | #11.94 ##13.00 | #11.38 ##12.33 | ##12.21 ###11.64 | ##11.80 ###11.09 | ##10.88 ###10.56 | ##11.90 ###11.32 | ##NA ###9.23 | ##NA ###12.30 | ##NA ###11.53 |
| औसत अस्तियों पर प्रतिलाभ (%)/Return on Average Assets (%) | 1.21 | 1.06 | 0.88 | 0.29 | 0.28 | - 0.23 | 0.23 | -1.67 | -3.14 | -1.13 |
| ईक्विटी पर प्रतिलाभ (%)/ Return on Equity (%) | 20.70 | 18.20 | 16.27 | 5.72 | 5.68 | - 4.64 | 4.66 | -36.50 | -46.21 | -15.78 |
| प्रति शेयर अर्जन (₹)/ Earnings per Share (₹) | $98.50 | $101.67 | $96.74 | $35.75 | $$6.97 | $$- 5.48 | $$5.17 | $$-35.30 | $$-30.06 | $$-3.99 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (₹)/ Book Value per Share (₹) | $497.62 | $558.69 | $645.76 | $601.95 | $$125.16 | $$110.94 | $$110.82 | $$65.12 | $$27.63 | $$22.94 |
| औसत कार्यशील पूँजी में एनआईएम (ब्याज अर्जित करनेवाली आस्तियाँ/ NIM to Average Working Funds(Interest earning assets) | 2.85 | 2.48 | 2.29 | 2.10 | 2.07 | 2.06 | 2.12 | 2.32 | 3.05 | 2.83 |
| कुल आय में ब्याजेतर आय (%)/ Non-interest income to total income (%) | 12.09 | 10.29 | 9.49 | 8.40 | 7.05 | 8.21 | 13.70 | 11.60 | 10.70 | 18.82 |
| सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)/Gross NPA to Gross Advances (%) | 0.91 | 1.26 | 1.72 | 3.42 | 4.81 | 9.98 | 11.70 | 17.35 | 15.35 | 13.80 |
| निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)/Net NPA to Net Advances (%) | 0.46 | 0.87 | 1.19 | 2.32 | 3.08 | 6.53 | 8.33 | 11.74 | 5.71 | 4.91 |
| लाभांश/Dividend (₹) | $20.00 | $20.50 | $19.00 | $6.75 | $$1.40 | $$0.00 | $$0.00 | $$0.00 | $$0.00 | $$0.00 |

# बेसल I के अनुसार. # As per Basel I.
## बेसल II के अनुसार. ## As per Basel II.
### बेसल III के अनुसार. ### As per Basel III.
$ अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 10/- हेतु. $ For FV ₹ 10/- per share.
$$ अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 2/- हेतु. $$ For FV ₹ 2/- per share.

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है.

**2 निष्पादन की एक झलक:**

2.1 31 मार्च, 2020 को बैंक का कुल कारोबार रु. 3,45,896 करोड़ है, जो कि 31 मार्च, 2019 के रु.3,19,616 करोड़ से अधिक रहा.

2.2 31 मार्च, 2020 को बैंक की कुल जमाराशियाँ रु. 2,05,355 है, जबकि यह 31 मार्च, 2019 को रु. 1,84,568 करोड़ था.

2.3 कुल जमाराशियों में कासा का हिस्सा 31.59% (31.03.2019) की जगह 30.57% (31.03.2020) रहा. औसत कासा में साल-दर-साल आधार पर रु. 557.60 करोड़ (1.10%) से वृद्धि हुई. यह 31.03.2019 के रु. 51,081.19 करोड़ से 31.03.2020 को रु.52990.58 करोड़ तक पहुँच गया. औसत एसबी 3.90% की वृद्धि के साथ 31.03.2019 के रु. 39,913.26 करोड़ से 31.03.2020 को रु.42,279.52 करोड़ हो गया है. औसत सीए 7.76% की कमी के साथ 31.03.2019 के रु. 11,167.93 करोड़ से 31.03.2020 को रु. 10,711.06 करोड़ हो गया है.

2.4 बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधी अपनी नीति के अनुरूप गुणवत्तायुक्त ऋण आस्तियों में विस्तार करने में अपना विवेकपूर्ण दृष्टिकोण पूर्ण सावधानीपूर्वक बनाए रखा. बैंक का ऋण आंकड़ा रु. 6,148 करोड़ (5.07%) की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2019 के रु. 1,21,251 करोड़ के मुकाबले 31.03.2020 को रु. 1,27,399 करोड़ के स्तर तक पहुँचा.

2.5 31.03.2019 के 65.69% की तुलना में 31.03.2020 को 62.04 % ऋण-जमा अनुपात रहा.

2.6 बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली में विशिष्ट तरीकों और ज्यादा समय देकर अपना अधिकाधिक प्रयास जारी रखा. वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने गत वर्ष की रु. 4509 करोड़ की तुलना में रु. 5,661 करोड़ गैर-निष्पादक आस्तियों की नकद वसूली तथा उन्नयन किया है.

2.7 बैंक को गत वर्ष के रु. 6,333 करोड़ की निवल हानि के मुकाबले रु. 2,392 करोड़ की निवल हानि हुई है.

2.8 31.03.2020 को पूरे देश में फैली बैंक की 9972 कार्यात्मक इकाइयाँ थीं जिनमें 2,432 शाखाएं, 3015 एटीएम और 4525 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयाँ हैं.

**3 आय विश्लेषण**

3.1 बैंक की ब्याज आय में वर्ष 2018-19 के रु. 15622.63 करोड़ से रु. 547.95 करोड़ (3.51%) की वृद्धी होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 16170.58 करोड़ रही और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान के ब्याज व्यय रु. 10114.16 करोड से रु. 827.93 की वृद्धि होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 10,942.09 करोड़ रही.निवल ब्याज आय में वर्ष 2018-19 के रु. 5,508.47 करोड़ की तुलना में कमी होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु 5,228.49 करोड़ (-5,08%) हुई.

(रु. करोड़ में)

| विवरण | 2018-19 | 2019-20 | % परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| **आय** | | | |
| ब्याज आय | 15,622.63 | 16,170.58 | 3.51 |
| ब्याजेतर आय | 1,872.07 | 3,749.20 | 100.27 |
| कुल आय | 17,494.70 | 19,919.78 | 13.86 |
| **व्यय** | | | |
| ब्याज व्यय | 10,114.16 | 10,942.09 | 8.19 |
| परिचालन व्यय | 3,486.06 | 5,175.18 | 48.45 |
| कुल व्यय | 13,600.22 | 16,117.27 | 18.51 |
| परिचालन लाभ | 3,894.48 | 3,802.51 | (2.36) |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं -(कर रहित) | 11,943.15 | 3,548.16 | (70.29) |
| कर पूर्व लाभ | (8,048.68) | 254.35 | 103.16 |
| कर हेतु प्रावधान | (1,715.70) | 2,645.93 | 254.22 |
| **निवल लाभ** | (6,332.98) | (2,391.58) | (62.24) |

3.2 बैंक की कुल आय (ब्याज आय और ब्याजेतर आय का योग) पिछले वित्त वर्ष के रु. 17,494.70 करोड़ की तुलना में रु. 2,425.08 करोड़ (13.86%) की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 19,919.78 करोड़ हो गई.

3.3 प्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त ब्याजेतर आय वित्तीय वर्ष 2018-19 के रु. 1099.72 करोड़ से रु. 47.40 करोड़ (4.31%) कम होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1,052.32 हो गई. कुल ब्याजेतर आय 31.03.2019 के रु. 1872.07 करोड़ से बढ़ कर 31.03.2020 को 3,749.20 करोड़ हो गई. फलत: वृद्धि 100.27% हुई.

3.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परिचालन व्ययों में 48.45% की वृद्धि हुई है और यह वित्तीय वर्ष 2018-19 के रु. 3,486.06 करोड़ की तुलना में रु. 5,175.18 करोड़ रहा.

3.5 स्टाफ पर व्यय वर्ष 2018-19 के रु. 1,746.95 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 3,372.70 करोड़ हो गया.

**4. कीमत-लागत अंतर विश्लेषण**

(करोड़ में)

| ब्यौरे | 2018-19 | 2019-20 | वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | समग्र | % |
| औसत कार्यशील निधियाँ | 2,01,824.92 | 2,11,704 | 9,879 | 4.89 |

| ब्यौरे | 2018-19 | 2019-20 | वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | समग्र | % |
| कुल ब्याज आय | 15,622.63 | 16,170.58 | 547.95 | 3.51 |
| व्यय किया गया कुल ब्याज | 10,114.16 | 10,942.09 | 827.93 | 8.19 |
| ब्याज कीमत-लागत अंतर | 5,508.47 | 5,228 | (280) | (5.08) |
| निधियों पर प्रतिफल | 7.74% | 7.64% | | |
| निधियों की लागत | 5.01% | 5.17% | | |
| अग्रिमों पर आय | 9.43% | 9.19% | | |
| जमाराशियों की लागत | 5.40% | 5.62% | | |
| निवल ब्याज मार्जिन | 3.05% | 2.83% | | |

**5 परिचालन लाभ**

5.1 परिचालन लाभ 31.03.2019 के रु. 3,894.47 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को रु. 3,802.51 करोड़ हो गया.

5.2 मार्च 2020 की तिमाही के दौरान परिचालन लाभ मार्च, 2019 के दौरान के रु. 693.77 करोड की तुलना में रु.(104) करोड़ रहा.

5.3 मार्च 2020 तिमाही हेतु निवल ब्याज मार्जिन मार्च 2019 तिमाही के 2.63% के सापेक्ष 2.83 % रहा.

5.4 आस्ति उपयोगिता अनुपात (औसत कार्यशील निधियों में सकल लाभ का प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018-19 के 1.93% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.80% रहा.

**6. प्रावधान**

6.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों में हुई कमी हेतु प्रावधान, मानक आस्तियों, कराधान, निवेश मूल्यह्रास एवं अन्य हेतु प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018-19 के रु. 10,227.45 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 6,194.09 करोड़ रहा.

**7. निवल लाभ तथा लाभांश**

7.1 एनपीए स्तर को 6% से कम करने हेतु ऋण में हानि के कारण रु. 6,194.09 करोड़ के प्रावधानों को ध्यान में रखने के बाद, 31.03.2019 को समाप्त वर्ष को बैंक की निवल हानि रु. 6,332.98 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवल हानि रु. 2,391.58 करोड़ रहा.

7.2 निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019-20 हेतु कोई भी लाभांश संस्तुत नहीं किया है.

| वर्ष | निवल लाभ/हानि [करोड़ में] | वृद्धि % |
|---|---|---|
| 2015-16 | -506.48 | (-)186.69% |
| 2016-17 | 561.21 | (+)210.81% |
| 2017-18 | -4053.94 | (-)822.36% |
| 2018-19 | -6,332.98 | (+)56.22% |
| 2019-20 | -2391.58 | (+)62.24% |

**8. निवल मालियत एवं सीआरएआर**

8.1 बैंक की निवल मालियत 31 मार्च, 2019 के रु. 16,564.86 करोड़ से 31 मार्च, 2020 को रु. 13,750 करोड़ हो गई.

8.2 वर्ष के दौरान, बैंक ने निर्गम और बेसल III के अनुपलित टीयर II के 1,000.00 बॉन्ड्स के आवंटन के माध्यम से पूंजी जुटाई है.

8.3 पूँजी पर जोखिम समायोजित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2019 के 12.30% की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 11.54% (बासेल III) रहा.

| प्रवर्ग | बासेल III | |
|---|---|---|
| | मार्च 2019 | मार्च 2020 |
| टियर I पूंजी | 10.52% | 9.05% |
| टियर II पूंजी | 1.78% | 2.49% |
| कुल | 12.30% | 11.54% |

8.4 ईक्विटी पर प्रतिलाभ, प्रति शेयर अर्जन और प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वित्त वर्ष के क्रमशः (46.21%), ₹ (30.06) एवं ₹ 27.63 की तुलना में वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 को क्रमशः (15.78) % ₹ (3.99) एवं ₹ 22.94 रहा. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की ईक्विटी पूंजी की वृद्धि के प्रभाव को परिकलन हेतु लिया गया है.

**9. समेकित लेखे**

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2020 के अपने वित्तीय लेखों का अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के लेखों के साथ समेकन किया है. 31 मार्च, 2020 के समेकित विवरण के अनुसार, कार्प बैंक ग्रुप की निवल मालियत रु. 16651.45 करोड़ रही. वित्त वर्ष 2019-20 हेतु समेकित परिचालन लाभ 31.03.2019 के रु. 3,956.03 करोड़ की तुलना में रु. 3,903.15 करोड़ रहा. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक की समेकित निवल हानि, 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 4,049.93 करोड़ की हानि के मुकाबले रु. 6,325.29 करोड़ रहा. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानदंडों का अनुपालन किया है.

**10. बैंक के सेवा-आउटलेट**

10.1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के कुल सेवा आउटलेट जिसमें देश भर में 2432 शाखाएं और 2623 एटीएम शामिल हैं. कुल

2432 शाखाओं में से 588 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 794 शाखाएं अर्ध शहरी केंद्रों में, 518 शाखाएं शहरी केंद्रों में और 532 शाखाएं महानगरीय केंद्रों में हैं.

10.2 बैंक के कुल 34 आंचलिक कार्यालय हैं जो बेहतर नियंत्रण, निगरानी और बैंक के कारोबार के विकास हेतु शाखाओं के साथ अनुवर्तन करते हैं. बैंक के मुंबई, दिल्ली, बेंगलूर एवं चेन्नै, में महा प्रबंधक के अधीन 4 मंडल कार्यालय भी हैं. ये मंडल कार्यालय, कार्पोरेट कार्यालय के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करते हैं और ये अपने अधिकार क्षेत्र में आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से कारोबार विकास योजनाओं का सहयोग एवं संचालन करने की बेहतर स्थिति में हैं. कार्पोरेट कार्यालय के जिन कार्यों को मंडल कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया गया है, वे हैं आयोजना, विकास एवं संसाधन संग्रहण, ऋण मंजूरी, ऋण जोखिम प्रबंधन, वसूली एवं विधि, मानव संसाधान प्रबंधन, सहयोग सेवा और निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा.

## 11. विज्ञापन एवं प्रचार

11.1 वर्ष के दौरान बैंक के ब्रैंड और छवि निर्माण हेतु सघन प्रयास किए गए. बैंक ने अपने उत्पादों, सेवाओं, ब्याज दरों एवं निष्पादन से संबंधित सूचना ग्राहकों, शेयरधारकों तथा आम जनता को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों, एफएम रेडियो स्टेशनों, होर्डिंग, ट्रान्सलाइट वेबसाइट, एटीएम इत्यादि के माध्यम से विज्ञापनों एवं प्रचार के ज़रिए पहुँचाना जारी रखा.

## 12. सरकारी कारोबार और बैंकाश्योरेन्स

12.1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक का कुल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क तथा राज्य कर संग्रहण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान संग्रहित 21.37 लाख चालानों से रु. 49749 करोड़ की तुलना में 18.91 लाख चालानों से रु. 28112 करोड़ रहा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सरकारी कारोबार से रु. 8.26 करोड़ की कुल आय अर्जित की.

12.2 बैंक ने जीवन बीमा कारोबार के तहत 31 मार्च, 2019 के रु. 8,902.82 लाख के प्रीमियम तथा रु. 536.04 लाख के कमीशन के साथ 4,55,190 पालिसियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को रु. 8,387.09 लाख के प्रीमियम तथा रु. 543.54 लाख के कमीशन के साथ 5,50,327 पालिसियों का प्रचार किया (इसमें रु. 1474.52 लाख के प्रीमियम तथा रु. 209.88 लाख के कमीशन के साथ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 5,45,772 नामांकन शामिल हैं).

12.3 बैंक ने गैर-जीवन कारोबार के तहत 31 मार्च, 2019 के रु. 2,308.28 लाख के प्रीमियम तथा रु. 294.25 लाख के कमीशन के साथ 12,66,081 पालिसियों की तुलना में 31 मार्च, 2020 को रु. 2,116.93 लाख के प्रीमियम तथा रु. 291.91 लाख के कमीशन के साथ 16,50,069 पालिसियों का प्रचार किया (इसमें रु. 192.08 लाख के प्रीमियम के साथ प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 16,00,681 नामांकन शामिल हैं तथा रु. 32.01 लाख का कमीशन अर्जित किया).

12.4 बैंक ने स्वास्थ्य बीमा कारोबार के तहत 31 मार्च 2019 के रु. 155.33 लाख की तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि हेतु रु. 214.96 लाख का कमीशन अर्जित किया.

12.5 बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत 31 मार्च 2019 के रु. 14.70 लाख की तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 9.96 लाख का कमीशन अर्जित किया.

## 13. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान सामाजिक प्राथमिकताओं में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु समाज के अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए कई कल्याणकारी उपाय शुरु किए हैं.

### 13.1 कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच [सीबीईडीएफ]:

कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच (पं) बैंक की एक लाभ-रहित आर्थिक इकाई के रूप में कार्पोरेट मिशन के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्व को निभाते आ रहा है. बैंक की सभी सी एस आर गतिविधियाँ सीबीईडीएफ के तत्वाधान में आयोजित की जाती हैं. वर्ष 2019-20 के दौरान सीबीईडीएफ के माध्यम से सामाजिक सरोकार की विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन हेतु रु. 362.89 लाख के वित्तीय अनुदान वितरित किए गए. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सीबीईडीएफ द्वारा निष्पादित गतिविधियों में कुछ बड़े सीएसआर प्रोजेक्ट निम्नलिखित हैं-

### 13.2 ''कार्प किरण''-बैंक के कार्यपालकों की पत्नियों का एक समूह के जरिए सीएसआर गतिविधियाँ

बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के कल्याण हेतु ''कार्प किरण'' के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं को रु.95.56 लाख प्रदान किए. प्रमुख क्रियाकलापों में गरीब स्कूली छात्रों को तथा अनाथाश्रमों, वृद्धाश्रमों, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों को सहायता देने वाले निराश्रित गृहों के निवासियों को बेंच, डेस्क, कपबोर्ड,अलमारी,प्रिंटर्स, कम्प्यूटर, वाटर प्यूरीफायर, पेडेस्ट्रल पंखे आदि देना.

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख सीएसआर पहलों के तहत सरकारी गीतांजली महिला महाविद्यालय, भोपाल (एमपी) को डेस्कटॉप कंप्यूटर और वाटर कूलर प्रदान करना, श्री कोंडा कोटा रेड्डी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, डामरमाडुगु, नेल्लोर जिला में शौचालय का निर्माण करना है. हेल्थ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट (HOPE) कन्नूर में सिलाई मशीनें उपलब्ध कराना, जो कि केरल में उन रोगियों के लिए उपशामक उपचार में लगा हुआ है जो खतरनाक बीमारी जैसे कि कैंसर, किडनी फेल्योर आदि बीमारियों से पीड़ित हैं. शिमोगा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शिमोगा को तीन डायलिसिस मशीने. ''लाइफ'' प्रोजेक्ट राजकोट, गुजरात के लिए कढ़ाई और सिलाई मशीन, सरकारी मेडिकल कॉलेज, एर्नाकुलम को मेडिकल एड की सुविधाएं, रोगियों, छात्रों और कर्मचारियों को कॉलेज, अस्पताल से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए

चमराजा नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चमराजा नगर, (केए) के लिए बस, COBSETI, कोडागु के माध्यम से 26 आदिवासी महिलाओं को सिलाई मशीनें, श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम, श्रृंगेरी (केए) द्वारा संचालित अस्पताल (SAVMSJC) के लिए ऑपरेशन थियेटर से संबंधित चिकित्सा उपकरण एवं अस्पताल में उपयोग होने वाले अन्य फर्नीचर, भगिनी समाज के अनाथालय मंगलुरु (केए) के बच्चों के लिए उपचार कक्ष का निर्माण, गांधी एडेड प्राइमरी स्कूल, मेलपेट्टई, विलेज, तिंडीवनम, विल्लीपुरम जिला, (टीएन) में स्कूल भवन का निर्माण.

**13.3 कार्पोरेशन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (सीओबीएसईटीआई)**

कार्पोरेशन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (सीओबीएसईटीआई) चिकमगलूर और कोडगु जिलों में स्थित है, जो बेरोज़गार युवकों की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जहाँ बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है. वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों संस्थानों ने कुल मिलाकर 1637 बेरोज़गार युवकों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया. संचयी निपटान दर 77.24% के साथ स्थापना समय से लेकर दोनों संस्थानों द्वारा लगभग 19561 बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित किया. बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य आवर्ती व्यय आयोजित करने के लिए ₹ 50.0 लाख का व्यय किया है और दोनों संस्थानों को उनके प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 हेतु ''AA'' ग्रेड दिया गया है.

**13.4 ''ग्रामीण'' अभ्युदय वित्तीय साक्षरता ''ट्रस्ट'' (जीएएफएल ट्रस्ट) के जरिए सीएसआर**

बैंक ने विभिन्न केद्रों में ''वित्तीय'' साक्षरता ''केंद्र'' (एफएलसी) स्थापित करने के लिए ग्रामीण अभ्युदय वित्तीय साक्षरता न्यास को प्रायोजित किया है. ये केद्र लोगों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं एवं सशक्तिकरण के लिए बैंकिंग सुविधाओं की उपयोगिता के बारे में शिक्षित करते हैं. ये केंद्र, बीमा, बैंक में बचत, और ऋण से संबंधित उत्पाद/सेवाओं आदि सहित वित्तीय पहलुओं के आधार पर उधारकर्ताओं को परामर्श भी देते हैं. 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार जीएएफएलसीसी ट्रस्ट ने 4 ज़िला स्तरीय और 21 ब्लॉक स्तरीय एफएलसी केद्र स्थापित किए हैं.

बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान उक्त ट्रस्ट की आवर्ती लागत हेतु रु. 35.00 लाख प्रदान किया है. ट्रस्ट ने गाँवों, स्कूलों, कॉलेजों, अन्य संस्थाओं, स्वसहायता समूहों व अन्य स्थानों में 1812 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं जिनमें लगभग 105463 व्यक्तियों ने भाग लिया.

**13.5 एसएचजी निर्माण के जरिए सी एस आर:**

वर्ष के दौरान, बैंक ने कर्नाटक के छह जिलों में 14593 नए स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए रु.145.93 लाख का व्यय किया है. इस बड़ी सीएसआर गतिविधि के माध्यम से इन एसएचजी के सदस्यों वाले 145930 परिवारों की मदद करके उन्हें वित्तीय सशक्तता प्रदान की है. अब इनकी पहुँच जमा और ऋण सुविधाओं सहित बैंकिंग सुविधाओं तक है. उन्हें अपने संबंधित समूह बही खातों का अनुरक्षण तथा लेखा रखने पर प्रशिक्षण दिया गया. समूहों की नियमित बैठकों के आयोजन से सदस्यों को उन्मुक्त विचार विमर्श करने एवं अपनी बात रखने हेतु प्रोत्साहन मिलता है.

## 14 राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

14.1 बैंक, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है.

14.2 राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक का समग्र निष्पादन अच्छा रहा है. बैंक को वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर के निम्नलिखित पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है:

(क) ''ग'' क्षेत्र में **राजभाषा उत्कृष्टता पुरस्कार** - वित्त मंत्रालय द्वारा पहला पुरस्कार.

(ख) **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार** - राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''ग'' क्षेत्र में एफआई श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार.

(ग) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दक्षिणी क्षेत्र द्वारा **राजभाषा पुरस्कार.**

हमारे अंचल कार्यालयों - कोच्चि, ठाणे, वाराणसी, वडोदरा, बैंगलोर (दक्षिण), राजकोट, उडुपी, मैसूर, पुणे, नेल्लूर और कोयम्बटूर के साथ-साथ 10 अन्य शाखाओं को उनके राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अपने-अपने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC) से पुरस्कार मिले.

14.3 बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास),मंगलूर,बेलगांव, नेल्लूर एवं मडिक्केरी का संयोजक है. सदस्य संगठनों/ बैंकों के स्टाफ के लाभार्थ हर वर्ष विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं.

14.4 वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय ने हमारे अंचल कार्यालय मेरठ, दिल्ली (उत्तर), राजकोट,कोलकाता साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश शाखाओं का निरीक्षण किया. विभिन्न निरीक्षणों के दौरान बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

14.5 बैंक ने नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति, मंगलूर के साथ संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 29 अक्टूबर 2019 को भाषायी सौहार्द दिवस (हिंदी दिवस) का आयोजन किया.

14.7 प्रधान कार्यालय एवं आँचलिक कार्यालयों द्वारा स्टाफ सदस्यों के लाभार्थ हिन्दी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण भी नियमित रूप से आयोजित किए गए.

14.8 कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के अलावा बैंक ने दक्षिण कन्नड़ हिंदी शिक्षक संघ, संत फिलोमीना कॉलेज, संत एगनेस कॉलेज एवं संत अलोसियस कॉलेज मंगलूरु के हिंदी संघ जैसे संगठनों से मिलकर मंगलूरु के आसपास के छात्रों एवं अध्यापकों के लाभार्थ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी मंगलूरु द्वारा राजभाषा भारती कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया.

15 **बैंक द्वारा प्रायोजित अनुषंगियों एवं अन्य इकाईयों का निष्पादन:**

15.1 **कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड:** बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ (सीबीएसएल) ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 8.74 करोड़ की कुल आय, रु. 7.56 करोड़ का कर पूर्व लाभ तथा रु. 3.21 करोड़ का कर उपरांत लाभ (चालू वर्ष के लिए रु. 2.80 करोड़ के कर प्रावधान, रु. 1.56 करोड़ के बाय बॅक इक्विटी शेयर पर कर. पूर्व वर्षों के लिए रु.0.01 करोड़ का कर प्रावधान, रु. 0.004 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के प्रत्यावर्तन के लेखांकन के बाद) वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2018-19 हेतु ये आंकड़े क्रमश: रु. 9.73 करोड़, रु. 8.69 करोड़ और रु. 7.68 करोड़ थे (चालू वर्ष के लिए रु. 2.40 करोड़ के कर प्रावधान, पूर्व वर्षों के लिए रु.1.42 करोड़ का कर प्रावधान, रु. 0.02 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के प्रत्यावर्तन के लेखांकन के बाद) 31.3.2020 को प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रु. 56.25 करोड़ रही जिसमें 10 रु. अंकित मुल्य के 5,62,50,000 ईक्विटी शेयर शामिल है. (1,87,50,000 इक्विटी शेयरों की पोस्ट बाय-बैक, जिसमें 25% भुगतान किया गया इक्विटी शेयर पूंजी @ 13.75 प्रति शेयर कुल विचार के साथ कुल रु. 25.78 करोड़) जबकि अधिशेष के पुनर्निवेश के साथ निवल मालियत रु.102.07 करोड़ रही. मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु प्रति शेयर अर्जन रु. 0.46 रहा जबकि मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए यह रु. 1.02 था. कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 में संस्थागत ग्राहकों के लिए इक्विटी ब्रोकिंग व्यवसाय और बाद के वर्ष में मालिकाना व्यापार शुरू किया था. कंपनी म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण और वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों, ट्रेज़री बिलों आदि जैसी अनुमोदित प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग जैसे क्रियाकलाप जारी रखी हुई है.

16. **निदेशक मंडल की संरचना**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं.

16.1 श्री पी के पांडा को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और 26.04.2019 को पदभार ग्रहण किया.

16.2 श्री आलोक तिवारी को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 05.03.2020 से केंद्र सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे.

2019-20 की अवधि के दौरान बैंक के बोर्ड से निम्नलिखित सदस्य सेवानिवृत्त हुए:

16.3 बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, श्री देवरकोंडा दिप्तिवलास, 24 अप्रैल, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 25 अप्रैल, 2019 से बैंक के निदेशक नहीं रहे.

16.4 बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री गोपाल मुरली भगत 23 अगस्त, 2019 को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 24 अगस्त, 2019 से बैंक के कार्यकारी निदेशक नहीं रहे.

16.5 बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, श्री एम भगवंत राव 29 फरवरी, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 1 मार्च, 2020 से बैंक के निदेशक नहीं रहे.

16.6 बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती पी वी भारती 31 मार्च, 2020 को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं रहीं.

16.7 बोर्ड ने श्रीमती पी वी भारती, श्री गोपाल मुरली भगत, श्री देवरकोंडा दिप्तिवीलास और श्री एम भगवंत राव, से बोर्ड के समितियों / समितियों के विचार-विमर्श के दौरान और बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के व्यवसाय के संचालन में प्राप्त मार्गदर्शन और परामर्श के लिए भी इनकी सराहना की.

17 **निदेशकों के दायित्व विवरण**

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी मे-

17.1 महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संदर्भ में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है.

17.2 लेखा नीतियों का चयन करके उन्हें सतत रूप से लागू किया गया तथा ऐसे अनुमान और प्राक्कलन किए गए जो युक्तिसंगत और विवेकसम्मत हैं कि वे वित्त वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और उक्त अवधि के लिए बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सही तस्वीर दें.

17.3 बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों को रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई.

17.4 वार्षिक लेखे सतत संस्था आधार पर तैयार किए गए थे.

17.5 बैंक द्वारा अनुपालन करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और कारगर रूप से काम कर रहे थे.

17.6 सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ निर्धारित की गई थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और कारगर रूप से काम कर रही थीं.

**18. आभार**

18.1 बैंक के शेयरधारकों, प्रतिष्ठित ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर अंतरण एजेंट और भारत तथा भारत के बाहर के प्रतिनिधियों को उनकी सद्भावना, संरक्षण तथा हार्दिक सहयोग हेतु निदेशकगण धन्यवाद ज्ञापित करते हैं.

18.2 भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीएसई, एनएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से बैंक परिचालन में प्राप्त बहुमूल्य एवं समयोचित परामर्श, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए, निदेशकगण कृतज्ञतापूर्वक आभार ज्ञापित करते हैं.

18.3 निदेशकगण, वर्ष के दौरान बैंक की प्रगति में मूल्यवान सहयोग देने हेतु सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों की सराहना करते हैं तथा आने वाले वर्षों में कार्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनकी सतत सहभागिता की आशा करते हैं.

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**(राजकिरण रै जी.)**
**प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31.07.2020

# प्रबंधन विवेचन और विश्लेषण

1 **वैश्विक अर्थव्यवस्था**

1.1 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान व्यापार तनाव बढने, अव्यवस्थित ब्रेक्सिट और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता से प्रेरित वैश्विक वृहत आर्थिक परिदृश्य अत्यधिक अस्थिर था. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास 2018 में 3.6 प्रतिशत घटकर 2019 में 2.9 प्रतिशत रही. फरवरी-मार्च, 2020 में कोविड -19 महामारी के फैलने के कारण अस्थिरता और गहरा गई जिसके बाद आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और बढ़ गई.

1. महामारी के कारण व्यवधान व्यापक रूप से फैले हुए हैं एवं आगे वैश्विक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और पर्यटन में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था पैदा करने में सक्षम हैं. अब 2020 में वैश्विक उत्पादन घटता हुआ दिखाई दे रहा है. आईएमएफ ने वैश्विक विकास को 2020 में 4.9% की गिरावट के साथ 2021 में सुधार के साथ 5.4% अनुमानित किया है.

2. **घरेलू अर्थव्यवस्था**

2. भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत से मांग में कमी का सामना कर रही है. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय उन्नत अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि पिछले वर्ष के 6.8% की तुलना में 4.2% रही. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2019-20 प्रथम तिमाही में 4.8% थी. आगामी तिमाहियों के दौरान, जीडीपी ने क्रमश: 4.3%, 3.5% और 3.0% की वृद्धि दर्ज की. मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में कमी तथा वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही में कम वृद्धि के रूझानों के कारण वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि में गिरावट और तेज हो गई.

3. **मूल्य परिदृश्य :**

3.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान औसतन 4.7% बढ़ी है जो 6% की अधिकतम अपेक्षित सीमा से कम थी. हालांकि, सब्जियों, फलों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेज उछाल के कारण, हेडलाइन मुद्रास्फीति ने प्रतिबद्ध लक्ष्य को लाँघ कर और जनवरी 2020 में 7.6% तक पहुंच गया.

3. मुख्य मुद्रास्फीति (भोजन और ऊर्जा को छोड़कर मुद्रास्फीति) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निरंतर मूल्य वृद्धियों के बाद भी औसतन 4.0% की सीमा के भीतर रही.

4 **आय प्रवाह**

4.1 बेंचमार्क 10 वर्ष की जी-सेक आय में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कमी आई. आय वित्त वर्ष के प्रारंभ में 7.37% से कम होकर 31 मार्च 2020 को 6.67% हो गई. केन्द्रीय वित्त की सतत चिंताएँ, मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी की प्रत्याशा, सरकारी बांड में कम रुचि और यूएस ट्रेजरी आय में दृढीकरण से आय में कमी आई. वैश्विक महामारी के फैलने और बाजार विश्वास में कमी आने से आय प्रवाह अधिक अस्थिरहुआ. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान औसत जी-सेक 6.84% रही.

5. **बाहरी क्षेत्र**

5.1 भारतीय निर्यात विगत वर्ष के $330 बिलियन से 4.8 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2019-20 में $314 बिलियन रहा. यद्यपि विश्व आपूर्ति श्रृंखला एवं वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 के बुरे प्रभाव से निर्यात में कमी आई, व्यापार वैश्विक महामारी से पहले ही खराब स्थिति में था. भारतीय आयात विगत वर्ष के $514 बिलियन से 9.1 प्रतिशत कम होकर $467 बिलियन हो गए. आयात में निर्यात की अपेक्षा अधिक कमी आने से व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कम होकर $153 बिलियन रहा .

5.2 आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से फॉरेक्स शेष में वृद्धि की. अप्रैल 2019 के यूएस $414 बिलियन की तुलना में मार्च 2020 में यह यूएस $62 बिलियन की वृद्धि कर यूएस $476 बिलियन रहा. यद्यपि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में फॉरेक्स शेष में यूएस $12 बिलियन की कमी आई.

6. **तरलता स्थिति :**

6.1 2019-20 के दौरान अधिकांश समय तरलता आधिक्य स्थिति रही. एलएएफ के अंतर्गत प्रदर्शित निवल अधिशोषण के अनुसार प्रणालीगत तरलता आधिक्य जून 2019 में रु.51710 करोड़ था जो कि क्रमिक वृद्धि के साथ सितंबर 2019 में रु. 1.22 लाख करोड़, दिसंबर 2019 में 2.61 लाख करोड़ और मार्च 2020 में 2.86 लाख करोड़ रहा. मुद्रा बाजार अस्थिरता से निपटने के लिए आरबीआई ने समय पर तरलता प्रबंधन उपाय किए हैं. तरलता आधिक्य को एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो परिचालन के माध्यम से अधिशोषित किया गया .

7 **आरबीआई के नीतिगत निर्णय**

7.1 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई ने मुख्य पॉलिसी रेपो दर 235 बीपीएस घटाई है, जिसमें 160 बीपीएस इनकी छह औपचारिक मौद्रिक नीतियों में तथा 75 बीपीएस की कमी मंदी तथा वैश्विक महामारी के दबाव के परिदृश्य में लाई गई अनौपचारिक सातवीं नीति के द्वारा की गई. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रिवर्स रेपो दर 175 बीपीएस कम होकर 5.75 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत हो गई. छह औपचारिक नीतियों में रिवर्स रेपो दर 85 बीपीएस की कमी तथा सातवीं नीति में 90 बीपीएस की कमी की गई.

7. इसके अलावा, आरबीआई ने नीलामी के रूप में अपरंपरागत कदम उठाए, जिसे ''ऑपरेशन ट्विस्ट'' के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक साथ अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और लंबी अवधि

की प्रतिभूतियों की खरीद शामिल है. रिजर्व बैंक ने तरलता प्रवाहित करने और मौद्रिक संचरण में सुधार लाने के लिए 1 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि के पांच दीर्घकालिक रेपो नीलामी का भी आयोजन किया. इसने फॉरेक्स मार्केट में संचयी रूप से अमेरिकी डॉलर की तरलता को प्रवाहित करने के लिए दो खरीद-बिक्री विनिमय नीलामी भी आयोजित की.

**8 बैंकिंग परिदृश्य :**

8.1 बैंकिंग क्षेत्र ने खराब आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता में मंदी के साथ-साथ मांग में कमी की चुनौतियों का सामना करता रहा. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कॉरपोरेट और रिटेल दोनों में मांग कमजोर थी.

8.2 वित्त वर्ष 2020 में कुल जमा वृद्धि 7.9% पर समाप्त होने से पूर्व, वर्ष के दौरान 9% से 11% के बीच बनी रही.

8.3 2019-20 के दौरान ऋण ऑफ-टेक, गैर-खाद्य ऋण में 6.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ शिथिल रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि से आधे से भी कम था. ऋण वृद्धि में शिथिलता सभी बैंक समूहों में व्याप्त थी.

**9 बैंक का परिचलानात्मक निष्पादन**

**9.1 जमा संग्रहण**

i. 31 मार्च 2020 तक बैंक की कुल जमा (सीडी और इंटरबैंक सहित) 11.26% की साल दर साल वृद्धि दर्ज करते हुए रुपये 20,786.95 करोड़ की वृध्दि के साथ रुपये 2,05,354.78 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई.

ii. चालू जमाएँ पिछले वर्ष के रू. 16,200.06 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2020 को 3.34% की साल -दर-साल वृध्दि दर्ज करते हुए रू. 541.10 करोड़ की निवल बढ़ोतरी साथ रू. 16,741.16 करोड़ हो गई.

iii. बचत जमाएँ पिछले वर्ष के रू. 42,106.72 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2020 को 9.32% की साल-दर-साल वृध्दि दर्ज करते हुए रू. 3,922.34 करोड़ की निवल बढ़ोतरी साथ रू. 46,029.06 करोड़ हो गई.

iv. कुल जमाओं में कासा जमाओं की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 31.59% के सापेक्ष 30.57% रही.

v. औसत कासा 3.79% की बढ़ोतरी से रू. 1,933.21 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ हुई रू. 52,990.58 करोड़ हो गया.

vi. सावधि जमा 12.93% साल-दर-साल अभिवृद्धि के साथ रुपये 16,323.50 बढ़ोतरी के साथ पिछले वर्ष के 1,26,261.06 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च 2020 को 1,42,584.56 करोड़ हो गया.

vii. थोक जमाएँ (सीडी तथा बैंक जमाओं सहित रू. 2 करोड़ एवं उससे अधिक की सावधि जमाएँ) 18.63% की वृद्धि से 44,170.16 करोड़ के मुकाबले रू. 52,399.21 करोड़ हो गईं. कुल जमाओं में थोक जमाओं की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 23.93% की जगह 25.52% रही.

viii. जमाओं की लागत वर्ष 2018-19 के 5.40% के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 5.62% रही.

**9.2 ऋण वृद्धि :**

9.2.1 31.03.2020 को बैंक का ऋण पोर्टफोलियो 5.07% की अभिवृद्धि के साथ 31.03.2019 के रू. 1,21,251.21 से कुल रू. 6,147.84 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ रू. 1,27,399.05 करोड़ हो गया.

9.2.2. औसत अग्रिम 0.08%. की वृद्धि के साथ मार्च 2019 के रू. 1,16,510.58 से बढ़कर मार्च 2020 में रू. 1,16,608.27 करोड़ रहा. 31.03.2020 को सीडी अनुपात 62.04% रही.

**9.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण**

**9.3.1 क्षेत्रगत अभिनियोजन:**

ऋण के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अभिनियोजित कुल राशि मार्च 2020 को रू. 61, 513 करोड़ रही जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 40% के भारतीय रिजर्ब बैंक के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 43.27% है.

लक्ष्य के सापेक्ष बैंक का निष्पादन नीचे सारणी में प्रस्तुत है :

| मानदंड | आरआईडीएफ में निष्पादन मार्च 2020 (रू. करोड़ में) | भारिबैं द्वारा निर्धारित लक्ष्य (एएनबीसी का %) | वित्त वर्ष 20 की उपलब्धि (एएनबीसी का %) # |
|---|---|---|---|
| कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 61,513 | 40% | 43.27% |
| कुल कृषि | 24,769 | 18% | 18.24% |
| एस/एमएफ | 13,540 | 8% | 9.88% |
| सूक्ष्म उद्योग | 12,192 | 7.50% | 7.57% |
| कमजोर वर्ग को ऋण | 19,077 | 10% | 13.04% |

# भारतीय रिजर्ब बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तिमाहियों के लिए सामान्य औसत निकालकर उसका उपयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्यों की गणना करने हेतु किया गया है.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए तिमाही औसत आधार पर कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण मार्च 2020 में 24,769 करोड़ था जो विनियामक लक्ष्य एएनबीसी के 18.00% के सापेक्ष 18.24% पर रहा.

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना (SACP) के तहत निर्धारित ऋण संवितरण लक्ष्य को बैंक नेपार कर लिया, बैंक ने रु. 16,565 करोड़ रुपये के संवितरण लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2019-20 के दौरान 20,264 (122% उपलब्धि) करोड़ का संवितरण किया.

लघु और सीमांत किसानों को ऋण मार्च 2020 तक रूपये 13,540 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है, जो एएनबीसी के 8% के विनियामक लक्ष्य को पार करके वित्त वर्ष 2019-20 के तिमाही औसत आधार पर 9.88% के स्तर तक पहुंच गया.

मार्च 2020 तक डिजिटल बैंकिंग पहल के रूप में 2.43 लाख किसान क्रेडिट कार्ड उधारकर्ताओं को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (एटीएम-सक्षम) दिया गया.

सूक्ष्म उद्यमों के तहत अग्रिम रु 12,192 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 7.50% के विनियामक लक्ष्य के सापेक्ष वित्त वर्ष 2019-20 के तिमाही औसत आधार पर एएनबीसी का 7.57% है.

**9.4 सामाजिक ऋण :**

बैंक के सामाजिक आर्थिक दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सामाजिक ऋण / गरीबी उन्मूलन योजनाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण के वितरण को पर्याप्त महत्व दिया गया .

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का कुल ऋण प्रवाह 31.03.2019 को रूपये 2,636 करोड़ से रू. 451 करोड़ (17.10%) बढ़कर 31.03.2020 को रू. 3,087 करोड़ हो गया. बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधे ऋण देने को प्रोत्साहित किया है. महिला स्व सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को ऋण 31.03.2019 को ₹ 2,236 करोड़ से रू. 310 करोड़ की वृद्धि के साथ 31.03.2020 पर ₹ 2,546 करोड़ हो गया.

31.03.2020 को कमजोर वर्ग को ऋण रू. 19,077 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 10 % के विनियामक के लक्ष्य के सापेक्ष 13.14% है.

31.3.2020 को महिला लाभार्थियों को ऋण रु. 31.03.2019 को 11,571 करोड़ से साल-दर-साल 266 करोड़ की वृद्धि के साथ रू. 11,837 करोड़ (एएनबीसी का 8.40%) गया.

31.03.2020 को कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण रू. 61,513 करोड़ में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण रु.1,273 करोड़ रहा.

मार्च 2020 तक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए दिया गया ऋण रु. 7,030 करोड़ रहा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के 12.69% के स्तर पर पहुंच गया.

**पुरस्कार एवं सम्मान :**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं :

1. बैंक ने लगातार 5वें वर्ष चैंबर आफ इंडियन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा निम्नांकित श्रेणियों में 3 पुरस्कार प्राप्त किए:

I सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक पुरस्कार - उपविजेता (ईमर्जिंग श्रेणी)

II सीएसआर पहल एवं व्यापार दायित्व पुरस्कार - उपविजेता (ईमर्जिंग श्रेणी)

III प्रमोशनल योजनाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार - उपविजेता (ईमर्जिंग श्रेणी)

2. छठे एसोचैम एसएमई सर्वश्रेष्ठता पुरस्कार -2018 के दौरान बैंक ने एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम) द्वारा स्थापित पुरस्कारों में वर्ष 2018 हेतु ''सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक-विजेता 2018'' का पुरस्कार प्राप्त किया.

**9.5. खुदरा ऋण**

आवश्यकता आधारित खुदरा ऋणों जैसे आवास, वाहन, शिक्षा, व्यक्तिगत ऋण, आदि का 'कार्प योजना' ब्रांड नाम से विपणन किया जाता है. 31.3.2019 के रु. 26,244 करोड़ के पोर्टफोलियो की तुलना में 31.03.2020 को कार्प योजनाओं का पोर्टफोलियो रु. 24,701 करोड़ रहा है. पिछले वर्ष के रु 2,668 crore (-9.2%) की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में रु. 1,543 करोड़ (-5.9%) की गिरावट रही है.

(रु. करोड़ में )

| शेष राशि | | | शुद्ध वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| **31.03.2018** | **31.03.2019** | **31.03.2020** | **01.04.18 to 31.03.19** | **01.04.19 to 31.03.20** |
| **28912** | **26244** | **24701** | **-2668 (-9.2%)** | **-1543 (-5.9%)** |

9.6 कार्प योजनाओं के पोर्टफोलियों में सबसे बड़ा हिस्सा आवास ऋणों (53.9%) का है. 31.03.2020 को आवास ऋणों में कुल बकाया रू. 13,313 करोड़ है. कथित योजना में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान रू. 161 करोड़ (-1.2%) की कमी हुई है.

9.7 शिक्षा ऋणों के अर्थात कार्प विद्या योजना के अंतर्गत बकाया राशि 31.03.20 को रू. 1,456.9 करोड़ है. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान रू. 117 करोड़ (-7.4%) की कमी हुई है.

9.8 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सभी खुदरा ऋणों की कुल संस्वीकृति में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्रतिबंधों की तुलना में रू. 1,109 करोड़ की वृद्धि हुई है और ऋण खातों के संबंध में इसमें 8,237 ऋणों की वृद्धि हुई है.

9.9 वर्ष के दौरान आयोजित विशेष प्रचार अभियान / कार्यक्रम हैं :

- 01.06.2019 से 30.09.2019 तक 4 महीने की अवधि के लिए आवास और वाहन ऋण (व्यक्तिगत) के तहत एक प्रचार अभियान ''मानसून ऑफर 2019'' पेश किया गया था, जिसमें अभियान के दौरान वितरित किए गए नए ऋणों के लिए ब्याज दर और प्रसंस्करण शुल्क की पूर्ण छूट दी गई थी.
- 01.10.2019 से 31.01.2020 तक 4 महीने की अवधि के लिए एक प्रचार अभियान ''फेस्टिवल ऑफर - 2019 [एफओ-2019]'' को तक पेश किया गया था, जिसमें हाउसिंग लोन (पीएमएवाई सहित) और

वाहन ऋण (व्यक्तिगत वर्ग) के तहत प्रोसेसिंग फीस की 100% माफी की पेशकश की गई थी. फेस्टिवल ऑफर - 2019 को 01.02.2020 to 31.03.2020 तक दो माह की अवधि के लिए विस्तारित फेस्टिवल ऑफर - 2020 (ईएफओ 2020) के रूप में बढ़ाया गया था.

**9.10 वित्तीय समावेशन**

- भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत पीएमजेडीवाई के तहत मूलभूत बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 23 राज्यों में स्थित 2291 गावों को 894 उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बाँट कर आबंटित किया है. हमारे बैंक ने 269 एसएसए में सुव्यवस्थित शाखाओं के साथ बैंकिंग संरचना उपलब्ध कराई है. बाकी के 625 उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बैंकिंग सुविधा को बैंक मित्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है.
- 625 पीएमजेडीवाई केन्द्रों को छोड कर बैंक ने ऐसे गैर-पीएमजेडीवाई केन्द्रों पर 129 बैंक मित्रों की सेवाएँ ली हैं जहां बैंक मित्रों की सेवाएँ आवश्यक थीं.
- हमारे बैंक ने हमें आवंटित 3 अपेक्षित जिलों में बैंकिंग आउटलेट सहित शाखाएं खोली हैं.
- हमारे बैंक ने समस्त बैंक मित्रों को सशक्त, एसटीक्यूसी प्रमाणित, 1.5.1 वर्जन से युक्त माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाए हैं और ये सभी अच्छा काम कर रहे हैं. पिन पेड के साथ माइक्रो एटीएम द्वारा सभी बैंक मित्र ऑन लाइन, अंतर संचालित, आधार एवं पिन आधारित लेनदेनों को संभालने में समर्थ हैं.
- हमारे बैंक मित्रों द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं :

  1) खाते खोलना, 2) नकद जमा (अपने बैंक में), 3) नकद जमा (दूसरे बैंक में- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली/रुपे कार्ड), 4) नकद निकासी (हम पर), 5) नकद निकासी (हमारे द्वारा), 6) निधि अंतरण(अपने बैंक में), 7) निधि अंतरण (दूसरे बैंक में- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली/रुपे कार्ड), 8) शेष पूछताछ (अपने बैंक में), 9) शेष पूछताछ (दूसरे बैंक में- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली/रुपे कार्ड), 10) लघु विवरणी, 11) मियादी/आवर्ती जमा, 12) माइक्रो दुर्घटना मृत्यु बीमा (पीएमएसबीवाई) के लिए नामांकन, 13) माइक्रो जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई) हेतु नामांकन, 14) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (एपीवाई) हेतु नामांकन, 15) पेंशन भुगतान, 16) आधार प्रविष्टि और 17) मोबाईल प्रविष्टि.
- हमारे बैंक ने 12 अंचल कार्यालयों में वित्तीय समावेशन प्रयवेक्षकों को बैंक मित्रों की गतिविधियों की निगरानी हेतु नियुक्त किया है.
- 31.03.2020 तक पीएमजेडीवाई के तहत 32.47 लाख खाते खोले गए और हमारे बैंक में पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष रू. 4,093/- है.
- बैंक ने पीएमजेडीवाई ओडी योजना के तहत 2,27,630 खातों में ओडी सुविधा उपलब्ध कराया है.
- यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2020 को हमारे बैंक की शाखाओं में बैंक के सामान और आउटसोर्स्ड व्यक्ति द्वारा 256 आधार नामांकन केंद्र चलाए जा रहे हैं.

**10. पुरस्कार और उपलब्धियां**

i. बैंक को ''गर्वनैंस नाऊ बीएफएसआई अर्वाडस, 2019'' से दो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. बैंक को ''मोबाइल एप'' एवं ''साइबर सेक्यूरिटी'' के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

ii. बैंक ने बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन- ''कॉर्प इज'' के लिए सेमी-फाइनलिस्ट के रूप में शीर्ष प्रदर्शन वाले नामांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए SKOCH ऑर्डर-ऑफ-मेरिट 2019-सिल्वरट पुरस्कार प्राप्त हुआ है. बैंक ने मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन- ''कॉर्प इज'' के लिए SKOCH अवार्ड - बैंकिंग कांस्य भी प्राप्त किया है.

iii. बैंक को भारत सरकार की राजभाषा निति के उत्कृष्ट निषादन के लिए उत्कृष्ट संस्था पुरस्कार प्राप्त हुआ है. पुरस्कार वितरण समारोह वित्तीय सेवाएँ विभाग के तत्वावधान में नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था.

iv. कार्पोरेशन बैंक को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

**11. वसूली:**

**11.1 एनपीए स्तर:**

बैंक का सकल एनपीए 31.03.2019 के रु. 20723.68 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को रु. 19399.02 करोड़ है. सकल एनपीए संगत पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर 15.35 % की तुलना में 31.3.2020 को सकल अग्रिम का 13.80 % है .

बैंक का निवल एनपीए 31.03.2019 के रु. 6926.64 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को रु. 6257.97 करोड़ है. निवल एनपीए संगत पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर 5.71 % की तुलना में निवल अग्रिम का 4.91 % है .

**11.2 नकद वसूली और उन्नयीकरण:**

(रू. करोड़ में )

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| नकद वसूली (सीआर) | 3,368.72 | 4,041.44 |
| उन्नयीकरण (यूजी) | 1,824.04 | 1,761.04 |
| कुल = सीआर + यूजी | 5,192.76 | 5,802.48 |

वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एनपीए की नकद वसूली और उन्नयीकरण पिछले वर्ष के 5192.76 करोड़ की तुलना में रु. 5802.48 करोड़ रही.

11.3 **आस्ति श्रेणी के आधार पर 31.03.2020 को अग्रिमों का आस्तिवार वर्गीकरण:** (₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | श्रेणी | 31.03.2018 | | 31.03.2019 | | 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राशि | कुल आस्तियों का % | राशि | कुल आस्तियों का % | राशि | कुल आस्तियों का % |
| 1 | मानक | 105791.82 | 82.65 | 114324.57 | 84.65 | 121142.08 | 86.20 |
| 2 | अवमानक | 5814.76 | 4.54 | 4313.76 | 3.19 | 3131.82 | 2.23 |
| 3 | संदिग्ध | 16087.82 | 12.57 | 15781.63 | 11.69 | 13476.61 | 9.59 |
| 4 | हानिगत | 310.86 | 0.24 | 628.29 | 0.47 | 2790.59 | 1.99 |
| | **कुल ऋण** | **128005.26** | **100.00** | **135048.22** | **100.00** | **1,40,541.10** | **100.00** |

### 11.4 वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न वसूली तरीकों के अंतर्गत निष्पादन एवं कार्य योजना

### 11.4.1 सरफेसी:

बैंक ने सरफेसी कार्यवाही द्वारा एनपीए की वसूली हेतु तत्पर और समयबद्ध कदम उठाए हैं. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सरफेसी कार्यवाही द्वारा 1,633 खातों में रु. 723.22 करोड. के एनपीए वसूल/ उन्नयित किए गए. इसमें सरफेसी कार्यवाही लागू किए जाने और जमानती आस्तियों के कब्जा तथा विक्रय से ही वसूली/उन्नयन भी शामिल हैं.

### 11.4.2 राष्ट्र व्यापी मेगा ई - नीलामी

जमानती आस्तियों की सरफेसी के अंतर्गत बिक्री करवाने में जमानती आस्तियों के राष्ट्रव्यापी मेगा ई - नीलामी आयोजन को अच्छी रणनीति के रूप में पहचान मिली है. ऐसी नीलामियों को प्रधान कार्यालय स्तर पर वसूली प्रभाग द्वारा उच्च व्यावसायिक/ लागत प्रभावी तरीके से ई - नीलामी पोर्टल के साथ गठबंधन करके आयोजित किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 31.03.2020 तक 339 संपत्तियों की बिक्री और नकदी वसूली / उन्नयन/ संपत्ति विक्रय कार्यवाही प्राप्त रु. 243 करोड़ राशि की प्राप्ति की गई.

राष्ट्रव्यापी मेगा ई-नीलामी जमानती आस्तियों को सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लाने के लिए शाखाओं हेतु एक तैयार मंच है. ई-नीलामी की समय-सारणी को पर्याप्त समय रहते अंतिम रूप दिया जाता है और शाखाओं / कार्यालयों को सूचित किया जाता है जिससे वे अधिकतम संख्या में बिक्री हेतु संपत्तियों की पहचान कर सकें.

### 11.4.3 डीआरटी सूट :

सरफेसी में कार्यवाही करने के साथ ही देयता की वसूली हेतु डीआरटी में भी सूट दर्ज किए गए. 31 मार्च, 2020 को 34 डीआरटी में विभिन्न स्तरों पर रु. 31291 करोड़ के 8134 मामले हैं.

### 11.4.4 समझौता /एक बार निपटान :

समझौता/ एक बारगी निपटान को प्रोत्साहित किया जा रहा है. दुष्कर एनपीए खातों की आपसी समझौतों द्वारा वसूली करने के लिए बैंक ने आक्रामक तौर पर समझौता/ ओटीएस को एक प्रमुख वसूली योजना के रूप में अपनाया है. शाखाओं को यथा संभव अधिक से अधिक समझौता प्रस्तावों को आंका/ मंका तथा प्रधान कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजने की आवश्यकता से अवगत कराया गया है. प्रधान कार्यालय से भी कार्यपालक क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान एनपीए उधारकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और ओटीएस प्रस्ताव को प्राप्त करते हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 845.67 करोड़ के समझौता/ एक बार निपटान प्रस्तावों को प्रधान कार्यालय स्तर पर अनुमोदित किया गया.

### 11.4.5 कार्प रियायती -VI

सामान्य ओटीएस के अन्तर्गत समाधान के अतिरिक्त बैंक ने विशेष ओटीएस योजना बनाई है. कार्प रियायती -VI योजना, एक बार निपटान योजना है जो रु.10 लाख तक की बकाया राशि वाले छोटे एनपीए खातों के लिए बनाई गई है और 01.05.2018 से प्रारम्भ की गई. योजना 31.03.2019 को समाप्त हुई. 31.03.2019 तक इस योजना के अंतर्गत रु. 28.95 करोड़ के 4993 खातों का निपटान किया गया. इन खातों के निपटान के द्वारा रु. 28.95 करोड़ की राशि वसूल ली गई है.

### 11.4.6 कृषि-एनपीए के लिए ओटीएस योजना :

कृषि-एनपीए, कृषि-पुनगर्णित ऋण एवं एमएसएमई ऋण के लिए ओटीएस योजना. कृषि ओटीस योजना के तहत रु. 49.63 करोड़ की राशि वाले कुल 1812 खातों का निपटान किया गया और रू. 149.02 करोड़ की राशि वाले 1319 खातों को एमएसएमई ओटीएस योजना के तहत निपटान किया गया.

### 11.4.7 लोक अदालत :

नालसा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में बैंक ने प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालय के विधि अधिकारियों को शामिल करते हुए सक्रिय रूप से भाग लिया. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 43.35 करोड़ के 3035 खाते लोक अदालत योजना द्वारा निपटाए गए. रु. 8.54 करोड़ की मौके पर ही वसूली की गई .

### 11.4.8 मेगा वसूली शिविर:

बैंक ने सभी अंचलों में खातों, विशेषकर छोटे मूल्य के एनपीए खातों का

निपटान कार्य रियायती योजना/ बैंक की सामान्य ओटीएस योजना के अंतर्गत करने हेतु मेगा वसूली शिविरों का आयोजन किया. ऐसे शिविर 4 से 5 ऐसी शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए जहां एक ही स्थान पर अधिक एनपीए हैं. विशेष वसूली कार्य दल के सदस्यों और वसूली एजेंटों की सहायता से उधारकर्ताओं से संपर्क किया गया तथा उन्हें चर्चा करने एवं उनके लंबे समय से लंबित देय का निपटान करने के लिए समझौते के स्थान पर लाया गया. ऐसे शिविरों से बड़ी संख्या में छोटे मूल्य के एनपीए खातों को निपटाने तथा बंद करने में सहायता मिली है.

**11.4.9 विशेष वर्टिकल:**

दबावग्रस्त / एनपीए खातों / पी डब्लू ओ खातों की निगरानी एवं अनुवर्तन में, इस उद्देश्य से प्रधान कार्यालय तथा मंडल कार्यालयों में बनाए गए विशेष स्कंध द्वारा तेजी आई है. वित्त वर्ष वर्ष 2018-19 के रु. 318.06 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में विवेकपूर्ण ढंग से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली रु. 706.88 करोड़ रही.

**11.4.10 आईबीसी 2016 के अंतर्गत एनसीएलटी को प्रेषण द्वारा समाधान:**

दिवालिया तथा ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 के अंतर्गत दबावग्रस्त / एनपीए खातों को कार्पोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को प्रेषित करना भी बैंकों के पास देय की वसूली करने का एक उपाय है. भारिबै निदेशित खातों का प्रेषण करने/ समाधान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अतिरिक्त बैंक ने विभिन्न खातों को आईबीसी 2016 के अंतर्गत संज्ञान में लिया है तथा एनसीएलटी को भेजा है.31.03.2020 तक एनसीएलटी के समक्ष रु. 19080.45 करोड़ के 249 खाते विभिन्न स्तरों पर हैं. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक आईबीसी 2016 के अंतर्गत समाधान द्वारा रु. 1846.13 करोड़ से अधिक की राशि वसूल कर चुका है.

## 12. ट्रेज़री एवं निवेश परिचालन

31 मार्च, 2020 को बैंक का कुल निवेश, बैंक के जोखिम अवबोध तथा निवेश नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिभूतियों के परिपक्वता मिश्रण के साथ रु. 66,432.44 करोड़ रहा.

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निवेशों पर औसत अर्जन पिछले वर्ष के अंत के 7.36 % की तुलना में 7.23% रही.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ पिछले वर्ष के रु. 80.93 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 388.47 करोड़ था.

बैंक ने प्रभावी जोखिम प्रबंधन हेतु अवधि, आशोधित अवधि तथा जोखिम पर मूल्य जैसे उपाय लागू किए हैं.

## 13. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक में 49 नामित शाखाएं और बंगलूर में स्थित एक फारेक्स हब है जो विदेशी विनिमय कारोबार संभालती हैं. वर्ष 2019-20 के दौरान संचयी व्यापार टर्नओवर रु. 62612.36 करोड़ से 51.25 % बढ़ कर रु. 94703.00 करोड़ हो गया.

ट्रेज़री की विदेशी विनिमय आय वर्ष के दौरान रु.99.18 करोड़ से 15.43% बढ़ कर रु.114.48 करोड़ हो गई .

नामित फोरेक्स शाखाओं की शुल्क आधारित आय सहित कुल आय रु.66 करोड़ से 19.70% घट कर रु. 53 करोड़ हो गई.

वर्ष के दौरान मुद्रा भविष्य आय रु. 7.16 करोड़ से 25.98% बढ़ कर रु. 9.02 करोड़ हो गई.

## 14. बहुमूल्य धातु कारोबार

यूनियन बैंक के साथ समामेलन को देखते हुए, चूंकि उनके पास पहले से ही स्वर्ण / चांदी आयात करने का लाइसेंस है, आरबीआई ने हमारे लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया है जो कि 31.03.2020 को समाप्त हो गया है.

## 15. नामित शाखाएं और खजाना और निवेश विभाग

15. प्रक्रिया में सुधार

क) सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए नामित शाखाओं और ट्रेजरी शाखा के बीच स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) लागू है. शाखाओं के सभी लेन-देन एसटीपी के माध्यम से ट्रेजरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्वत:-पोस्ट किए जाते हैं.

ख) लिंक शाखाओं को रेट चैट मॉड्यूल के माध्यम से सीधे ट्रेजरी से दर लेने के लिए सक्षम किया गया है और सभी एफसीएनआर लेनदेन एसटीपी के तहत लाए जाते हैं. ट्रेजरी ब्रांच में मिरर बैलेंस एसटीपी के माध्यम से तुरंत अपडेट किया जाता है.

ग) नोस्ट्रो प्रविष्टियां सिस्टम में अपलोड की जाती हैं जिसके कारण अधिकांश प्रविष्टियों का स्वत: मिलान हो रहा है.

घ) विनिमय गृह - मिलान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और विदेशी मुद्रा में दैनिक संतुलन उपलब्ध कराया गया है.

ङ) सीबीएस के साथ स्विफ्ट प्रणाली का एकीकरण पूरा हो चुका है और स्विफ्ट के मैनुअल सृजन का कोई प्रावधान नहीं है.

च) बैंक ने सभी जावक विदेशी मुद्रा भुगतानों का अनुवर्तन करने के लिए कड़े मानदंडों को अपनाया है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग स्तर की स्विफ्ट सत्यापन भी लागू किया है कि सभी भुगतान सीबीएस में इसी प्रविष्टि दर्ज करने के बाद ही रूट किए जाएं.

छ) बंगलूरू में विदेशी मुद्रा हब को सभी नामित शाखाओं की विदेशी मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने और फेमा/आरबीआई/एफईडीएआई दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ और मजबूत किया गया है. एक कदम और ब?ाते हुए बैंक ने हब में अपने सभी आयात संबंधी लेनदेन को केंद्रीकृत कर दिया है जिससे स्विफ्ट परिचालन से संबंधित नियामक द्वारा दिशा-निर्देशों को लागू किया जा सके.

ज) बैंक मुनाफा बढ़ाने के लिए बीएसई, एनएसई और एमएसईआईएल पर करेंसी फ्यूचर्स में सक्रिय रूप से कारोबार कर रहा है.

16. **उगाही और भुगतान सेवाएं (कैप्स)**

- ई-कॉर्पोरेशन बैंक उगाही और भुगतान सेवाओं में अग्रणी रहा है और 1991 में सीएमएस सेवाएं शुरू करने और विशेष सीएमएस हब और कैप्स शाखाओं की स्थापना करने वाले पीएसयू बैंकों में पहला था.
- हमारे पास अपनी प्राप्तियों और भुगतानों के प्रबंधन में कॉर्पोरेट्स के सामने आने वाली बाधाओं को संभालने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी के साथ एक विशेष तंत्र है.
- कैप्स उत्पादों और सेवाओं की बाजार में और सेवा स्तर व दक्षता के मामले में किसी भी अन्य प्रतियोगी बैंकों के बराबर स्वीकार्यता है.
- मूलभूत लाभ हैं - बढ़ी हुई तरलता के साथ कुशल वित्तीय प्रबंधन, स्वत: मिलान और लागत में कमी के माध्यम से अधिकतम लाभ.
- हमारी सेवाओं के अन्य लाभ में प्रभावी नियंत्रण, प्रतिस्पर्धी बढ़त, होस्ट टू होस्ट और वेब सेवा क्षमताओं के साथ अनुकूलित एमआईएस और एकल बिंदु शंका निदान क्षमताएं शामिल हैं.
- हम दशकों से बाजार में नकदी प्रबंधन सेवाओं के एक सुसंगत प्रदाता रहे हैं. नए उत्पादों की शुरूआत और बाजार की जरूरतों के अनुसार उन्हें अनुकूलित करना हमारी ताकत रही है.
- ई-कॉर्पोरेशन बैंक कैप्स सी-कस्टमाइजेशन ए-एक्यूरेसी पी-प्रोसेस एफिशिएंसी एस-स्पीड के लिए जाना जाता है

**उत्पाद**

| उगाही उत्पाद | भुगतान उत्पाद | अन्य उत्पाद |
|---|---|---|
| • नकद पीआईएफ<br>• चेक कलेक्शन-एफसीएस/सीसीएस<br>• वर्चुअल मोड - एनईएफटी/ आरटीजीएस/ आईएमपीएस<br>• मेंडेट - डाइरेक्ट डेबिट /एनएसीएच डेबिट<br>• ईपीजी - डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ भारत बिल भुगतान सेवाएं<br>• एकीकृत शुल्क संग्रह सेवाएं (यूएफसीएस)<br>• स्वीप सुविधा | • कॉर्प रेमिट - एबीबी / एनईएफटी/ आरटीजीएस/ आईएमपीएस<br>• कॉर्प पे<br>• कोरेस्पोंडिंग बैंक द्वारा डीडी आहरण व्यवस्था<br>• एनएसीएच क्रेडिट | • स्वचालित चालान वित्त<br>• डीलर वित्तीयन - सहारा के साथ/ सहारा/ एफएलडीजी के बिना<br>• वेंडर वित्तीयन |

**वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निष्पादन की मुख्य विशेषताएं**

**(आय करोड़ में)**

| क्रम | मानदंड | वास्तविक राजकोषीय वृद्धि | | | | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि | | | | लक्ष्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018-19 | | 2019-20 | | | |
| | | मार्च' 17 | मार्च' 18 | मार्च' 19 | मार्च' 20 | एबीएस | % | एबीएस | % | मार्च' 20 | अंतर |
| 1 | ब्याजेतर आय | 23.82 | 32.41 | 46.33 | 44.68 | 13.93 | 42.97 | -1.65 | -3.6 | 50.00 | 5.32 |
| 2 | ब्याज आय | 9.20 | 10.22 | 10.50 | 11.14 | 0.28 | 2.76 | 0.64 | 6.1 | 15.00 | -3.86 |
| 3 | कुल आय | 33.02 | 42.62 | 56.83 | 55.82 | 14.21 | 33.33 | -1.01 | -1.8 | 65.00 | -9.18 |
| 4 | ग्राहक आधार | 243 | 246 | 262 | 187 | 16 | 6.50 | -75 | -29 | 350 | -163 |

**वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उपलब्धियां :**

- 5 कैप्स शाखाओं ने अपने आय लक्ष्य हासिल किए हैं, 3 कैप्स शाखाओं ने ग्राहक लक्ष्य हासिल किए हैं.
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए शुद्ध लाभ 44.28 करोड़ रुपये है.
- वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान कैप्स उत्पादों और सेवाओं के साथ कुल 187 ग्राहकों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 45 ईपीजी प्रस्ताव हैं.
- हमने ऑनलाइन सेवाओं के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए राजस्थान भुगतान मंच में हमारे कॉर्प नेट बैंकिंग गेटवे को एकीकृत किया है. इससे हमारे बैंक ग्राहकों को बनाए रखने में मदद मिलेगी और उन्हें भुगतान करने में आसानी से होगी.
- डीडीए आवास योजना-2019 के लाभार्थियों के लिए वेब एप्लीकेशन सह ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुकूलित समाधान प्रदान किया जाता है.
- मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा एक यूटिलिटी बिलर के रूप में दर्ज किया गया है. ग्राहक कॉर्प ईज/अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अपने पानी के बिलों का भुगतान कर सकते हैं. इससे हमारे बैंक को अच्छी फ्लोट और फीस आधारित आय का मार्ग प्रशस्त होगा.
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत 21,066 सहमतिपत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्रवाई की गई है.
- बैंक के लिए भीम/यूपीआई क्यूआर को सक्षम बनाया गया है.

**<u>संचयी आय में कमी के कारण :</u>**

- कैप्स हैदराबाद ने तेलंगाना सरकार की रथू बंधु योजना को संभाला और पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त की.
- मेसर्स कैपिटल पहले मुंबई कैप्स में मेंडेट सुविधाओं का लाभ उठा रहा था और हम लगभग 20 लाख रुपये मासिक कमा रहे थे. चूंकि वह अब आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय कर दिया है, अत: हमारी सेवा का लाभ उठाना बंद कर दिया है. इसलिए मुंबई-कैप्स की आय में करीब 240 लाख की कमी आई है.
- एमआरएल पोस्नेट कैप्स-बैंगलोर से कॉर्प परिहार सुविधा (एनईएफटी/आरटीजीएस) का लाभ उठा रहा था जो हमें प्रति माह 8-10 लाख रुपये की आय दे रहा था. अब चूंकि थोक अपलोड के लिए फिनाकल में प्रावधान उपलब्ध है, इसलिए मर्चेंट एजीमेंटिंग सेल (मैक) द्वारा संचालन को अपने कब्जे में ले लिया गया है इसलिए कैप्स बैंगलोर के संचयी आय में लगभग 38 लाख रुपये की कमी आई है.
- बाजार में गिरावट के कारण फरवरी/मार्च में प्रत्यक्ष डेबिट मेंडेट और एनएसीएच मेंडेट में कमी के परिणामस्वरूप आय में भी काफी कमी आई है.

**<u>आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट सुधारात्मक कदम:</u>**

- हमारे बैंक को सब्सिडी वितरित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) के लिए नोडल बैंक के रूप में कार्य के लिए निदेशित किया गया है. 50 करोड़ रुपये के औसत कासा की उम्मीद है.
- सरकार समर्थित सब्सिडी/दावों के वितरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के लिए एक नोडल बैंक के रूप में कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हमारे बैंक के कासा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. यदि इसने मूर्त रूप लिया, तो 1,000 करोड़ रुपये के वार्षिक संवितरण की उम्मीद है.
- हम कैप्स को अनुकूलित समाधानों के साथ भुगतान प्रसंस्करण हब के रूप में तैनात कर रहे हैं, जो CASA खातों को प्राप्त करने और बनाए रखने में बैंक का समर्थन करते हैं.
- **एकीकृत शुल्क संग्रह सेवा** के तहत शुल्क/बिल संग्रह और विभिन्न भुगतानों को सक्षम करने के लिए शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक उपयोगिता/निगमों, सरकारी एजेंसियों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें CASA पैदा करने की क्षमता है.
- ग्राहकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रिया एकीकरण के माध्यम से **नई कोर बैंकिंग क्षमताओं** का दोहन करने का प्रयास किया जाएगा.
- प्रभाग ने डीलर आधार और एसएमई पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद का आक्रामक विपणन करके "ए" रेटेड कंपनियों को **स्वचालित चालान वित्तपोषण** का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है.
- **नेट बैंकिंग गेटवे सेवाओं** के लिए नए एग्रीगेटर जोड़े जाएंगे. डिवीजन अपने सब-मर्चेंट वेब पोर्टलों पर किए गए शुद्ध बैंकिंग लेनदेन के कारण एग्रीगेटर्स से अच्छी आय की उम्मीद कर रहा है.
- बैंक के लिए CASA पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, उच्च रेटेड कॉर्पोरेट्स, संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को उच्च मात्रा में व्यवसाय करने के लिए फ्लोट-आधारित मूल्य निर्धारण की पेशकश की जाएगी.
- सीएमएस सेवाओं के लिए हमारे प्रमुख ऋण ग्राहकों को लक्षित करेंगे और प्रतियोगियों के साथ सेवा के स्तर और कीमत का मिलान करके खोए हुए ग्राहकों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा.

## 17 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

### 17.1 बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे के लिए ISO 27001:2013 प्रमाणन:

ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान (बीएसआई) द्वारा आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली [आईएसएमएस] फ्रेमवर्क के तहत बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मंगलौर में आईटीडी और डीआर सेटअप और बैंगलोर में डाटा सेंटर और एनएलएस शामिल हैं की सस्टेनेंस लेखापरीक्षा की गयी, और इसे आगे 03 वर्षों यानी 2023 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है.

### 17.2 नेटवर्क से संबंधित पहल

- आईबीएम द्वारा एचसीएल कॉमनेट से सफलतापूर्वक बैंक की इंफ्रा के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस का अधिग्रहण बैंक के 06 विभिन्न स्थानों पर समर्पित संसाधन तैनात करके पूरा कर लिया गया है ताकि पूरे भारत में शाखाओं को बेहतर और तेजी से समर्थन सुनिश्चित किए जा सकें.
- शाखा कर्मचारियों के लिए बेहतर और तेज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए जहां भी संभव हो, सभी शाखाओं के लिए एमपीएलएस कनेक्टिविटी को 2 एमबीपीएस में अपग्रेड किया गया है. बैंक बीसीपी (बिजनेस निरंतरता योजना) के एक हिस्से के रूप में एक वैकल्पिक सेवा प्रदाता से सभी शाखाओं को माध्यमिक लिंक प्रदान करने की भी प्रक्रिया में है. 1000+ शाखाओं के साथ महत्वपूर्ण स्थानों और सेवा शाखाओं को माध्यमिक लिंक पहले ही प्रदान किया जा चुका है.

### 17.3 अन्य डिजिटल पहल :

- नए मोबाइल ऐप यानी "रिकवरी असिस्ट" का आरंभ : यह ऐप शाखा प्रमुखों को ऋण खातों में अतिदेय/एस की बेहतर निगरानी के लिए सुविधा प्रदान करता है. ऐप सीबीएस में कैप्चर किए गए मोबाइल नंबरों का उपयोग करके ग्राहक (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर) को कॉल भी शुरू कर सकता है और भविष्य में वसूली कार्रवाई के लिए कॉल की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर सकता है .
- कॉर्प ईज, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध मोबाइल बैंकिंग समाधान है जो ग्राहकों को अपने स्थान और सुविधा पर फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, जमा खोलने और बंद चेक बुक अनुरोध, पासबुक प्रबंधन, छुट्टी की जानकारी आदि जैसे बैंकिंग

लेनदेन करने में सहायता करता है. यह एप्प अंग्रेजी, हिंदी सहित 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. उन्नत सुविधाओं में से कुछ, जो हाल ही में शामिल की गयी हैं:

- पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का नामांकन और सदस्यता
- ब्रॉडबैंड, डीटीएच, बिजली, गैस, लैंडलाइन, पानी बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल आदि जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए भीम बिल भुगतान
- एनपीएस (नई पेंशन योजना) को सदस्यता दी जा सकती है और उनके योगदान का भुगतान किया जा सकता है
- ग्राहक डेबिट कार्ड की सीमा, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने और अनब्लॉक करने और नए कार्ड के मामले में ग्रीन पिन सृजित कर सकता है.
- यात्रा और अवकाश के तहत - ग्राहक अपने मोबाइल, डीटीएच, डेटा कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं और उड़ान, बस और होटल के लिए टिकट बुक कर सकते हैं.
- एनईएफटी 24x7 किया जा सकता है
- नए लाभार्थी के मामले में कूलिंग की अवधि को संशोधित किया गया है यथा पहले 4 घंटों में रु. 10,000 / - तक के फंड को विप्रेषित कर सकता है, अगले 20 घंटों में दो लाख रुपये और शीतलन अवधि के बाद, डिफ़ॉल्ट सीमा के अनुसार विप्रेशन कर सकते है.
- यूपीआई के माध्यम से पैन सत्यापन को सक्षम बनाया गया है.
- यदि ग्राहक के पास खुदरा सीआईएफ के साथ-साथ कॉर्पोरेट सीआईएफ एकमात्र स्वामित्व के रूप में खाता है तो मल्टीपल सीआईएफ पर लॉगिन करने की अनुमति है.
- एनआरई/एनआरओ खाताधारक को अपने बचत/चालू/खुद के लोन अकाउंट्स में निधि अंतरण अधिकार दिए गए हैं.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन के पश्चात होम पेज और सभी मेनू की स्क्रीन पर नए लोगो का प्रतिस्थापन.
- **एफईबीए: फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लिकेशन,** एक समकालीन न्यू इंटरनेट बैंकिंग ने कई विशेषताओं और सुविधाओं को जोड़ा है -
- अनुकूलन लेनदेन की सीमा, डेबिट कार्ड सत्यापन के माध्यम से स्व-पंजीकरण, परेशानी मुक्त लेनदेन के लिए मोबाइल टोकन.
- डेबिट कार्ड्स को ब्लॉक और अनब्लॉक करना
- एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) को सब्सक्राइब किया जा सकता है और बाद में अपने योगदान का भुगतान कर सकते हैं.
- ग्राहक की सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, नए लाभार्थी के मामले में कूलिंग की अवधि को संशोधित किया गया है यथा पहले 4 घंटों में रु. 10,000 / - तक के फंड को विप्रेषित करें; अगले 20 घंटों में एक लाख रुपये और शीतलन अवधि के बाद, डिफ़ॉल्ट सीमा के अनुसार विप्रेशन कर सकते है.
- नए डेबिट कार्ड के मामले में, ग्राहक पिन सृजित कर सकते हैं जिसे "ग्रीन पिन"कहा जाता है.
- ई-सेवा टैब के तहत, ऋण पोर्टल को उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए जोड़ा गया है ताकि वे आवास ऋण, वाहन ऋण, विद्या ऋण और एमएसएमई ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें.
- 24 X 7 एनईएफटी की उपलबद्धता

  ग्राहक एसएमएस बैंकिंग के लिए पंजीकरण कर सकता है.
- चुनी गयी आवृत्ति के अनुसार ईमेल विवरणों का निर्धारण संभव है.
- आईपीओ और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ग्राहकों को आसानी प्रदान करने के लिए जियोजीत टेक्नोलॉजी को ऑनबोर्ड किया गया है.

**17.4 सुरक्षा उपाय :**

- बैंक के नेटवर्क और डेटा सुरक्षा मुद्रा को मजबूत करने के लिए, RBI के साइबर सुरक्षा ढांचे की सिफारिशों के अनुरूप विभिन्न सुरक्षा समाधान लागू किए गए. प्रमुख कार्यान्वयन हैं:
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल
- अगली पीढ़ी की फायरवॉल

**17.5 उत्पादकता परिवर्धक पहल :**

- Microsoft के साथ एंटरप्राइज़ समझौते (ईए) के हिस्से के रूप में, क्लाउड-आधारित ऑफिस सुइट O-365 के विभिन्न उत्पादकता उपकरण कार्यान्वित किए गए थे:
- माइक्रोसॉफ्ट टीम्स : एंटरप्राइज़ स्तर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा जो आभासी प्रशिक्षण और समीक्षा सम्मेलन के लिए उपयोग की जा रही है. इस सुविधा का उपयोग बैंक के सभी कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए भी किया जा रहा है.

**18 क्रेडिट कार्ड :**

18.1 कॉर्प क्रेडिट कार्ड: कॉर्प क्रेडिट व्यक्तिगत ग्राहकों को खरीदारी, यात्रा आदि के लिए भुगतान करने का एक झंझटरहित और जोखिम मुक्त तरीका प्रदान करता है. इससे जुड़ी बड़ी संभावनाओं को देखते हुए बैंक ने इस पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं. बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को जोर- शोर से कार्ड जारी कर रहा है. बैंक केवल EMV चिप कार्ड जारी कर रहा है. 31 मार्च 2020 तक, बैंक ने 505.51 करोड़ रुपये की कुल क्रेडिट सीमा के साथ 75,682 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जिनमें 57.74 करोड़ रुपये का बकाया शेष है.

- बैंक ने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो के तहत 2019-20 के लिए कुल आय 18.40 करोड़ रुपये और 14.43 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित किया. वर्ष के दौरान इन कार्डों का उपयोग कर 406.95 करोड़ रुपये के 17.10 लाख पीओएस लेनदेन किए गए.

18.2 **एलआईसी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड:** हमारे बैंक ने एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड, (एलआईसीसीएसएल), एलआईसी ऑफ इंडिया

की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जो बैंक द्वारा ग्राहकों (पॉलिसी धारकों), कर्मचारियों और भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों को सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए है. समझौते के अनुसार, एलआईसीएसएल पॉलिसी धारकों से सीधे और एजेंटों के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन संग्रहित करेगा. बैंक ने 31.03.2019 तक 38616 कार्ड जारी किए हैं, जिनमें कुल सीमा 223.78 करोड़ रुपये और शेष 10.41 करोड़ रुपये की है.

18.3 ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ने ग्राहक द्वारा तत्काल पिन जनरेशन, एसएमएस अलर्ट, कार्ड धारक द्वारा एसएमएस भेजकर कार्ड को हॉट-लिस्टिंग, ई-स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को ऑनलाइन देखना, एटीएम इंटरफेस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वीजा ऑथेंटिकेशन और सभी ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जारी करने जैसी तकनीकोन्मुख सेवाएं शुरू की हैं. इन सभी सुविधाओं से ग्राहकों को कार्ड का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद मिलने की उम्मीद है. वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से कुल 5020 शिकायतें (वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार) प्राप्त हुईं. इन सभी शिकायतों का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के लिए किया गया.

**18.4 भुगतान चैनल**

**18.4.1 एटीएम :** स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) ग्राहकों को नकदी आहरित करने और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए किसी भी समय और कहीं से भी अपने खाते तक पहुंचने की सुविधा देने वाला सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक चैनल है.

एटीएम की बारीकी से निगरानी करने के लिए बैंक के पास तीन स्तरीय संरचना है जिसमें एटीएम मित्रा/शाखा प्रबंधक अपनी शाखा से जुड़े एटीएम की निगरानी सुनिश्चित करेंगे, एटीएम परिसरों की उचित हाउसकीपिंग सुनिश्चित करेंगे और डाउनटाइम के मामले में प्राथमिक स्तर पर एस्केलेशन हो, नकदी मांगपत्रों की बारीकी से निगरानी सुनिश्चित करें और एटीएम फिट नोट प्रदान करें .

अंचल कार्यालय का चैनल प्रबंधक सभी एटीएम स्थानों के लिए उचित परिसर सुनिश्चित करेगा, सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अनुसार अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के साथ संपर्क सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई नकदी अभाव या डिवाइस डाउनटाइम न हो,साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि डाउनटाइम रिपोर्ट का विश्लेषण और उचित कार्रवाई शुरू की गई है.

बैंगलोर में वित्तीय लेनदेन स्विच (एफटीएस) एटीएम से संबंधित सभी गतिविधियों और एटीएम पर एमआईएस प्रदान करने के लिए नोडल केंद्र है.

यह प्रभाग अपटाइम में सुधार, एटीएम पर हिट, कम हिट एटीएम को बंद करने और स्थानांतरित करने के लिए चैनल प्रबंधकों और वेंडरों के साथ समन्वय करता है और नई एटीएम मशीनों की आपूर्ति और सॉफ्टवेयर की लोडिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के साथ भी समन्वय करता है .

बैंक के पास 31.03.2020 तक 2,623 एटीएम हैं. एटीएम बैंक का एक बहुत लोकप्रिय चैनल है जो हर महीने करीब 75 से 80 लाख हिट दर्ज करता है.

**एटीएम का विवरण**

| विवरण | 31.03.2019 को | 31.03.2020 को | वर्ष के दौरान स्थापित |
|---|---|---|---|
| स्वामित्व | 1,285 | 1,998 | 713 |
| डीएफएस (एमओएफ) | 1,730 | 625 | -1,105 |
| **कुल** | **3,015** | **2,623** | **-392** |

कम हिट वाली एटीएम को बंद करने के कारण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एटीएम की संख्या में कमी आई है. बैंक ने आरबीआई के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए अपने सभी कैपेक्स एटीएम को ईएमवी, टर्मिनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन (टीएसएस) और एंटी स्किमिंग डिवाइस के साथ अपग्रेड किया है .

**18.4.2 डेबिट कार्ड:** 31.03.2020 तक, बकाया डेबिट कार्ड (सभी वेरिएंट) की कुल संख्या 81.43 लाख थी. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एटीएम, पीओएस मशीन और ई-कॉमर्स पर कुल 13.40 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए और 93,719 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका समाधान किया गया.

**18.4.3 ई-लॉबी:** ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए, बैंक ई-लॉबी को चालू कर रहा है. ई-लॉबी में स्वचालित स्व-सेवा कियोस्क हैं जिनमें नकद जमा मशीन, चेक जमा मशीन, स्व-सेवा पासबुक प्रिंटर और एक एटीएम शामिल है. मशीनें उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं और ग्राहकों द्वारा आसानी से उपयोग की जा सकती हैं. 31.03.2020 तक, बैंक ने 352 नकद जमा कियोस्क, 108 चेक जमा कियोस्क और 1085 पासबुक कियोस्क स्थापित किए हैं.

**18.4.4 पीओएस टर्मिनल:** 31.03.2020 तक, बैंक ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 3,01,195 पीओएस टर्मिनल (मोबाइल पीओएस सहित) स्थापित किए थे. इसमें एग्रीगेटर मॉडल के तहत स्थापित 2,93,710 पीओएस शामिल हैं. इस मूल्य वर्धित सेवा ने बैंक को न केवल नए ग्राहकों को आकर्षित करने में बल्कि मौजूदा ग्राहकों को भी बनाए रखने में सक्षम बनाया है. बैंक सेटलमेंट बैंकों के रूप में काम करके पीओएस अधिग्रहण के लिए छोटे बैंकों को भी प्रायोजित कर रहा है .

**18.4.5 मोबाइल बैंकिंग:** 31.03.2020 तक, कुल मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड की संख्या 10,38,139 है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से कुल 1.60 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए. मार्च की 20 तिमाही के दौरान बैंक ने मोबाइल बैंकिंग ऐप में नई सुविधाएं पेश की हैं जिसके माध्यम से ग्राहक बस टिकट, उड़ानें, होटल और मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज बुक कर सकते हैं और यह नई सुविधा हमारे ग्राहकों को अच्छी तरह से प्राप्त होती है और प्रति दिन लगभग 3500 लेनदेन दर्ज किए जाते हैं .

## 19 विपणन पहल

### 19.1 अभियान

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभाग ने दो अभियानों जैसे जनसुरक्षा द्वितीय अभियान और टैबलेट बैंकिंग ड्राइव का आयोजन किया है. दोनों अभियानों के तहत प्रदर्शन नीचे दिखाया गया है:

| क्रम सं | अभियान का नाम | अवधि | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | जनसुरक्षा II अभियान | 01.07.2019 से 31.07.2019 तक | पीएमएसबीवाई - 23,442<br>पीएमजेजेबीवाई- 75,873<br>एपीवाई - 4668<br>रेलिगेयर स्वास्थ्य बीमा - 1 करोड़ रुपए (प्रीमियम राशि) |
| 2 | **टैबलेट बैंकिंग ड्राइव** | 23.08.2019 से 30.09.2019 तक | 2983 खाते |

उपर्युक्त के अलावा, सभी विपणन अधिकारियों को टैबलेट बैंकिंग आवेदन के माध्यम से ग्राहक के दरवाजे/सहूलियतों पर खाता खोलने के लिए टैबलेट दिया गया है. टैबलेट बैंकिंग के तहत विपणन अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, विपणन अधिकारियों को प्रति माह 100 ए/सीएस का न्यूनतम व्यक्तिगत लक्ष्य दिया गया है. विपणन अधिकारियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप हम वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान टैबलेट बैंकिंग आवेदन के माध्यम से 25,734 ए/सीएस खोल सके हैं.

### 19.2 पेरोल सेगमेंट पर विशेष ध्यान:

डिवीजन ने पेरोल वेरिएंट को अलग-अलग टारगेट देकर वित्त वर्ष **2019-20** के दौरान पेरोल अकाउंट्स पर जोर दिया है. पेरोल वेरिएंट के तहत प्रदर्शन नीचे दिखाया गया है :

| पेरोल के तहत निष्पादन - वित्त वर्ष 2019-20 | | | |
|---|---|---|---|
| | खाते | शेष [करोड़ में] | प्रति खाता शेष |
| कॉर्प पेरोल-न्यू | 1,10,703 | 42 | 3,764 |
| कॉर्प पे -सुपर | 39,558 | 26 | 6,673 |
| कॉर्प पे - सिग्नेचर | 696 | 5 | 67,892 |
| कॉर्प पे - एलीट | 9,579 | 33 | 33,990 |
| कॉर्प पे - डिलाईट | 3,272 | 41 | 1,26,360 |

### 19.3 नई पहलें :

i माइक्रोसॉफ्ट कैजाला के माध्यम से विपणन अधिकारियों की दैनिक रिपोर्टिंग शुरू की.

ii माइक्रोसॉफ्ट पावर बी में टैबलेट बैंकिंग पर रिपोर्ट जोड़ा गया .

iii टैबलेट बैंकिंग के माध्यम से खोले गए खातों की दैनिक निगरानी.

iv वीडियो कांफ्रेंस मोड के माध्यम से आयोजित विपणन अधिकारियों की मासिक प्रदर्शन समीक्षा.

v विपणन अधिकारियों के बीच वितरण के लिए अतिरिक्त टैबलेटों की खरीद.

vi महत्वपूर्ण दिनों/आयोजनों जैसे वरिष्ठ नागरिक दिवस, खेल दिवस आदि पर फ्लैश

vii टैबलेट के माध्यम से न्यूनतम 100 खाता खोलने के लिए टैबलेट बैंकिंग ड्राइव.

viii. दैनिक आधार पर एचएनआई ग्राहकों को जन्मदिन की बधाई एसएमएस भेजना.

ix अंचलों /शाखा से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार, अंचल स्तर पर आयोजित रिटेल एक्स्पो, विपणन गतिविधियों पर एसएमएस भेजे गए थे.

x मासिक आधार पर शाखाओं में मेगा अम्ब्रेला शिविर का आयोजन किया.

xi विभिन्न बैंकिंग और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर विपणन अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी ‍ज्माइंड फिज़्ट का आयोजन किया गया.

xii बंगलौर, दिल्ली और कोलकाता में एनपीसीआई के सहयोग से सबसे सस्ते 5 दिन अभियान (22 से 26 जनवरी 2020) के दौरान बिग बाजार में कियोस्क गतिविधि का आयोजन किया.

xiii. दावा निपटान के लिए शाखाओं और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय. जीवन अवधि बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावों का निपटान नीचे दिखाया गया है :

| बीमा प्रकार | अप्रैल 2019 -मार्च 2020 की अवधि के लिए निपटाए गए दावे |
|---|---|
| जीवन अवधि बीमा | 2.35 करोड़ |
| व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा | 4.50 करोड़ |

## 20. ग्राहक सेवा

**20.1 पीजीआरएस शिकायतें :** वर्ष के दौरान हमने लोक शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त 1975 शिकायतों में से 1967 शिकायतों का समाधान किया है और 31-03-2020 तक 8 शिकायतें लंबित थीं.

**20.2 सीपीजीआरएएमएस शिकायतें :** वर्ष के दौरान मंत्रालय के सीपीग्राम वेब पोर्टल में 935 शिकायतों में से 874 शिकायतों का निस्तारण किया गया और 31-03-2020 को 61 शिकायतें लंबित थीं.

**20.3 बैंकिंग लोकपाल मामले :** वर्ष 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 850 बैंकिंग लोकपाल मामले दायर किए गए और 549 बैंकिंग लोकपाल मामलों का निपटारा किया गया और 31.03.2020 को 326 मामले लंबित हैं. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 2,25,000 रुपये का एक पुरस्कार जारी किया है जिसके खिलाफ बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के डिप्टी गवर्नर को अपील का विकल्प लिया है.

**20.4 आरबीआई/मंत्रालय की शिकायतें**: वर्ष के दौरान हमें भारतीय रिजर्व बैंक की 10 शिकायतें मिली हैं और सभी शिकायतों का समाधान किया गया था, 31-03-2020 को कोई शिकायत लंबित नहीं थी.

**20.5 आरटीआई आवेदन और अपील:** वर्ष के दौरान हमने 114 आरटीआई आवेदनों और 28 आरटीआई अपीलों का निपटारा किया है. 31-03-2020 को कोई आरटीआई आवेदन और आरटीआई अपील लंबित नहीं थी.

## 21 एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली :

### 21.1 बासल - III अनुपालन

21.1.1 दुनिया भर में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं क्योंकि वित्तीय दुनिया को अलग करने वाले समय क्षेत्र सिकुड़ गए हैं और वास्तव में दुनिया एक छोटी जगह बन गई है. हालांकि इस एकीकरण का मतलब यह भी है कि दुनिया के एक हिस्से में उत्पन्न होने वाले भू-राजनीतिक जोखिम दुनिया के दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करते हैं. इस प्रकार, हर गुजरते दिन के साथ नए और अधिक जटिल जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं और दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों को बढ़ते जोखिमों को दूर करने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन तकनीकों और संरचनाओं को लगातार बढ़ाना और बेहतर बनाना होगा. बेसल-II और बेसल-III समझौते का उद्देश्य एक सामान्य पर्यवेक्षी ढांचे के तहत क्षेत्राधिकारों और देशों में काम करने वाले विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के सुमेलन का निर्देशन करना है, इस प्रकार जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में एकरूपता लाना है.

21.1.2 जोखिम प्रबंधन बैंक के संगठनात्मक ढांचे और व्यापार रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है. पहचान, माप, निगरानी और जोखिमों का नियंत्रण, बैंक को नुकसान को कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है. बैंक के सामने प्रमुख जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम हैं.

21.1.3 हमारे बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की देखभाल के लिए, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति/आस्ति देयताएं जोखिम प्रबंधन समिति और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति जैसी कार्यपालकों की तीन आंतरिक समितिओं का गठन किया है. बैंक में जोखिम प्रबंधन गतिविधियों पर बोर्ड पर्यवेक्षण, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है.

21.1.4 बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) को लागू किया है ताकि यह उजागर होने वाले जोखिमों का आकलन किया जा सके और उन जोखिमों का प्रबंधन और कम करने और इन जोखिमों के सापेक्ष पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को लागू किया है. जोखिम आकलन को बढ़ाने के लिए और विषम परिस्थितियों में संभावित प्रभाव की बेहतर समझ के लिए, तनाव परीक्षण प्रक्रिया आयोजित की जाती है. तनाव परीक्षण बैंकों को संवेदनशील क्षेत्रों, यदि कोई हो, की पहचान करने में सक्षम बनाता है और उचित आकस्मिक योजनाएं विकसित करके इसके लिए तैयार करने में सक्षम बनाता है .

21.1.5 बैंक ने ऋण, बाजार, परिचालनगत जोखिम और सूचना सुरक्षा से जुड़ी **18** नीतियाँ लागू की हैं, जिनकी आरबीआई के जरूरी दिशा-निर्देशों और आंतरिक परिपत्रों को ध्यान में रखने के बाद सालाना आधार पर समीक्षा की जा रही है.

### 21.2 ऋण जोखिम

21.2.1 ऋण जोखिम के क्षेत्र में बैंक ने वर्ष 2006 में वाणिज्यिक ऋण क्षेत्र के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लिए लागू रेटिंग मॉडल क्रियान्वित किए थे. ये रेटिंग मॉडल जोखिम निर्धारण मॉड्यूल (रैम) नाम के वेब आधारित इंटरप्राइज़ वाइड सेल्यूशन पर काम करता है. वर्तमान में रु. 25 लाख और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मूल्यांकन नोट तैयार करते समय रेटिंग का आकलन करने में बैंक को समर्थ करता है. ऋण अधिकारियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हेतु जोखिम प्रबंधकों द्वारा स्वतंत्र प्रमाणीकरण लागू किया है. यह पूँजी गणना के लिए बासेल-III तथा आईएनडी एएस लेखा मानकों के आईआरबी दृष्टिकोण में परिवर्तित होने हेतु डाटाबेस के सृजन में भी सहायक होगा.

21.2.2 बैंक ने पूँजी आकलन मॉडयूल (कैम) भी प्राप्त किया है, जिसे भारिबैं द्वारा निर्धारित अनुसार बासेल-III के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के पूँजीगत परिकलन के प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जाता है. बैंक ऋण जोखिम के अंतर्गत एफआईआरबी (आधारभूत आंतरिक श्रेणीकरण पर आधारित दृष्टिकोण) में माइग्रेट होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन कर चुका है. वर्तमान में बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपना रहा है.

21.2.3 बैंक ने ग्रुप ऋण नीति बनाई है, जो परिचालन के उन सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए जहाँ ऋण जोखिम शामिल है, ऋण प्रबंधन हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करती है. इस नीति से बैंक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है जिससे बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो में स्थिर तथा स्वस्थ संवृद्धि दर्शा सकता है जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन समग्र रूप से सुधरेगा. बैंक ने समूह उधारकर्ताओं, उद्योग, भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की हैं जिन्हें बैंक की पूँजी से संबद्ध किया गया है. निदेशक मंडल नियमित रूप से विवेकपूर्ण सीमाओं की समीक्षा करता है. बैंक ने बहुस्तरीय ऋण अनुमोदन की व्यवस्था भी लागू की है जिसमें ऋण प्रस्ताव संबंधित मंजूरी प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले ज्क्ल्ळिक ण्ड्राडुंट द्वारा मंजूर किए जाते हैं.

21.2.4 रु. 5 करोड़ और उससे अधिक के उधार खातों की ऑन-साइट ऋण लेखा परीक्षा लागू है.

21.2.5 बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी के लिए स्वतंत्र प्रभाग स्थापित किया है. प्रभाग के दो वर्टिकल हैं एक- रु.1 करोड़ और अधिक के अत्यधिक एक्सपोजर की निगरानी हेतु और दूसरा- रु.1 करोड़ से कम एक्सपोजर की निगरानी हेतु. यह प्रभाग मानक श्रेणी के तहत नए स्लिपेज को रोकने के लिए दबावग्रस्त ऋण खातों का सूक्ष्म

अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं और आंचलिक कार्यालयों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है. स्लिपेज के लिए संभावित कारणों के साथ संभावित एनपीए की समयपूर्व पहचान के लिए सिस्टम परिचालित एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली मानक आस्तियों की निगरानी / नए स्लिपेज को रोकने के लिए एक आदर्श साधन है.

21.2.6 बैंक ने पोर्टफोलियो स्तर पर ऋण जोखिम के मूल्यांकन हेतु, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता सुधारने के लिए रणनीतियाँ अपनाने तथा कुछ उधारकर्ताओं या उद्योगों को एक्सपोज़र के संकेद्रन के संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग जोखिम निर्धारण व पोर्टफोलियो विवेचन के कार्य की ज़िम्मेदारी भी ली है.

21.2.7 उधार खातों के रेटिंग माइग्रेशन पर अध्ययन किया जाता है तथा पोर्टफोलियो गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है.

21.2.8 ऋण जोखिम से संबन्धित सभी मामलों पर विचार ऋण जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में किया जाता है.

## 21.3 बाज़ार जोखिम

21.3.1 बाजार जोखिम बाजार की कीमतों /परिवर्ती के उतार-चढ़ाव से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थितियों में उत्पन्न होने वाली हानियों का जोखिम है. परिवर्तनों का बैंक अर्जन और उसकी पूंजी पर सीधा प्रभाव होगा. इन परिवर्तनों का बैंक की चलनिधि और लाभप्रदता पर भी प्रभाव हो सकता है.

21.3.2 बैंक ने देशी ट्रेजरी, देश जोखिम प्रबंधन और कीमती धातु परिचालन में बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु बाजार जोखिम नीति कार्यान्वित की है. नीति में चलनिधि का प्रभावी माप, निगरानी और प्रबंधन, ब्याज दर, देशी ट्रेजरी लेनदेन, विदेशी विनिमय तथा ईक्विटी के साथ बैंक के इक्विटी और पण्य मूल्य जोखिम पर जोर दिया जाता है. व्यापार बही में बाज़ार जोखिम की उपयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार निगरानी तथा प्रबंधन किया जाता है. बाज़ार स्थिति, निधियन स्वरूप, अवधि, प्रतिपक्ष सीमाएँ तथा विभिन्न संवेदनशील मानदंडों पर निगरानी रखी जाती है. प्रोन्नत जोखिम प्रबंधन उपाय, जैसे जोखिम पर मूल्य (वीएआर), निवल एक दिवसीय खुली स्थिति सीमा (एनओओपी) तथा संशोधित समयावधि सीमा बाज़ार जोखिम के प्रबंधन में प्रयुक्त होते हैं.

21.3.3 बैंक बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत प्रभार के परिकलन के लिए मानक अवधि दृष्टिकोण अपना रहा है.

## 21.4 आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

21.4.1 आस्ति देयता प्रबंधन कार्य में बैंक की विविध आस्तियों और देयताओं का प्रवाह, स्तर, मिश्रण, लागत तथा प्रतिफल की आयोजना करना, निर्दिष्ट करना व नियंत्रित करना शामिल है. आस्ति देयता प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम मिटाना नहीं है, बल्कि उसका प्रबंधन इस प्रकार करना है कि पुनर्मूल्यांकन जोखिम के कारण अर्जन में कमी, अर्जन जोखिम और आधार जोखिम न्यूनतम हो.

21.4.2 जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण के एक अंग के रूप में बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता (गैप विश्लेषण), आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता और तरलता का विश्लेषण करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है. बैंक द्वारा तरलता का मापन स्टॉक एण्ड फ्लो दृष्टिकोण के उपयोग से किया जाता है. इसके अलावा, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम पर अर्जन एवं अवधि जैसे मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है. तिमाही आधार पर तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के दबाव का परीक्षण किया जाता है. बैंक व्यापार बही में जोखिम मापने के लिए जोखिम पर मूल्य (वीएआर) लागू करता है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तरलता चलनिधि (एलसीआर) अनुपात की निगरानी करती है, जो बैंक की संभावित चलनिधि कठिनाईयों के प्रति लघु अवधि प्रतिरोध क्षमता को यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देती है कि उनके पास 30 दिन तक चलनेवाली भारी तनाव की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) है. इसके साथ ही बैंक ने बैंक की विविध शाखाओं द्वारा प्रदान की गई निधि और प्रयुक्त की गई निधि के लिए चालू बाजार दर के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हुए एक वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित आंतरिक मूल्य अंतरण व्यवस्था कार्यान्वित की है. बाजार जोखिम प्रबंधन समिति/आस्ति देयता प्रबंधन समिति ब्याज दर परिदृश्य, जमाराशियों एवं अग्रिमें हेतु उत्पाद मूल्य-निर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं का वाँछित परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधियों हेतु माँग, बैंक का नकद प्रवाह, लाभप्रदता आयोजना एवं समग्र तुलन पत्र प्रबंधन की समीक्षा हेतु नियमित अंतराल में बैठक करती है.

21.4.3 जमा, अग्रिम एवं निवेश के बहिर्प्रवाह और अंत:प्रवाह को वर्गीकृत करना: बैंक संरचनागत तरलता विवरणों के विभिन्न वर्गों में विभिन्न आस्तियों और देयताओं को रखता है. समय - समय पर आस्ति देयता प्रबंधन पर भारिबैं के दिशानिदेशों के आलोक में जमाओं को खंडीकरण कर उसका परिपक्वता मूल्य और अग्रिमों की विभिन्न प्रकृति, निवेश को वर्गों में रखा जाता है अर्थात खरीदे गए और बट्टाकृत किए गए बिलों को उनकी परिपक्वता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, कैश क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट को उनके लेनदेन की पद्धति अर्थात 1, 2-7 दिनों और 8-14 दिनों तथा 1-3 वर्षों के वर्ग में उसके कोर भाग को रखा जाता है, सावधि ऋण को उनके परिपक्वता के आधार पर विभिन्न वर्ग, एनपीए 3-5 वर्ष से अधिक अवमानक, संदिग्ध और क्षतिग्रस्त को 5 वर्ष से अधिक के वर्ग में भारिबैं द्वारा जारी एएलएम दिशा निदेशों के आलोक में तत्संबंधित परिपक्वता वर्ग/ विफलीकरण अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है.

21.4.4 दिनांक 31.03.2020 को आस्तियों के अवशिष्ट परिपक्वता विच्छेद

| परिपक्वता बकेट्स | आरबीआई में नकद एवं शेष | बैंक में शेष एवं माँग मुद्रा तथा त्वरित सूचना पर | निवेश | अग्रिम | स्थायी आस्ति | अन्य आस्ति | सकल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अगले दिन | 15,955.1 | 522.9 | 149,012.9 | 12,913.4 | - | 17,737.1 | 196,141.3 |
| 2-7 दिन | 83,786.8 | 3,646.3 | 15,076.6 | 33,584.9 | - | 29,177.4 | 165,272.0 |
| 8-14 दिन | 2,203.4 | 0.0 | 10,781.8 | 18,183.1 | - | 34,303.5 | 65,471.8 |
| 15-30 दिन | 2,640.0 | 7,703.5 | 7,631.3 | 59,034.6 | - | 4,680.1 | 81,689.4 |
| 31 दिन-2 माह | 2,111.2 | 0.0 | 15,613.7 | 12,244.4 | - | 3,705.5 | 33,674.9 |
| >2 माह-3 माह | 2,158.5 | 0.0 | 6,486.4 | 78,578.0 | - | 453.7 | 87,676.7 |
| >3 माह-6 माह | 3,577.5 | 756.7 | 28,619.1 | 46,309.1 | - | 2,973.9 | 82,236.1 |
| >6 माह- 1वर्ष | 9,173.6 | 0.0 | 79,634.0 | 314,328.5 | - | 8,468.8 | 411,604.9 |
| >1वर्ष-3वर्ष | 10,406.3 | 0.0 | 68,560.4 | 467,180.2 | - | 64,903.1 | 611,049.9 |
| >3वर्ष-5वर्ष | 2,453.3 | 0.0 | 14,806.2 | 110,219.8 | - | 12,529.7 | 140,009.0 |
| >5 वर्ष | 22,986.6 | 0.0 | 268,102.0 | 121,414.6 | 13,794.0 | 6,992.0 | 433,289.2 |
| कुल | 157,452.3 | 12,629.3 | 664,324.3 | 1,273,990.5 | 13,794.0 | 185,924.9 | 2,308,115.3 |
| किए गए प्रावधान एवं दावे | | | 11,763.0 | 131,420.5 | - | - | 143,183.5 |
| सकल निवेश/अग्रिम | | | 676,087.4 | 1,405,411.0 | - | - | 2,451,298.8 |

**21.5 बेंचमार्क दरों जैसे आधार दर और निधि की सीमांत लागत पर आधारित दर को लागू करना**

21.5.1 बैंक निधि की सीमांत लागत पर आधारित दर, जो कि अवधि आधारित होती हैं, की संगणना 1 अप्रैल 2016 से करता है. इन दरों की समीक्षा प्रत्येक माह की जाती है.

21.5.2 बैंक तिमाही आधार पर आधार दर की समीक्षा कर रही है.

**21.6 परिचालनगत जोखिम**

21.6.1 परिचालनगत जोखिम सभी कारोबार परिचालनों में अंतर्निहित है तथा परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुदृढ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है. कारोबार का आकार तथा जटिलता तथा बैंक के जोखिम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निरंतर प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से क्षेत्र स्तर के कार्मिकों को ज्ञान देने पर जोर दिया जाता है.

21.6.2 बैंक ने परिचालनगत जोखिम के कारगर रूप से प्रबंधन के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की है. बैंक ने बिजनेस लाइन मैपिंग, लॉस डाटा कैप्चर, जोखिम नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए), मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई). वर्तमान में बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार परिकलित कर रहा है.

21.6.3 बैंक ने इंट्रानेट पोर्टल में इंसिडेंट रिपोर्टिंग मॉड्यूल को समाविष्ट किया है जिसमें कोई भी शाखा / कार्यालय किसी भी प्रकार की परिचालनगत जोखिम संबंधी घटना के बारे में पता लगते ही उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. त्वरित प्रतिक्रिया और निरंतर निगरानी के लिए आईआरएमडी घटना को विभिन्न संबंधित पक्षों को अग्रेषित करता है और क्रियात्मक प्रभाग / शाखाओं द्वारा घटना के निपटान के लिए कार्रवाई की जाती है.

21.6.4 बैंक ने इंट्रानेट पोर्टल में रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेस्मेंट (आरसीएसए) मॉड्यूल को समाविष्ट किया है जिसमें कर्मचारी बैंक की प्रणाली एवं क्रियाविधि में सुधार हेतु सुझाव दे सकता है.

21.6.5 परिचालनगत जोखिम संबंधी सभी मुद्दों की चर्चा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति में की जाती है.

**21.7 सूचना/ साइबर सुरक्षा**

कार्पोरेशन बैंक अपने ग्राहकों को सुरक्षित और विश्वस्त डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक की समस्त सूचना आस्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को प्राप्त करने हेतु और विनियामक, परिचालनात्मक तथा संविदागत आवश्यकताओं को पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने सशक्त प्रणाली और प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया है जो बैंक की सूचना सुरक्षा नीति एवं सूचना सुरक्षा दिशा निदेशों में सुपरिभाषित है.

बैंकों में कार्यरत साइबर सुरक्षा पर भारिबैं के अधिसूचना दिनांक 02.06.2016 के अनुरूप हमारा बैंक साइबर सुरक्षा नीति तैयार करने में अग्रणी रहा है जिसमें साइबर सुरक्षा के अनुरक्षण हेतु दिशानिदेशों की रूपरेखा है और बैंक की जटिल कारोबार क्रियाओं तथा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दुर्भावनापूर्ण साइबर से सम्बन्धित दुर्घटना की तुरंत पहचान, सूचना विनिमय, प्रतिक्रिया और सुधार - उसे कम करने तथा उससे उभरने के लिए तैयारी के रूप में एक समन्वित दृष्टिकोण के रूप में साइबर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की गई है.

वर्तमान साइबर खतरों के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बैंक ने विद्यमान सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की क्षमताओं का उन्नत साइबर-एसओसी में उन्नयन किया है जिसके द्वारा बैंक की महत्वपूर्ण आस्तियों की निगरानी, उसका मूल्यांकन किया जा सके और 24*7 आधार पर उसकी रक्षा की जा सके.

सूचना/ साइबर सुरक्षा मानक के क्षेत्र में समय - समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों का अनुपालन करते हुए बैंक ने संगठनों यथा इंडियन कम्प्यूटर रेस्पोंस टीम (सीईआरटी -लव), नेशनल क्रिटिकल इंफोर्मेशन इंफ्रास्त्रकचर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईपीसी) और इंस्टीच्यूट फोर डेवलपमेंट एंड रीसर्च टेक्नोलोजी (आईडीआरबीटी) द्वारा सुझाए गए श्रेष्ठ उपायों का भी कार्यान्वयन किया है.

बैंक सीईआरटी इन, भारिबैं और आईडीबीआरटी द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों एवं मंचों में सक्रिय रुप से भाग लेता है ताकि नवीनतम सुरक्षा तकनीक के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त होती रहे और बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का अनवरत उन्नयन किया जा सके.

बैंक ने बैंक की आईटी आस्तियों को साइबर जोखिमों से बचाने हेतु साइबर बीमा कवर प्राप्त किया है .

## 22. मानव संसाधन प्रबंधन एवं भर्ती

किसी भी संस्था में मानव संसाधन प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों का उच्च कार्य निषादन सुनिश्चित करना है जिससे उनकी व्यक्तिगत प्रगति के साथ- साथ संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके. बैंक की प्रगति इसके मानव संसाधनों के कौशल और प्रभावशीलता पर निर्भर करती है .बैंक का यह प्रयास रहा है कि सभी क्षेत्रों और क्रियात्मक इकाईयों में हर समय समुचित मानव-शक्ति उपलब्ध रहे.

22.1 बैंक विभिन्न संवर्गो में स्टाफ की आवश्यकता की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करता है और कारोबार वृद्धि, भविष्य में शाखा विस्तार/ युक्तिकरण और इस्तीफा, अधिवर्षिता / वीआरएस द्वारा सेवानिवृत्ति के कारण विभिन्न संवर्गों में होने वाली रिक्तियों का विश्लेषण करता है. 31 मार्च, 2020 को कर्मचरियों की कुल संख्या 18486 रही.

22.2 विशिष्ट श्रेणियों हेतु रोजगार के लिए बैंक आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के अनुसार आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन करता है और तदनुसार बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) को मांग प्रस्तुत करता है. 31 मार्च, 2020 को कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 29.16% (5391) है. बैंक में अन्य आरक्षित प्रवर्गो का भी यथोचित प्रतिनिधित्व है. यथा 31 मार्च, 2020 को 26.67% (4930) स्टाफ अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, 2.14% (396) शारीरिक रूप से विकलांग और 6.95% (1284) भूतपूर्व सैनिक बैंक की स्टाफ सूची में हैं.

## 23. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास बैंक के लिए ध्यान देने हेतु एक प्रमुख क्षेत्र है. बैंक के मानव संसाधनों हेतु वांछनीय लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सहायता करने में प्रशिक्षण प्रमुख कारक है. प्रशिक्षण व्यक्तियों को मुख्य योग्यताएँ प्रदान करने पर विशेष ध्यान देता है जिससे वह अपना कार्य का निष्पादन प्रभावी रूप से कर सकें. बहुत तेजी से बदल रहे बैंकिंग उद्योग में, विशेषत: ऐसी परिस्थिति में जब वरिष्ठ और अनुभवी बैंकर्स सेवानिवृत हो रहे हैं और नए उम्र के युवा पेशेवर जिम्मेवारी को लेने के लिए आगे आ रहे हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य दल को तैयार करने हेतु बैंक की भूमिका और दायित्व बढ गया है. बैंक न केवल नए सदस्यों का उद्योग के कियाकलाप के बारे में प्रारंभिक ज्ञान देकर स्वागत करता है अपितु उन्हें नियमित तौर पर प्रशिक्षित भी करता है जिससे जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की लम्बी चुनौतीपूर्ण सेवा रिकार्ड द्वारा प्राप्त अनुभव की भरपाई की जा सके .

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने बैंक के मानव संसाधनों के उनकी वर्तमान भूमिका और बैंक की आवश्यकताओं पर आधारित कौशल विकास पर ध्यान दिया है. तदनुसार कुल 15353 स्टाफ सदस्यों को 40364 कार्यदिवसों में विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया. जिनका विवरण निम्नवत है :

- **आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| क्रम संख्या | कार्यक्रम की प्रकृत्ति | वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक |
|---|---|---|
| 1 | इन-हाउस | 518 |
| 2 | इन-कंपनी | 33 |
| 3 | वाह्य | 207 |
| 4 | विदेशी / ओवरसीज | 2 |
| **कुल** | | **760** |

- **प्रशिक्षित किए गए स्टाफ**

| क्रम संख्या | कार्यक्रम की प्रकृत्ति | वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक |
|---|---|---|
| 1 | इन-हाउस | 14071 |
| 2 | इन-कंपनी | 763 |
| 3 | वाह्य | 516 |
| 4 | विदेशी / ओवरसीज | 3 |
| **कुल** | | **15353** |

- **उपयोग किए गए कार्य-दिवस**

| क्रम संख्या | कार्यक्रम की प्रकृत्ति | वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक |
|---|---|---|
| 1 | इन-हाउस | 36575 |
| 2 | इन-कंपनी | 2377 |
| 3 | वाह्य | 1399 |
| 4 | विदेशी / ओवरसीज | 13 |
| **कुल** | | **40364** |

बैंक द्वारा प्रशिक्षित कुल 15353 स्टाफ सदस्यों में 4943 स्टाफ सदस्य अ.जा./ अ.ज.जा समुदाय के हैं और 3666 स्टाफ सदस्य अ.पि.व समुदाय के हैं .

**24. पदोन्नतियाँ:**

पदोन्नति प्रत्येक कर्मचारी के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर है. प्रगति के लिए कर्मचारियों की आशाओं का ध्यान रखते हुए बैंक ने उच्च दायित्व निभाने हेतु कर्मचारियों को समुचित अवसर तथा कैरियर प्रगति प्रदान की है. बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान 1321 कर्मचारियों को पदोन्नत किया, जिसमें 8 महा प्रबंधक, 23 उप महा प्रबंधक, 49 सहायक महा प्रबंधक, 117 मुख्य प्रबंधक, 272 वरिष्ठ प्रबंधक, 537 प्रबंधक, 251 सहायक प्रबंधक और 64 लिपिक शामिल हैं.

**25. निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा**

**25.1** सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की नीति अपनाई है. यह लेखापरीक्षा उचित जोखिम निर्धारण और आकलन, कारगर जोखिम नियंत्रण और प्रबंधन उपाय, नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है. इसका लक्ष्य कार्पोरेट अभिशासन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने के साथ-साथ विनियामक तथा प्रणालीगत अनुपालन स्तर के बारे में प्रबंधन वर्ग को आश्वासन देना है.

**25.2** शाखाओं की आंतरिक लेखा-परीक्षा और पर्याप्त व कारगर रूप से अनुवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देश भर में महत्वपूर्ण केंद्रों में मंडल लेखा-परीक्षा कार्यालय स्थित हैं जो लेखापरीक्षा आयोजित करते हैं और ईएलबी के अतिरिक्त सभी शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट बंद करते हैं. लेखा-परीक्षा नीति के अनुसार प्र.का.-आईएडी में ईएलबी रिपोर्ट को बंद करते हैं. लेखा परीक्षा रिपोर्टों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष/टिप्पणियों और रिपोर्ट को बंद करने पर चर्चा करने हेतु सीएओ के साथ मंडल लेखा परीक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाती है.

**25.3** बैंक की सभी शाखाओं का आंतरिक निरीक्षण किया जाता है ताकि जोखिम पर अंकुश हो, कारगर नियंत्रण तंत्र हो और परिचालनों में दक्षता सुधरे. प्रत्येक शाखा की जोखिम बोध अनुभव के आधार पर जोखिम आधारित आंतरिक शाखा निरीक्षण 12 से 18 महीनों में एक बार किया जाता है. शाखा निरीक्षण की आवधिकता शाखा श्रेणी के साथ-साथ शाखा के पिछले निरीक्षण में आबंटित जोखिम श्रेणीकरण के आधार पर तय की जाती है. नई खोली गई शाखाओं का पहला निरीक्षण परिचालनों को शुरू करने के 6-9 महीनों के भीतर किया जाता है. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 2021 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की गई.

**25.4** 87 शाखाओं की जोखिम आधारित स्नैप लेखा-परीक्षा आयोजित की गयी.

**25.5** प्रबंधन लेखापरीक्षा: प्रधान कार्यालय, मंडल कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों के सभी कार्यात्मक प्रभागों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा वर्ष में एक बार की जाती है. अन्य कार्यालयों जैसे पूंजी बाजार शाखा, चिकमगलूर में कॉबसेटी, एसटीसी, अग्रणी बैंक कार्यालय, सीएमएस कोर केंद्र, एटीएम केंद्र, क्रेडिट कार्ड प्रभाग, म्यूजियम आदि का भी वर्ष में एक बार नियमित निरीक्षण किया जाता है. इसके अलावा ट्रेज़री शाखा, मुंबई, फॉरेक्स डीबी, कैप्स शाखाएं, करेंसी चेस्ट, सेवा शाखाएं, एआरएमबी, खुदरा हब, एलआईसी हब आदि का भी वार्षिक निरीक्षण किया जाता है.

**25.6** भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम अवबोध और कारोबार की मात्रा के आधार पर अभिनिर्धारित शाखाओं/कार्यालयों में नियमित संगामी लेखा-परीक्षा की जाती है. 2019-20 के दौरान 50% जमाराशियां और 50% अग्रिम के न्यूनतम कवरेज के लिए भारिबैं के निर्धारण 70% की तुलना में बैंक के कुल कारोबार का 71% संभालने वाली 652 शाखाओं की सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म की सेवाएं लेते हुए संगामी लेखा परीक्षा करवाई गई. इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्रधान कार्यालय कार्यात्मक प्रभाग, एफटीएस सेंटर, बेंगलूर, मुंबई में ट्रेज़री शाखा (निवेश, बहुमूल्य धातु कक्ष और फॉरेक्स कक्ष सहित) की भी संगामी लेखापरीक्षा की जाती है. प्रत्येक आंचलिक कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में संगामी लेखा परीक्षकों की बैठक आयोजित की जाती है और इसमें सीएओ के प्रमुख और प्र.का. का कोई कार्यपालक (समय-समय पर वीडियो कॉनफ्रेसिंग के माध्यम से) अवश्य उपस्थित होते हैं.

**25.7** वर्ष 2019-20 के दौरान 1891 शाखाओं का ऑफ-साइट निगरानी लेखापरीक्षा की गयी.

**25.8** एटीएम वाल्ट्स, सेवा प्रदाता यूनिट्स (आईटी एवं गैर-आईटी) की लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार की जाती है. न्यू कोर बैंकिंग सोल्यूशन की डाटा माइग्रेशन एश्योरेंश प्रक्रिया को सीईआरटी-आईएन के अंतर्गत पैनलबद्ध बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है. दिनांक 31.03.2019 को फिनेकल में परिवर्तित समस्त 2564 शाखाओं की माइग्रेशन लेखापरीक्षा पूरी कर ली गयी है. इस प्रभाग ने 21 सेवा प्रदाता लेखापरीक्षा, 327 आउटसोर्सिंग लेखापरीक्षा, 6 स्थानों पर डीबी प्रबंधन एवं ऑनसाइट आईटी वेंडर प्रबंधन की एसओपी अनुपालन लेखापरीक्षा की है. इस प्रभाग ने 18 एप्लिकेशनों जैसे सीबीएस, एफटीएस, कैप्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईटीएमएस, यूपीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्विफ्ट, मोबाइल बैंकिंग आदि की आईएस लेखापरीक्षा की है और बैंक के 7 डाटा केन्द्रों को सीईआरटी-आईएन के अंतर्गत पैनलबद्ध बाह्य लेखापरीक्षकों से करवाया है.

**25.9** रु. 50 लाख और उससे अधिक ऋण सीमा वाले उधार खातों की संवितरणपूर्व लेखापरीक्षा की गयी. 2019-20 के दौरान रु 5 करोड़ और उससे अधिक के 182 ऋण सीमाओं की संवितरणपूर्व लेखापरीक्षा आईएडी-प्रधान कार्यालय किया जाता है.

**25.10** वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उस प्रभाग ने राजस्व लेखापरीक्षा आयोजित की और रु.35.06 करोड़ आय के रिसाव का पता लगाया गया.

**25.11** प्रभाग ने शाखाओं द्वारा रिपोर्टों की निर्धारित आंतरिक समय मानदंडों से पूर्व समाप्ति संबंधी उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने हेतु एक योजना प्रारम्भ की है. इस संबंध में शाखा प्रमुखों को कार्यपालक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित 158 प्रशंसा प्रमाण पत्र तथा महा प्रबंधक, आईएडी द्वारा

हस्ताक्षरित 793 प्रशंसा प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया जाता है. इस मापदंड द्वारा बैंक के हित सुरक्षित रखने की दिशा में अतिदेय लेखा परीक्षा रिपोर्टों में काफी कमी आई है तथा अनियमितताओं का समय पर सुधार भी हुआ है.

**25.12** समीक्षा कलैंडर के अनुसार विभिन्न कार्यसूची, अर्थात् लेखा परीक्षा योजना बनाम निष्पादन, संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्रमुख अवलोकन, ईएलबी के प्रमुख निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, आय रिसाव, अन्य बातों के साथ-साथ सूचनार्थ तथा निदेशों के अनुपालन हेतु कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है.

**25.13** निरीक्षकों/ क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को प्रभावी लेखा-परीक्षा कार्यभार संभालने हेतु आंतरिक परिपत्रों द्वारा शिक्षित किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लेखा परीक्षक एसटीसी, मंगलूरु में आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित हुए, इसके अलावा उनमें से कुछ को प्रतिष्ठित संस्थानों में बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया है.

## 26. ऋण निगरानी

26.1 बैंक ने महा प्रबंधक के स्वतंत्र प्रभार के अन्तर्गत मानक आस्तियों की निगरानी हेतु एक अलग विभाग बनाया है. प्रभाग के दो वर्टिकल हैं एक एक करोड़ के ऊपर के बड़े एक्सपोजर की निगरानी और दूसरा एक करोड़ से कम के एक्सपोजर की निगरानी. इसके अतिरिक्त, सहायक महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक के पद के कार्यपालक के नेतृत्व में दबावग्रस्त खातों की निगरानी तथा एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु वर्टिकल की स्थापना सभी छह मंडल कार्यालयों में की गई है. यह प्रभाग शाखाओं और आंचलिक कार्यालयों को विभिन्न जानकारी देता है जिससे मानक श्रेणी के दबावग्रस्त ऋण खातों को नई स्लिपेज बनने से रोके जाने हेतु कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके. स्लिपेज के कारण सहित संभाव्य एनपीए की शीघ्र पहचान हेतु एक सिस्टम संचालित ऋण चेतावनी साफ्टवेयर साधन स्थापित किया गया है जो मानक आस्तियों की प्रभावी निगरानी/ नई स्लिपेज रोकने हेतु एक बहुत आदर्श माध्यम है. ऋण खातों में पाए गए दबाव के समाधान हेतु तथा उसके उन्नयन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रभाग ऋण प्रभाग तथा आंचलिक कार्यालयों/ मंडल कार्यालयों से निकट संबंध बनाए रखता है .

## 27. विधि सेवा

27.1 बैंक के विधि सेवा प्रभाग की बैंक द्वारा किए गए विभिन्न वाणिज्यक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका है. यह बहुविध कार्य करता रहा है जैसे प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्तियों के संबंध में कानूनी राय की संवीक्षा तथा अनुमोदन, बैंक गारंटियों तथा प्रति गारंटियों का मसौदा तैयार करना/अनुमोदन करना, बैंक गारंटियाँ लागू किए जाने तथा अन्य मामलों के संबंध में सलाह देना, मामला निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की तैयारी, विभिन्न न्यायालयों/ट्रिब्युनलों/प्राधिकारियों आदि के समक्ष दर्ज किए जाने वाले वाद पत्र / अभिवचन का मसौदा तैयार करना/अनुमोदन करना; विभिन्न राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामलों में भी परामर्श देना, प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा संदर्भित समझौता ज्ञापनों/करारों का अनुमोदन करना, बैंक की बकाया को वसूल करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए शाखाओं को सूचित करना सरफेसी अधिनियम एवं मुकदमा दायर खातों के संबंध में शाखाओं को परामर्श देना, ऋण प्रलेखों की विधिक लेखा परीक्षा एवं स्वत्व विलेख पर आवधिक विधिक लेखा-परीक्षा पर परामर्श, सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में तथा आरटीआई के तहत नागरिकों से प्राप्त अपीलों को निपटाने में परामर्श देना, उपभोक्ता फोरमों एवं अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों, आयकर, बिक्री कर व अन्य प्राधिकारियों से कुर्की आदेशों से संबंधित मामलों पर परामर्श देने की दिशा में भी कार्य करता रहा है. इस प्रभाग ने मृतक जमाकर्ताओं से संबंधित दावों के निपटान हेतु सरलीकृत प्रक्रिया को विकसित किया है. विधि सेवा प्रभाग प्रभाग प्रलेखीकरण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर और मैन्युअलों को संशोधित करने/अद्यतन करने में संगठन एवं पद्धति प्रभाग को परामर्श भी देता है. विधि अधिकारी नियमित तथा निरंतर आधार पर विभिन्न कानूनी मामलों को भी संभालता है और शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों/तथा प्रशासनिक कार्यालयों को समय सीमा के भीतर कानूनी मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण देता है तथा बैंक के क्रियाकलाप के समस्त पहलूओं में बैंक की हित की रक्षा के लिए कदम उठाता है. विधि सेवा प्रभाग अधिवक्ताओं का पैनल बनाने/पैनल से निकालने/निष्पादन की समीक्षा करने का भी कार्य करता है.

### 27.2 लोक अदालत

विधि सेवा प्रभाग देश के विभिन्न भागों में लोक अदालत के साथ समन्वय करता है. 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान यह प्रभाग विभिन्न अंचलों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कर सका, जिसके ब्योरे निम्नवत् हैं :

| लोक अदालत के ब्योरे | प्रेषित खातों की संख्या | शामिल राशि (रु.) करोड़ में | निपटाए गए खातों की संख्या | निपटाई गई राशि (रु) करोड़ में | नकद वसूली (रु.) करोड़ में |
|---|---|---|---|---|---|
| जुलाई 2019 | 6526 | 134.75 | 527 | 8.34 | 1.94 |
| अगस्त 2019 | 1605 | 15.50 | 108 | 1.34 | 0.29 |
| सितंबर 2019 | 8124 | 177.24 | 642 | 9.42 | 1.47 |
| अक्तूबर 2019 | 486 | 7.28 | 172 | 1.17 | 0.08 |
| नवंबर 2019 | 468 | 6.50 | 70 | 0.48 | 0.06 |
| दिसंबर 2019 | 8795 | 158.51 | 940 | 10.04 | 2.35 |
| फरवरी 2020 | 6372 | 127.36 | 576 | 12.56 | 2.35 |
| **कुल** | **32376** | **627.14** | **3035** | **43.35** | **8.54** |

27.3 **ऋण संवितरण पूर्व विधिक लेखा परीक्षा**

प्रका परिपत्र सं 23/2015 दिनांकित 07.01.2015 के अनुसार ऋण संवितरण पूर्व विधिक लेखा परीक्षा करने की निम्नतम सीमा को बढाकर रु. 50.00 लाख कर दिया गया है. रु. 50.00 लाख से अधिक के सभी निधि आधारित और गैर निधि आधारित खातों का ऋण संवितरण पूर्व विधिक लेखा परीक्षा की जाती है. ऋण संवितरण पूर्व विधिक लेखा परीक्षा बैंक के पैनलबद्ध अधिवक्ताओं द्वारा करवाई जाती है. विशेष मामलों में, आवश्यक होने पर बैंक के विधि अधिकारियों द्वारा विधिक लेखा परीक्षा की जाती है. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधिक लेखा परीक्षा में अगर कोई कमी निकाली गई है तो ऋण संवितरण के पूर्व उसे दूर कर लिया जाना चाहिए.

27.4 **आवधिक विधिक लेखा परीक्षा**

प्रधान कार्यालय परिपत्र संख्या 792/2014 के अनुसार रु. 5.00 करोड़ एवं अधिक के ऐसे ऋण जिनमें अचल संपत्तियाँ प्रतिभूति के तौर पर ली गई हैं उनके लिए आवधिक विधिक लेखा परीक्षा अर्थात् हक विलेखों की उप पंजीयक कार्यालय में जाँच प्रत्येक दो वर्ष में की जानी है. प्रधान कार्यालय परिपत्र 652/2019 दिनांक 31.10.2019 के अनुसार आवधिक विधिक लेखापरीक्षा की सीमा घटाकर रु. 3.00 करोड़ एवं अधिक कर दी गई है .

**28. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में प्रधान कार्यालय में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ), जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपील प्राधिकारी (एए) नामित किए हैं और प्रत्येक आंचलिक कार्यालय और मंडल कार्यालय में जन सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी नामित किए हैं. ग्राहक सेवा प्रभाग, प्रधान कार्यालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अन्य संबंधित जानकारी के साथ एपीआईओ, पीआईओ और एए के नाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं. बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों का सभी स्तरों पर अनुपालन कर रहा है और जनता से प्राप्त सभी आवेदनों और अपीलों को निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निपटा रहा है.

**29. ई- समाचारपत्र**

विधि सेवा प्रभाग ‘एलएसडी फ्लैश’ के माध्यम से विभिन्न विधिक मामलों पर फ्लेश संसूचित कर रहा है.

**30. कार्प नीति**

विधि सेवा प्रभाग ने बैंक तथा उसके कारोबार को प्रभावित करने वाले सभी विधिक मुद्दों हेतु एकल बिंदु संदर्भ बनाने के मिशन के साथ ‘कार्प नीति’ नामक वेब पोर्टल विकसित किया. ‘कार्प नीति’ में प्रभाग द्वारा जारी परिपत्र, पैनलबद्ध वकीलों की सूची, विभिन्न ई-न्यूज़लेटर, महत्वपूर्ण अधिनियम/ नियम आदि शामिल हैं.

**31. सुरक्षा**

1 सभी शाखाओं और एटीएम को सुरक्षा उपस्करों की दृष्टि में 100 % अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने आवश्यक कदम उठाए हैं. शाखाओं/ एटीएमों में लगाए गए सीसीटीवी/ डीवीआर की कार्यकुशलता की नियमित निगरानी एफटीएस, बेंगलुरु में स्थापित फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस द्वारा किया जाता है ताकि उनके कार्य न करने के समय को कम किया जा सके. समुचित रिकार्ड रखने हेतु रोस्टर द्वारा डीवीआर की जांच की जाती है और एफटीएस में सर्विस इंजीनियरों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है.

**32. अनुपालन**

32.1 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक ने उप महा प्रबंधक के स्तर के कार्यपालक के अधीन अनुपालन प्रभाग स्थापित किया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं.

32.2 अनुपालन प्रभाग भारिबैं /भाबैंसं/नाबार्ड/सेबी/आईआरडीए/सीवीसी/ बीसीएसबीआई इत्यादि से प्राप्त संबंधित दिशानिर्देशों और अनुदेशों का उत्साह और वास्तविक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करता है ताकि बैंक द्वारा सामना की जानेवाली अनुपालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन में उच्च प्रबंधन को सहायता हो सके. बैंक सभी विनियामक प्रस्तुतियों के लिए कल प्रविष्टि / निकास बिंदु के तौर पर भी कार्य करता है.

32.3 इसके साथ ही अनुपालन प्रभाग कार्यात्मक प्रभागों में अनुदेशों का प्रसार सुनिश्चित करता है, उचित आंतरिक अनुदेश और नियंत्रण में सहायता करता है, आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ संपर्क रखता है. जोखिम और पूँजी के आकलन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण हेतु कवर किया गया है. अनुपालन प्रभाग पर्याप्त और प्रतिनिधि अनुपालन परीक्षण निष्पादित कर निगरानी और परीक्षण अनुपालन करता है .

**32.4 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण** :

32.4.1 जोखिम धारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रकोष्ठ, जिसके प्रमुख सहायक महा प्रबंधक हैं, आरबीआई द्वारा वार्षिक पर्यवेक्षण निरीक्षण (आईएसई) का समन्वय कर रहा है. आरबीआई द्वारा आईएसई के सुचारु आयोजन के लिए आईएसई विवरणियों की टिप्पणियों का परवर्ती अनुपालन सुनिश्चित करना और आरबीआई द्वारा बताई गई आवधिक पूछताछ/ मदों पर ध्यान देना आरबीएस प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्य हैं.

32.4.2 आरबीएस प्रकोष्ठ तिमाही बैठकों और मासिक डाटा की आरबीआई को प्रस्तुति के लिए कार्यात्मक प्रभागों के साथ समन्वय करता है.

32.4.3 वर्ष के दौरान आरबीएस प्रकोष्ठ को निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रभाग से असंबद्ध किया गया है और अनुपालन प्रभाग के अंदर लाया गया है जिससे कार्यान्वयन का बेहतर तालमेल बन सके.

**33. सतर्कता तंत्र :**

बैंक सार्वजनिक धन के संरक्षक हैं और इसलिए ईमानदारी, अखंडता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं. एक बैंकिंग संगठन अनिवार्य रूप से आपसी विश्वास, अखंडता और आत्मविश्वास के दर्शन पर काम करता है. कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रभावी ढंग से व्यस्त रखना संगठन

की उत्पादकता को बढ़ाता है. कर्मचारियों में इस तरह का आत्मविश्वास और अखंडता बनाए रखने के लिए सतर्कता एक प्रभावी प्रबंधन उपकरण है.

एक प्रगतिशील संस्थान के रूप में, कॉर्पोरेशन बैंक में एक मजबूत मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) है और कर्मचारियों के लिए सुपरिभाषित भूमिका और जिम्मेदारियां हैं. हमारा बैंक पूर्ण पारदर्शिता के साथ परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान प्रणालीगत सुधार का सुझाव देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. बैंक की सतर्कता प्रणाली पूरी ईमानदारी बनाए रखते हुए पारदर्शी तरीके से बैंक के मानदंडों के अनुसार अधिकृत निर्णय लेने पर जोर देती है. हमने अधिकृत निर्णयों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा हैं और यह सुनिश्चित किया है कि सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्होने निर्णय के परिणाम की परवाह किए बिना ईमानदारी और विश्वास के साथ काम किया, उन्हे नैसर्गिक न्याय मिले. हमने अपनी कार्य संस्कृति में ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को आत्मसात करने की कोशिश की है ताकि हमारे ग्राहकों द्वारा हमारे प्रति दिखाये गए भरोसे और विश्वास को सम्मान मिले.

बैंक में सतर्कता कार्य मुख्य रूप से दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय रोकथाम और पता लगाने की प्रकृति में हैं. सतर्कता तंत्र एक प्रहरी की भूमिका निभाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी व्यक्तिगत प्राप्ति या लाभ के लिए निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ न की जाए.

बैंक ने सतर्कता तंत्र के तहत निम्नलिखित पहल की है :

- बैंक ने अपनी ''विसल ब्लोअर पॉलिसी'' बनाई है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की सहायता से अप्रिय घटनाओं को पहचानना है और समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रारंभिक चरण में ही उसे रोकना/ बैंक की रक्षा करना है. इस नीति में इस तंत्र का इस्तेमाल करनेवाले कर्मचारियों को परेशान किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त पूर्वोपाय भी हैं.
- निवारक सतर्कता पर तिमाही न्यूज़लेटर ''जागृती'' नियमित रूप से प्रकाशित करके बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों के बीच परिचालित की जा रही है. उक्त न्यूज़लेटर में हमारे स्टाफ सदस्यों को सजग करने के उद्देश्य से कपट के नवीनतम मामलों का सारांश तथा कपटियों द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को प्रकाशित किया जाता है.
- अंचल कार्यालय द्वारा उच्च जोखिम प्रवण क्षेत्रों को कवर करने वाले निवारक सतर्कता लेखापरीक्षा को शाखाओं में संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक शाखा को वर्ष में दो बार लेखापरीक्षा के अधीन किया जाना है और एक रिपोर्ट सतर्कता प्रभाग को प्रस्तुत की जानी है.
- सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के कर्मचारियों के सदस्यों के लिए निबंध प्रतियोगिता, केस स्टडी प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बैंक अक्टूबर-नवंबर के दौरान हर साल ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाता रहा है. एक आउटरीच गतिविधि के रूप में, कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण को मिटाने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, ग्रामीणों और शहरी केंद्रों में ''सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा'' कर्मचारियों और ''ग्राम सभाओं'' द्वारा ली जाती है.
- एक उन्नत सतर्कता सलाहकार तंत्र बनाया गया है जिसमें कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में महा प्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी और महा प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन (काप्रप्र) का दल तिमाही में एक बार शीघ्र पूछताछ प्रक्रिया / प्रतिक्रिया (कार्रवाई) के समय में कमी कर औद्योगिक संबंध वातावरण को सुधारने हेतु चर्चा सत्र आयोजित करता है. यह मंच एक निवारक सत्र के रूप में कार्य करता है जो गंभीर समस्याओं की पहचान करता है और त्वरित हस्तक्षेप / शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा देता है.
- ई-लर्निंग पोर्टल : बैंक ने एक निवारक सतर्कता तंत्र विकसित किया है, जिसमें शाखाओं को प्रत्येक तिमाही में निवारक सतर्कता बैठकें बुलाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें स्टाफ सदस्यों को बैंक के सतर्कता प्रभाग, भारतीय बैंक की एसोसिएशन के साथ-साथ सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी परिपत्र पढ़ने और चर्चा करने एवं अपने कार्य अनुभवों की जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है ताकि पूरे बैंक में सतर्कता और जागरूकता उत्पन्न हो.

## 34. आईएनडी एएस कार्यान्वयन

भारिबैं द्वारा जारी दिशा निदेशों और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार भारत में बैंकों द्वारा अपना वित्तीय विवरण तैयार किया जा रहा है. जनवरी, 2016 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के अनुसरण में नई भारतीय लेखांकन मानक ( इंड एएस ) के कार्यान्वयन हेतु रोडमेप जारी किया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने गश्ती पत्र दिनांकित 11.02.2016 के द्वारा सूचित किया है कि बैंकों को 1 एप्रिल, 2018 प्रारम्भ से लेखांकन अवधि के लिए बिशेष विवरणों हेतु भारतीय लेखांकन मानदंडों (आईएनडी एएस) का अनुपालन करना हैं.

पहले भारिबैं के दिशानिदेशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) का अनुपालन को बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 में आवश्यक सांविधानिक सुधार साथ ही कई बैंकों में उस स्तर की तैयारी हेतु एक वर्ष के लिए लंबित रखा गया.

अब, आरबीआई ने अपने परिपत्र RBI/2018-19/146/DBR.BP.BC. NO. 29/21.07.001/2018-19 दिनांकित 22 मार्च 2019 द्वारा सूचित किया कि भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा अनुसंसित सांविधानिक सुधार भारत सरकार के पास विचारार्थ है. तदनुसार, यह निश्चित किया गया कि आईएनडी एएस के अनुपालन को अगली सूचना तक रोका जाए.

आरबीआई निर्देशों के अनुसार बैंक ने इंड एएस कार्यान्वयन के लिए परिचालन समिति गठित की है. उक्त परिचालन समिति में कार्यपालक निदेशक ( परिचालन समिति के प्रमुख) 31.10.2017 को भारिबैं द्वारा

निर्देशित और वित्तीय प्रबंधन प्रभाग, ऋण प्रभाग, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, वसूली प्रभाग, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रभाग तथा ट्रेजरी और निवेश प्रभाग के महा प्रबंधक शामिल होते हैं. उक्त समिति बैंक में इंड एएस कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है और उक्त कार्यान्वयन के जटिल पहलूओं यथा: इंड एएस तकनीकी आवश्यकता, प्रणाली और प्रक्रिया, वाणिज्यिक प्रभाव, लोग और परियोजना प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान करता है.

आरबीआई निर्देशों के अनुसार, बैंक को जून 2018 से मार्च 2020 हेतु आईएनडी एएस प्रारूप प्रस्तुत किया है.

बैंक इंड एएस कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलूओं हेतु आरबीआई और आईबीए से लगातार संपर्क में है.

**35. अवसर :**

बैंक की कार्यात्मक इकाइयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति है जिसमें 2432 शाखाएँ और 2623 एटीएम हैं जो देश के सभी हिस्सों में फैली हुई हैं, जिसमें 34 क्षेत्रीय कार्यालय और 4 वृत्त कार्यालय हैं, जो इसके कार्यों की देखरेख करते हैं.

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं की बढ़ती उपस्थिति बैंक को कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र, एसएमई और खुदरा क्षेत्र में अपने निवेश को सुधार कर थोक व्यापार के साथ ही खुदरा पोर्टफोलियो में एक संतुलित वृद्धि दर्ज करने के लिए बड़ा अवसर प्रदान करती है|

एक उच्च क्षमता वाला कार्यबल, नेटवर्क का बेहतर प्रसार, उत्पादों और सेवाओं का अनूठा सेट, प्रतिस्पर्धी ग्राहक सेवा और एक उन्नत तकनीक युक्त वातावरण ने लोगों के बीच एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने में बैंक की मदद की.

बेहतर ग्राहक अनुभव देने के लिए कई प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण बैंक का फोकस क्षेत्र रहा है. बैंक में डिजिटल सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, न्यू मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन कॉर्प ई, एसएमएस बैंकिंग, ई-पास बुक, टैबलेट बैंकिंग आदि शामिल हैं.

बैंक ने फिनाकल सॉफ्टवेयर के साथ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के नवीनतम व सबसे आधुनिक संस्करण को अपना कर एक प्रौद्योगिकी परिवर्तन की पहल की है. इससे बैंक को ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने, अपने कारोबार का विस्तार करने, तकनीकोन्मुख उत्पादों और सेवाओं को पेश करने और नए ग्राहकों से व्यापार प्राप्त करने में मदद मिलेगी|

**36. चेतावनियाँ :**

दुनिया भर में आर्थिक परिस्थिति अस्थिर होती जा रही है. अस्थिरता ही अब सामान्य बात हो चली है और बैंकों को इन बदलते मैक्रो आर्थिक वातावरण के अनुकूल होने और अनिश्चित परिचालन वातावरण में अवसरों को खोजने के लिए क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है.

परिसंपत्ति की गुणवत्ता और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान का प्रबंधन न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह स्वस्थ प्रदर्शन के स्तर को सुधारने और प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है.

भविष्य की विकास आवश्यकताओं, पूंजी मानदंडों के कार्यान्वयन, उच्च प्रावधानों आदि को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त पूंजी जुटाना एक चुनौती होगी.

निकट भविष्य में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प तलाशने की आवश्यकता है, जो शीर्ष प्रबंधन की रणनीति को व्यावहारिक कार्य योजनाओं में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है.

बैंक, किसी भी अन्य उद्योग की तरह, अपने दैन्दिनी परिचालन में ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों का सामना करते हैं, ब्याज अर्जन में कमी बैंक की लाभप्रदता संरचना को प्रभावित करती है.

विनियामक दिशा-निर्देशों, नीतियों, सरकार / नियामक आदि द्वारा प्रावधानों में कोई भी बदलाव बैंक के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है. वसूली प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता के निष्पादन पर अपने प्रभाव हो सकते हैं.

तीव्र प्रतिस्पर्धा और नयी ईकाइयों की प्रवेश से व्यापार वृद्धि, मार्जिन और लाभप्रदता प्रभावित होने की संभावना है.

**37. भविष्य के लिए रोड मैप**

भारत सरकारने आंधा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को युनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना, 2020 के तहत राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2020 के अनुसार समामेलित कर दिया है. तदनुसार, कॉर्पोरेशन बैंक और आंधा बैंक को 1 अप्रैल, 2020 से युनियन बैंक ऑफ में समामेलित कर दिया है.

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**(राजकिरण रै जी.)**
**प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31.07.2020

# कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

## 1. बैंक में कार्पोरेट अभिशासन

बैंक का यह विश्वास है कि सुदृढ़ कार्पोरेट अभिशासन निवेशक की आस्था को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अहम है. एक ज़िम्मेदार कारोबारी संस्था के रूप में बैंक; विवेक, खुलापन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, प्रकटन द्वारा पारदर्शिता, नैतिक प्रथाओं आदि पर आधारित ठोस कार्पोरेट प्रथाओं के प्रति कटिबद्ध है जिससे ईमानदारी तथा जिम्मेदारी के साथ निष्पादन किया जा सके, निवेशकों और हितधारकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो और दीर्घावधि सफलता सुनिश्चित हो. कार्पोरेशन बैंक में कार्पोरेट अभिशासन विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही नहीं बल्कि लाभप्रद वातावरण के साथ ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुकूल रहकर भी विकसित किया गया है. बैंक ग्राहक संतुष्टि तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि के दोहरे उद्देश्यों के साथ ईज दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करते हुए एक जिम्मेदार बैंक के रूप में उत्कृष्टता हेतु अथक प्रयास कर रहा है. कार्पोरेशन बैंक का सदाचार ग्राहकों के साथ दिखता है जिसके केंद्र बिंदु में शेयरधारक है.

## 2. बैंक का दार्शनिक सिद्धांत

2.1 बैंक का दर्शन उसके कार्पोरेट आदर्श वाक्य 'सर्व जना: सुखिनो भवंतु' अर्थात् 'सभी की समृद्धि' से दिशानिदेशित है जिससे समाज और अर्थव्यवस्था की उन्नति सुनिश्चित होती है. बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सुदृढ कार्पोरेट अभिशासन प्रथाओं से इसके अपने लक्ष्यों की पूर्ति और उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है जिससे उसकी छवि में वृद्धि होती है, जो आगे चलकर शेयरधाकों के लिए हितकारी होता है और उनका विश्वास जीतने की क्षमता को बढ़ाता है. उत्तम कार्पोरेट अभिशासन शीर्ष से आरंभ होता है और नीचे की ओर सतत बढ़ता है. निदेशक मंडल और प्रबंधन उपयुक्त निर्णय लेते हैं और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करते हैं.

## 3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल का गठन समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किया गया है, जो कि समय समय पर संशोधित किया गया है और यथा लागू सेबी (एलओडीआर) अधिनियम, 2015 के संबंधित प्रावधान के साथ पठित और इसमें विविध व्यावसायिक अनुभव वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है. वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल में 07 निदेशक हैं जिनमें 5 गैर-कार्यपालक निदेशक हैं तथा उनमें से एक महिला निदेशक सहित 3 को स्वतंत्र निदेशक माना गया है. समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आनेवाले ये निदेशक, मंडल को, बैंकिंग व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीयन , ट्रेजरी & फोरेक्स, ऋण, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रोद्योगिकी सहित विशेषज्ञता और विपुल अनुभव-युक्त ज्ञान प्रदान करते हैं. रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 18 बैठकें आयोजित की गईं.

3.2 बैंक परिचालन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्रों में विशेष तथा संकेंद्रित ध्यान देने के लिए और उचित दिशा प्रदान करने, प्रभावी निगरानी करने तथा बैंक के कार्यों में नियंत्रण रखने और नए क्षेत्रों पर ध्यान देकर तथा बैंक के समग्र विकास की आवश्यकता हेतु निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियों का गठन किया है. विभिन्न समितियों के ब्योरे और वर्ष 2019-20 दौरान प्रत्येक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | बोर्ड की समितियों के नाम | आयोजित बैठकों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रबंधन समिति (एमसी) | 17 |
| 2. | लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) | 10 |
| 3. | विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) | 04 |
| 4. | शेयरधारक संबंध समिति (एसआरसी) | 04 |
| 5. | सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी) | 12 |
| 6. | जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) | 09 |
| 7. | उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति (एलवीएफ) | 08 |
| 8. | शेयर अंतरण समिति (एसटीसी) | 11 |
| 9. | ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) | 04 |
| 10. | नामांकन समिति (एनआरसी) | 01 |
| 11. | बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति (आईसीएएपी)* | 04 |
| 12. | ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)* | 24 |
| 13. | मानव संसाधन समिति (एचआरसी) | 09 |
| 14. | वसूली निगरानी समिति (आरएमसी) | 07 |
| 15. | प्रतिभूति आबंटन समिति (एसएसी) | 01 |
| 16. | प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी* | 22 |
| 17. | इरादन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति | 02 |
| 18. | शाखाओं में डिजिटल भुगतान के प्रचार एवं कारोबार वृद्धि हेतु बोर्ड की उप समिति | 02 |
| 19 | निदेशक मंडल की निष्पादन मूल्यांकन समिति (पीईसी) | 01 |

* भा.रि.बै./सरकारी निदेश के अनुसार इस समिति में कुछ सदस्य बैंक के उच्च कार्यपालक अर्थात्, महा प्रबंधक हैं.

3.3 बोर्ड की समितियों के विवरण आगे के पृष्ठों में दिए गए हैं. निदेशक मंडल और उसकी समितियों ने नियमित अंतरालों में बैठकें कीं तथा

नैतिक प्रथाओं और व्यावसायिक प्रबंधन द्वारा निष्पादन के उच्च मानक सुनिश्चित करने हेतु विवेकपूर्ण और दक्ष तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक का मार्गदर्शन किया.

3.4 नीति निरूपण, निष्पादन समीक्षा एवं विश्लेषण तथा नियंत्रण जैसी जिम्मेदारियाँ निदेशक मंडल द्वारा निभाई जाती हैं. निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप बैंक के कार्यपालकों और कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा ऐसे प्रत्यायोजित अधिकारों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और बैंक के कारगर कार्य-संचालन हेतु उनमें आवश्यक संशोधन किया जाता है.

3.5 बैंक की नीतियों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और बदलते परिदृश्य और बाजार मांगों के अनुरूप उनमें आवश्यक आशोधन किए जाते हैं.

3.6 **2019-20 के दौरान निदेशकों, निदेशक मंडल एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी ब्योरे निम्नवत हैं:**

**सूची संलग्न**

प्र.नि. एवं मु.का.अ. - भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

का.नि. - भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक निदेशक

गै.का.नि - भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित गैर-कार्यपालक निदेशक

अ.नि. - भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक

शे .नि. - शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक - स्वतंत्र निदेशक

स.ले.नि - सनदी लेखाकार निदेशक - स्वतंत्र निदेशक

स्वनि - स्वतंत्र निदेशक

3.7 वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल की निम्नलिखित दिनांक पर 18 बैठकें हुईं:

(दिनांक, माह व वर्ष प्रारूप में तारीखें)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 17.05.2019 | 30.05.2019 | 29.06.2019 | 02.08.2019 | 03.08.2019 | 23.08.2019 | 16.09.2019 |
| 18.10.2019 | 06.11.2019 | 22.11.2019 | 24.12.2019 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 28.02.2020 | 05.03.2020 |
| 17.03.2020 | 30.03.2020 | | | | | | |

3.8 निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है अथवा जिन सभी कंपनियों में वे निदेशक हैं, पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं. (इस उद्देश्य हेतु केवल दो समितियों, अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारक संबंध समिति और पारिश्रमिक समिति को लिया गया है) . कोई भी निदेशक बैंक के किसी दूसरे निदेशक का रिश्तेदार नहीं है.

3.9 यथा 31.03.2020को निदेशकों के संक्षप्ति प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत है:

**3.9.1 श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

श्रीमती पी वी भारती ने 1 फरवरी 2019 को कार्पोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिका का पदभार ग्रहण करने से पहले वे केनरा बैंक की कार्यपालक निदेशक थी.

वे विज्ञान में स्नातक के साथ ही शिक्षाशास्त्र में स्नातक हैं. उन्होंने कला (अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर किया है. पेशे से एक बैंकर होने के नाते वे भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसियट सदस्य (सीआईआइबी) हैं एवं NIBM, पुणे से बैंकिंग एवं फाइनेंस में इंटीग्रेटेड कोर्स किया है .

श्रीमती पी वी भारती 1982 में केनरा बैंक में अधिकारी के रूप में बैंकिंग उद्योग से जुड़े और देश के विभिन्न भागों में स्थित बैंक के विभिन्न शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया. महा प्रबंधक के तौर पर उन्होंने बैंक में मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में कार्य किया. वह एक अनुभवी बैंकर हैं तथा उन्हें शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, प्रधान कार्यालय में मानव ससाधन, ऋण प्रबंधन, खुदरा बैंकिंग वसूली, फारेक्स परिचालन, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रोद्योगिकी और प्रशासन सहित बैंकिंग परिचालन के विशाल क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व निभाने का 38 वर्षों का अनुभव है .

वे 15.09.2016 को केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए जहाँ वह मानव संसाधन , कार्पोरेट ऋण, खुदरा बैंकिंग, ऋण निगरानी, वसूली, जोखिम प्रबंधन, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी, लेखा एवं निरीक्षण, वैश्विक बैंकिंग, ट्रेजरी आदि जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों की प्रभारी थी .

उन्होंने अपने कैरियर के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. वे बैंकों द्वारा मूल्यांकक को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया के मानकीकरण हेतु आईबीए के कार्यकारी समूह के बैंक द्वारा नामित सदस्य थी. वे केनरा बैंक एवं उनके कई अनुषंगी कंपनियों एवं एक संयुक्त उपक्रम- मै? कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी ,मॉस्को के बोर्ड में थी. वर्तमान में वे भारत सरकार द्वारा इंडिया इन्फ्र इन्फ्रास्ट्रकचर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईए?सीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एससीबी) के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त की गई. वे एक कुशल वक्ता हैं एवं उन्होने विभिन्न सेमीनारों, सम्मेलनों, मंत्रालय द्वारा आयोजित पैनल परिचर्चा एएसएसओसीएचएएम, क्रिसिल आदि में कई पुरस्कार प्राप्त किए है.

श्रीमती भारती उद्योग क्षेत्र में अपनी परिणाम उन्मुखता एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण, टीमवर्क तथा त्वरित निर्णय के कारण जानी जाती है. वे देश के भीतर और देश के बाहर की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हुई है. उन्होने अपने बैंकिंग कैरियर में कई पुरस्कार एवं सराहना प्राप्त किया है जिसमें बैंकिंग में उत्कृष्टता हेतु ''आर्यभट्ट इंटरनेशनल अवार्ड-2017'' का ''झांसी रानी'' पुरस्कार शामिल है.

श्रीमती पी वी भारती का कार्यकाल उनकी सेवानिवृति की अवधि प्राप्त करने से दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हो गया.

**3.9.2 श्री गोपाल मुरली भगत (सेवानिवृति की अवधि प्राप्त करने से दिनांक 23 अगस्त 2019 को निदेशक मंडल से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया.)**

श्री गोपाल मुरली भगत ने 24 अगस्त, 2016 को कार्पोरेशन बैंक में कार्यपालक निदेशक का पदभार सँभाला. कार्यपालक निदेशक का पदभार सँभालने से पहले वे बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे.

श्री गोपाल मुरली भगत; स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोशिएट (सीएआईआईबी) और ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त हैं. वे, शाखाओं, आंचलिक कार्यालय और साथ ही प्रधान कार्यालय स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक और कार्यात्मक क्षमता में 34 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त एक अनुभवी बैंकर हैं. आपने 1984 में अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की और बैंक ऑफ इंडिया में महा प्रबंधक-ट्रेजरी के पद पर पदोन्नत हुए. आपने उक्त बैंक में घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त व्यवसायों का प्रबंधन और निगरानी की. आप कुछ कंपनियों के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक भी रहे.

खुदरा, ऋण, ट्रेजरी और समुद्रपारीय केंद्र (सिंगापुर) में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में अपनी विशेषज्ञता के मद्देनजर आपने अपने कैरियर के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. वे कार्प बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. , बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के निदेशक भी हैं.

श्री भगत ने 23 अगस्त, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है.

**3.9.3 श्री विरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक**

श्री बिरुपाक्ष मिश्रा ने 26 दिसम्बर, 2018 को कार्पोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया.

श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोशिएट (सीएआईआईबी) हैं. उन्होने 1984 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण किया एवं शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख, अंचल प्रमुख, एवं महाप्रबंधक के रूप में कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यात्मक क्षमता में 34 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त एक अनुभवी बैंकर हैं. आपने देश के विभिन्न भागों में कार्य किया और लंबी अवधि तक बैंक के ऋण एवं ऋण निगरानी पोर्टफोलियो को संभाला. कार्पोरेशन बैंक में कार्यपालक निदेशक का पद संभालने से पहले उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अंतिम 2 वर्ष एवं 6 महीने से अधिक समय तक आईटी वर्टिकल का नेतृत्व किया.

श्री बिरुपाक्ष मिश्रा को दिनांक 01.04.2020 से समामेलित यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है.

**3.9.4 श्री आलोक तिवारी, सरकार नामिती निदेशक (मनीष गुप्ता की जगह जिनका कार्यकाल दिनांक 04 मार्च 2020 को समाप्त हो गया)**

श्री आलोक तिवारी को 05 मार्च, 2014 से बैंक के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है.

श्री आलोक तिवारी वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में उपसचिव रुप में दिनांक 15.11.2019 से कार्यरत हैं. 23.10.1978 को जन्मे श्री तिवारी इलाहाबाद के रहने वाले हैं. वे यू पी कैडर के 2007 के आएएस अधिकारी हैं. उन्होंने आईआईटी कानपुर से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. सरकार में कार्य करने का उनका 13 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स और पालिटिकल साइंस(एलएसई) से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है. डीएफएस में तैनाती के पहले उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएँ दी हैं जैसे मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, कन्नौज, उत्तर पर्देशके माननीय राज्यपाल के विशे, सचिव, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, मथुरा, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ में विशेष सचिव विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार , चुनाव विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी , अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, चुनाव विभाग तथा भारत सरकार कैबिनेट सचिवालय नई दिल्ली में उप सचिव.

**3.9.5 श्री पी के पांडा (भारिबैंक नामिती निदेशक)**

श्री पी. के. पांडा को 26 अप्रैल, 2019 से अगले आदेशों तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

श्री पी.के.पांडा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रधान मुख्य महाप्रबंधक थे. वर्तमान में वह सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (CAFRAL), मुंबई के वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक का पद संभाल रहे हैं. वे पुणे स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग के प्रिंसिपल भी थे. उनके पास आरबीआई में केंद्रीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर्यवेक्षण में इकतीस से अधिक वर्षों का अनुभव है.

वे उस टास्क फोर्स के सदस्य भी थे जिसने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बैसल समिति, बेसल, स्विट्जरलैंड के मानक कार्यान्वयन समूह के लिए 'सुपरवाइजरी कॉलेजों पर कुशल कार्यप्रणाली सिद्धांत' का मसौदा तैयार किया था.

वे 2012 से 2015 तक रेजिडेंट सलाहकार वित्तीय क्षेत्र पर्यवेक्षण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ थे. वे 2011-12 के दौरान बैंक ऑफ इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक भी रहे. वह अनलिस्टेड कंपनी होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं.

**3.9.6 श्री के श्रीनिवास मूर्ति (सनदी लेखाकार निदेशक)**

श्री के श्रीनिवास मूर्ति को 27 दिसंबर, 2017 से 3 साल के लिए बैंक के बोर्ड में सनदी लेखाकार वर्ग के तहत अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

वर्ष 1993 में अर्हता प्राप्त,वे पेशे से एक सनदी लेखाकार हैं. सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में डिप्लोमा होने के साथ वे एक प्रमाणित संगामी

लेखापरीक्षक भी हैं और आईसीएआई द्वारा आयोजित इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्रमाणपत्र कोर्स भी पूरा किया है.

उन्हें आयकर-घरेलू तथा इंटरनेशनल टैक्सेशन दोनो में दो दशको से अधिक का अनुभव है . वे आयकर मामले में कॉर्पोरेट एवं गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं को सुझाव,आयोजना एवं अनुपालन सेवा देते हैं . उन्हें विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष मामलों को प्रस्तुत करने का उनके पास व्यापक अनुभव है .

कम्पनी अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, बैकों, बीमा कंपनी की,न्यास, सोसाइटी एवं लाभ रहित संगठन के सी एवं एजी लेखापरीक्षा आयकर अधिनियम के तहत कर लेखापरीक्षा, स्टाक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा एवं आतंरिक लेखापरीक्षा के तहत उनके पास कानूनी एवं कॉर्पोरेट की आंतरिक लेखापरीक्षा का व्यापक अनुभव है .

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उन्होंने काफराल, मुंबई द्वारा बैंकों के निदेशक मंडल के गैर-कार्यकारी निदेशकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया है.

### 3.9.7 श्री प्रदीप कुमार जैन (शेयरधारक निदेशक)

56 वर्षीय श्री प्रदीप कुमार जैन मुंबई के निवासी हैं. उन्होंने वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है एवं लाइसेंसधारी- भारतीय बीमा संस्था, सीएआईआईबी, भाग-I हैं . वर्तमान में वे भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यपालक निदेशक (निवेश:निगरानी एवं लेखा) हैं और उन्हें दबावग्रस्त आस्तियों के नियंत्रण और प्रबंधन विभिन्न पुनर्संरचना योजनाओं के तहत प्रस्तावों की प्रोसेसिंग,चूककर्ता कपंनियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई तथा आईआरडीए के विभिन्न निवेश संबंधी विनियमों / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के अनुदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी है. उन्होंने बैंक में 07.09.2020 तक तीन साल की अवधि के लिए 08.09.2017 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है.

इससे पहले प्रभारी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में,मंडल खातो को समय पर अंतिम रूप देने तथा लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार थे . उन्होंने मडंल/अंचल/केन्द्रीय कार्यलय स्तर पर समूह बीमा योजना सहित बीमा पॉलिसियों के विपणन तथा सर्विसिंग क्रियकलापों दोनो की निगरानी एवं नियंत्रण पर कार्य किया है .

उनके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) (संयोजक-केनरा बैंक) एवं जनवरी 1981 से नवंबर 1984 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी काम करने का अनुभव हैं .

उन्होंने आईडीआरबीटी, हैदराबाद में बैंक के बोर्ड सदस्यों हेतु आईटी एवं साइबर सेक्यूरिटी पर आयोजित सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया.

### 3.9.8 सुश्री चित्रा गौरी लाल (शेयरधारक निदेशक)

सुश्री चित्रा गौरी लाल, 69 वर्ष आयु, उत्तर प्रदेश के नोएडा की निवासी हैं. उन्होंने एम. एससी (वित्तीय अध्ययन) में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त की है, उन्होंने समाजिक शास्त्र में एम फिल किया है, जन प्रशासन में मास्टर डिप्लोमा प्राप्त हैं तथा फिजिक्स में एम एससी किया है. उनके पास 39 वर्षों का प्रचुर अनुभव है. इन्होंने भारतीय सीमा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 1974 में कार्यभार ग्रहण किया और भारत सरकार की विशेष सचिव बनीं और केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड की सदस्य बनीं और इसी पद से नवंबर, 2010 में सेवानिवृत्त हुईं. उनके पास राजस्व विभाग के साथ- साथ मंत्रालय में विभिन्न स्तर पर काम करने का प्रचुर और विविध अनुभव है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय, सांख्यिकी और आयोजना मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में मध्यम तथा वरिष्ठ प्रबंधन दोनों स्तर पर विभिन्न क्षमतओं में काम किया है. अपने कैरियर के दौरान उन्होंने बाथ, विश्वविद्यालय, यूके में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जहां से उन्होंने वित्तीय अध्ययन पर दूसरी मास्टर पदवी प्राप्त की. इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी लिखी है उनमें से एक है भारतीय सांख्यिकीय व्यवस्था में आधुनिकीकरण और दूसरी है सेवा बी व सी केडर समूह की पुनर्सरचना. इन्होंने बैंक में 25.08.2017 तक तीन साल की अवधि के लिए 26.08.2014 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और 08.09.2017 से तीन साल की अवधि के लिए 07.09.2020 तक पुन: शेयरधारक निदेशक के रूप में चुनी गयी हैं . वे अनलिस्टेड कंपनी मेसर्स प्योरअर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में एवं मै? लावा इंटरनेशनल लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी रही. उन्होंने मुंबई में नवंबर 2016 के दौरान ऽ मेकिंग ऑफ ए हाई परफार्मेस ग़्झडंरु पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया.

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, उन्होंने निदेशक मंडल में महिलाएँ एवं व्यवसाय नेतृत्व पर आईएफसी, मुंबई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया.

### 3.9.9 श्री मनीष गुप्ता (सरकार नामिती निदेशक) (बैंक के निदेशक मंडल में दिनांक 04 मार्च 2020 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया)

श्री मनीष गुप्ता जी को 16 अप्रैल, 2014 से बैंक के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है.

श्री मनीष गुप्ता वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है. वर्तमान में वे सर्तकता अनुभाग और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रभारी हैं . श्री गुप्ता आईआरएसईई (इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स) के अधिकारी हैं और उनके पास भारत सरकार में काम करने का 23 वर्षों से अधिक अनुभव है. इससे पहले उन्होंने भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेकनोलोजी, नई दिल्ली से स्नातक पदवी प्राप्त की है और आईआईटी रुड़की से मेजरमेंट और इंस्ट्रयुमेंटेशन (स्वर्ण पदक) में मास्टर पदवी प्राप्त की है. इसके साथ ही उन्होंने 2009 में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरिदाबाद से वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए की पदवी पूरी की है.

बैंक के निदेशक मंडल में दिनांक 04 मार्च 2020 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया.

### 3.9.10 श्री एम. भगवंता राव (गैर अधिकारी निदेशक): ( दिनांक 29.02.2020 को बैंक में अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया)

श्री एम. भगवंता राव, आयु 65 वर्ष, को 01 मार्च, 2019 से एक वर्ष की

अवधि हेतु भारत सरकार द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में गैर अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री एम. भगवंता राव पहले अगस्त 2011 से 31 मई 2014 अर्थात सेवानिवृत्ति तक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं. उन्होंने अपना कैरियर 1977 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शुरू किया. उन्होने भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया साथ ही स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट फॉर रुरल डेव्लपमेंट (एसबीआईआरडी) हैदराबाद, के प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया है.

उन्हें 28 जनवरी, 2016 से 27 जनवरी 2019 तक की तीन वर्ष की अवधि हेतु भारत सरकार द्वारा विजया बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया. वे अनलिस्टेड कंपनी मे श्रीमान माधवा सिद्धांतोन्नाहिनी परमानेंट निधि लिमिटेड में निदेशक के रूप में रहे.

### 3.9.12 यथा 31.03.2019 को गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

सुश्री चित्रा गौरी लाल द्वारा 500 ईक्विटी शेयर एवं श्री प्रदीप कुमार जैन द्वारा 100 ईक्विटी शेयर धारण करने के अलावा, यथा 31.03.2019 को अन्य गैर कार्यपालक निदेशकों द्वारा कोई अन्य शेयर धारण नहीं किया गया है.

## 4. निदेशक मंडल की समितियां

### 4.1 निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन और परिचालन बैंक हेतु लागू सीमा तक सेबी (सूचीबद्ध देयता और आवश्यक प्रकटन) के विनियम 17 से 27 तक पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिदेशों द्वारा शासित होता है. मंडल की लेखा-परीक्षा समिति बैंक में संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य, जिसमें बैंक के भीतर का आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण का आयोजन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण कार्य सम्मिलित है, को निर्देशन प्रदान करने के अलावा परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है और बैंक के सांविधिक/ बाह्य लेखा-परीक्षा कार्य और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्ती कार्य करती है.

लेखा-परीक्षा समिति ऐसे विषयों में आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई जाँच-पड़ताल के निष्कर्षों की समीक्षा करती है जहाँ कपट का संदेह होता है या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अनियमितता या विफलता देखी जाती है तथा वहाँ नियंत्रण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देती है. जहाँ तक बाह्य लेखा-परीक्षा का संबंध है, यह समिति, वार्षिक लेखों और रिपोर्टों तथा तिमाही वित्तीय समीक्षा को अंतिम रूप देने से पहले, लेखा नीतियों और कार्य-प्रणालियों में परिवर्तनों, ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी, लेखा-मानकों और स्टॉक एक्सचेंज/विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर ध्यान देते हुए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है.

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति में वर्तमान में 31.03.2020 तक बोर्ड के 5 सदस्य हैं. वे हैं, बैंक के श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक , श्री आलोक तिवारी, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (दिनांक 05.03.2020 से मनीष गुप्ता की जगह पर), श्री प्रमोद कुमार पांडा,भारिबैं नामिती निदेशक(26.04.2019 से), श्री के श्रीनिवास मुर्ती, सनदी लेखाकर प्रवर्ग निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन(11.09.2017 तक), शेयरधारक निदेशक . श्री के श्रीनिवास मुर्ती , सीए वर्ग के निदेशक द्वारा समिति की अध्यक्षता की जाती है. सेबी (सूचीबद्ध देयता और आवश्यक प्रकटन) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 के अनुसार श्री एस. के. दाश, कंपनी सचिव, बोर्ड सचिवालय एवं निवेशक सेवा विभाग, लेखा परीक्षा समिति के भी सचिव हैं.

### 4.2 प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया गया. 31.03.2020 को समिति में संप्रति 4 निदेशक हैं, श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, श्री प्रमोद कुमार पांडा, भारिबैं नामिती निदेशक (दिनांक 26.04.2019 से भारिबैं नामिति निदेशक), सुश्री चित्रा गौरी लाल (शेयरधारक निदेशक 11.03.2019 से). प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति के गठन के बाद प्रबंधन समिति ने एकल उधारकर्ता के लिए रु. 250 करोड़ और उधारकर्ता समूह के लिए रु. 500 करोड़ से अधिक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग किया, जो ऋण अनुमोदन समिति को प्रत्यायोजित अधिकारों से बाहर थे.

### 4.3 ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना संदर्भ सं. 13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी 2012 द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 01.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति गठित की. ऋण अनुमोदन समिति ऐसे ऋण प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी जहाँ समग्र एक्सपोज़र रु. 250 करोड़ से अधिक न हो. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित बैंक के अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे आने वाले ऋण प्रस्तावों और निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किए जा रहे ऋण प्रस्तावों पर रु. 250 करोड़ की निर्दिष्ट सीमा तक ऋण अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसी सीमा से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा. उपर्युक्त को देखते हुए, ऋण अनुमोदन समिति ऐसे ऋण प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी जहाँ एकल उधारकर्ता को समग्र ऋण रु. 250 करोड़ से अधिक न हो तथा उधारकर्ता समूह हेतु रु. 500 करोड़ से अधिक न हो. उक्त समिति को (i) रु. 1.00 करोड़ तक का त्याग निहित अर्ली मॉर्टालिटी मामलों सहित ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर विचार करने तथा (ii) निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा दी गई मंजूरियों के संबंध में अनुमोदन करने/आशोधन करने/ मंजूरी शर्तों में अशोधन/नों की अनुमति देने तथा उनके द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों में आशोधन करने का भी अधिकार होगा.

इस समिति के सदस्य हैं - श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, ऋण प्रभाग, वित्तीय प्रबंधन प्रभाग और ऋण निगरानी प्रभाग के प्रभारी महाप्रबंधक, प्रभारी महा प्रबंधक/कों ऋण प्रभाग, प्रभारी महाप्रबंधक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/रिटेल लेंडिंग, प्रभारी महाप्रबंधक वसूली समझौते/बट्टे खाते वाले प्रस्तावों संबंधी मामले यदि समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची में शामिल हों तब उपस्थित होंगे, प्रभारी महा प्रबंधक दबावग्रस्त आस्तियाँ प्रभाग, प्रभारी महा प्रबंधक ऋण निगरानी प्रभाग (आमंत्रित सदस्य के रूप में ). इसके अलावा, भारत सरकार ,वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, से प्राप्त दिनांक 3 अप्रैल 2012 के निदेशों के अनुसार 1 मई, 2012 से आंचलिक कार्यालय और मंडल कार्यालय स्तर पर ऋण अनुमोदन समितियाँ गठित की गई हैं. ये समितियाँ ऐसे मंजूरी अधिकारों का प्रयोग करेंगी जो शाख़ा प्रबंधकों के प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों से परे हैं परन्तु ऐसी समितियों की अध्यक्षता करने वाले कार्यपालकों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत हैं. जो प्रस्ताव मंडल कार्यालयों के महा प्रबंधकों को प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों के परे हैं, उन्हें प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति/निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

### 4.4 प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति:

ऋण/वसूली प्रस्तावों पर सुचारु और सामयिक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 27.06.2013 से प्रधान कार्यालय में कार्यपालक निदेशक के अधीन प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति गठित की गई है. यह समिति एकल उधारकर्ता के मामले में रु. 75 करोड़ और उधारकर्ता समूह के बारे में रु. 150 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं की मंजूरी और समझौता/बट्टा खाते डालने वाले खातों में रु. 50 लाख तक की त्याग राशि की मंजूरी पर विचार करेगी. श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक और ऋण, वित्त, जोखिम प्रबंधन और ऋण निगरानी, खुदरा ऋण प्रभाग और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विकास के प्रभारी महा प्रबंधक उक्त समिति के सदस्य हैं. वसूली एवं कैप्स के महा प्रबंधक, उनके प्रभाग से संबंधित कार्यसूची पर विचार करते समय समिति की बैठक में उपस्थित होंगे. प्रभारी महाप्रबंधक, दबावग्रस्त आस्तियाँ प्रबंधन वर्टिकल (एसएएमवी) तथा प्रभारी महा प्रबंधक ऋण निगरानी प्रभाग आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे. प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति को विनिर्दिष्ट ऋण सीमाओं से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा.

### 4.5 विभागीय पदोन्नति समिति

विभागीय पदोन्नति समिति में 3 निदेशक अर्थात् श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आलोक तिवारी, भारत सरकार नामिती निदेशक (मनीष गुप्ता के स्थान पर दिनांक 05 मार्च 2020 से) और श्री प्रमोद कुमार पांडा, 26.04.2019 से भारिबैं नामिती निदेशक सदस्य हैं. यह समिति बैंक के अनुशासन संबंधी मामलों को देखती है . प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं.

### 4.6 शेयरधारक का संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और आवश्यक प्रकटन) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार गैर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में और ऐसे अन्य सदस्यों के तहत शेयरधारक, डिबेंचर धारक और अन्य सुरक्षा धारक की शिकायतों के निवारण पर ध्यान देने के लिए बोर्ड की एक 'शेयरधारक' संबंध 'समिति' का गठन किया गया था. संप्रति समिति में 4 सदस्य हैं अर्थात् श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक , के श्रीनिवासमूर्ति, सनदी लेखाकार वर्ग से निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन और सुश्री चित्रा गौरी लाल शेयरधारक निदेशक. सुश्री चित्रा गौरी लाल, शेयरधारक निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं. सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और आवश्यक प्रकटन) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार श्री एस.के. दाश, बैंक के बोर्ड सचिवालय तथा निवेशक सेवा विभाग के प्रभारी कंपनी सचिव सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और आवश्यक प्रकटन) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य हेतु अनुपालन अधिकारी हैं.

इस वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 716 शिकायतें प्राप्त हुई. तथापि, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उनमें कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं थी. यदि शेयरधारक से अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है तो सामान्यत: सात दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान किया जाता है. वर्ष 2018-19 की तुलना में, प्राप्त, निपटायी गई और वर्ष 2019-20 के अंत में लंबित शिकायतों को दर्शाने वाली तालिका नीचे प्रस्तुत है.

| शिकायतों की प्रकृति | 2019-20 | | | 31.03.18 को लंबित | 2018-19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राप्त | निपटायी | 31.03.20 को लंबित | | प्राप्त | लंबित | 31.03.19 को लंबित |
| धन वापसी/लाभांश की अप्राप्ति | 245 | 245 | - | - | 169 | 169 | - |
| शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति | 05 | 05 | - | - | 53 | 53 | - |
| अंतरण हेतु भेजे गए शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति | 262 | 262 | - | - | 423 | 423 | - |
| शेयर प्रमाण पत्र खो जाना | 70 | 70 | - | - | 68 | 68 | - |
| विविध | - | | - | - | - | - | - |
| स्टाक एक्सचेंजों के ज़रिए प्राप्त | - | | - | - | 0 | 0 | - |
| सेबी, स्कोर्स के ज़रिए प्राप्त | - | | - | - | 03 | 03 | - |
| **कुल** | 582 | 582 | **-** | **-** | 716 | 716 | - |

यद्यपि निवेशक शिकायतों के निवारण हेतु संप्रति लिया जानेवाला औसत समय युक्ति-संगत है, फिर भी, बैंक, निवेशक शिकायतों का उत्तर देने में उच्चतर मानकों को स्थापित करने हेतु समय अंतराल को और भी घटाने के लिए प्रयासरत है. सेबी के समर्पित वेबसाईट स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त निवेशक शिकायतों का इलेक्ट्रानिक रूप से निराकरण किया गया है.

**4.7 सूचना प्रौद्योगिकी समिति**

तेज़ी से बदलते कारोबार परिदृश्य और ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए बैंक ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विविध सूचना प्रौद्योगिकी पहल करता रहा है. इन परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन करने तथा ग्राहक सुविधा एवं संतुष्टि को बढ़ाने की दृष्टि से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करने की संभाव्यताओं का पता लगाने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया है.

इस समिति में 5 सदस्य हैं अर्थात् श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री बिरुपाक्ष मिश्रा कार्यपालक निदेशक, श्री के श्रीनिवास मूर्ति ,सनदी लेखाकार वर्ग से निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन और सुश्री चित्रा गौरी लाल, शेयरधारक निदेशक समिति के सदस्य हैं. श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं.

**4.8 जोखिम प्रबंधन समिति**

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति पर्याप्त जाँच और संतुलन, पारदर्शिता और प्रकटन, सुदृढ जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ, जोखिम नियंत्रण पद्धतियाँ, शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ और चूक से बचने के लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करने के लिए गठित की गयी थी. हाल ही में पीएसबी गवर्नेंस रिफॉर्म्स के हिस्से के रूप में बोर्ड समिति प्रणाली को मजबूत करने हेतु सरकार ने अपनी संसूचना दिनांकित 30 अगस्त 2019 के माध्यम से जोखिम एपेटाइट फ्रेमवर्क शामिल करके जोखिम प्रबंधन समिति के दायरे में वृद्धि की है. इस समिति में 5 निदेशक हैं और श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसकी अध्यक्षता करती हैं. समिति के अन्य सदस्य हैं, श्री बिरुपाक्ष मिश्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री के श्रीनिवास मुर्ती,सनदी लेखाकार निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन तथा सुश्री चित्रा गौरी लाल शेयरधारक निदेशक.

**4.9 उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति**

एक करोड़ रूपए एवं अधिक के कपटों की गहन निगरानी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया. इस समिति में 5 निदेशक हैं और श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक इसकी अध्यक्षता करते हैं. समिति के अन्य सदस्य हैं, श्री बिरुपाक्ष मिश्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री आलोक तिवारी (मनीष गुप्ता के स्थान पर दिनांक 05मार्च 2020 से), सरकार नामिती निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन तथा सुश्री चित्रा गौरी लाल शेयरधारक निदेशक.

**4.10 शेयर अंतरण समिति**

शेयरों के अंतरण, रीमेटिरियलाइजेशन तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोधों पर विचार करने के उद्देश्य से प्रचलित नियमों के अनुरूप निदेशक मंडल ने बोर्ड की एक 'शेयर अंतरण समिति' गठित की है. समिति में 2 सदस्य हैं अर्थात् श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इसकी अध्यक्षता करती हैं अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक श्री बिरुपाक्ष मिश्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं. श्री के श्रीनिवास मूर्ति , सनदी लेखाकार प्रवर्ग निदेशक, समिति के अन्य सदस्य हैं.

**4.11 ग्राहक सेवा समिति**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार तथा व्यक्तिगत ग्राहक के अधिकारों के संरक्षण तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने ग्राहक सेवा समिति का गठन किया. समिति में वर्तमान तिथि में 4 सदस्य हैं. श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी , जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं, श्री बिरुपाक्ष मिश्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन तथा सुश्री चित्रा गौरी लाल, निदेशक समिति के सदस्य है.

**4.12 नामांकन एवं पारितोषिक समिति**

बैंक के वर्तमान शेयरधारक निदेशकों और जो बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामांकन दायर करते हैं उनकी, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के तहत 'सही एवं उचित' स्थिति निश्चित करने हेतु सम्यक जांच की प्रक्रिया संचालित करने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांकित 01.11.2007 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देशों दिनांकित 02 अगस्त 2019 तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 16.09.2019 को आयोजित अपनी बैठक की संसूचना दिनांक 30 अगस्त 2019 के अनुसार पीएसबी अभिशासन सुधार-बोर्ड समिति प्रणाली के सुदृढीकरण के भाग के रूप में नामांकन एवं पारितोषिक समिति (पूर्ववर्ती नामांकन समिति) का पुनर्गठन हुआ. दिनांक 31.03.2020 को श्री के.श्रीनिवास मूर्ति, सनदी लेखाकार प्रवर्ग निदेशक समिति के पात्र सदस्य हैं.

**4.13 आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति (आईसीएएपी समिति)**

बैंकिंग प्रणाली की सुदृढता और स्थायित्व को मज़बूत करने के लक्ष्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल I प्रथाओं में सुधार लाने की दृष्टि से बेसल II और बेसल III द्वारा शुरू किए गए नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे की तर्ज पर दिशानिर्देश बनाए हैं. उक्त नीति के लक्ष्य हैं भारिबैं के दिशानिर्देशों, बासेल दिशानिर्देशों तथा समग्र कार्पोरेट अभिशासन

सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक पूँजी का प्रबंधन करना, बैंक के कारोबार व संचालन में अंतर्निहित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन करने, मापने और समेकन करने की प्रक्रिया निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध पूँजी बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करना कि आईसीएएपी को सुकर बनाने हेतु भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो.

समिति में सदस्य हैं अर्थात श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री बिरुपाक्ष मिश्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री के.श्रीनिवास मूर्ति, निदेशक, बोर्ड के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में. बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक ऋण प्रभाग के प्रभारी महाप्रबंधक, महाप्रबंधक -वित्तीय प्रबंधन प्रभाग, महाप्रबंधक- एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग और महाप्रबंधक- ट्रेज़री एवं निवेश विभाग भी समिति की बैठकों में भाग लेते हैं. श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं.

## 4.14 मानव संसाधन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की संसूचना दिनांकित 21.03.2012 के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार यूनियनों/एसोसिएशनों और प्रबंधन के बीच विचारों के आदान-प्रदान हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 26.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति गठित की है.

श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी , श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री आलोक तिवारी, भारत सरकार नामिती निदेशक(दिनांक 05.03.2020 से श्री मनीष गुप्ता के स्थान पर), तथा श्री प्रमोद कुमार पांडा , भारिबैं नामिती निदेशक ( दिनांक 26.04.2019 से) उक्त समिति के सदस्य हैं. श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं.

## 4.15 प्रतिभूति आबंटन समिति

बासेल III के अंतर्गत बैंक की पूँजी अपेक्षा पूरी करने के लिए बैंक को भविष्य में हर वर्ष आवश्यकता के आधार पर शेयरों तथा/अथवा बाँडों को जारी करते हुए पूँजी जुटानी पड़ सकती है. अत: बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 11 नवंबर 2013 को ऐसे मामलों में ईक्विटी शेयरों/ बांडों के आबंटन पर विचार करने के लिए बोर्ड की प्रतिभूति आबंटन 'समिति' नाम की एक समिति गठित की. यह समिति स्थाई प्रकृति की है और निदेशक मंडल के निदेशों के अनुसार कार्य करेगी. समिति के सदस्य हैं; श्री बिरुपाक्ष मिश्रा- बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री के. श्रीनिवास मूर्ति ,सनदी लेखाकार निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन तथा सुश्री चित्रा गौरी लाल, शेयरधारक निदेशक . रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, कार्यपालक निदेशक ने समिति की बैठकों की अध्यक्षता की.

## 4.16 वसूली निगरानी समिति

वसूली हेतु सुदृढ़ निगरानी तंत्र के लिए वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी संसूचना दिनांक 21.11.2012 द्वारा नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की एक समिति गठित करने और मासिक आधार पर उसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने को सूचित किया. समिति के गठन का अनुमोदन निदेशक मंडल की 26.11.2012 को आयोजित बैठक में किया गया था. समिति में 3 निदेशक हैं अर्थात् श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा श्री बिरुपाक्ष मिश्रा, बैंक के कार्यपालक निदेशक और श्री आलोक तिवारी (दिनांक 05.03.2020 से पूर्ववर्ती श्री मनीष गुप्ता), सरकार नामिति निदेशक. श्रीमती पी वी भारती, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं.

## 4.17 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति

इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं को वर्गीकृत करने हेतु पारदर्शी प्रणाली लागू करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं को पहचानने वाली कार्यपालक समिति के आदेशों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन निदेशक मंडल कार्यवृत्त सं. 75 दिनांकित 25.06.2015 के जरिए किया गया. समिति में 3 सदस्य हैं, अर्थात्, श्रीमती पी वी भारती,प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी , श्री के.श्रीनिवास मूर्ति सनदी लेखाकार निदेशक तथा श्री प्रदीप कुमार जैन (शेयर धारक निदेशक ).

## 4.18 शाखाओं में डिजिटल भुगतान के प्रचार एवं कारोबार वृद्धि हेतु बोर्ड की उप समिति

बोर्ड मिनिट सं.33 दिनांकित 11.09.2017 के जरिए शाखाओं की कारोबार वृद्धि की निगरानी के लिए बोर्ड की उप समिति का नाम समिति के डिजिटल भुगतान प्रक्रिया की बढ़ोतरी को शामिल करते हुए शाखाओं में डिजिटल भुगतान के प्रचार एवं कारोबार वृद्धि हेतु बोर्ड की उप समिति के रूप में संशोधित किया गया हैं ,क्योंकि भारत सरकार ने अपनी संसूचना दिनांकित 05.07.2017 के जरिए यह निर्देशित किया है कि बैंक के बोर्ड को इस तरह की समिति रखनी चाहिए . नई शाखाओं के निष्पादन की समीक्षा तथा कासा की वृद्धि की निगरानी के अतिरिक्त,यह उप समिति डिजिटल भुगतान की बढ़ोतरी की भी समीक्षा करेगी साथ ही साइबर सुरक्षा नीति से संबंधित मामलों की भी, क्योंकि बोर्ड कार्यवृत संख्या 37, दिनांकित 29.06.2018 के अनुसार भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक भी इस समिति के सदस्य होते है. इस समिति में 3 सदस्य हैं अर्थात् श्री आलोक तिवारी (दिनांक 05.03.2020 से पूर्ववर्ती श्री मनीष गुप्ता), सरकार नामिति निदेशक, श्री प्रदीप कुमार जैन,निदेशक और सुश्री चित्रा गौरी लाल, निदेशक. समिति के बैठकों की अध्यक्षता भारत सरकार नामिति निदेशक द्वारा की जाती हैं.

## 4.19 बोर्ड की निष्पादन मूल्यांकन समिति:

बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन समिति का गठन वित्त दिशानिर्देशों के

मंत्रालय की संसूचना F.No. 9/5/2009-IR दिनांक 30.08.2019 और F.No. 9/512009-IR दिनांक 14.11.19 के दिशा-निर्देश के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सीईओ, कार्यकारी निदेशकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के महाप्रबंधकों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs) की रिकॉर्डिंग के लिए बोर्ड कार्यवृत्त संख्या 20 दिनांक 24.12.2019 के माध्यम से किया गया था. समिति में 3 सदस्य शामिल हैं, श्री आलोक तिवारी, सरकार के नामित निदेशक (05.03.2020 से पूर्ववर्ती श्री मनीष गुप्ता), श्री के. श्रीनिवास मूर्ति, निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते और सुश्री चित्रा गौरी लाल, निदेशक बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवारत होने के नाते .

**4.20 अन्य समितियाँ**

निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की अन्य उप समितियां (i) गैर सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति, (ii) शेयरधारक निदेशकों हेतु वोटिंग हेतु समिति, (iii) कारोबार/प्रबंधन/परिचालनगत सलाहकार के चयन हेतु समिति, (iv) महा प्रबंधको के मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा हेतु समिति (एपीएआर समिति) और ( v) महा प्रबंधकों हेतु प्रमुख दंड हेतु नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा हेतु अपील समिति ( अपील समिति बोर्ड कार्यवृत्त संख्या 18 दिनांकित 30.05.2019 के द्वारा पुनर्गठित) एवं (vi) 30 वर्षों की सेवा पूरी करने वाली अधिकारियों की बाध्यकारी सेवानिवृति के मामलों को देखने के लिए एक विशेष समिति भी बनाई गई है. आवश्यकता के आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं.

**5. निदेशकों को पारिश्रमिक**

**5.1** भारत सरकार नामिती निदेशक और भा.रि.बैंक नामिती निदेशक को छोडकर गैर-कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड व समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

**5.2** वर्ष 2019-20 हेतु बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को नियुक्ति की निर्धारित शर्तों तथा केंद्र सरकार द्वारा तैयार निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अनुसार प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत् हैं.

(₹ में)

| विवरण | श्रीमती पी वी भारती, प्रनि एवं मुकाअ | गोपाल मुरली भगत, का.नि. | विरुपाक्ष मिश्रा, का.नि. |
|---|---|---|---|
| वेतन | 1,77,67,503.28 | 1,20,76,949.10 | 25,48,674.00 |
| पीएफ में योगदान | 2,52,060.00 | 91,614.00 | 2,20,170.00 |
| कर्मचारीस्टॉक खरीद योजना पर परिलब्धि मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन | शून्य | शून्य | शून्य |
| कुल | 1,80,19,563.28 | 1,21,68,563.10 | 27,68,844.00 |

**6.** सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और आवश्यक प्रकटन), विनियम, 2015 से विनियम 17 से 27 के अनुसार वर्ष 2018-19 हेतु बैंक में कार्पोरेट अभिशासन के संबंध में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

**7. महासभा**

7.1 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, महासभा में शेयरधारक तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदन करने तथा अपनाने के लिए पात्र हैं.

**7.2 पिछली तीन वार्षिक महासभा के विवरण:**

| वित्त वर्ष | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| वार्षिक महासभा का समय और दिनांक | 28.06.2017 समय 10.30 पूर्वाहन | 29.06.2018 समय 10.30 पूर्वाहन | 29.06.2019 समय 10.30 पूर्वाहन |
| स्थान | बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर | बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर | बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर |
| पारित विशेष संकल्प | एक | एक | एक |

**7.3 असाधारण महासभा**

बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा वित्त 2019-20 के दौरान वर्ष आयोजित नहीं की गई.

विशेष संकल्पों को पारित करने के लिए डाक मतपत्र आयोजित नहीं किया गया था.

**7.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र**

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) तहत सीईओ तथा सीएफओ का अनुपालन प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है तथा एक प्रति कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है.

**8. महत्वपूर्ण प्रकटन**

**8.1** प्रबंधन (निदेशक मंडल के रूप में परिभाषित) के महत्वपूर्ण, वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेनों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिसके बैंक के हितों से विरोध की संभावना हो तो उसकी निदेशक मंडल को समय-समय पर सूचना दी गयी है.

**8.2** बैंक ने पूँजी बाजार से संबद्ध मामलों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और गत तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक की न तो निंदा की गई न बैंक पर कोई जुर्माना लगाया गया. किसी भी कार्मिक को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से मना नहीं किया गया है. बैंक ने 2019-20 में सांविधिक समयावधि के भीतर वार्षिक महासभा आयोजित की है .

बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू सीमा तक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुसरण किया है.

**9. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य अपेक्षाएँ**

**9.1** बैंक ने सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और आवश्यक प्रकटन) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 में प्रदत्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

**9.2** गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की सीमा का विवरण निम्नवत् है:

| | अपेक्षा | अनुपालन |
|---|---|---|
| **9.2.1** | **निदेशक मंडल** - गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय के लिए पात्र हों तथा अपने कर्तव्य के निष्पादन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए भी उन्हें अनुमति दी जाए. | बैंक को लागू नहीं है. |
| **9.2.2** | **शेयरधारक अधिकार** - पिछले छ: माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए. | इसे बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाईट www.bseindia.com, www.nseindia.com में अपलोड किया गया है तथा वर्ष में एक बार पूरा तुलन पत्र सहित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है. . |
| **9.2.3** | **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत** - बैंक गैर संशोधित लेखा परीक्षा विकल्प के साथ वित्तीय विवरणों की प्रणाली अपना सकता है. | प्रबंधन इन दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु प्रयासरत है. 2018-19 हेतु वित्तीय विवरणों पर लेखा परिक्षा रिपोर्ट में गैर संशोधित लेखा परीक्षा विकल्प है. |
| **9.2.4** | **आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा-परीक्षक निदेशक-मंडल की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं. | निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सूचना एवं उपयुक्त निदेशों हेतु बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है. एसीबी के निदेशों का तुरंत अनुपालन किया जाता है और एसीबी को प्रतिसूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है. |

**10. आचार संहिता**

निदेशक मंडल द्वारा 17.12.2005 को आचार संहिता तैयार की गई. यह पुष्टि की जाती है कि वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल के सदस्यों तथा बैंक के महा प्रबंधकों द्वारा इनका अनुपालन किया गया. इस रिपोर्ट के अंत में इस आशय की घोषणा संलग्न है.

**11. संसूचना के माध्यम**

**11.1** त्रैमासिक वित्तीय परिणाम निर्धारित समय के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं. इसके अतिरिक्त, त्रैमासिक वित्तीय परिणाम कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र और मंगलूर के एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्र में भी प्रकाशित किए गए हैं.

वर्ष 2019-20 के दौरान त्रैमासिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में निम्नानुसार प्रकाशित किए गए:

| **समाप्त तिमाही/बोर्ड के बैठक की तिथि** | अंग्रेजी / क्षेत्रीय दैनिक का नाम | प्रकाशन की तिथि |
|---|---|---|
| मार्च 2019/17.05.2019 | उदयवाणी, बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी ) एवं बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी ) | 18.05.2019 |
| जून 2019/ 03.08.2019 | उदयवाणी, बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी ) एवं बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी ) | 04.08.2019 एवं 05.08.2019 |
| सितंबर 2019 / 06.11.2019 | उदयवाणी, बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी ) एवं बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी ) | 07.11.2019 |
| दिसंबर 2019 / 07.02.2020 | विजयवाणी, बिजनेस लाइन (अंग्रेजी), टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी), फाइनांसियल एक्स्प्रेस एवं जनसत्ता (हिन्दी) | 08.02.2020 |

11.2 वित्तीय परिणाम, बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, विश्लेषकों को किया गया प्रस्तुतीकरण, सामान्य शेयरधारक सूचना, बाजार मूल्य डाटा, शेयर धारिता पैटर्न आदि बैंक की वेबसाइट (www.corpbank.com) में भी दिये जाते हैं.

11.3 वर्ष 2018-19 के दौरान नामिती/नियुक्त निदेशक तथा वर्तमान निदेशकों का एक संक्षिप्त परिचय इस रिपोर्ट के साथ पैरा सं. 3.9 में संलग्न है.

**12. सामान्य शेयरधारक सूचना**

12.1 वार्षिक महासभा के विवरण: लागू नहीं

**12.2 सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक कूट:**

| **क्र. सं.** | **स्टॉक एक्सचेंज** | **स्टॉक कूट** | **थोक कर्ज सूचीकरण कूट** |
|---|---|---|---|
| 1. | मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई), प्रथम तल, न्यू ट्रेडिंग रिंग रोतुन्डा बिल्डिंग, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 001 | 532179 | शून्य (सूचीबद्ध नहीं) |

| क्र. सं. | स्टॉक एक्सचेंज | स्टॉक कूट | थोक कर्ज सूचीकरण कूट |
|---|---|---|---|
| 2. | नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाज़ा, 5वाँ तल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई- 400 051 | CORP BANK | प्रतिभूति प्रकार: BB प्रतिभूति: CORB |

आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सूचीकरण शुल्क उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों को तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण सूचीकरण शुल्क भी 26.04.2019 को विप्रेषित कर दिया गया है.

12.3 बैंक का वित्तीय कैलेंडर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 माह की अवधि का है.

**12.3.1 वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:**

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही | | | वर्ष समाप्त | | वर्ष समाप्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित) | 31.12.2019 (समीक्षित) | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित समेकित | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित समेकित |
| 1 | अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ) | 402533.47 | 415243.65 | 364337.13 | 1617057.94 | 1562263.03 | 1617058.88 | 1562265.40 |
| | (क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा | 260769.73 | 275963.56 | 253823.59 | 1072146.80 | 1099259.45 | 1072147.74 | 1099261.82 |
| | (ख) निवेशों पर आय | 116904.30 | 109631.70 | 99764.51 | 444307.04 | 412020.01 | 444307.04 | 412020.01 |
| | (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | 151.11 | 603.67 | 885.93 | 1788.73 | 2285.31 | 1788.73 | 2285.31 |
| | (घ) अन्य | 24708.33 | 29044.72 | 9863.10 | 98815.37 | 48698.26 | 98815.37 | 48698.26 |
| 2 | अन्य आय | 71390.37 | 189724.20 | 54428.45 | 374919.96 | 187206.87 | 375013.41 | 188143.59 |
| 3 | कुल आय (1+2) | 473923.84 | 604967.85 | 418765.58 | 1991977.90 | 1749469.90 | 1992072.29 | 1750408.99 |
| 4 | व्यय किया गया ब्याज | 280542.02 | 277697.59 | 245974.91 | 1094209.52 | 1011416.60 | 1094141.96 | 1011391.23 |
| 5 | परिचालन व्यय (i) + (ii) | 203792.13 | 123749.51 | 103413.81 | 517519.16 | 348606.81 | 517628.06 | 348702.71 |
| | (i) कर्मचारी लागत | 154389.88 | 79034.30 | 48572.30 | 337269.98 | 174694.71 | 337335.69 | 174747.00 |
| | (ii) अन्य परिचालन व्यय | 49402.25 | 44715.21 | 54841.51 | 180249.18 | 173912.10 | 180292.37 | 173955.71 |
| | (ब्याज को छोडकर कुल व्यय के 10% से अधिक सभी मदों को अलग से दर्शाया जाए) | | | | | | | |
| 6 | कुल व्यय (4+5) (प्रावधानों और आकस्मिकताओं को छोडकर) | 484334.15 | 401447.10 | 349388.72 | 1611728.68 | 1360023.41 | 1611770.02 | 1360093.94 |
| 7 | प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व परिचालन लाभ (3-6) | -10410.31 | 203520.75 | 69376.86 | 380249.22 | 389446.49 | 380302.27 | 390315.05 |
| 8 | प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकताएं | 71659.51 | 131257.34 | 876777.29 | 354815.84 | 1194315.02 | 355250.70 | 1194315.02 |
| | जिनमें से एनपीए हेतु प्रावधान | 60506.04 | 130035.12 | 850587.16 | 327948.87 | 1158513.72 | 327948.87 | 1158513.72 |
| 9 | असाधारण मदें | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | कर से पूर्व सामान्य क्रियाकलापों से लाभ (+)/ हानि (-) (7-8-9) | -82069.82 | 72263.41 | -807400.43 | 25433.38 | -804868.53 | 25051.57 | -803999.97 |
| 11 | कर व्यय | 222461.23 | 30195.74 | -149251.24 | 264592.77 | -171570.23 | 264592.77 | -171470.08 |
| 12 | कर से पूर्व सामान्य क्रियाकलापों से निवल लाभ (10-11) | -304531.05 | 42067.67 | -658149.19 | -239159.39 | -633298.30 | -239541.20 | -632529.89 |
| 13 | असाधारण मदें (कर व्ययों का निवल) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही | | | वर्ष समाप्त | | वर्ष समाप्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित) | 31.12.2019 (समीक्षित) | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित समेकित | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित समेकित |
| 14 | अवधि हेतु निवल लाभ (+)/ हानि (-) (12-13) | -304531.05 | 42067.67 | -658149.19 | -239159.39 | -633298.30 | -239541.20 | -632529.89 |
| 15 | प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य रु.2 है) | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 |
| 16 | पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को छोडकर आरक्षित निधियां (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार) | 1167216.19 | 0 | 1446384.50 | 1167216.19 | 1446384.50 | 1171799.42 | 1451349.56 |
| 17 | विश्लेषणात्मक अनुपात | | | | | | | |
| | (i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत | 9.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% |
| | (ii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात | - | - | | - | | - | |
| | बेसेल III | 11.53% | 13.80% | 12.30% | 11.53% | 12.30% | NA | NA |
| | टियर I | 9.04% | 11.42% | 10.52% | 9.04% | 10.52% | NA | NA |
| | टियर II | 2.49% | 2.38% | 1.78% | 2.49% | 1.78% | NA | NA |
| | (iii) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रु.) | - | - | | - | | - | |
| | क) इस अवधि हेतु, चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के लिए असाधारण मदों (कर व्ययों का निवल) से पहले मलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) | -5.08 | 70 | -25.27 | -3.99 | -30.06 | -4.00 | -30.03 |
| | ख) इस अवधि हेतु, चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के लिए असाधारण मदों (कर व्ययों का निवल) के बाद मलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) | -5.08 | 70 | -25.27 | -3.99 | -30.06 | -4.00 | -30.03 |
| | (iv) एनपीए अनुपात | - | - | | - | | - | |
| | (क) सकल एनपीए | 1939901.82 | 1955716.36 | 2072367.87 | 1939901.81 | 2072367.87 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | (ख) निवल एनपीए | 625697.13 | 632181.33 | 692663.86 | 625697.13 | 692663.86 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | (ग) सकल एनपीए का % | 13.80% | 14.80% | 15.35 | 13.80 | 15.35 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | (ग) निवल एनपीएस का % | 4.91% | 5.32% | 5.71 | 4.91 | 5.71 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | (घ) आस्तियों पर प्रतिलाभ (वार्षिकीकृत नहीं) | -5.41% | 77% | -13.02 | -1.13 | -3.14 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 18 | सार्वजनिक शेयरधारिता | | | | | | | |
| | शेयरों की संख्या (लाख में) | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 |
| | शेयरधारिता का प्रतिशत | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
| 19 | प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता | | | | | | | |
| | (क) गिरवीकृत/ भारग्रस्त | | | | | | | |
| | शेयर की संख्या | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | शेयर का प्रतिशत (प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह के शेयरधारिता के कुल के % के रुप में | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | शेयर का प्रतिशत (कंपनी के कुल शेयर पूंजी के % के रुप में) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) भार रहित | | | | | | | |

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही | | | वर्ष समाप्त | | वर्ष समाप्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित) | 31.12.2019 (समीक्षित) | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित) | 31.03.2020 (लेखा परीक्षित समेकित | 31.03.2019 (लेखा परीक्षित समेकित |
| | शेयरों की संख्या (लाख में) | 59941.84 | | 59941.84 | | 59941.84 | | 59941.84 |
| | शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के % के रुप में) | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | शेयरों का प्रतिशत (कंपनी के कुल शेयर पूंजी के % के रुप में) | 93.50% | | 93.50% | | 93.50% | | 93.50% |

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लि. सहित समेकित वित्तीय विवरण.

**12.4** स्टॉक मार्केट डाटा - वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक अधिकतम और न्यूनतम दर निम्नानुसार है:

| माह | एनएसई | | | बीएसई | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अधिकतम (₹) | न्यूनतम (₹) | माह के दौरान मात्रा (सं) | अधिकतम (₹) | न्यूनतम (₹) | माह के दौरान मात्रा (सं) |
| अप्रैल | 29.85 | 27.40 | 8806090 | 29.95 | 27.30 | 588089 |
| मई | 27.00 | 24.05 | 4197317 | 27.15 | 24.05 | 616728 |
| जून | 25.30 | 22.60 | 4585213 | 25.30 | 22.60 | 323899 |
| जुलाई | 28.35 | 22.65 | 8677496 | 28.35 | 22.65 | 835538 |
| अगस्त | 22.15 | 17.20 | 6008229 | 22.15 | 17.30 | 500118 |
| सितंबर | 18.30 | 15.10 | 8068841 | 18.30 | 15.10 | 588183 |
| अक्तूबर | 16.30 | 13.75 | 3904460 | 16.25 | 13.75 | 1886057 |
| नवंबर | 27.65 | 15.75 | 71836110 | 27.70 | 15.70 | 7442473 |
| दिसंबर | 26.30 | 23.40 | 38625284 | 26.35 | 23.35 | 3377601 |
| जनवरी | 26.20 | 22.25 | 13439088 | | | |
| फरवरी | 27.20 | 16.30 | 18289240 | | | |
| मार्च | 19.35 | 9.50 | 16345642 | | | |

**12.5 प्रति शेयर आंकड़े**

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| अंकित मूल्य (₹) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बाजार दर (₹) | 38.95 | 52.65 | 30.65 | 28.75 | 9.80# |
| प्रत्येक ₹ 2 का प्रति शेयर अर्जन (₹) | -5.48 | 5.17 | -35.30 | -30.06 | -3.99 |
| प्रत्येक ₹10 का प्रति शेयर लाभांश (₹)<br>विभक्ति पर ₹2 का प्रतिशेयर लाभांश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बही मूल्य (₹) | 110.94* | 110.82* | 65.12* | 27.63* | 22.94* |
| लाभांश अदायगी (%) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

* ईक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 22.01.2015 से रु.10 से रु.2 तक विभक्त हुआ.

* रु. 2 प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर

* विव 2019-20 की बाजार निविदा 19.03.2020 की है. (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 01.04.2020 से प्रभावी समामेलन के कारण स्टॉक एक्स्चेंज में आखिरी व्यापार दिवस)

**12.6 शेयर अंतरण एजेंट**

मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि.(पहले कंप्यूटर शेयर प्राइवेट.लि. था), हैदराबाद बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं, जिन्हें पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन, एनएसीएस अधिदेश (कागजी शेयरों के मामले में), शेयरों के अंतरण इत्यादि के बारे में संसूचनाएं भेजी जा सकती हैं. शेयर अंतरण एजेंट का पता निम्नानुसार है:

मेसर्स के फिन प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: कार्पोरेशन बैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट सं.31-32, गचिबोवली,
फायनांसियल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032
(दूरभाष: 040-67162222: फैक्स: 040-23001153)
टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001
**(ई-मेल: einward.ris@karvy.com)**

**12.7 शेयर अंतरण प्रणाली**

**12.7.1** बैंक के ईक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामलों के निपटान के अधिकार के साथ 27 मार्च, 2004 से निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की गई. शेयरों का त्वरित अंतरण करने, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने तथा रिमेटिरियलाज़ेशन करने हेतु उक्त समिति बारंबार अंतरालों में बैठकें करती रही है और यह इस संबंध में बोर्ड को सूचना प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है . वर्ष 2019-20 के दौरान शेयर अंतरण समिति की बैठक में समिति द्वारा 11 बार शेयर अंतरण का अनुमोदन किया गया तथा परिपत्र संकल्प के जरिए 8 अवसरों पर किया गया.

**12.7.2** वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए शेयर अंतरणों की संख्या 24505 है और 31 मार्च, 2020 को कोई शेयर अंतरण लंबित नहीं है.

**12.7.3 स्थाई खाता संख्या (पैन)** सेबी के निदेशों के अनुसार, कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेनदेन करने के लिए अंतरिती द्वारा पैन कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना है:- शेयरों का अंतरण, मृत शेयरधारक (कों) के नाम का निरसन, कानूनी वारिसों को शेयरों का उत्तराधिकार अंतरण और शेयरों का क्रम परिवर्तन - जब नाम के क्रम में कोई परिवर्तन हो, आदि.

**12.7.4 कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सजगता पहल:**

कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सजगता पहल के तहत, बैंक सभी सूचनाओं और वार्षिक महासभा एवं अन्य महा सभा की सूचना, उसके व्याख्यात्मक विवरण, वार्षिक रिपोर्टें, तुलन-पत्र, निदेशकों की रिपोर्टें, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और पते में परिवर्तन, एनएसीएस के जरिए लाभांश के भुगतान की सूचना, शेयरों के अंतरण की सूचना आदि सहित अन्य शेयरधारक संसूचनाएं शेयरधारकों द्वारा यथास्थिति बैंक से या डिपॉज़िटरियों से पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजता रहा है. **शेयरधारकों से एतद् द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी ई-मेल आईडी को अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या मेसर्स कार्वी फिनटेक प्रा.लि., जो बैंक का रजिस्ट्रार है, से पंजीकृत/अद्यतन करवाएं ताकि बैंक इस हरित पहल में सहभागी हो सके.**

जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते नहीं दिए/अद्यतन नहीं किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड के बजाय उसकी मुद्रित प्रतियाँ (हार्ड कॉपी) प्राप्त करना चाहते हैं/करने का अनुरोध करते हैं, उन्हें संसूचनाओं/सूचनाओं और अन्य दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपियाँ ही भेजी जाएंगी. जिन शेयरधारकों को ई-मेल से भेजी वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट कॉपियाँ वापस आती हैं, उन्हें हार्ड कॉपियाँ भेजना भी सुनिश्चित किया जाता है.

**शेयर धारकों से यह भी अनुरोध है कि वे अपना संपर्क विवरण जैसे फोन/ मोबाईल संख्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ बैंक के रजिस्ट्रार को सूचित करें ताकि बैंक जरूरत के समय उनसे संपर्क कर सकें.**

**12.8 शेयर-धारिता का संवितरण**

12.8.1 31.03.2018 की स्थिति की तुलना में 31.03.2019 को शेयर धारिता का संवितरण:

| धारित ईक्विटी शेयर | 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (अं.मू ₹ 2/-) | | | | 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (अं.मू ₹ 2/-) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयर धारकों की सं. | कुल का % | शेयरों की सं. | कुल का % | शेयर धारकों की सं. | कुल का % | शेयरों की सं. | कुल का % |
| 5000 तक | 93,467 | 94.43 | 5,46,64,923 | 0.91 | 80778 | 89.68 | 35218860 | 0.59 |
| 5001 से 10000 | 4,531 | 4.58 | 3,96,59,154 | 0.66 | 3697 | 4.10 | 15141227 | 0.25 |
| 10001 से 20000 | 663 | 0.67 | 82,40,237 | 0.14 | 4602 | 5.11 | 40527685 | 0.68 |
| 20001 से 30000 | 113 | 0.11 | 28,60,837 | 0.05 | 548 | 0.61 | 6139573 | 0.10 |
| 30001 से 40000 | 49 | 0.05 | 17,35,940 | 0.03 | 115 | 0.13 | 2048291 | 0.03 |
| 40001 से 50000 | 34 | 0.03 | 15,32,553 | 0.02 | 75 | 0.08 | 1703731 | 0.03 |

| धारित ईक्विटी शेयर | 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (अं.मू ₹ 2/-) | | | | 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (अं.मू ₹ 2/-) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयर धारकों की सं. | कुल का % | शेयरों की सं. | कुल का % | शेयर धारकों की सं. | कुल का % | शेयरों की सं. | कुल का % |
| 50001 से 100000 | 58 | 0.06 | 41,41,174 | 0.07 | 125 | 0.14 | 4308152 | 0.07 |
| 100001 व अधिक | 64 | 0.07 | 5,88,13,49,216 | 98.12 | 131 | 0.15 | 5889096515 | 98.25 |
| **कुल** | **98,979** | **100.00** | **599,41,84,034** | **100.00** | **90071** | **100.00** | **5994184034** | **100.00** |

**12.8.2 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न**

| क्र. सं. | शेयरधारकों का प्रवर्ग | धारित शेयरों की सं. | | | कुल धारिता का % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कागज़ी | डीमैट | कुल | |
| 1. | भारत के राष्ट्रपति | 0 | 5604799271 | 5604799271 | 93.50 |
| 2. | भारतीय जीवन बीमा निगम | 0 | 216948648 | 216948648 | 3.62 |
| 3. | भारतीय वित्तीय संस्थाएं | 0 | 9033695 | 9033695 | 0.15 |
| 4. | म्यूचुअल फंड और यूटीआई | 500 | 21162825 | 21163325 | 0.35 |
| 5. | निगमित निकाय (आईसीबी) | 60500 | 6820090 | 6880590 | 0.12 |
| 6. | बैंक | 1000 | 599846 | 600846 | 0.01 |
| 7. | विदेशी संस्थागत निवेशक | 5500 | 20655700 | 20661200 | 0.35 |
| 8. | ओसीबी | 25500 | 0 | 25500 | 0.00 |
| 9. | एनआरआई | 294500 | 2308157 | 2602657 | 0.04 |
| 10. | निवासी व्यक्ति | 2620712 | 108847590 | 111468302 | 1.86 |
| | **योग** | **3008212** | **5991175822** | **5994184034** | **100** |

12.8.3 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी शेयरधारिता (अनिवासी भारतीय, ओसीबी और एफआईआई) 0.36% रही, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के भीतर है.

| क्र. सं. | प्रवर्ग | यथा 31.03.2020 (अंकित मूल्य रु.2/- ) | | यथा 31.03.2019 (अंकित मूल्य रु.2/-) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कुल पूँजी का % | शेयरों की सं. | कुल पूँजी का % |
| 1. | विदेशी संस्थागत निवेशक | 2,06,61,200 | 0.35 | 18127737 | 0.30 |
| 2. | ओसीबी | 25,500 | 0.00 | 25500 | 0.00 |
| 3. | एनआरआई | 26,02,657 | 0.04 | 2994680 | 0.05 |
| | **योग** | **2,32,89,357** | **0.39** | **21147917** | **0.35** |

12.8.4 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार बैंक के पाँच शीर्ष शेयरधारक

| क्र. सं | शेयरधारक के वर्ग | धारित शेयरों की सं. | कुल धारिता का % |
|---|---|---|---|
| 1. | भारत के राष्ट्रपति | 5604799271 | 93.50 |
| 2. | भारतीय जीवन बीमा निगम<br>(उसकी सहयोगी कंपनियों सहित) | 216948648 | 3.62 |
| 3. | एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी बेलेन्स एड्वान्टेज फंड | 19309833 | 0.32 |
| 4. | वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टोक इंडेक्स फंड | 5655429 | 0.09 |
| 5. | जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया | 5298050 | 0.09 |

**12.8.5 यथा 31 मार्च 2020 को कार्प बैंक अदावाकृत शेयर्स उचंत खाते में शेयरों की स्थिति :**

| शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|
| 30 | 19000 |

**12.8.6 यथा 31 मार्च 2020 को कार्प बैंक ईएसपीएस 2018 अदावाकृत शेयर्स उचंत खाते में शेयरों की स्थिति:**

| शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|
| 16 | 16350 |

**12.9 शेयरों का डीमैटिरियलाइज़ेशन एवं चलनिधि**

12.9.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र एसएमडीआरपी/पॉलिसी/परि-03/99 दिनांकित 4 फरवरी, 1999 के अनुसार 31 मई, 1999 से सभी निवेशकों के लिए बैंक के शेयरों की डिलिवरी डीमैट रूप में होना अनिवार्य कर दिया गया है. अत: बैंक के शेयर लेनदेन अनिवार्यत: डीमैट रूप में ही होते हैं. जारीकर्ता के रूप में बैंक के शेयरों को डीमैट करने हेतु दोनों डिपॉज़िटरों अर्थात् नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़िटरीज लि. और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. के साथ करार किए हैं. बैंक के ईक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कूट INE112A01023 है.

**12.9.2 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार जनता (भारत सरकार, अर्थात् प्रवर्तक सहित) द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों के 99.95 % डीमैट रूप में हैं.**

12.10 पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा घोषित लाभांश के विवरण निम्नानुसार है:

| वर्ष | रु. 2 के प्रति शेयर लाभांश की राशि | रिकार्ड/ बही बंदी के दिनांक | लाभांश अदायगी दिनांक |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | शून्य | - | - |
| 2017-18 | शून्य | - | - |
| 2018-19 | शून्य | - | - |

**12.10.1 अदावाकृत लाभांश:** जिन शेयरधारकों को पिछले वर्षों (2015-16 से पहले) का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, वे सहायता हेतु बैंक के निवेशक सेवा विभाग या मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि., हैदराबाद से संपर्क करें.

**12.10.2** वर्ष के दौरान, निम्नवत एक अदावाकृत अंतिम लाभांश खाता संबंधी बकाये, जो भारत सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरण हेतु देय था, को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के साथ यथा पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 बी के प्रावधानों के अनुसार उल्लिखित तारीख को पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली- कनॉट सर्कस शाखा में रखे उक्त खाते में अंतरित किया गया है.

| क्र.सं. | अदावाकृत लाभांश खाते का विवरण | चालू खाता सं. | घोषणा की तारीख | अंतरण की तारीख पर शेष ₹ | आईईपीएफ को अंतरण की देय अंतिम तारीख | आईईपीएफ खाते को अंतरण की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अप्रदत्त लाभांश खाता -2011-12 | 510101000855005 | 29.06.2012 | 4163732.00 | 05.08.2019 | 05.08.2019 |

इन लाभांश वारंटों से संबंधित कोई भी दावा शेयरधारकों द्वारा बैंक या आईईपीएफ के साथ नहीं किया जा सकेगा.

**12.10.3** शेयरधारकों से आवधिक रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे आईईपीएफ खाते में अंतरण हेतु नियत होने वाले अदावाकृत लाभांश खातों के संबंध में अपना दावा फार्म काफी पहले ही प्रस्तुत करें. वित्त वर्ष 2011-12 के संबंध में अदावाकृत लाभांश खाते में अर्थात् निम्नलिखित तालिका में चालू खाता सं. 510101000855005 (क्र. सं. 1) से संबंधित शेषराशि 05.08.2019 को आईईपीएफ खाते में अंतरण हेतु नियत हो गई है. इसे तदनुसार आईईपीएफ खाते में अंतरित किया जाएगा. बाकी अदावाकृत लाभांश खातों की शेषराशि उनके सामने दर्शाइ गई उनकी नियत तारीखों के अनुसार निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जाएगी और उसके बाद शेयधारकों द्वारा बैंक से या आईईपीएफ से उक्त लाभांश के भुगतान हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा . इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अप्रदत्त लाभांश हेतु अपने दावे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., हैदराबाद को या कार्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा विभाग को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें.

31.03.2019 को बकाया शेष सहित अप्रदत्त लाभांश खातों की सूची निम्नवत है:

| क्र. सं. | अप्रदत्त लाभांश खातों के विवरण | सी.ए. खाता सं. | घोषणा का दिनांक | 31.03.2020 को शेष | आईइईपीएफ को अंतरण हेतु नियत तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अप्रदत्त लाभांश खाता - 2012-13 | 510101000855013 | 25.06.2013 | 4436578.00 | 31.07.2020 |
| 2. | अप्रदत्त लाभांश खाता - 2013-14 | 510101000855021 | 23.01.2014 | 1464278.00 | 01.03.2021 |
| 3. | अप्रदत्त अंतिम लाभांश खाता -2013-14 | 510101000855031 | 26.06.2014 | 804259.00 | 01.08.2021 |
| 4. | अप्रदत्त अंतिम लाभांश खाता-2014-15 | 510101000855048 | 29.06.2015 | 2433880.00 | 04.08.2022 |

12.11 सेबी ने बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे लाभांश का भुगतान करने हेतु डिपॉज़िटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण का उपयोग करें. उन्होंने सूचीबद्ध कंपनियों को यह भी अनिवार्य कर दिया है कि लाभांश के भुगतान हेतु वे ईसीएस, एनएसीएच, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित भुगतान विधियों का उपयोग करें और बैंक खाता विवरण, एमआईसीआर, आईएफएससी कूट आदि जैसी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न होने पर शेयर धारकों को ऐसे भुगतान करने हेतु कागज़ी भुगतान लिखतों का इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंक, निवेशकों को लाभांश, यदि कोई हो, वितरित करने हेतु भुगतान लिखत पर डिपॉज़िटरियों या शेयरधारकों द्वारा (यदि शेयर कागजी रूप में धारित हों तो) उपलब्ध कराए गए बैंक खाता विवरण को मुद्रित करेंगे.

**12.11.1** जिन शेयरधारकों ने बैंक अधिदेश या एनएसीएच विवरण नहीं दिया है/ बैंक अधिदेश विवरण में परिवर्तन सूचित नहीं किए हैं, वे लाभांश वारंटों की कपटपूर्ण भुनाई से बचने हेतु विवरण प्रस्तुत करें. बैंक अधिदेश प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

**12.11.2** कृपया नोट करें कि जो शेयरधारक कागज़ी रूप में शेयरों को धारित करते हैं वे रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु अपने बैंक अधिदेश विवरण बैंक के निवेशक सेवा विभाग/मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि., हैदराबाद को भेज सकते हैं. जो शेयरधारक डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में शेयर धारित करते हैं, वे विवरण को अद्यतन करने हेतु डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं.

**12.11.3 कागज़ी रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अंतरण, शेयर में ट्रेडिंग में सुविधा तथा कागज़ी शेयर प्रमाणपत्र के खोने/क्षतिग्रस्त होने/कटने-फटने आदि से बचने के लिए अपने शेयरों को डिमैटिरियलाइज करवाएं.**

**12.11.4 शेयरों का उत्तराधिकार अंतरण:** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र सीआईआर/एमआईआरएसडी3/ पी/2016/0000000085 दिनांक 15 सितंबर 2016 द्वारा उत्तराधिकार अंतरण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिक निवेशक हितैषी बनाने के उद्देश्य से आशोधित किया है. इससे संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर 'Investor Relations-Information ot Investors' के अंतर्गत उपलब्ध है.

**12.11.5 नामांकन सुविधा:** बैंक के शेयर कागज़ी रूप में रखने वाले शेयधारकों को बैंक ने अब नामांकन सुविधा उपलब्ध कराई है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए फार्मेट के अनुसार विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित नामांकन फार्म रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि., हैदराबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें.

**12.12 पत्राचार हेतु पता:** बैंक ने मंगलूरु में अपने कार्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा विभाग स्थापित किया है. शेयर अंतरण, उत्तरांतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश की अप्राप्ति, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति हेतु/प्रमाण पत्र खो जाने और शेयरों से संबंधित अन्य मामलों के लिए निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

**कंपनी सचिव**
निवेशक सेवा विभाग
कार्पोरेशन बैंक, कार्पोरेट कार्यालय
मंगलादेवी मंदिर मार्ग
मंगलूरु - 575 001
दूरभाष: 0824-2424971, 2423853 (सीधा) 2426416-420 (विस्तार 482)
फैक्स: 0824-2421581, 2423853
निवेशक शिकायतें - ई-मेल: isd@corpbank.co.in

12.13 कार्पोरेशन बैंक के शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीवद्ध किए गए हैं. बड़ी मात्रा में शेयरों के लेनदेन होने के कारण शेयरधारकों को खरीदने/ बेचने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं.

बैंक ने जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं.

12.14 बैंक की शाखाएँ पूरे भारत भर में हैं.

12.15 बैंक को प्राप्त क्रेडिट रेटिंग का विवरण:

| ब्यौरा | रेटिंग |
|---|---|
| दीर्घावधी जारीकर्ता रेटिंग | IND AA-/Rating Watch Evolving (Placed on Rating Watch Evolving from Stable Outlook) |

| | |
|---|---|
| बेसल III अनुसार टीयर II बांड | BWR AA/Credit Watch with Developing Implications (Placed on Credit Watch with Developing Implications) & IND AA-/Rating Watch Evolving (Placed on Rating Watch Evolving from Stable Outlook) |
| उच्च टीयर II बांड | CARE A+/ Credit watch with Developing Implications (Placed on Credit watch with Developing Implications) & CRISIL A+/ Rating Watch with Positive Implications (Placed on Rating Watch with Positive Implications) |
| सावधी जमा प्रोग्राम | FAA+/ Rating Watch with Positive Implications (Placed on Rating Watch with Positive Implications) |
| जमा प्रमाणपत्र | [ICRA] A1+ |

**13.** एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में कार्पोरेशन बैंक यह विश्वास करता है कि कार्पोरेट अभिशासन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना मात्र नहीं है बल्कि पारदर्शी एवं नैतिक तरीके से सभी शेयरधारकों एवं समग्र समाज के हित में उत्तम कार्य करना है.

**14. सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 का अनुपालन**

14.1 इन विनियमों के अनुसरण में, बैंक के शेयर के लेनदेन हेतु पदनामित कर्मचारियों तथा निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार के निवारण हेतु बैंक ने आचार संहिता बनाई है, जिसमें 29.06.2018 को अंतिम संशोधन किया गया था. इन विनियमों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों तथा निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न फार्म बनाए गए हैं. साथ ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक के निदेशकों तथा पदनामित कर्मचारियों हेतु बैंक के शेयरों के लेनदेन हेतु व्यापार विंडो बंद किया गया है:

| व्यापार विंडो बंद करने की तारीखें | बंद करने का उद्देश्य |
|---|---|
| 01 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 | 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही/वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 जुलाई 2019 से 5 अगस्त 2019 | 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 अक्तूबर 2019 से 8 नवंबर 2019 | 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 जनवरी 2020 से 09 फरवरी 2020 | 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा. |

14.2 बैंक ने आंतरिक व्यापार रोकथाम हेतु कार्पोरेट प्रकटन प्रणाली संहिता बनाई है और उसका अनुपालन किया है.

14.3 **संबंधित पार्टी लेनदेन नीति**

सेबी (सूची देयताएं और आवश्यक प्रकटन) विनियम, 2015 के अनुसार, संबंधित पार्टी लेनदेन नीति को बैंक के बेवसाईट www.corpbank.com पर 'Investor Relations' - 'Policies and Disclosures' के तहत अपलोड किया गया है. शेयरधारक और आम जनता की सूचना के लिए लिंक निम्नवत है:

https ://corpbank.com/node/134953

**14.4 अन्य वेबलिंक :**

क. स्वतंत्र निदेशकों हेतु आयोजित परिचय कार्यक्रम हेतु वेबलिंक निम्नवत् है :

https ://corpbank.com/node/134951

ख. भौतिक अनुषंगियों को निर्धारित करने हेतु नीति का वेबलिंक निम्नवत् है :

https ://corpbank.com/node/123908

ग. प्रमुख अनुषंगियों के लिए निर्धारण के लिए लाभांश वितरण नीति का वेबलिंक निम्नवत् है :

https ://corpbank.com/node/62173

ख. बैंक के अन्य नीतियों/प्रकटनों का वेबलिंक निम्नवत् है :

https ://corpbank.com/

15. **अधिग्रहण संहिता**

15.1 बैंक ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण तथा अधिग्रहण) अधिनियम 2011 के यथा संशोधित प्रावधानों का समय-समय पर अनुपालन किया है.

**16. अन्य प्रकटन:**

16.1 बैंक के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्टानुसार बैंक को लागू सीमा तक स्वतंत्रता की शर्त को पूरा करते हैं और वे बैंक के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

**16.2** पण्य कीमत और पण्य बचाव गतिविधियों का प्रकटन:

| पण्य का नाम | आईएनआर में एक्सपोज़र | पण्य शर्तो के अनुसार एक्सपोज़र | कमोडिटी डेरिवेटिव के द्वारा रक्षित एक्सपोज़र का % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | देशी मार्केट | | अंतर्राष्ट्रीय मार्केट | | कुल |
| | | | विनिमय | ओटीसी | विनिमय | ओटीसी | |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**16.3 2018-19 के दौरान जुटाई गयी निधि का उपयोग: अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने के लिए टीयर 1 पूंजी और बैंक की समग्र पूंजी में वृद्धि करने के मुख्य उद्देश्य और अपने दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए पूर्णत: उपयोग किया जाता है.**

**16.4 बैंक द्वारा अपने किसी भी निदेशक के गैर-अयोग्य / गैर-विचाराधीन होने के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है.**

**16.5 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक और उसकी अनुषंगी इकाईयों द्वारा भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नवत् हैं:**

| नाम | राशि (रु करोड़ में) |
|---|---|
| **कार्पोरेशन बैंक** | 21.14 |
| **कार्पबैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी )** | 0.01 |

**16.6** कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में के संबंध में प्रकटन

**क.** वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - शून्य

**ख.** वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या- शून्य

**ग.** वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या-शून्य

**17. कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट**

एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक अपने आप को उस सामाजिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है जिसमें वह कार्यरत है और इसलिए वह राजस्व एवं लाभप्रदता की दृष्टि से न केवल शेयरधारकों के प्रति बल्कि व्यापक समाज के प्रति भी उत्तरदायी है जिसका वह एक अंग है. इसलिए सामाजिक संरचना एवं परिवेश के हित में जिम्मेदार कारोबार प्रथाओं को अपनाने पर भी बैंक उतना ही महत्व देता है जितना कि वह अपने वित्तीय एवं परिचालनगत निष्पादन को देता है. सार्वजनिक धनराशि का लेनदेन करने के कारण बैंक के कार्य में जन-हित निहित है और इसलिए वह नियमित आधार पर पारिवेशिक, सामाजिक एवं शासकीय दृष्टि से उसके द्वारा उठाए गए कदमों के सतत प्रकटन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है. सेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 हेतु रिपोर्ट की प्रस्तुति को बैंक के लिए अनिवार्य किया है . बैंक की कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट देखने हेतु वेबलिंक www.corpbank.com/node/134952 है.

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**(राजकिरण रै जी.)**
**प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31.07.2020

## सीईओ व सीएफओ अनुपालन प्रमाण पत्र

**निदेशक मंडल**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कार्पोरेशन बैंक)**

सेबी (सूचीबद्धता देयताएं और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के तहत सीईओ व सीएफओ अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(क) हमने वर्ष 2019-20 हेतु पूर्व कार्पोरेशन बैंक के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारे अधिकतम ज्ञान व विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में केई तथ्यात्मक असत्य विवरण या कोई तथ्यपरक चूक या भ्रामक विवरण नहीं हैं.

(ii) इस के साथ ही ये विवरण बैंक के कार्यों की सही व उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानक, लागू विधियों तथा विनियमों के अनुसार हैं.

(ख) हमारे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसी कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हैं या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं.

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण कायम करने व बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभाविकेता का मूल्यांकन किया है तथा हमने आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा या परिचालन में यदि कोई कमी है जिनके बारे में हमें मालूम है, लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है तथा हमने इन कमियों को ठीक करने हेतु उपाय किए हैं या प्रस्तावित किए हैं.

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचित किया है:

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

(2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; तथा

(3) हमारी जानकारी में आए कपटों की महत्वपूर्ण घटनाएँ जिनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है.

(ङ) वित्तीय विवरणों की सांविधिक केद्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा भी लेखा-परीक्षा की गई है.

**(वी.मुत्तुकृष्णन )**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

**(बिरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(राजकिरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 जून, 2020

## कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कार्पोरेशन बैंक) के सदस्यगण,

हमने, सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और आवश्यक प्रकटन) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्टानुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [पूर्व कार्पोरेशन बैंक] बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन-वर्ग की है। हमारी जाँच, कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय, एवं सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सूचीबद्ध विनियम के विनियम 15 के उपबंध के साथ पठित उपरोक्त सूचीबद्ध विनियम में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि बैंक ( जोकि दिनांक 31 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो गया ) निदेशक मंडल को शेयरधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेख एवं बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंटों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभाविता जिससे प्रबंधन ने बैंक के क्रियाकलाप संचालित किए हैं ।

**कृते एस रामानंद अय्यर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000990N

**आर बालासुब्रमण्यम**
साझेदार
सदस्यता सं: 080432
यूडीआईएन :20080432AAAAHD1705

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जून 2020

## फॉर्म क्र. एमआर - 3
## सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
### 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/सीए?डी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के संबंध में]

प्रति,
सदस्य,

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक के लिए)**

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक (जिसे इसके बाद में 'बैंक' कहा जा रहा है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है. सचिवीय परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि हमें कॉरपोरेट संहिता/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो.

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृतों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमारे सत्यापन आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की पूरी अवधि के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृतों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है :

i. बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत बैंक पर लागू नियम

ii. प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए'), और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

iii. डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम एवं उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन; **(समीक्षा अवधि के लिए बैंक पर लागू नहीं)**

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश):-

  क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015;

  ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018;

  ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;

  घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018;

  च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;

  छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008;

  ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनिमय और प्रतिदेय अधिमान शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2013; **(समीक्षा अवधि के लिए बैंक पर लागू नहीं)**

  झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 ;

VI. बैंक पर निम्नानुसार अन्य नियम लागू है:

  (i) भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं एवं परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

  (ii) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 और उसके संशोधन

  (iii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1980

  (iv) कॉर्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

  (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक.

  (ii) बीएसई लि. (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा सूचीयन करार

समीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधान का अनुपालन किया है.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -**

पूर्वगामी के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के बदलाव में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई थी, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स न्यूनतम 7 दिन पूर्व ही भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक के निदेशक मण्डल की बैठक एवं संकल्प सहित निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे और कार्यवृत्तों की समीक्षा करते समय निदेशक मण्डल के किसी सदस्य द्वारा कोई असंतोषजनक विचार नहीं देखा गया था.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान,

(i) बैंक ने 30 सितंबर, 2019 को आयोजित बैठक में, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कॉर्पबैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (एक असूचीबद्ध संस्था) के बाय बैक प्रस्ताव को कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 25% तक स्वीकार किया.

(ii) बैंक ने बासल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड्स (सीरीज़ II) जारी कर रु 1000 करोड़ कुल ₹ 500 करोड़ रुपये तक ग्रीन शू ऑप्शन के साथ ₹ 500 करोड़ तक जमा किये हैं.

तदनुसार, बैंक के प्रतिभूति आवंटन समिति के बोर्ड ने 8 नवंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में संबंधित बांड निवेशकों को 8.93% प्रति वर्ष की दर से कूपन के साथ बांड आवंटित किए हैं.

(iii) (क) भारत सरकार ने 30 अगस्त, 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार समामेलित संस्थाओं में समामेलन करने की घोषणा की थी. तदनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक (अंतरक बैंक) को समर्थित किया गया.

इसके साथ ही, निदेशक मंडल ने 16 सितंबर, 2019 को हुई उनकी बैठक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन बैंक के सैद्धांतिक समामेलन की मंजूरी प्रदान की थी. इस कारण, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात, भारत सरकार ने दिनांक 4 मार्च, 2020 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया योजना, 2020 में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन को अधिसूचित किया. केंद्र सरकार द्वारा बदलते माहौल में अधिक कुशल और बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बनाने एवं बढ़ती अर्थव्यवस्था की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने और व्यापार के पैमाने पर परिचालन दक्षता को प्राप्त करने के लिए समामेलन को अनुमोदित किया गया है.

(ख) आंध्रा बैंक (''अंतरक बैंक-1'') कॉर्पोरेशन बैंक (''अंतरक बैंक-2'') एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अंतरिती बैंक) (सामूहिक, ''संबंधित बैंक'') के निदेशक मंडल ने 5 मार्च 2020 को हुई उनकी संबंधित बैठक में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना, 2020 में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन (''योजना'') के निर्देशित प्रक्रिया के अनुरूप इक्विटी शेयर एक्सचेंज (एसडब्लूएपी) को अग्रतर अनुमोदित किया और निम्नांकित वर्णित एक्सचेंज अनुपात को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया:

रिकॉर्ड तिथि पर कॉर्पोरेशन बैंक के ₹ 2 अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रत्येक ₹ 10 अंकित मूल्य के 330 इक्विटी शेयर

**कथित समामेलन 15 अप्रैल, 2020 को प्रभावी हो गया है और बैंक एक सूचीबद्ध इकाई नहीं रह गया है और इसलिए स्टॉक एक्सचेंज अनुपालन 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए.**

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने धारा 47 ए (1) (सी) के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51 (1) के साथ, संपत्ति के वर्गीकरण और नियत दस्तावेजों के संबंध में धोखाधडी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए बैंक पर ₹ 1.5 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) का जुर्माना लगाया है.

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तथा धोखाधडी वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग संबंधी दिशा - निर्देशों के विनियामक अनुपालन की कमी के लिए बैंक पर ₹ 1 करोड़ (एक करोड़ रूपये मात्र) का जुर्माना लगाया गया.

पुन: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधडी की सूचना देने में देरी के कारण बैंक पर ₹ 50 लाख रुपये का जुर्माना (पचास लाख रूपये मात्र) भी लगाया गया था.

(v) बैंक ने दिनांक 29 जून, 2019 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पास किया, ताकि देश और विदेश में पेशकश प्रलेख या विवरणिका या ऐसे अन्य दस्तावेजों के रूप में एक या अधिक प्रतियों में आबंटित किया जा सके:

(क) बैंक के ऐसे इक्विटी शेयरों की संख्या अंकित मूल्य **₹** 2 प्रत्येक नकद हेतु ( चाहे बाजार मूल्य या निर्गम मूल्य या आधार मूल्य के छूट या प्रीमियम पर) की संख्या जोकि विद्यमान प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के साथ कुल अधिकृत पूंजी **₹** 3000 करोड़ के अंदर होगी, अधिनियम की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की मौजूदा अधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा, या संशोधन (यदि कोई), जिसे भविष्य में अधिनियम में शामिल किया जा सके,के तहत बढ़ाई गई प्राधिकृत पूंजी, ऐसी स्थिति में हमेशा भारत सरकार की बैंक में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 51% से कम नहीं रहेगी;

(ख) स्थायी ऋण विलेखों, परिवर्तनीय डिबेंचर परंतु गौण डिबेंचर पर सीमित नहीं सहित, स्थायी गैर- संचयी अधिमान शेयर

(संचयी या गैर-संचयी) आदि, निजी तौर पर शेयर आबंटन/ सार्वजनिक निर्गम आधारित, एक या एक से अधिक हिस्सों जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचान की गई एवं वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी की ऐसी संख्या;

(ग) बैंक ने सूचना ज्ञापन की शर्तों के तहत निम्नलिखित ऋण विलेखों पर ब्याज का भुगतान किया है:

| क्र सं | भुगतान हेतु देय तिथि | विलेख का प्रकार | भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2019 (वास्तविक भुगतान तिथि 02.04.2019) | लोवर टियर II बॉन्ड सीरीज III (2) पर वार्षिक ब्याज भुगतान | 44,25,00,000 |
| 2 | 29.04.2019 | अपर टियर II बॉन्ड सीरीज III (7) पर वार्षिक ब्याज भुगतान | 48,12,50,000 |
| 3 | 14.11.2019 | बासेल III अनुवर्ती टियर II बॉन्ड (शृंखला I) पर वार्षिक ब्याज का भुगतान | 40,10,00,000 |

(घ) बैंक ने सूचना ज्ञापन की शर्तों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के तहत निम्नलिखित ऋण विलेखों का भुगतान किया है:

| क्र सं | भुगतान हेतु देय तिथि | विलेख का प्रकार | भुगतान की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.05.2019 | ₹ 500 करोड़ के अपर टियर II बॉन्ड शृंखला III (3) | 541,25,00,000 |
| 2 | 28.05.2019 | ₹ 500 करोड़ के अपर टियर II बॉन्ड शृंखला III (4) | 541,85,00,000 |
| 3 | 31.05.2019 | ₹ 500 करोड़ के लोवर टियर II बॉन्ड शृंखला III (2) | 507,39,52,053 |
| 4 | 10.07.2019 | ₹ 300 करोड़ के अपर टियर I बॉन्ड शृंखला I (2) | 327,45,00,000 |
| 5 | 11.08.2019 (वास्तविक भुगतान की तिथि 13.08.2019) | ₹ 100 करोड़ के अपर टियर I बॉन्ड शृंखला I (3) | 109,09,95,902 |
| 6 | 26.08.2019 | ₹ 100 करोड़ के अपर टियर I बॉन्ड शृंखला I (4) | 109,10,00,000 |
| 7 | 11.08.2019 (वास्तविक भुगतान की तिथि 13.08.2019) | ₹ 300 करोड़ के अपर टियर II बॉन्ड शृंखला III (6) | 325,48,89,041 |
| 8 | 10.08.2019 (वास्तविक भुगतान की तिथि 13.08.2019) | ₹ 250 करोड़ के अपर टियर II बॉन्ड शृंखला III (5) | 271,29,86,301 |

**कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएटेस**

**राजश्री पाडिया**
कंपनी सचिव
एफएससी : 6804; सीपी : 7488

यूडीआईएन : एफ006804बी000376580

दिनांक : 24.06.2020
स्थान : मुंबई

**नोट :** कोविड -19 के प्रकोप के कारण, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वैश्विक महामारी भी घोषित किया गया है एवं उसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को 21 दिन के कड़े लॉकडाउन की घोषणा की, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे देशभर में 19 दिन आगे विस्तारित किया गया. मामलों के बढ़ने के कारण लॉकडाउन को आगे 30 जून, 2020 तक विस्तारित किया गया.

अत: सचिवीय लेखापरीक्षा हेतु अनुपालन दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त किए गए, आवश्यकता अनुसार सत्यापित किए गए एवं बैंक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर पूर्ण किए गए.

## परिशिष्ट 'ए'

### 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रति,

**सदस्य,**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक के लिए)**

ऊपर वर्णित तिथि को हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. कॉर्पोरेशन बैंक (बैंक) के लिए लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारी जांच, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य हेतु रिकॉर्ड के सत्यापन एवं प्रक्रियाओं के परीक्षण जांच तक सीमित थी.

2. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व जहां भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण के साथ - साथ बैंक द्वारा हमारे लिए बनाए गए संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है.

3. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है. परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करते हैं.

4. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है .

5. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमनों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में हमने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएटेस**

**राजश्री पाडिया**
कंपनी सचिव
एफएससी : 6804; सीपी : 7488

यूडीआईएन : एफ006804बी000376580

दिनांक : 24.06.2020
स्थान : मुंबई

**नोट :** कोविड -19 के प्रकोप के कारण, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वैश्विक महामारी भी घोषित किया गया है एवं उसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को 21 दिन के कड़े लॉकडाउन की घोषणा की, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे देशभर में 19 दिन आगे विस्तारित किया गया. मामलों के बढ़ने के कारण लॉकडाउन को आगे 30 जून, 2020 तक विस्तारित किया गया.

अत: सचिवीय लेखापरीक्षा हेतु अनुपालन दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त किए गए, आवश्यकता अनुसार सत्यापित किए गए एवं बैंक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर पूर्ण किए गए.

# सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व कार्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) की वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

[सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, 2015) के विनियमनों के नियमन 24 ए के संबंध में]

प्रति,

**सदस्य,**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कार्पोरेशन बैंक)**

**1.** हमने जांच की

(ए) पूर्व कार्पोरेशन बैंक (''सूचीबद्ध संस्था'') द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण की जो कि पैरा 2 के अधीन सूचीबद्ध विशिष्ट विनियमन के अनुपालन से उत्पन्न हुए है.

(बी) उपर्युक्त के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज /प्रस्तुत दस्तावेज

(सी) सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट,

(डी) इससे संबंधित जो भी अन्य कोई दस्तावेज /फाइल है जिसकी सहायता से यह प्रमाणीकरण किया गया है.

जो कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (''समीक्षाधीन अवधि'') के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित हैं:

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 ('सेबी अधिनियम') एवं उसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश और

(बी) प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए''), और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा उसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश

**2.** विशिष्ट विनियमन, जिनके प्रावधान एवं उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों की जांच की गयी हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015

(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2018

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011.

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018

(इ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008;

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय एवं प्रतिदेय अधिमानी शेयरों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2013; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015;

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड तथा बैंक द्वारा दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण की जांच एवं सत्यापन के आधार पर हम रिपोर्ट करते है कि -

(1) नीचे उल्लिखित विनियमन को छोड़कर सूचीबद्ध संस्था ने उपरोक्त विनियमनों के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों का पालन किया हैं.

(2) उन रिकॉर्ड की जांच पर प्रतीत होता है कि सूचीबद्ध संस्था ने उपरोक्त विनियमन के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों का समुचित रिकॉर्ड रखा हैं.

(3) उपरोक्त अधिनियम /विनियमन के अंतर्गत सेबी या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (सेबी द्वारा विभिन्न परिपत्रों के जरिए जारी मानक परिचालन कार्यपद्धति के अधीन सहित) और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों /दिशानिर्देशों के अनुरूप सूचीबद्ध संस्था/उसके प्रमोटर /निदेशक / महत्वपूर्ण सहायक के खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

| क्र सं. | जिनके द्वारा कार्रवाई की गयी | अतिक्रमण का ब्यौरा | की गयी कार्रवाई का ब्यौरा उदाहरण दंड, चेतावनी पत्र, डिबारमेंट आदि. |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय रिजर्व बैंक | बैंक के कुछेक दस्तावेजों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं धोखाधडी की रिपोर्टिंग में विलंब हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(i) एवं धारा 51(1) के साथ धारा 47 ए(1)(सी) को पढ़ा जाए. | ₹ 1.5 करोड़ (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) दंड |

| क्र सं. | जिनके द्वारा कार्रवाई की गयी | अतिक्रमण का ब्यौरा | की गयी कार्रवाई का ब्यौरा उदाहरण दंड, चेतावनी पत्र, डिबारमेंट आदि. |
|---|---|---|---|
| 2. | भारतीय रिजर्व बैंक | साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और धोखाधडी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विनियामक अनुपालन में कमी | ₹ 1 करोड़ (रूपये एक करोड़ मात्र) दंड |
| 3. | भारतीय रिजर्व बैंक | धोखाधडी की रिपोर्टिंग में विलंब | ₹ 50 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) दंड |

(घ) विगत रिपोर्टों में पायी गयी टिप्पणी के संबंध में कंपनी द्वारा कार्रवाई की अपेक्षा नहीं है.

(ड) भारत सरकार ने 30 अगस्त, 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक को चार समामेलित संस्था में समामेलित करने की घोषणा की है. तदनुसार, कार्पोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक (अंतरक बैंक) को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एंकर किया.

भारत सरकार ने गजेट अधिसूचना दिनांकित 4 मार्च, 2020 के जरिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना, 2020 में आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के समामेलन की अधिसूचना दी है.

संबंधित समामेलन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है और अब बैंक, सूचीबद्ध संस्था नहीं है एवं अत: 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लिए स्टॉक एक्सचेंज अनुपालन प्रस्तुत नहीं किए गए.

**कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएटेस**

**राजश्री पाडिया**
कंपनी सचिव
एफएससी : 6804; सीपी : 7488

यूडीआईएन : एफ006804बी000376756

दिनांक : 24.06.2020
स्थान : मुंबई

**नोट:** कोविड 19 महामारी के कारण जो कि विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा वैश्विक पैनडमिक भी घोषित किया गया है और फलस्वरूप भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया. बाद में यह लॉकडाउन देशभर में 19 दिन तक बढ़ाया गया ताकि वाइरस न फैल पाए. साथ ही, मामलों में हुई वृद्धि के कारण लॉकडाउन को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया.

अत: सचिवीय अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए अनुपालन दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त किए गए, आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया गया एवं बैंक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अद्यतन किया गया.

# निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

(सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V के पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार)

प्रति,

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कार्पोरेशन बैंक हेतु)**
**के सदस्यगण**

हमने पूर्व कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर रोड, मेंगलूरू - 575001 (जो यहाँ "बैंक" के रूप में संदर्भित है) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टरों, रिकार्ड, फॉर्म्स, विवरण एवं प्रकटन की जांच की है, जो कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V के पैरा सी उप खंड (10) (i) के अनुसार) प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in) पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित) और बैंक एवं उसके अधिकारियों द्वारा दी गई आवश्यक सूचना एवं स्पष्टीकरण के सत्यापन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/ कंपनी मामलों के मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय/ भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2020 की समाप्ति पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या कार्यरत बैंक के निदेशक मण्डल के किसी निदेशक को नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें. यह प्रमाणपत्र न तो भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएटेस**

**राजश्री पाडिया**
कंपनी सचिव
एफएससी : 6804; सीपी : 7488

यूडीआईएन : एफ006804बी000376580

दिनांक : 24.06.2020
स्थान : मुंबई

# बेसल III (स्तंभ ) प्रकटन

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे संबधी दिशानिर्देश बेसल III (स्तंभ 3) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित आधार पर प्रकटन ।

भारतीय रिजर्व बैंक बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु स्तंभ 3 का प्रकटन बैंक की वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर विनियामक प्रकटन के तहत अलग से प्रस्तुत किया गया है । इसकी लिंग है :http://www.corpbank.com

इस भाग के निम्नवत प्रकटन शामिल है:

- बेसल 3 - 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु स्तंभ 3 प्रकटन ।
- यथा 31 मार्च, 2020 को पूंजी संरचना और समाधान।
- यथा 31 मार्च, 2020 को विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं।
- यथा 31 मार्च, 2020 को लीवरेज अनुपात प्रकटन।
- यथा 31 मार्च, 2020 को चलनिधि कवरेज अनुपात प्रकटन।

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में,**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों (पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक)**

**एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**

**अभिमत**

1. हमने 31 मार्च, 2020 तक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक (बैंक)] के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च 2020 का तुलन-पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं. इनमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1440 शाखाओं को शामिल किया गया है. बैंक ने, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया है. इसमें उन 1048 शाखाओं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है का तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह की विवरणियों को भी शामिल किया गया है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम का 5.46 प्रतिशत, जमाराशियों का 16.48 प्रतिशत, ब्याज आय का 6.78 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 15.71 प्रतिशत समाहित है.

2. हमारी राय में और अपनी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक को देती है और वे सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप में है और साथ में यह भी प्रदान करती हैं:

क. टिप्पणियों के साथ पढा जाने वाला तुलनपत्र सभी आवश्यक जानकारियों को समाहित करते हुए पूर्ण एवं सत्य तुलन पत्र दर्शाता है और बैंक में 31 मार्च 2020 के कार्यकलापों को सत्य वं स्पष्ट रूप में दर्शाता है;

ख. टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाने वाला लाभ और हानि विवरण के मामले में हानि का वास्तविक शेष; तथा

ग. उसी दिन को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में सत्य एवं स्पष्ट स्थिति.

**अभिमत का आधार**

3. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है. उन मानकों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में बताया गाया है. हम आईसीएआई के द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं और साथ ही नैतिक अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं जो भारत में अपनी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए संगत है और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वे हमारी अभिमत के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करता है.

**मामले का महत्व**

4. हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं :

(i) भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-04032020-216535 दिनांक 04 मार्च 2020 के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ई-कॉरपोरेशन बैंक के 1.4.2020 से समामेलन के बारे में अनुसूची 18C के टिप्पणी संख्या 20 की ओर.

(ii) COVID-19 महामारी के प्रभाव के बारे में संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 4.4 की 9 की ओर, जो बैंक के व्यावसायिक संचालन पर प्रचलित अनिश्चितताओं को दर्शाती है. हमें सूचित किया गया है कि बैंक इस स्थिति और इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है.

(iii) उभयनिष्ठ एक्सपोजर के संबंध में आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में आरबीआई के निर्देश के अनुसार हार्मोनाइजेशन के लिए किए गए प्रावधान के बारे में अनुसूची 18 ए की टिप्पणी संख्या 4.6 की ओर;

(iv) कर्मचारी लाभ (पेंशन निधि) हेतु किए गए अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में अनुसूची 18 बी की टिप्पणी संख्या 3 की ओर;

(v) पूर्व मूल्यांकन वर्षों के संबंध में आयकर की ओर किए गए अतिरिक्त प्रावधान के बारे में अनुसूची 18 बी की टिप्पणी संख्या 8सी की ओर;

(vi) आस्थगित कर परिसंपत्ति के व्युत्क्रमण के संबंध में अनुसूची 18 बी की टिप्पणी संख्या 8 C की ओर;

(vii) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचाने गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान के आस्थगन और आरबीआई परिपत्र के अनुसार, बाद के तिमाहियों में लाभ और हानि खाते में उनके समायोजन से संबंधित अनुसूची 18C की टिप्पणी संख्या 12 की ओर, इन मामलों में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

## 5. लेखा परीक्षा की प्रमुख मदें

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारी पेशेवर राय में, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का, संपूर्ण एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी राय के संदर्भ में निराकरण किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मदों के नीचे दिए गए मामलों को संसूचित करना निश्चित किया है:

| क्रम संख्या | प्रमुख लेखापरीक्षा मदें | लेखापरीक्षा में कैसे निराकरण किया गया |
|---|---|---|
| 1 | **अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की मान्यता, गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और उनके लिए प्रावधान**<br><br>**(अनुसूची 17 में लेखा नीति संख्या 3 और नोट 4 के साथ पठित 18 ए का संदर्भ लें)**<br><br>अग्रिमों को आरबीआई निर्देशों (आईआरएसी मानदंडों) और अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करने से संबन्धित आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानिगत आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है.<br><br>बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) के तहत काम कर रहा है. बड़ी मात्रा में लेनदेन के परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं फ्रंट एंड और बैक एंड पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निर्भर हैं. बैंक अपने अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में लेखांकित करता है जो निष्पादक व गैर-निष्पादक अग्रिमों की भी पहचान करता है. इसके अलावा एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी इसी प्रणाली के माध्यम से की जाती है. अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, विवेकपूर्ण मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों के निवल) भौतिक रूप से गलत हो सकता है.<br><br>बैंक की कुल संपत्ति का 55.50 प्रतिशत हिस्सा अग्रिमों में निहित है.<br><br>अग्रिमों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणियों में, नियामक आवश्यकताओं, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान / निर्णय, आगे के वर्गीकरण और उसमें प्रावधान को हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद माना गया है. | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर, आरबीआई के बैंक के आंतरिक निदेशों और दिशानिर्देशों की समझ और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रक्रियाएं शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरण उचित और विश्वसनीय हैं.<br><br>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता परीक्षण शामिल हैं जो निम्नवत हैं : -<br><br>आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के बारे में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के संदर्भ में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन और आलोचनात्मक विश्लेषण.<br><br>किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए हमने नमूना जाँच के आधार पर अग्रिम खातों के दस्तावेजों, संचालन / निष्पादन और निगरानी तथा शाखा / प्रासंगिक प्रभागों की लेखापरीक्षा के अनुसार आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण का परीक्षण किया. शाखा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर निर्भरता रखी है.<br><br>हमने एनपीए की पहचान की प्रक्रिया और संदर्भित आय के व्युत्क्रमण एवं प्रावधान के निर्माण का आकलन और मूल्यांकन किया |
| 2 | **प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिमों का वर्गीकरण**<br><br>**(संदर्भ- वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी 9 के साथ पठित अनुसूची 18 सी)**<br><br>बैंक ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के बीच उधारकर्ताओं के खातों का पुन: वर्गीकरण किया है.<br><br>नतीजतन, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद माना है. | हमने बैंक द्वारा क्षेत्रवार वर्गीकरण की प्रणाली की प्रभावकारिता का आकलन किया है.<br><br>हम क्षेत्रवार वर्गीकरण के लिए शाखा और आंचलिक विवरणी, शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर निर्भर रहे.<br><br>हमने क्षेत्रवार वर्गीकरण की रिपोर्टिंग की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के वर्गीकरण में उत्पाद-वार खातों का नमूना चुना है.<br><br>प्राथमिकता / गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र अग्रिमों की पहचान की प्रणाली की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | **निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेश के लिए पहचान और प्रावधान**<br><br>**(संदर्भ- वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी 2 के साथ पठित अनुसूची 18 ए)**<br><br>निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, वेंचर कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड की इकाइयां, एआरसी की सुरक्षा प्राप्तियां, अनुषंगियों में निवेश और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं. निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - हेल्ड टू मैच्योरिटी, एविलेवल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग.<br><br>ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ, निवेश का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता और तत्संबंधी प्रावधान को शामिल करते हैं.<br><br>गैर-निष्पादक निवेश की पहचान और मूल्यांकन एवं परिणामी समायोजन अनुसूची 17 की लेखांकन नीति संख्या 4 में निहित है.<br><br>निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 28.94 प्रतिशत है.<br><br>एकल वित्तीय विवरणियों में निवेश के मूल्य के महत्व को देखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद माना गया है. | भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों / बैंक की निवेश नीतियों के संदर्भ में, निवेश के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं,<br><br>आरबीआई दिशानिर्देशों /बैंक द्वारा अपनाई जा रही लेखा नीतियाँ के अनुसार निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास की समीक्षा शामिल थी.<br><br>हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया.<br><br>हमने प्रत्येक श्रेणी के भीतर निवेश के चयनित नमूने के मूल्यांकन, प्रावधान और मूल्यह्रास को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं की.<br><br>हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया, यथा-लागू आय के व्युत्क्रमण एवं पर्याप्त प्रावधान की सुनिश्चितता का आकलन और मूल्यांकन किया. |
| 4 | **प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत लंबित मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का आकलन.**<br><br>**(संदर्भ- अनुसूची 18 बी की टिप्पणी 9 का संदर्भ लें)**<br><br>अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित कर मुकदमों के आकलन में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता है. बैंक का मूल्यांकन प्रत्येक मामले, न्यायिक नियम और स्वतंत्र कर-सलाहकारों की विशेषज्ञ सलाह के तथ्यों पर आधारित है. कर निर्धारण अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों द्वारा आरोपित किसी भी प्रतिकूलता से बैंक के लाभ / हानि पर काफी असर पड़ सकता है.<br><br>इन मामलों के परिणाम से जुड़ी अनिश्चितताओं के मद्देनजर उपरोक्त क्षेत्र की पहचान एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद के रूप में की गई है. | अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित कर निर्धारण / मुकदमों की वर्तमान स्थिति की समझ प्राप्त की.<br><br>रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त मूल्यांकन आदेशों / अपीलीय आदेशों / न्यायालय के आदेशों की जांच की गई.<br><br>कानूनी परिप्रेक्ष्य और स्वतंत्र कर कंसल्टेंट्स से प्राप्त कर सलाह से मुद्दों का मूल्यांकन किया.<br><br>पूर्ण रूप से आकलित मामलों के अनुसरण और मूल्यांकन अधिकारियों / अपीलीय अधिकारियों के समक्ष बैंक द्वारा दी गयी प्रस्तुतियाँ से उठने वाले मुद्दों पर बैंक की कर टीम के साथ चर्चा की.<br><br>साथ ही आयकर अधिकारियों द्वारा बैंक के खिलाफ किए गए दावों, जिन्हे देयता के रूप में नहीं लिया गया है और इस तरह के दावों के खिलाफ विवादित कर के भुगतान की विवरणी की समीक्षा की. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **COVID-19 प्रकोप के आलोक में संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ**<br><br>हमारे लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान COVID-19 महामारी के प्रकोप और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय अधिकारियों द्वारा लागू राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और यात्रा प्रतिबंधों के कारण, हम भौतिक रूप से ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए शाखाओं, अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय की यात्रा नहीं कर सके. जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी वहाँ लेखा परीक्षा को दूरस्थ रूप से किया गया था.<br><br>जहाँ भी हम विभिन्न स्थानों पर जाने में सक्षम नहीं थे, बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम, ईमेल और संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (फिनेकल) के लिए दूरस्थ पहुँच के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे. हम अधिकांश शाखा कार्यालयों और क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सके. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, अधिकांश शाखा लेखा परीक्षक भी उन्हें आवंटित शाखाओं में नहीं जा सकते हैं और तदनुसार उन्होंने संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को भी अपनाया है. इस अवस्था में, हमने रिपोर्ट किए गए वर्ष के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड, जिनपर हमने लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा प्रमाण के रूप में निर्भर किया, के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया की है.<br><br>चूंकि हम संबंधित शाखाओं / अंचलों / प्रधान कार्यालय में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से भौतिक रूप से / व्यक्तिगत रूप से / लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके; हमने लेखापरीक्षा प्रक्रिया को यहां प्रमुख लेखा परीक्षा मद के रूप में चिन्हित किया है. | हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया है: -<br><br>जहां बैंक के कार्यालयों का दौरा किया जाना संभव नहीं था वहाँ ई-मेल के माध्यम और संबंधित सॉफ्टवेयर (फिनेकल) के लिए दूरस्थ पहुंच के द्वारा से आवश्यक रिकॉर्ड / दस्तावेजों / रिपोर्टों की जांच / सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गयी.<br><br>दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों, प्रमाणपत्रों, रिपोर्टों, वित्तीय विवरणों, और संबंधित रिकॉर्डों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया गया.<br><br>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्केनड प्रतियों, ईमेल द्वारा दस्तावेज, टेलीफ़ोनिक वार्तालाप और संचार के अन्य समान तरीकों के माध्यम से परिचर्चा और लेखा परीक्षा प्रमाण इकट्ठा करना.<br><br>विचार-विमर्श, डिजिटल रिकॉर्ड की प्राप्ति, टेलीफोन पर बातचीत और ई मेल के माध्यम से लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का निदान किया गया. |
| 6 | **सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (फिनेकल) आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया.**<br><br>बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) के तहत काम कर रहा है. बड़ी मात्रा में लेनदेन के परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं फ्रंट एंड और बैक एंड पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निर्भर हैं.<br><br>बैंक के एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन सहित सभी लेनदेन के लिए कोर बैंकिंग में प्रभावी डेटा कैप्चरिंग और रिपोर्टिंग के लिए डिज़ाइन किए गए पर्याप्त जांच बिन्दु, मानक, प्रक्रियाएं और नियंत्रण हैं.<br><br>हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद के रूप में माना है, क्योंकि नियंत्रण की कमी और इनपुट त्रुटियों के परिणामस्वरूप प्रबंधन और नियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग होती है. | हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि समेकित वित्तीय विवरण उचित और विश्वसनीय हैं, कोर और ट्रेजरी से प्राप्त जानकारी और डेटा की समीक्षा और मूल्यांकन किया.<br><br>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता परीक्षण शामिल हैं, जो निम्नवत हैं : -<br><br>वर्ष के दौरान आयोजित आईएस लेखा परीक्षा को प्राप्त करना और समीक्षा करना.<br><br>बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण, आईटी नीतियों और बोर्ड के सामने रखे गए नोटों सहित लेखा परीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की समझ प्राप्त करना.<br><br>परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की.<br><br>ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण स्वचालित और मैन्युअल व्यापार चक्र नियंत्रण और सिस्टम जनित रिपोर्टट की नमूना जाँच की. |

## एकल वित्तीय विवरणियों एवं उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

6. जो अधिशासन शासन के प्रभारी हैं वे अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में कार्पोरेट शासन विवरणी शामिल है (लेकिन एकल वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है).

एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारे विचार अन्य सूचनाओं एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को शामिल नहीं करते हैं और हम किसी प्रकार का कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं.

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व ऊपर निदेशित अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने में यह विचार करना है कि अन्य सूचनाएं भौतिक रूप से एकल वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा से प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अनमेल तो नहीं हैं या अन्य किसी रूप से भौतिक रूप से गलत लगती हैं.

यदि हमारे किए गए कार्य द्वारा, हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि इस अन्य सूचना के संबंध में कोई गलतबयानी है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है. इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है.

## एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन और अभिशासन के दायित्व

7. जो अभिशासन के लिए उत्तरदायी हैं, वे इन एकल वित्तीय विवरणों, जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की उचित स्थिति दर्शाती है, को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उसका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और कार्यान्वयन; निर्णय और आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरणियों की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है और सही और उचित स्थिति दर्शानेवाली है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण होने वाली गलय बयानों से मुक्त है, भी शामिल है.

वित्तीय विवरणों की तैयारी में जिनके पास अभिशासन का दायित्व है वह बैंक के उसके स्वरूप में बने रहने, यथा लागू, कार्यशील संस्था से जुड़ी मामलों का प्रकटन करने तथा जब तक प्रबंधन समूह का परिसमापन, संचालन रोकना नहीं चाहता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन का उपयोग करने की समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी हैं.

## वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण होने वाली गलत बयानों से पूर्ण रूप से मुक्त है और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हैं. उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा में गलत बयान होने पर उसका पता लगाया जाएगा.. गलत बयान कपट या त्रुटि के कारण हो सकती है और इस वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोक्ता के वित्तीय निर्णयों पर व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से प्रभावित करता है तो उसे गंभीर माना जाएगा.

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान हमने पेशेवर निर्णय लिया है और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखा. हमने निम्न कार्य भी किया है :

- ङ वित्तीय विवरणों में प्रमुख रूप से गलत बयान, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करते हैं और कार्यान्वित करते हैं तथा हमारे अभिमत के आधार बनने के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है. कपट के कारण होने वाली गलय बयान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के कारण होनेवाली जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- ङ परिस्थितियों के अनुसार जो सही हो उसके लिए लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए एक समझ तैयार करना परंतु बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर के प्रभावी होने पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं.
- ङ उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटनों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया है.
- ङ हम प्रबंधन की चालू लेखांकन आधारों के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर क्या ऐसी घटना या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे अभिमत

को संशोधित करना है.हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर है.

ङ प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो उचित प्रस्तुति कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन किया है.

एकल वित्तीय विवरणियों में भौतिकता एकल या समग्र रूप से गलत जानकारी है जो कि कि एकल वित्तीय विवरणियों की यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होती है. हम (i) हमारे लेखापरीक्षा को कार्य के क्षेत्र का निर्धारण करने और हमारे कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) एकल वित्तीय विवरणियों में दी गई किसी संज्ञान में आई गलत जानकारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में संख्यात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य मामलों के साथ अभिशासन से जुड़े योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा आंतरित नियंत्रणों में पाई गई उल्लेखनीय कमियों सहित लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बारे में सूचित करते हैं.

हम उन लोगों को जो अभिशासन के लिए उत्तरदायी है, विवरण के साथ यह सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंध एवं अन्य मामलों के बारे में भी सूचित किया है, जिसमें समुचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू है, संबंधित सुरक्षा,को प्रभावित कर सकता है.

अभिशासन से जुड़ी बातों को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए वे लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मामले हैं. हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों को तभी प्रस्तुत करते हैं जब कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए रोक नहीं लगाता है या अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को प्रकट नहीं किया जाना है क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो सकती है.

**अन्य मामले**

9. हमने 1440 शाखाओं, जिसकी वित्तीय विवरणियाँ/ वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2020 को कुल आस्तियाँ 178749.33 करोड़ है और उसी दिन को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 6095.95 करोड़ है जैसा कि बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल हैं, की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा नहीं की है. इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियाँ/ सूचनाएँ शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित है, जो हमें उपलब्ध कराई गई है और जहाँ तक हमारी राय में शाखा से संबंधित राशि और प्रकटनों का संबंध है, वह ऐसी शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है.

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

**अन्य विधिक एवं सांविधिक आवश्यकताओं के विषय में रिपोर्ट :**

10. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है.

11. उपर्युक्त 6 से 9 तक के पैराग्राफ में बताई गई सीमाओं तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षितानुसार, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख. होल्डिंग बैंक के जो लेनदेन हमारे ध्यान में आए, वे होल्डिंग बैंक के अधिकारों के भीतर थे; और

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में हमारे द्वारा दौरा नहीं की गयी शाखाओं से लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त उक्त बहियों तथा उचित विवरणियों की जाँच से प्रतीत होता है कि बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षितानुसार उचित लेखा बहियाँ रखी है;

ख) उक्त रिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरणियाँ, लेखा बहियों एवं हमारे द्वारा दौरा नहीं की गयी शाखाओं से लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त विवरणियों से मेल रखते हैं;

ग) बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उसका उपयोग किया है; और

घ) हमारी राय में, उक्त रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरणियाँ रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं.

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व पर जारी पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.संख्या6270/

08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 और 19 मई 2020 को अगली संसूचना के क्रम में हम उपरोक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में वर्णित मामलों की निम्नवत् रिपोर्ट करते हैं:

क) हमारे विचार से उक्त एकल वित्तीय विवरणियां आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करती हैं, बहुत सीमा तक ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीति से अनमेल भी नहीं हैं.

ख) वित्तीय लेनदेनों और मामले जिनका बैंक के कार्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव है के संबंध में कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है.

ग) समामेलन पर भारत सरकार के निदेशों के क्रम में बैंक के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) की शर्तों के अनुरूप 31 मार्च 2020 से नियुक्त निदेशक के संबंध में निदेशकों पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है.

घ) खातों के प्रबंधन और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में कोई परिवर्तन, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

ङ) चूंकि बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 से 'वित्तीय विवरणियों के संबंध में आंतरिक वित्तीय क्ङ्कद्रद्गॅड्ढॅट को लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक नें 19 मई, 2020 को अनुमति दी थी, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्तमान वर्ष के लिए कोई रिपोर्टिंग आवश्यकता नहीं है.

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते चंद्रन एण्ड रमन**
सनदीलेखाकार, एफआरएन: 0005715
**[सीए पी आर सुरेश]**
सदस्यता संख्या 027488, पार्टनर

**कृते एस. रामानन्द अय्यर एण्ड कं.**
सनदीलेखाकार, एफआरएन: 000990एन
**[सीए बिनोद सी महाराणा]**
सदस्यता संख्या 056373, पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# एकल बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 तक

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | अनुसूची | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **पूँजी और देयताएँ** | | | |
| पूँजी | 1 | **1198,83,68** | 1198,83,68 |
| आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि | 2 | **12551,63,56** | 15366,02,45 |
| जमाराशियाँ | 3 | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| उधार राशियाँ | 4 | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| अन्य देयताएँ तथा प्रावधान | 5 | **8133,45,33** | 4050,89,28 |
| **योग** | | **229539,76,99** | 213577,85,38 |
| **आस्तियाँ** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष | 6 | **15745,23,79** | 9661,06,85 |
| बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प | | | |
| सूचना पर धन | 7 | **1262,92,61** | 2907,96,58 |
| निवेश | 8 | **66432,43,73** | 59979,19,81 |
| अग्रिम | 9 | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| स्थाई आस्तियाँ | 10 | **1379,40,14** | 1421,84,82 |
| अन्य आस्तियाँ | 11 | **17320,70,98** | 18356,56,40 |
| **योग** | | **229539,76,99** | 213577,85,38 |
| आकस्मिक देयताएँ | 12 | **36727,50,85** | 62625,62,97 |
| वसूली हेतु बिल | | **14364,16,42** | 13747,30,85 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ | 17 | | |
| लेखा संबंधी टिप्पणियाँ | 18 | | |

उपरोक्त वर्णित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग है।

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(बिरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# एकल लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | अनुसूची | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **I. आय** | | | |
| अर्जित ब्याज | 13 | **16170,57,94** | 15622,63,03 |
| अन्य आय | 14 | **3749,19,96** | 1872,06,87 |
| **योग** | | **19919,77,90** | 17494,69,90 |
| **II. व्यय** | | | |
| व्यय किया गया ब्याज | 15 | **10942,09,53** | 10114,16,60 |
| परिचालन व्यय | 16 | **5175,19,16** | 3486,06,80 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | | **6194,08,61** | 10227,44,79 |
| **योग** | | **22311,37,30** | 23827,68,19 |
| **III. वर्ष के लिए निवल लाभ /(हानि)** | | **-2391,59,40** | (63,329,829) |
| **योग** | | **-2391,59,40** | (63,329,829) |
| **IV. विनियोग (से/को)** | | | |
| सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण | | **-** | - |
| कर्मचारी कल्याण निधि में अंतरण | | **-** | - |
| निवेश आरक्षित निधि में अंतरण | | **-** | - |
| पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण | | **-** | - |
| विशेष आरक्षित निधि में अंतरण | | **-** | - |
| सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण | | **-** | - |
| प्रदत्त अंतरिम लाभांश | | **-** | - |
| प्रस्तावित लाभांश | | **-** | - |
| प्रदत्त अंतरिम लाभांश पर कर | | **-** | - |
| तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष | | **(23,915,940)** | (63,329,829) |
| **योग** | | **(23,915,940)** | (63,329,829) |
| प्रति शेयर अर्जन (₹) | | **(3.99)** | (30.06) |

उपरोक्त वर्णित अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते का एक अभिन्न अंग हैं।

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(बिरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ 000' हटाकर)

| | | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| [A] | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| | कर के बाद निवल लाभ/हानि (-) | **-2391,59,40** | -6332,98,29 |
| | जोड़ें:-कर के लिए प्रावधान | **2645,92,77** | -1715,70,23 |
| | कर से पहले निवल लाभ/हानि (-) | **254,33,37** | -8048,68,52 |
| [i] | **समायोजन के लिए:-** | | |
| | आस्तियों पर अवमूल्यन | **180,06,14** | 176,50,70 |
| | निवेश पर अवमूल्यन | **53,80,38** | 340,20,20 |
| | एनपीए के लिए प्रावधान | **3279,48,87** | 11585,13,72 |
| | मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान | **285,83,00** | 180,52,52 |
| | टियर I और टियर II बांड पर भुगतान किया गया ब्याज | **173,27,70** | 420,81,01 |
| | आकस्मिकता और अन्य के लिए प्रावधान | **33,65,58** | -43,29,41 |
| | स्थाई आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) /हानि | **-1,62,23** | 1,49,49 |
| | आरक्षित निधियाँ को/से हस्तांतरण | **-422,79,49** | - |
| | अनुषंगी कंपनियों में निवेश की बिक्री के माध्यम से अर्जित आय | **-7,03,13** | - |
| | प्रत्यक्ष कर (भुगतान) /वापसी | **-565,47,13** | -1139,66,86 |
| | ब्याज पूंजीकरण के लिए प्रावधान | **-104,62,00** | -119,42,00 |
| | परिचालन आस्तियों और देनदारियों में बदलाव से पहले नकदी प्रवाह | **3158,91,06** | 3353,60,85 |
| [ii] | **समायोजन के लिए:-** | | |
| | जमा में वृद्धि/(कमी) | **20786,93,73** | 1251,89,46 |
| | उधारी में वृद्धि/(कमी) | **-4543,19,28** | -10539,37,83 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) | **-1097,73,78** | -13443,32,07 |
| | निवेश में कमी (वृद्धि) / | **-6525,79,30** | 10370,55,79 |
| | अग्रिमों में कमी(वृद्धि) / | **-6147,84,82** | -1382,37,21 |
| | अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि) / | **641,34,16** | 3617,32,12 |
| | आरक्षित निधियाँ से/के लिए समायोजन/अंतरण | **-** | 19,25,54 |
| | **परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह [ए]** | **6272,61,77** | **-6752,43,35** |
| [B] | **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| | आस्तियों की बिक्री/निपटान | **4,06,57** | -3,78,32 |
| | स्थाई आस्तियों की खरीद | **-140,05,80** | -111,49,17 |
| | अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स में निवेश की बिक्री से आय | **25,78,13** | - |
| | अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं से लाभांश आदि से अर्जित आय | **-** | - |
| | **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह [बी]** | **-110,21,10** | **-115,27,49** |

# 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण (जारी...)

(₹ 000' हटाकर)

| | | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **[C]** | **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| | शेयर पूंजी जारी करने से आय | - | 11777,37,28 |
| | टियर I और टियर II बांड से आय | **1000,00,00** | - |
| | टियर I और टियर II बांड से मोचन | **-2550,00,00** | -3237,50,00 |
| | टियर I और टियर II बांड पर प्रदत्त ब्याज | **-173,27,70** | -420,81,01 |
| | लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का भुगतान | - | - |
| | लाभांश वितरण पर कर भुगतान | - | - |
| | **वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह [सी]** | **-1723,27,70** | **8119,06,27** |
| **[D]** | **नकद और नकदी समकक्ष [ए + बी +सी] या [एफ-ई] में निवल वृद्धि/(कमी]** | **4439,12,97** | **1251,35,42** |
| **[E]** | **वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं में शेष | **9661,06,85** | 11140,15,36 |
| | माँग और अल्प सूचना पर देय राशि एवं बैंकों में शेष राशि | **2907,96,58** | 177,52,65 |
| | **वर्ष की शुरुआत में निवल नकद और नकद समकक्ष [ई]** | **12569,03,43** | **11317,68,01** |
| **[F]** | **वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं में शेष | **15745,23,79** | 9661,06,85 |
| | माँग और अल्प सूचना पर देय राशि एवं बैंकों में शेष राशि | **1262,92,61** | 2907,96,59 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकद और नकद समकक्ष [एफ]** | **17008,16,40** | **12569,03,43** |

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(बिरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए बिनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# तुलन पत्र में संलग्न अनुसूचियां

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1 - पूँजी** | | | | |
| प्राधिकृत पूंजी | | | | |
| प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर | | **3000,00,00** | | 3000,00,00 |
| निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी | | | | |
| प्रत्येक रु. 2 के 599,41,84,034 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 166,55,48,619 इक्विटी शेयर) | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **1198,83,68** | | 333,10,97 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/(जब्ती) | **-** | **1198,83,68** | 173,80,95 | 506,91,92 |
| प्रगत पुँजी | | | | |
| क) केंद्र सरकार द्वारा धारित | **1120,95,99** | **1120,95,99** | 1120,95,99 | 1120,95,99 |
| प्रत्येक रु. 2 के 560,47,99,271 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 560,47,99,271 इक्विटी शेयर) | | | | |
| ख) जनता एवं अन्य द्वारा धारित | **77,87,69** | | 77,87,69 | |
| ( प्रत्येक रु. 2 के 38,93,84,763 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 38,93,84,763 इक्विटी शेयर) | | | | |
| घटे : वर्ष के दौरान जब्त | **-** | | - | |
| देय आबंटित राशि | **-** | **77,87,69** | - | 77,87,69 |
| **योग** | | **1198,83,68** | | **1198,83,68** |
| **अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां और अधिशेष** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **3368,88,47** | | 3368,88,47 | |
| लाभ से विनियोग | **-** | | - | |
| निवेशों के मूल्यह्रास | | | | |
| के अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग | **-** | | - | |
| आरक्षित निधि से अंतरण | **-** | | - | |
| | | **3368,88,47** | | 3368,88,47 |
| **II. पूँजी आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **1175,22,00** | | 1175,22,00 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | - | |
| पुनार्निर्गम के लिए पात्र जब्ती शेयर खाते | **-** | | - | |
| | | **1175,22,00** | | 1175,22,00 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **III. शेयर प्रीमियम** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **16081,94,51** | | 5170,29,94 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | 10911,64,57 | |
| घटे : कॉल्स इन एरियर | **-** | **16081,94,51** | - | 16081,94,51 |
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां** | | | | |
| **क) राजस्व आरक्षित निधि** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **3132,04,26** | | 3112,78,74 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | 19,25,52 | |
| | **3132,04,26** | | 3132,04,26 | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **147,20,92** | | - | |
| | | **2984,83,34** | | 3132,04,26 |
| **ख) विशेष आरक्षित निधि** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **1430,75,89** | | 1430,75,89 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | - | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **-252,88,00** | | - | |
| | | **1177,87,89** | | 1430,75,89 |
| **ग) एफएक्स स्वैप पर विशेष आरक्षित निधि लाभ** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **5,84,85** | | 5,84,85 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | - | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **-** | | - | |
| | | **5,84,85** | | 5,84,85 |
| **घ) निवेश आरक्षित निधि** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **-** | | - | |
| लाभ हानि विनियोग खाते से अंतरण | **-** | | - | |
| विनियोग खाता | | | | |
| निवेश पर अतिरिक्त मूल्यह्रास से विनियोग | **-** | | - | |
| | | **-** | | - |
| **V. परिसर के पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित निधि** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | **902,17,96** | | 646,81,55 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | 274,61,95 | |
| घटे : वर्ष के दौरान निकासी | **22,70,57** | | 19,25,54 | |
| | | **879,47,39** | | 902,17,96 |
| **VI. लाभ हानि खाते में शेष** | | **-13122,44,89** | | (107,308,549) |
| **योग (I+II+III+IV+V+VI)** | | **12551,63,56** | | 15366,02,45 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची 3 - जमा** | | |
| क. I. माँग जमाराशियाँ | | |
| i) बैंकों से | **13,77,80** | 31,69,15 |
| ii) अन्यों से | **16727,38,40** | 16168,06,59 |
| II. बचत बैंक जमाराशियाँ | **46029,05,52** | 42106,72,01 |
| III. मियादी जमाराशियाँ | | |
| i) बैंकों से | **162,25,55** | 164,33,67 |
| ii) अन्यों से * | **142422,30,91** | 126097,03,03 |
| **कुल (I, II और III)** | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| ख. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाएँ | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| (ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाएँ | **-** | - |
| **कुल** | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| * जिसमें कॉर्पगोल्ड जमाएँ शामिल हैं | **-** | 13,97,98 |
| **अनुसूची 4 - उधार राशियाँ** | | |
| I. भारत में उधार राशियाँ | | |
| i) भारतीय रिजर्व बैंक | **203,00,00** | 425,00,00 |
| ii) अन्य बैंक | **,18,87** | 4282,94,46 |
| iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां | **47,87,37** | 86,31,06 |
| iv) असुरक्षित बांड/इन्नोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट और अधीनस्थ ऋण * | **2050,00,00** | 3600,00,00 |
| **योग** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| II. भारत के बाहर उधार राशियाँ | **-** | - |
| **योग (I और II)** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| ऊपर I और II में शामिल सुरक्षित उधार | **शून्य** | शून्य |
| * शामिल है | | |
| असुरक्षित विमोच्य बॉन्ड्स (टियर II) | **2050,00,00** | 3100,00,00 |
| टियर I परपेचुअल बॉन्ड्स | **-** | 500,00,00 |
| **अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान** | | |
| I. देय बिल | **461,27,92** | 487,96,95 |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | **-** | 114,83,76 |
| III. उपचित ब्याज | **690,44,39** | 774,67,39 |
| IV. अन्य (प्रावधानों सहित)* | **6981,73,02** | 2673,41,18 |
| | **8133,45,33** | 4050,89,28 |
| * शामिल हैं | | |
| "मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान" | **1026,06,78** | 740,23,78 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा<br>**31.03.2020**<br>₹ | यथा<br>31.03.2019<br>₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची 6 - नकद और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष** | | |
| I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोटो और सोने सहित) | **1126,59,11** | 1083,77,40 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष | | |
| चालू खातों में | **6518,64,68** | 7202,29,45 |
| अन्य खातों में | **8100,00,00** | 1375,00,00 |
| III. हस्तगत सोना | **-** | - |
| **योग ( I, II और III)** | **15745,23,79** | 9661,06,85 |
| **अनुसूची 7 - बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धन** | | |
| **I. भारत में** | | |
| i) बैंकों में शेष | | |
| क) चालू खातों में | **52,26,29** | 72,45,48 |
| ख) अन्य जमा खातों में | **,2,32** | ,2,80 |
| ii) मांग तथा अल्प सूचना पर धन | | |
| क) बैंकों में | **-** | - |
| ख) अन्य संस्थानों में | **-** | - |
| **योग (i+ii)** | **52,28,61** | 72,48,28 |
| **II. भारत के बाहर** | | |
| i) चालू खातों में | **-** | - |
| ii) अन्य जमा खातों में | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| iii) मांग तथा अल्प सूचना पर धन | **-** | - |
| **योग** | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| **सकल योग (I and II)** | **1262,92,61** | 2907,96,58 |
| **अनुसूची 8 - निवेश** | | |
| निवेश (समग्र ) | **67608,73,62** | 61254,58,04 |
| घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | **1176,29,89** | |
| निवल निवेश | **66432,43,73** | 1235,96,66 |
| I. भारत में निवेश | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | **45780,85,32** | 41474,56,08 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | **,99,61** | ,99,61 |
| iii) शेयर | **169,88,46** | 246,37,87 |
| iv) डिबेंचर और बांड | **1433,12,98** | 2471,85,58 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा<br>31.03.2020<br>₹ | यथा<br>31.03.2019<br>₹ |
|---|---|---|
| v) अनुषंगियाँ /संयुक्त उद्यम | **-** | - |
| क) क्षे ग्रा बैंक में निवेश | **-** | - |
| ख) अनुषंगियों में निवेश | **56,25.00** | 75,00,00 |
| **अनुसूची - 8 (जारी)** | | |
| vi) अन्य | | |
| (क) जमाओं प्रमाण पत्र | **3793,31,75** | 559,70,31 |
| (ख) वाणिज्यिक पत्र | **138,59,70** | ,, |
| (ग) म्यूचुअल फंड की इकाइयां | **13,23,61** | 13,12,43 |
| (घ) वेंचर पूंजी निधियाँ | **67,76,01** | 72,88,11 |
| (ङ) सरकारी विशेष प्रतिभूतियां | **14941,22,71** | 14926,57,16 |
| (च) प्रतिभूती प्राप्तियाँ | **37,14,40** | 138,08,48 |
| **योग** | **66431,89,55** | 59978,65,63 |
| II. भारत के बाहर अन्य निवेशों में निवेश- स्विफ्ट में | **,54,18** | ,54,18 |
| **योग (I और II)** | **66432,43,73** | 59979,19,81 |
| **अनुसूची 9 - अग्रिम** | | |
| क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल | **1847,96,96** | 931,80,63 |
| ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | **32948,72,24** | 41619,71,21 |
| iii) सावधि ऋण | **92602,36,54** | 78699,69,08 |
| **योग** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत<br>(बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) | **104308,41,87** | 95914,76,45 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित | **,38,20** | 10,61,47 |
| iii) असुरक्षित | **23090,25,67** | 25325,83,00 |
| **योग** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| ग. I. भारत में अग्रिम | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | **47658,09,21** | 49505,99,46 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | **373738,370** | 10328,63,88 |
| iii) बैंक | **-** | - |
| iv) अन्य | **42367,12,83** | 61416,57,58 |
| **योग** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| ग. II. भारत के बाहर अग्रिम | **-** | - |
| **सकल योग (ग.I और ग.II)** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |

(₹ 000टs omitted)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 - स्थाई आस्तियाँ** | | | | |
| **I. परिसर** | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर | **1192,97,78** | | 924,01,08 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **4,88,82** | | 278,80,22 | |
| | **1197,86,60** | | 1202,81,30 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियां | **1,23,54** | | 9,83,52 | |
| | **1196,63,07** | | 1192,97,78 | |
| यथातिथि मूल्यह्रास | **176,38,16** | | 151,42,90 | |
| | **1020,24,91** | | 1041,54,88 | |
| जोड़ें : कार्यगत पूंजी | **,32,19** | **1020,57,10** | 4,29,26 | 1045,84,14 |
| **II. अन्य स्थाई आस्तियां (फर्नीचर एवं जु?नार सहित )** | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर | **1454,64,17** | | 1416,61,69 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **99,36,71** | | 57,52,75 | |
| | **1554,00,88** | | 1474,14,44 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियां | **18,41,30** | | 19,50,28 | |
| | **1535,59,59** | | 1454,64,17 | |
| यथातिथि मूल्यह्रास | **1233,43,30** | | 1137,50,48 | |
| | **302,16,29** | | 317,13,69 | |
| जोड़ें : कार्यगत पूंजी | **,19,91** | **302,36,20** | ,11,05 | 317,24,74 |
| **III. अमूर्त्य आस्तियां [कम्प्यूटर आस्तियां]** | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर | **270,61,62** | | 243,06,48 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **39,68,48** | | 37,04,08 | |
| | **310,30,10** | | 280,10,56 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियां | **2,87,07** | | 9,48,94 | |
| | **307,43,03** | | 270,61,62 | |
| यथातिथि मूल्यह्रास | **250,96,19** | **56,46,84** | 211,85,68 | 58,75,94 |
| | **56,48,48** | | | |
| **योग (I and II)** | | **1379,40,14** | | 1421,84,82 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | **यथा 31.03.2020 ₹** | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां** | | |
| I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | **378,68,19** | - |
| II. उपचित ब्याज | **1950,56,11** | 1706,05,05 |
| III. अग्रिम/टीडीएस में प्रदत्त कर | **238,98,31** | 290,87,82 |
| IV. ववाद के अधीन प्रदत्त कर | **3422,70,42** | 2927,45,72 |
| V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | **4612,93,43** | 5446,25,82 |
| VI. मैट क्रेडिट -पात्रता | **671,32,70** | 651,38,99 |
| VII. सेनवेट/इनपुट कर जमा | **15,31,07** | 39,78,84 |
| VIII. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प | **4,39,95** | 4,78,60 |
| IX. दावों की शोधन में प्राप्त गैर बैंकिंग | **,9,44** | ,9,44 |
| X. आरआईडीएफ/सिडबी/आरएचडीएफ के तहत नाबार्ड के पास जमा | **4651,36,68** | 5918,77,72 |
| XI. **अन्य** | **1374,34,68** | 1371,08,40 |
| **योग** | **17320,70,98** | 18356,56,40 |
| **अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं** | | |
| I. कर्ज के रुप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे | **5485,82,48** | 3232,79,24 |
| II. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष -आरबीआई के साथ शेष राशि | **128,87,72** | 116,56,16 |
| III. क. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं हेतु देयता | **16947,42,19** | 36004,23,88 |
| ख. व्युत्पन्नी | **-** | 924,00,00 |
| IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ | | |
| क) भारत में | **10908,95,60** | 11583,83,58 |
| ख) भारत के बाहर | **169,31,97** | 223,25,88 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं | **3027,80,49** | 4189,45,19 |
| VI. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है | **59,30,40** | 105,06,62 |
| VII. रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ | **-** | 6246,42,42 |
| **योग** | **36727,50,85** | 62625,62,97 |
| वसूली के लिए बिल | **14364,16,42** | 13747,30,85 |
| **अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज** | | |
| I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा | **10721,46,80** | 10992,59,45 |
| II. निवेशों पर आय | **4443,07,04** | 4120,20,01 |
| III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर - बैंक निधियों पर ब्याज | **17,88,73** | 22,85,31 |
| IV. अन्य | **988,15,37** | 486,98,26 |
| **योग** | **16170,57,94** | 15622,63,03 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची 14 - अन्य आय** | | |
| I. कमीशन , विनिमय और ब्रोकरेज | **263,81,93** | 306,98,33 |
| II. निवशों की बिक्री पर लाभ/हानि | **388,45,31** | -80,92,51 |
| III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल ) | **1,62,23** | -1,49,49 |
| IV. विनिमय लेन - देनों पर लाभ/हानि (निवल ) | **114,51,87** | 99,18,07 |
| V. भारत में अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश इत्यादि से आय* | **3,40,08** | 3,32,66 |
| VI. विविध आय | **2977,38,54** | 1544,99,81 |
| **योग** | **3749,19,96** | 1872,06,87 |
| **अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज | **10565,54,14** | 9500,24,42 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज | **200,70,72** | 119,61,64 |
| III. अन्य | **175,84,67** | 494,30,54 |
| **योग** | **10942,09,53** | 10114,16,60 |
| **अनुसूची 16 - परिचालन व्यय** | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | **3372,69,98** | 1746,94,71 |
| II. किराया, कर और बिजली | **330,62,94** | 318,31,25 |
| III मुद्रण एवं लेखन सामग्री | **23,13,00** | 21,99,57 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार | **3,87,61** | 3,08,58 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | **180,06,14** | 176,50,70 |
| VI. निदेशकों के शुल्क भत्ते और व्यय | **,83,77** | ,31,82 |
| VII. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) | **24,13,75** | 25,03,44 |
| VIII. विधिक प्रभार | **6,45,50** | 6,02,44 |
| IX. डाक और टेलीफोन आदि | **81,31,13** | 77,52,52 |
| X. मरम्मत और अनुरक्षण | **133,65,01** | 115,77,36 |
| XI. बीमा | **274,27,65** | 235,62,59 |
| XII. अन्य व्यय | **744,12,68** | 758,91,82 |
| **योग** | **5175,19,16** | 3486,06,80 |

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(बिरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए बिनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# अनुसूची 17

## महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के एकल लेखों का अंग हैं.

**1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार**

क) वित्तीय विवरण लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार तथा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा अन्यथा उल्लिखित के सिवाय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर निर्धारित मदों के अलावा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संबंधित अपेक्षाओं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान रीतियों के अनुरूप हैं.

ख) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन वर्ग से अपेक्षित होता है कि वित्तीय विवरणों के दिनांक के यथा विद्यमान रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय व व्ययों पर प्राक्कलन व अनुमान करें. प्रबंधन वर्ग का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत हैं. वास्तविक आंकड़े इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं.

**2. राजस्व निर्धारण**

क] आय को निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर निर्धारित किया गया है:

i) बैंक गारंटियों एवं साख पत्र, आपूर्तिकर्ता/क्रेता ऋण की व्यवस्था पर कमीशन, तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है.

ii) गैर-निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है.

iii) आय-कर वापसियों पर ब्याज का लेखांकन आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया गया है.

ख] परिपक्वता तक धारित प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है.

ग] बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है.

घ] प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि-ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है.

**3. अग्रिम**

क) अग्रिमें को भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर-निष्पादक अग्रिमों [एनपीए] के लिए किए गए निर्दिष्ट प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाया गया है.

ख) क्रेडिट कार्ड बकायों को उस स्थिति में एनपीए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहाँ न्यूनतम प्राप्य बकाया राशि विवरण में उल्लिखित भुगतान देय तारीख से लगातार 90 दिन से अधिक अवधि से चूक में रही है. गैर-निष्पादक कार्ड खातों से आय वित्तीय विवरण में नहीं ली गई है.

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षा के आधार पर अवमानक, संदिग्ध तथा हानि-अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है.

घ) गैर-निष्पादक अग्रिमों में वसूली निम्नलिखित क्रम में खाता वार (पार्टी वार नहीं) समायोजित की जायेगी :

i. वसूली हेतु किए गए व्यय/अन्य व्यय,

ii. व्याज संबंधी अनियमिततायें/ अर्जित ब्याज, एवं

iii. मूलधन संबंधी अनियमितता अर्थात खाते में शेष मूलधन.

ङ) वाद/एनसीएलटी खातों के संबंध में वसूली का समायोजन सक्षम प्राधिकारी/ एनसीएलटी/ न्यायतंत्र के मंजूरीकृत नियमों के अनुसार किया जाएगा.

यदि किसी मामले में गैर निष्पादक ऋण में समझौता निपटान द्वारा किया गया हो तो वसूली को पहले मूल में समायोजित किया जाएगा. उसके बाद यदि वसूली मूल राशि से अधिक होती है तो ब्याज में समायोजित किया जाएगा.

च)	भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक आस्तियों हेतु सामान्य प्रावधान को ञ्क्ष्द्र देयताएं व प्रावधान-क्ष्द्रट के तहत शामिल किया गया है.

छ)	पुन:संरचित खाते : पुन:संरचित अग्रिमों के लिए ऋण के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा अपेक्षित प्रावधान के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार किए गए हैं. अग्रिम के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान अग्रिमों से घटाया नहीं गया है तथा ऽक्ष्द्र देयताएं व प्रावधान-क्ष्द्ररु शीर्ष के तहत तुलन-पत्र में शामिल किया गया है.

## 4. निवेश

### 4.1 वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है

ळ	परिपक्वता तक धारित [एचटीएम],

ळ	बिक्री के लिए उपलब्ध [एएफएस] तथा

ळ	ट्रेडिंग के लिए धारित [एचएफटी].

बैंक, बही मूल्य या बाज़ार मूल्य, इन में से न्यूनतम मूल्य पर निवेशों को एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरित करता है. अर्थात्, जहाँ अंतरण के समय बाज़ार मूल्य बही मूल्य से अधिक है, मूल्यवृद्धि के अनदेखा किया जाना चाहिए तथा प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित किया जाना चाहिए. ऐसे मामले जहाँ बाज़ार मूल्य बही मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण को दिनांक को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, सहित) के विरुद्ध धारित मूल्यह्रास पर प्रावधान को बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए तथा प्रतिभूति बाज़ार मूल्य पर अंतरित किया जा सकता है.

यदि प्रतिभूति मूलत: बट्टे पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे अर्जन मूल्य/बही मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए. (यह नोट किया जाए कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार एचटीएम प्रवर्ग के तहत धारित प्रतिभूतियों पर बट्टा उपचित करने की अनुमति नहीं है तथा, अत:, ऐसी प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक अर्जन लागत पर धारण जारी रखा जाए). अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जा सकता है.

यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे परिशोधक मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए. अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जा सकता है.

एएफएस से एचएफटी प्रवर्ग में या विलोमत: प्रतिभूतियों को अंतरित करने पर, अंतरण की तारीख को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है तथा संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया है तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में या विलोमत: अंतरित किया जा सकता है.

हालांकि, तुलन-पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को 6 वर्गों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकारी विशेष प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर तथा बाँड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र, प्रतिभूति रसीद, राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियाँ तथा वेंचर पूंजी निधि).

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1)	मांग तथा मीयादी देयताओं के प्रतिशत के रूप में भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश.

2)	पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांड.

3)	अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश.

4)	उद्यम पूँजी निधियों में निवेश, 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक गिरावट से तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं.

ङ)	बुनियादी संरचनागत गतिविधियों में लगे कंपनियों द्वारा जारी दीर्घावधि बॉण्डों में निवेश.

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियाँ 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं तथा अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे बिक्री करने में असमर्थ या अत्यंत अस्थिरता या बाज़ार के दिशाहीन होने पर, निदेशक मंडल/आल्को/ निवेश समिति के अनुमोदन के साथ उन्हें एएफएस श्रेणी में अंतरित किए जाते हैं.

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है.

**4.2 मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजन :**

क] परिपक्वता तक धारित : परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश भारित औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं. अधिग्रहण पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है. अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में अस्थाई को छोड़कर अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का निर्धारण किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है. वेंचर पूंजी निधि में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

ख] बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित :

(i) इन प्रवर्गों (व्यापार के लिए धारित तथा बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के तहत वर्गीकृत) में निवेश को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी तथा एएफएस हेतु क्रमशः मासिक तथा तिमाही अंतराल में बाज़ार/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर अंकित किया गया है. जबकि ऊपर 4.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत परिणामी निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, को लाभ एवं हानि लेखे में प्रावधान एवं आकस्मिकता के रूप में निर्धारित किया गया है तथा मूल्यह्रास हेतु पहले किए गए प्रावधान की हद तक को छोड़कर निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है.

(ii) मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे प्रावधान एवं आकस्मिकता में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं आधिस्य के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है.

(iii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाजार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | केद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ | (i) उद्धृत : एफआईएमएमडीए द्वारा दिए कोटेशन के अनुसार बाज़ार मूल्य पर.<br>(ii) अनुद्धृत : एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर |
| 2. | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियाँ, केद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ) | (i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों पर.<br>(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर |
| 3. | ट्रेजरी बिल (पीडी कारोबार के कारण रखे ट्रेज़री बिलों सहित)/जमा प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पत्र | रखाव लागत पर. |
| 4. | ईक्विटी शेयर | (i) उद्धृत : बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत : कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार निश्चित विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा ‘ 1/- प्रति कंपनी. |
| 5. | अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड | (i) उद्धृत : बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत : उचित परिपक्वता प्रतिफल पर |
| 6. | म्यूचुअल फंड | (i) उद्धृत : बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत : पुनर्क्रय मूल्य या प्रत्येक योजना में फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्क्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है) |
| 7. | उद्यम पूंजी निधि | (i) उद्धृत : बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत : इकाइयों के रूप में निवेशों के मामले में, अपने वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए एनएवी पर मूल्यांकन किया जाए. एनएवी पर आधारित इकाइयों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए निवेशों के एएफएस प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरण के समय तथा वीसीएफ से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या बारंबार अंतरालों पर किए जाने वाले अनुवर्ती मूल्यांकनों पर भी प्रावधान किया जाना चाहिए. इकाइयों का कम से कम वर्ष में एकबार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए. तथापि, यदि एनएवी आँकडे दर्शाने वाले लेखा परीक्षित तुलन पत्र/ वित्तीय विवरण मूल्यांकन की तारीख के 18 माह से अधिक के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो निवेशों का मूल्यांकन 1 रुपया प्रति वीसीएफ पर किया जाए. |

**4.3 गैर-निष्पादक निवेश**

क] केद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को, जहाँ मूलधन या ब्याज की चुकौती देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, गैर-निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. केद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को मूलधन/ब्याज अदायगी बकाया रहने के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है. गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. इन प्रतिभूतियों के संबंध में अपेक्षित मूल्यह्रास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है.

ख] जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप में ऋण एवं निवेश दोनों में बैंक शामिल है तथा ऋण को गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश को भी गैर-निष्पादक के रूप में वगीकृत किया जाता है.

**स्पष्टीकरण :**

यदि निर्गमकर्ता द्वारा ली हुई कोई भी ऋण सुविधा बैंक की बही में गैर-निष्पादक है तो उसी निर्गमकर्ता द्वारा जारी किसी भी अधिमानी शेयर सहित किसी भी प्रतिभूति में उसका निवेश एनपीआई माना जाएगा. हालांकि यदि केवल अधिमानी शेयर एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं तो उसी निर्गमकर्ता द्वारा किसी अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा एवं उधारकर्ता को दी गयी किसी भी निष्पादक ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा.

**4.4 रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन**

बाज़ार रेपो के तहत रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए परिपत्र संदर्भ: संख्या RBI/2018-19/24 FMRD.DIRD.01/14.03.038/2018-19, दिनांकित 24.07.2018 के जरिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंड तथा चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) तथा सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) के तहत रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए संदर्भ भा.रि.बैं. /2015-2016/403 एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.002/2015-16 दिनांकित 19.05.2016 के जरिए जारी लेखांकन दिशानिदेशों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जाता है.

रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए बैंकों द्वारा आरबीआई के एलएए? एवं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसए?) के तहत पालन की जाने वाली लेखांकन मानक, मार्केट रेपो लेनदेनों के लिए निर्धारित लेखांकन मानक के अनुरूप होगा. इसके अतिरिक्त, मार्केट रेपो लेनदेनों से आरबीआई के रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों को भिन्न करने के लिए, मार्केट रेपों लेन देनों हेतु चलाये जा रहे खातों की तरह एक समानान्तर खातों के सेट को, जिसके आगे ऽल्रग्ङ्ख्ल्लरु लगा हो, को चलाया जा सकता है.

एलएएफ/एमएसएफ लेनदेन में हेयरकट की गणना समपार्श्विक प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य के बजाए बा?ार मूल्य पर ही करें;

आरबीआई के साथ रिवर्स रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूतियों को एसएलआर का दर्जा प्रदान करें; एवं

आरबीआई के परिपत्र संख्या एफएमआरडी.डीआईआरडी.5/14.03.002/2014-15 दिनांकित 05 फरवरी 2015 में उल्लेखित नियमों के अनुसार बाजार प्रतिभागियों के साथ एलएएफ रिवर्स रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूतियों के पुनर-रेपो की अनुमति दें.

**4.5 निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन**

i) बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु निपटान तारीख पद्धति का पालन करता है;

ii) लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है;

iii) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है; एवं

iv) निम्नलिखित निवेशों की बिक्री पर, आय में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली आय/ हानि का हिस्सा लाभ/हानि के रूप में माना जाएगा:

1) निर्धारित आय प्रतिभूतियों की बिक्री कीमत/ मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि के रूप में माना जाए.

ख) तरल म्यूचुअल फंड सहित म्यूचुअल फंड बिक्री कीमत/ मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि के रूप में माना जाए.

ग) बट्टागत प्रतिभूतियों ,अर्थात्, सीडी/सीपी/टी-बिल हेतु, बिक्री कीमत तथी रखाव लागत (बही मूल्य + उपचित ब्याज) के बीच के अंतर को निवेश पर लाभ/ हानि के रूप में माना जाए.

## 5. स्थिर आस्तियाँ

**क].** **i)** स्थिर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है. लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है. स्थिर आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को समीक्षा की जाती है तथा किसी भी क्षति हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार समायोजित किया गया है.

ii) भूमि और बिल्डिंग (लीजधारण भूमि को छोडकर), जो कि परिसर का एक भाग है, का सितंबर, 2018 के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया एवं उसे दो मूल्यांकन रिपोर्टों के औसत बा?ार मूल्य के रूप में दर्शाया गया और ऐसी आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों में जमा करके दिखाया गया है. परिणामस्वरूप, इन आस्तियों पर मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा समान राशि को संचित मूल्यह्रास में समायोजित किया गया है. मूल्यह्रास तथा पुनर्मूल्यांकित रखाव राशि के बीच के अंतर तथा उसकी मूल लागत पर मूल्यह्रास को आईसीएआई संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर लेखांकन मानक (एएस) 10 के अनुसार भूमि तथा भवन के पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किया जाता है.

iii. आस्तियों की क्षति :

जहाँ किन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी आस्ति के रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, वहाँ स्थिर आस्तियों की क्षति हेतु समीक्षा की गई है. धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता किसी आस्ति की रखाव राशि से उक्त राशि से प्रत्याशित भावी निवल बट्टाकृत नकद प्रवाह की तुलना द्वारा मापा जाता है. यदि ऐसी आस्तियों को क्षत माना जाता है, तो उक्त आस्ति के उचित मूल्य से जितनी अधिक उसकी रखाव राशि है, उससे क्षति का निर्धारण किया जाता है.

iv. कार्यगत पूँजी में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है तथा स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने हेतु प्रदत्त अग्रिम भी शामिल है.

**ख].** पूँजीकरण के दिनांक से जहाँ सीधी रेखा पद्धति के तहत मूल्यह्रास प्रदान किया गया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधान के अनुसार आस्ति के उपयोगी समय पर विचार करते हुए आस्तियों हेतु मूल्यह्रास प्रदान किया गया है. सावधानी के मामले के रूप में बैंक ने पाया कि निम्नलिखित आस्तियों का उपयोगी समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II (संदर्भ: धारा 123)में उल्लिखित आस्तियों के संबंधित प्रवर्ग के उपयोगी समय से कम है :

क) मोटर साईकल, स्कूटर और अन्य मोपेड - 8 वर्ष

(कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

ख) मोबाइल फोन - 3 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 15 वर्ष के सापेक्ष)

ग) यूपीएस तथा संबद्ध मदें - 5 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

घ) एअर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग -5 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

ङ) पट्टाधारी सुधारों का 5 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास किया जाता है.

च) जहाँ भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यह्रास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है.

## 6. देशी विनिमय संबंधी लेनदेन

क) विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों के लेनदेन की तिथि को लागू दरों पर परिकलित किया गया है. विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियाँ एवं देयताएं तुलन-पत्र की तिथि के भारतीय विदेश विनिमय डीलर एसोसिएशन (एफ ई डी ए आई) द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर परिकलित की गई हैं तथा परिणामी लाभ/हानियाँ लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई हैं.

ख) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परंपरागत लागत के अनुसार ली गई, लेनदेन की तारीख के विनिमय दर का प्रयोग करके रिपोर्ट की गई हैं.

ग) ट्रेडिंग के लिए धारित बकाया वायदा विनिमय हाजिर व वायदा करार विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु एफ ई डी ए आई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किए गए हैं तथा परिणामी लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

घ) विदेश विनिमय वायदा संविदाएं, जो ट्रेडिंग हेतु उद्दिष्ट नहीं हैं तथा तुलन पत्र के दिनांक को बकाया हैं, उनका पुनर्मूल्यन एफ ई डी ए आई द्वारा अधिसूचित अंतिम हाज़िर दरों पर किया गया है तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई है. ऐसे वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ पर उत्पन्न प्रीमियम या बट्टे को संविदा अवधि में ब्याज व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधित किया गया है.

ङ)	विदेशी मुद्रा में आकस्मिक देयताओं के एफ ई डी ए आई की अंतिम हाज़िर दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है.

## 7. व्युत्पन्नियाँ

क)	बैंक विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा फ्युचर, ऑप्शन तथा वायदा दर करार जैसे व्युत्पन्न संविदाएं करता है.

ख)	व्युत्पन्न करारों पर बचाव (हेज) के रूप में वर्गीकृत आय/व्यय उपचय आधार पर दर्ज की गई है.

ग)	सभी ट्रेडिंग व्युत्पन्न संविदाएं बाजार दर पर निर्दिष्ट की गई हैं तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि लेखे में विनिर्दिष्ट की गई है.

घ)	सभी व्युत्पन्न लेनदेन आकस्मिक देयताओं के तहत वर्गीकृत किए गए हैं तथा विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के लेनदेनों को एफ ई डी ए आई अंतिम हाज़िर दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट किया गया है.

## 8. बहुमूल्य धातु निहित लेनदेन

क)	बहुमूल्य धातु लेनदेन से प्राप्त आय को ञ्क्डद्र ल्द्रट के रूप में लेखांकित किया गया है. परेषण आधार पर प्राप्त धातुओं के मामले में उसे बिक्री के समय की आय के आधार पर निर्धारण किया गया है.

ख)	बहुमूल्य धातुओं के रूप में ग्राहकों को दिए गए पण्य ऋणों तथा जनता से स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत प्राप्त जमाओं को अवधि समाप्ति के समय प्रचलित बाज़ार संबद्ध दरों में परिवर्तित किया गया है तथा क्रमश: ण्डाड्डुळ्ट और ठुल्ड्डस्ट शीर्ष के तहत दर्शाया गया है.

ग)	बहुमूल्य धातुओं के अंतिम स्टाक को (अपने लेनदेन) लागत से निम्न तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर आँका गया है.

घ)	स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत धारित स्वर्ण के अंतिम स्टाक को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार संबद्ध दरों पर आँका गया है.

## 9. नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष में हस्तगत व एटीएमों में नकदी तथा हस्तगत स्वर्ण एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष शामिल हैं.

## 10. कर्मचारी हितलाभ

क)	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ हेतु बैंक खाते हैं.

ख) i)	परिभाषित लाभ योजनाएं ग्रैच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण को देय अंशदान का लेखांकन तुलन पत्र के दिनांक को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

ii)	निर्दिष्ट भविष्य निधि/ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जो परिभाषित अभिदान योजनाएँ हैं, इनमें देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

## 11. पट्टागत लेनदेन

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में लिया गया है.

## 12. आकस्मिक देयताएं एवं प्रावधान

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29 ''प्रावधान'' आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक ''आस्तिया'' के अनुरूप बैंक प्रावधानों का निर्धारण केवल तभी करता है जब विगत किसी घटना के फलस्वरूप उसे वर्तमान दायित्व होता है. यह संभव है कि जब दायित्व का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है तब आर्थिक लाभ अभिव्यक्त करने वाले संसाधनों के बाहर प्रवाह से दायित्व का निपटान करना पड़े.

संभावित दायित्व उत्पन्न करने वाले पिछली घटनाओं की पुष्टि जिनका अस्तित्व एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो पूर्णत: बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं, के घटने या न घटने पर ही, की जाएगी अथवा वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ उत्पन्न करने वाले संसाधनों का कोई बहिर्वाह दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित होगा अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है तथा लेखांकन मानक 29 के अनुसार कार्यवाई की जाती है.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया जाता है.

## 13. आय पर कर

आय कर व्यय में चालू कर (अर्थात् आय कर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार या जमा (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के बीच समय के अंतर का कर प्रभाव प्रतिबिंबित करने वाला) शामिल है.

क)	लागू कर दरों, कर विधियों और अनुकूल न्यायिक उद्घोषणाओं/विधिक अभिमतों के अनुसार कराधान प्राधिकारियों को भुगतान हेतु अपेक्षित राशि के आधार पर चालू कर को मापा गया है.

ख) आस्थगित कर प्रभार या जमा तथा अनुरूपी आस्थागित कर देयताओं या आस्तियों को उन कर दरों के प्रयोग से निर्धारित किया गया है जो तुलन-पत्र दिनांक तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं. भारिबैं की सूचना के अनुसार बैंक आस्थगित कर देयताओं को आयकर अधिनियम की धारा 36 (i) viii के अंतर्गत सृजित ''विशेष'' आरक्षित को प्रदान करता है. जहाँ तक निवेश संविभाग में मूल्यह्रास का सवाल है, चूँकि लेखों के अनुसार निवेशों पर मूल्यह्रास में अंतर और आय कर अभिकलन के अनुसार अंतर को स्थाई अंतर माना जाता है, अत: निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति डीटीएल का सृजन आवश्यक नहीं समझा गया. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण उसी सीमा तक विवेकानुसार किया गया है जहाँ यह संभाव्य निश्चितता रहती है कि आस्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है. लेकिन बैंक निवेश पर मूल्यह्रास के कारण उत्पन्न हानि पर आस्थगित कर आस्तियों को न्यता नहीं देता है क्योंकि बैंक निवेश पोर्टफोलिओ के मूल्यह्रास पर आस्थगित कर देयता को मान्यता नहीं देता.

**14. प्रति शेयर अर्जन**

मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर आय का परिकलन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन के अनुरूप किया गया है.

**15. ट्रिगर इवेंट के होने पर बेसल III आधारित अतिरिक्त टियर I बॉण्ड तथा टियर II बॉण्ड का निरूपण:**

क) ट्रिगर इवेंट अर्थात्, सामान्य इक्विटी टियर 1 ट्रिगर इवेंट के होने पर बैंक बॉण्डों के बकाया मूलधन का अवलेखन करेगा जो ''एटी '' बॉण्ड आकक्षित के सृजन द्वारा उपरोक्त सीईटी1 ट्रिगर इवेंट को बैंक के सामान्य इक्विटी अनुपात की तत्काल वापसी हेतु अपेक्षित राशि से कम नहीं होगा. इस प्रकार सृजित रिज़र्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी बॉण्ड का भाग होगा जिसे सीईटी1 ट्रिगर इवेंट के होने पर अस्थायी रूप से अवलेखित किया गया है, को एटी-1 बॉण्ड रिज़र्व में नामे करते हुए बॉण्ड निर्गम/ भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार पुन:स्थापित किया जाएगा.

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ प्वाइंट ऑफ नॉन वायेबिलिटी (पीओएनवी) ट्रिगर इवेंट के होने पर, मामले के अनुसार एटी-1 बॉण्ड रिज़र्व/ टियर II बॉण्ड रिज़र्व के तदनुरूपी सृजन के साथ स्थायी रूप से अतिरिक्त टियर I बॉण्ड मूलधन राशि के अवलेखन द्वारा सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी का सृजन कर सकते हैं. पुन:स्थापना शर्त पीओएनवी ट्रिगर इवेंट की घटना पर लागू नहीं है.

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(विरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# अनुसूची 18

## स्टैण्डअलौन टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों का अभिन्न अंग हैं

**क. भा रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रकटन**

**1. पूंजी**

क) वर्ष के दौरान, बैंक ने 08 नवंबर, 2019 को बेसल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड्स के माध्यम से रू. 1000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

ख) बैंक की पूँजी भारित जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार की गयी है। ये अनुपात निम्नवत् हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| | | बेसल III | बेसल III |
| i) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात | 9.04% | 10.39% |
| ii) | टियर 1 पूंजी अनुपात | 9.04% | 10.52% |
| iii) | टियर 2 पूंजी अनुपात | 2.49% | 1.78% |
| iv) | कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) | 11.53% | 12.30% |
| v) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | 93.50% | 93.50% |
| vi) | वर्ष के दौरान संग्रहित ईक्विटी पूँजी की राशि | - | 11,746.97 |
| vii) | संग्रहीत अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें | - | - |
| | शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) | - | - |
| | शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई) | - | - |
| viii) | संग्रहीत टियर 2 पूँजी; जिसमें से | - | - |
| | ऋण पूँजी लिखत | 1,000.00 | - |
| | अधिमान्य शेयर पूँजी लिखत | - | - |
| | शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) | - | - |
| | प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) | - | - |
| | प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) | - | - |

**2. निवेश**

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं | विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | **निवेशों का मूल्य** | | |
| | (i) निवेशों का सकल मूल्य | | |
| | (क) भारत में | 67,608.19 | 61,214.62 |
| | (ख) भारत के बाहर | 0.54 | 0.54 |
| | (ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | | |

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं | विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|---|
| | (क) भारत में | 1,176.30 | 1,235.97 |
| | (ख) भारत के बाहर | शून्य | शून्य |
| | (iii) निवेशों का निवल मूल्य | | |
| | (क) भारत में | 66,431.89 | 59,978.65 |
| | (ख) भारत के बाहर | 0.54 | 0.54 |
| **2.** | **निवेशों में मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की स्थिति** | | |
| | प्रारंभिक शेष | 1,235.97 | 1,139.02 |
| | जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 92.54 | 332.69 |
| | घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन | 152.21 | 235.74 |
| | **अंतिम शेष** | 1,176.30 | 1,235.97 |

2.1 क) वर्ष के दौरान ''परिपक्वता तक धारित'' वर्ग के तहत आनेवाली प्रतिभूति के संबंध में ₹ 82.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 78.94 करोड.) के प्रीमियम को परिशोधित किया गया ।

ख) वर्ष के दौरान ''ट्रेडिंग के लिए धारित'' वर्ग के तहत आनेवाली प्रतिभूति के लिए कोई मूल्यह्रास नहीं है (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) था ।

ग) वर्ष के दौरान ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' वर्ग के तहत निवेश के लिए ₹ 28.63 करोड़ का मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹ 58.96 करोड़ दिया गया) प्रावधान वापिस किया गया ।

घ) वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 571.20 करोड़ (गत वर्ष ₹ 8692.84 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' प्रवर्ग से ₹ 21.73 करोड़ (गत वर्ष ₹ 238.52 करोड़) के मूल्यहास को ''परिपक्वता तक धारित'' प्रवर्ग में अंतरित किया, ₹ 592.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 12390.91 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को ''परिपक्वता तक धारित'' प्रवर्ग से ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' के लिए प्रवर्ग में अंतरित किया है, शून्य करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को ''परिपक्वता तक धारित'' से ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' प्रवर्ग में अंतरित किया है और ₹ शून्य करोड़ (गत वर्ष शून्य) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए ''परिपक्वता तक धारित'' से ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' प्रवर्ग में अंतरित भी किया है।

ङ) वर्ष के दौरान, एचटीएम प्रवर्ग में/से प्रतिभूतियों की बिक्री/अंतरण का मूल्य {प्रतिभूतियों का संविभाग अंतरण (भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत एक बारगी/विशेष विंडो के अंतर्गत) और ओएमओ नीलामियों में भा.रि.बैं. को बिक्री को छोड़कर}वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम प्रवर्ग में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक था। 31.03.2020 को एचटीएम वर्ग में धारित निवेश का मूल्य रू.53,995.42 करोड़ था (पिछले वर्ष रू. 47,641.72 करोड़)। बाजार मूल्य से बही मूल्य का आधिक्य शून्य है (पिछले वर्ष ₹ 817.53 करोड़) ।

च) सरकारी प्रतिभूतियों की राशि ₹108.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 661.85 करोड़) सीसीआईएल / एनएससीसीएल / एमसीएक्ससीसीएल / आईसीसीएल के साथ सेटलमेंट गारंटी फंड या डिफॉल्ट फंड के लिए गिरवी रखी गयी है।

छ) सरकारी प्रतिभूतियां सहित ₹ 2171.23 करोड़ रुपये (गत वर्ष 20244.57 करोड़ रुपये) का निवेश एलएएफ-रेपो / ट्रेप्स / सीआरओएमएस-रेपो / सीबीएलओ आईडीएल (जैसा लागू है) के तहत उधार लेने के लिए गिरवी रखी गई हैं. जिसमें ₹ 201.71 करोड़ (गत वर्ष 5084.32 करोड़ थी) पर ऋण लिया गया है।

### 2.2 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के आधार पर)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया |
|---|---|---|---|---|
| **रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| i. सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 8588.95 | 3360.38 | 0.00 |
| ii. कार्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii. कोई अन्य प्रतिभूति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| i. सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 1535.03 | 69.47 | 0.00 |
| ii. कार्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii. कोई अन्य प्रतिभूति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 2.3 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

#### i) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

| क्र. सं. | जारीकर्ता | राशि | निजी नियोजन की मात्रा | निवेश ग्रेड से निम्न की मात्रा | ''अनारक्षित'' प्रतिभूति की मात्रा | ''गैर-सूचिबद्ध'' प्रतिभूति की मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सा.क्षे.उद्यम (सा.क्षे. बैंकों व सा.क्षे. वि. संस्थाओं को छोड़कर) | 934.60 | 5.16 | - | - | - |
| 2 | वित्तीय संस्थाएं | 1,611.99 | 1,609.28 | - | - | - |
| 3 | बैंक | 2,242.02 | 2,242.02 | - | - | - |
| 4 | निजी कार्पोरेट | 1,363.09 | 1,340.34 | 90.58 | 80.58 | 80.58 |
| 5 | अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम | 56.25 | 56.25 | - | - | - |
| 6 | अन्य | 15,618.94 | 14,788.12 | - | - | - |
| 7 | मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान | (1,176.30) | - | - | - | - |
| | **कुल** | **20,650.59** | **20,041.17** | **90.58** | **80.58** | **80.58** |

टिप्पणी - उपर्युक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती।

#### ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष** | **934.69** | **860.73** |
| 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन | 29.49 | 99.14 |
| उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी | 95.12 | 25.18 |
| **इतिशेष** | **869.06** | **934.69** |
| **धारित कुल प्रावधान** | **857.99** | **889.02** |

## 3. व्युत्पन्नियां

### 3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मदें | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | स्वैप करार का आनुमानिक मूलधन | - | - |
| ii) | करारों के तहत यदि प्रति पार्टियाँ अपने दायित्व पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होनेवाली हानि | - | - |
| iii) | स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | - | - |
| iv) | स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण | - | - |
| v) | स्वैप बही का उचित मूल्य | - | - |

### 3.2 एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतें

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| (i) | वर्ष के दौरान एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानित मूल राशि (उपकरणवार) | - | - |
| (ii) | बकाया एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानित मूल राशि (उपकरणवार) | - | - |
| (iii) | बकाया परंतु ''अधिक प्रभावी'' नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानि मूल राशि (उपकरणवार) | - | - |
| (iv) | बकाया परंतु अधिक प्रभावी नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों का बाजार-को-अंकित मूल्य (उपकरणवार) | - | - |

### 3.3 व्युत्पन्न लिखतों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन:

**(i) गुणात्मक प्रकटन:**

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की व्युत्पन्न नीति बैंक को काउंटर (ओटीसी) पर तथा एक्सचेंज में व्यापारगत (ईटी) ब्याज दर तथा करेंसी व्युत्पन्न लिखतों के लेनदेन की अनुमति देती है। यह नीति ग्राहकों को विदेशी मुद्रा निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्पादों को प्रस्तुत करने, जो अंतर बैंक बाज़ार में बैक-टु-बैक आधार पर आवरित होने हैं, की अनुमति देती है। व्युत्पन्नों को बैक द्वारा व्यापार तथा तुलन पत्र मदों की ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में बैंक द्वारा वायदा व करेंसी फ्यूचरों वाले व्युत्पन्नों में सौदे किए।

ख) बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करती है। बैंक का एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) स्वतंत्र रूप से व्युत्पन्न लिखत लेनदेनों संबंधी बाज़ार जोखिम अभिनिर्धारित करता है, उसे मापता है, निगरानी करता है और इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में आल्को की मदद करता है तथा नियमित अंतरालों में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को नीतिगत परामर्शों के अनुपालन की रिपोर्ट देता है।

ग) व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में बाज़ारी जोखिम है, अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण बैंक को संभाव्य हानि तथा उधार जोखिम है, अर्थात् यदि प्रति पार्टियाँ अपनी वचनबद्धता का पालन नहीं करती हैं तो बैंक को होने वाली संभाव्य हानि। व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में शामिल होने के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की ''डेरीवेटिव पॉलिसी बाज़ार'' जोखिम मानदण्ड तथा ग्राहक विनियोजन नीति निर्धारित करती है। केवल उन प्रतिपार्टियों के साथ व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में शामिल होकर उधार जोखिम नियंत्रित की जाती है, जिनको वचनबद्धता के पालन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उधार सीमा मंजूर है। बैंक प्रत्येक प्रतिपार्टी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर्स एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

घ) उल्लेखनीय लेखांकन नीति में उल्लिखित व्युतपन्नियों हेतु लेखांकन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं तथा राजस्व तदनुसार निर्धारित किए गए हैं।

ii) मात्रात्मक प्रकटन

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | | 31 मार्च, 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मुद्रा व्युत्पन्न लिखतें | ब्याज दर व्युत्पन्न लिखते | मुद्रा व्युत्पन्न लिखतें | ब्याज दर व्युत्पन्न लिखते |
| 1 | **व्युत्पन्न लिखतें (आनुमानिक मूलधन)** | | | | |
| | क) हेजिंग हेतु | - | - | - | - |
| | ख) ट्रेडिंग हेतु | - | - | - | - |
| 2 | **बाज़ार को अंकित स्थिति** | | - | | - |
| | क) आस्तियाँ (+) | - | - | - | - |
| | ख) देयताएं (-) | - | - | - | - |
| 3 | **ऋण एक्सपोज़र** | - | - | - | - |
| 4 | **आईआरएसों तथा सीसीएसों पर ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100*पीवी 01)** | | | | |
| | क) हेजिंग व्युत्पन्न लिखतों पर | - | - | - | - |
| | ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न लिखतों पर | - | - | - | - |
| 5 | **आईआरएसों तथा सीसीएसों हेतु वर्ष के दौरान अवलोकि त 100* पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम** | | | | |
| | **क) हेजिंग पर** | | | | |
| | i) अधिकतम | - | - | - | - |
| | ii) न्यूनतम | - | - | - | - |
| | **ख) ट्रेडिंग पर** | | | | |
| | i) अधिकतम | - | - | - | - |
| | ii) न्यूनतम | - | - | - | - |

## 4. आस्ति गुणवत्ता

### 4.1 अग्रिम

क) गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं के मामले में, शाखा प्रबंधकों द्वारा यथा प्रमाणित अग्रिमों का वर्गीकरण समाविष्ट किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए हेतु ₹ 4229.91 करोडॉ (गत वर्ष ₹ 12,002.72 करोड़). बैंक ने गैर-निष्पादक अग्रिमों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यथा 31 मार्च, 2020 को ₹ 12853.33 करोड़ (गत वर्ष ₹ 13,525.38 करोड़) का संचयी प्रावधान किया।

### 4.2 गैर- निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| **(i) (क) निवल गैर- निष्पादक आस्तियाँ** | **6,256.97** | **6,926.64** |
| **(ख) गै. नि. आ. अनुपात** | | |
| i) सकल अग्रिमों में सकल गै.नि. आ. | 13.80% | 15.35% |
| ii) निवल अग्रिमों में गै.नि.आ. | 4.91% | 5.71% |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| **(ii) गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी-बढ़त (सकल)** | | |
| क) अथशेष | 20,723.68 | 22,213.44 |
| ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन | 4,336.27 | 6,282.60 |
| ग) वर्ष के दौरान कमी | 5,660.93 | 7,772.37 |
| घ) इतिशेष | 19,399.02 | 20,723.68 |
| **(iii) निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी-बढ़त** | | |
| क) अथशेष | 6,926.64 | 14,077.02 |
| ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन | 106.36 | -5,720.12 |
| ग) वर्ष के दौरान कमी | 776.03 | 1430.26 |
| घ) इतिशेष | 6,256.97 | 6,926.64 |
| **(iv) गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधान की स्थिति** (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर) | | |
| क) अथशेष | 13,525.38 | 7,929.68 |
| ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 4,229.91 | 12,002.72 |
| ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते लिखना/पुनरांकन/ प्रत्यावर्तित प्रावधान | 4,901.97 | 6407.02 |
| घ) इतिशेष | 12,853.32 | 13,525.38 |
| **(v) गैर-निष्पादक निवेशों की राशि** | **869.06** | **934.69** |

**4.3 एनपीए हेतु आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं .DBR.BPBC.No.32.21.04.018.2018-19 दिनांकित 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार,यदि एनपीए के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भित अवधि के लिए प्रावधान और आकस्मिक व्यय पूर्व रिपोर्ट किए गए निवल लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक हो, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भित अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हो, तो बैंकों को आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का प्रकटन करना आवश्यक है।:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए | 20,723.68 |
| 2 | भा.रि. बैंक के मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए | 20,967.68 |
| 3 | सकल एनपीए में विचलन (2-1) | 244.00 |
| 4 | 31 मार्च, 2019 को निवल एनपीए | 6,926.64 |
| 5 | भा.रि.बैंक के मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को निवल एनपीए | 6,709.87 |
| 6 | निवल एनपीए में विचलन (5-4) | -216.77 |
| 7 | बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान | 11,585.14 |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 8 | भा.रि.बैंक के मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान | 12,045.91 |
| 9 | प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) | 460.77 |
| 10 | 31, मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट की गई कर पश्चात् निवल लाभ | -6,332.98 |
| 11 | प्रावधानीकरण में विचलन को लेने के बाद 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ/(हानि) | -6,672.74 |

नोट - यथा 31 दिसंबर, 2019 बैंक ने उक्त विचलन के सापेक्ष पूर्ण प्रावधान किया गया है,

4.4 विश्व भर में कोविड 19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आ गई है। इस परिस्थिति में, यद्यपि चुनौतियां समाप्त नहीं हुई हैं, फिर भी बैंक उस को पूरा करने के लिए सभी मोर्चों पर अपनी प्रयास कर रहा है। अनिश्चितता बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 महामारी बैंक की संपत्ति पर किस हद तक प्रभाव डालेगी यह भविष्य में होने वाली घटना पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा कोविड-19 महामारी की गंभीरता के बारे में कोई नई जानकारी और इसका फैलाव रोकने या इसके प्रभाव को कम करने वाले कोई भी कार्रवाई शामिल हैं चाहे वह सरकार का आदेश या बैंक द्वारा चुना गया हो।

संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर ञ्कोविड19 विनियामक पैकेजट से संबंधित आरबीआई दिशानिर्देश दिनांकित 27.03.2020 और 17.04.2020, 23.05.2020 और भारतीय बैंक के माध्यम से आरबीआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 06.05.2020 के अनुसार, बैंक ने 29 फरवरी, 2020 को अतिदेय हो तो भी उसे पुनर्गठन के समान विचार किए बिना मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं के लिए, 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच के किश्तों और / या ब्याज के भुगतान पर एक अधिस्थगन जारी कर दिया है। बैंक द्वारा आरबीआई की आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, से खाता देय होने के दिनों को शामिल नहीं किया जाएगा। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक को ऐसे उधारकर्ता खातों, जिन्हें आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है, के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाले दो तिमाहियों में बकाया अग्रिम के 10% का प्रावधान करना होगा। तदनुसार, बैंक ने उक्त परिपत्रों के संदर्भ में राहत को इस प्रकार दिया है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | एसएमए/अतिदेय श्रेणी में बकाया राशि जहां अधिस्थगन / विचलन अनुमत किया गया है। | 8441.89 |
| 2 | आस्ति वर्गीकरण लाभ दिये गए खातों में बकाया राशि | 1568.67 |
| 3 | तिमाही 4 वित्तवर्ष 19-20 को किया गए प्रावधान | 78.43 |
| 4 | मार्च-19-20 के दौरान चूक और अवशिष्ट प्रावधान के तहत समायोजित प्रावधान | शून्य |

कुल 78.42 करोड़ रुपये की आय की गणना की गयी है।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.45 / 21.04.048 / 2018-19 7 जून, 2019 के संदर्भ में, उधारकर्ताओं के संबंध में ₹ 71.06 करोड़ की राशि वाले 2 एनपीए खातों में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जहां आईसीए हस्ताक्षरित है और आरपी 180 दिनों के भीतर अभी तक लागू नहीं किया गया है तथा ₹ 44.67 करोड़ के तीसरे उधारकर्ता के खाते में किया गया प्रावधान नीचे दिए गए नोट 4.6 में उल्लिखित हार्मोनाइजेशन के कारण किया गया है और इसमें आईआरएसी मानदंड और आईसीए प्रावधान के अनुसार अपेक्षित कुल प्रावधान से अधिक है।

4.6 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंधा बैंक और कार्पोरेशन बैंक के समामेलन के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व द्वारा जारी उनके पत्र संदर्भ डीओएस (सीओ) एसएसएम-यूबीआई / 6754 / 25.01.001 / 2019-20 दिनांकित 08.06.2020के निर्देश के अनुसार हार्मोनाइजेशन को प्रभावी करने के लिए समान एक्सपोज़र वाले आठ एनपीए खातों के संबंध में 2019-20 समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए 199.86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

## 4.7 31.03.2020 को पुनगर्णित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

| क्र सं | पुनर्संरचना के प्रकार | | सीडीआर तंत्र के तहत | | | | | एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत | | | | | अन्य | | | | | कुल | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आस्ति वर्गीकरण | | मानक | अव-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल | मानक | अव-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल | मानक | अव-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल | मानक | अव-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल |
| | विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक आंक? )* | उधारकर्ताओं की संख्या | 3 | 0 | 38 | 9 | 50 | 1227 | 3 | 60 | 13 | 1303 | 51 | 2 | 116 | 32 | 201 | 1281 | 5 | 214 | 54 | 1554 |
| | | बकाया राशि | 272.67 | 0.00 | 3793.66 | 439.26 | 4505.59 | 205.60 | 0.08 | 297.02 | 167.92 | 670.62 | 490.79 | 24.03 | 3577.90 | 990.05 | 5082.77 | 969.06 | 24.11 | 7668.58 | 1597.23 | 10258.98 |
| | | उस पर प्रावधान | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.48 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 |
| 2 | वर्ष के दौरान नै पुनर्संरचना | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 4124 |
| | | बकाया राशि | 57.63 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 62.65 | 631.80 | 0.06 | 0.01 | 0.38 | 632.25 | 3.25 | 0.00 | 3.39 | 0.11 | 6.75 | 692.68 | 0.06 | 8.42 | 0.49 | 701.65 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 3 | वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक प्रवर्ग में उन्नयन | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.71 | 0.00 | -153.71 | 0.00 | 0.00 | 153.71 | 0.00 | -153.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | वित्त वर्ष के अंत में पुनर्संरचित खाते जिनके लिए अधिक प्रावधान जरूरी नहीं और इसलिए समायोजन सहित अगले वित्त वर्ष के प्रारम्भ में उन्हें पुनर्संरचित मानक खातों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है | उधारकर्ताओं की संख्या | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | -28 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| | | बकाया राशि | -19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.35 | -11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.38 | -197.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197.05 | -227.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -227.78 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की डाउन ग्रेडिंग | उधारकर्ताओं की संख्या | -1 | 0 | -8 | 9 | 0 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 3 | -6 | 8 | 0 | -8 | 2 | -12 | 18 | 0 |
| | | बकाया राशि | -48.61 | 0.00 | -1563.95 | 1612.56 | 0.00 | -0.43 | 0.29 | -0.05 | 0.19 | 0.00 | -38.26 | 14.23 | -282.89 | 306.92 | 0.00 | -87.30 | 14.52 | -1846.89 | 1919.67 | 0.00 |
| | | उस पर प्रावधान | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | -6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.75 |
| 6 | वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टाकरण | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -5 | 0 | -7 | -5 | 0 | -9 | -5 | -19 | -7 | 0 | -14 | -5 | -26 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | -85.51 | -1.89 | -87.40 | -1.47 | 0.00 | -12.90 | 0.00 | -14.37 | -30.72 | 0.00 | -786.66 | -66.46 | -883.84 | -32.19 | 0.00 | -885.07 | -68.35 | -985.61 |
| | | उस पर प्रावधान | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.82 | -31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.35 |
| 7 | वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े *) | उधारकर्ताओं की संख्या | 1 | 0 | 30 | 18 | 49 | 5337 | 2 | 57 | 14 | 5410 | 25 | 5 | 100 | 35 | 165 | 5363 | 7 | 187 | 67 | 5624 |
| | | बकाया राशि | 262.34 | 0.00 | 2149.22 | 2049.93 | 4461.49 | 824.12 | 0.43 | 284.08 | 168.49 | 1277.12 | 381.72 | 38.26 | 2358.03 | 1230.62 | 4008.63 | 1468.18 | 38.69 | 4791.33 | 3449.04 | 9747.24 |
| | | उस पर प्रावधान | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 |

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंक?ों को छो? कर जिसके लिए अधिक प्रावधान या जोखिम भारिता नहीं चाहिए (यदि लागू) (भारिबैं परिपत्र DBOD.BP.BC.No.80/21.04.132/2012-13 दिनांकित 31-01-2013)

वित्त वर्ष के दौरान नयी पुनर्संरचना में वर्तमान पुनर्संरचित खातों में बकाया ₹ 69.99 करो? की वृद्धि भी शामिल है.

वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते में डालने में वर्तमान पुनर्संरचित खातों में बकाया में ₹ 688.39 करो? की वृद्धि भी शामिल है.

### 4.8 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(₹ करोड़ में)

| क) | क्र.सं. | मद | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | i) | खातों की संख्या | - | - |
| | ii) | एससी/आरसी को बिक्री किए गए खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान) | - | - |
| | iii) | समग्र प्रतिफल | - | - |
| | iv) | विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल | - | - |
| | v) | निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ/(हानि) | ' | - |

बैंकों को अपने एनपीए के संबंध में उचित मूल्य वसूलने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, बैंक एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान को रद्द कर सकता है यदि बिक्री अपने लाभ और हानि खाते के लिए निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए है। जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई। एनपीए की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते के लिए वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा का प्रकटीकरण ''नोट्स टू अकाउंट्स'' के तहत बैंक के वित्तीय विवरणों में किया जाना चाहिए।

एनपीए की शुरुआती बिक्री के लिए प्रोत्साहन के रूप में, बैंक किसी भी कमी पर कार्रवाई कर सकता है, अगर बिक्री मूल्य दो साल की अवधि में एनबीवी से कम है। छूट प्रदान करने की यह सुविधा हालांकि 31 मार्च, 2016 तक बिक्री की गई एनपीए के लिए उपलब्ध होगी और ''नोट्स टू अकाउंट्स'' में आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन होगा।

(₹ करोड़ में)

| ख) | प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य के ब्योरे | | |
|---|---|---|---|
| | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| | (i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री की गई एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ | 137.9 | 139.63 |
| | (ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ<br>एससी/आरसी को बिक्री किए गए खातों का समग्र सूतय (निकल प्रावधान | | - |
| | **योग** | **137.9** | **139.63** |

### 4.9 खरीदी/बिक्री की गई गैर- निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण...

#### क) खरीदी गई गैर- निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण...

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (ए) | वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या | - | - |
| | (बी) | कुल बकाया | - | - |
| 2 | (ए) | इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या | - | - |
| | (बी) | कुल बकाया | - | - |

**ख) बिक्री किए गए वित्तीय आस्तियों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | बिक्री किए गए खाते | - | - |
| 2 | कुल बकाया (प्रावधान का निवल) | - | - |
| 3 | प्राप्त कुल प्रतिफल | - | - |

**4.10 मानक आस्तियों पर प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| मानक आस्तियों पर प्रावधान | 1,026.07 | 740.24 |

**4.11 31 मार्च 2020 को दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए) हेतु योजना पर प्रकटन**

(₹ करोड़ में)

| खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है । | खातों की संख्या | कुल बकाया राशि | बकाया राशि | | धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | भाग क में | भाग ख में | |
| मानक के रूप में वर्गीकृत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एनपीए के रूप में वर्गीकृत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4.12 31 मार्च 2020 को वर्तमान ऋणों के लचीले संरचना पर प्रकटन**

(₹ करोड़ में)

| अवधि | लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या | लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि | | लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों का जोखिम भारित औसत अवधि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | लचीली संरचना लागू करने से पहले (माह में) | लचीली संरचना लागू करने से बाद (माह में) |
| 2016-17* | 21 | 1288.11 | 1379.93 | 87 | 224 |
| 2017-18* | 5 | 315.16 | 196.32 | 129 | 269 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*31.03.2020 को सभी उधार खातों हेतु राशि बकाया

**4.13 31 मार्च, 2020 को रणनीतिपरक ऋण पुनर्सरचना योजना (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति में हैं) पर प्रकटना**

(₹ करोड़ में)

| खातों की संख्या जहाँ एसडीआर लागू कियागया है । | रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि | | उन खातों हेतु रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि जहाँ ऋण से ईक्विटी का परिवर्तन लंबित है । | | उन खातों हेतु रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि जहाँ ऋण से ईक्विटी का परिवर्तन किया गया है । | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| - | - | - | - | - | - | - |

**4.14 31 मार्च 2020 को एसीडीआर से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन योजना (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति में हैं) पर प्रकटन**

(₹ करोड़ में)

| खातों की संख्या जहाँ बैंकने लागू करने का निर्णय लिया है। | रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि | | उन खातों हेतु रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि जहाँ ऋण से | | उन खातों हेतु रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि जहाँ ऋण से | | उन खातों हेतु रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि जहाँ निम्नलिखित द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन परिकल्पित है | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वामित्व में परिवर्तन | | | ईक्विटी/ईक्विटी शेयरों की बंधक किया जाना लंबित है | | ईक्विटी/ईक्विटी शेयरों की बंधक किया गया है | | नए शयरों का निर्गम या प्रवर्तकों के ईक्विटी की बिक्री | |
| | मानक के रूपमें वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.15 31 मार्च, 2020 को कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटना (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति में है)**

(₹ करोड़ में)

| परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व परिवर्तित करने का निर्णय लिया है | रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | पुनर्सरचित मानक के रूप में वगीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| - | - | - | - |

**5.0 कारोबार अनुपात**

| क्र सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का % | 7.64% | 7.74% |
| ii) | औसत कार्यशील निधियों में ब्याजेतर आय का % | 1.77% | 0.93% |
| iii) | औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ % | 1.80% | 1.93% |
| iv) | आस्तियों पर प्रतिलाभ | -1.13% | -3.14% |
| v) | प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियाँ और अग्रिम) (₹ करोड़ में) | 19.00 | 17.2 |
| vi) | प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) | -0.14 | -0.36 |

**नोट :** औसत कार्यकारी निधि वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान भारिबैं को रिपोर्ट की गयी कुल आस्तियों का औसत है|

**6. आस्ति देयता प्रबंधन**

**31 मार्च 2020 को आस्ति एवम देयताओ का परिपक्वता पैटर्न**

(₹ करोड़ में)

| क्र सं | विवरण | दिन 1 | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दि-2मा | >2मा-3मा | >3मा-6मा | >6मा-1व | >1व-3व | >3व-5व | >5व | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | निवल ऋण एवं अग्रिम | 1,291.34 | 3,358.49 | 1,818.31 | 5,903.46 | 1,224.44 | 7,857.80 | 4,630.91 | 31,432.85 | 46,718.02 | 11,021.98 | 12,141.46 | 127,399.05 |
| ii) | निवेश | 14,901.29 | 1,507.66 | 1,078.18 | 763.13 | 1,561.37 | 648.64 | 2,861.91 | 7,963.40 | 6,856.04 | 1,480.62 | 26,810.20 | 66,432.43 |
| iii) | जमाराशियाँ | 1,954.45 | 5,539.92 | 5,599.67 | 4,507.89 | 8,717.07 | 4,317.72 | 14,052.22 | 32,209.97 | 39,336.36 | 9,072.38 | 80,047.11 | 205,354.78 |
| iv) | उधार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.35 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 208.35 | 20.80 | 2.40 | 1,500.00 | 2,301.06 |
| v) | विदेशी मुद्रा आस्तियां | 133.68 | 464.27 | 25.03 | 1,548.48 | 187.62 | 286.11 | 328.32 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989.09 |
| vi) | विदेशी मुद्रा देयताएं | 191.08 | 60.06 | 35.39 | 62.83 | 65.41 | 145.99 | 54.88 | 415.61 | 485.94 | 235.71 | 0.00 | 1,752.90 |

31 मार्च, 2019 को आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

| क्र सं | विवरण | दिन 1 | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31दि-2मा | >2मा-3मा | >3मा-6मा | >6मा-1व | >1व-3व | >3व-5व | >5व | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | निवल ऋण एवं अग्रिम | 2,523.15 | 3,911.14 | 2,947.07 | 10,030.70 | 4,038.97 | 4,743.17 | 4,008.70 | 9,049.22 | 55,784.55 | 12,796.43 | 11,418.11 | 121,251.20 |
| ii) | निवेश | 10,425.80 | 1,952.58 | 1,016.26 | 726.70 | 1,792.17 | 979.14 | 2,956.55 | 4,309.18 | 6,437.63 | 2,259.04 | 27,124.15 | 59,979.20 |
| iii) | जमाराशियाँ | 1,997.39 | 3,145.49 | 4,538.15 | 2,797.92 | 6,202.79 | 4,701.21 | 15,802.56 | 25,914.92 | 35,836.32 | 9,075.18 | 74,555.91 | 184,567.84 |
| iv) | उधार | 0.00 | 4,706.06 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 503.00 | 503.16 | 43.51 | 21.51 | 12.80 | 2,600.00 | 8,394.26 |
| v) | विदेशी मुद्रा आस्तियां | 362.47 | 2,685.04 | 28.44 | 152.59 | 313.49 | 324.66 | 200.89 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068.55 |
| vi) | विदेशी मुद्रा देयताएं | 191.95 | 58.51 | 31.46 | 63.70 | 60.27 | 176.65 | 152.37 | 374.17 | 383.37 | 244.67 | 0.00 | 1,737.13 |

## 7. एक्सपोजर

### 7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| क्र.स. | श्रेणी | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| ए) | **प्रत्यक्ष एक्सपोजर** | | |
| i) | **आवासीय बंधक** | | |
| | ऐसी आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूत उधार जहाँ उधारकर्ता रहता है या रहेगा या भाड़े पर दिया है; | 16,080.01 | 15872.14* |
| | जिसमें से, प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र में शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण | (7,568.90) | (7102.24)* |
| ii) | **वाणिज्यिक स्थावर संपदा** | | |
| | वाणिज्यिक स्थावर संपदा(कार्यालय भवन,खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवारीय आवासीय भवन, बहु -किराएदारी वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार । एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित सीमाए (एनएफ बी) भी शामिल | 3,613.92 | 2,660.32 |
| | जिनमें से, रिहाइशी आवास हेतु वाणिज्यिक स्थावर संपदा | (566.83) | (1,028.94) |
| (iii) | **बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिगत वित्त एक्सपोजर** | | |
| | ए. आवासीय | 400.36 | 164.90 |
| | बी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा | - | - |
| बी) | **अप्रत्यक्ष एक्सपोजर** | | |
| | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर, स्टेट हाउसिंग बोर्डों तथा कार्पोरेशनों सहित | 8,480.37 | 5,790.09 |
| | स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर | 28,574.66 | 24,487.45 |

* inclusion of let out accounts

### 7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| | क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | i) | ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि विशेष रूप से कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;*** | 1,034.79 | 1,146.89 |
| | ii) | शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर अग्रिम या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर अग्रिम; | - | 0.21 |
| | iii) | किसी अन्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; | 0.03 | 0.03 |
| | iv) | किसी अन्य उद्देश्यों हेतु उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित है अर्थात्, जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बाँडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति ''अग्रिमों को पूर्णत: रक्षित नहीं करते है''; | 58.50* | 218.53* |
| | v) | शेयर दलालों को जमानती तथा गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों तथा बाजार विनिर्माताओं की ओर से जारी गारंटियाँ; | 4.65 | 5.85 |
| | vi) | शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के योगदान को पूरा करने हेतु बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों हेतु मंजूर किए गए ऋण; | - | - |
| | vii) | प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम पर कंपनियों को तात्कालिक ऋण; | - | - |
| | viii) | शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की प्राथमिक निर्गम हेतु बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ; | - | - |
| | ix) | मार्जिन व्यापार हेतु शेयर दलालों को वित्त प्रदान करना; (जारी बैंक गारंटियाँ) | - | 1.75 |
| | x) | उद्यम पूँजी निधि (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) को सभी जोखिम | 128.82 | 126.25 |
| | **पूँजी बाजार में कुल एक्सपेजर** | | **1,226.79** | **1,499.5** |

* खाताे की पुनरावृत्ती के कारण कम संख्या (iv) एवं (v) के तहत जोखिम में परिवर्तन

*** इसमें सीडीआर/एसडीआर/एस4ए योजनाओं के तहत ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित करने के कारण ₹ 826.55 करोड़ (गत वर्ष ₹ 918.53 करोड़) निवेश तथा ₹ 88.95 करोड़ (गत वर्ष ₹ 107.70 करोड़ का रणनीतिपरक/ सब्सिडेरी निवेश, जिन्हें 20% की सीमा से छूट प्राप्त है

### 7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देशी एक्सपोज़र

**निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त देशगत ऋण जोखिम वर्गीकरण के आधार पर बैंक के देश वार निवल जोखिम एक्सपोज़र निम्नलिखित है।**

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | जोखिम श्रेणी | 31 मार्च, 2020 को एक्सपोजर (निवल) | 31 मार्च, 2020 को धारित प्रावधान | 31 मार्च, 2019 को एक्सपोजर (निवल) | 31 मार्च, 2019 को धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | नगण्य | 2128.03 | - | 3975.68 | - |
| ii) | निम्न | 600.57 | - | 839.34 | - |
| iii) | मामूली | 12.47 | - | 12.69 | - |
| iv) | उच्च | 13.33 | - | 9.92 | - |
| v) | अत्यधिक | 6.05 | - | 6.58 | - |
| vi) | प्रतिबंधित | - | - | - | - |
| vii) | ऋणेतर | - | - | - | - |
| | **योग** | **2,760.45** | **-** | **4,844.21** | **-** |

**7.4 एकल प्रतिपक्ष सीमा का विवरण, बैंक द्वारा बढ़ाये गए जुड़े प्रतिपक्ष सीमा का समूह**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आरबीआई द्वारा बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क [एलईएफ] के तहत सिंगल काउंटरपार्टी / ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटरपार्टी के तहत तय एक्सपोजर सीलिंग से अधिक नहीं किया है।

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं | ग्राहक का नाम | वर्ष के दौरान अधिकतम एक्सपोजर | कैपिटल फंड के प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर |
|---|---|---|---|
| **क. एकल प्रतिपक्ष** | | | |
| | शून्य | | |
| **ख. जुड़े हुए प्रतिपक्ष का समूह** | | | |
| | शून्य | | |
| **ग. आरबीआई द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिए बड़ी एक्सपोजर फ्रेमवर्क सीमाएं निम्नानुसार हैं:** | | | |
| क] **पार्टी का प्रकार** | | | **सीमा [%]*** |
| | एकल प्रतिपक्ष | | 20% |
| | बोर्ड के अनुमोदन के साथ एकल प्रतिपक्ष | | 25% |
| | जुड़े हुए प्रतिपक्ष का समूह | | 25% |
| | अंतर बैंक एक्सपोजर [इंट्राडे एकस्पोजर को छोड़कर | | 25% |
| | गैर-क्यूसीसीपी | | 25% |
| * टीयर I पूँजी | | | |
| **ख] विवरण** | | | **सीमाएं [%]** |
| | **एनबीएफसी (गोल्ड कंपनीज के अलावा)** | | 20% टीयर I का पुंजी |
| | **एनबीएफसी (गोल्ड ऋण कंपनीज)** | | कॅपीटल फंड का 7.5% |
| | **एनबीएफसी (गोल्ड ऋण कंपनीज)** | | कॅपीटल फंड का 12.5% |

* एनबीएफसी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिए गए फंड के खाते में अतिरिक्त जोखिम

### 7.5 अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

| 8. | क्रम सं | विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | i) | कुल अप्रतिभूत अग्रिम | 36,169.89 | 36,865.85 |
| | ii) | जिनमें बैंक द्वारा अधिकार, लाइसेंस, ब्रैंड मूल्यांकन, प्राधिकार आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लिए गए अग्रिम | - | - |
| | iii) | ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य | - | - |

### 9 भा.रि.बैं द्वारा लगाये जुर्माने का प्रकटन

| | | |
|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) ने निम्नवत जुर्माना लगाए हैं: | |
| | i) | भारिबैं मास्टर परिपत्र डीसीएम (सीसी) सं.जी-5/03.044.01/2019-20 दिनांकित 01.07.2019 आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिषादन के आधार पर बैंक शाखाओं के लिए प्रोत्साहन और दंड की योजना के प्रावधानों के अनुसार (क) मुद्रा तिजोरी से प्राप्त गंदे नोट विप्रेषण की प्रक्रिया एवम ख) मुद्रा तिजोरी मैं निरीक्षण के दौरान के दौरान कमी पायी जाने के कारण ₹ 0.10 करोड़ की राशि का जुर्माना लगाया गया। |
| | ii) | नये खाते खोलने से सम्बंधित विनियामक दिशानिर्देशोन के उल्लंघन हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35, 35 ए , 46 एवम 47 ए के तहत अपनी संसूचना संख्या ईएफडी.सीओ.सीएसएन/393/02.01.008/2018-19 दिनांक 12.12.2018 एवम ईएफडी.सीओ.एसओ/975/02.01.008/2018-19 दिनांक 25.06.2019 द्वारा पारित आदेश द्वारा ₹ 0.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। |
| | iii) | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A, 46 और 47 ए के तहत साइबर सेक्यूरिटी फ्रेमवर्क एवं धोखाधड़ी रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन हेतु आरबीआई ने अपने सूचना संख्या ईएफडी.सीओ. एससीएन948/02.01.008/2018-19 दिनांकित 31.05.2019 के जरिए ₹ 1.00 करोड का जुर्माना लगाया । |
| | iv) | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A, 46 और 47 ए के तहत उधार खाता से संबन्धित नियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन हेतु दिनांक 31.07.2019 के जरिए पास आदेश एवं ई-मेल सूचना दिनांकित 02.08.2019 से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के तहत आरबीआई ने अपने सूचना संख्या ईएफडी.सीओ. एससीएन 770/02.01.008/2018-19 दिनांकित 28.02.2019 के जरिए ₹ 0.50 करोड का जुर्माना लगाया । |
| | v) | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A, 46 और 47 ए के तहत14 उधार खातों मे विचलन एवं 17 उधार खातों में निधि के उपयोग के संबधं में दिनांक 31.03.2017 को बैंक का वैधानिक निरीक्षण के दौरान प्राप्त निदेशों एवं आरबीआई दिशानिर्दशों के उल्लंघन के तहत आरबीआई ने अपने सूचना संख्या ईएफडी.सीओ. एसओ/372/02.01.008/2019-20 दिनांकित 29.11.2019 के जरिए ₹ 1.50 करोड का जुर्माना लगाया । |
| | vi) | भारतीय रिजर्व बैंक के औचक निरीक्षण के दौरान ₹ 0.001 करोड़ जुर्माना लगाया गया। |

## बी. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं जहां भारिबै ने लेखों की टिप्पणियों के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।

### 1. पूर्व अवधि मदें

वर्ष के दौरान पहचानी गई मात्रा तक पूर्व अवधि आय (निवल व्यय) ₹ 3.88 करोड़ [गत वर्ष 3.29 करोड़ रुपये (पूर्व अवधि आय (निवल व्यय)] का पूर्व अवधि व्यय (आय का निवल) किया गया।

### 2. स्थिर आस्तियाँ

1 कंपनी अधिनियम 2013, प्रभावी तिथि 01.04.2014 की अनुसूची II की अधिसूचना के अनुसार , वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रभावी किया गया है।

क. वर्ष 2019-20 के दौरान सॉफ्टवेयर की लागत 39.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 37.04 करोड़ रुपये) है और वर्ष के दौरान परिशोधन व्यय की राशि 41.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.56 करोड़ रुपये) है।

ख. स्थिर आस्तियों मे पूंजीगत चालू कार्य परिसर से सम्बंधित ₹ 20.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 440 लाख रुपये) शामिल हैं।

ग. पूंजीगत खाते पर निष्पदन हेतु लंबित सम्विदायें जिनके लिये प्रावधान नहीं किया गया है ₹ 59.30 करोड (गत वर्ष ₹ 105.06 करोड ) हैं। .

घ वर्ष के दौरान बैंक ने सामान्य आरक्षित के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से ₹ 22.12 करोड़ प्रत्यावर्तित किये हैं|

ङ वर्ष 2019 -20 के दौरान वास्तु एवं सेवा कर पर स्थाई आस्ति की लागत राशि को ₹ 9.42 करोड़ कम किया गया है ताकि जीएसटी देयताएं (गत वर्ष ₹ 4.19 करोड़) के लिए उक्त को प्रवृष्टि निकासी के रूप में प्रयोग किया जा सके |

**3. कर्मचारी हितलाभ**

3.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार बैंक द्वारा कर्मचारी हितलाभ हेतु लेखांकन किया गया है।

**निर्दिष्ट लाभ:**

**3.2 (क) परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

**निर्दिष्ट लाभ:**

(₹ करोड़ में)

| दायित्व | पेंशन [निधिक] | | उपदान [निधिक] | | दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| आरंभिक शेष | 3,646.50 | 3,427.79 | 565.64 | 543.97 | 256.93 | 250.65 |
| ब्याज लागत | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| चालू सेवा लागत | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| विगत सेवा लागत - निर्धारित | | - | | - | | - |
| विगत सेवा लागत - अनिर्धारित | | - | | - | | - |
| विगत सेवा लागत - परिशोधन हेतु अपात्र | | - | | - | | - |
| प्रदत्त हितलाभ | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.56) | (55.64) | (49.16) |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | 1356.33 | 85.92 | 101.04 | 19.08 | 94.36 | (0.86) |
| **अंतिम शेष *** | **5,052.81** | **3,646.50** | **611.77** | **565.64** | **364.72** | **256.93** |

* डिस्काउंट रेट में कमी और हार्मोनाइजेशन इफेक्ट के कारण दायित्व में बढ़ोतरी होती है।

**ख) योजना आस्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

| योजना आस्तियाँ | पेंशन [निधिक] | | ग्रेच्युटी [निधिक] | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,628.33 | 3,427.79 | 555.25 | 485.48 |
| योजना आस्ति अंशदानों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 298.25 | 278.77 | 38.67 | 40.71 |
| नियोक्ता अंशदान | 449.54 | 147.76 | 150.39 | 113.86 |
| दूसरे न्यास और सदस्यों से अंतरण | | - | | |
| प्रदत्त हितलाभ | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.57) |
| बीमांकिक लाभ / (-) हानि | 0.08 | (5.33) | 3.50 | (0.23) |
| मार्च को योजना आस्तियों का हितलाभ | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 |

**ग) यथा 31 मार्च, 2020 को तुलनपत्र में निश्चित निवल आस्ति/ (देयता):**

(₹ करोड़ में)

| परिभाषित लाभ | पेशन [निधिक] | | ग्रैच्युटी [निधिक] | | दीर्घावधी प्रतिपूरक हितलाभ अनुपस्थित [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| परिभाषित देयता का वर्तमान मूल्य | 5,052.81 | 3,646.50 | 611.77 | 565.64 | 364.72 | 256.93 |
| योजना आस्तियों का अंकित मूल्य | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 | - | - |
| निधिक स्थिति [अधिशेष/(कमी)] | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |
| तुलनपत्र में निश्चित निवल आस्ति/ (देयता) | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |

**घ) लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित कुल व्यय:**

(₹ करोड़ में)

| परिभाषित लाभ | पेशन [निधिक] | | ग्रैच्युटी [निधिक] | | दीर्घावधी प्रतिपूरक हितलाभ अनुपस्थित [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| चालू सेवा लागत | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| ब्याज लागत | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | (298.25) | (278.78) | (38.67) | (40.71) | - | |
| अवधि के दौरान निर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | 1,356.33 | 91.25 | 97.54 | 19.32 | 94.35 | (0.86) |
| विगत सेवा लागत - निर्धारित | | - | | - | - | - |
| विगत सेवा लागत - परिशोधन हेतु अपात्र | | - | | - | - | - |
| लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित व्यय | 1,429.73 | 165.92 | 133.98 | 65.76 | 163.43 | 55.44 |
| अगले वर्ष परिशोधन हेतु विगत सेवा लागत स्थगित | | - | | - | - | |

**ङ) तुलनपत्र तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक मान्यताएं:**

(% में)

| परिभाषित लाभ | पेशन [निधिक] | | ग्रैच्युटी [निधिक] | | दीर्घावधी प्रतिपूरक हितलाभ अनुपस्थित [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| बट्टा दर | 6.79% | 7.77% | 6.84% | 7.77% | 6.84% | 7.77% |
| वेतन वृद्धि | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% |
| अट्रीशन मूल्य | 2.00% | 2.02% | 2.00% | 1.63% | 2.00% | 1.63% |
| योजन आस्तियों पर अपेक्षित वापसी दर | 6.79% | 8.22% | 6.84% | 8.14% | लागू नही | लागू नही |

## च) योजना आस्तियों का संघटन:

(% में)

| विवरण | पेंशन [निधिक] | | ग्रैच्युटी [निधिक] | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.63 | - | 2.68 | - |
| उच्च गुणवत्ता सरकारी बाँड | 0.57 | 1.78 | 0.33 | 5.99 |
| विशेष जमाराशियाँ | 2.32 | 2.62 | 2.72 | 1.58 |
| अन्य (पीएसयू) | 0.06 | - | 0.35 | - |
| बीमा योजनाओं के अंतर्गत आस्तियाँ | 96.42 | 95.60 | 93.92 | 92.43 |
| **कुल** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

## छ) परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना आस्तियों का उचित मूल्य, अधिशेष/कमी तथा चालू एवं गत वर्ष के लिए अनुभव समायोजन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| पेंशन | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 5052.81 | 3646.50 | 3427.79 | 3206.07 | 2975.91 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 4054.45 | 3628.33 | 3427.79 | 3216.07 | 2985.32 |
| (अधिशेष)/कमी | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| अपरिशोधित देयता | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (अधिशेष)/कमी [अपरिशोधित देयता का निवल] | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | (1356.33) | (85.92) | (96.28) | (89.20) | (118.10) |
| योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | 0.08 | (5.33) | (258.41) | (7.00) | 23.46 |

| ग्रैच्युटी | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 611.77 | 565.64 | 543.97 | 460.38 | 451.25 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 617.79 | 555.25 | 485.48 | 462.37 | 468.42 |
| (अधिशेष)/कमी | (6.02) | 10.39 | 58.49 | (1.99) | (17.17) |
| योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | (101.04) | (19.08) | (60.80) | 23.51 | 28.81 |
| योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | 3.50 | (0.23) | (3.20) | (1.10) | (1.30) |

| दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ - अनिधिक | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (अधिशेष)/कमी | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | 71.55 | (0.86) | (4.48) | (7.64) | (5.56) |
| योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

कर्मचारी बिमारी छुट्टी योजना- वर्ष 2018-19 के दौरान, बिमारी छुट्टी हेतु दायित्व को पुरा करने के लिए बैंक ने कुल ₹ 3.90 करोड़ का व्यय किया हैं । मार्च 31,2019 को निधि मुल्य का वर्तमान मुल्य ₹ 61.91 करोड़ हैं ।

**4. प्रखंड रिपोर्टिंग -** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 - ''प्रखंड रिपोर्टिंग'' के अनुसार प्रखंड रिपोर्ट इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| **क)** | **प्रखंड राजस्व** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 5,319.20 | 4,121.61 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 9,001.17 | 7,087.52 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 4,607.18 | 5,320.25 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 360.13 | 388.63 |
| | v) अनाबंटित | 632.10 | 576.70 |
| | **कुल** | **19,919.78** | **17,494.70** |
| **ख)** | **प्रखंड परिणाम** | | |
| | प्रत्येक प्रखंड से कर पूर्व और ब्याज पश्चात् लाभ (+) हानि (-) | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 581.50 | (48.13) |
| | ii) थोक बैंकिंग | 1,632.23 | (7,782.81) |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | (701.06) | 498.80 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 359.90 | 388.49 |
| | **कुल** | **1,872.57** | **(6,943.66)** |
| **ग)** | **अनाबंटित व्यय** | **1,618.24** | **1,105.03** |
| **घ)** | **परिचालन लाभ/(हानि)** | **254.33** | **(8,048.69)** |
| **च)** | **आय कर** | **2,645.93** | **(1,715.70)** |
| **छ)** | **असाधारण लाभ/हानि** | **-** | **-** |
| **ज)** | **निवल लाभ/(हानि)** | **(2,391.60)** | **(6,332.98)** |
| **झ)** | **अन्य सूचना** | | |
| **ठ)** | **प्रखंड आस्तियाँ** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 67,471.15 | 60,943.96 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 73,938.28 | 65,204.55 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 59,121.96 | 63,081.65 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 3.31 | 2.21 |
| | v) अनाबंटित आस्तियाँ | 29,005.07 | 24,345.48 |
| | **कुल आस्तियाँ** | **229,539.77** | **213,577.85** |

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| ढ़) | **प्रखंड देयताएँ** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 61,357.60 | 54,109.78 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 68,349.19 | 58,917.43 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 54,329.27 | 60,929.39 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 3.01 | 1.96 |
| | v) अनाबंटित देयताएं | 31,750.22 | 23,054.42 |
| | **कुल देयताएं** | **215,789.29** | **197,012.99** |
| ड) | **लगाई गई पूँजी (नीचे के नोट(क) का संदर्भ लें)** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 6,113.55 | 6,834.18 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 5,589.08 | 6,287.12 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 4,792.69 | 2,152.26 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 0.30 | 0.25 |
| | v) अनाबंटित आस्तियाँ | (2,745.15) | 1,291.06 |
| | | **13,750.47** | **16,564.86** |

**खण्ड ख : भौगोलिक प्रखंड**

भौगोलिक प्रखंड में केवल घरेलू प्रखंड शामिल हैं क्योंकि बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं है.

**प्रखंड रिपोर्टिंग पर नोट:**

1 लेखा मानकों के अनुपालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी ''प्रखंड रिपोर्टिंग'' पर एएस-17 के अनुपालन के उद्देश्य से ''घरेलू प्रखंड'' के तहत प्राथमिक प्रखण्डों के रूप में ''ट्रेजरी परिचालन'', ''थोक'', ''खुदरा'' और ''अन्य बैंकिंग परिचालन'' को अपनाया है।

2 प्रखंड देयताओं को उनके संबंधित प्रखंड आस्ति अनुपात में वितरित किया गया.

3 वर्तमान तिमाही / अवधि की प्रस्तुति के आधार पर पिछली अवधि / वर्ष के आंकड़े को फिर से इकट्ठा / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**5. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18-संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं :

**क) संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध**

| **मुख्य प्रबंधन कार्मिक (ऽरूहस्व्व्ख्ड्ड)** | |
|---|---|
| **नाम** | **संबंध** |
| श्रीमती पी.वी.भारती (01.02.2019 से) | प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| श्री जय कुमार गर्ग (31.01.2019 तक) | प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| श्री गोपाल मुरली भगत | कार्यपालक निदेशक |
| श्री बिरुपाक्ष मिश्रा (26.12.2018 से) | कार्यपालक निदेशक |
| **कार्प बैंक सिक्युरिटिज** | अनुषंगी |

ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹ करोड़ में)

| अंतरण का प्रकार | केएमपी | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| **प्रदत्त पारिश्रमिक:** | | |
| श्रीमती पी.वी.भारती | 1.80 | 0.05 |
| श्री जय कुमार गर्ग | - | 0.27 |
| श्री गोपाल मुरली भगत | 1.22 | 0.28 |
| श्री बिरुपाक्ष मिश्रा | 0.28 | 0.08 |

अनुषंगी के साथ लेनदेनों को एएस-18 के अनुच्छेद 9, जो अन्य संबंधित पार्टी से उनके लेन-देन संबंधी कोई भी प्रकटन करने से राज्य नियंत्रित उद्यमों को छूट देता है, के मद्देनज़र प्रकट नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित हैं।

केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों के बीच में बैंकर ग्राहक लेनदेन स्वरूप की लेनदेनों को एएस-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रकट नहीं किया गया है।

**6. लीज:**

बैंक ने कार्यालयों, गेस्ट हाऊस और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर हेतु विविध परिचालित लीज किया जिसे आवधिक आधार पर नवीकृत तथा बैंक के विकल्प में निरस्त किया जा सकता है। . वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसे परिचालन लीज के लिए किराया खर्च रु 302.08 करोड़ (पिछले वर्ष 287.70 करोड़) है।

**7. प्रति शेयर अर्जन :**

मूल और तनुकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन लेखांकन मानक-20 (अर्जन प्रति शेयर) के अनुसार किया गया है:

**मूल ईपीएस की गणना::**

| क्रम सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | ईक्विटी शेयरधारकों हेतु कर पश्चात् उपलब्ध निवल लाभ/हानि (करोड़ में) | (2,391.59) | (6,332.98) |
| ii) | भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में) | 599.42 | 210.66 |
| iii) | प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) | (3.99) | (30.06) |
| iv) | प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹) | 2.00 | 2.00 |

**तनुकृत:** लागू नहीं क्यों कि कोई तनूकृत संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है।

**8. आय पर करों का लेखांकन**

क) बैंक ने इस संबंध में सीबीडीटी का परिपत्र दिनांकित 23.03.2017 के साथ पठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना दिनांकित 29.09.2016 के अनुसार आय परिकलन तथा प्रकटन मानक (आईसीडीएस) की गणना की है जो मूल्यांकन वर्ष 2019-20 तथा बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू है।

ख) बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखा मानक सं. 22 के अनुसार निर्धारित किया है, जिसके प्रमुख संघटक नीचे प्रस्तुत हैं. आस्थगित कर के 31.03.2019 एवं 31.03.2020 के तुलनात्मक आंकडे निम्नवत हैं.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियाँ** | | |
| छूट्टी नकदीकरण प्रावधान | 127.45 | 89.78 |
| निधिक ब्याज मीयादी ऋण | 27.38 | 77.06 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| ऋण हानि | 4,491.47 | 3,914.38 |
| स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास | 58.46 | 48.36 |
| करयोग्य आय/ (हानि) | - | 1,557.96 |
| मानक आस्ति प्रावधान पर | 358.56 | 258.66 |
| **कुल** | **5,063.31** | **5,946.21** |
| **आस्थगित कर देयता** | | |
| पेंशन- एवं ग्रेच्युटी-पूर्व भुगतान-पूर्व भुगतान | 2.10 | - |
| दीर्घावधि वित्त आय | 411.60 | 499.96 |
| एआरसी हेतु आस्तियों की बिक्री पर हानि | 36.66 | - |
| **कुल** | **450.37** | **499.96** |
| **निवल आस्थगित कर (देयता)/आस्ति** | **4,612.94** | **5,446.25** |

**ग) आयकर**

i) वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों का विश्लेषण: :

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| सामान्य टैक्स | - | - |
| न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (एमएटी) | 19.94 | - |
| एमएटी क्रेडित पात्रता आस्ति | (19.94) | |
| आस्थगित कर देयता (आस्तियां) | 833.32 | (1,740.09) |
| बैंक के समामेलन का हार्मोनाईजेशन प्रभाव - पूर्ववर्ती वर्षों के आय कर का अभी किया गया प्रावधान | 1,812.60 | - |
| आस्थगित कर देयता (आस्तियां) | 2,645.92 | (1,740.09) |

नोट:

क) 01.04.2020 से प्रभावी बैंक के समामेलन के परिणामस्वरूप; समामेलन से पहले तीन समामेलन करने वाले बैंकों द्वारा कर प्रथाओं का सामंजस्य बिठाने के लिए एक अभ्यास शुरू किया गया था, ताकि समामेलित इकाई में एक समान कर व्यवहार हो। एक विशेषज्ञ राय कर सलाहकार से दिनांकित 9 जून 2020 प्राप्त की गई, और इस तरह की राय के आधार पर, बैंक ने खाता की पुस्तकों में निम्नलिखित कर प्रभाव प्रदान करने का निर्णय लिया है:

क) पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ मैं आय कर के लिये ₹ 1812.60 करोड के अतिरिक्त प्रावधान का सृजन किया गया है. इस्का विवरण निम्नवत है :

| क्रम सं | आकलन वर्ष | प्रावधान (₹) |
|---|---|---|
| i) | 2013-14 | 173,337,370.00 |
| ii) | 2014-15 | 114,304.00 |
| iii) | 2015-16 | 5,001,601,390.00 |
| iv) | 2016-17 | 8,108,499,839.00 |
| v) | 2017-18 | 4,842,485,546.00 |
| | **कुल** | **18,126,038,449.00** |

ख) 31 मार्च 2019 को कर हानि पर बकाया कर आस्तियों का व्युत्क्रमण 1557.96 करोड़ रुपये है।

ग) 31.03.2016 से पहले के ''निवेश मूल्यह्रास'' पर आस्थगित कर देयता का दावा 36.66 करोड़ रुपये है।

घ) 252.88 करोड़ रुपये के विशेष आरक्षित का व्युत्क्रमण और परिणामस्वरूप 88.37 करोड़ रुपये का कर आस्थगित कर देयता का व्युत्क्रमण ।

ख) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर प्रावधान की गणना में हार्मोनाइजेशन प्रभाव पर विचार करने के बाद 2645.92 रुपये का पीएंडएल ए / सी के लिए निवल नामे था।पी एंड एल को नामे के घटक-वार विवरण उपरोक्त तालिका में दिए गए हैं।

ii) वित्त वर्ष 2016-17 (आ व 2017-18) के लिए आयकर का आकलन पूरा हो चुका है।

बैंक / आयकर विभाग द्वारा निम्नलिखित अपील विभिन्न अपीलीय अधिकारियों / न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं:

| आय कर | सेवा कर | व्यवसाय कर |
|---|---|---|
| **आकलन वर्ष 2011-12 से 2017-18** | **वित्त वर्ष 2006-07 से जून 2017** | **2009-10 से 2013-14** |

iii) अग्रिम कर का भुगतान, विवादों के तहत कर का भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया और बैंक को आय पर घटाए गए टीडीएस ''अन्य परिसंपत्तियां - अग्रिम में कर का भुगतान / स्रोत पर कर कटौती'' के तहत दिखाई दे रहे हैं।विवाद के तहत भुगतान किए गए करों के संबंध में बैंक ने अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील दायर की है और समान मामलों में अनुकूल न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं किया गया है।

iv) 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले आकलन वर्ष के प्रभाव से वित्त अधिनियम 2020 के अनुसरण में भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA जोडा है।बैंक ने आयकर अधिनियम की धारा 115BAA के तहत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है, और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी रखने का विकल्प चुना है।

## 9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

### क) प्रावधान: :

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं | प्रावधान की प्रकृति | यथा 01.04.2019 को प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान | वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान | यथा 31.03.2020 को अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | एनपीए के संबंध में किए गए प्रावधान | 13,525.38 | 4,229.91 | 3,951.54 | 950.43 | 12,853.32 |
| | | (7,929.68) | (12,002.72) | (5,989.44) | (417.58) | (13,525.38) |
| ii) | निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एनपीए प्रावधान सहित) | 1,235.97 | 92.54 | | 152.21 | 1,176.30 |
| | | (1,139.02) | (340.20) | - | (243.25) | (1,235.97) |
| iii) | आय कर / संपत्ति कर हेतु प्रावधान | 146.60 | 1,832.54 | 146.60 | | 1,832.54 |
| | | (153.90) | - | | (7.30) | (146.60) |
| iv) | सभी अन्य ** | 1,038.50 | 741.70 | - | 104.62 | 1,675.58 |
| | | (1,020.66) | (189.80) | - | (171.96) | (1,038.50) |

* इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं।

कोष्ठक के आंकडे गत वर्ष के हैं।.

**ख) आकस्मिक देयता::**

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | दावों की सं | सकल दावे | निवल दावे |
|---|---|---|---|
| 01/04/2019 को बकाया कुल दावे | 92 | 3,240.27 | 3,233.46 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान घटाए/संशोधित दावे | 19 | 517.74 | 517.45 |
| जोड़ें-वर्ष के दौरान जोड़े नए दावे | 30 | 2,811.79 | 2,770.81 |
| **31/03/2020 को बकाया कुल दावे** | **103** | **5,534.32** | **5,486.82** |

**31 मार्च, 2020 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण :**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | दावों की सं | सकल दावे | निवल दावे |
|---|---|---|---|
| बैंक गारंटी | 7 | 0.25 | 0.16 |
| चेक /माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही | 10 | 1.75 | 1.21 |
| ऋण संविभाग | 8 | 0.82 | 0.75 |
| जमा संविभाग | 3 | 0.03 | 0.03 |
| सतर्कता/कपट | 20 | 6.22 | 1.72 |
| विविध [आयकर व ब्याज कर माँगों से संबंधित दावों सहित] # | 55 | 5,525.25 | 5,482.95 |
| **कुल** | **103** | **5,534.32** | **5,486.82** |

* शुरुआत से लेकर जहाँ लागू हो दावों पर ब्याज को छोड़कर

\# आकस्मिक देयताओं में ₹ 5462.19 करोड़ का कर तथा ब्याज शामिल है(गत वर्ष ₹ 3210.93 करोड़)

**ग. अतिरिक्त प्रकटन**

**1. प्रावधान और आकस्मिकताएं**

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | 53.80 | 340.20 |
| ii) | एनपीए (निवल) के प्रति प्रावधान | 3,279.49 | 11,585.14 |
| iii) | मानक आस्ति के प्रति प्रावधान | 285.83 | 180.53 |
| iv) | आयकर और संपत्ति कर हेतु प्रावधान | 2,645.93 | (1,715.70) |
| v) | ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान | (104.62) | (119.42) |
| vi) | अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | 33.66 | (43.29) |
| | **योग** | **6,194.09** | **10,227.46** |

(क) भारीबैं. पत्र सं. DBR.No.BP.15199 / 21.04.048 / 2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 और पत्र संख्या DBR.No.BP.1908 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) के प्रावधान के तहत शामिल खातों के लिए बैंक 31 मार्च, 2020 तक कुल 7051.52 करोड़ रुपये (सकल एनपीए का 100%) का प्रावधान किया है।

(ख) दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत लंबित अन्य खातों के लिए, बैंक 31 मार्च, 2020 तक 11434.26 करोड़ रुपये (सकल एनपीए का 97.17%) का कुल प्रावधान रखा है।

**2. अस्थिर प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अस्थिर प्रावधान | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | प्रारंभिक शेष | - | - |
| ii) | वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | - |
| iii) | वर्ष के दौरान आहरित करने का उद्देश्य और राशि | - | - |
| iv) | अंतिम शेष | - | - |

**3. आरक्षित निधियों से आहरित:** वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश आरक्षित खातों से आहरण शून्य (पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 शून्य था) है।

**4. शिकायतें/बैंकिंग लोकपाल के कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णय**

**क. निवेशक शिकायतें**

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| (a) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | - | - |
| (b) | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 582 | 716 |
| (c) | वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 582 | 716 |
| (d) | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | - | - |

**ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय**

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| (a) | वर्ष के आरंभ में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. | - | - |
| (b) | वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या | 1 | 4 |
| (c) | वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. | 1* | 4 |
| (d) | वर्ष के अंत में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. | - | - |

*अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील दायर किया है।

**ग. 2019-20 के दौरान अन्य बैंक के एटीएम की शिकायतों सहित ग्राहक शिकायतें**

| क्र.सं. | विवरण | के दौरान अन्य बैंक के एटीएम की शिकायतों सहित ग्राहक शिकायतें | इनमें से दूसरे बैंक के एटीएमों का उपयोग करते समय हमारे कार्ड धारकों से प्राप्त शिकायतें |
|---|---|---|---|
| a) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 1555(695) | 1259(674) |
| b) | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 93719(82172) | 56246(70595) |
| c) | वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 95097(81312) | 56446(70010) |
| d) | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 177(1555) | शून्य (1259) |

विगत वर्ष के आंकड़ो को कोष्ठक में दर्शाया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि बैंक उपरोक्त निर्दिष्ट प्रकटन प्रारूप में उनके द्वारा जारी किए गए स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) कार्ड से संबंधित सभी ग्राहक शिकायतों को शामिल करेंगे। जहाँ कार्ड जारीकर्ता बैंक विशेष रूप से एटीएम से संबंधित ग्राहक की शिकायतों के लिए अधिग्राहक बैंकों को उत्तरदायी ठहरा सकता है, जिसे प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या में जोड़ने के बाद नोट के माध्यम से स्पष्ट किया जाना है।

**5. क. क्रेता की साख पर उधार सहित चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) :**

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों को मंजूर ऋण सीमाओं के प्रति उनकी ओर से चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है। प्रबंधन-वर्ग की राय में बैंक द्वारा विगत में, चालू वर्ष के दौरान जारी एलओसी के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संचयी वित्तीय दायित्व का अकलन नहीं हुआ है और अब भी बकाया नहीं है। बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| क) | 1 अप्रैल को चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) में प्रारंभिक शेष | - | 2,460.18 |
| ख) | वर्ष के दौरान जारी | - | - |
| ग) | वर्ष के दौरान प्रदत्त/समाप्त | - | 2,460.18 |
| घ) | 31 मार्च को अंतिम शेष | - | - |

**ख. वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में प्रवेश नहीं किया है ।**

6. 31 मार्च 2019 के 83.30 % के मुकाबले 31 मार्च 2020 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 84.61% हैं।

7. वर्ष के दौरान बैंक को बैंकाश्योरेन्स कारोबार से ₹ 10.61 करोड़ (गत वर्ष ₹10.00 करोड़) शुल्क/प्रतिलाभ प्राप्त हुआ है।

| क्र.सं. | आय की प्रकृति /कमीशन/ब्रोक्रेज | 31 मार्च , 2020 तक | 31 मार्च , 2019 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | जीवन बीमा कारोबार | 5.44 | 5.36 |
| 2 | समान्य बीमा कारोबार | 2.92 | 2.94 |
| 3 | मेडिक्लेम-हेल्थ | 2.15 | 1.55 |
| 4 | म्युचुअल फंड | 0.1 | 0.15 |
| | **कुल** | **10.61** | **10.00** |

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकारी व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक की प्राप्ति / विवरण पिछले इसी अवधि के अनुसार इस प्रकार हैं:

| क्र.सं. | आय की प्रकृति /कमीशन/ब्रोक्रेज | 31 मार्च , 2020 तक | 31 मार्च , 2019 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | कर वसूली | 2.43 | 3.34 |
| 2 | ई-स्टैमपिंग,पेशन,एपीवाई,अन्य | 5.83 | 4.19 |
| | | 8.26 | 7.53 |

**8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र और एनपीए का संकेद्रीकरण**

**क. जमाराशियों का संकेद्रीकरण:**

(₹ करोड़ में)

| जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र और एनपीए का संकेद्रीकरण | 31 मार्च , 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ | 27,981.65 | 24,811.15 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत | 13.63% | 13.44% |
| **कुल जमाराशि** | **205,354.78** | **184,567.84** |

**ख. अग्रिमों का संकेद्रीकरण:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम | 36,200.19 | 38,264.33 |
| कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की अग्रिमों का प्रतिशत | 20.57% | 22.24% |

**ग. एक्सपोज़र का संकेद्रीकरण:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोज़र | 36203.95 | 38774.95 |
| बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोज़र का प्रतिशत | 17.88% | 20.12% |

**घ. एनपीए का संकेद्रीकरण:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| चार बड़े गै.नि.आस्ति खातों में निहित राशि | 2,413.39 | 3,256.84 |

**9. क्षेत्रवार अग्रिम**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | 31 मार्च, 2020 | | | 31 मार्च, 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अग्रिम बकाया | सकल एनपीए | कुल अग्रिम में सकल एनपीए का % | कुल अग्रिम बकाया | सकल एनपीए | कुल अग्रिम में सकल एनपीए का % |
| A | **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | कृषि तथा सबद्ध क्रियाकलाप | 21,498.31 | 3,760.85 | 17.49 | 21,939.66 | 2,772.82 | 12.64 |
| 2. | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्यमों को अग्रिम | 9,223.38 | 3,887.13 | 42.14 | 10,043.51 | 3,727.37 | 37.11 |
| 3. | सेवा | 14,288.05 | 2,865.57 | 20.06 | 14,847.65 | 2,556.57 | 17.22 |
| 4. | वैयक्तिक ऋण | 10,369.64 | 1,083.86 | 10.45 | 10,497.00 | 660.77 | 6.29 |
| | **उप-योग (क)** | **55,379.38** | **11,597.41** | **20.94** | **57,327.82** | **9,717.53** | **16.95** |
| B | **गैर प्राथमिकता प्राप्र** | | | | | | |
| 1. | कृषि तथा सबद्ध क्रियाकलाप | - | - | | - | - | 0.00 |
| 2. | उद्यम | 52,079.12 | 23,222.42 | 44.59 | 49,192.81 | 25,427.63 | 51.69 |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | 31 मार्च, 2020 | | | 31 मार्च, 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अग्रिम बकाया | सकल एनपीए | कुल अग्रिम में सकल एनपीए का % | कुल अग्रिम बकाया | सकल एनपीए | कुल अग्रिम में सकल एनपीए का % |
| | क. विद्युत | 9,591.71 | 687.83 | 7.17 | 11,497.04 | 3,382.04 | 29.42 |
| | ख. अन्य | 18,671.99 | 2,831.49 | 15.16 | 37,695.77 | 22,045.59 | 58.48 |
| 3. | सेवा | 21,494.61 | 1,358.85 | 6.32 | 17,024.68 | 1,728.77 | 10.15 |
| 4. | वैयक्तिक ऋण | 32,804.59 | 4,502.09 | 13.72 | 32,237.60 | 4,584.41 | 14.22 |
| | **उप-योग (ख)** | **106,378.32** | **29,083.36** | **27.34** | **98,455.09** | **31,740.81** | **32.24** |
| | **कुल (क+ख)** | **161,757.70** | **40,615.61** | **25.11** | **155,782.91** | **41,458.34** | **26.61** |

* बैंक उपर्युक्त प्रारूप में, उन उप क्षेत्रों का भी प्रकटन करता है जिसका बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग के लिए बैंक का बकाया अग्रिम खनन के क्षेत्र में बकाया कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे उपरोक्त प्रारूप में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत अलग रूप से खनन के अग्रिम बकाये का विवरण देना है।

**10. गैर-निष्पादक आस्तियों में उतार- चढ़ाव**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल, 2019 को सकल एनपीए | 20,723.68 | 22,213.44 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 4,336.27 | 6,282.60 |
| **उप योग (क)** | **25,059.95** | **28,496.04** |
| **घटाएं:** | | |
| [i] उन्नयन | 576.58 | 947.04 |
| [ii] वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोड़कर) | 1,270.72 | 835.88 |
| [iii] तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट ऑफ | 3,593.03 | 5,732.53 |
| [iv] उपरोक्त (iii) मं आनोवालों को छोड़कर बट्टा खाते डाले गए | 220.60 | 256.91 |
| **उप योग (ख)** | **5,660.93** | **7,772.36** |
| **31 मार्च 2020 को सकल एनीए [क-ख]** | **19,399.02** | **20,723.68** |

[1] DBOD परिपत्र DBOD.BP.No.46 / 21.04.048 / 2009-10 दिनांकित 24 सितंबर, 2009 के अनुबंध की मद संख्या 2 के अनुसार सकल एनपीए, जिसमें सकल अग्रिमों, निवल अग्रिम, सकल एनपीए और निवल एनपीए की गणना करने के लिए एक समान प्रणाली निर्दिष्ट है।

[2] तकनीकी या विवेकपूर्ण राइट-ऑफ गैर-निष्पादित ऋण की राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया राशि हैं, लेकिन प्रधान कार्यालय स्तर पर (पूरी तरह या आंशिक रूप से) जिसे राइट-ऑफ किया हैं। तकनीकी राइट-ऑफ किए गए खातों को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना है। (हमारे परिपत्र संदर्भ DBOD.No.BP.BC.64 / 21.04.048 / 2009-10 दिनांकित 1 दिसंबर, 2009 को अग्रिमों के लिए प्रावधान में परिभाषित किया गया है।)

इसके अलावा, बैंकों को नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार तकनीकी राइट ऑफ का स्टॉक और उसके बाद की गई वसूली का प्रकटन करना है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| 01 अप्रैल, 2019 को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष | 20,734.66 | 16,222.19 |
| जोडे: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते (बकाया शेष में ₹ 0.45 करोड़ की वृद्धि सहित) | 3,573.40 | 5,537.20 |
| PWO के रूप में वर्गीकृत करने के बाद PWO खातों की शेष में वृद्धि | 19.62 | 195.32 |
| **उप- योग (क)** | **24,327.68** | **21,954.71** |
| घटाएं: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूली (ख) | 2,142.06 | 703.84 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पीडब्ल्यूओ खातों में राइट ऑफ किया गया बकाया | 969.03 | 516.22 |
| यथा 31 मार्च, 2020 को अंतिम शेष (क-ख) | 21,216.59 | 20,734.65 |

**11. विदेशी आस्तियाँ, गैर-निष्पादक आस्तियाँ एवं राजस्व**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|
| कुल आस्तियाँ | - | - |
| कुल गैर-निष्पादक आस्तियाँ | - | - |
| कुल राजस्व | - | - |

12 वर्ष 2019-20 के दौरान, 4280.55 करोड़ रुपये बकाया शेष के साथ ₹ 4816.38 करोड़ के 126 धोखाधड़ी के मामले आरबीआई को रिपोर्ट किये गए। इन मामलों में किया गया कुल प्रावधान ₹ 4280.55 करोड़ है। साथ ही, 730.16 करोड़. रुपए के बकाया राशि के धोखाधड़ी के 3 मामलों के संबंध में साथ 307.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांकित 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार 422.21 करोड़ रुपये को सामान्य आरक्षण से वापस किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, को ₹ 1761.08 करोड़ बकाया राशि के साथ ₹ 1951.10 की 162 धोखाधडी मामला भारिबैं को रिपोर्ट किया गया । ₹ 166.92 करोड़ के इन मामलों हेतु पूरा प्रावधान किया गया।

**13. प्रायोजित इतर तुलन-पत्र एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है)**

| प्रायोजित एसपीवी का नाम | |
|---|---|
| देशी | विदेशी |
| शून्य | शून्य |

**14. प्रवर्तक बैंक के रूप में प्रतिभूतिकरण**

एक प्रवर्तक बैंक के रूप में बैंक के प्रतिभूतिकरण लेनदेन की सूचना नीचे दी गयी है :

(₹ करोड़ में/सं)

| क्र सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसवीपी की संख्या * | - | - |
| 2 | बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की कुल राशि | - | - |

(₹ करोड़ में/सं)

| क्र सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| 3 | तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि | - | - |
| | क) **तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर** | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| | ख) **तुलनपत्र में एक्सपोजर** | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| 4 | एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों की एक्सपोजर राशि | - | - |
| | क) **तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर** | | |
| | i) **निज प्रतिभूतिकरण को एक्सपोजर** | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | हानि | | |
| | ii) **अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण को एक्सपोजर** | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| | ख) **तुलनपत्र में एक्सपोजर** | | |
| | i) **निज प्रतिभूतिकरण को एक्सपोजर** | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | हानि | | |
| | ii) **अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण को एक्सपोजर** | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |

* केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी की सूचना यहां दी जा सकती है।

### 15. अन्तर समूह एक्सपोजर

समूह इकाईयों हेतु एक्सपोजर निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

| क्र सं | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि | - | - |
| ii) | शीर्ष 20 अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि | - | - |
| iii) | उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर में अंत: समूह एक्सपोजर का प्रतिशत | - | - |
| iv) | अंत: समूह एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर की गयी नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो। | - | - |

**16. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीइएएफ) में अंतरण**

बैंक ने निम्नांकित राशि डीईएएफ को अंतरित की है ।.

(₹ करोड़ में)

| **विवरण** | **31 मार्च, 2020** | **31 मार्च, 2019** |
|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष | 116.56 | 99.67 |
| **जोड़ें :** वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि | 13.96 | 17.25 |
| **घटाएं :** दावों के सम्बन्ध में डीईएएफ को प्रतिपूर्ति की गयी राशि | 1.64 | 0.36 |
| डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतरिम शेष | 128.88 | 116.56 |

**17. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

बैंक में अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रबंधन पर एक नीति है. इस नीति का उद्देश्य यह है कि उधारकर्ता के विदेशी मुद्रा उत्पाद के पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हुए उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को अधिकतम रक्षित करना और उन्हें अरक्षित भाग को रक्षित करने हेतु प्रेरित करना| नीति के अनुसार, अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का मूल्यांकन उधारकर्ता के मूल्यांकन का एक भाग है और इसे सीमाओं के प्रस्ताव के समय या समीक्षा करते समय पर किया जाता है| इसके अलावा, बैंक के सभी ग्राहकों के लिए सीमा मंजूर करते समय, उधारकर्ता का आतंरिक श्रेणीकरण, आकार, स्वाभाविक बचाव व्यवस्थाओं की संभाव्यता, ग्राहक के कुल उधार के सम्बन्ध में अरक्षित विदेशी मुद्रा का संबंधित आकार आदि, इस तरह के तथ्यों पर विचार करने के बाद ही उधारकर्ता के विदेशी अरक्षित मुद्रा एक्सपोजर सीमा निर्धारित करता है (यथा बैंक द्वारा मंजूर कुल विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर का %)

इसके अलावा बैंक अपने सम्पूर्ण पोटफोलिओ के अंतर्गत अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है|

इसके साथ ही बैंक भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में वृद्धिशील प्रावधान रखता है| इसके अलावा बैंक ने यथा 31 मार्च 2020 को अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के मद में ₹ 14.627 करो? (गत वर्ष वर्ष ₹ 23.85 करो?) का प्रावधान एवं ₹ 8.98 करो? (गत वर्ष ₹ 18.18 करो?) की अतिरिक्त पूंजी रखी है|

18. एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्गठन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या R.No.BP.BC.18 / 21.04.048 /2018-19 दिनांक 1 जनवरी 2019 एवं DOR.No.BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 दिनांकित 11 फरवरी 2019 के अनुसार, 31.03.2020 को पुनर्गठित खातों के विवरण निम्नलिखित हैं :

| **पुनर्गठित खातों की संख्या** | **राशि (रुपये करोड़ में)** |
|---|---|
| 5327 | 813.49 |

19. वेतन संशोधन (नवंबर 2017 की प्रभावी तिथि से देय) पर प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, वर्ष के दौरान अनुमानित आधार पर वेतन संशोधन के लिए 231.93 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की गई है। (किया गया संचयी प्रावधान; रुपए 268.55 करोड़)।

**20. समामेलन और स्वैप अनुपात:**

भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुभाग 9 (1970 का 5) और बैंकिंग कंपनियों के अनुभाग 9 (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 के अनुभाग 9 (1980 का 40) की शक्तियों का प्रयोग करते हुएराजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-04032020-216535 दिनांकित 4 मार्च, 2020 जारी किया है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन की योजना को मंजूरी दी गई है ।

5 मार्च, 2020 को कॉर्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल और उनकी संबंधित बैठकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने समामेलन को मंजूरी दे दी। संबंधित बैंकों के बोर्डों ने फेस वैल्यू के ₹ 10 / - के प्रत्येक यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों के लिए ₹। 2 / - के प्रत्येक कॉर्पोरेशन बैंक के फेस वैल्यू के 330 इक्विटी शेयरों के स्वैप अनुपात को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल, 2020 से समामेलन प्रभावी हो गया है।

**21 तरलता कवरेज अनुपात:**

आवश्यक सूचना निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2020 | | 31 मार्च, 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| **उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां** | | | | | |
| 1. | कुल उच्च गुणवत्ता आस्तियाँ (एचक्यूएलए) | 40,884.53 | 40,714.21 | 32,755.01 | 32,584.93 |
| **नकद बहिर्गमन** | | | | | |
| 2. | खुदरा जमाएं और लघु कारोबार ग्राहकों से जमाएं, जिनमें से | 111,329.88 | 10,923.25 | 104,625.01 | 10,264.95 |
| (i) | स्थिर जमाएं | 4,194.83 | 209.74 | 3,951.08 | 197.55 |
| (ii) | कम स्थिर जमाएं | 107,135.06 | 10,713.51 | 100,673.93 | 10,067.39 |
| 3. | अरक्षित थोक निधियन, जिसमें से | 40,248.23 | 17,257.67 | 38,466.18 | 16,145.33 |
| (i) | परिचालानगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार) | - | - | - | - |
| (ii) | गैर- परिचालानगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार) | 40,248.23 | 17,257.67 | 38,466.18 | 16,145.33 |
| (iii) | अरक्षित ऋण | - | - | - | - |
| 4. | जमानती थोक निधियन | 3,428.81 | - | 2,220.86 | - |
| 5. | आतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से | 27,711.75 | 4,028.44 | 30,762.12 | 4,121.26 |
| (i) | व्युत्पन्न एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन | 8.78 | 8.78 | 3.43 | 3.43 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से सम्बंधित बहिर्गमन | - | - | - | - |
| (iii) | ऋण एवं चल सुविधा | 27,702.97 | 4,019.66 | 30,758.69 | 4,117.83 |
| 6. | अन्य संविदागत निधियन बाध्यताएँ | 65.69 | 65.69 | 232.69 | 232.69 |
| 7. | अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएँ | 18,733.35 | 645.68 | 21,127.80 | 699.39 |
| **8.** | **कुल नकदी बहिर्गमन** | **201,517.71** | **32,920.72** | **197,434.66** | **31,463.61** |
| **नकदी अंतर्प्रवाह** | | | | | |
| 9. | जमानती उधार | - | - | - | - |
| 10. | पूर्ण निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह | 7,340.79 | 3,916.88 | 4,747.38 | 2,497.72 |
| 11. | अन्य नकदी अंतर्प्रवाह | 6,633.23 | 6,515.23 | 7,437.06 | 7,068.59 |
| **12.** | **कुल नकदी अंतर्प्रवाह** | **13,974.02** | **10,432.11** | **12,184.44** | **9,566.31** |
| **कुल समायोजित मूल्य** | | | | | |
| 13. | कुल एचक्यूएलए | 40,884.53 | 40,714.21 | 32,755.01 | 32,584.93 |
| 14. | कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह | 187,543.70 | 22,488.62 | 185,250.22 | 21,897.30 |
| **15.** | **चलनिधि कवरेज अनुपात (%)** | | **181.04%** | | **148.81%** |

## यथा 31मार्च, 2020 को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के क्रम में गुणात्मक प्रकटीकरण

**1. एलसीआर परिभाषा:**

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को निवल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के लिए एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्ता वाले चल संपत्ति) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.इसका उद्देश्य यह है किगंभीर तरलता तनाव के अंतर्गत बैंक 30 कैलेंडर दिन की अवधि के लिए अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए भार रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखना सुनिश्चित करें, जिसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर की गणना के लिए दिशानिर्देश 1 जनवरी, 2015 से लागू किए गए थे. 1 जनवरी, 2015 को न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 60% से बढ़कर 1 जनवरी, 2019 तक 100% हो गई थी. कैलेंडर वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिए एलसीआर की आवश्यकता क्रमश: 70%, 80% और 90?% थी. बैंक एलसीआर के आवश्यक स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति बनाए हुए है. 1 जनवरी, 2017 से, आरबीआई दिशानिर्देश के अनुसार बैंक प्रतिदिन के आधार पर एलसीआर की गणना कर रहा है.

**1.1 एलसीआर केघटक:**

एलसीआर परिणाम के प्रमुख घटक, अगले 30 दिनों की समय अवधि के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ, नकदी अंतर्वाह और निवल नकदी बहिर्वाह के स्तर हैं.

क. **एचक्यूएलए:** उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियो मेंशामिलहैं:

- स्तर 1 आस्तियाँ
- स्तर 2ए आस्तियाँ
- स्तर 2बी आस्तियाँ

**स्तर1 कीआस्तियों में शामिल हैं:**

- आवश्यक सीआरआर के अतिरिक्त नकदी शेष को शामिल करते हुए नकद.
- न्यूनतमएसएलआरआवश्यकता के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ.
- अनिवार्य एसएलआर आवश्यकताओं में सरकारी प्रतिभूतियाँ, सीमांत स्थायी सुविधा(एमएसएफ)के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तार हेतु अनुमति (31.03.2020 को एनडीटीएल के 3% के रूप में एमएसएफ के लिए अनुमति है).
- चलनिधि प्राप्त करने की सुविधाहेतु चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएएलएलसीआर) (31.03.2020 को एफएएलएलसीआर के लिए एनडीटीएल के14.50% की अनुमति है)
- 0% जोखिम भार के साथ संप्रभु द्वारा जारी/गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ.

वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्तर 1 आस्तियों का वार्षिक औसत रु. 39,750.00 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष रु. 31,626.56 करोड़) जो कुल औसत एचक्यूएलए रू. 40,884.53 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष रुपये 32,755.01 करोड़) का 97.23% (पिछले वित्तीय वर्ष 96.55%) है.

**स्तर 2 ए आस्तियों में शामिल हैं:**

- बाहरीरेटिंग एजेंसियोंद्वारा गैर-वित्तीयकॉर्पोरेट बॉन्ड जिसे एए- या उससे ऊपर कीरेटिंग दी गई है.
- बाहरीरेटिंग एजेंसियोंद्वारा नॉन-फाइनेंशियल कमर्शियल पेपर्स जिन्हें एए या इससे ऊपर की रेटिंग प्राप्त है.
- दावों से संबंधित विपणनयोग्य प्रतिभूतियों पर या राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाएँ (पीएसई) या बहुपक्षीय विकासबैंकोंद्वारा गारंटीकृत दावों के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 20% जोखिम भार दिया गया है,बशर्ते कि वे बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी याइसके किसी भी सहयोगी द्वारा जारी नहीं किए गए हों.

भारिबैं के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक 2ए स्तर की आस्तियों पर 15% हेयरकट लागू कर रहा है. स्तर 2ए आस्तियों के औसत की हिस्सेदारीकुलऔसतएचक्यूएलए का 2.77% (रु.1134.14 करोड़) [पिछलेवित्त वर्ष3.44% (रु.1126.14करोड़)] है.

**स्तर 2बी संपत्ति में शामिल हैं :**

- किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी याउसकीकिसी भीसंबद्धसंस्था जारी नहीं किए गए और एनएसई/सीएनएक्स, निफ्टी और/या एस&पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांकों में शामिल इक्विटी शेयर.
- एक बैंक/वित्तीय संस्था/पीडी/एनबीएफसी या उसके संबद्ध संस्थाओं में से किसी औरद्वारा जारी नहीं कियागया ए+ और बीबीबी- या दीर्घावधि रेटिंग की अनुपलब्धता में दीर्घावधि रेटिंग की गुणवत्ता के समकक्ष लघुअवधि रेटिंग के मध्य किसी पात्र रेटिंग एजेंसी द्वारा दीर्घावधि रेटिंग प्राप्त कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक पत्र सहित).

भारिबैं केमौजूदा दिशानिर्देशोंकेअनुसार, बैंक2बी स्तर पर 50% हेयरकटलागू कर रहा है.स्तर 2 की आस्तियों के औसत की हिस्सेदारीकुलऔसतएचक्यूएलए जिनमें मुख्यत: पूँजीबद्ध कार्पोरेट के इक्विटी शेयर जो कि नेशनल स्टाक एक्सचेंज सीएनएक्स, निफ्टी और/या एस&पी बीएसई सेंसेक्स में सूचीबद्ध शामिल शेयरों का 0.001% (रू.0.40 करोड़) [पिछलेवित्तीय वर्ष में 0.01% (रू.2.32 करोड़)] था.

बैंकवित्तवर्ष 2019-20के लिए एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखाहै. इसकाविवरण नीचेप्रस्तुत है:

**(करोड़ रुपए में)**

| विवरण | 2019-20 के लिए औसत एचक्यूएलए | | 2018-19 के लिए औसत एचक्यूएलए | |
|---|---|---|---|---|
| | राशि | भारितराशि | राशि | भारित राशि |
| स्तर 1 | 39,750.00 | 39,750.00 | 31,626.56 | 31,626.56 |
| स्तर 2 ए | 1134.14 | 964.02 | 1126.14 | 957.22 |
| स्तर 2 बी | 0.40 | 0.20 | 2.32 | 1.16 |
| **कुल एचक्यूएलए** | **40,884.54** | **40,714.22** | **32,755.02** | **32,584.93** |

**ख. नकदी प्रवाह:**

- **जमानती उधार से अंतर्प्रवाह:**इसमेंलघु अवधि उधार टीआरइपीएस, सीएएलएल शामिल हैं.
- **पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह:**30 दिनों के भीतर ऋण चुकौतीअनुसूची पर विचार किया गया है.
- **अन्य नकद अतर्प्रवाह:** इसमें तरल म्युचुअल फंड/जमा प्रमाणपत्र जिन्हें किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, शामिल हैं.

**3. नकद बहि प्रवाह :** एअलसीआर के प्रयोजन के लिए बहिर्प्रवाह को निम्नलिखित दो प्रमुख में श्रेणियों में विभाजित किया गयाहै:

- **खुदरा जमा से बहिर्वाह :**एक नैसार्गिक व्यक्ति द्वारा बैंकके पास रखे गए मांग और सावधि जमाओं को खुदरा जमा के रूप में माना जाता है.खुदरा जमा से होने वाले बहिर्प्रवाह को को स्थिर डिपॉजिट औरकमस्थिर डिपॉजिटमें विभाजित किया जाता है.लेन-देन खातों में सुनिश्चित जमायें (डीआईसीजीसी द्वारा कवर की गई सीमा तक) जहां वेतन/पेंशन स्वचालित रूप से जमा किए जाते हैं या संबंध आधारित खातों से भुगतान किए जाते हैं (जैसे जमा ग्राहक का बैंक के साथ एक और संबंध है, जैसे ऋण खाता)प्रति उधारकर्ता के रूप में इसे स्थिर जमा और शेष को (कुल जमा - स्थिर जमा) को कम स्थिर जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाताहै. एलसीआर प्रयोजनोंके लिएकुलवार्षिकऔसतखुदराजमा रू.1,02,373.70करोड़ (गत वित्तीय वर्षरू. 97,762.10करोड़),जिसमें सेऔसतस्थिर जमाएं रू.2,685.78 (गत वित्त वर्षरु. 2,535.14 करोड़)है औरकमस्थिर जमाएं रू. 99,687.92 करोड़(गत वित्त वर्षरु. 95,226.96 करोड़) है.बैंक ने एलसीआर उद्देश्य के लिए 30 दिनों की शेष परिपक्वता अवधि सहित सभी खुदरा जमाओं के बहिर्प्रवाह पर विचार किया है.
- **लघु व्यापार ग्राहकोंसे बहिर्वाह** : लघु व्यवसाय ग्राहकों से बहिर्प्रवाह वे जमा होते हैं, जहांजमा को खुदरा जमा के रूप में प्रबंधित किया जाता है औरऐसे किसी भीग्राहक सेकुलजमाएँ5 करोड़ तक सीमित होता है.आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन जमाओं से 30 दिनों तक के बहिर्प्रवाह को एलसीआर प्रयोजनों के लिए माना गया है.
- **थोक निधियन से बहिर्प्रवाह:** खुदरा जमाओं और लघु व्यवसाय जमाओं के अलावा बहिर्प्रवाह को थोक निधियन के कारण बहिर्प्रवाहमाना जाता है जिसे बाद में गैर जमानती थोक निधियन और जमानती थोक निधियन में विभाजित किया जाता है. एलसीआर प्रयोजनों के लिए रू.49,204.41 करोड़ (गत वित्तीय वर्ष रु.45,329.09करोड़) के थोक निधियन के सभी गैर जमानती औसत को गैर परिचालनगत जमाओं में वर्गीकृत किया गया क्योंकि ये जमायें समायोजन, अभिरक्षा या नकदी प्रबंधन क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आती है. जमानती थोक निधियन में चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) / त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन प्रणाली (टीआरइपीए)और संपार्श्विक उधार लेनदेन संबंधी दायित्व, पुनर्खरीद करार (आरइपीओ) द्वारा जमानती उधार शामिल है. जमानती उधार का कुलऔसत रू.3,428.81 करोड़ (गत वित्तीय वर्षरु.2,220.86 करोड़) है.
- ऋण **औरचलनिधि सुविधाओं से बहिर्प्रवाह:** इसमें नकद क्रेडिट खातों (सीसी) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) खातो ंकी अप्राप्त / अप्रयुक्त सीमाओं परविचार किया गया है.
- **अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताओं से बहिर्प्रवाह:** अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताओं से बहिर्प्रवाह में बैंक गारंटी और ऋण प्रतिबद्धता पत्र आदि के कारण बहिर्प्रवाह शामिल हैं. एलसीआर के प्रयोजनों के लिए बैंक नेयथा तिथि गैर-निधि आधारित अग्रिमको गैर भारित बहिर्प्रवाह के रूप में लिया है. इसके साथ ही बैंक ने बैंक के विरूद्ध उन सभी दावों जिनको ऋण नहीं माना गया है, को एलसीआर अभारित बहिर्वाहके रूप मेंमाना है.

**1.2 तिमाही वार एलसीआर :**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान तिमाही वार एलसीआर नीचे उल्लिखित है

| जून -2019 तिमाही का औसत एलसीआर | सितंबर-2019 तिमाही का औसत एलसीआर | दिसंबर - 2019 तिमाही का औसत एलसीआर | मार्च - 2020 तिमाही का औसत एलसीआर |
|---|---|---|---|
| 150.53% | 174.24% | 179.61% | 220.83% |

वित्त वर्ष 2018-19दौरानतिमाहीवार एलसीआर नीचे उल्लिखित है.

| जून-2018 तिमाही का औसत एलसीआर | सितंबर-2018 तिमाही का औसत एलसीआर | दिसंबर-2018 तिमाही का औसत एलसीआर | मार्च - 2019 तिमाही का औसत एलसीआर |
|---|---|---|---|
| 120.96% | 151.79% | 171.78% | 153.73% |

1.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक द्वारा बनाये रखे जाने वाले दैनिक एलसीआर न्यूनतम आवश्यकता से अधिक था अर्थात जनवरी 2019 से 100%को प्रभावी था.

**2. निधियन स्रोतों का संकेंद्रीकरण :**

बैंक मुख्य रूप से ऋण देने और उधार लेने की गतिविधियों में लगा हुआ है.बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसारजनतासे जमा स्वीकार करता है.बैंकअपनी दैनिक तरलता औरअन्य आवश्यकताओंके लिए मुद्रा बाजार से उधार लेता या देता है. यथा 31 मार्च 2020 को कुल जमाओं में थोक जमाओं (रु.2करोड़ और उससे अधिक) का अनुपात 25.48% रहा.बैंक, खुदरा जमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए थोक जमाओं को कम करने का सतत प्रयास कर रहा है.

**3. व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपार्श्विक माँग :**

बैंक व्यापार के साथ-साथ हेजिंग उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नि का व्यवसाय करता है. व्युत्पन्न सौदों की मात्रा अपेक्षा कृत कम है. वित्तीयवर्ष 2019-20 के लिए एलसीआर में निवल व्युत्पन्नि नकदी प्रवाह औसत रू. 8.78 करोड़ (गत वित्तीय वर्ष रु.3.43 करोड़) है.

**4. एलसीआर में में मुद्रा असंतुलन :**

जब विदेशी मुद्रा राशि में कुल देनदारियां बैंक की कुल देनदारियों का 5% या उससे अधिक हों तब करेंसी असंतुलन लागू होता है.ऐसे मामलों में,मुद्रा को ़महत्वपूर्णट माना जाता है. हमारे बैंक की बैंकिंग और व्यापार बही कोस्थानीय मुद्रा में दर्शाया गया है. बैंक के पास कोई

विदेशी सहायक कंपनी नहीं है. विदेशी मुद्रादेनदारियांबैंक की कुल देनदारियों के 5% से कम हैं औरइसलिए इसे मुद्रा असंतुलन लागू होने हेतु महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

**5. चलनिधि प्रबंधन के केंद्रीकरण की डिग्री और समूह इकाइयों में वार्तालाप :**

बैंक स्टॉक और प्रवाह दृष्टिकोण के तहत विविध अनुपातों की निगरानी के माध्यम से प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत तरीके से लगातार अपने चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है और उसके परिणामों पर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करता है. बैंक, आंतरिक/आरबीआई मानदंडों के अनुसार विभिन्न समय वर्ग में चलनिधि असंतुलन केविश्लेषण/निगरानीके लिए दैनिक आधार पर संरचनात्मक चल विवरण (एसएलएस) तैयार करता है. एसएलएस प्रत्येक शुक्रवार, प्रथम तथा तीसरे बुधवार और हर महीने की 15 वीं एवं अंतिम दिन कोआदेयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के समक्ष रखा जाता है. 90 दिनों से उपर की स्थिति के लिए डायनामिक चल विश्लेषण (डीएलएस) को मासिक/तिमाही आधार परएएलसीओ के सामने रखा जाता है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक प्रतिदिन के आधार पर एलसीआर की गणना कर रहा है और शीर्ष प्रबंधन एवं एएलसीओ को सूचित कर रहा है.

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(बिरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए बिनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

# समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में,**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों (पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक)**

**समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**

**अभिमत**

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक (बैंक)] और इसकी अनुषंगी, कॉर्पबैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 को समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि के समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए समेकित टिप्पणियाँ शामिल हैं.

2. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय परिणामों / अनुषंगी की वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त वित्तीय परिणाम, 31 मार्च 2020 को होल्डिंग बैंक व इसकी अनुषंगी और उनके समेकित नुकसान, और वर्ष के लिए उनके समेकित नकदी प्रवाह के विषय में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यकतानुसार जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं.

**अभिमत का आधार**

3. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है. उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में बताया गया है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार होल्डिंग बैंक एवं उसकी अनुषंगियों से स्वतंत्र हैं और साथ ही नैतिक अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं जो भारत में अपनी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए संगत है और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें या अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अन्य मामले खंड के अनुच्छेद 9 में संदर्भित रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, वे हमारी अभिमत के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं.

**मामले का महत्व**

4. हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं :

   (i) भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-04032020-216535 दिनांक 04 मार्च 2020 के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ई-कॉरपोरेशन बैंक के 1.4.2020 से प्रभावी समामेलन के बारे में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18C के टिप्पणी संख्या 20 की ओर.

   (ii) COVID 19 महामारी के प्रभाव के बारे में समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 9 की ओर, जो बैंक के व्यावसायिक संचालन पर प्रचलित अनिश्चितताओं को दर्शाती है. हमें सूचित किया गया है कि बैंक इस स्थिति और इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है.

   (iii) उभयनिष्ठ एक्सपोजर के संबंध में आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में आरबीआई के निर्देश के अनुसार हार्मोनाइजेशन के लिए किए गए प्रावधान के बारे में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 ए की टिप्पणी संख्या 4.6 की ओर;

   (iv) कर्मचारी लाभ (पेंशन निधि) हेतु किए गए अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 बी की टिप्पणी संख्या 3 की ओर;

   (v) पूर्व मूल्यांकन वर्षों के संबंध में आयकर की ओर किए गए अतिरिक्त प्रावधान के बारे में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 बी की टिप्पणी संख्या 8c की ओर;

   (vi) आरथगित कर परिसंपत्ति के व्युत्क्रमण के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 बी की टिप्पणी संख्या 8 C की ओर;

   (vii) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचाने गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान के आस्थगन और आरबीआई परिपत्र DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार, बाद के तिमाहियों में लाभ और हानि खाते में उनके समायोजन से संबंधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18C की टिप्पणी संख्या 12 की ओर,

   इन मामलों में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

5. **लेखा परीक्षा की प्रमुख मदें**

   प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारी पेशेवर राय में, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का, संपूर्ण समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी राय के संदर्भ में निराकरण किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मदों के नीचे दिए गए मामलों को संसूचित करना निश्चित किया है:

| क्रम संख्या | प्रमुख लेखापरीक्षा मदें | लेखापरीक्षा में कैसे निराकरण किया गया |
|---|---|---|
| 1. | **अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की मान्यता, गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और उनके लिए प्रावधान**<br>**(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 में लेखा नीति संख्या 3 और नोट 4 के साथ पठित 18 ए का संदर्भ लें)**<br>अग्रिमों को आरबीआई निर्देशों (आईआरएसी मानदंडों) और अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करने से संबन्धित आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानिगत आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है.<br>बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) के तहत काम कर रहा है. बड़ी मात्रा में लेनदेन के परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं फ्रंट एंड और बैक एंड पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निर्भर हैं. बैंक अपने अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में लेखांकित करता है जो निष्पादक व गैर-निष्पादक अग्रिमों की भी पहचान करता है. इसके अलावा एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी इसी प्रणाली के माध्यम से की जाती है. अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, विवेकपूर्ण मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों के निवल) भौतिक रूप से गलत हो सकता है.<br>बैंक की कुल संपत्ति का 55.50 प्रतिशत हिस्सा अग्रिमों में निहित है.<br>अग्रिमों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समेकित वित्तीय विवरणियों में, नियामक आवश्यकताओं, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान / निर्णय, आगे के वर्गीकरण और उसमें प्रावधान को हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद माना गया है. | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर, आरबीआई के बैंक के आंतरिक निदेशों और दिशानिर्देशों की समझ और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रक्रियाएं शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरण उचित और विश्वसनीय हैं.<br>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता परीक्षण शामिल हैं जो निम्नवत हैं : -<br>आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के बारे में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के संदर्भ में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन और आलोचनात्मक विश्लेषण.<br>किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए हमने नमूना जाँच के आधार पर अग्रिम खातों के दस्तावेजों, संचालन / निष्पादन और निगरानी तथा शाखा / प्रासंगिक प्रभागों की लेखापरीक्षा के अनुसार आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण का परीक्षण किया. शाखा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर निर्भरता रखी है.<br>हमने एनपीए की पहचान की प्रक्रिया और संदर्भित आय के व्युत्क्रमण एवं प्रावधान के निर्माण का आकलन और मूल्यांकन किया |
| 2. | **प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिमों का वर्गीकरण**<br>**(संदर्भ- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की टिप्पणी 9 के साथ पठित अनुसूची 18 सी)**<br>बैंक ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के बीच उधारकर्ताओं के खातों का पुन: वर्गीकरण किया है.<br>नतीजतन, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद माना है. | हमने बैंक द्वारा क्षेत्रवार वर्गीकरण की प्रणाली की प्रभावकारिता का आकलन किया है.<br>हम क्षेत्रवार वर्गीकरण के लिए शाखा और आंचलिक विवरणी, शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर निर्भर रहे.<br>हमने क्षेत्रवार वर्गीकरण की रिपोर्टिंग की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के वर्गीकरण में उत्पाद-वार खातों का नमूना चुना है.<br>प्राथमिकता / गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र अग्रिमों की पहचान की प्रणाली की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है. |

| क्रम संख्या | प्रमुख लेखापरीक्षा मदें | लेखापरीक्षा में कैसे निराकरण किया गया |
|---|---|---|
| 3. | निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेश के लिए पहचान और प्रावधान<br>**(संदर्भ- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की टिप्पणी 2 के साथ पठित अनुसूची 18 ए)**<br>निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, वेंचर कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड की इकाइयां, एआरसी की सुरक्षा प्राप्तियां, अनुषंगियों में निवेश और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं. निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - हेल्ड टू मैच्योरिटी, एविलेवल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग.<br>ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ, निवेश का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता और तत्संबंधी प्रावधान को शामिल करते हैं.<br>गैर-निष्पादक निवेश की पहचान और मूल्यांकन एवं परिणामी समायोजन, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 की लेखांकन नीति संख्या 4 में निहित है.<br>निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 28.94 प्रतिशत है.<br>समेकित वित्तीय विवरणियों में निवेश के मूल्य के महत्व को देखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद माना गया है. | भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों / बैंक की निवेश नीतियों के संदर्भ में, निवेश के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा , गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान , वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं ,<br>आरबीआई दिशानिर्देशों /बैंक द्वारा अपनाई जा रही लेखा नीतियाँ के अनुसार निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास की समीक्षा शामिल थी.<br>हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया.<br>हमने प्रत्येक श्रेणी के भीतर निवेश के चयनित नमूने के मूल्यांकन, प्रावधान और मूल्यह्रास को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं की.<br>हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया, यथा-लागू आय के व्युत्क्रमण एवं पर्याप्त प्रावधान की सुनिश्चितता का आकलन और मूल्यांकन किया. |
| 4. | प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत लंबित मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का आकलन.<br>**(संदर्भ- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की टिप्पणी 9 के साथ पठित अनुसूची 18 बी)**<br>अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित कर मुकदमों के आकलन में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता है. बैंक का मूल्यांकन प्रत्येक मामले, न्यायिक नियम और स्वतंत्र कर-सलाहकारों की विशेषज्ञ सलाह के तथ्यों पर आधारित है. कर निर्धारण अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों द्वारा आरोपित किसी भी प्रतिकूलता से बैंक के लाभ / हानि पर काफी असर पड़ सकता है.<br>इन मामलों के परिणाम से जुड़ी अनिश्चितताओं के मद्देनजर उपरोक्त क्षेत्र की पहचान एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद के रूप में की गई है. | अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित कर निर्धारण / मुकदमों की वर्तमान स्थिति की समझ प्राप्त की.<br>रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त मूल्यांकन आदेशों / अपीलीय आदेशों / न्यायालय के आदेशों की जांच की गई.<br>कानूनी परिप्रेक्ष्य और स्वतंत्र कर कंसल्टेंट्स से प्राप्त कर सलाह से मुद्दों का मूल्यांकन किया.<br>पूर्ण रूप से आकलित मामलों के अनुसरण और मूल्यांकन अधिकारियों / अपीलीय अधिकारियों के समक्ष बैंक द्वारा दी गयी प्रस्तुतियाँ से उठने वाले मुद्दों पर बैंक की कर टीम के साथ चर्चा की.<br>साथ ही आयकर अधिकारियों द्वारा बैंक के खिलाफ किए गए दावों, जिन्हे देयता के रूप में नहीं लिया गया है और इस तरह के दावों के खिलाफ विवादित कर के भुगतान की विवरणी की समीक्षा की. |

| क्रम संख्या | प्रमुख लेखापरीक्षा मदें | लेखापरीक्षा में कैसे निराकरण किया गया |
|---|---|---|
| **5.** | **COVID-19 प्रकोप के आलोक में संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ**<br>हमारे लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान COVID-19 महामारी के के प्रकोप और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय अधिकारियों द्वारा लागू राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और यात्रा प्रतिबंधों के कारण, हम भौतिक रूप से ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए शाखाओं, अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय की यात्रा नहीं कर सके. जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी वहाँ लेखा परीक्षा को दूरस्थ रूप से किया गया था.<br>जहाँ भी हम विभिन्न स्थानों पर जाने में सक्षम नहीं थे, बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम, ईमेल और संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (फिनेकल) के लिए दूरस्थ पहुँच के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे. हम अधिकांश शाखा कार्यालयों और क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सके. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, अधिकांश शाखा लेखा परीक्षक भी उन्हें आवंटित शाखाओं में नहीं जा सकते हैं और तदनुसार उन्होंने संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को भी अपनाया है. इस अवस्था में, हमने रिपोर्ट किए गए वर्ष के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड, जिनपर हमने लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा प्रमाण के रूप में निर्भर किया, के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया की है.<br>चूंकि हम संबंधित शाखाओं / अंचलों / प्रधान कार्यालय में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से भौतिक रूप से / व्यक्तिगत रूप से / लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके; हमने लेखापरीक्षा प्रक्रिया को यहां प्रमुख लेखा परीक्षा मद के रूप में चिन्हित किया है. | हमने अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया है: -<br>जहां बैंक के कार्यालयों का दौरा किया जाना संभव नहीं था वहाँ ई-मेल के माध्यम और संबंधित सॉफ्टवेयर (फिनेकल) के लिए दूरस्थ पहुंच के द्वारा से आवश्यक रिकॉर्ड / दस्तावेजों / रिपोर्टों की जांच / सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गयी.<br>दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों, प्रमाणपत्रों, रिपोर्टों, वित्तीय विवरणों, और संबंधित रिकॉर्डों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया गया.<br>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, टेलीफ़ोनिक वार्तालाप और संचार के अन्य समान तरीकों के माध्यम से परिचर्चा और लेखा परीक्षा प्रमाण इकट्ठा करना.<br>विचार-विमर्श, डिजिटल रिकॉर्ड की प्राप्ति, टेलीफोन पर बातचीत और ई मेल के माध्यम से लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का निदान किया गया. |
| **6.** | **सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (फिनेकल) आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया.**<br>बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) के तहत काम कर रहा है. बड़ी मात्रा में लेनदेन के परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं फ्रंट एंड और बैक एंड पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निर्भर हैं.<br>बैंक के एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन सहित सभी लेनदेन के लिए कोर बैंकिंग में प्रभावी डेटा कैप्चरिंग और रिपोर्टिंग के लिए डिज़ाइन किए गए पर्याप्त जांच बिन्दु , मानक, प्रक्रियाएं और नियंत्रण हैं.<br>हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मद के रूप में माना है, क्योंकि नियंत्रण की कमी और इनपुट त्रुटियों के परिणामस्वरूप प्रबंधन और नियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग होती है. | हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि समेकित वित्तीय विवरण उचित और विश्वसनीय हैं, कोर और ट्रेजरी से प्राप्त जानकारी और डेटा की समीक्षा और मूल्यांकन किया.<br>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता परीक्षण शामिल हैं, जो निम्नवत हैं : -<br>वर्ष के दौरान आयोजित आईएस लेखा परीक्षा को प्राप्त करना और समीक्षा करना.<br>बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण, आईटी नीतियों और बोर्ड के सामने रखे गए नोटों सहित लेखा परीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की समझ प्राप्त करना.<br>परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की.<br>ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण स्वचालित और मैन्युअल व्यापार चक्र नियंत्रण और सिस्टम जनित रिपोर्टट की नमूना जाँच की. |

**समेकित वित्तीय विवरणियों एवं उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना**

6. जो अधिशासन शासन के प्रभारी हैं वे अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में कार्पोरेट शासन विवरणी शामिल है ( लेकिन समेकित वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है).

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे विचार अन्य सूचनाओं एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को शामिल नहीं करते हैं और हम किसी प्रकार का कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व ऊपर निदेशित अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने में यह विचार करना है कि अन्य सूचनाएं भौतिक रूप से समेकित वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा से प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अनमेल तो नहीं हैं या अन्य किसी रूप से भौतिक रूप से गलत लगती हैं.

यदि हमारे किए गए कार्य द्वारा , हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि इस अन्य

सूचना के संबंध में कोई गलतबयानी है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है. इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है.

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन और अभिशासन के दायित्व**

7. जो अभिशासन के लिए उत्तरदायी हैं, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार होल्डिंग बैंक एवं उसकी अनुषंगी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही उचित स्थिति दर्शाती है, को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. इस जिम्मेदारी में होल्डिंग बैंक एवं उसकी अनुषंगी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उसका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और कार्यान्वयन; निर्णय और आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरणियों की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है और सही और उचित स्थिति दर्शानेवाली है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण होने वाली गलय बयानों से मुक्त है, भी शामिल है.

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, अभिशासन, होल्डिंग बैंक एवं उसकी अनुषंगी के रूप में बने रहने, यथा लागू, कार्यशील संस्था से जुड़ी मामलों का प्रकटन करने तथा जब तक प्रबंधन समूह का परिसमापन, संचालन रोकना नहीं चाहता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन का उपयोग करने की समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है.

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ**

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण होने वाली गलत बयानों से पूर्ण रूप से मुक्त है और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हैं. उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा में गलत बयान होने पर उसका पता लगाया जाएगा.. गलत बयान कपट या त्रुटि के कारण हो सकती है और इस वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोक्ता के वित्तीय निर्णयों पर व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से प्रभावित करता है तो उसे गंभीर माना जाएगा.

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान हमने पेशेवर निर्णय लिया है और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखा. **हमने निम्न कार्य भी किया है :**

- वित्तीय विवरणों में प्रमुख रूप से गलत बयान, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करते हैं और कार्यान्वित करते हैं तथा हमारे अभिमत के आधार बनने के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है. कपट के कारण होने वाली गलय बयान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के कारण होनेवाली जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- परिस्थितियों के अनुसार जो सही हो उसके लिए लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए एक समझ तैयार करना परंतु बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर के प्रभावी होने पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं.

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटनों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया है.

- हम प्रबंधन की चालू लेखांकन आधारों के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर क्या ऐसी घटना या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है, पर निष्कर्ष निकालते है. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे अभिमत को संशोधित करना है. हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर है.

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो उचित प्रस्तुति कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन किया है.

समेकित वित्तीय विवरणियों में भोतिकता एकल या समग्र रूप से गलत जानकारी है जो कि कि समेकित वित्तीय विवरणियों की यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होती है. हम (i) हमारे लेखापरीक्षा को कार्य के क्षेत्र का निर्धारण करने और हमारे कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई किसी संज्ञान में आई गलत जानकारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में संख्यात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य मामलों के साथ अभिशासन से जुड़े योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा आंतरित नियंत्रणों में पाई गई उल्लेखनीय कमियों सहित लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बारे में सूचित करते हैं.

हम उन लोगों को जो अभिशासन के लिए उत्तरदायी है, विवरण के साथ यह सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंध एवं अन्य मामलों के बारे में भी सूचित किया है, जिसमें समुचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू है, संबंधित सुरक्षा,को प्रभावित कर सकता है.

अभिशासन के जुड़ी बातों को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए वे लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मामले हैं. हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों को तभी प्रस्तुत करते हैं जब कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए रोक नहीं लगाता है या अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को प्रकट नहीं किया जाना है क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो सकती है.

**अन्य मामले**

9. हमने अनुषंगी, कार्प बैंक सिक्योरिटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय विवरणी में 31 मार्च, 2020 को कुल आस्तियाँ ₹ 102.16 करोड़ है और उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 8.73 करोड़ है. इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा दूसरे लेखापरीक्षक ने किया है, जिसकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय, जहाँ तक यह उक्त अनुषंगी के संबंध में शामिल राशियों से संबंधित है, पूरी तरह से दूसरे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर है.

   इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

**अन्य विधिक एवं सांविधिक आवश्यकताओं के विषय में रिपोर्ट :**

10. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि लेखा खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है.

11. उपर्युक्त 6 से 9 तक के पैराग्राफ में बताई गई सीमाओं तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षितानुसार, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

   ख. होल्डिंग बैंक के जो लेनदेन हमारे ध्यान में आए, वे होल्डिंग बैंक के अधिकारों के भीतर थे; और

   ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमारी राय में हमारे द्वारा दौरा नहीं की गयी शाखाओं से लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त उक्त बहियों तथा उचित विवरणियों की जाँच से प्रतीत होता है कि होल्डिंग बैंक एवं अनुषंगी ने विधि द्वारा अपेक्षितानुसार उचित लेखा बहियाँ रखी है;

   ख) उक्त रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरणियाँ, लेखा बहियों एवं हमारे द्वारा दौरा नहीं की गयी शाखाओं से लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त विवरणियों से मेल रखते हैं;

   ग) बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उसका उपयोग किया है; और

   घ) हमारी राय में, उक्त रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरणियाँ रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं.

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व पर जारी पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.संख्या6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020 और 19 मई, 2020 को अगली संसूचना के क्रम में हम उपरोक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में वर्णित मामलों की निम्नवत् रिपोर्ट करते हैं:

   क) हमारे विचार से उक्त समेकित वित्तीय विवरणियां आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करती हैं, बहुत सीमा तक ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीति से अनमेल भी नहीं हैं.

   ख) वित्तीय लेनदेनों और मामले जिनका बैंक के कार्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव है के संबंध में कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है.

   ग) समामेलन पर भारत सरकार के निदेशों के क्रम में बैंक के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) की शर्तों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 से नियुक्त निदेशक के संबंध में निदेशकों पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है.

   घ) खातों के प्रबंधन और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में कोई परिवर्तन, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

   ङ) चूंकि बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 से 'वित्तीय विवरणियों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियुक्ता को लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक नें 19 मई, 2020 को अनुमति दी थी, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्तमान वर्ष के लिए कोई रिपोर्टिंग आवश्यकता नहीं है.

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते चंद्रन एण्ड रमन**
सनदीलेखाकार, एफआरएन: 0005715
**[सीए पी आर सुरेश]**
सदस्यता संख्या 027488, पार्टनर

**कृते एस. रामानन्द अय्यर एण्ड कं.**
सनदीलेखाकार, एफआरएन: 000990एन
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
सदस्यता संख्या 056373, पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# समेकित बैलेंस शीट 31 मार्च, 2020 तक

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | अनुसूची | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **पूंजी और देयताएँ** | | | |
| पूंजी | 1 | **1198,83,68** | 1198,83,68 |
| आरक्षित निधियाँ और अधिशेष | 2 | **12597,46,81** | 15415,67,51 |
| अल्पसंख्यक हित | | **Nil** | Nil |
| जमाराशियाँ | 3 | **205258,33,41** | 184564,10,70 |
| उधार राशियाँ | 4 | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| अन्य देयताएँ तथा प्रावधान | 5 | **8133,43,08** | 4051,24,06 |
| **कुल** | | **229489,13,22** | 213624,11,47 |
| **आस्तियाँ** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष | 6 | **15745,24,13** | 9661,06,91 |
| बैंकों में शेष राशि एवं कॉल तथा शॉर्ट नोटिस पर देय राशि | 7 | **1263,29,95** | 2909,05,44 |
| निवेश | 8 | **66376,68,73** | 60018,61,38 |
| अग्रिम | 9 | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| स्थाई आस्तियाँ | 10 | **1379,45,42** | 1421,91,55 |
| अन्य आस्तियाँ | 11 | **17325,39,25** | 18362,25,27 |
| **कुल** | | **229489,13,22** | 213624,11,47 |
| आकस्मिक देयताएँ | 12 | **36727,50,85** | 62625,62,97 |
| वसूली हेतु बिल | | **14364,16,42** | 13747,30,85 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | 17 | | |
| खातों के लिए नोट्स | 18 | | |

ऊपरोक्त वर्णित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(विरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाई)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | अनुसूची सं. | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **I. आय** | | | |
| अर्जित ब्याज | 13 | **16170,58,88** | 15622,65,40 |
| अन्य आय | 14 | **3750,13,41** | 1881,43,59 |
| **योग** | | **19920,72,29** | 17504,08,99 |
| **II. व्यय** | | | |
| व्यय किया गया ब्याज | 15 | **10941,41,96** | 10113,91,23 |
| परिचालन व्यय | 16 | **5176,28,06** | 3487,02,71 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | | **6198,43,47** | 10228,44,94 |
| **योग** | | **22316,13,49** | 23829,38,88 |
| न्यूनहित ब्याज घटाने से पहले वर्ष का समेकित निवल लाभ | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| घटाएं: न्यूनहित ब्याज | | **-** | - |
| वर्ष हेतु समूह का समेकित निवल लाभ | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| **IV. विनियोग (से/को )** | | | |
| सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण | | **-** | - |
| कर्मचारी कल्याण निधि में अंतरण | | **-** | - |
| पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण | | **-** | - |
| निवेश आरक्षित निधियां | | **-** | - |
| तुलन पत्र में ले जायी गयी शेष राशि | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| **योग** | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| प्रति शेयर अर्जन (₹) | | **(4.00)** | (30.03) |

उपरोक्त अनुसूचियां लाभ हानि खाते का अभिन्न अंग हैं|

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(बिरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | वर्ष समाप्त 31.03.2020 | वर्ष समाप्त 31.03.2019 |
|---|---|---|
| **[ए] परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (-) | -2385,32,20 | -6325,29,89 |
| जोड़ें:-कर के लिए प्रावधान | 2647,21,74 | -1714,70,08 |
| कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-) | 261,89,54 | -8039,99,97 |
| **[i] समायोजन के लिए:-** | | |
| स्थाई आस्तियों पर अवमूल्यन | 180,07,60 | 176,54,38 |
| निवेश पर अवमूल्यन | 53,80,38 | 340,20,20 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 3279,48,87 | 11585,13,72 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 285,83,00 | 180,52,52 |
| टियर I और टियर II बांड पर भुगतान किया गया ब्याज | 173,27,70 | 420,81,01 |
| आकस्मिकता और अन्य के लिए प्रावधान | 33,65,58 | -43,29,41 |
| आरक्षित निधियाँ से/हस्तांतरण | -422,79,49 | - |
| स्थाई आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) /हानि | -1,62,23 | 1,49,49 |
| प्राप्त ब्याज/लाभांश | -,84,41 | -,43,57 |
| म्यूचुअल फंड के मोचन पर लाभ | -,2,86 | -,41,04 |
| अनुषंगी कंपनियों में निवेश की बिक्री के माध्यम से अर्जित आय | -7,03,13 | - |
| प्रत्यक्ष कर (भुगतान) /वापसी (कॉर्प बैंक द्वारा ) | -565,47,13 | -1139,66,86 |
| प्रत्यक्ष कर (भुगतान) /वापसी (कॉर्प बैंक सिक्युरिटीज द्वारा ) | -3,58,36 | -1,82,77 |
| ब्याज पूंजीकरण के लिए प्रावधान | -104,62,00 | -119,42,00 |
| **[ii] परिचालन आस्तियों और देनदारियों में बदलाव से पहले नकदी प्रवाह** | **3162,03,07** | **3359,65,70** |
| **समायोजन के लिए:-** | | |
| जमा में वृद्धि/(कमी) | 20690,48,96 | 1254,39,78 |
| उधारी में वृद्धि/(कमी) | -4543,19,28 | -10539,37,83 |
| अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) | -983,91,82 | -13443,05,72 |
| निवेश में कमी (वृद्धि) / | -6525,79,30 | 10370,57,25 |
| अग्रिमों में कमी(वृद्धि) / | -6147,84,82 | -1382,37,21 |
| अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि) / | 641,30,85 | 3607,64,53 |
| आरक्षित निधियाँ से/के लिए समायोजन/अंतरण | - | 19,25,54 |
| **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह [ए]** | **6293,07,66** | **-6753,27,96** |
| **[बी] निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| स्थाई आस्तियों की बिक्री/निपटान | 4,06,57 | -3,78,32 |
| स्थाई आस्तियों की खरीद | -140,05,80 | -111,49,17 |
| अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स में निवेश की बिक्री से आय | - | - |
| प्राप्त ब्याज/लाभांश | ,84,40 | ,43,57 |
| जमाओं के निवेश में बदलाव | ,2,86 | ,41,04 |
| अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं से लाभांश आदि से अर्जित आय | - | - |
| **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह [बी]** | **-135,11,97** | **-114,42,88** |

## 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण (जारी...)

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | वर्ष समाप्त 31.03.2020 | वर्ष समाप्त 31.03.2019 |
|---|---|---|
| **[सी] वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| शेयर पूंजी जारी करने से आय | | |
| टियर I और टियर II बांड से आय | 974,21,88 | 11777,37,28 |
| टियर I और टियर II बांड से मोचन | -2550,00,00 | -3237,50,00 |
| टियर I और टियर II बांड पर प्रदत्त ब्याज | -173,27,70 | -420,81,01 |
| लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का भुगतान | - | - |
| लाभांश वितरण पर कर भुगतान | - | - |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह [सी]** | **-1723,27,70** | **8119,06,27** |
| **[डी] नकद और नकदी समकक्ष [ए + बी +सी] या [एफ-ई] में निवल वृद्धि/(कमी)** | **4434,67,99** | **1251,35,42** |
| **[ई] वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष** | | |
| नकदी और भारिबैं में शेष | 9665,40,77 | 11140,15,36 |
| माँग और अल्प सूचना पर देय राशि एवं बैंकों में शेष राशि | 2907,96,58 | 177,52,65 |
| **वर्ष की शुरुआत में निवल नकद और नकद समकक्ष [ई]** | **12573,37,35** | **11317,68,01** |
| **[एफ] वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष** | | |
| नकदी और भारिबैं में शेष | 15745,24,13 | 9661,06,85 |
| माँग और अल्प सूचना पर देय राशि एवं बैंकों में शेष राशि | 1262,81,21 | 2907,96,58 |
| **वर्ष के अंत में निवल नकद और नकद समकक्ष [एफ]** | **17008,05,34** | **12569,03,43** |

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(विरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# तुलन पत्र में संलग्न अनुसूचियां

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1 - पूँजी** | | | | |
| अधिकृत पूंजी | | | | |
| प्रत्येक रुपये 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर | | **3000,00,00** | | 3000,00,00 |
| निर्गमित और अभिदत्त पूँजी | | | | |
| प्रत्येक रुपये 2 के 599,41,84,034 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक रुपये 2 के 599,41,84,034 इक्विटी शेयर) | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **1198,83,68** | | 333,10,97 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/(जब्त) | **-** | **1198,83,68** | 865,72,71 | 1198,83,68 |
| प्रदत्त पूंजी | | | | |
| प्रत्येक रुपये 2 के 560,47,99,271 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक रुपये 2 के 560,47,99,271 इक्विटी शेयर | **1120,95,99** | **1120,95,99** | 1120,95,99 | 1120,95,99 |
| ख) जनता और अन्य द्वारा धारित | **77,87,69** | | 77,87,69 | |
| प्रत्येक रुपये 2 के 33,53,44,193 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक रुपये 2 के 38,93,84,193 इक्विटी शेयर | | | | |
| घटाएँ : देय आवंटन राशि | **-** | | - | |
| वर्ष के दौरान जब्ती | **-** | **77,87,69** | - | 77,87,69 |
| **कुल** | | **1198,83,68** | | 1198,83,68 |
| **अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **3368,88,47** | | 3368,88,47 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | - | |
| निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान | **-** | | - | |
| सामान्य रिजर्व को अंतरित राशि | **-** | | - | |
| | | **3368,88,47** | | 3368,88,47 |
| **II. पूंजी आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **1200,22,00** | | 1200,22,00 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **18,75,00** | | - | |
| पुनर्निर्गम के लिए पात्र जब्त किए गए शेयर | **-** | | - | |
| | | **1218,97,00** | | 1200,22,00 |
| **III. शेयर प्रीमियम** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **16081,94,51** | | 5170,29,94 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | 10911,64,57 | |
| घटाएँ : कॉल्स इन अरियर्स | **-** | **16081,94,51** | - | 16081,94,51 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 (जारी.)** | | | | |
| **IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| ए) राजस्व आरक्षित निधियाँ | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **3133,20,53** | | 3113,95,01 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | 19,25,53 | |
| | **3133,20,53** | | 3133,20,54 | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **-148,37,19** | | - | |
| | | **2984,83,34** | | 3133,20,54 |
| बी) विशेष रिजर्व | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **1436,60,74** | | 1436,60,74 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | - | |
| कॉर्प बैंक होम्स से स्थानांतरित | | | | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **252,88,00** | | - | |
| | | **1183,72,74** | | 1436,60,74 |
| सी) निवेश रिजर्व | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **-** | | - | |
| लाभ और हानि से स्थानांतरण | | | | |
| विनियोग खाता | **-** | | - | |
| | | **-** | | - |
| V. भूमि और भवन के पुनर्मूल्यांकन के लिए आरक्षित निधि | | | | |
| प्रारंभिक शेष | **902,17,96** | | 646,81,55 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **-** | | 274,61,95 | |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान आहरण | **22,70,57** | | 19,25,54 | |
| | | **879,47,39** | | 902,17,96 |
| VI. लाभ व हानि खाते में शेष | | **-13120,36,64** | | -10707,36,70 |
| **कुल (I+II+III+IV+V+VI)** | | **12597,46,81** | | 15415,67,51 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची - 3 - जमा** | | |
| ए. I. माँग जमाराशियाँ | | |
| i) बैंकों से | **13,77,80** | 31,69,15 |
| ii) अन्यों से | **16630,93,63** | 16164,32,84 |
| II. बचत बैंक जमाराशियाँ | **46029,05,52** | 42106,72,01 |
| III. मियादी जमाराशियाँ | **-** | - |
| i) बैंकों से | **162,25,55** | 164,33,67 |
| ii) अन्यों से* | **142422,30,91** | 126097,03,03 |
| **कुल (I, II और III)** | **205258,33,41** | 184564,10,70 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा<br>31.03.2020<br>₹ | यथा<br>31.03.2019<br>₹ |
|---|---|---|
| बी. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाएँ | **205258,33,41** | 184564,10,70 |
| (ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाएँ | **-** | - |
| **योग** | **205258,33,41** | 184564,10,70 |
| * जिसमें कॉर्पगोल्ड जमाएँ शामिल हैं | **-** | 13,97,98 |
| **अनुसूची - 4 -उधार राशियाँ** | | |
| I. भारत में उधार राशियाँ | | |
| i) भारतीय रिजर्व बैंक | **203,00,00** | 425,00,00 |
| ii) अन्य बैंक | **,18,87** | 4282,94,46 |
| iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां | **47,87,37** | 86,31,06 |
| iv) असुरक्षित बांड/इन्नोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट और अधीनस्थ ऋण * | **2050,00,00** | 3600,00,00 |
| **योग** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| II. क) भारत के बाहर उधार राशियाँ | **-** | - |
| **योग (I और II)** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| ऊपर I और II में शामिल सुरक्षित उधार | **Nil** | Nil |
| * शामिल है | | |
| असुरक्षित विमोच्य बॉन्ड्स (टियर II) | **2050,00,00** | 3100,00,00 |
| टियर I परपेचुअल बॉन्ड्स | **-** | 500,00,00 |
| **अनुसूची - 5- अन्य देयताएं और प्रावधान** | | |
| I. देय बिल | **461,27,92** | 487,96,95 |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | **-** | 114,83,76 |
| III. उपचित ब्याज | **690,34,38** | 774,64,95 |
| IV. आस्थगित कर देयता | **-** | - |
| V. अन्य (प्रावधानों सहित)* | **6981,80,78** | 2673,78,40 |
| **योग** | **8133,43,08** | 4051,24,06 |
| * मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधानस्शामिल हैं | **1026,06,78** | 740,23,78 |
| **अनुसूची - 6 -नकद और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष** | | |
| I. हस्तगत रोकड (विदेशी मुद्रा नोटो और सोने सहित) | **1126,59,45** | 1083,77,46 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष | | |
| - चालू खातों में | **6518,64,68** | 7202,29,45 |
| - अन्य खातों में | **8100,00,00** | 1375,00,00 |
| **योग ( I, II और III)** | **15745,24,13** | 9661,06,91 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची - 7 बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धन** | | |
| **I. भारत में** | | |
| i) बैंकों में शेष | | |
| क) चालू खातों में | **52,28,63** | 73,19,35 |
| ख) अन्य जमा खातों में | **37,31** | 37,79 |
| ii) मांग तथा अल्प सूचना पर धन | | |
| क) बैंकों में | **1** | - |
| ख) अन्य संस्थानों में | **,,** | - |
| **योग (i+ii)** | **52,65,95** | 73,57,14 |
| **II. भारत के बाहर** | | |
| i) चालू खातों में | **-** | - |
| ii) अन्य जमा खातों में | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| iii) मांग तथा अल्प सूचना पर धन | **Nil** | Nil |
| **योग (i+ii)** | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| **सकल योग (I और II)** | **1263,29,95** | 2909,05,44 |
| **अनुसूची - 8- निवेश** | | |
| भारत में निवेश (सकल) | **67552,98,62** | 61254,58,04 |
| घटाए: मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान | **1176,29,89** | 1235,96,66 |
| निवल निवेश | **66376,68,73** | 60018,61,38 |
| I. भारत में निवेश | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | **45780,85,32** | 41474,56,08 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | **99,61** | 99,61 |
| iii) शेयर | **169,88,46** | 246,37,87 |
| iv) डिबेंचर और बांड | **1433,12,98** | 2471,85,58 |
| v) अनुषंगियाँ /संयुक्त उद्यम | **-** | - |
| vi) अन्य | | |
| (क) जमाओं प्रमाण पत्र | **3793,31,75** | 580,15,16 |
| (ख) वाणिज्यिक पत्र | **138,59,70** | 93,17,10 |
| (ग) म्यूचुअल फंड की इकाइयां | **13,23,61** | 13,42,05 |
| (घ) वेंचर पूंजी निधियाँ | **67,76,01** | 72,88,11 |
| (ङ) सरकारी विशेष प्रतिभूतियां | **14941,22,71** | 14926,57,16 |
| (च) प्रतिभूती प्राप्तियाँ | **37,14,40** | 138,08,48 |
| **योग** | **66376,14,55** | 60018,07,20 |
| II. भारत के बाहर निवेश - स्विफ्ट में | **,54,18** | ,54,18 |
| **योग (I और II)** | **66376,68,73** | 60018,61,38 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची 9 -अग्रिम** | | |
| ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल | **1847,96,96** | 931,80,63 |
| ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | **32948,72,24** | 41619,71,21 |
| iii) सावधि ऋण | **92602,36,54** | 78699,69,08 |
| **योग** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) | **104308,41,87** | 95914,76,45 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित | **38,20** | 10,61,47 |
| iii) असुरक्षित | **23090,25,67** | 25325,83,00 |
| **योग** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| सी. I. भारत में अग्रिम | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | **47658,09,21** | 49505,99,46 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | **37373,83,70** | 10328,63,88 |
| iii) बैंक | **-** | - |
| iv) अन्य | **42367,12,83** | 61416,57,58 |
| **योग** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| डी. II. भारत के बाहर अग्रिम | **Nil** | Nil |
| **सकल योग (C.I और C.II)** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 - स्थाई आस्तियाँ** | | | | |
| I. परिसर | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर | **1192,97,78** | | 924,01,08 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **4,88,82** | | 278,80,22 | |
| | **1197,86,60** | | 1202,81,30 | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **1,23,54** | | 9,83,52 | |
| | **1196,63,07** | | 1192,97,78 | |
| यथातिथि मूल्यह्रास | **176,38,16** | | 151,42,90 | |
| | **1020,24,91** | | 1041,54,88 | |
| जोड़ें: कार्यगत पूंजी | **32,19** | **1020,57,10** | 4,29,26 | 1045,84,14 |
| **II. अन्य स्थाई आस्तियाँ (फर्नीचर और जुड़नार सहित)** | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर | **1455,14,72** | | 1417,12,24 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **99,36,71** | | 57,52,75 | |
| | **1554,51,43** | | 1474,64,99 | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **18,41,30** | | 19,50,28 | |
| | **1536,10,14** | | 1455,14,72 | |
| यथातिथि मूल्यह्रास | **1233,90,21** | | 1137,96,62 | |
| | **302,19,93** | | 317,18,10 | |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| जोड़ : कार्यगत पूंजी | **,19,91** | **302,39,84** | ,11,05 | 317,29,15 |
| **III. अमूर्त आस्तियाँ [कंप्यूटर सॉफ्टवेयर]** | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर | **270,66,30** | | 243,11,16 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | **39,68,48** | | 37,04,08 | |
| | **310,34,78** | | 280,15,24 | |
| वर्ष के दौरान कटौती | **2,87,07** | | 9,48,94 | |
| | **307,47,71** | | 270,66,30 | |
| यथातिथि मूल्यह्रास | **250,99,23** | **56,48,48** | 211,88,04 | 58,78,26 |
| | **56,48,48** | | | |
| **कुल (I II और III)** | | **1379,45,42** | | 1421,91,55 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | यथा 31.03.2020 ₹ | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची - 11 - अन्य आस्तियां** | | |
| I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | **378,68,19** | - |
| II. उपचित ब्याज | **1950,53,19** | 1706,06,38 |
| III. मैट क्रेडिट -पात्रता | **674,38,11** | 655,28,45 |
| IV. अग्रिम/टीडीएस में प्रदत्त कर | **238,98,31** | 291,43,30 |
| V. सेनवेट/इनपुट कर जमा | **15,34,51** | 39,81,19 |
| VI. विवाद के अधीन प्रदत्त कर | **3422,70,42** | 2927,45,72 |
| VII. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प | **4,39,95** | 4,78,60 |
| VIII. दावों की शोधन में प्राप्त गैर बैंकिंग | **9,44** | 9,44 |
| IX. आस्तियां | **4612,94,05** | 5446,26,73 |
| X. आरआईडीएफ/सिडबी/आरएचडीएफ के तहत नाबार्ड के पास जमा | **4651,36,68** | 5918,77,72 |
| XI. अन्य | **1375,96,40** | 1372,27,74 |
| **योग** | **17325,39,25** | 18362,25,27 |
| **अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं** | | |
| I. कर्ज के रुप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे | **5485,82,48** | 3232,79,24 |
| II. डीइएएफ- आरबीआई के पास शेष राशि | **128,87,72** | 116,56,16 |
| II. प्रतिवर्ती रेपो पर खरीदी गयी प्रतिभूति | **-** | 6246,42,42 |
| III. A. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं हेतु देयता | **16947,42,19** | 36004,23,88 |
| B. व्युत्पन्नी | **-** | 924,00,00 |
| IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ | | |
| क) भारत में | **10908,95,60** | 11583,83,58 |
| ख) भारत के बाहर | **169,31,97** | 223,25,88 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं | **3027,80,49** | 4189,45,19 |
| VI. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है | **59,30,40** | 105,06,62 |
| **योग** | **36727,50,85** | 62625,62,97 |

(₹ 000' हटाकर)

| विवरण | **यथा 31.03.2020 ₹** | यथा 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **अनुसूची 13 -अर्जित ब्याज** | | |
| I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा | **10721,47,74** | 10992,61,82 |
| II. निवेशों पर आय | **4443,07,04** | 4120,20,01 |
| III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर - बैंक निधियों पर ब्याज | **17,88,73** | 22,85,31 |
| IV. अन्य | **988,15,37** | 486,98,26 |
| **योग** | **16170,58,88** | 15622,65,40 |
| **अनुसूची 14 - अन्य आय** | | |
| I. कमीशन , विनिमय और ब्रोकरेज | **263,87,29** | 316,27,23 |
| II. निवशों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल) | **389,20,95** | -80,92,51 |
| III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल ) | **1,62,23** | -1,49,49 |
| IV. विनिमय लेन - देनों पर लाभ/हानि (निवल ) | **114,51,87** | 99,18,07 |
| V. भारत में अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश इत्यादि से आय | **3,40,08** | 3,32,66 |
| VI. विविध आय | **2977,50,99** | 1545,07,63 |
| **योग** | **3750,13,41** | 1881,43,59 |
| **अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज | **10564,86,57** | 9499,99,05 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज | **200,70,72** | 119,61,64 |
| III. अन्य | **175,84,67** | 494,30,54 |
| **योग** | **10941,41,96** | 10113,91,23 |
| **अनुसूची 16 - परिचालन व्यय** | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | **3373,35,69** | 1747,47,00 |
| II. किराया, कर और बिजली | **330,62,94** | 318,39,70 |
| III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री | **23,13,83** | 22,00,44 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार | **3,87,61** | 3,08,67 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | **180,07,60** | 176,54,38 |
| VI. निदेशकों के शुल्क भत्ते और व्यय | **86,14** | 33,32 |
| VII. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) | **24,14,90** | 25,04,34 |
| VIII. विधिक प्रभार | **6,47,39** | 6,04,25 |
| IX. डाक , तार और टेलीफोन आदि | **81,34,03** | 77,55,70 |
| X. मरम्मत और अनुरक्षण | **133,74,22** | 115,81,08 |
| XI. बीमा | **274,27,70** | 235,62,59 |
| XII. अन्य व्यय | **744,36,01** | 759,11,24 |
| **योग** | **5176,28,06** | 3487,02,71 |

# अनुसूची 17

## महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का अंग हैं.

**1. समेकन के सिद्धांत**

समेकित वित्तीय विवरणों में यूनियन बैन ऑफ इंडिया [पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक (बैंक)] और उसकी अनुषंगी कार्पबैंक सेक्यूरिटीज़ लि. के वित्तीय विवरण शामिल हैं. बैंक और इसकी अनुषंगी का वित्तीय विवरण अंतरा-समूह शेषों और अंतरा-समूह लेनदेनों को, अन्यथा उल्लिखित के सिवाय, पूर्णत: निरसित करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को साथ जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर एक साथ मिलाया गया है.

**2. तैयार करने का आधार**

बैंक और इसकी अनुषंगी के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक द्वारा जारी स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किये गये हैं.

वित्तीय विवरण लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार तथा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा अन्यथा उल्लिखित के सिवाय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर निर्धारित मदों के अलावा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संबंधित अपेक्षाओं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान रीतियों के अनुरूप हैं.

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन वर्ग से अपेक्षित होता है कि वित्तीय विवरणों के दिनांक के यथा विद्यमान रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय व व्ययों पर प्राक्कलन व अनुमान करें. प्रबंधन वर्ग का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत हैं. वास्तविक आंकड़े इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं.

निम्नलिखित अनुषंगी को लेखांकन मानक 21 ''समेकित वित्तीय विवरणिया'' के अनुसार समेकित किया गया है:

| कंपनी का नाम | देश/निवास | संबंध | स्वामित्व हित |
|---|---|---|---|
| कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड | भारत | अनुषंगी | 100% |

अनुषंगी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकतानुसार बैंक के आंकड़ों के साथ पुनर्समूहित किया गया है.

अनुषंगी ने कुछ मामलों में समान लेनदेन एवं एक ही प्रकार की परिस्थितियों के मामले में बैंक द्वारा अपनाई गई लेखाकन नीतियों से भिन्न लेखांकन नीति का प्रयोग किया है. समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उपयोग करते समय अनुषंगी के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है.

समेकन में प्रयुक्त, अनुषंगी के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के रिपार्टिंग दिनांक अर्थात् 31 मार्च, 2020 तक के ही हैं.

**3. आय निर्धारण**

**क. बैंकिंग संस्था:**

i. निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर आय को निर्धारित किया गया है:

1. बैंक गारंटियों एवं साख पत्र, आपूर्तिकर्ता/क्रेता ऋण की व्यवस्था पर कमीशन; तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है.
2. गैर-निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है.
3. आय-कर वापसियों पर ब्याज का लेखांकन आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया गया है.

ii. परिपक्वता तक धारित प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है.

iii. बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है.

iv. प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि-ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है.

**ख. <u>गैर-बैंकिंग संस्था:</u>**

(i) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज को उसकी कूपन दर पर निर्धारित किया जाता है.

(ii) स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री मूल्य को लागत और प्रदत्त एवं वसूल उपचित ब्याज के रूप में विभाजित किया जाता है. स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित या बिक्री पर प्राप्त ब्याज (खंडित अवधि ब्याज) के रूप में प्रदत्त राशि का निवल निकाला गया और आय/व्यय के रूप में माना जाता है.

(iii) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि, भारित औसत मूल्य पद्धति (डब्ल्यूएपी) पर परिकलित की जाती है और निपटान तारीख को इसका निर्धारण किया जाता है.

(iv) मध्यवर्ती के रूप में किए गए कारोबार पर कमीशन/दलाली का निर्धारण उचित आधार पर राशि निर्धारित होने के बाद उपचय आधार पर किया जाता है.

(v) ब्रोकरेज व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को व्यवसाय के पुष्ट संविदा नोट के आधार पर लिया जाता है.

(vi) निवेशों पर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है. म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश पर लाभांश आय उनकी घोषणा के आधार पर निर्धारित की जाती है.

**4. अग्रिम**

क) अग्रिमें को भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) के लिए किए गए निर्दिष्ट प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाया गया है.

ख) क्रेडिट कार्ड बकायों को उस स्थिति में एनपीए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहाँ न्यूनतम प्राप्य बकाया राशि लगातार 90 दिन से अधिक अवधि से चूक में रही है. गैर-निष्पादक कार्ड खातों से आय वित्तीय विवरण में नहीं ली गई है.

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षा के आधार पर अवमानक, संदिग्ध तथा हानि-अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है.

घ) गैर-निष्पादक अग्रिमों में आंशिक वसूली निम्नलिखित क्रम में **खाता वार (पार्टीवार नहीं)** समायोजित की जायेगी.

i. वसूली हेतु किए गए व्यय/अन्य व्यय

ii. व्याज संबंधी अनियमिततायें/ अर्जित ब्याज

iii. मूलधन संबंधी अनियमितता अर्थात खाते में शेष मूलधन

ड) वाद/एनसीएलटी खातों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी/ एनसीएलटी/न्यायपालिका के मंजूरी शर्तों के अनुसार वसूलियों का समायोजन.

समझौता निपटान सहित गैर निष्पादक अग्रिमों के मामले में, वसूलियाँ पहले मूलधन में समायोजित की जाएंगी.

सक्षम प्राधिकारी/एनसीएलटी/न्यायपालिका के मंजूरी की शर्तों के अनुसार वसूलियों का समायोजन समझौता निपटान सहित गैर निष्पादक अग्रिमों के मामले में वसूलियों का समायोजन पहले मूलधन में एवं यदि वसूली मूलधन से अधिक होती है तो ब्याज में होगा.

च) भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक आस्तियों हेतु सामान्य प्रावधान को अन्य देयताएं व प्रावधान-अन्य के तहत शामिल किया गया है.

पुन: संरचित खाते: पुन:संरचित अग्रिमों के लिए ऋण के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा अपेक्षित प्रावधान के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार किए गए हैं. अग्रिम के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान अग्रिमों से घटाया नहीं गया है तथा अन्य देयताएं व प्रावधान -अन्य शीर्ष के तहत तुलन-पत्र में शामिल किया गया है.

**5. निवेश**

**बैंकिंग संस्था:**

**5.1 <u>श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण</u>**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा
- ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी).

बैंक, बही मूल्य या बाज़ार मूल्य, इन में से न्यूनतम मूल्य पर निवेशों को एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरित करता है. अर्थात्, जहाँ

अंतरण के समय बाज़ार मूल्य बही मूल्य से अधिक है, मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया जाए तथा प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित किया जाए. ऐसे मामले जहाँ बाज़ार मूल्य बही मूल्य से कम है,इस प्रतिभूति (अंतरण के दिनांक को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, सहित) के विरुद्ध धारित मूल्यह्रास पर प्रावधान को बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाए तथा प्रतिभूति बाज़ार मूल्य पर अंतरित किया जाए.

यदि प्रतिभूति मूलत: बट्टे पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे अर्जन मूल्य/ बही मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए. (यह नोट किया जाए कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार एचटीएम प्रवर्ग के तहत धारित प्रतिभूतियों पर बट्टा उपचित करने की अनुमति नहीं है तथा, अत:, ऐसी प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक अर्जन लागत पर धारण जारी रखा जाए). अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जाए.

यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे परिशोधक मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए. अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जाए.

एएफएस से एचएफटी प्रवर्ग में या विलोमत: प्रतिभूतियों को अंतरित करने पर, अंतरण की तारीख को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है तथा संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया है तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में या विलोमत: अंतरित किया जा सकता है.

**हालांकि**, तुलन-पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को सात प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकारी विशेष प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर तथा बाँड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य **[म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र, प्रतिभूति रसीद तथा वेंचर पूंजी निधि]**

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) मांग तथा मीयादी देयताओं के प्रतिशत के रूप में भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश.

ख) पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांड.

ग) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश.

घ) उद्यम पूँजी निधियों में निवेश, 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक ड्रा डाऊन से तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं.

ङ) बुनियादी संरचनागत गतिविधियों में लगे कंपनियों द्वारा जारी दीर्घावधि बॉण्डों में निवेश.

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियाँ 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं तथा अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे बिक्री करने में असमर्थ या अत्यंत अस्थिरता या बाज़ार के दिशाहीन होने पर, निदेशक मंडल/आल्को/ निवेश समिति के अनुमोदन के साथ उन्हें एएफएस श्रेणी में अंतरित किए जाते हैं.

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है.

5.2 **मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजन:**

क) <u>परिपक्वता तक धारित:</u> परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश भारित औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं. अधिग्रहण पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है. अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में अस्थाई को छोड़कर अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का निर्धारण किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है. वेंचर पूंजी निधि में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

ख) <u>बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित:</u>

(i) इन प्रवर्गों (ट्रेडिंग के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के तहत वर्गीकृत) में निवेश को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी तथा एएफएस हेतु क्रमश: मासिक तथा तिमाही अंतराल में बाज़ार/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर अंकित किया गया है. जबकि ऊपर 5.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत परिणामी निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, को लाभ एवं हानि लेखे में प्रावधान एवं आकस्मिकताएं के रूप में निर्धारित किया गया है तथा मूल्यह्रास हेतु पहले किए गए प्रावधान की हद तक को छोड़कर निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है.

(ii) मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे प्रावधान एवं आकस्मिकताएं में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 - आरक्षिति एवं आधिक्य के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है.

(iii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाजार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

| क्र. सं | प्रतिभूतियों के प्रकार | प्रतिभूतियों का मूल्यांकन |
|---|---|---|
| 1. | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ | (i) उद्धृत: एफआईएमएमडीए द्वारा दिए कोटेशन के अनुसार बाज़ार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत: एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर |
| 2. | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ) | (i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों पर<br>(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर |
| 3. | ट्रेजरी बिल (पीडी कारोबार के कारण रखे ट्रेज़री बिलों सहित)/जमा प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पत्र | रखाव लागत पर |
| 4. | ईक्विटी शेयर | (i) उद्धृत: बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत: कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार निश्चित विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा रु. 1/- प्रति कंपनी. |
| 5. | अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड | (i) उद्धृत: बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत: उचित परिपक्वता प्रतिफल पर |
| 6. | म्यूचुअल फंड | (i) उद्धृत: बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत: पुनर्क्रय मूल्य या प्रत्येक योजना में फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्क्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है) |
| 7. | उद्यम पूंजी निधि | (i) उद्धृत: बाजार मूल्य पर<br>(ii) अनुद्धृत: इकाइयों के रूप में निवेशों के मामले में, अपने वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए एनएवी पर मूल्यांक न कि या जाए. एनएवी पर आधारित इकाइयों पर मूल्यह्रास ,यदि कोई हो, के लिए निवेशों के एएफ एस प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरण के समय तथा वीसीएफ से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या बारंबार अंतरालों पर कि ए जाने वाले अनुवर्ती मूल्यांक नों पर भी प्रावधान कि या जाना चाहिए. इकाइयों का कम से कम वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर मूल्यांक न कि या जाए. तथापि, यदि एनएवी आँक डे दर्शाने वाले लेखा परीक्षित तुलन पत्र/ वित्तीय विवरण मूल्यांकन की तारीख को 18 माह से अधिक के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो निवेशों का मूल्यांक न 1 रुपया प्रति वीसीएफ पर किया जाए. |

5.3 **गैर-निष्पादक निवेश**

क) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को, जहाँ मूलधन या ब्याज की चुकौती देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, गैर-निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को मूलधन/ब्याज अदायगी बकाया रहने के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है. गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. इन प्रतिभूतियों के संबंध में अपेक्षित मूल्यह्रास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है.

ख) जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप में ऋण एवं निवेश दोनों विनिधान हैं तथा ऋण विनिधान को गैर-निषादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश विनिधान को भी गैर-निष्पादक के रूप में वगीकृत किया गया है.

**स्पष्टीकरण :**

यदि निर्गमकर्ता द्वारा ली हुई कोई भी ऋण सुविधा बैंक की बही में गैर-निष्पादक है तो उसी निर्गमकर्ता द्वारा जारी किसी भी अधिमानी शेयर सहित किसी भी प्रतिभूति में उसका निवेश एनपीआई माना जाएगा. हालांकि यदि केवल अधिमानी शेयर एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं तो उसी निर्गमकर्ता द्वारा किसी अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा एवं उधारकर्ता को दी गयी किसी भी निष्पादक ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा.

5.4 **रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन**

बाज़ार रेपो के तहत रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए परिपत्र भा.रि.बैं. /2018-19/24 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19 दिनांकित 24.07.2018 के जरिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंड तथा चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) तथा सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) के तहत रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए संदर्भ भा.रि.बैं. /2015-2016/403 एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.002/2015-16 दिनांकित 19.05.2016 के जरिए जारी लेखांकन दिशानिदेशों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जाता है.

आरबीआई की एलएएफ एवं सीमांत स्थाई सुविधा(एमएसएफ) के तहत रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले लेखा नियम बाजार के लिए रेपो लेनदेन नियमों के समान ही होंगे. साथ ही, आरबीआई के साथ किए जाने वाले रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों को बाजार के लेनदेनों से अलग करने के लिए बाजार रेपो लेनदेनों के समान ही बही-खाते बनाए जाएँगे जिनके आगे आरबीआई जुडा होगा.

एलएएफ/एमएसएफ लेनदेन में हेयरकट की गणना समपार्श्विक प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य के बजाए बाजार मूल्य पर ही करें.

आरबीआई के साथ रिवर्स रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूतियों को एसएलआर का दर्जा प्रदान करें एवं

आरबीआई के परिपत्र संख्या एफएमआरडी.डीआईआरडी.5/14.03.002/2014-15 दिनांकित 05 फरवरी 2015 में उल्लेखित नियमों के अनुसार बाजार प्रतिभागियों के साथ एलएएफ रिवर्स रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूतियों के पुनर-रेपो की अनुमति दें.

5.5 **निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन**

i. बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु निपटान तारीख पद्धति का पालन करता है;

ii. लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है;

iii. प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है;

iv. निम्नलिखित निवेशों की बिक्री पर, आय में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली आय/ हानि का हिस्सा लाभ/ हानि के रूप में माना जाएगा.

क) निर्धारित आय प्रतिभूतियों की बिक्री कीमत/ मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि के रूप में माना जाए.

ख) तरल म्यूचुअल फंड सहित म्यूचुअल फंड बिक्री कीमत/ मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि के रूप में माना जाए.

ग) बट्टागत प्रतिभूतियों, अर्थात्, सीडी/सीपी/टी-बिल हेतु, बिक्री कीमत तथी रखाव लागत (बही मूल्य + उपचित ब्याज) के बीच के अंतर को निवेश पर लाभ/ हानि के रूप में माना जाए.

**कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के निवेश के संबंध में:**

(i) अल्पावधि धारण तथा व्यापारिक क्रय-विक्रय के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को ञ्व्ड्डरूड्डह्वद्र द्वडेस्रूट के रूप में माना जाता है और चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया जाता है. दीर्घावधि धारण के उद्देश्य से अर्जित अन्य आस्तियों को ञ्व्ड्डद्बद्ब्रट के रूप में माना जाता है.

(ii) निवेशों के रूप में धारित तथा परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है.

(iii) प्रत्येक निवेश के किसी मूल्यह्रास हेतु, जहाँ कहीं यह ह्रास स्थाई है, प्रावधान किया जाता है.

  (i) कोट की गई प्रतिभूतियों को लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम है, पर मूल्यांकित किया जाता है. बाज़ार भाव उपलब्ध न होने पर, समान प्रकृति एवं परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के विद्यमान प्रतिफल के आधार पर परिकलित दरों पर बाज़ार मूल्य निर्धारित किए जाते हैं.

  (ii) प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति को एक प्रत्येक प्रवर्ग माना जाता है. प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत, मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया जाता है तथा मूल्यह्रास का प्रावधान कियाजाता है जबकि मूल्य-वृद्धि को छोड़ दिया जाता है. एक प्रवर्ग की प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास को दूसरे प्रवर्ग में मूल्यवृद्धि के बदले समंजन नहीं किया जाता है.

  (iii) तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिल का मूल्यांकन रखाव लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिलों का बाज़ार मूल्य भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.

  (iv) तुलन पत्र तारीख को धारित जमाओं का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र निहित लागत पर मूल्यांकित किए जाते है.

  (v) केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.

**6. स्थिर आस्तियाँ**

**बैंकिग इकाई :**

क) i. स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के अलावा) को संचित मूल्यह्रास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है. लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है. स्थिर आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को समीक्षा की जाती है तथा किसी भी क्षति हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार समायोजित किया गया है.

ii. **परिसर का हिस्सा होने के नाते भूमि और भवनों (लीजधारित भूमि को छोडकर) का पुनर्मूल्यांकन सितंबर, 2018 के दौरान दो मूल्यांकन रिपोर्टों के औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया गया एवं उसे पुनर्मूल्यांकन आरिक्षित निधियों में जमा किया गया. परिणामस्वरूप, इन आस्तियों पर मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा समान राशि को संचित मूल्यह्रास में समायोजित किया गया है. मूल्यह्रास तथा पुनर्मूल्यांकित रखाव राशि के बीच के अंतर तथा उसकी मूल लागत पर मूल्यह्रास को भारतीय संनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी संपरित, संयंत्र व उपस्कर लेखांकन मानक (एएस) 10 के अनुसार भूमि तथा भवन के पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित सामान्य आरक्षित क्ड्ड्ड्ट में अंतरित किया जाता है.**

iii. आस्तियों की क्षति:

जहाँ किन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी आस्ति के रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, वहाँ स्थिर आस्तियों की क्षति हेतु समीक्षा की गई है. धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता किसी आस्ति की रखाव राशि से उक्त राशि से प्रत्याशित भावी निवल बट्टाकृत नकद प्रवाह की तुलना द्वारा मापा जाता है. यदि ऐसी आस्तियों को क्षत माना जाता है, तो उक्त आस्ति के उचित मूल्य से जितनी अधिक उसकी रखाव राशि है, उससे क्षति का निर्धारण किया जाता है.

iv. पूंजीगत जारी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है.

ख) पूँजीकरण के दिनांक से जहाँ सीधी रेखा पद्धति के तहत मूल्यह्रास प्रदान किया गया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधान के अनुसार आस्ति के उपयोगी समय पर विचार करते हुए आस्तियों हेतु मूल्यह्रास प्रदान किया गया है. सावधानी के मामले के रूप में बैंक ने पाया कि निम्नलिखित आस्तियों का उपयोगी समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II (संदर्भ: धारा 123) में उल्लिखित आस्तियों के संबंधित प्रवर्ग के उपयोगी समय से कम है:

क) मोटर साईकल, स्कूटर और अन्य मोपेड - 8 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

ख) मोबाइल फोन - 3 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 15 वर्ष के सापेक्ष)

ग) यूपीएस तथा संबद्ध मदें - 5 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

घ) एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग - 5 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

ड) पट्टाधारी सुधारों का 5 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास किया जाता है.

च) जहाँ भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यह्रास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है.

**गैर बैंकिंग संस्थान :**

(i) स्थिर आस्ति का मूल्य मूल लागत से संचित मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है. लागत में अधिग्रहण, इन्टालेशन एवं प्रारंभ करने से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागत को शामिल किया जाता है.

(ii) स्थिर आस्तियों के मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों और मानदंडो पर अवलिखित मूल्य पद्धति (डब्ल्यू डी वी) पर प्रदान किया गया है.

**7. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन**

क) विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों के लेनदेन की तारीख को लागू दरों पर परिकलित किया गया है. विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियाँ एवं देयताएं तुलन-पत्र की तिथि के भारतीय विदेश विनिमय डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर परिकलित की गई हैं तथा परिणामी लाभ/हानियाँ लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई हैं.

ख) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परंपरागत लागत के अनुसार ली गई, लेनदेन की तारीख के विनिमय दर का प्रयोग करके रिपोर्ट की गई हैं

ग) ट्रेडिंग के लिए धारित बकाया वायदा विनिमय हाजिर व वायदा करार विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किए गए हैं तथा परिणामी लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

घ) विदेश विनिमय वायदा संविदाएं, जो ट्रेडिंग हेतु उद्दिष्ट नहीं हैं तथा तुलन पत्र के दिनांक को बकाया हैं, उनका पुनर्मूल्यन एफ ई डी ए आई द्वारा अधिसूचित अंतिम हाज़िर दरों पर किया गया है तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई है. ऐसे वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ पर उत्पन्न प्रीमियम या बट्टे को संविदा अवधि में ब्याज व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधित किया गया है.

ङ) विदेशी मुद्रा में आकस्मिक देयताओं के एफ ई डी ए आई की अंतिम हाज़िर दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है.

**8. व्युत्पन्नियाँ**

i) बैंक विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा फ्युचर, ऑप्शन तथा वायदा दर करार जैसे व्युत्पन्न संविदाएं करता है.

ख) व्युत्पन्न करारों पर बचाव (हेज) के रूप में वर्गीकृत आय/व्यय उपचय आधार पर दर्ज की गई है.

ii) सभी ट्रेडिंग व्युत्पन्न संविदाएं बाजार दर पर निर्दिष्ट की गई हैं तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि लेखे में विनिर्दिष्ट की गई है.

iii) सभी व्युत्पन्न लेनदेन आकस्मिक देयताओं के तहत वर्गीकृत किए गए हैं तथा विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के लेनदेनों को एफ ई डी ए आई अंतिम हाज़िर दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट किया गया है.

**9. बहुमूल्य धातु निहित लेनदेन**

(i) बहुमूल्य धातु लेनदेन से प्राप्त आय को ''अन्य आय'' के रूप में लेखांकित किया गया है. प्रेषण आधार पर प्राप्त धातुओं के मामले में उसे बिक्री के समय की आय के आधार पर निर्धारण किया गया है.

(ii) बहुमूल्य धातुओं के रूप में ग्राहकों को दिए गए पण्य ऋणों तथा जनता से स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत प्राप्त जमाओं को अवधि समाप्ति के समय प्रचलित बाज़ार संबद्ध दरों में परिवर्तित किया गया है तथा क्रमश: ''अग्रिम'' और ''जमाराशियां'' शीर्ष के तहत दर्शाया गया है.

(iii) बहुमूल्य धातुओं के अंतिम स्टाक को (अपने लेनदेन) लागत से निम्न तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर आँका गया है.

(iv) स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत धारित स्वर्ण के अंतिम स्टाक को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार संबद्ध दरों पर आँका गया है.

**10. नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष**

नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष में हस्तगत व एटीएमों में नकदी तथा हस्तगत स्वर्ण एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष शामिल हैं.

**11. स्टाफ हितलाभ**

**बैंकिंग संस्था :**

क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ हेतु बैंक खाते हैं.

ख) i) ग्रैच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण को देय अंशदान जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं, का लेखांकन वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर , तुलन पत्र के दिनांक को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है.

ii) निर्दिष्ट भविष्य निधि/ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जो परिभाषित अभिदान योजनाएँ हैं, इनमें देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

**गैर बैंकिंग संस्था :**

मूल संस्था को किया गया भुगतान जैसे कार्पोरेशन बैंक के वे स्टाफ जो अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर हैं उनके वेतन / भविष्य निधि हेतु किया गया भुगतान को कंपनी के व्यय के रूप में दिखाया गया है.

कर्मचारी का रिटायरमेंट लाभ मूल सस्था अर्थात कार्पोरेशन बैंक की जबाबदेही है अत: इसे वित्तीय विवरण में नहीं दिखाया गया है. बर्खास्तगी लाभ तथा छुट्टी नकदीकरण केसाथ भी यही व्यवहार किया गया है.

**12. पट्टागत लेनदेन**

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में लिया गया है.

**13. आकस्मिक देयताएं एवं प्रावधान**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 प्रावधान आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तिया के अनुरूप बैंक प्रावधानों का निर्धारण केवल तभी करता है जब विगत किसी घटना के फलस्वरूप उसे वर्तमान दायित्व होता है. यह संभव है कि जब दायित्व का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है तब आर्थिक लाभ अभिव्यक्त करने वाले संसाधनों के बाहर प्रवाह से दायित्व का निपटान करना पड़े.

संभावित दायित्व उत्पन्न करने वाले पिछली घटनाओं की पुष्टि जिनका अस्तित्व एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो पूर्णत: बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं, के घटने या न घटने पर ही, की जाएगी अथवा वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ उत्पन्न करने वाले संसाधनों का कोई बहिर्वाह दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित होगा अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है तथा लेखांकन मानक एएस-29 के अनुसार कार्यवाई की जाती है.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया जाता है.

**14. आय पर कर**

आय कर व्यय में चालू कर (अर्थात् आय कर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार या जमा (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के बीच समय के अंतर का कर प्रभाव प्रतिबिंबित करने वाला) शामिल है.

क) लागू कर दरों, कर विधियों और अनुकूल न्यायिक उद्घोषणाओं/विधिक अभिमतों के अनुसार कराधान प्राधिकारियों को भुगतान हेतु अपेक्षित राशि के आधार पर चालू कर को मापा गया है.

ख) आस्थगित कर प्रभार या जमा तथा अनुरूपी आस्थागित कर देयताओं या आस्तियों को उन कर दरों के प्रयोग से निर्धारित किया गया है जो तुलन-पत्र दिनांक तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं. भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत कटौती को स्थाई अंतर नहीं माना गया है आस्थगित कर देयता सृजित की जानी है. जहाँ तक निवेश संविभाग में मूल्यह्रास का सवाल है, चूँकि लेखों के अनुसार निवेशों पर मूल्यह्रास में अंतर और आय कर अभिकलन के अनुसार अंतर को स्थाई अंतर माना जाता है, अत: निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति डीटीएल का सृजन आवश्यक नहीं समझा गया. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण उसी सीमा तक विवेकानुसार किया गया है जहाँ यह संभाव्य निश्चितता रहती है कि आस्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है.

**15. प्रति शेयर अर्जन**

मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर आय का परिकलन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन के अनुरूप किया गया है.

**16. ट्रिगर इवेंट के होने पर बासेल III आधारित अतिरिक्त टियर I बॉण्ड तथा टियर II बॉण्ड का निरूपण:**

क) ट्रिगर इवेंट अर्थात्, सामान्य इक्विटी टियर 1 ट्रिगर इवेंट के होने पर बैंक बॉण्डों के बकाया मूलधन का अवलेखन करेगा जो ''एटी 1 बॉण्ड रिजर्व'' के सृजन द्वारा उपरोक्त सीईटी1 ट्रिगर इवेंट को बैंक के सामान्य इक्विटी अनुपात की तत्काल वापसी हेतु अपेक्षित राशि से कम नहीं होगा. इस प्रकार सृजित रिज़र्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी बॉण्ड का भाग होगा जिसे सीईटी1 ट्रिगर इवेंट के होने पर अस्थायी रूप से अवलेखित किया गया है, को एटी-1 बॉण्ड रिज़र्व में नामे करते हुए बॉण्ड निर्गम/ भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार पुन:स्थापित किया जाएगा.

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ प्वाइंट ऑफ नॉन वायेबिलिटी (पीओएनवी) ट्रिगर इवेंट के होने पर, मामले के अनुसार एटी-1 बॉण्ड रिज़र्व/ टियर II बॉण्ड रिज़र्व के तदनुरूपी सृजन के साथ स्थायी रूप से अतिरिक्त टियर I बॉण्ड मूलधन राशि के अवलेखन द्वारा सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी का सृजन कर सकते हैं. पुन:स्थापना शर्त पीओएनवी ट्रिगर इवेंट की घटना पर लागू नहीं है.

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(विरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

# अनुसूची 18

## लेखों की टिप्पणियाँ जो समेकित वित्तीय विवरण का अंग हैं.

1. **आस्थगित कर**

क) बैंक ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सीबीडीटी दिनांकित 23.03.2017 के साथ पठित सीबीडीटी अधिसूचना दिनांकित 29.09.2016 के अनुसार आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) की पुष्टि की है, इस संबंध में जो आकलन वर्ष 2017-18 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू हैं.

ख) बैंक इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 22 के अनुसार,आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को मान्यता देता रहै है. दिनांक 31.03.2019 और 31.03.2020 के अनुसार आस्थगित करों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं :

**(रु. करोड़ में)**

| **विवरण** | **31 मार्च, 2020** | **31 मार्च, 2019** |
|---|---|---|
| आस्थगित कर आस्तियां | | |
| छुट्टी नकदीकरण | 127.45 | 89.78 |
| वित्तपोषित ब्याज मीयादी ऋण एवं त्याग | 27.38 | 77.06 |
| ऋण संबंधी हानियाँ | 4,491.47 | 3,914.38 |
| स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास | 58.46 | 48.36 |
| कर योग्य आय (हानि) | - | 1,557.96 |
| मानक आस्तियों हेतु आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान | 358.56 | 258.66 |
| **कुल** | **5,063.31** | 5,946.21 |
| आस्थगित कर देयताएं | | |
| पेंशन व ग्रैच्युटी - पूर्व भुगतान | 2.10 | - |
| दीर्घावधि वित्त आय | 411.60 | 499.96 |
| दिनांक 31.03.2016 से पूर्व दावाकृत निवेश मूल्यह्रास | 36.66 | - |
| **कुल** | 450.37 | 499.96 |
| निवल आस्थगित कर (देयता)/आस्ति | **4,612.94** | 5,446.25 |

ग) **आयकर**

i) वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान का विवरण:

**(रु. करोड़ में)**

| **विवरण** | **31 मार्च 2020** | **31 मार्च 2019** |
|---|---|---|
| सामान्य कर | - | - |
| न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) | 19.94 | - |
| एमएटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट आस्ति | (19.94) | |
| आस्थगित कर देयता / (आस्ति) | 833.32 | (1,740.09) |
| बैंक के समामेलन पर सामंजस्य प्रभाव - अब पहले के वर्षों के आयकर हेतु प्रावधान | 1,812.60 | - |
| **आस्थगित कर देयता / (आस्ति)** | **2,645.92** | **(1,740.09)** |

नोट:

1) दिनांक 01.04.2020 से बैंक के समामेलन के परिणामस्वरूप ; समामेलन से पहले समामेलन में शामिल होने वाली तीन बैंकों द्वारा कर प्रथाओं का सामंजस्य बिठाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, ताकि समामेलित इकाई में एक समान कर व्यवहार हो. विशेषज्ञ की राय एक टैक्स कंसल्टेंट से दिनांक 09 जून 2020 को प्राप्त की गई और इस तरह की राय के आधार पर, बैंक ने खाता-बहियों में निम्नलिखित कर प्रभाव प्रदान करने का निर्णय लिया है:

क) पहले के वर्षों रु.1812.60 करोड़ तक के संबंध में आयकर के लिए अतिरिक्त प्रावधान का निर्माण है. विवरण निम्नानुसार है :

| क्रम सं | मूल्यांकन वर्ष | प्रावधान (रु.) |
|---|---|---|
| i) | 2013-14 | 173,337,370.00 |
| ii) | 2014-15 | 114,304.00 |
| iii) | 2015-16 | 5,001,601,390.00 |
| iv) | 2016-17 | 8,108,499,839.00 |
| v) | 2017-18 | 4,842,485,546.00 |
| | **कुल** | **18,126,038,449.00** |

ख) दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बकाया कर नुकसान पर आस्थगित कर आस्ति की वापसी रु.1557.96 करोड़ है.

ग) दिनांक 31.03.2016 से पहले दावा किया गया "निवेश मूल्यह्रास" पर आस्थगित कर देयता रु 36.66 करोड़ तक है.

घ) रु. 252.88 करोड़ तक की विशेष रिजर्व की वापसी एवं आस्थगित कर देयता की परिणामी वापसी रु.88.37 करोड़ तक है.

ख) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर प्रावधान की गणना में हार्मोनाइजेशन प्रभाव पर विचार करने के बाद के पी एंड एल खाता के लिए निवल डेबिट रु. 2645.92 था. पी एंड एल हेतु डेबिट के घटक-वार विवरण उपरोक्त तालिका में दिए गए हैं.

ii) वित्त वर्ष 2016-17 (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए आयकर का मूल्यांकन पूरा हो चुका है.

बैंक / आयकर विभाग द्वारा निम्नलिखित अपील विभिन्न अपीलीय अधिकारियों / न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं :

| **आयकर** | **सेवा कर** | **व्यावसायिक कर** |
|---|---|---|
| **मूल्यांकन वर्ष 2011-12 से 2017-18** | **वित्त वर्ष 2006-07 से जून 2017** | **2009-10 से 2013-14** |

iii) अग्रिम कर का भुगतान, विवादों के तहत कर का भुगतान, लाभ लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट और बैंक के आय पर कटौती की गई गए टीडीएस ऽअन्य आस्तियाँ - अग्रिम में कर का भुगतान / स्रोत पर कर कटौती रु के तहत प्रदर्शित हो रहे हैं. विवाद के तहत भुगतान किए गए करों के संबंध में बैंक ने अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील दायर की है और समान मामलों में अनुकूल न्यायिक मतो के मद्देनजर किसी अतिरिक्त प्रावधान पर विचार नहीं किया जाएगा.

iv) भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले मूल्याकंन वर्ष से प्रभावी वित्त अधिनियम 2020 के अनुकरण में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA को शामिल किया है. बैंक ने आयकर अधिनियम की धारा 115BAA के तहत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है, और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी रखने का विकल्प चुना है.

2. **प्रखंड रिपोर्टिंग**

**भाग क :** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "एएस-17- प्रखंड रिपोर्टिंग " के अनुसार प्रकटन निम्नलिखित है :

**(करोड़ में)**

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| क) | **प्रखंड राजस्व** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 5319.20 | 4121.61 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 9001.17 | 7087.52 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 4607.18 | 5320.25 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 360.13 | 398.02 |

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| | v) अनाबंटित | 640.07 | 576.70 |
| | **कुल** | **19927.75** | **17504.09** |
| ख) | **प्रखंड परिणाम** | | |
| | प्रत्येक प्रखंड से कर पूर्व और ब्याज पश्चात् लाभ (+) हानि (-) | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 581.50 | (48.13) |
| | ii) थोक बैंकिंग | 1632.23 | (7782.81) |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | (701.06) | 498.80 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 363.11 | 397.17 |
| | **कुल** | **1875.79** | **(6934.97)** |
| ग) | **अनाबंटित व्यय** | 1618.24 | 1105.03 |
| घ) | **कर से पूर्व कुल लाभ/(हानि)** | 257.55 | (8040.00) |
| ङ) | **आय कर** | 2645.93 | (1714.70) |
| च) | **असाधारण लाभ/हानि** | 0.00 | 0.00 |
| **छ)** | **निवल लाभ /(हानि)** | (2388.38) | (6325.30) |
| ज) | **अन्य सूचना** | | |
| झ) | **प्रखंड आस्तियाँ** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 67471.15 | 60943.96 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 73865.99 | 65204.55 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 59121.96 | 63081.65 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 24.96 | 48.47 |
| | v) अनाबंटित आस्तियाँ | 29005.08 | 24345.48 |
| | **कुल** | **229489.13** | **213624.11** |
| | **प्रखंड देयताएँ** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 61357.60 | 54109.78 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 68252.72 | 58914.04 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 54329.27 | 60929.39 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 3.01 | 1.96 |
| | v) अनाबंटित देयताएं | 31750.22 | 23054.42 |
| | **कुल** | **215692.83** | **197009.60** |
| | **प्रयुक्त पूँजी (प्रखंड आस्तियाँ- प्रखंड देयताएँ)** | | |
| | i) ट्रेज़री परिचालन | 6113.55 | 6834.18 |
| | ii) थोक बैंकिंग | 5613.26 | 6290.51 |
| | iii) खुदरा बैंकिंग | 4792.69 | 2152.26 |
| | iv) अन्य बैंकिंग परिचालन | 21.95 | 46.51 |
| | v) अनाबंटित आस्तियाँ | (2745.15) | 1291.06 |
| | **कुल** | **13796.31** | **16614.51** |

**भाग ख: भौगोलिक प्रखंड**

चूँकि बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं है अत: भौगोलिक प्रखंड प्रस्तुत नहीं किया गया है.

**टिप्पणी:**

1. लेखा मानकों के अनुपालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने आईसीएआई द्वारा ''सेगमेंट रिपोर्टिंग'' पर जारी एएस-17 के अनुपालन के उद्देश्य से ''घरेलू सेगमेंट के तहत प्राथमिक खण्डों के रूप में थोक्रे, खुदरा, और अन्य बैंकिंग परिचालन को अपनाया है.
2. प्रखंड देयताएं उनके संबंधित प्रखंड परिसंपत्तियों के अनुपात में वितरित की जाती है.
3. वर्तमान तिमाही/ अवधि की प्रस्तुति के आधार पर पिछली अवधि/ वर्ष के आंकड़े को पुन: एकत्रित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

**3. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-18 -संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं:

**क) संबंधित पार्टियों का नाम एवं उनका संबंध:**

| **मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)** | |
|---|---|
| **नाम** | **संबंध** |
| श्रीमती पी.वी भारती (दिनांक 01.02.2019 से) | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| श्री जय कुमार गर्ग (31.01.2019 तक) | प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| श्री गोपाल मुरली भगत (23.08.2019 तक) | कार्यपालक निदेशक |
| श्री बिरूपाक्ष मिश्रा (26.12.2018 से) | कार्यपालक निदेशक |
| **कार्प बैंक सिक्योरिटिज लिमिटेड** | अनुषंगी |

**ख) संबंधित पार्टियों से लेनदेन :**

(रु. करोड़ में)

| **लेनदेन का प्रकार** | **केएमपी** | |
|---|---|---|
| | **31 मार्च, 2020** | **31 मार्च, 2019** |
| **परिश्रमिक** | | |
| श्रीमती पी.वी भारती | 1.80 | 0.05 |
| श्री जय कुमार गर्ग | - | 0.27 |
| श्री गोपाल मुरली भगत | 1.22 | 0.28 |
| श्री बीरूपाक्ष मिश्रा | 0.28 | 0.08 |

टिप्पणी: अनुषंगी के साथ लेन-देन का खुलासा एएस-18 संबंध पार्टी प्रकटन के पैरा 9 के मद्देनजर नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को राज्य नियंत्रित अन्य संबंधित पक्षों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित किसी भी खुलासे को करने से छूट देता है.

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और मुख्य प्रवंधन कार्मिकों के रिश्तेदारो के साथ बैंकर ग्राहक संबंध में लेनदेनों को एएस 18 के अनुच्छेद 5 की शर्तों में प्रकट नहीं किया गया है.

**4. प्रति शेयर अर्जन**

**प्रति शेयर मूल: अर्जन**

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ/ (हानि) (राशि करोड़ में) | (2,391.59) | (6,332.98) |
| ii) | भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में) | 599.42 | 210.66 |
| iii) | प्रति शेयर मूल अर्जन (रु.) | (3.99) | (30.06) |
| iv) | प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु.) | 2.00 | 2.00 |

**तनूकृत प्रति शेयर अर्जन** : लागू नहीं क्योंकि कोई तनुकृत संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है.

**5. पूंजी पर्याप्तता**

**लागू नहीं है**

**6. स्थिर आस्तियाँ :**

| | |
|---|---|
| 1. | वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित सॉफ्टवेयरों की लागत रु.39.68 करोड़ (गत वर्ष रु.37.04 करोड़) है और वर्ष के दौरान परिशोधित राशि रु.41.98 करोड़ (गत वर्ष रु. 38.56 करोड़) है. |
| 2. | स्थिर आस्तियों में पूँजीगत चालू कार्य-परिसर से संबंधित रु. 20.01 लाख (गत वर्ष रु. 440 लाख) शामिल है. |
| 3. | पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु लंबित संविदाएँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया, रु.59.30 करोड़ (गत वर्ष 105.06 करोड़) है. |
| 4. | वर्ष के दौरान बैंक ने रु.22.12 करोड़ को भूमि व भवन के पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित निधियों से प्रत्यावर्तित किया. |
| 5. | वर्ष 219-20 के दौरान रु. 9.42 करोड़ की राशि को वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के कारण स्थिर आस्तियों की लागत से कम किया गया है ताकि इसका उपयोग जीएसटी देयता के लिए निविष्टि जमा के रूप में किया जा सके (गत वर्ष 4.19 करोड़). |

**7. कर्मचारी हितलाभ**

7.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार बैंक द्वारा कर्मचारी हितलाभ हेतु लेखांकन किया गया है.

(क) तुलन-पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकित धारणाएं:

(प्रतिशत में)

| परिभाषित हितलाभ निधिक | पेंशन (निधिक) | | ग्रेच्युटी (निधिक) | | दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ (अनिधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| बट्टा दर | 6.79% | 7.77% | 6.84% | 7.77% | 6.84% | 7.77% |
| वेतन वृद्धि | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% |
| एट्रीएशन दर | 2.00% | 2.02% | 2.00% | 1.63% | 2.00% | 1.63% |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर | 6.79% | 8.22% | 6.84% | 8.14% | लागू नहीं | लागू नहीं |

(ख) परिभाषित हितलाभ दायित्व और योजना आस्तियों के वर्तमान मूल्य के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान निम्नवत् प्रस्तुत है:

**परिभाषित हितलाभ**

**(करोड़ में)**

| दायित्व | पेंशन [निधि] | | ग्रेच्युटी [निधिक] | | दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| आरंभिक शेष | 3,646.50 | 3,427.79 | 565.64 | 543.97 | 256.93 | 250.65 |
| ब्याज लागत | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| चालू सेवा लागत | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| विगत सेवा लागत - निर्धारित | | - | | - | | - |
| विगत सेवा लागत - अनिर्धारित | | - | | - | | - |
| विगत सेवा लागत - परिशोधन हेतु अपात्र | | - | | - | | - |
| प्रदत्त हितलाभ | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.56) | (55.64) | (49.16) |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | 1356.33 | 85.92 | 101.04 | 19.08 | 94.36 | (0.86) |
| **अंतिम शेष** | 5,052.81 | 3,646.50 | 611.77 | 565.64 | 364.72 | 256.93 |

* डिस्काउंट रेट में कमी और हार्मोनाइजेशन प्रभाव के कारण दायित्व में बढ़ोतरी होती है.

**(करोड़ में)**

| योजना आस्तियाँ | पेंशन [निधिक] | | ग्रेच्युटी [निधिक] | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,628.33 | 3,427.79 | 555.25 | 485.48 |
| योजना आस्ति अंशदानों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 298.25 | 278.77 | 38.67 | 40.71 |
| नियोक्ता अंशदान | 449.54 | 147.76 | 150.39 | 113.86 |
| दूसरे न्यास और सदस्यों से अंतरण | | - | | |
| प्रदत्त हितलाभ | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.57) |
| बीमांकिक लाभ / (-) हानि | 0.08 | (5.33) | 3.50 | (0.23) |
| मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 |

**(ग) लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित कुल व्यय:**

**(करोड़ में)**

| परिभाषित हितलाभ | पेंशन [निधिक] | | ग्रेच्युटी [निधिक] | | दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| चालू सेवा लागत | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| ब्याज लागत | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | (298.25) | (278.78) | (38.67) | (40.71) | - | |

| परिभाषित हितलाभ | पेंशन [निधिक] | | ग्रेच्युटी [निधिक] | | दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| अवधि के दौरान निर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | 1,356.33 | 91.25 | 97.54 | 19.32 | 94.35 | (0.86) |
| विगत सेवा लागत - निर्धारित | | - | | - | - | - |
| विगत सेवा लागत - परिशोधन हेतु अपात्र | | - | | - | - | - |
| लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित व्यय | 1,429.73 | 165.92 | 133.98 | 65.76 | 163.43 | 55.44 |
| अगले वर्ष में परिशोधन आस्थगित विगत सेवा लागत (तीन तिमाहियों में समान रूप से) | | - | | - | - | |

**घ. योजना आस्तियों का संघटन:**

**(प्रतिशत में)**

| | पेंशन [निधिक] | | ग्रेच्युटी [निधि] | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.63 | - | 2.68 | - |
| उच्च गुणवत्ता सरकारी बाँड | 0.57 | 1.78 | 0.33 | 5.99 |
| विशेष जमाराशियाँ | 2.32 | 2.62 | 2.72 | 1.58 |
| अन्य (पीएसयू) | 0.06 | - | 0.35 | - |
| बीमा योजनाओं के अंतर्गत आस्तियाँ | 96.42 | 95.60 | 93.92 | 92.43 |
| **कुल** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

**ङ. परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना आस्तियों का उचित मूल्य, अधिशेष/कमी तथा चालू एवं गत वर्ष के लिए अनुभव समायोजन निम्नानुसार है:**

**(रु. करोड़ में)**

| पेंशन | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2017 | 31 मार्च, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 5052.81 | 3646.50 | 3427.79 | 3206.07 | 2975.91 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 4054.45 | 3628.33 | 3427.79 | 3216.07 | 2985.32 |
| (अधिशेष)/कमी | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| अपरिशोधित देयता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (अधिशेष)/कमी [अपरिशोधित देयता का निवल] | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | (1356.33) | (85.92) | (96.28) | (89.20) | (118.10) |
| योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | 0.08 | (5.33) | (258.41) | (7.00) | 23.46 |
| | | | | | |

| ग्रैच्युटी | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2017 | 31 मार्च, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 611.77 | 565.64 | 543.97 | 460.38 | 451.25 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 617.79 | 555.25 | 485.48 | 462.37 | 468.42 |
| (अधिशेष)/कमी | (6.02) | 10.39 | 58.49 | (1.99) | (17.17) |
| योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | (101.04) | (19.08) | (60.80) | 23.51 | 28.81 |
| योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ | 3.50 | (0.23) | (3.20) | (1.10) | (1.30) |
| | | | | | |
| **दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ अनुपस्थिति** | **31 मार्च, 2020** | **31 मार्च, 2019** | **31 मार्च, 2018** | **31 मार्च, 2017** | **31 मार्च, 2016** |
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (अधिशेष)/कमी | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन | 71.55 | (0.86) | (4.48) | (7.64) | (5.56) |
| योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**कर्मचारी बीमारी छुट्टी योजना** ॐ वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने बीमारी छुट्टी हेतु बाध्यता पूरी करने हेतु रु. 3.90 करोड़ का कुल व्यय किया है. यथा 31.03.2020 को निधि मूल्य का वर्तमान मूल्य रु. 61.91 करोड़ है.

**च. यथा 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/ (देयता) :**

| परिभाषित हितलाभ | पेंशन [निधिक] | | ग्रैच्युटी [निधिक] | | दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2020 | 31 मार्च, 2019 |
| परिभाषित दायित्व का वर्तमान मूल्य | 5,052.81 | 3,646.50 | 611.77 | 565.64 | 364.72 | 256.93 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 | - | - |
| निधिकृत स्थिति [अधिशेष/(घाटा)] | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |
| तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति /(देयता) | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |

**8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ**

**क) प्रावधान:**

**(रु.करोड़ में)**

| प्रावधान की प्रकृति | यथा 01.04.2019 को प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान | वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान | यथा 31.03.2020 को अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| i) एन.पी ए हेतु किए गए प्रावधान | 13,525.38 | 4,229.91 | 3,951.54 | 950.43 | 12,853.32 |
| | (7,929.68) | (12,002.72) | (5,989.44) | (417.58) | (13,525.38) |
| ii) निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एनपीआई प्रावधान सहित) | 1,235.97 | 92.54 | | 152.21 | 1,176.30 |
| | (1,139.02) | (340.20) | - | (243.25) | (1,235.97) |

(रु.करोड़ में)

| प्रावधान की प्रकृति | यथा 01.04.2019 को प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान | वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान | यथा 31.03.2020 को अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| iii) आय कर / संपत्ति कर हेतु प्रावधान | 146.60 | 1,832.54 | 146.60 | | 1,832.54 |
| | (153.90) | - | | (7.30) | (146.60) |
| iv) सभी अन्य मदें * | 1,038.50 | 741.70 | - | 104.62 | 1,675.58 |
| | (1,020.66) | (189.80) | - | (171.96) | (1,038.50) |

कोष्ठक में गत वर्ष के आँकड़े हैं.

* इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं.

**ख) आकस्मिक देयता:**

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे (रु. करोड़ में)

| विवरण | दावों की सं | सकल दावे | निवल दावे |
|---|---|---|---|
| 01/04/2019 को बकाया कुल दावे | 92 | 3,240.27 | 3,233.46 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान हटाए/संशोधित दावे | 19 | 517.74 | 517.45 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़े नए दावे | 30 | 2,811.79 | 2,770.81 |
| **31/03/2020 को बकाया कुल दावे** | 103 | 5,534.32 | 5,486.82 |

**यथा 31 मार्च, 2020 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण:** (रु. करोड़ में)

| विवरण | दावों की सं | सकल दावे | निवल दावे |
|---|---|---|---|
| बैंक गारंटी | 7 | 0.25 | 0.16 |
| चेक /माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही | 10 | 1.75 | 1.21 |
| ऋण पोर्टफोलियो | 8 | 0.82 | 0.75 |
| जमा पोर्टफोलियो | 3 | 0.03 | 0.03 |
| सतर्कता/ धोखाधड़ी | 20 | 6.22 | 1.72 |
| विविध [आयकर कर माँगों से संबंधित दावों सहित] | 55 | 5,525.25 | 5,482.95 |
| **कुल*** | **103** | **5,534.32** | **5,486.82** |

* शुरुआत से लेकर जहाँ लागू हो दावों पर ब्याज को छोड़कर

9. दुनिया भर में COVID 19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि एवं आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है. इस स्थिति में, हालांकि चुनौतियां सामने आती रहती हैं, लेकिन बैंक सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है. स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है. जिस सीमा तक COVID-19 महामारी आस्तियों पर बैंक के प्रावधान को प्रभावित करेगा, वह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ COVID-19 महामारी की गंभीरता के बारे में कोई नई जानकारी और कोई कार्रवाई जो इसके फैलाव को नियंत्रित या इसके प्रभाव को कम करता है चाहे सरकार द्वारा अनिवार्य हो या बैंक के द्वारा निर्दिष्ट हो.

संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर COVID 19 विनियामक पैकेजट से संबंधित RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 27.03.2020 और 17.04.2020, 23.05.2020 एवं भारतीय बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 06.05.2020 के माध्यम से भारिबैं द्वारा जारी स्पष्टीकरण, बैंक ने 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच देय किश्तों और / या ब्याज के भुगतान यथा लागू पर स्थगन दिया है, जो पात्र उधारकर्ताओं को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथापि यदि अतिदेय को, 29 फरवरी, 2020 को पुनर्गठन के रूप में विचार नहीं किया गया. आरबीआई की आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु अधिस्थगन अवधि, जहाँ भी दी गई है, उसे खाते के पहले से अतिदेय दिनों की संख्या से बैंक द्वारा बाहर रखा जाएगा.

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के आरंभ से आगामी दो तिमाहियों तक बकाया अग्रिमों का 10% की दर से प्रावधान करने की आवश्यकता है, ऐसे उधार खातों के संबंध में जहां आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है. तदनुसार, बैंक ने उक्त परिपत्रों के संदर्भ में राहत को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया है:

| क्रम सं | विवरण | राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | एसएमए/ अतिदेय श्रेणी में जहाँ की अधिस्थगन/ विचलन बढाया गया है में बकाया राशि | 8441.89 |
| 2 | उन खातों में बकाया राशि जहां एसेट वर्गीकरण लाभ बढ़ाया है | 1568.67 |
| 3 | वित्तीय वर्ष 19-20 के चौथे तिमाही के लिए प्रवाधान | 78.43 |
| 4 | मार्च-19-20 के दौरान स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधान के लिए समायोजित प्रावधान | शून्य |

ब्याज आय कुल मिलाकर रु 78.42 करोड़ की गणना की गई है.

**10.** 7 जून, 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र DBR.No.BP.BC.45 / 21.04.048 / 2018-19 के संदर्भ में, उधारकर्ताओं के संबंध में रु. 71.06 करोड़ की राशि वाले 2 एनपीए खातों में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जहां आईसीए हस्ताक्षरित है और आरपी 180 दिनों में अभी तक लागू नहीं किया गया है एवं रु.44.67 करोड़ के तीसरे उधारकर्ता खाते के प्रावधान के संबंध में, हार्मोनाइजेशन के लिए प्रावधान नीचे दिए गए नोट 4.6 में उल्लिखित है तथा उसमें आईआरएसी मानदंड और आईसीए प्रावधान के अनुसार आवश्यक कुल प्रावधान को शामिल किया गया है.

**11.** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के समामेलन के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भित डीओएस (सीओ) एसएसएम-यूबीआई / 6754 / 25.01.001 / 2019-20 दिनांक 08.06.2020 के निर्देशानुसार प्रावधानिक हार्मोनाइजेशन हेतु प्रभावी होने के लिए सामान्य एक्सपोज़र्स के साथ एनपीए के आठ खातों के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर 199.86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है..

**12.** भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं DBR.No.BP.15199 / 21.04.048 / 2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 और पत्र संख्या DBR.No.BP.1908 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड (IBC) के प्रावधान के तहत कवर खातों के लिए, बैंक 31 मार्च, 2020 तक कुल 7051.52 करोड़ रुपये (सकल एनपीए का 100%) का प्रावधान किया है.

**13.** दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड (IBC) के प्रावधानों के तहत लंबित अन्य खातों के लिए, बैंक 31 मार्च, 2020 तक 11434.26 करोड़ रुपये (सकल एनपीए का 97.17%) का कुल प्रावधान किया है.

**14.** वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 9 एवं बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1980 (1980 के 40) की धारा 9 का प्रयोग करने हुए अपने राजपत्र संख्या CG-DL-E-04032020-216535 दिनांकित 04 मार्च 2020 द्वारा कार्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक में समामेलन की योजना अनुमोदित किया है. 5 मार्च 2020 को कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल एवं यूनियन बैंक के निदेशक मंडल ने अपनी बैठकों में समामेलन को मंजूरी दी है. संबंधित बैंको के निदेशक मंडल ने कार्पोरेशन बैंक के रु.2/ प्रति फेस वैल्यू वाले 1000 इक्विटी शेयर के लिए रु.10 फेस वैल्यू वाले यूनियन बैंक के 330 इक्विटी शेयरों का स्वैप अनुपात रखा है.

**हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**

**(मधुकर भट के)**
उप महाप्रबंधक

**(विरुपाक्ष मिश्रा )**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(राज किरण रै जी)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(वी मुत्तुकृष्णन)**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**निदेशक**
(अरुण कुमार सिंह)
(राजीव कुमार सिंह)
(डॉ मधुरा स्वामिनाथन)
(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
(के. कादिरेसन)
(जयदेव एम.)

**कृते चंद्रन एवं रमन**
सनदी लेखाकार FRN: 000571S
**[सीए पी आर सुरेश]**
(सदस्य सं. 027488) पार्टनर

**कृते एस रामानंद अय्यर एवं कं.**
सनदी लेखाकार FRN: 000990N
**[सीए विनोद सी महाराणा]**
(सदस्य सं. 056373) पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

1. The Board of Directors has pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2020.

**Performance at a Glance:**

2.1 The total business stood at ₹ 3,45,896 crore as on 31st March 2020, over the business figure of ₹3,19,616 crore as on 31.03.2019.

2.2 The total deposits of the Bank stood at ₹2,05,355 crore as on 31.03.2020 whereas it stood at ₹1,84,568 crore as on 31st March, 2019.

2.3 CASA share in total deposit stood at 30.57% (31.03.2020) from 31.59% (31.03.2019). Average CASA has grown by ₹557.60 crores (1.10%) y-o-y basis. It has reached to ₹52,990.58 crores as on 31.03.2020 from ₹51,081.19 crore as on 31.03.2019. Average SB has grown by 3.90% from ₹39,913.26 crores as on 31.03.2019 to ₹42,279.52 crores as on 31.03.2020. Average CA decreased by 7.76% from ₹11,167.93 crores as on 31.03.2019 to ₹10,711.06 crores as on 31.03.2020.

2.4 The Bank continued its prudent approach in expanding quality credit assets in line with its policy on Credit Risk Management more cautiously. The Bank's credit figure stood at ₹ 1,27,399 crore as on 31.03.2020 as against ₹1,21,251 crore as on 31st March, 2019, increased by ₹6,148 crore (5.07%).

2.5 Credit-Deposit Ratio stood at 62.04% as on 31.03.2020 as compared to 65.69% as on 31.03.2019.

2.6 The Bank continued its more and more focus on recovery of NPAs even through specified drive and by devoting more time. During the financial year, the Bank effected a cash recovery and upgradation of NPAs of ₹ 5,661 crore as compared to ₹ 4,509 crore in the previous financial year.

2.7 The bank posted a Net loss of ₹ 2,392 crore as against a Net loss of ₹ 6,333 crore in the previous year.

2.8 As on 31.03.2020, the Bank had 9972 functional units spread across India comprising of 2432 Branches, 3015 ATMs and 4525 Branchless banking units.

## 3. Income Analysis

3.1 Interest Income of the Bank increased by ₹ 547.95 Crore (3.51%) from ₹15,622.63 crore in the year 2018-19 to ₹ 16170.58 Crore in the year 2019-20 and Interest expenses increased by ₹ 827.93 crore from ₹ 10,114.16 crore during the financial year 2018-19 to ₹10,942.09 crore during the year 2019-20. The Net Interest Income has decreased from ₹5,508.47 crore for the year 2018-19 to ₹5,228.49 crore during the F.Y 2019-20 (-5.08%Y-o-Y).

(₹ in crore)

| Particulars | 2018-19 | 2019-20 | Change in % |
|---|---|---|---|
| **INCOME** | | | |
| Interest Income | 15,622.63 | 16,170.58 | 3.51 |
| Non-Interest Income | 1,872.07 | 3,749.20 | 100.27 |
| Total Income | 17,494.70 | 19,919.78 | 13.86 |
| **EXPENDITURE** | | | |
| Interest Expenditure | 10,114.16 | 10,942.09 | 8.19 |
| Operating Expenses | 3,486.06 | 5,175.18 | 48.45 |
| Total Expenditure | 13,600.22 | 16,117.27 | 18.51 |
| Operating Profit | 3,894.48 | 3,802.51 | (2.36) |
| Provisions & Contingencies (Excl. Tax) | 11,943.15 | 3,548.16 | (70.29) |
| Profit before Tax | (8,048.68) | 254.35 | 103.16 |
| Provision for Tax | (1,715.70) | 2,645.93 | 254.22 |
| **Net Profit** | (6,332.98) | (2,391.58) | (62.24) |

3.2 The total Income of the Bank [total of Interest Income and Non-Interest Income] stood at to ₹19,919.78 crore as against ₹ 17,494.70 crore in the previous financial year recording an increase of ₹2,425.08 crore [13.86%].

3.3 Non-Interest Income from Core Areas decreased by ₹47.40 crore [4.31%] from ₹1,099.72 crore in the financial year 2018-19 to ₹1,052.32 crore in the financial year 2019-20. The Total Non-Interest Income has increased to ₹ 3,749.20 crore as on 31.03.2020 from ₹1,872.07 crore as on 31.03.2019, thereby came up by 100.27%.

3.4 The Operating Expenses has shown an increase of 48.45% during the financial year 2019-20 and stood at ₹ 5,175.18 crore as compared to ₹3,486.06 crore in 2018-19.

3.5 Staff expenses increased from ₹1,746.95 crore during FY 2018-19 to ₹ 3,372.70 crore during FY 2019-20.

## 4. Spread Analysis

(₹ in crore)

| Particulars | 2018-19 | 2019-20 | Growth | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Absolute | % |
| Average Working Funds | 2,01,824.92 | 2,11,704 | 9,879 | 4.89 |
| Total Interest Income | 15,622.63 | 16,170.58 | 547.95 | 3.51 |
| Total Interest Expended | 10,114.16 | 10,942.09 | 827.93 | 8.19 |
| Interest Spread | 5,508.47 | 5,228 | (280) | (5.08) |
| Yield on Funds | 7.74% | 7.64% | | |
| Cost of Funds | 5.01% | 5.17% | | |
| Yield on Advances | 9.43% | 9.19% | | |
| Cost of Deposits | 5.40% | 5.62% | | |
| Net Interest Margin | 3.05% | 2.83% | | |

## 5. Operating Profit

5.1 The Operating Profit stood at ₹ 3,802.51 crore as at the end of March 2020, as compared to ₹3,894.47 crore as on 31.03.2019.

5.2 Operating Profit during March 2020 Quarter stood at ₹ (104) crore as against ₹693.77 crore during March 2019.

5.3 NIM for the March 2020 Quarter stood at 2.83% as against 2.63% during March'19 Quarter.

5.4 The Asset Utilisation Ratio [percentage of Operating Profit to Average Working Funds] stood at 1.80% for the financial year 2019-20 compared to 1.93% for the financial year 2018-19.

## 6. Provisions

6.1 The Provision for Bad and Doubtful Debts, Provision on Standard Assets, Taxation, Investment Depreciation and others aggregated to ₹ 6,194.09 crore in the financial year 2019-20 as compared to ₹ 10,227.45 crore in the financial year 2018-19.

## 7. Net Profit and Dividend

7.1 After considering the provisions of ₹6,194.09 crore for loan losses to bring down the Net NPA below 6%, the Net loss of the Bank stood at ₹ 2,391.58 crore for the financial year 2019-20 as against the net loss of ₹6,332.98 crore for the year ended 31.03.2019.

7.2 The Board of Directors of the Bank has not recommended any Dividend for the financial year 2019-20.

| Year | Net Profit/Loss [₹ in crore] | Growth % |
|---|---|---|
| 2015-16 | -506.48 | (-)186.69% |
| 2016-17 | 561.21 | (+)210.81% |
| 2017-18 | -4053.94 | (-)822.36% |
| 2018-19 | -6,332.98 | (+)56.22% |
| 2019-20 | -2391.58 | (+)62.24% |

## 8. Net Worth and CRAR

8.1 The Net Worth of the Bank stood at to ₹ 13,750 crore as on 31st March, 2020 as compared to ₹16,564.86 crore as on 31st March 2019.

8.2 During the year, Bank has raised capital through issue and allotment of Basel III compliant Tier II Bonds of ₹1,000.00.

8.3 The Capital to Risk Adjusted Assets Ratio (CRAR) stood at 11.54% (Basel III) as on 31st March, 2020 as against 12.30% as on 31st March, 2019.

| Category | Basel III | |
|---|---|---|
| | March 2019 | March 2020 |
| Tier-I Capital | 10.52% | 9.05% |
| Tier-II Capital | 1.78% | 2.49% |
| Total | 12.30% | 11.54% |

8.4 The Return on Equity, Earnings Per Share and Book Value per Share for the Financial Year 2019-20 stood at (15.78) %, ₹ (3.99) and ₹22.94 respectively, as against (46.21%), (₹30.06) and ₹27.63 respectively for the previous Financial year. The impact of raising of Equity Capital of the Bank given effect during Financial Year 2018-19, for this calculation.

## 9. Consolidated Accounts

9.1 As per RBI guidelines, the Bank has consolidated the financial accounts as at 31st March, 2020 with those of its wholly owned Subsidiary viz., Corp Bank Securities Ltd. As per the consolidated statement as on 31st March, 2020, the Net Worth of the Corp Bank group stood at ₹16651.45 crore. The consolidated Operating Profit for the financial year 2019-20 stood at ₹3,903.15 crore as against ₹3,956.03 crore as on 31.03.2019. During the Financial Year 2019-20, consolidated Net loss of the Bank stood at ₹6,325.30 crore, as against loss of ₹4,049.93 crore for the year ended 31.03.2019. The Bank has complied with the RBI guidelines and the Accounting Standards prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India.

## 10. Bank's Service Outlets

10.1 The Bank's total service outlets at the year ended 31st March 2020 comprising of 2432 branches and 2623 ATMs across the country. Out of the total 2432 branches, 588 branches are in Rural areas, 794 in Semi-urban centres, 518 in Urban areas and 532 in Metro centres.

10.2 The Bank has a total of 34 Zonal Offices spread across the country to have a better control, monitoring and follow up with the branches for business development. The Bank also has 4 Circle Offices headed by General Managers operating at Mumbai, Delhi, Bengaluru, and Chennai. The Circle offices function as an extended arm of the Corporate Office, better equipped to support and drive business development plans through the Zonal Offices in their Command area. The Corporate Office functions that are delegated to Circle offices are Planning, Development and Resource Mobilisation, Credit Sanctions, Credit Risk Management, Recovery and Legal, Human Resource Management, Support Services and Inspection and Audit.

## 11. Advertisement and Publicity

11.1 During the year, concerted efforts were made for enhancing the brand and image of the Bank. The Bank continued to disseminate messages on its products, services, interest rates and its performance, to the customers, shareholders and the general public through advertisements and publicity in Newspapers, Periodicals, TV Channels, FM Radio Stations, Hoardings, Translites, Website, ATMs, etc.

## 12. Government Business and Bancassurance

12.1 The total Direct/Indirect tax, Customs duty and State Tax collections of the Bank for the year ended 31st March, 2020 reached ₹ 28112 crore from 18.91 lakh challans as compared to ₹ 49749 crore from 21.37 lakh challans collected during the corresponding period last year. The Bank has earned an aggregate income of ₹ 8.26 crore from Govt. Business during the Financial Year 2019-20.

12.2 Under Life Insurance Business, Bank has canvassed 5,50,327 policies with premium of ₹ 8,387.09 lakh and earned commission of ₹ 543.54 lakh as on 31st March, 2020, (this includes 5,45,772 enrollments made under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana with premium of ₹ 1474.52 lakh and commission of ₹ 209.88 lakh) as against 4,55,190 policies with premium of ₹ 8,902.82 lakh and commission of ₹ 536.04 lakh as on 31st March, 2019.

12.3 Under Non-life Business, Bank has canvassed 16,50,069 policies with premium of ₹ 2,116.92 lakh and commission of ₹ 291.91 lakh as on 31st March, 2020, (this includes 16,00,681 enrollments made under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana with premium of ₹ 192.08 lakh and earned commission of ₹ 32.01 lakh) as against 12,66,081 policies with premium of ₹2,308.28 lakh and commission of ₹294.25 lakh as on 31st March, 2019.

12.4 Bank has earned a commission of ₹ 214.96 lakh for the period ended 31st March, 2020 under Health Insurance business as against ₹ 155.33 lakhs as on 31st March, 2019.

12.5 Bank has earned a commission of ₹ 9.96 lakh for the period ended 31st March 2020 under Mutual Fund Business as against ₹ 14.70 lakhs as on 31st March, 2019.

## 13. Corporate Social Responsibility

As a responsible Corporate citizen, the Bank initiated several welfare measures aiming at the under privileged section of the society in fulfillment of its commitment to social priorities during the financial year 2019-20.

### 13.1 Corporation Bank Economic Development Foundation [CBEDF]

The Corporation Bank Economic Development Foundation® a non-profit economic outfit Trust has been pursuing its objectives of fulfilling social obligation in tune with corporate mission. All CSR activities of the Bank are conducted under the aegis of CBEDF. Financial grants to the extent of ₹ 362.89 lakhs were disbursed for execution of various projects of social concerns during the year 2019-20 through CBEDF. Amongst others, CBEDF implemented following major CSR projects during FY 2019-20.

### 13.2 CSR Activities through "CorpKiran"- Association of Spouses of Bank Executives

For the welfare of underprivileged, through "CorpKiran", Bank granted ₹ 95.56 lakhs to various Institutions during 2019-20. The major activities included providing Bench, Desk, Cupboards, Computers, Water purifier, Almirah, Printers, Pedestral Fans etc., to poor school children and inmates of orphanages, old age homes, destitute homes, helping physically and mentally challenged people.

Some major CSR initiatives undertaken during FY 2019-20 are providing Desktop Computers & Water Cooler to Govt. Geetanjali Girls College, Bhopal, (MP), Construction of Toilets at Sri Konda Kota Reddy Government Junior College, Damarmadagu, Nellore Dist., Providing Sewing Machines to Health Oriented Project Establishment (HOPE) Kannur, Kerala-engaged in palliative treatment for patients who are suffering from the life threatening diseases like Cancer, Kidney failure etc. Three number of dialysis machines to Shimoga Institutes of Medical Sciences, Shimoga. Embroidery & sewing machines to Project "Life" Rajakot, Gujarat, Medical Aid facilities to Govt Medical College, Ernakulam. Bus to Chamaraja Nagar Institute of Medical Sciences, Chamaraja Nagar, (KA) to provide transport facilities for patients, students & staffs from college, hospital to remote rural areas. Sewing machines to 26 Tribal Women through COBSETI, Kodagu. Medical equipment's & other Hospital furniture related to operation theatre for hospital (SAVMSJC) run by Sri Sringeri Sharada Peetam, Sringeri (KA), construction of sick room for the inmates of Orphanage Bhagini Samaja, Mangaluru (KA), Construction of School building to Gandhi Aided Primary School, Melpettai, Village, Tindivanam, Villipuram Dist, (TN).

**13.3 CSR through Corporation Bank Self Employment Training Institutes [COBSETI]**

The Corporation Bank Self Employment Training Institutes are operating in Chikmagalur and Kodagu Districts catering to the training needs of the rural un-employed youth hailing from both the districts, where the Bank has the Lead Bank responsibility. Both the Institutes put together trained 1637 unemployed youth in various skill development training programmes during the year 2019-20. Since inception, both the institutes have trained about 19561 unemployed youth with a cumulative settlement rate of 77.24%. The Bank has incurred an expenditure of ₹50 lakhs during the year 2019-20, for conducting the training programmes & other recurring expenditures at both the Institutes & both the institutes have been graded as "AA" by the Ministry of Rural Development during the year for their excellence in training.

**13.4 CSR through "Grameena Abhyudaya Financial Literacy Trust "[GAFL Trust]**

The Bank has sponsored Grameena Abhyudaya Financial Literacy Trust for establishing "Financial Literacy Centers" [FLCs] at various locations. These Centers educate people about the usefulness of the Bank account for all their economic needs and empowerment. The Centers also provide counseling for the borrowers on the basis of financial aspects including insurance, savings and credit related products/services in the Bank etc. As on 31.03.2020, GAFLCC Trust has established 4 District level and 21 Block level FLC centers.

The Bank has provided ₹ 35.00 Lakh for meeting the recurring cost of the Trust, during the year 2019-20. The Trust has conducted 1812 Financial Literacy Camps at villages, schools, colleges, other institutions, SHGs and others, covering about 105463 persons.

**13.5 CSR through SHG formation**

During the year, the Bank has spent ₹ 145.93 Lakhs for promoting 14593 new SHGs in 6 districts of Karnataka. Through this major CSR initiative, Bank has helped about 145930 families of the members of SHG groups to become financially empowered. They now have access to banking facilities including deposits and loans. They also receive training in record maintenance and account keeping of their respective groups. Regular meetings of the groups encourage the members to freely interact and become more vocal.

**14. Progressive use of Official Language**:

14.1 The Bank ensures compliance of the provision of Official Languages Act, 1963, Official Languages Rules, 1976 and various directions with regard to Official Language issued from time to time by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Department of Financial Services, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India.

14.2 The overall performance of the Bank in the field of official language implementation during the year 2019-20 has been exemplary. Bank has been awarded with the following National Level Awards during the year for OL implementation :

a) **Rajbhasha Excellence Award** in "C" Region - First Prize by Ministry of Finance.

b) **Rajbhasha Kirti Award** – Second Prize in FI Category in "C" Region by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government Of India.

c) **Official Language Award** by Regional Implementation Office, Southern Region.

Of Our Zonal offices - Kochi, Thane, Varanasi, Vadodara, Bangalore(South), Rajkot, Udupi, Mysore, Pune, Nellore & Coimbatore along with 10

other branches received prizes from their respective Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) for their excellent performance in O.L. implementation

14.3 The Bank is the convener of Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Mangalore, Belgaum, Nellore and Madikeri. Various activities are conducted every year for the benefit of staff members of member organisations/banks.

14.4 During the Financial Year, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance inspected our Zonal Offices at Meerut, Delhi (North), Rajkot, Kolkata as well as Haridwar & Hrishikesh Branches. During various inspections the efforts being made by the Bank in Official Language Implementation has been appreciated.

14.5 Bank jointly organized the "Linguistic Harmony Day (Hindi Diwas)" on 19th October 2019 with Town Official Language Committee, Mangalore.

14.7 Hindi workshops and training programmes were conducted by Head Office and Zonal Offices on a regular basis for the benefit of staff members.

14.8 Besides the O.L. implementation work in the offices bank has conducted various programmes for the benefit of students and teachers of the colleges in and around Mangaluru in association with organizations such as Dakshin Kannada Hindi Shikshak Sangh, St. Philomina College, St.Agnes College & Hindi Sangh of St. Alosyus College, Mangaluru. Besides, Rajbhashaa Bharati Program was also broadcasted through Akashvaani, Mangalore.

## 15. Performance of Subsidiaries and other units sponsored by the Bank

15.1 **Corp Bank Securities Limited**: The Bank's wholly owned subsidiary, Corp Bank Securities Limited (CBSL) has earned a total income of ₹8.74 crore, posted Profit Before Tax of ₹7.56 crore and Profit After Tax of ₹3.21 crore (after accounting for tax provision of ₹2.80 crore, tax on buy back of equity shares of ₹1.56 crore, reversal of tax provision of ₹0.01 crore for earlier years, deferred tax asset of ₹0.004 crore) for Financial Year 2019-20, while the corresponding figures for FY 2018-19 were ₹9.73 crore, ₹8.69 crore and ₹7.68 crore respectively (after accounting for tax provision of ₹2.40 crore, reversal of tax provision of ₹1.42 crore for earlier years, deferred tax asset of ₹0.02 crore). The Paid up Equity Share Capital stood at ₹ 56.25 crore comprising of 5,62,50,000 equity shares of face value of ₹10/- each as on 31.03.2020 (post buy-back of 1,87,50,000 equity shares comprising of 25% paid up equity share capital @ 13.75 per share with total consideration aggregating to ₹25.78 crore). Net worth stood at ₹102.07 crore with the plough back of surplus. The Earning per Share for fiscal ended March, 2020 was ₹0.46 while it was ₹1.02 for the fiscal ended March, 2019. The Company had launched equity broking business for institutional clients in FY 2015-16 and proprietary trading in the subsequent year. The Company also continues to pursue its other activity of distribution of Mutual Fund Products and trading in approved Securities like Commercial Papers, Certificate of Deposits and Treasury Bills etc.

## 16. Constitution of Board of Directors

The following changes have taken place in the Board of Directors of the Bank during the financial year ended 31st March, 2020.

16.1 Shri P K Panda was appointed as the Director on the Board of the Bank and assumed office on 26.04.2019.

16.2 Shri Alok Tiwari was appointed as the Director on the Board of the Bank representing the Central Government as Government Nominee Director with effect from 05.03.2020.

The following members retired from the Board of the Bank during the period-2019-20:

16.3 Shri Deverakonda Diptivilasa, Part-time Non-official Director of the Bank has ceased to be a Director of the Bank from 25th April 2019 on completion of his term on 24th April 2019.

16.4 Shri Gopal Murli Bhagat, Executive Director of the Bank has ceased to be Executive Director of the Bank from 24th August, 2019 on completion of his term as Executive Director of the Bank on 23rd August, 2019.

16.5 Shri M. Bhagavantha Rao, Part-time Non-Official Director of the Bank has ceased to be a Director of the Bank from 1st March 2020 on completion of his term on 29th February 2020.

16.6 Smt. P. V. Bharathi, Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the Bank ceased to be Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank from 1st April 2020 on completion of her term as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank on 31st March 2020.

16.7 The Board places on record its appreciation for the guidance and counsel received from Smt. P. V. Bharathi, Shri Gopal Murli Bhagat, Shri

Deverakonda Diptivilasa and Shri M. Bhagavantha Rao during deliberations of the Board / Committees of the Board and also in the conduct of the Bank's business during their tenure of office as Director of the Bank.

## 17. Directors' Responsibility Statements

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2020-

17.1 The applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

17.2 Accounting Policies had been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period.

17.3 Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of the bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

17.4 The Annual Accounts were prepared on a going concern basis.

17.5 Internal financial controls had been laid down to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

17.6 Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 18. Acknowledgements

18.1 The Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers, Share Transfer Agent and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and support.

18.2 The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Government of Karnataka, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), BSE, NSE, NSDL, CDSL, various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

18.3 The Directors place on record their deep appreciation of the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realisation of the corporate goals of the Bank in the years ahead.

**For and on behalf of the Board of Directors**

**(Rajkiran Rai G)**
**Managing Director & Chief Executive Officer**

Place: Mumbai
Date : 31.07.2020

# MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

## 1. Global Economy

1.1 Global macroeconomic landscape was highly volatile during FY 2019-20 driven by escalation of trade tensions, disorderly Brexit and volatility in crude oil prices. As per International Monetary Fund's World Economic Outlook report, global growth lowered to 2.9 per cent in 2019 from 3.6 per cent in 2018. Volatility was further intensified with outbreak of COVID-19 pandemic in February-March and related slump in economic activities thereafter.

1.2 Pandemic led disruptions are wide spread and set to intensify further causing massive dislocations in global production, supply chains, trade and tourism. Global output is now seen as contracting in 2020. IMF projects global growth to decelerate by 4.9% in 2020 with recovery at 5.4% in 2021.

## 2. Domestic Economy

2.1 Indian economy has been experiencing demand slow down since the beginning of the FY 2019-20. As per second advanced estimates of National Income released by the Central Statistical Organisation (CSO), GDP growth for FY 2019-20 stood at 4.2% compared to 6.8% in same period previous year. Real GDP growth stood at 4.8% in Q1 FY 2019-20. During subsequent quarters, GDP registered a growth of 4.3%, 3.5% & 3.0%, respectively. Curtailment of all economic activities as a result of the lockdown in the last week of March, and the slow growth trend visible since first quarter of FY 2019-20, added up to give a sharp fall in GDP growth in the fourth quarter of FY 2019-20.

## 3. Price scenario

3.1 Headline inflation as measured by the consumer price index (CPI) increased by avg. 4.7% during the FY 2019-20 which was below the target range of 6%. However, headline inflation breached the committed target and peaked to 7.6% in January 2020 due to sharp spike in prices of vegetables, fruits and petroleum products.

3.2 Core inflation (inflation excluding food and remained range-bound during the FY 2019-20 at avg 4.0% propelled by a series of cost pushes.

## 4. Yield Movement:

4.1 Benchmark 10 year G-sec yield softened during FY 2019-20. Starting from 7.37% in the beginning of the FY, yields fell to 6.67% on March 31,2020. Yield volatility was observed due to persistent worries about the Centre's finances, expectation of a rise in inflation prints, subdued appetite for government bonds and hardening of US treasury yields. Yield movement was very volatile after spread of pandemic and related decline in market confidence. Avg. G-sec yield for the FY 2019-20 was at 6.84%.

## 5 External Sector

**5.1** Indian exports shrank by 4.8 per cent during FY 2019-20 to $ 314 bn from $ 330 bn previous year. Though the adverse impact of COVID-19 on global supply chains and global economic activity has lowered the exports, trade was at discouraging note even before the pandemic. Indian imports contracted by 9.1 per cent during FY 2019-20 to $ 467 bn from $ 514 bn previous year. With imports declining more than exports, the trade deficit narrowed to $ 153 billion in FY 2019-20.

**5.2** RBI has added significantly to the forex reserves during FY 2019-20. From US$ 414 bn as on April, 2019 forex reserves stood at US$ 476 bn on March 2012 reporting cumulative addition of US$ 62 bn. However, over the same period previous year, forex reserves were depleted by US$ 12 bn.

## 6 Liquidity conditions:

**6.1** Surplus liquidity conditions persisted in large part of 2019-20. Systemic liquidity surplus, as reflected in net absorptions under the LAF, averaged ₹51,710 crore in June 2019 and progressively increased to ₹ 1,22 lakh crore in September 2019 to ₹2.61 lakh crore in December 2019 and ₹2.86 lakh crore in March 2020. RBI has taken timely liquidity management moves to deal with the money market volatility. The surplus liquidity was absorbed through reverse repo operations under the LAF.

## 7 RBI's policy decisions

**7.1** During FY 2019-20, RBI has reduced the key policy Repo rate by 235 bps. While 160 bps reduction was through its six conventional monetary policies, 75 bps reduction was through its unconventional seventh policy announced on the backdrop of slow down and pandemic stress. Reverse repo rate was reduced by 175 bps from 5.75 per cent to 4.00 per cent during the FY 2019-20. Reverse repo rate was reduced by 85 bps in six conventional policies while 90 bps was reduced through its seventh policy.

**7.2** In addition, the RBI undertook unconventional operations in the form of auctions of what is called 'operation twist' involving the simultaneous sale

of short-term government securities and purchase of long-term securities. The Reserve Bank also conducted five long term repo auctions of 1 year and 3 years tenors to inject liquidity and improve monetary transmission. It also conducted two sell-buy swap auctions to inject cumulatively US dollar liquidity into the forex market.

**8 Banking environment:**

**8.1** The banking sector continued to face the challenges of poor asset quality, sluggishness in profitability as well as lower demand. Both corporate and retail demand was weak during the FY 2019-20.

**8.2** During the year, the aggregate deposits growth has remained in the range of 9% to 11%, before ending at 7.9% in FY20

**8.3** Credit off take during 2019-20 was muted with non-food credit growth at 6.1 per cent being less than half the growth of 13.3 per cent in the corresponding period of the previous year. The slowdown in credit growth was spread across all bank groups.

**9. Bank's Operational Performance**

**9.1 Deposit Mobilisation**

i. The Total deposits of the bank (including CDs & Interbank) reached a level of ₹ 2,05,354.78 Crores as on 31st March 2020, registering year-on-year increase of ₹ 20,786.95 Crores at 11.26%.

ii. Current deposits stood at ₹ 16,741.16 Crores as on 31st March 2020 as against ₹ 16,200.06 Crore in the previous year with net increase of ₹ 541.10 Crores at 3.34% Y-O-Y growth.

iii. Savings deposits reached ₹ 46,029.06 Crores as on 31st March 2020 against ₹ 42,106.72 Crores in the previous year with net increase of ₹.3,922.34 Crores at 9.32% Y-O-Y growth.

iv. The Share of CASA deposits in Total deposits stood at 30.57% as against 31.59% in the previous year

v. Average CASA has increased by 3.79% with net accretion of ₹ 1,933.21 Cr and stood at ₹ 52,990.58 Cr

vi. Term deposits reached a level of ₹ 1,42,584.56 Crores as on 31st March 2020 against ₹ 1,26,261.06 Crores in the previous year with net accretion of ₹ 16,323.50 Crores at 12.93% Y-O-Y growth

vii. Bulk deposits (Term deposits of ₹ 2 Cr & above including CD and Bank deposits) stood at ₹ 52,399.21 Cr as against ₹ 44,170.16 Cr with increase of 18.63%. The share of Bulk deposits in Total deposits stood at 25.52% compared to 23.93% in the previous year.

viii. Cost of Deposit for 2019-20 stood at 5.62% as against 5.40% during 2018-19.

**9.2 Credit Growth**:

9.2.1 The credit portfolio of the Bank increased from the level of ₹1,21,251.21 crore as at 31.03.2019 to ₹1,27,399.05 crore as at 31.03.2020, with an absolute increase of ₹6,147.84 crore at 5.07% during the financial year ended 31.03.2020.

9.2.2. The average advances increased by ₹97.69 crore from the level of ₹1,16,510.58 crore as at March 2019 to ₹1,16,608.27 crore as at March 2020, registering a positive growth of 0.08%. The CD ratio as on 31.03.2020, stood at 62.04%.

**9.3 Priority Sector Lending**

**9.3.1 Sectorial Deployment:**

The total amount of credit deployed to Priority sector stood at ₹ 61,513 crore as on March 2020, forming 43.27 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the FY 2019-20 as against the regulatory target of 40% of ANBC stipulated by RBI.

Bank's performance vis-à-vis regulatory target is furnished in the table below:

| Parameter | Achievement as at Mar-20 with RIDF (in ₹ Crs.) | Targets Stipulated by RBI (as % of ANBC) | Achievement for the FY20 (as % of ANBC) # |
|---|---|---|---|
| Total Priority Sector | 61,513 | 40% | 43.27% |
| Total Agriculture | 24,769 | 18% | 18.24% |
| SF/MF | 13,540 | 8% | 9.88% |
| Micro Enterprises | 12,192 | 7.50% | 7.57% |
| Credit Flow to Weaker Section | 19,077 | 10% | 13.04% |

*# As per RBI guidelines a simple average of all quarters has been arrived at and considered for calculating the achievement of priority sector sub-targets.*

Credit extended to Agriculture sector on quarterly average basis for the FY 2019-20 stood at 18.24% of ANBC against the regulatory target of 18.00%, with outstanding level of ₹ 24,769 crore as on March 2020.

Bank surpassed the Agri. credit disbursement target set by Government of India during FY 2019-20 Under Special Agriculture Credit Plan (SACP), the Bank has disbursed ₹ 20,264 crore during the year 2019-20 against the disbursement target of ₹ 16,565 crore (122% achievement).

Lending to Small and Marginal farmers has reached a level of ₹ 13,540 crore as on March 2020, exceeding the regulatory target of 8% of ANBC by reaching a level of 9.88% on quarterly average basis for the FY 2019-20.

RuPay Kisan Credit cards (ATM-enabled) were issued to over 2.43 lakh Kisan Credit Card (KCC) borrowers as on March 2020 as a part of digital banking initiative.

The advances under Micro Enterprises stood at ₹ 12,192 crore which was 7.57 % of ANBC on quarterly average basis for the FY 2019-20, as against the regulatory target of 7.50 % of ANBC.

**9.4 Social Lending**:

Dispensation of Credit under various Government Sponsored Social Lending / Poverty Alleviation Schemes and to Weaker sections of the society was given due importance so as to fulfill the Bank's socio- economic obligations.

The total credit flow to Self Help Groups (SHGs) & Joint liability Groups (JLGs) has increased from ₹ 2,636 crore as on 31.03.2019 to ₹ 3,087 crore as on 31.03.2020 by registering a growth of ₹ 451 crore (17.10%). Bank encouraged direct lending to Women Self Help Groups. Credit to Women Self Help Groups (SHGs) & Joint liability Groups (JLGs) stood at ₹ 2,546 crore as on 31.03.2020 compared to ₹ 2,236 crore as on 31.03.2019 with a growth of ₹ 310 crore.

Advances to Weaker sections stood at ₹ 19,077 crore forming 13.14 % of ANBC as on 31.03.2020 as against the target of 10 % of ANBC.

Finance to women beneficiaries stood at ₹ 11,837 crore as on 31.03.2020 (8.40% of ANBC) as against ₹ 11,571 crore as on 31.03.2019 and registered Y-o-Y growth of ₹ 266 Crore.

As on 31.03.2020, out of the Total Priority Sector credit of ₹ 61,513 crore, the outstanding credit to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe stood at ₹1,273 crore.

Credit exposure to minority Communities stood at ₹ 7,030 crore and reached a level of 12.69% of Priority Sector advances as on March 2020.

**Awards & accolades:**

Bank has won following awards during the financial year 2019-20:

1. Bank has bagged 3 awards instituted by Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises [CIMSME] consistently for the 5th year in a row under the following categories:

I. Best MSME Bank Award - Runner up (Emerging Category).

II. CSR Initiatives & Business Responsibility Award - Winner (Emerging Category)

III. Best Bank for Promotional Schemes Award - Runner up (Emerging Category)

2. Bank has bagged "BEST MSME BANK-WINNER 2018" award during 6th ASSOCHAM SMEs Excellence Award – 2018 instituted by The Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM).

**9.5. Retail Lending**

Tailor made retail loans viz. housing, vehicle, education, personal loans, etc. are marketed under the brand name "Corp Schemes". The portfolio under Corp Schemes as on 31.03.2020 stood at ₹ 24,701 crore as against ₹ 26,244 crore as on 31.03.2019. There is a decline of ₹ 1,543 crore (-5.9%) during current fiscal 2019-20 as against negative growth of ₹ 2,668 crore (-9.2%) registered during corresponding period of last year.

(₹ In crore)

| Outstanding Balance as on | | | Absolute Growth | |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 01.04.18 to 31.03.19 | 01.04.19 to 31.03.20 |
| 28912 | 26244 | 24701 | -2668 (-9.2%) | -1543 (-5.9%) |

**9.6.** Home loans hold a major share (53.9%) in the Corp Schemes portfolio. As on 31.03.2020, the outstanding balance under Housing Loan stood at ₹ 13,313 crore. During the Financial Year, there is a decline of ₹ 161 crore (-1.2%) under the said scheme.

**9.7.** The outstanding balance under Education Loans viz Corp Vidya Scheme as on 31.03.20 is ₹ 1,456.9 crore. There is a decline of ₹ 117 crore (-7.4%) under the said scheme during the current fiscal.

**9.8.** The total sanctions of all retail loans during Financial Year 2019-20 have increased by ₹ 1,109 crore compared to sanctions during the corresponding period of last year and in respect of loan accounts it has increased by 8,237 loans.

**9.9.** Special promotional campaign conducted during the Financial Year are as under :

- A promotional campaign "Monsoon Offer 2019" was introduced under Housing and Vehicle Loan (personal) for 4 months from 01.06.2019 to 30.09.2019 wherein concession in interest rate and full waiver of processing charges was extended to

fresh loans disbursed during the campaign period.

- A promotional campaign "Festival Offer – 2019 [FO-2019]" was introduced for a period of 4 months from 01.10.2019 to 31.01.2020 wherein 100% Waiver of Processing Fees was offered under Housing Loans (including PMAY) and Vehicle Loans (personal segment). Festival Offer - 2019 was extended as " Extended Festival Offer – 2020 (EFO-2020)" for a further period of 2 months from 01.02.2020 to 31.03.2020.

## 9.10 Financial Inclusion

- Government of India has allotted 2,291 villages grouped into 894 Sub Service Areas (SSAs) spread across 23 states under PMJDY for providing basic banking facilities under Financial Inclusion Plan of Reserve Bank of India. Our Bank has provided banking infrastructure at the allotted villages/SSAs through brick & mortar branch at 269 SSAs. In the remaining 625 Sub Service Areas (SSAs) banking infrastructure is provided by engaging Bank Mitras.
- Apart from the 625 PMJDY locations, our Bank has engaged 129 Bank Mitras in Non-PMJDY locations wherever services of Bank Mitras are needed.
- Our Bank has opened branches including banking outlets in 3 aspirational districts allotted to us.
- Our Bank has provided robust, STQC certified, 1.5.1 version compliant Micro ATMs to all the Bank Mitra and all are functioning well. The Micro ATM along with pin pad has enabled all Bank Mitras to perform online, interoperable, Aadhaar & pin based transactions.
- The following services are provided by our Bank Mitras to the customers:

  1) Account Opening, 2) Cash deposit (own bank), 3) Cash deposit (other bank—Aadhaar Enabled Payment System/Rupay card), 4) Cash withdrawal (on us), 5) Cash withdrawal (off us), 6) Fund transfer (own bank), 7) Fund transfer (other Bank— Aadhaar Enabled Payment System /Rupay card), 8) Balance enquiry (own bank), 9) Balance enquiry (other bank— Aadhaar Enabled Payment System /Rupay card), 10) Mini statement, 11) TDR/RD opening, 12) Enroll for micro accidental death insurance (PMSBY), 13) Enroll for micro life insurance (PMJJBY), 14) Enroll for social security pension scheme (APY), 15) Pension payment, 16) Aadhaar seeding and 17) Mobile seeding.
- Our Bank has appointed Financial Inclusion Supervisors at 12 Zonal Offices to monitor all the activities of Bank Mitras.
- As on 31.03.2020, 32.47 lakhs accounts are opened under PMJDY and the average balance in funded PMJDY accounts is ₹ 4,093/- in our Bank.
- During the financial year, the Bank provided OD facility to 2,27,630 accounts under the PMJDY OD scheme.
- As per UIDAI guidelines, as on 31.03.2020, the Bank has 256 Aadhaar enrolment centers operational in branches all over the country with Bank owned kits and outsourced operators.

## 10. Awards & achievements:

i. The Bank has bagged two awards from "Governance Now BFSI Awards, 2019". The Awards were received by the Bank for the Category 'Mobile App' & 'Cyber Security'.

ii. Bank has bagged SKOCH Order-of-Merit 2019-Silver' for qualifying among the top performing nominations as semi-finalist for Bank's Mobile Banking Application- "Corp Ease." The Bank also won the SKOCH Award-Banking Bronze for the mobile banking app "Corp Ease."

iii. The Bank has bagged Best Institution Award for excellent implementation of official language policy of the Govt. Of India. The award ceremony was organized under the aegis of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. Of India, at Nagpur, Maharashtra

iv. Corporation Bank was honoured with Rajbhasha Kirti Puraskar 2019 for implementation of official language policy of the Government of India.

## 11. Recovery

### 11.1 NPA Level:

The gross NPA level of the bank stood at ₹19399.02 crore as on 31.03.2020 as compared to ₹ 20723.68 crore as on 31.03.2019. The gross NPA constituted 13.80% of the gross advances as on 31.03.2020 as against 15.35% at the end of the corresponding previous financial year.

The Net NPA of the bank stood at ₹ 6256.97 Crore as on 31.03.2020 as compared to ₹ 6926.64 Crore as on 31.03.2019. The Net NPA constituted 4.91% of the Net Advances as against 5.71% at the end of the corresponding previous financial year.

### 11.2 Cash Recovery & Up Gradation:

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Cash Recovery (CR) | 3368.72 | 4041.44 |
| Up Gradation (UG) | 1824.04 | 1761.04 |
| TOTAL = CR + UG | 5192.76 | 5802.48 |

The Cash Recovery and up gradation of NPA's during the financial year 2019-20 was ₹ 5802.48 Cr as compared to ₹ 5192.76 Cr in the previous year.

### 11.3 Asset Category Wise Classification Of Advances As On 31.03.2020.

(₹ in Crore)

| Sl No. | Category | 31.03.2018 | | 31.03.2019 | | 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Amount | % to total assets | Amount | % to total assets | Amount | % to total assets |
| 1 | Standard | 1,05,791.82 | 82.65 | 114324.57 | 84.65 | 121142.08 | 86.20 |
| 2 | Sub - Standard | 5,814.76 | 4.54 | 4313.76 | 3.19 | 3131.82 | 2.23 |
| 3 | Doubtful | 16,087.82 | 12.57 | 15781.63 | 11.69 | 13476.61 | 9.59 |
| 4 | Loss | 310.86 | 0.24 | 628.29 | 0.47 | 2790.59 | 1.99 |
| | **GROSS CREDIT** | **1,28,005.26** | **100.00** | **1,35,048.25** | **100.00** | **1,40,541.10** | **100.00** |

### 11.4 Performance Under Various Recovery Methods & Action Plan For 2020-21.

#### 11.4.1 SARFAESI:

The bank has taken swift and time bound steps for recovery of NPA's through SARFAESI Action. During the current fiscal, recovery/up gradation through SARFAESI action amounted to ₹ 723.22 Crore in 1633 accounts. This includes recovery/up gradation on initiation of SARFAESI action and also through repossession and sale of secured assets.

#### 11.4.2 NATION WIDE MEGA E-AUCTION:

Conducting of Nation Wide Mega E-Auction of secured assets is identified as a very effective strategy in putting up secured assets for sale under SARFAESI. Such auctions are conducted by the Recovery Division at the Head Office Level in a highly professional/ cost-effective manner through tie-up with e-auction portals.

During the Financial Year 2019-20 till 31.03.2020, 339 properties were sold in the Mega E-Auction / other auctions resulting in Cash Recovery/Up gradation/Property Sale proceeds worth ₹ 243 Crore.

Nation-wide mega E-Auction is a readymade platform for the branches to put up the secured assets for E-Auction under the SARFAESI Act. The schedule of the e-auctions are finalized well in advance and informed to the branches/offices to enable them to identify and put up maximum number of properties for sale.

#### 11.4.3 DRT SUITS:

Simultaneously with initiating action under SARFAESI suits have been filed in DRT's for recovery of the dues. As on 31st March 2020, 8134 cases involving an aggregate amount of ₹ 31291 Crore is in various stages at 34 DRT's.

#### 11.4.4 COMPROMISE / ONE TIME SETTLEMENTS:

Compromise/One Time Settlement of NPA's is encouraged. The bank has aggressively pursued Compromise/OTS Settlement as a major recovery strategy to recover hard core NPA Accounts through amicable settlement. Branches have been sensitized about the need for submitting as many OTS Proposals as possible for sanction to ZO/CO & Head Office. Executives from Head Office during their visit to the field met NPA borrowers and sourced OTS Proposals. During the Financial Year 2019-20, 106 Compromise /OTS Proposals were approved for a total sum of ₹ 821.29 Crore at HO Level.

#### 11.4.5 CORP RIYAYATI-VII/RIYAYATHI PLUS:

Apart from settlement under normal OTS, the bank has also formulated special OTS Schemes. Corp Riyayathi VII Scheme- a One Time Settlement Scheme for small value NPA's with balance Outstanding up to ₹10 Lakh was formulated and launched on 01.05.2019. In order to hasten the process of sanctions, the bank has setup a committee at Head Office headed by Asst. General Manager and sanctions were accorded on-line on the same day of the receipt of the proposal. The scheme came to a close on 31.03.2020. Till 31.03.2020, 7449 accounts were settled under the scheme for ₹ 60.69 Crore. A sum of Rs. 41.49 crore has already been recovered.

Under Corp Riyayathi Plus sanctions were accorded in respect of 86 borrowal accounts amounting to ₹14.08 Cr.

#### 11.4.6 OTS SCHEME FOR AGRI-NPA:

OTS Scheme for Agri-NPA, Agri-Restructured Loans and MSME Loans

Under Agri OTS scheme, total of 1812 accounts amounting to 49.63 Cr were settled and 1319 accounts amounting to ₹149.02 Cr were settled under MSME OTS Scheme.

11.4.7 **LOK ADALAT:**

The bank has actively participated in the National Lok Adalat conducted by NALSA by involving the Law Officers at Head Office and Zonal Offices. During the Financial Year 2019-20, 3035 accounts were settled under Lok Adalat scheme for ₹ 43.35 Crore. A total sum of ₹ 8.54 Crore was recovered in cash on the spot.

11.4.8 **MEGA RECOVERY CAMPS:**

Bank has organized Mega Recovery Camps across the Zones for the settlement of accounts, especially small value NPA Accounts under Corp Riyayathi Scheme/bank's General OTS Scheme. Such camps were held jointly by 4 to 5 branches with high concentration of NPA's in a common venue. With the help of Special Recovery Task Force Members and Recovery agents, the borrowers are contacted and bought to the negotiating table for discussing and settling their long pending dues. Such camps helped in settling and closing a large number of small value NPA Accounts.

11.4.9 **EXCLUSIVE VERTICALS:**

Monitoring and follow up of stressed/NPA Accounts/ PWO accounts intensified through exclusive verticals set up and Head Office and Circle Offices for this purpose. Recovery in Prudentially Written off accounts during the Financial Year 2019-20 amounted to ₹ 706.88 Crore as against ₹ 318.06 Crore during the financial year 2018-19.

11.4.10 **RESOLUTION BY REFERRING TO NCLT UNDER IBC 2016:**

Resolution of stressed/NPA Accounts by referring to National Company Law Tribunal (NCLT) under Insolvency and Bankruptcy code 2016 (IBC) for Corporate Insolvency and Resolution Process (CIRP) is yet another tool in the hands of the bank for the recovery of the dues. Apart from referring/ proactively participating in the resolution process of the RBI directed accounts, bank has identified and referred various accounts for resolution under IBC 2016 to NCLT. As on 31.03.2020, 249 accounts involving an amount of ₹ 19080.45 Crore is before NCLT in various stages. During the FY 2019-20, the bank could recover more than ₹ 1846.13 Crore through resolutions under IBC 2016.

## 12. Treasury and Investment Operations

The aggregate investment of the Bank as on 31st March 2020 was ₹ 66,432.44 Crore with maturity mix of securities consistent with risk perceptions and investment policies of the Bank.

The average yield on investments during the year under report stood at 7.23% compared to 7.36% as at the end of the previous year.

The net profit/(loss) from sale of investments was ₹388.47 Crore for the year ended 31.03.2020 as compared to ₹(80.93) Crore in the previous year.

The Bank has put in place tools like Duration, Modified Duration and Value at Risk for effective risk management.

## 13. International Banking

The Bank has 49 Designated Branches and one Forex Hub at Bengaluru, which cater to the foreign exchange business. Cumulative Merchant turnover has increased by 51.25 %, from ₹62,612.36 crore to ₹94,703.00 crore, during the year 2019-20.

Foreign Exchange Income of Treasury has increased by 15.43%, from ₹ 99.18 crore to ₹114.48 crore, during the year.

Fee Based Income from Designated Forex Branches has decreased by 19.70% from ₹66 crore to ₹53 crore.

Currency futures income has increased by 25.98% from ₹7.16 crore to ₹9.02 crore this year.

## 14. Precious Metal Business

In view of the amalgamation with Union Bank of India, already they have license for import of Gold/ Silver, RBI has not renewed our license which was expiring on 31.03.2020.

## 15. Designated Branches and Treasury and Investment Department

### 15.1 Process Improvement

a) Straight Through Processing (STP) is in place between Designated Branches and Treasury Branch for all Forex Transactions. All the transactions of branches are auto posted to Treasury accounting software through STP.

b) Link Branches have been enabled for taking the rate directly from Treasury through Rate Chat Module and all the FCNR transactions are brought under STP. Mirror balance at Treasury Branch is updated instantaneously through STP.

c) Nostro entries are uploaded in the system due to which majority of the entries are getting auto reconciled.

e) Exchange Houses - Reconciliation process has been simplified and daily balancing in Foreign Currency has been made available.

f) Integration of the swift system with the CBS has been completed and there is no provision for manual creation of SWIFT.

g) Bank has adopted stringent norms to follow up for all outward foreign currency payments and have also implemented a separate level of swift verification to ensure that all the payments are routed only after registering a corresponding entry in the CBS.

h) Forex Hub at Bangalore has been further strengthen with trained staff to cater to the Forex requirement of all designated branches and ensure compliance of FEMA/ RBI/ FEDAI guidelines. As a step further, Bank has centralized all its import related transactions at Hub thereby implementing the guidelines by the regulator related to Swift operations.

i) Bank is actively trading in currency futures on BSE, NSE and MSEIL to increase the profit.

## 16. Collection and Payment Services (CAPS)

- e-Corporation Bank has been a pioneer in Collection and Payment Services and was the first among the PSU Banks to start CMS services and setup exclusive CMS Hub and CAPS Branches in 1991.
- We have an exclusive setup with robust technology to handle the constraints faced by the corporates in managing their receivables and Payments.
- CAPS products and services are well accepted in the market and at par with any other competitor Banks in terms of service level and efficiency.
- The tangible advantages are - Efficient financial management with enhanced liquidity, Cost reduction through auto reconciliation and Profit maximization.
- The other advantage of our services includes Effective control, Competitive edge, Customized MIS with Host to Host & Web Services capabilities and Single point query resolution capabilities.
- We have been a consistent provider of cash management services in the market since decades. Introduction of new products and optimizing them in accordance with the market needs has been our strength.

  e-Corporation Bank CAPS is known for C-Customization A-Accuracy P-Process Efficiency S-Speed

**Products**

| Collection Products | Payment Products | Other Products |
|---|---|---|
| • Cash PIF<br>• Cheque Collection-FCS/CCS<br>• Virtual Mode – NEFT/RTGS/IMPS<br>• Mandate – Direct Debit / NACH Debit<br>• ePG – Debit Card/ Credit Card/Net Banking/Bharat Bill Payment Services<br>• Unified Fee Collection Services(UFCS)<br>• Sweep Facility | • Corp Remit – ABB/NEFT/ RTGS/IMPS<br>• Corp Pay<br>• Correspondent Bank DD Drawing arrangement<br>• NACH Credit | • Automated Invoice Finance<br>• Dealer Finance – With Recourse/ Without Recourse/ FLDG<br>• Vendor Finance |

**Performance highlights for FY 2019-20**

(Income ₹in Crores)

| Sl | Parameter | Actual fiscal growth | | | | Y-o-Y Growth | | | | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018-19 | | 2019-20 | | | |
| | | Mar' 17 | Mar' 18 | Mar' 19 | Mar' 20 | Abs | % | Abs | % | Mar' 20 | Gap |
| 1 | Non-Int Income | 23.82 | 32.41 | 46.33 | 44.68 | 13.93 | 42.97 | -1.65 | -3.6 | 50.00 | 5.32 |
| 2 | Interest Income | 9.20 | 10.22 | 10.50 | 11.14 | 0.28 | 2.76 | 0.64 | 6.1 | 15.00 | -3.86 |
| 3 | Total Income | 33.02 | 42.62 | 56.83 | 55.82 | 14.21 | 33.33 | -1.01 | -1.8 | 65.00 | -9.18 |
| 4 | Clientele | 243 | 246 | 262 | 187 | 16 | 6.50 | -75 | -29 | 350 | -163 |

**Achievements during FY 2019-20:**

- 5 CAPS Branches have achieved their income targets, 3 CAPS Branches have achieved client targets.
- Net profit generated for the FY 2019-20 is ₹ 44.28 Crores.
- Total of 187 clients have been sanctioned with CAPS products and services during FY 2019-2020 of which 45 EPG proposals are there.
- We have integrated our Corp Net banking gateway in Rajasthan Payment Platform to accept payments for online services. This will help in retention of our bank customers and would facilitate them to make the payments conveniently.
- Customized solution is provided to Delhi Development Authority by means of web application cum E-Payment gateway for beneficiaries of DDA Housing Scheme-2019.
- Mysore City corporation has been on boarded as a utility biller by us on BBPS platform. The customers can pay their water Bills through Corp Ease/other banking channels. This will pave way for a good float and fee based income to our bank.
- 21,066 mandates under Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana(PMSYM) have been received and processed
- BHIM/UPI QR has been enabled for the Bank.

**<u>Reasons for decrease in cumulative income:</u>**

- CAPS Hyderabad handled Rythu Bandhu scheme of Telangana Govt and received an additional income of Two Crore Rupees in last Financial Year 2018-19.
- M/S Capital first was availing Mandate facilities at Mumbai CAPS and we were earning around ₹ 20 lakh monthly. Since they have now merged with IDFC Bank Ltd., have stopped availing service from us. Hence income of Mumbai-CAPS has come down by around 240 lakh.
- MRL Posnet was availing Corp Remit facility (NEFT/RTGS) from CAPS- Bangalore which was giving us an income of ₹ 8-10 lakh per month. Now as there is provision available in FINACLE for bulk upload the operations have been taken over by Merchant Acquiring Cell (MAC) hence there is a reduction in cumulative income of around ₹ 38 lakh at CAPS Bangalore.
- Reduction in volume of Direct Debit Mandates and NACH Mandates in February/March due to the market dip has also resulted in considerable decrease of income.

**<u>Specific corrective steps to be taken to meet the required targets:</u>**

Our bank has been mandated to act as Nodal Bank for Chief Minister's Employment Generation Programme (CMEGP) by Govt of Maharashtra (GOM) for disbursement of subsidy. Average CASA of ₹ 50 Crore is expected.

- Efforts are being made to act as a Nodal bank to Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) for disbursement of Govt. Backed subsidy/claims which will help in improving our Bank's CASA. If materialized, an annual disbursement to the tune of ₹ 1,000 Crore is expected.
- We are positioning CAPS as Payment Processing HUB with customized solutions, which support Bank in acquiring and retaining CASA accounts.
- Focus will be given on canvassing Educational Institutions, Public Utility/Corporations, Govt. Agencies for enabling fees/bills collection and various payments under **Unified Fee Collection Service** which has potential for generating CASA.
- Effort shall be made to exploit **New Core Banking capabilities** through process integration to offer unified services to customers.
- Division proposes to expand **Automated Invoice Financing** to "A" rated companies by marketing the product aggressively to widen the dealer base and boost SME portfolio.
- New Aggregators will be added for **Net banking Gateway services**. Division is expecting good income from the aggregators on account of net banking transactions done on their sub-merchant Web portals.
- To augment CASA generation for the Bank, float-based pricing would be offered to top rated corporates, Institutions & Govt. Agencies having high volume of business.
- Target our major credit clients for CMS services and endeavor shall be made to bring back lost clients by matching service levels and price with that of competitors.

## 17. Information Technology Initiatives

### 17.1 ISO 27001:2013 CERTIFICATION FOR IT INFRASTRUCTURE OF THE BANK:

Sustenance Audit for ISO 27001:2013 Certification under Information Security & Management System

[ISMS] Framework by British Standards Institution [BSI] conferred on the IT Infrastructure of the Bank, comprising ITD & DR setup at Mangalore and Data Centre & NLS at Bangalore, was carried out and the same is renewed for further 03 years i.e. up to 2023.

### 17.2 NETWORK RELATED INITIATIVES

- Takeover of Network Monitoring & Management Service for the Bank's infra has been completed successfully by IBM from HCL Comnet by stationed dedicated resources at 06 different locations of the Bank to ensure better and faster support to pan India branches.
- MPLS connectivity for all the branches have been upgraded to 2 Mbps wherever feasible for better and faster user experience for branch staff. Bank is also in process to provide secondary link to all branches from an alternate service provider as a part of BCP (Business Continuity Plan). Secondary link has already been provided to critical locations and service branches along with 1000+ branches.

### 17.3 OTHER DIGITAL INTIATIVES

- Introduction of new Mobile app i.e. "Recovery Assist" : This app facilitates the branch Heads for better monitoring of overdue/s in loan accounts. The app can also initiate calls to the customer (Borrowers/co-borrower/guarantors) by using the mobile numbers captured in CBS and record the feedback of the calls for future course of recovery action.
- CorpEASE, the mobile banking solution available to both Android and iOS users which assists the customers to do banking transactions like funds transfer, bill payment, deposit opening & closure cheque book request, passbook management, holiday information etc., at their location and convenience. The application is available in 10 Indian languages including English, Hindi. Few of the enhanced features, which are included recently are.
- Enrolment and subscription of PMJJBY & PMSBY
- BHIM bill payment to pay utility bills like Broadband, DTH, Electricity, Gas, Landline, Water bill, Postpaid mobile bill etc
- NPS (New Pension Scheme) can be subscribed and pay their contribution
- Customer can manage the Debit card limit, Debit card blocking and unblocking and generate Green Pin in case of new card.
- Under Travel & leisure – customers can recharge their Mobile, DTH, Data card and book the tickets for Flight, Bus and Hotel.
- NEFT can be done 24x7
- Cooling period system has been modified in case of new beneficiary as User can remit the fund up to ₹ 10,000/- in first 4 hours, ₹2 lakh in next 20 hours and post cooling period, can remit as per the limit.
- PAN validation through UPI has been enabled.
- Login to multiple CIF is allowed in case the customer is having Retail CIF as well as Corporate CIF having operation in account as sole proprietor ship.
- Fund transfer rights have been given to NRE/NRO accounts holder to their own SB/CA/own loan accounts.
- Replacement of new logo at home page and screens of all the menus as a part of post amalgamation with Union Bank of India.
- **FEBA - Finacle e-Banking Application,** a contemporary New Internet Banking added many features and facilities like-
- Customizable transaction limit, self-registration through Debit card validation, Mobile Token for hassle free transactions.
- Blocking and unblocking of Debit cards
- NPS (New Pension Scheme) can be subscribed and pay their contribution subsequently.
- To enhance the customer convenience and security, cooling period has been modified in case of new beneficiary as remit the fund up to ₹ 10,000/- in first 4 hours, Rupees one lakh in next 20 hours and post cooling period, can remit as per the default limit.
- In case of new Debit card, customer can generate the PIN know as "Green PIN"
- Under e-Service Tab, loan portal has been linked as convenience to user so that they can apply online for Housing loan, Vehicle Loan, Vidya Loan & MSME loan.
- Availability of NEFT 24x7
- Customers can register for SMS banking
- Scheduling of email statements is possible as per the frequency opted
- Geojit Technology has been onboarded to provide the ease to customers for investment in IPOs and Mutual funds.

## 17.4 SECURITY SOLUTIONS

- To fortify the network and data security posture of the Bank, various security solutions were implemented in line with the recommendations of the Cyber Security Framework of RBI. Major implementations are:
- Network Access Control
- Next Generation Firewalls.

## 17.5 PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INITIATIVES

- As part of Enterprise Agreement (EA) with Microsoft, various productivity tools of cloud-based Office Suite O-365 were implemented:
- Microsoft Teams: Enterprise level Video Conferencing facility which is being used for Virtual Training and review conference . Solution is also being used for addressing all the staff of the Bank.

## 18. Credit Cards

18.1 Corp Credit Card : Credit card facilitates the individual clients to make hassle free and risk free payments. In view of the large potential associated with it, the bank has taken steps to expand this portfolio. The bank is predominantly issuing cards to its existing customers. As on 31.03.2020, the bank has issued 75,682 credit cards with an aggregate limit of ₹ 505.51 crores having outstanding balance of ₹ 57.74 crores.

The bank earned total income of ₹18.40 crores and gross profit of ₹ 14.43 crores for 2019-20 under credit cards portfolio. Total of 17.10 lakh POS transactions aggregating to Rs. 406.95 crores were transacted using these cards during the year.

18.2 LIC Co-branded Credit Cards: As on 31.03.2020, the bank has issued 38,815 LIC credit cards with an aggregate limit of ₹ 224.76 crores having outstanding balance of ₹ 8.64 crores.

The bank earned total income of Rs. 2.99 crores and gross profit of ₹ 2.42 crores for 2019-20 under LIC credit cards portfolio. Total of 2.17 lakh POS transactions aggregating to ₹ 54.03 crores were transacted using these cards during the year.

18.3 Credit Card : For customer convenience the bank has introduced tech-savvy services such as auto debit facility, Instant PIN generation, SMS alerts, e-statements, online viewing of credit card details etc. Bank has launched RuPay credit card variants of RuPay Platinum and RuPay Select apart from premium variant of VISA Platinum and VISA Signature cards to cater the needs of Premium and Super Premium customers. All these facilities are expected to help the customers to use the cards efficiently. During the year a total of 5020 complaints (as per Annual Report) were received from credit card customers. All these complaints were resolved to the satisfaction of the customers.

The exercise of identification of NPA in respect of credit card advances is presently being done manually in case the customer opt to pay minimum amount of 5% or more. It is suggested that with the increasing number of credit cards, a system/ software be developed for classification and necessary disclosure.

Details of credit card issued and outstanding as at 31st March, 2020 are as under:

### Credit Card Issued :

| Particulars | Number of Cards as on 31.03.2020 | Issued during current FY | Number of Cards as on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| Corp Cards | 71978 | 3704 | 75682 |
| LIC Cards (New) | 38616 | 199 | 38815 |
| **Total** | **110594** | **3903** | **114497** |

### Credit Card Outstanding :

| Particulars | Outstanding as on 31.03.2020 | NPA as on 31.03.2020* |
|---|---|---|
| Corp Cards | 5574.05 | 0.00 |
| LIC Cards (New) | 864.47 | 0.00 |
| **Total** | **6438.52** | **0.00** |

## 18.4 Delivery Channels

18.4.1 **ATMs**: Automated Teller machines (ATMs) are the most popular alternate channel facilitating customers to access their account for withdrawing cash and for value added services at any time and from anywhere.

In order to closely monitor the ATMs, the bank is having a three layered structure wherein the ATM Mitra/ Branch Manager would ensure monitoring of the ATMs attached to his/her branch, ensure proper housekeeping of the ATM premises and be the first level of escalation in case of downtime, ensure close monitoring of the cash indents and provide ATM fit currency.

The Channel Manager of the Zonal would ensure proper ambience for all ATM locations, liaise with the vendors to ensure uptime as per Service Level Agreement (SLA) and ensure there are no cash outages or device downtime, ensure that downtime

reports are analyzed and proper action is initiated.

The Financial Transaction Switch (FTS) at Bangalore is the nodal center for all ATM related activities and providing MIS on ATMs.

This division coordinates with the Channel Managers and vendors for improvement of uptime, hits at ATMs, closure and relocation of the low hits ATMs and also coordinates with IT Division for supply of new ATM machines and loading of software.

The Bank has 2,623 ATMs as on 31.03.2020. ATMs are a very popular channel of the bank recording about 75 to 80 lakh hits every month.

**Details of ATMs**

| Particulars | As on 31.03.2019 | As on 31.03.2020 | Installed during the year |
|---|---|---|---|
| Owned | 1,285 | 1,998 | 713 |
| DFS(MoF) | 1,730 | 625 | -1,105 |
| **Total** | **3,015** | **2,623** | **-392** |

Number of ATMs have reduced during FY 2019-20 due to closure of low hit ATMs. Bank has upgraded all its Capex ATMs with EMV, Terminal Security Solution (TSS) and Anti skimming device to comply with the RBI security guidelines.

18.4.2 **Debit Cards**: As on 31.03.2020, the total number of outstanding debit cards (all variants) stood at 81.43 lakhs. A total of 13.40 crore transactions were recorded on ATMs, POS Machines & Ecommerce during the year under review and 93,719 complaints were received and resolved.

18.4.3 **e-lobby:** In order to provide banking convenience to customers, the bank is operationalizing e-Lobby. The e-Lobby has self service automation kiosks which include cash deposit machine, cheque deposit machine, self-service passbook printer and an ATM. The machines are user-friendly and can be used at ease by the customers. As of 31.03.2020, the bank has set up 352 Cash Deposit Kiosks, 108 Cheque Deposit Kiosks and 1085 Passbook Kiosks.

18.4.4 **POS Terminals**: As of 31.03.2020, the bank had installed 3,01,195 POS terminals (including mobile POS) at various Merchant Establishments. It includes 2,93,710 POs installed under aggregator model. This value added service has enabled the bank to not only enroll new customers but also retain existing customers. The bank is also sponsoring smaller banks for POS acquisition by acting as settlement banks.

18.4.5 **Mobile Banking**: As on 31.03.2020, the number of total mobile application downloads are 10,38,139.

A total of 1.60 crore transactions were recorded through mobile banking application, during the year under review. During March'20 quarter bank has introduced new features in Mobile banking app through which customers can Book Bus tickets, Flights, Hotels and do Mobile and DTH recharges and This new facility is well received by our customers and about 3,500 transactions per day are recorded.

## 19. Marketing Initiatives

### 19.1 Campaigns

During the financial year 2019-20 the division has conducted two campaigns viz, Jansuraksha II campaign and Tablet Banking Drive. The performance under both the campaigns are shown below.

| Sl No. | Name of the Campaign | Period | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jansuraksha II Campaign | 01.07.2019 to 31.07.2019 | PMSBY - 23,442<br>PMJJBY - 75,873<br>APY - 4668<br>Religare Health Insurance – ₹1 Cr (premium amount) |
| 2 | Tablet Banking Drive | 23.08.2019 to 30.09.2019 | 2983 A/cs |

In addition to the above, all the Marketing Officers have been given with Tablets for opening accounts through Tablet Banking application at customer doorstep/ conveniences. To monitor the performance of Marketing Officers under tablet banking, a minimum target of 100 A/cs per month has been given to individual Marketing Officers. With consistent follow-up with Marketing Officers, we could open 25,734 A/cs through Tablet Banking Application during the financial year 2019-20.

### 19.2 Special focus on Payroll Segment:

Division has given thrust on Payroll Accounts during the FY 2019-20 by giving separate targets to payroll variants. The performance under payroll variants are shown below.

| Performance under Payroll – FY 2019-20 | | | |
|---|---|---|---|
| | **A/cs** | **Balance [in crs]** | **Per A/c bal** |
| CORP PAYROLL - NEW | 1,10,703 | 42 | 3,764 |
| CORP PAY -SUPER | 39,558 | 26 | 6,673 |
| CORP PAY - SIGNATURE | 696 | 5 | 67,892 |
| CORP PAY - ELITE | 9,579 | 33 | 33,990 |
| CORP PAY-DELITE | 3,272 | 41 | 1,26,360 |

**19.3 New Initiatives:**

i. Introduced Daily reporting of Marketing Officers through Microsoft Kaizala.

ii. Added report on Tablet Banking in Microsoft Power Bi.

iii. Daily monitoring of accounts opened through Tablet Banking.

iv. Monthly Performance review of Marketing Officers conducted through Video Conference mode.

v. Procurement of additional tablets for distributing among Marketing Officers.

vi. Flashes on important days/events such as Senior Citizen Day, Sports Day etc.

vii. Tablet Banking Drive for ensuring minimum 100 Account opening through tablets.

viii. Sending Birthday greetings SMS to HNI customers on daily basis.

ix. SMS on retail expos, marketing activities organized at Zonal Level were sent as per the requests received form the zones/branches.

x. Organized Mega Umbrella Camp across the branches on monthly basis.

xi. Online Quiz 'MIND FIZZ' organized for Marketing Officers on various banking and technology products.

xii. Organized Kiosk activity at Big Bazaar during Sabse Saste 5 din campaign (22nd to 26th January 2020) in association with NPCI at Bangalore, Delhi and Kolkata.

xiii. Coordinating with the branches and Insurance companies for the claim settlements. Settlement of claims under Term Life insurance and Personal Accidental Insurance is shown below.

| Insurance Type | Claims settled for the period April 2019 -March 2020 |
|---|---|
| Term Life Insurance | 2.35 Cr |
| Personal Accidental Insurance | 4.50 Cr |

## 20. Customer Service

**20.1 PGRS Complaints:** During the year we have resolved 1967 complaints out of 1975 complaints received through Public Grievance Redressal System and 8 complaints were pending as on 31.03.2020.

**20.2 CPGRAMS Complaints :** During the year, 874 complaints were disposed of in CPGRAMS Web Portal of the Ministry out of 935 complaints and 61 complaints were pending as on 31.03.2020

**20.3 Banking Ombudsman cases:**during the year ended 31.03.2020, 850 Banking Ombudsman cases were filed and 549 Banking ombudsman cases were disposed and 326 cases are pending as on 31.03.2020. During the year the Banking Ombudsman has issued one Award of ₹2,25,000/- against which the Bank has preferred an appeal with the Deputy Governor, RBI, Mumbai

**20.4 RBI / Ministry Complaints :** During the year we have received 10 RBI complaints and all the complaints were resolved, there were no complaints pending as on 31.03.2020.

**20.5 RTI Application and Appeals:** During the year we have disposed of 114 RTI Applications and 28 RTI Appeals. There were no RTI applications and RTI appeals pending as on 31.03.2020.

## 21. Integrated Risk Management System

### 21.1 Basel-III Compliance

21.1.1 Banks and other financial institutions all over the world have become more interconnected than ever as the time zones separating the financial world has shrunk and truly world has become a smaller place. This integration however also means that geo-political risks arising in one part of the globe also affects other part of the world. Thus, with each passing day newer and more complex risks are arising and financial institutions across the world have to continuously enhance and improve their risk management techniques and architecture to address the growing risks. Basel-II and Basel-III accord are aimed at harmonizing the practices adopted by various banks operating across jurisdictions and countries, under a common supervisory framework, thus bringing uniformity in the Risk management practices.

21.1.2 Risk Management is an integral part of Bank's organizational structure and business strategy. Identification, measurement, monitoring and controlling the risks enables the Bank to minimize losses and maximize profits. The major risks faced by the Bank are Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

21.1.3 Our Bank has constituted, three internal committees of executives, namely, Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee/ Asset Liability Management Committee and

Operational Risk Management Committee – for looking after the implementation of Integrated Risk Management system. The Board oversights on Risk Management activities in the Bank is done through Risk Management Committee of the Board.

21.1.4 The Bank has put in place Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess the risks to which it is exposed and has put risk management process in place to manage and mitigate those risks and evaluate the capital adequacy relative to these risks. To enhance risk assessment and to have a better understanding of the likely impact in extreme circumstances, stress testing process is conducted. Stress Testing enables the Banks to identify the vulnerable areas, if any, and to prepare for the same by developing appropriate contingency plans.

21.1.5 Bank has put in place 18 Policies related to Credit, Market, Operational risk and Information Security, which are being reviewed on an annual basis after taking into account the necessary RBI guidelines and internal circulars.

## 21.2 Credit Risk

21.2.1 In the area of credit risk, the Bank has in the year 2006 implemented the rating models applicable for borrowers under commercial loan segment. The rating models are working on web based enterprise wide solution called Risk Assessment Module (RAM). This software, which is currently being used to appraise the borrowers with exposure of ₹25 lakh and above, enables the Bank to assess the ratings while preparing the appraisal notes. This apart, Bank has put in place independent validation by Risk Managers of rating assigned by credit officers. It will also help in creating database for moving over to the IRB approaches of Basel – III for capital computation and Ind AS accounting standards.

21.2.2 The Bank has procured Capital Assessment Module (CAM), used for capital computation of credit risk under standardized approach of Basel-III as prescribed by RBI. The Bank has applied to RBI for migrating to Foundation Internal Rating Based approach (FIRB) under Credit Risk. Presently bank is following Standardised approach for computing capital charge on Credit Risk.

21.2.3 Bank has formulated a Group Credit Policy, which lays down policy guidelines for credit management covering all areas of operations, where credit risk is involved. The policy enables the Bank to enhance its risk management capabilities and thereby improve the performance through steady and healthy growth in credit portfolio. Bank has stipulated prudential limits for exposer to group borrowers, Industry, Sector, Geography by linking them to Bank's Capital. The Board reviews these prudential limits periodically. The Bank has implemented a multi-tier credit approval system wherein the loan proposals are cleared by an "Approval Grid" before being placed to the respective sanctioning authorities.

21.2.4 On-site Credit Audit of borrowal accounts with limit of ₹5 core and above is in place.

21.2.5 Bank has created a separate division for monitoring Stressed assets. The division has two verticals, one for monitoring large exposure of ₹1 crore & above, another for monitoring exposure below ₹1 crore. The division is guiding and supporting the branches and zonal offices for ensuring close follow up of stressed loan accounts under standard category to avoid fresh slippages. A system driven advance warning system for early identification of probable NPAs with probable reasons for slippages is put in place which is an ideal tool for effective monitoring of standard assets/containing fresh slippages.

21.2.6 The Bank has also undertaken Industry Risk Assessment and Portfolio Studies in order to assess the credit risk at the portfolio level, adopt strategies to improve the quality of portfolio and reduce adverse impact of concentration of exposures to certain borrowers or industries.

21.2.7 Study on rating migration of borrowal accounts is undertaken and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

21.2.8 All the issues related to Credit Risk are deliberated in the Credit Risk Management Committee meeting.

## 21.3 Market Risk

21.3.1 Market Risk is the risk of losses in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market prices/variables. The changes will have direct impact on the Bank's earnings and its capital. These changes can have ramifications on Bank's liquidity and profitability.

21.3.2 The Bank has implemented Market Risk Policy for managing the Market Risk in domestic treasury, country risk management and precious metal operations. The policy emphasizes effective measurement, monitoring and management of liquidity, interest rates, domestic treasury operations, foreign exchange and equity as well as commodity price risk of the Bank. The Market Risk in trading book is monitored and managed as per appropriate control mechanism in place. Market position, funding patterns, duration, counterparty limits and various sensitive parameters are closely monitored. Advanced risk management tools such as Value at Risk (VaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOPL) and modified duration limits are used in managing Market Risk.

21.3.3 Bank is following Standardized Duration Approach for computation of capital charge for Market Risk.

## 21.4 Asset Liability Management (ALM)

21.4.1 The ALM function involves planning, directing and controlling the flow, level, mix, cost and yield of various assets and liabilities of the Bank. The primary objective of ALM is not only to eliminate the risk, but to manage it in such a way that the decrease in earnings due to Repricing risk, Yield curve risk and Basis risk is minimal.

21.4.2 As a part of Risk Management and control, the Bank is using ALM system for studying and analyzing the interest rate sensitivity (GAP Analysis), Maturity and Liquidity analysis of Assets and Liabilities. The Bank is measuring the liquidity using the stock and flow approach. Further, models like Earning at Risk and Duration are used for Interest rate risk management. Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on quarterly basis. The Bank applies Value-at-Risk (VaR) to measure the risk in the Trading Book. Asset Liability Management Committee (ALCO) monitors the Liquidity Coverage Ratio (LCR) which promotes short term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) to survive an acute stress scenario over a time horizon of 30 days. The Bank has also implemented a scientifically evolved Internal Transfer Pricing Mechanism by assigning values on basis of current market rates to funds provided and funds used by various Branches/units of the Bank. The Market Risk Management Committee/Asset Liability Management Committee meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

21.4.3 Bucketing of outflows and inflows of deposits, advances and investments: The Bank is bucketing various assets and liabilities in various buckets of Structural Liquidity Statements. The residual maturity breakdown of deposits and various nature of advances, investments are bucketed in terms of RBI guidelines on Asset Liability Management issued from time to time i.e. Bills Purchased and Discounted are bucketed as per their respective maturities, Cash Credit/Overdraft are bucketed as per the behavioural pattern i.e. the volatile portions in Day 1, 2-7 days and 8-14 days and core portion in over 1-3 years bucket, term Loans under respective maturity buckets, NPA: Substandard over 3-5 years, Doubtful and Loss over 5 years bucket. Investments are bucketed as per respective maturity buckets/according to defeasance periods and in terms of ALM guidelines issued by RBI.

21.4.4 Residual Maturity Breakdown of assets as on 31.03.2020

| Maturity Buckets | Cash and Balance with RBI | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | Investments | Advances | Fixed Assets | Other Assets | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Day | 15,955.1 | 522.9 | 149,012.9 | 12,913.4 | - | 17,737.1 | 196,141.3 |
| 2 - 7 Days | 83,786.8 | 3,646.3 | 15,076.6 | 33,584.9 | - | 29,177.4 | 165,272.0 |
| 8 -14 Days | 2,203.4 | 0.0 | 10,781.8 | 18,183.1 | - | 34,303.5 | 65,471.8 |
| 15- 30 Days | 2,640.0 | 7,703.5 | 7,631.3 | 59,034.6 | - | 4,680.1 | 81,689.4 |
| 31 Days – 2 Months | 2,111.2 | 0.0 | 15,613.7 | 12,244.4 | - | 3,705.5 | 33,674.9 |
| >2 Months-3 Months | 2,158.5 | 0.0 | 6,486.4 | 78,578.0 | - | 453.7 | 87,676.7 |
| >3 Months-6 Months | 3,577.5 | 756.7 | 28,619.1 | 46,309.1 | - | 2,973.9 | 82,236.1 |
| >6 Months-1Yr | 9,173.6 | 0.0 | 79,634.0 | 314,328.5 | - | 8,468.8 | 411,604.9 |
| >1Yr-3 Yrs | 10,406.3 | 0.0 | 68,560.4 | 467,180.2 | - | 64,903.1 | 611,049.9 |
| >3 Yrs- 5 Yrs | 2,453.3 | 0.0 | 14,806.2 | 110,219.8 | - | 12,529.7 | 140,009.0 |
| >5 Yrs | 22,986.6 | 0.0 | 268,102.0 | 121,414.6 | 13,794.0 | 6,992.0 | 433,289.2 |
| Total | 157,452.3 | 12,629.3 | 664,324.3 | 1,273,990.5 | 13,794.0 | 185,924.9 | 2,308,115.3 |
| Provision and claims held | | | 11,763.0 | 131,420.5 | - | - | 143,183.5 |
| Gross Investments/ Advances | | | 676,087.4 | 1,405,411.0 | - | - | 2,451,298.8 |

### 21.5 Implementation of Benchmark rates like Base rate and Marginal Cost of fund based lending Rates (MCLR)

21.5.1 Bank is computing the Marginal cost of fund based lending rates, which are tenor based, with effect from April 1, 2016. These rates are reviewed every month.

21.5.2 Bank is reviewing the base rate on quarterly basis.

### 21.6 Operational Risk

21.6.1 Operational Risk is embedded in all business operations and the management of operational risk is an important part of the sound Integrated Risk Management Structure. Due to size, complexity of business and risk philosophy of the Bank, emphasis is being given to impart knowledge at the field level through continuous training process.

21.6.2 The Bank has implemented Operational Risk Management Policy for managing the operational risk in an effective manner. The Bank has also implemented framework documents for Business Line Mapping, Loss Data Capture, Risk Control Self-Assessment (RCSA) and Key Risk Indicator (KRI). At present Bank is calculating capital charge for operational risk under Basic Indicator Approach.

21.6.3 The Bank has rolled out Incident Reporting module in intranet portal where any operational risk incident can be reported by the branches/offices as and when the incident is detected. IRMD is escalating the incident with various stake holders for immediate response and continuously monitoring the action taken by the Functional Divisions/ Branches to resolve the incident.

21.6.4 The Bank has also rolled out Risk & Control Self-Assessment (RCSA) module in intranet portal where employees can suggest controls to improve systems and procedures in the Bank.

21.6.5 All the issues related to operational Risk are deliberated in the Operational Risk Management Committee meeting.

### 21.7 Information / Cyber Security

Corporation Bank is committed to provide safe and secure digital banking experience to its customers. In order to achieve Confidentiality, Integrity and Availability of all Information Assets of the Bank and to ensure that the regulatory, operational and contractual requirements are fulfilled, bank has put in place robust systems and procedure as defined in Bank's Information Security Policy and Information Security Guidelines.

In line with RBI notification on Cyber Security Frame Work in Banks dated 02.06.2016, our Bank is one of the front runner in formulating Cyber Security Policy, which outlines the directives designed to maintain cyber security, and put in place Cyber Crisis Management plan, a coordinated approach towards preparation for rapid identification, information exchange, response and remediation - to mitigate and recover from malicious cyber related incidents impacting critical business functions and processes of the bank

Taking into account the present cyber threat landscape, Bank has upgraded the capabilities of already existing Security Operation Centre (SOC) to an advanced Cyber -SOC, through which Bank's critical IT assets are monitored, assessed, and defended on 24*7 basis.

While the Bank is complying with the directives issued by Reserve Bank of India, from time to time in the area of Information/Cyber security standards, Bank also implements the best practices suggested by organizations like, Indian Computer Emergency Response team(CERT-In),National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC),and Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT). The Bank has also complied with the mandatory guidelines issued by SWIFT

Bank is actively participating in various meetings and forums organized by CERT In, RBI and IDRBT to remain updated in latest security technologies and to continuously upgrade the security posture of the bank.

Bank has procured Cyber Insurance Policy for covering Bank's IT assets from cyber threats.

## 22. Manpower Planning and Recruitment

The main objective of Human Resources Management is to ensure high performance of employees for achievement of organizational goals along with their personal growth. The growth of the Bank depends on the efficiency and effectiveness of its human resources. It has been the endeavor of the Bank that optimum work force is available to all field and functional outlets of the Bank at all times.

22.1 The Bank has been reviewing the requirement of staff in various cadres every year and an analysis of the vacancies in various cadres is being made having regard to growth of business, future branch expansion/rationalisation, attrition on account of resignations, retirements on superannuation/VRS etc. At the end of 31.03.2020, total staff strength of the Bank stood at 18486.

22.2 The guidelines for reservation in employment for specified categories are strictly followed by the Bank as per Govt. Policy on reservations accordingly and the indents are placed to the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), Mumbai. The overall representation of Scheduled Casts / Scheduled Tribe employees in the total staff strength was 29.16% (5391) as on 31.03.2020. The Bank has also a fair representation of other reserved categories. As on 31.03.2020, overall 26.67% (4930) belong to Other Backward Communities, 2.14 % (396) belong to differently abled and 6.95% (1284) belong to Ex-Servicemen category.

## 23. Human Resources Development and Training

Training and development of all Staff Members is a key focus area for the Bank. Training is a major facilitator for the Human Resources of the Bank in achieving the desired business goals of the Bank. Trainings focus on developing key competencies, which are required by individuals to perform their functions effectively. With the banking industry changing dynamically, the role and responsibility of the Bank increases to prepare the work force in tackling the challenges, especially in a situation when the senior experienced Bankers are at the verge of retirement and the new-age young professionals are getting ready to accept the responsibility. The Bank not only has to welcome the new recruits by giving them the basic knowledge about the functioning of industry but also to train them regularly to compensate the difference in experience that the outgoing senior staff members had gained with their long & challenging service records.

During the Financial Year 2019-20, the Bank concentrated on improving the skills of the Human Resources of the Bank based upon their present role and Bank's requirement. Accordingly, a total of 15353 Staff Members were imparted different types of trainings involving 40364 Man-days. The details are mentioned here below :

- **TRAINING PROGRAMMES HELD**

| S.No | Programme Type | Actuals FY 2019-20 |
|---|---|---|
| 1 | In-house | 518 |
| 2 | In-company | 33 |
| 3 | External | 207 |
| 4 | Foreign/ Overseas | 2 |
| **Total** | | **760** |

- **NUMBER OF STAFF TRAINED**

| S.No | Programme Type | Actuals FY 2019-20 |
|---|---|---|
| 1 | In-house | 14071 |
| 2 | In-company | 763 |
| 3 | External | 516 |
| 4 | Foreign/ Overseas | 3 |
| **Total** | | **15353** |

- **NUMBER OF MAN-DAYS UTILISED**

| S.No | Programme Type | Actuals FY 2019-20 |
|---|---|---|
| 1 | In-house | 36575 |
| 2 | In-company | 2377 |
| 3 | External | 1399 |
| 4 | Foreign/ Overseas | 13 |
| **Total** | | **40364** |

Out of the total 15353 Staff members trained by the Bank, 4943 Staff members belong to SC/ST community and 3666 Staff Members belong to OBC community.

## 24. Promotions:

Promotion is a big milestone in the career of every employee. To take care of the aspirations for growth of employees, Bank has been providing optimum opportunities for career progression to the employees to shoulder higher responsibilities. Bank has promoted 1321 employees in FY 2019-20, filling promotional vacancies of 8 General Managers, 23 Deputy General Managers, 49 Assistant General Managers, 117 Chief Managers, 272 Senior Managers, 537 Managers and 251 Assistant Managers and 64 Clerks.

## 25. Inspection & Audit

**25.1** As per the guidelines of the Government of India and RBI, the Bank has adopted the policy of Risk Based Internal Audit (RBIA). This audit lays focus on proper risk identification and assessment, effective risk containment and management measures, adequacy of control systems and procedures, as well as optimum use of resources. It aims at giving an assurance to the Management on the level of regulatory and systemic compliance, besides assisting in accomplishment of corporate governance objectives.

**25.2** In order to have focused attention on internal audit of branches and follow up functions adequately and efficiently, the CAOs, located at important centres across the country, conduct audit and close the audit reports of all branches, other than ELB's.

In terms of the Audit Policy, closure of ELB reports is at IAD-HO. Monthly Circle Audit Committee meetings are held with the CAO's to discuss the critical findings/observations of the audit reports and lodgement of reports.

**25.3** All the Branches of the Bank are subjected to internal inspection so as to contain risk, have effective control mechanism and improve efficiency of operations. Risk based internal audit is conducted once in 12 to 18 months depending upon the inspection risk categorisation of each Branch. The periodicity of branch inspection is decided based on the inspection risk rating, in the previous inspection of the branch. Newly opened branches are subjected to first inspection within 6-9 months from the date of starting the operations. Treasury Branch, Mumbai, Forex DBs, CAPS Branches, Currency Chests, Service Branches, ARMBs, Retail Hubs, LIC Hubs etc. are subjected to annual inspection. 2021 Branches were subjected to Risk Based Internal Audit during the FY 2019-20.

**25.4** Risk Based Snap Audits (RBSA) were conducted for 89 Branches.

**25.5** Management Audit: All the functional Divisions at Head Office, Circle Offices, Zonal Offices & Circle Audit Offices are conducted once in a year. Other Offices such as Capital Market Branch, COBSETI at Chikmagalur, STCs, Lead Bank Offices, CMS Core centres, ATM centres, Credit Card Division, etc. are subjected to Management Audit during the year.

**25.6** In terms of RBI guidelines, Concurrent Audit is carried out at the Branches/Offices identified based on risk perception and volume of business handled. 652 branches covering 71% of total business of the Bank as against RBI's stipulation of 70%, were subjected to Concurrent Audit during the year 2019-20, by engaging the services of external firms of Chartered Accountants. Further, identified HO functional Divisions, FTS Centre at, Bangalore, Treasury Branch at Mumbai (which includes Investments, Precious Metal Cell and Forex Cell) were also subjected to Concurrent Audit. Concurrent Auditors' meet is held every quarter by each Zonal Office and is attended by the Chief of CAO and an Executive from HO (at times through video conference).

**25.7** During 2019-20, Off-Site Audit for 1891 branches was conducted.

**25.8** Special Migration Audit (including MIS data verification) and Special Process Audit of interest posting were conducted by external Auditors during FY 2019-20. The Division has conducted 21 Service Provider Audits, 327 outsourcing audits, 6 locations for SOP compliance audit of DB Management & onsite IT vendor Management. The Division has also conducted IS audits of 18 applications like CBS, FTS, CAPS, NEFT, RTGS, ITMS, UPI infrastructure, SWIFT, Mobile Banking etc. IT Network Audit was conducted at Seven locations of the Bank by external auditors empanelled under CERT-IN.

**25.9** Pre-disbursement Credit audit of borrowal accounts with credit limits ₹50 lakhs & above has been carried out. During 2019-20, 182 pre-disbursement credit audits of ₹5 Crore & above have been conducted by IAD-Head Office.

**25.10** During the financial year 2019-20, seepage of income to the tune of ₹ 35.06 Crore has been detected.

**25.11** The Division has initiated a scheme of recognizing good work of branches in getting the reports lodged well before the stipulated internal time norms. In this regard 158 Branches received Certificates of Commendation signed by Executive Director & 793 Branches received Certificates signed by General Manager-IAD, have been awarded to the Branch Heads. This measure has reduced the number of overdue inspection reports and has resulted in timely rectification of irregularities, which helps to safeguard the interest of the Bank.

**25.12** Various Agenda, as per calendar of reviews, viz., Audit Plan vs. Performance, Major observations of Concurrent Audit Reports, Major inspection and audit findings of ELB's, Seepage of income, Special Reports, Migration Audit, inter-alia, are being placed before the Audit Committee of the Executives & Audit Committee of Board for information & for compliance of directions.

**25.13** The inspectors / field officials are being educated through internal circulars to undertake effective auditing of branches. During the financial year 2019-20, the auditors have also undergone a training at STC, Mangalore, besides a few of them being nominated to external training programmes at reputed institutions.

## 26. Credit Monitoring

26.1 The Bank has created a separate division for monitoring the portfolio of Standard Assets under the independent charge of General Manager. This division has two verticals, one for monitoring large exposures of above Rupees one Crore and another for monitoring exposure below Rupees one Crore. Further, verticals for monitoring of stressed accounts and follow up of NPA accounts headed

by an Executive in the rank of Assistant General Manager/Deputy General Manager set up at all the six Circle Offices. This division is guide to the branches and Zonal Offices by way of various inputs for ensuring close follow up of stressed loan accounts under standard category to avoid fresh slippages. A system driven advance warning software tool for early identification of probable NPAs with reasons for slippages is put in place, which is quite ideal utility for effective monitoring of standard assets/containing fresh slippages. The division also maintains close liaison with Credit Division as well as Zonal Offices/Circle Offices for ensuring that necessary corrective actions for resolution of stress observed in loan accounts and up-gradation thereof is initiated.

## 27. Legal Services

27.1 Legal Services Division of the Bank plays a significant role in the various commercial activities undertaken by the Bank. It has been performing diversified activities such as Scrutiny and approval of legal opinions regarding immovable properties taken as security, Drafting/approval of Bank Guarantees and Counter Guarantees, Advising on invocation of Bank Guarantees and other connected matters, Preparation of case specific documents, Drafting/approval of Plaint/ pleadings and other applications to be filed before various courts, Tribunals / Authorities etc; Advising on the matter relating to various High Court of different States and also on matters relating to Supreme Court, Approval of MOUs/Agreements referred by various Divisions in the Head Office; Advising Branches as to the initiation of necessary steps to recover the dues of the Bank, Advising on SARFAESI matters & advising on Suit filed Accounts, Advising on Legal Audit of loan documents and Periodical Legal Audit of title deeds, Examination & Advising on matters relating to Right to Information Act and disposal of Appeals received from Citizens under the Right to Information Act, Advising on the matters relating to Consumer Forums and various other statutory authorities. Matters pertaining to orders of attachments from Income tax, Sales tax or other authorities are effectively handled. The Division has devised a simplified procedure for settlement of claims relating to deceased depositors. Division also advises Organisation and Methods Division on various documentation aspects and revision/ Updating of Manuals. The Law Officers are regularly and continuously handling various legal matters and offering legal guidance/clarifications to branches/ Zonal Offices/ and Administrative Offices in a time bound manner and take steps to safeguard the interest of the Bank in all its spheres of activities. Division is also handling Empanelment/deletion/ Review of performance of Advocates.

### 27.2 Lok Adalat

Legal Services Division is co-ordinating Lok Adalats in different parts of the Country. During the period 01.04.2019 to 31.03.2020, the division was able to conduct 4 National Lok Adalat and 3 Bank Specific Lok Adalats in different Zones, the particulars of which are furnished as under:

| Details Lok Adalath | No.of accounts referred | Amount involved (₹in crore) | No.of accounts settled | Settled amount (₹in crore) | Cash Recovery (₹in crore) |
|---|---|---|---|---|---|
| July 2019 | 6526 | 134.75 | 527 | 8.34 | 1.94 |
| August 2019 | 1605 | 15.50 | 108 | 1.34 | 0.29 |
| September 2019 | 8124 | 177.24 | 642 | 9.42 | 1.47 |
| October 2019 | 486 | 7.28 | 172 | 1.17 | 0.08 |
| November 2019 | 468 | 6.50 | 70 | 0.48 | 0.06 |
| December 2019 | 8795 | 158.51 | 940 | 10.04 | 2.35 |
| February 2020 | 6372 | 127.36 | 576 | 12.56 | 2.35 |
| **TOTAL** | **32376** | **627.14** | **3035** | **43.35** | **8.54** |

### 27.3 Pre-Disbursement Legal Audit

As per HO Circular No.23/2015 dated 07.01.2015 the cut off limit for conducting Pre-disbursement legal audit is revised upwards to ₹50.00 lakh. All borrowal accounts, both fund based and non-fund based, of the limit of ₹50.00 lakh and above shall be subjected to Pre-disbursement Legal Audit. Pre-disbursement Legal Audit shall be conducted by the empanelled advocates of the Bank. In specific cases, where required, Legal Audit shall be conducted by the Law Officers of the Bank. Branches should ensure that irregularities, if any, pointed out in the Periodical Legal Audit Report are rectified before disbursement of loan.

### 27.4 PERIODICAL LEGAL AUDIT

As per HO Circular No.792/2014 Periodical Legal Audit, i.e. verification of title deeds, with the office of Sub Registrar of Assurance pertaining to immovable properties taken as security for the loans, with limits of ₹5.00 crore and above is required to be conducted once in every 2 years. As per H.O.Circular 652/2019 dated 31.10.2019, the limit for conducting Periodical Legal Audit is reduced to ₹3.00 crore and above.

## 28. The Right to Information Act, 2005

Bank in compliance of Right to Information Act, 2005 has designated Assistant Public Information Officer (APIO), Public Information Officer (PIO) and Appellate Authorities (AA) at Head Office and Public Information Officer and Appellate Authority at each Zonal Office and Circle Office. Name of APIO, PIO and AA are displayed in the Bank's Website with other relevant information as required under RTI Act by Customer Services Division, Head Office. Bank is complying with the provisions of the said Act at all levels and disposing of all the application and appeals within the stipulated time.

## 29. e-NEWSLETTER

Legal Services Division is communicating Flashes on various legal issues through "LSD FLASH".

## 30. CORP NEETI

Legal Services Division has developed a Web Portal named "CORP NEETI" with the mission of making it a single point reference to all legal issues affecting the bank and its business. "CORP NEETI" contains the circulars issued by the Division, list of empanelled advocates, various e-newsletters, important Acts/Rules, etc.

## 31. Security

1. Bank has taken necessary steps in ensuring all Branches and ATMs are 100% compliant on security fixtures. Regular monitoring of health of the CCTV-DV₹installed in Branches/ATMs is done through Facility Management Service established at FTS, Bangalore to reduce the down time. By roster, the DV₹are checked for proper recording etc., and corrective action is taken by service engineers.

## 32. Compliance

32.1 The Bank has a Compliance Division headed by an Executive of the Rank of Deputy General Manager who represents as the Chief Compliance Officer (CCO) of the Bank, as per the directions of the Reserve Bank of India.

32.2 The Compliance Division ensures that the relevant guidelines and instructions from RBI/ IBA/ NABARD/ SEBI/ IRDA/ CVC/ BCSBI etc. are complied in spirit and substance so as to assist the Top Management in managing effectively the compliance risks faced by the Bank. The Division also acts as a single entry/exit point for all regulatory submissions.

32.3 The Compliance Division also ensures dissemination of instructions to the operational departments, assisting them in designing of suitable internal instructions and controls, maintaining liaison with internal and external auditors, etc. The Bank is covered under Risk Based Supervision since 2015-16 under Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). The Compliance Division monitors and ensure compliance by performing sufficient and representative compliance testing.

### 32.4 Risk Based Supervision:

32.4.1 The Risk Based Supervision (RBS) Cell, headed by an Assistant General Manager, is coordinating the conduct of the annual Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) by the RBI. Facilitating smooth conduct of ISE by RBI, ensuring subsequent compliance to the observations of ISE Reports and attending to the periodical queries/issues concerning the Bank as referred by RBI are the primary duties of RBS Cell.

32.4.2 RBS Cell also does co-ordination with the RBI and the functional divisions of the Bank for quarterly monitoring meetings and for submission of monthly data updates to RBI.

32.4.3 During the year, the RBS Cell was delinked from Inspection & Audit Division and brought into the fold of Compliance Division for better synergy of functioning.

## 33. Vigilance Machinery

Vigilance is a vital management tool to increase efficiency and effectiveness of the organisation by preventing untoward incidents/financial loss/frauds/ leakages which affect the productivity and profitability. The roles and responsibilities each functional division of our Bank is well defined and documented for better clarity and effectiveness through the sets of robust standard operating procedures (SOPs). The vigilance functions in the Bank are primarily in the nature of prevention and detection, rather than taking punitive action. The vigilance machinery plays the role of a watchdog so as to ensure that the laid down systems and procedures are not tampered with for any personal gain or benefit.

The vigilance system of Bank emphasizes on taking bonafide decisions as per the norms of the Bank in transparent manner by maintaining absolute integrity. We have viewed bonafide decisions in the right perspective and ensured that natural justice is given to all the rank and file who acted in good faith, with honest intention regardless of the outcome of the action/decision. We have tried to imbibe in our work culture honesty, integrity, transparency and probity so that the trust and faith reposed in us by our customers is honoured.

The Bank has implemented following preventive vigilance initiatives in the Bank :

The Bank has evolved a Preventive Vigilance Mechanism wherein branches have been directed to convene Preventive Vigilance Meetings of staff members every quarter to discuss the preventive vigilance measures taken by the Bank and to all staff members are required to discuss, share information, their work experience so that alertness and awareness is generated throughout the Bank. Periodical Preventive Vigilence visits by Vigilence Officers, Executives from Zonal Office to the branches have been made mandatory.

- The Bank has framed its own "Whistle Blower Policy", the objective of which is to identify any untoward events with the help of the employees and to take timely corrective measures so as to prevent / protect the Bank at the initial stage itself. This mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employees who avail of this mechanism.
- A quarterly newsletter on preventive vigilance called 'Jaagrithi' is being published and circulated amongst all branches/offices of the Bank. The newsletter contains information on vigilance cases comprising fraud and the modus operandi adopted by the fraudsters, which creates awareness among the operational staff members.
- Preventive Vigilance Audit covering high risk prone areas is being conducted at branches by Zonal Office wherein each branch is subjected to audit twice in a year and a report is submitted to Vigilance Division.
- In accordance with the CVC guidelines, the Bank is celebrating "Vigilance Awareness Week" every year during October-November, by conducting various Competitions like Essay Competition, Case Study Competition and Quiz Competition for the staff members of the Bank. As an outreach activity, various Competitions for the College students are also conducted. "Integrity Pledge" is taken by the staff members and "Gram Sabhas" at Villages are organized to create awareness among the public to eradicate corruption and corrupt practices.
- Vigilance consultation mechanism is enhanced by arranging an interactive session, once in a quarter chaired by MD & CEO along with Chief Vigilance Officer and GM –HRM (PAD) for initiating quicker enquiry proceedings/reducing the waiting (action) period to improve the industrial relation climate. This forum acts as a preventive session identifying incipient problems and facilitating prompt intervention/early corrective action.
- E-Learning Portal : In order to encourage and focus on continuous learning by all the employees, Vigilance and Disciplinary related courses are uploaded in the Bank's e-learning portal for effective dissemination of systems and procedures and its implications in the functioning of the field staff.

## 34. IND AS IMPLEMENTATION

Banks in India currently prepare their financial statements as per the guidelines issued by RBI and generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP). In January 2016, the Ministry of Corporate Affairs issued the roadmap for implementation of new Indian Accounting Standards (Ind AS), converged with International Financial Reporting Standards (IFRS), for scheduled commercial banks, insurance companies and non-banking financial companies (NBFCs). Reserve Bank of India (RBI) has advised vide their circular letter dtd. 11.02.2016 that Banks shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards.

Earlier as per RBI direction implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) was deferred by one year pending necessary legislative amendments to the Banking Regulation Act,1949 as also the level of preparedness of many banks.

Now, RBI vide its circular RBI/2018-19/146/DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 has conveyed that the legislative amendments recommended by the Reserve of Bank of India are under consideration of the Government of India. Accordingly, it has been decided to defer the implementation of Ind AS till further notice.

As per RBI directions, Bank has formed Steering Committee for Ind AS implementation. The Steering Committee comprises Executive Director (Head of the Steering Committee) as directed by RBI on 31.10.2017 and General Managers from Financial Management Division, Credit Division, Integrated Risk Management Division, Information Technology Division, Recovery Division, Inspection & Audit Division & Treasury & Investment Division. The Committee oversees the progress of Ind AS implementation in the Bank, and provides guidance on critical aspects of the implementation such as Ind AS technical requirements, systems and processes, business impact, people and project management. The Committee closely reviews progress of the implementation.

As per RBI direction, bank has submitted Proforma Ind-AS quarterly from June 2018 onwards up-to March 2020.

Bank will continue to liaise with RBI and IBA on various aspects pertaining to Ind AS implementation.

**35. Opportunities**

The Bank has pan-India presence with functional units comprising of 2432 Branches and 2623 ATMs spread across the length and breadth of the country with 34 zonal offices and 4 circle offices to oversee its operations.

The increased presence of the Bank's branches in rural and semi-urban areas provides a great opportunity for the Bank for improving its exposure to Agriculture and Priority sector, SME and Retail segment, to register a balanced growth in retail portfolio in tandem with the wholesale business.

A high calibre workforce, better spread of network, unique set of products and services, competitive customer service and an advanced tech savvy environment helped the Bank to get a prime slot in the minds of the people.

Digitalisation of several processes has been the focus area of the Bank in order to give a better customer experience. The Bank has wide range of digital services including, Internet Banking, New Mobile Banking application Corp EASE , SMS Banking, e-Pass book, Tablet banking, etc.

The Bank has rolled out latest, most modern version of Core Banking Solution with Finacle Software. This will help the Bank to meet the ever increasing needs of the customers, expand its business, introduce techno-savvy products & services and secure business of new customers.

**36. Threats**

The economic situation across the globe is becoming volatile. Volatility is the new normal and the banks need to build up capabilities to adapt to these changing macro-economic environments and to find opportunities in uncertain operating environment.

Managing asset quality & resolution of stressed assets is not only critical but also has become the prime focus area for the banking sector to improve and achieve healthy performance levels.

Keeping in view of the future growth requirements, implementation of capital norms, higher provisioning etc., raising of additional capital would be a challenge.

Retirement of experienced hands at the middle and senior management level in the near future needs to be substituted which is critical for translating the top management's strategy into workable action plans.

Banks, like any other industry are exposed to credit, Market and Operational Risks in the day to day operation, thinning of Interest spread affects the profitability structure of the Bank.

Any changes in the regulatory guidelines, policies, provisions by the Government/Regulator etc., may impact the performance of the Bank. Effectiveness of Recovery Management, Asset Liability Management and Risk Management may have its own impact on performance.

Acute competition & entry of new players is likely to affect business growth, margins and profitability.

**37. Road map for the future**

Government of India has notified the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 vide gazztte notification dated March 4, 2020. Accordingly, Corporation Bank and Andhra Bank get amalagamated into Union Bank of India with the effect from 1st April, 2020.

**For and on behalf of the Board of Directors**

**(Rajkiran Rai G)**
**Managing Director & Chief Executive Officer**

Place: Mumbai
Date : 31.07.2020

# REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. **Corporate Governance in the Bank**

The Bank believes that best Corporate Governance practices are critical to enhance and retain investor trust. As a responsible Business entity, the Bank is committed to best Corporate Governance practices based on conscience, openness, fairness, professionalism, transparency by disclosures, compliances, ethical practices etc., towards attaining performance with integrity and accountability, paving the way for enhancing investors' and stakeholders' confidence and thus ensuring long-term success. Governance at Corporation Bank is evolved by not only ensuring compliance with regulatory requirements but also by being responsive and responsible to the needs of stakeholders with rewarding environment. The Bank strives for excellence with the twin objective of enhancing customer satisfaction and stakeholders' value i.e. responsible bank by also following EASE guidelines. Corporation Bank's ethos, evolve with customer and have the shareholder as the focal point.

2. **The Bank's philosophy**

**2.1** The Bank's philosophy is driven by its Corporate Motto – Tag line - 'Sarve Janah Sukhino Bhavantu', that means "Prosperity for all", that which leads to the betterment of the society and economy. The Bank strongly believes that sound corporate governance practices leads to the fulfilment of its goals and attainment of its objectives in a manner that adds value to its image, is beneficial for all the stakeholders in the long run and enhances its ability to secure their confidence. Good Corporate Governance starts at the top and continues down the line consistently. The Board of Directors and the Management take appropriate decisions and guide the Bank in achieving the highest standards of excellence.

3. **Board of Directors**

**3.1** The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended from time to time and read with relevant provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as applicable, and is represented by persons with diversified professional experience. At the end of the year 2019-20 under report, the Board comprises of 7 directors, out of which, 5 are non-executive directors and among themselves 3 are considered as independent directors, including one Woman Independent Director. The Directors, hailing from different strata of society, with diverse professional qualifications including set of skills in the field of Banking Business Management, Finance, Treasury & Forex, Credit, Human Resource Management and Information Technology bring in their rich experience to the Board. 18 meetings of the Board of Directors were held during the financial year under report.

**3.2.** The Board has constituted various committees for specific and focused approach towards some of the important functional areas of the Bank's operations, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank, by also looking into new areas and needs of the Bank's overall Developments. The details of various committees and the total number of meetings held by each committee during the year 2019-20 are as follows:

| Sl. No. | Name of the Committees of the Board | Total No. of Meetings held |
|---|---|---|
| 1. | Management Committee (MC) | 17 |
| 2. | Audit Committee (ACB) | 10 |
| 3. | Departmental Promotion Committee (DPC) | 04 |
| 4. | Stakeholders' Relationship Committee (SRC) | 04 |
| 5. | Information Technology Committee (ITC) | 12 |
| 6. | Risk Management Committee (RMCB) | 09 |
| 7. | Committee to Monitor Large Value Frauds (LVF) | 08 |
| 8. | Share Transfer Committee (STC) | 11 |
| 9. | Customer Service Committee (CSC) | 04 |
| 10. | Nomination and Remuneration Committee (NRC) | 01 |
| 11. | Internal Capital Adequacy Assessment Committee of the Board (ICAAP)* | 04 |
| 12. | Credit Approval Committee (CAC) * | 24 |
| 13. | Human Resources Committee (HRC) | 09 |
| 14. | Recovery Monitoring Committee (RMC) | 07 |
| 15. | Securities Allotment Committee (SAC) | 01 |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | Head Office level Credit Committee* (HLCC) | 22 |
| 17. | Review Committee for Willful Defaulters | 02 |
| 18. | Sub Committee of the Board for Digital Payments Promotion & Business Promotion in Branches' | 02 |
| 19. | Performance Evaluation Committee of the Board (PEC) | 01 |

* In these committees few members are also from Top Executives of the Bank viz., General Managers as per RBI/ Government directive.

**3.3** The details of Committees of the Board are provided in the following pages. The Board and its Committees met at frequent intervals and guided the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

**3.4** The responsibilities such as policy formulation, performance review and analysis and controls are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in consonance with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank, as per the guidelines issued from time to time by Ministry of Finance, Government of India and the Reserve Bank of India.

**3.5** The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.

**3.6 Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2019-20 are as follows :**

**List enclosed**

MD & CEO - Managing Director & Chief Executive Officer appointed by Government of India

ED - Executive Director appointed by Government of India

NED - Non-Executive Director nominated by Government of India/Reserve Bank of India

OD - Officer Employee Director nominated by Government of India

SD - Director elected by Shareholders - Non-Executive Director- Independent Director

CAD - Chartered Accountant Category Director-Independent Director

ID - Independent Director

**3.7** During the year 2019-20, 18 Board Meetings have taken place on the following dates: (Dates in DD-MM-YYYY format)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 17.05.2019 | 30.05.2019 | 29.06.2019 | 02.08.2019 | 03.08.2019 | 23.08.2019 | 16.09.2019 |
| 18.10.2019 | 06.11.2019 | 22.11.2019 | 24.12.2019 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 28.02.2020 | 05.03.2020 |
| 17.03.2020 | 30.03.2020 | | | | | | |

**3.8** None of the Directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a Director. (Only two Committees viz. the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee are considered for this purpose). None of the Director is related to any other Director of the Bank.

**3.9** A brief profile of the Directors as on 31.03.2020 is furnished hereunder.

**3.9.1 Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer:**

Smt. P.V. Bharathi had taken charge as the Managing Director & Chief Executive Officer of Corporation Bank on 1st February, 2019. Prior to assuming the position of Managing Director & Chief Executive Officer, she was Executive Director of Canara Bank.

She is a graduate in Science and is also a Bachelor of Education. She has done her Masters in Arts (Economics). On the professional side as a Banker, she is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers and has done an integrated Course on Banking & Finance from NIBM, Pune.

Smt. Bharathi joined the Banking Industry as an Officer in 1982 in Canara Bank and served in various capacities in Branches & Administrative Offices of the Bank across the length and breadth of the Country and Hong Kong. As a General Manager, she was the Chief Risk Officer of the Bank. She is a seasoned banker with over 38 years of varied experience in handling key responsibilities in Branches, Regional Offices, Circle Offices and

Head Office, covering a vast spectrum of banking operations including HR, Credit Management, Retail Banking, Recovery, Risk Management, Information Technology, Forex Operations, Administration etc.

She was appointed as Executive Director of Canara Bank on 15.09.2016, where she was responsible for many key areas including HR, Corporate Credit, Retail Banking, Credit Monitoring, Recovery, Risk Management, Information and Technology, Audit and Inspection, International Banking, Treasury etc.

She has held various important positions during the course of her career. She was the Bank's nominated member on the IBA's Working Group for Standardization of Procedure for Empanelment of Valuers by Banks. She was on the Board of various subsidiaries of Canara Bank and a Joint Venture - M/s. Commercial Indo Bank LLC, Moscow. Currently, she has been appointed as Scheduled Commercial Banks' (SCBs) nominee Director on the Board of unlisted Company India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India.

She is an eminent speaker and has received accolades at various seminars, conferences, panel discussions organized by Mint, ASSOCHAM, CRISIL, etc.

Smt. Bharathi is known in the industry circle for her result oriented and practical approach, teamwork and quick decision. She has undergone many training programmes at prestigious institutes within and outside the Country. For her achievements in banking career, she has received various awards and accolades, which include **"Jhansi Rani"** award for excellence in Banking, **"Aryabhata International Award of 2017"** for excellence in Banking.

Smt. Bharathi has completed her term on the Board of the Bank on 31.03.2020 on attaining superannuation.

### 3.9.2 Shri Gopal Murli Bhagat, Executive Director (completed his term on the Board of the Bank on 23rd August 2019)

Shri Gopal Murli Bhagat has taken charge as the Executive Director of Corporation Bank on 24th August, 2016. Prior to assuming the position of Executive Director, he was General Manager at Bank of India.

Shri Gopal Murli Bhagat is a Post Graduate, a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and having a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management. He is a seasoned banker with over 34 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Zonal Office and also at the Head Office level. He started his banking career as an Officer in 1984 and rose to become General Manager – Treasury at Bank of India. He was also managing & monitoring the domestic subsidiaries and joint ventures of the Bank. He was also nominee director on the board of some companies.

He has held various important positions during the course of his career in view of his expertise in Retail, Credit, Treasury and International banking at Overseas Centre (Singapore). He is also a Director on the Board of unlisted Company CorpBank Securities Ltd, a wholly owned subsidiary of the Bank.

Shri Bhagat has completed his term of 3 years on 23rd August, 2019 on the Board of the bank.

### 3.9.3 Shri Birupaksha Mishra, Executive Director

Shri Birupaksha Mishra has taken charge as the Executive Director of Corporation Bank on 26th December 2018.

Shri Birupaksha Mishra is a Postgraduate and Certificate Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He joined Central Bank of India as a Probationary Officer in the year 1984 and has an experience of more than 35 years working in various capacities like Branch Head, Region Head, Zone Head, and General Manager Corporate Office. He has worked in various parts of the country and has handled Credit and Credit Monitoring portfolio of the Bank for quite a long time. Last he was heading Central Bank of India's IT Vertical for more than two and half years, prior to appoint as Executive Director of Corporation Bank.

Shri Mishra has been appointed as Executive Director on the Board of amalgamated Union Bank of India, with effect from 01.04.2020.

### 3.9.4 Shri Alok Tiwari, Government Nominee Director (Vice Shri Manish Gupta, Director, who completed his term as Government Nominee Director as on 04th March 2020)

Shri Alok Tiwari has been nominated by the Central Government as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 05th March 2020.

Shri Alok Tiwari is working as Deputy Secretary, Government of India Department of Financial Services, since 15.11.2019. Shri Tiwari born on 23.10.1978, hails from Allahabad. He is a 2007 batch IAS Officer of UP cadre. He pursued his B.tech

Mechanical Engineering from IIT, Kanpur. He has more than 13 years of experience in Government. He holds a Master's degree in Economics from The London School of Economics and Political Science (LSE). He was posted at various levels, as Chief Development Officer, Lucknow, District Magistrate and Collector, Kannauj, Special Secretary to Hon'ble Governor, Uttar Pradesh, District Magistrate and Collector, Mathura, Special Secretary to Govt. of UP, Finance Department, Lucknow, Special Secretary, Govt. of UP., Election Department and Additional Chief Election Officer, Additional Chief Electoral Officer and Special Secretary to Govt. of UP, Election Department and Deputy Secretary to Government of India Cabinet Secretariat, New Delhi, before posting to DFS.

### 3.9.5 Shri P. K. Panda (RBI Nominee Director)

Shri P. K. Panda has been nominated as a Director on the Board of the Bank by the Government of India representing RBI, with effect from 26th April 2019 until further orders.

Shri P. K. Panda was the Principal Chief General Manager of Reserve Bank of India (RBI). He currently holds the position of Senior Program Director of the Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), Mumbai. He was also the Principal of the College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune. He has more than thirty one years of experience in central banking and financial sector supervision at the RBI.

He was a member of the Task Force which drafted the "Good Practice Principles on Supervisory Colleges" for the Standard Implementation Group of the Basel Committee on Banking Supervision, Basel, Switzerland.

He was with International Monetary Fund (IMF) as Resident Advisor Financial Sector Supervision from 2012 to 2015. He was also a RBI nominee Director on the Board of Bank of India during 2011-12. He is also on the Board of unlisted Company Home Credit India Finance Pvt. Ltd.

### 3.9.6 Shri K. Srinivasa Murthy (Chartered Accountant Category Director)

Shri K. Srinivasa Murthy has been nominated as part-time Non-official Director under Chartered Accountant Category on the Board of Directors of the Bank for a period of three years with effect from 27th December 2017.

He is a Chartered Accountant by profession, qualified in the year 1993. He is also a Certified Concurrent Auditor, holds a Diploma in Information Systems Audit and has completed a Certification Course in International Taxation conducted by ICAI.

He has more than two decades of experience in the matters of Income Tax – Domestic as well as International Taxation. He renders advisory, planning and compliance services for corporate and non-corporate entities on Income tax matters. He has extensive experience in representing cases before various authorities.

He has also wide experience in Statutory and Internal Audit of Corporates under the Companies Act, Public Sector Undertakings, Banks, C & AG Audit of Insurance Companies, Trusts, Societies and non-profit organisations, Tax Audits under Income Tax Act, Stock Audits, Concurrent Audits and Internal Audits. He has in depth knowledge of methods, procedures, accounting systems Audit.

During the financial year 2019-20, he had undergone a training Program for Non-Executive Directors on the Boards of Banks at CAFRAL, Mumbai.

### 3.9.7 Shri Pradeep Kumar Jain (Shareholder Director)

Shri Pradeep Kumar Jain, aged 56 years, hails from Mumbai. He is a post graduate in Commerce and Economics & Licentiate-Insurance Institute of India, Part-I, CAIIB. He is presently Executive Director, Investment (Risk Management & Research Department) of Life Insurance Corporation of India and is responsible for directing Risk Management related issues including Enterprise Risk Management. He also looks after research related assignment of various Investee Companies. He is monitoring for compliance to various Investment Related Regulations of IRDAI. He assumed office as Shareholder Director of the Bank effective from 08.09.2017 for a period of three years till 07.09.2020.

Earlier as a Sr. Divisional Manager In-Charge, was responsible for timely finalization and audit of Divisional Accounts. He has also worked on monitoring and controlling both marketing and servicing activities of Insurance Policies including Group Insurance Policies at Divisional/Zonal/ Central Office level.

He is also having experience of working in Regional Rural Bank (RRB) (Sponsor-Canara Bank) and Central Bank of India from January 1981 to November, 1984.

He had undergone Certification Programme in IT & Cyber Security for Board Members at IDRBT, Hyderabad, representing the Bank.

**3.9.8 Ms. Chitra Gouri Lal (Shareholder Director)**

Ms. Chitra Gouri Lal, 69 years of age, hailing from Noida in Uttar Pradesh, is a postgraduate in M.Sc (Fiscal Studies) M.Phil in Social Science, having Masters Diploma in Public Administration and an M.Sc in Physics. She has 39 years of rich experience. She joined the Indian Customs & Central Excise Service in 1974 and rose to the level of Special Secretary to Government of India and Member, Central Board of Excise and Customs, from which post she superannuated in November, 2010. She has had a rich and varied experience at all levels in the Department of Revenue, in the field as well as in the Ministry. She also worked on Central Deputation basis in the Ministry of Commerce, Ministry of Statistics and Planning and Ministry of Agriculture in different capacities, both at the middle, as well as the senior management levels. During her career she received training at the University of Bath, UK which led to a second Masters' degree in Fiscal Studies. She has authored several important reports including one on Modernisation of the Indian Statistical System, another on Restructuring of Group B and C cadres of the Service. She assumed office as shareholder director of the Bank effective from 26.08.2014 for a period of three years till 25.08.2017 and re-elected with effect from 08.09.2017, as shareholder director for a period of three years till 07.09.2020. She is also on the Board of unlisted Companies - M/s Purearth Infrastructure Ltd., as Whole Time Director and as an independent Director on the Board of M/s. Lava International Limited. She has attended a training program on "The making of a high performance Board" in November 2016 at Mumbai.

During the financial year 2019-20, she had undergone a training programme on Women on Boards and in Business Leadership conducted by iFC, Mumbai.

**3.9.9 Shri Manish Gupta (Government Nominee Director) (Completed his term as Government Nominee Director on the Board of the Bank as on 04th March, 2020)**

Shri Manish Gupta has been nominated by the Central Government as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 16th April 2014.

Shri Manish Gupta was working as Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India. Shri Gupta is an IRSEE (Indian Railway Service of Electrical Engineers) officer and has more than 23 years of experience in the Government of India. Previously, he has held various important positions on Indian Railways. He holds a Bachelor's degree from College of Engineering and Technology, New Delhi and a Master's degree in Measurement and Instrumentation (Gold Medalist) from IIT, Roorkee. He has also completed his MBA degree with specialization in Financial Management from National Institute of Financial Management, Faridabad in 2009.

He completed the term as Government Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 04th March 2020.

**3.9.10 Shri M. Bhagavantha Rao (Non-Official Director) (Completed his term as part time Non Official Director on the Board of the Bank as on 29.02.2020)**

Shri M. Bhagavantha Rao, aged 65 years, has been appointed as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of the Bank by the Government of India, for a period of one year with effect from 1st March 2019.

Shri M. Bhagavantha Rao was earlier Managing Director of State Bank of Hyderabad from August 2011 and served till 31st May 2014 i.e the date of his superannuation. He has started his career as a Probationary Officer with State Bank of India in 1977. He also served as General Manager in central office of State Bank of India at Mumbai as well as Principal of State Bank Institute for Rural Development (SBIRD), Hyderabad.

He was also nominated as a Part-time Non-eofficial Director on the Board of Directors of the e-Vijaya Bank by the Government of India, for a period of three years from 28th January 2016 to 27th January 2019. He is also on the Board of unlisted Company - M/s. Sriman Madhwa Sidhantonnahini Permanent Nidhi Limited as a Director.

**3.9.12 Details on Shareholding of Non-Executive Directors as on 31.03.2019**

Apart from holding of 500 Equity Shares by Ms. Chitra Gouri Lal and 100 Equity Shares by Shri Pradeep Kumar Jain, the shareholder Directors, there is no other shareholding by other non-executive directors as on 31.03.2019.

## 4. Committees of the Board

### 4.1 Audit Committee of the Board

The formation and functioning of Audit Committee

of the Board (ACB) is governed by the directives of Reserve Bank of India, guidelines of Ministry of Finance, Government of India and read with Regulations 17 to 27 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable to the Bank. The ACB provides directions and also oversees the operations of the total audit function in the Bank comprising the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India.

Audit Committee reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggests strengthening of control mechanism. As regards external audit, the Committee interacts with Statutory Central Auditors before the finalisation of the annual accounts and reports as well as quarterly financial review, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report, compliance with accounting standards and Stock Exchange/legal requirements.

The Audit Committee of the Board, at present, comprises the following 5 Board members till 31.03.2020. They are Shri Birupaksha Mishra, Executive Director of the Bank, Shri Alok Tiwari, Government of India Nominee Director (since 05.03.2020 vice Shri Manish Gupta) Shri Pramod Kumar Panda ,RBI Nominee Director (Since 26.04.2019), Shri K. Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category director and Shri Pradeep Kumar Jain, Shareholder Director. The Committee is chaired by Shri K. Srinivasa Murthy, CA Category Director. As per Regulations 17 to 27 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri S. K. Dash, Company Secretary, Board Secretariat & Investors Services Department of the Bank is also the Secretary to ACB.

### 4.2 Management Committee

The Management Committee is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended from time to time. The Committee comprises of 4 directors as on 31.03.2020 under report, viz Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & CEO, Shri Birupaksha Mishra, Executive Director, Shri Pramod Kumar Panda (RBI Nominee Director, since 26.04.2019), and Ms. Chitra Gouri Lal (Shareholder Director, since 11.03.2019). The Managing Director & Chief Executive Officer Chairs the Committee Meeting. The Management Committee exercised the powers of the Board in respect of credit proposals above ₹250 crore for single borrower and ₹ 500 crore for group of borrowers, which were beyond the delegated powers of the Credit Approval Committee.

### 4.3 Credit Approval Committee

As per the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Board of the Bank at its meeting held on 01.03.2012, constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee exercises the powers of the Board in respect of any credit proposal where the aggregate exposure shall not exceed ₹ 250 crore. The credit proposals which exceed such limits are being considered by the Management Committee of the Board. In view of the above, the Credit Approval Committee exercises the powers of the Board in respect of credit proposal where the aggregate exposure shall not exceed ₹ 250 crore to single borrower and ₹500 crore for group borrowers. The Committee is also empowered – (i) to consider loan compromise/write-off proposals including early mortality cases involving sacrifice up to ₹1.00 crore and (ii) to approve/modify/permit modification/s in sanction terms in respect of sanctions accorded by the Management Committee of the Board and to modify the terms of sanction accorded by it.

The members of the committee are Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & CEO, Shri Birupaksha Mishra, Executive Director, General Managers in charge of Credit Division, Financial Management Division, General Manager in charge of Risk Management, General Manager/s in charge of the Credit, General Manager in charge of Priority sector lending/ Retail Lending, General Manager in charge of Recovery, only in respect of such compromise/write off proposals and shall present whenever such agendas are placed at the meeting, General Manager in charge of Stressed Asset Management Verticals (SAMV), General Manager in charge of Credit Monitoring Division; (as an invitee). Further to this, as per the directions dated 3rd April, 2012 received from the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Credit Approval Committees have been constituted at Zonal office and Circle office levels with effect from 1st May 2012. These committees

exercise sanctioning powers, which are beyond the delegated lending powers of the Branch Managers, but are within the delegated lending powers of the Executives heading such committees. Proposals which are beyond the delegated lending powers of the General Managers at Circle Office level are being referred to the Head Office level Credit Committee/ Credit Approval Committee of the Board/Management Committee of the Board.

### 4.4 Head office-level Credit Committee:

With a view to ensure smooth and timely decisions on Credit/Recovery proposals, Head Office Level Credit Committee headed by the Executive Director, has been constituted at Head Office of the Bank with effect from 27.06.2013, to consider sanction of credit facilities upto ₹75 crore to a single borrower and upto ₹150 crore to group of borrowers and approve sacrifice amount upto ₹50 lakh for sanction of compromise /write off proposals. The members of the Committee are Shri Birupaksha Mishra, Executive Director, General Manager in charge of Finance, General Manager in charge of Risk Management, General Manager in charge of Credit, General Manager in charge of Priority sector/ Retail Lending, General Manager in charge of Recovery & CAPS shall be present only whenever agendas on compromise/ write off and CAPS proposals respectively are placed at the meeting, General Manager in charge of Stressed Asset Management Verticals (SAMV) and General Manager in charge of Credit Monitoring (As an Invitee). Credit proposals beyond the stipulated credit limits of the Head Office level Credit Committee shall be referred to the Credit Approval Committee of the Board.

### 4.5 Departmental Promotion Committee

The Departmental Promotion Committee comprises of 3 Directors, viz. Smt. P V Bharathi Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Alok Tiwari Government of India nominee Director (since 05.03.2020 vice Shri Manish Gupta) and Shri Pramod Kumar Panda, RBI Nominee Director (since 26.04.2019) as members. The Committee oversees the disciplinary cases in the Bank. The Managing Director & Chief Executive Officer chairs the Committee Meetings.

### 4.6 Stakeholders' Relationship Committee

As per Regulation 20 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a "Stakeholders Relationship Committee" of the Board was constituted under the Chairmanship of a non-executive director and such other members as approved by the Board, to look into the redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee comprises of 4 members viz., Shri Birupaksha Mishra, Executive Director, Shri K Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category director, Shri Pradeep Kumar Jain and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Directors. Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Director, chairs the Committee Meetings. In terms of Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri S. K. Dash, Company Secretary in charge of Board Secretariat and Investor Services Department of the Bank is the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, 716 grievances were received from shareholders. However, as on 31st March, 2020, none of them was pending for redressal. Grievances are normally resolved within a period of seven days, unless further information from the shareholder is required. A table showing Grievances received, disposed off and pending as at the end of the year 2019-20 vis-a-vis 2018-19 is furnished hereunder:

| Nature of Grievances | 2019-20 | | | Pending as on 31.03.18 | 2018-19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Received | Disposed | Pending as on 31.03.20 | | Received | Disposed | Pending as on 31.03.19 |
| Non-receipt of refund/dividend | 245 | 245 | - | - | 169 | 169 | - |
| Non-receipt of share certificate | 05 | 05 | – | – | 53 | 53 | - |
| Non-receipt of share certificate sent for transfer/duplicate | 262 | 262 | – | – | 423 | 423 | - |
| Loss of share certificate | 70 | 70 | – | – | 68 | 68 | - |
| Miscellaneous | - | | – | – | - | - | - |
| Recd. through Stock Exchanges | - | | – | – | 0 | 0 | - |
| Recd. through SEBI, SCORES | - | | – | – | 03 | 03 | - |
| **Total** | 582 | 582 | – | – | 716 | 716 | - |

Though the average time taken for redressal of investor grievances at present is reasonable, to set higher standards in responding to the investor grievances, Bank has been consistently striving for reducing the time lag. Investor grievances received through the SEBI's dedicated website SCORES, have also been redressed electronically, promptly.

### 4.7 Information Technology Committee

To keep pace with the fast changing business dynamics and customer needs, the Bank has been taking up various IT initiatives under the umbrella of e-governance to enhance customer convenience. To guide the Bank for accelerated implementation of these projects and also to explore the possibility of providing innovative technology based products and services that perfectly suit the requirements of the customers; Information Technology Committee has been constituted.

The Committee comprises of 5 members viz., Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Birupaksha Mishra, Shri K. Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category Director, Shri Pradeep Kumar Jain and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Directors, are the members of the Committee. Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank chairs the Committee Meetings.

### 4.8 Risk Management Committee

The Risk Management Committee of the Board was formed to provide adequate checks and balances, transparency and disclosures, robust risk management systems, risk containment procedures, early warning systems and prompt corrective actions to avoid default. As part of recent PSB Governance Reforms - strengthening of Board Committee system vide communication dated 30th August 2019, Government has increased the scope of the Risk Management Committee by including Risk Appetite Framework. The Committee comprises of 5 Directors and is chaired by Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer. The other members of the Committee are Shri Birupaksha Mishra, Executive Director of the Bank, Shri K. Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category Director, Shri Pradeep Kumar Jain and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Directors.

### 4.9 Committee to Monitor Large Value Frauds

With a view to closely monitor frauds involving amounts of Rupees one crore and above, a Committee of the Board to Monitor Large Value Frauds has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee comprises of 5 Board Directors as members and is chaired by Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer, The other members of the Committee are Shri Birupaksha Mishra, Executive Director of the Bank, Shri Alok Tiwari, Government of India Nominee Director(since 05.03.2020 vice Shri Manish Gupta) , Shri K. Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category Director and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Director.

### 4.10 Share Transfer Committee

To meet the requests of the shareholders for transfer of shares, rematerialisation and issuance of duplicate share certificates, a "Share Transfer Committee" of the Board was constituted by the Board of Directors in line with the extant regulations. The Committee comprises of 2 members viz., Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer or in her absence, the Executive Director, Shri Birupaksha Mishra, Executive Director chairs the committee meetings. Shri K. Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category Director, is the other member of the committee.

### 4.11 Customer Service Committee

With a view to safeguard the rights of individual customers and to deliver better customer service, the Bank has constituted the Customer Service Committee of the Board, in line with the directions of the Reserve Bank of India. The committee as on date under report comprises of 4 members. The members are Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer, who chairs the committee meetings, Shri Birupaksha Mishra, Executive Director, Shri Pradeep Kumar Jain, and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Directors.

### 4.12 Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee (Earlier known as Nomination Committee) was re-constituted as part of recent PSB Governance Reforms - strengthening of Board Committee system vide communication dated 30th August 2019 by the Board of the Bank at its meeting held on 16.09.2019 read with the Master guidelines issued by Reserve Bank of India dated 02nd August 2019 and guidelines dated 01-11-2007 read with Section 9(3AA) and Section 9 (3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 to undertake a process of due diligence to determine "fit and proper" status of the existing Shareholder Directors of

the Bank and of those who file Nominations for election as Shareholder Directors of the Bank under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. The committee as on 31.03.2020 comprising of Shri K. Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category Director as the eligible member.

**4.13 Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP Committee)**

The Reserve Bank of India has formulated guidelines in the lines of the new Capital Adequacy framework introduced by Basel II and Basel III which seeks to enhance the Basel I practices with the objective of strengthening the soundness and stability of the Banking system. The objectives of the policy are to ensure management of internal capital in accordance with the RBI Guidelines, Basel Guidelines and overall Corporate Governance Principles, to describe the process for identification, assessment, measurement and aggregation of the risks inherent in the Bank's business and operations, to ensure that the available capital is commensurate with the Bank's risk profile and to ensure that there is clear assignment of roles and responsibilities for facilitating the ICAAP.

The Committee members viz., Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Birupaksha Mishra, Executive Director and Shri K. Srinivasa Murthy Director being the Chairman of the Audit Committee of the Board. The Committee meetings are also attended by, Senior Executives of the Bank as members namely, General Manager in charge of Credit Division, the General Manager, Financial Management Division, the General Manager, Integrated Risk Management Division and the General Manager, Treasury and Investment Department. Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer, chairs the meetings of the Committee.

**4.14 Human Resources Committee**

As per the directives of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi, vide their communication dated 21.03.2012, the Board of the Bank at its meeting held on 26.03.2012, constituted the HR Committee of the Board to provide for interaction between unions/associations and the management.

Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank, Shri Birupaksha Mishra, Executive Director, Shri Alok Tiwari, Government of India Nominee Director (Since 05.03.2020 vice Shri Manish Gupta) and Shri Pramod Kumar Panda, RBI Nominee Director (from 26.04.2019) are the members of the committee. The committee meetings are chaired by Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.

**4.15 Securities Allotment Committee**

To meet the Capital requirement of the Bank under Basel-III, the Bank may have to raise capital by way of issue of shares and/or Bonds, etc., every year, on need based requirement. The Board of the Bank, therefore, constituted a committee on 11th November 2013, called the "Securities Allotment Committee of the Board", to consider the allotment of Equity shares/Bonds in such cases. The committee is of permanent nature and will act as per the directions of the Board. The members of the committee are viz., Shri Birupaksha Mishra - Executive Director of the Bank, Shri K. Srinivasa Murthy, Chartered Accountant Category Director, Shri Pradeep Kumar Jain and Ms. Chitra Gouri Lal, Shareholder Directors are the members of the Committee. The committee meetings were chaired by Shri Birupaksha Mishra, Executive Director during the year under report.

**4.16 Recovery Monitoring Committee**

In order to have a robust monitoring mechanism for recovery, the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi, vide their communication dated 21.11.2012, advised to constitute a Committee of the Board for Monitoring the progress in Recovery on a regular basis and to submit its report to the Board on a monthly basis. The constitution of the committee was approved by the Board in its meeting held on 26.11.2012. The committee comprises of 3 Directors as members viz., Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Birupaksha Mishra, Executive Director and Shri Alok Tiwari, Government Nominee Director (Since 05.03.2020 vice Shri Manish Gupta). The meetings of the committee are chaired by Smt. P.V. Bharathi, Managing Director & Chief Executive Officer.

**4.17 Review Committee for Wilful Defaulters**

As per the directions of Reserve Bank of India to put in place a transparent mechanism for classifying borrowers as Wilful Defaulters, this Committee was formed to review the orders of the executive committee that identifies wilful defaulters, vide Board Minute No. 75 dated 25.06.2015. The Committee

comprises 3 members namely, Smt. P.V. Bharathi, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri K. Srinivasa Murthy, (Chartered Accountant Category Director) and Shri Pradeep Kumar Jain (Shareholder Director).

**4.18 Sub Committee of the Board for Digital Payments Promotion & Business Promotion in Branches**

The name of Sub Committee of the Board to monitor the Business Growth of Newly Opened Branches got amended vide Board minute no. 33 dated 11.09.2017 as Sub Committee of the Board for Digital Payments Promotion & Business Promotion in Branches with inclusion of Promotion of Digital Payments function of the Committee as Government of India has directed vide its communication dated 05.07.2017 that the Board of the Bank should have such committee. Hence apart from the review of the performance of newly opened branches and to monitor the growth of CASA, this Sub Committee will also review Promotion of Digital Payments as well as matters related to Cyber Security Policies as Govt. of India nominated Director is also a member of this committee vide Board minute no. 37 dated 29.06.2018. The Committee comprises of 3 members namely, Shri Alok Tiwari, Government Nominee Director (Since 05.03.2020 vice Shri Manish Gupta), Shri Pradeep Kumar Jain, Director and Ms. Chitra Gouri Lal, Director. The Committee meetings were chaired by the Government Nominee Director.

**4.19 Performance Evaluation Committee of the Board**

The Performance Evaluation Committee of the Board was formed in terms of Ministry of Finance guidelines vide their communication F.No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 and F.No. *9/512009-IR* dated 14.11.2019 for recording of Annual Performance Appraisal Reports (APARs) of Managing Director and CEOs, Executive Directors and General Managers of nationalised banks for the financial year 2019-20 vide Board Minute No. 20 dated 24.12.2019. . The Committee comprises of 3 members namely, Shri Alok Tiwari, Government Nominee Director (Since 05.03.2020 vice Shri Manish Gupta), Shri K Srinivasa Murthy, Director being the Chairman of Audit Committee of the Board and Ms. Chitra Gouri Lal, Director, as longest serving Shareholder Director on the Board of the Bank.

**4.20 Other Committees:**

The Board also formed other Sub-committees of the Board namely (i) Review Committee for Non-Cooperative Borrowers, (ii) Committee to consider voting for shareholder Director, (iii) Committee for Selection of Business/Management/Operational Consultant, (iv) Committee to Review the Appraisal report of General Managers (APAR Committee), (v) Appeal Committee to review the appeal against the Regular Departmental Action for major penalty for General Managers, (Appeal Committee Re-constituted vide Board Minute No. 18 dated 30.05.2019) and (vi) A Special Committee is also formed to look into the matters of compulsory Retirements of Officers who completed the service of 30 years and above. The Frequency of these committee Meetings is on need basis.

**5. Remuneration to Directors**

5.1 Only sitting fees as prescribed by the Government of India for attending Board and Committee meetings are paid to the non-executive and non-executive independent directors except Government of India nominee director and RBI Nominee Director.

5.2 The details of remuneration paid to the whole-time Directors of the Bank i.e. Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Director as per terms and conditions of appointment fixed and Performance linked incentive Scheme framed by the Central Government, i.e. for the year 2019-20 is furnished hereunder :

(in ₹)

| Particulars | Smt. P V Bharathi MD & CEO | Shri Gopal Murli Bhagat, ex. ED | Shri Birupaksha Mishra, ED |
|---|---|---|---|
| Salary | 1,77,67,503.28 | 1,20,76,949.10 | 25,48,674.00 |
| Contribution to PF | 2,52,060.00 | 91,614.00 | 2,20,170.00 |
| Perquisite value on Employee Stock Option | NIL | NIL | NIL |
| Performance Linked Incentive | NIL | NIL | NIL |
| Total | 1,80,19,563.28 | 1,21,68,563.10 | 27,68,844.00 |

**6.** In terms of the Regulations 17 to 27 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**,** a Certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2018-19 and the same is annexed to this report.

**7. General Meetings**

**7.1** In terms of the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,

1980, the shareholders at the Annual General Meeting are entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss account, the report of the Board of Directors and the Auditors' Report.

**7.2 Particulars of past three Annual General Meetings:**

| Financial Year | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| Date & Time of the AGM | 28.06.2017 Time 10.30 a.m. | 29.06.2018 Time 10.30 a.m. | 29.06.2019 Time 10.30 a.m. |
| Venue | Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore | Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore | Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore |
| Special Resolutions passed | One | One | One |

**7.3 Extraordinary General Meeting:**

Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank was not held during FY2019-20.

No postal ballot was conducted for passing the special resolutions.

**7.4 CEO & CFO Certificate**

The compliance certificate of CEO & CFO under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to the Corporate Governance Report.

**8. Material Disclosures**

**8.1** Material, financial and commercial transactions of the management (defined as 'Board of Directors'), where they have personal interest, that may have a potential conflict with the interest of the bank at large have been reported to the Board from time to time.

**8.2** The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and as such not been penalised or imposed with strictures by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during the last three years. No personnel has been denied access to Audit Committee of the Board. The Bank conducted the Annual General Meeting within the statutory time frame in 2019-20.

The bank has followed the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable to a Public Sector Bank.

**9. Mandatory and non-mandatory requirements**

**9.1** Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Regulations 17 to 27 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

**9.2** The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder:

| | Requirement | Compliance |
|---|---|---|
| 9.2.1 | **The Board** - A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the Bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. | Not applicable to the Bank. |
| 9.2.2 | **Shareholder Rights-** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders. | It has been uploaded in the website of the Bank www.corpbank.com as well as website of Stock Exchanges – www.bseindia.com, www.nseindia.com and also published in the newspapers including full Balance Sheet annually once. |
| 9.2.3 | **Modified opinion(s) in Audit Report** – Bank may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. | The Management endeavours to confirm to the guidelines. The Audit Report on Financial Statements for 2019-20 has unmodified audit opinion. |
| 9.2.4 | **Reporting of Internal Auditor** – The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee of the Board (ACB) | All important inspection and audit findings are placed before the Audit Committee of the Board for information and suitable directions. The directions of ACB are promptly complied with and feedback reports are submitted to ACB till its logical ends. |

## 10. Code of Conduct

The Board framed Code of Conduct on 17.12.2005. It is hereby affirmed that Board members and General Managers of the Bank have complied with this requirement on Annual basis. A declaration to this effect is attached at the end of this report.

## 11. Means of Communication

**11.1** Quarterly financial results are submitted within the time frame, to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed. Further, the quarterly financial results are also published in at least one national newspaper and one regional language newspaper based at Mangaluru.

During the year 2019-20, the quarterly financial results were published in the newspapers as under:

| Quarter ended/ Date of Board Meeting | Name of the English/ Regional daily | Date of Publication |
|---|---|---|
| March 2019/17.05.2019 | Udayavani, Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) | 18.05.2019 |
| June 2019/ 03.08.2019 | Udayavani, Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) | 04.08.2019 and 05.08.2019 |
| September 2019 / 06.11.2019 | Udayavani, Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) | 07.11.2019 |
| December 2019 / 07.02.2020 | Vijayavani, Business Line (English), Times of India (English), Financial Express and Jansatta (Hindi) | 08.02.2020 |

**11.2** The financial results, press releases issued by the Bank, presentation made to analysts, general shareholder information, market price data and shareholding pattern etc. are also put on the website of the Bank (www.corpbank.com).

**11.3** A brief resume of the Directors nominated/appointed during the year 2019-20 and the existing Directors is appended in this report under para No. 3.9.

## 12. General Shareholder Information

**12.1** Particulars of Annual General Meeting: NA

### 12.2 Stock Exchanges listed & stock code:

| Sl. No. | Stock Exchange | Stock Code | Wholesale Debt Listing Code |
|---|---|---|---|
| 1. | BSE Ltd., 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI - 400 001 | 532179 | NIL (not Listed) |
| 2. | National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI – 400 051 | CORP BANK | Security Type: BB Security : CORB |

The Listing Fee for the financial year 2019-20, for Equity Listing, has already been remitted to the above Stock Exchanges and also the Debt Listing Fee remitted to National Stock Exchange of India Ltd., on 26.04.2019.

**12.3** The financial calendar of the Bank is from 1st April to 31st March, comprising 12 months period.

### 12.3.1 Financial performance is as under:

(₹in lakhs)

| Sl. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Year Ended | | Year Ended | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 (Audited) | 31.12.2019 (Reviewed) | 31.03.2019 (Audited) | 31.03.2020 (Audited) | 31.03.2019 (Audited) | 31.03.2020 (Audited) Consolidated | 31.03.2019 (Audited) Consolidated |
| 1 | Interest earned (a)+(b)+(c)+(d) | 402533.47 | 415243.65 | 364337.13 | 1617057.94 | 1562263.03 | 1617058.88 | 1562265.40 |
| | (a) Interest / Discount on Advances / Bills | 260769.73 | 275963.56 | 253823.59 | 1072146.80 | 1099259.45 | 1072147.74 | 1099261.82 |
| | (b) Income on Investments | 116904.30 | 109631.70 | 99764.51 | 444307.04 | 412020.01 | 444307.04 | 412020.01 |
| | (c )Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds | 151.11 | 603.67 | 885.93 | 1788.73 | 2285.31 | 1788.73 | 2285.31 |
| | (d) Others | 24708.33 | 29044.72 | 9863.10 | 98815.37 | 48698.26 | 98815.37 | 48698.26 |
| 2 | Other Income | 71390.37 | 189724.20 | 54428.45 | 374919.96 | 187206.87 | 375013.41 | 188143.59 |
| 3 | TOTAL INCOME (1+2) | 473923.84 | 604967.85 | 418765.58 | 1991977.90 | 1749469.90 | 1992072.29 | 1750408.99 |
| 4 | Interest Expended | 280542.02 | 277697.59 | 245974.91 | 1094209.52 | 1011416.60 | 1094141.96 | 1011391.23 |

| Sl. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Year Ended | | Year Ended | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 (Audited) | 31.12.2019 (Reviewed) | 31.03.2019 (Audited) | 31.03.2020 (Audited) | 31.03.2019 (Audited) | 31.03.2020 (Audited) Consolidated | 31.03.2019 (Audited) Consolidated |
| 5 | Operating Expenses (i ) + (ii) | 203792.13 | 123749.51 | 103413.81 | 517519.16 | 348606.81 | 517628.06 | 348702.71 |
| | (i) Employees cost | 154389.88 | 79034.30 | 48572.30 | 337269.98 | 174694.71 | 337335.69 | 174747.00 |
| | (ii) Other Operating Expenses | 49402.25 | 44715.21 | 54841.51 | 180249.18 | 173912.10 | 180292.37 | 173955.71 |
| | All items exceeding 10% of the total expenditure excluding interest expenditure may be shown separately) | | | | | | | |
| 6 | TOTAL EXPENDITURE (4+5) Excluding Provisions and contingencies) | 484334.15 | 401447.10 | 349388.72 | 1611728.68 | 1360023.41 | 1611770.02 | 1360093.94 |
| 7 | Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6) | -10410.31 | 203520.75 | 69376.86 | 380249.22 | 389446.49 | 380302.27 | 390315.05 |
| 8 | Provisions (other than tax ) and Contingencies | 71659.51 | 131257.34 | 876777.29 | 354815.84 | 1194315.02 | 355250.70 | 1194315.02 |
| | Of which provisions for Non-performing Assets | 60506.04 | 130035.12 | 850587.16 | 327948.87 | 1158513.72 | 327948.87 | 1158513.72 |
| 9 | Exceptional items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities before tax (7-8-9) | -82069.82 | 72263.41 | -807400.43 | 25433.38 | -804868.53 | 25051.57 | -803999.97 |
| 11 | Tax Expense | 222461.23 | 30195.74 | -149251.24 | 264592.77 | -171570.23 | 264592.77 | -171470.08 |
| 12 | Net Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities after tax (10-11) | -304531.05 | 42067.67 | -658149.19 | -239159.39 | -633298.30 | -239541.20 | -632529.89 |
| 13 | Extraordinary items (net of tax expense) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Net Profit (+)/Loss (-) for the period (12-13) | -304531.05 | 42067.67 | -658149.19 | -239159.39 | -633298.30 | -239541.20 | -632529.89 |
| 15 | Paid-up equity share capital (Face value of the Share is ₹ 2) | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 | 119883.68 |
| 16 | Reserves excluding revaluation reserves (as per balance sheet of previous accounting year) | 1167216.19 | 0 | 1446384.50 | 1167216.19 | 1446384.50 | 1171799.42 | 1451349.56 |
| 17 | Analytical Ratios | | | | | | | |
| | (i) Percentage of shares held by Government of India | 9.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% |
| | (ii) Capital Adequacy Ratio | - | - | | - | | - | |
| | Basel III | 11.53% | 13.80% | 12.30% | 11.53% | 12.30% | NA | NA |
| | Tier I | 9.04% | 11.42% | 10.52% | 9.04% | 10.52% | NA | NA |
| | Tier II | 2.49% | 2.38% | 1.78% | 2.49% | 1.78% | NA | NA |
| | (iii) Earning Per Share (EPS) (in ₹) | - | - | | - | | - | |
| | a) Basic and diluted EPS before Extraordinary items (net of tax expense) for the period, for the year to date and for the previous year ( Not annualised) | -5.08 | 70 | -25.27 | -3.99 | -30.06 | -4.00 | -30.03 |
| | b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items for the period, for the year to date and for the previous year (not annualised) | -5.08 | 70 | -25.27 | -3.99 | -30.06 | -4.00 | -30.03 |
| | (iv) NPA Ratios | - | - | | - | | - | |
| | (a) Gross NPA | 1939901.82 | 1955716.36 | 2072367.87 | 1939901.81 | 2072367.87 | NA | NA |
| | (b) Net NPA | 625697.13 | 632181.33 | 692663.86 | 625697.13 | 692663.86 | NA | NA |

| Sl. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Year Ended | | Year Ended | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 (Audited) | 31.12.2019 (Reviewed) | 31.03.2019 (Audited) | 31.03.2020 (Audited) | 31.03.2019 (Audited) | 31.03.2020 (Audited) Consolidated | 31.03.2019 (Audited) Consolidated |
| | (c ) % of Gross NPA | 13.80% | 14.80% | 15.35 | 13.80 | 15.35 | NA | NA |
| | (d) % of Net NPA | 4.91% | 5.32% | 5.71 | 4.91 | 5.71 | NA | NA |
| | (v) Return on Assets (annualised) | -5.41% | 77% | -13.02 | -1.13 | -3.14 | NA | NA |
| 18 | Public Shareholding | | | | | | | |
| | Number of Shares (in lakhs) | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 | 3893.84 |
| | Percentage of Share Holding | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
| 19 | Promoters and Promoter Group Shareholding | | | | | | | |
| | (a) Pledged/ Encumbered | | | | | | | |
| | Number of Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Percentage of Shares ( as a % of the total shareholding of promoter and promoter group) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (b) Non-encumbered | | | | | | | |
| | Number of Shares (in lakhs) | 59941.84 | 59941.84 | 59941.84 | 59941.84 | 59941.84 | 59941.84 | 59941.84 |
| | Percentage of Shares ( as a % of the total shareholding of promoter and promoter group) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company) | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% |

Consolidated financial statement is inclusive of the wholly owned subsidiary of the Bank, namely, CorpBank Securities Ltd.

**12.4** Stock Market Data - The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and the BSE Ltd., – Mumbai during the financial year 2019-20 are as follows:

| Month | NSE | | | BSE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | High (₹) | Low (₹) | Volume (Nos.) during the month | High (₹) | Low (₹) | Volume (Nos.) during the month |
| APRIL | 29.85 | 27.40 | 8806090 | 29.95 | 27.30 | 588089 |
| MAY | 27.00 | 24.05 | 4197317 | 27.15 | 24.05 | 616728 |
| JUNE | 25.30 | 22.60 | 4585213 | 25.30 | 22.60 | 323899 |
| JULY | 28.35 | 22.65 | 8677496 | 28.35 | 22.65 | 835538 |
| AUGUST | 22.15 | 17.20 | 6008229 | 22.15 | 17.30 | 500118 |
| SEPTEMBER | 18.30 | 15.10 | 8068841 | 18.30 | 15.10 | 588183 |
| OCTOBER | 16.30 | 13.75 | 3904460 | 16.25 | 13.75 | 1886057 |
| NOVEMBER | 27.65 | 15.75 | 71836110 | 27.70 | 15.70 | 7442473 |
| DECEMBER | 26.30 | 23.40 | 38625284 | 26.35 | 23.35 | 3377601 |
| JANUARY | 26.20 | 22.25 | 13439088 | | | |
| FEBRUARY | 27.20 | 16.30 | 18289240 | | | |
| MARCH | 19.35 | 9.50 | 16345642 | | | |

### 12.5 Per Share Data

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Face Value (₹) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Market quotation as on 31st March (₹) | 38.95 | 52.65 | 30.65 | 28.75 | 9.80# |
| Earning Per Share of ₹2 each (₹) | -5.48 | 5.17 | -35.30 | -30.06 | -3.99 |
| Dividend per share of ₹10 each (₹)<br>Dividend per share of ₹2 each on split | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Book Value (₹) | 110.94* | 110.82* | 65.12* | 27.63* | 22.94* |
| Dividend payout (%) | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |

** The Face value of the equity share was split from ₹10/- to ₹2/- effective from 22.01.2015.
* on Equity share of ₹2/- each
# Market quotation of FY2019-20 is of 19.03.2020 (last trading day at stock exchange due to proposed amalgamation of the Bank with Union Bank of India w.e.f. 01.04.2020).

### 12.6 Share Transfer Agent

M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.) (formerly known as Karvy Fintech Pvt. Ltd), Hyderabad is the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, to whom communications regarding change of address, change in Bank Mandate, NACH Mandate (in case of shares in physical mode), transfer of shares, etc. could be addressed. The address of Share Transfer Agent is as under:

M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.
Unit: Corporation Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
(Tel: 040-67162222: Fax: 040-23001153)
Toll Free No. 1-800-3454-001
(E-mail: einward.ris@karvy.com )

### 12.7 Share Transfer System

12.7.1 With effect from 27th March, 2004, a Share Transfer Committee of the Board of Directors was constituted with powers to deal with all matters pertaining to equity shares of the Bank. The Committee had been meeting at frequent intervals for effecting speedy transfer of shares, issuance of duplicate share certificates and re-materialisation and is responsible for submission of information in this regard to the Board. The Share Transfers were approved by the Committee 11 times in the Share Transfer Committee Meetings and on 8 occasions through circular resolutions, during the year 2019-20.

12.7.2 Number of share transfers effected during the year 2019-20 was 24505 and the pendency of share transfers as at 31st March, 2020 was NIL.

12.7.3 **Permanent Account Number (PAN) :** As per SEBI directive, submission of PAN by the Transferee/s, are followed for effecting following transactions of Physical shares:-Transfer of Shares, Deletion of name of the deceased shareholder/s, Transmission of shares to the legal heir/s and Transposition of shares- when there is a change in the order of names, etc.

#### 12.7.4 Green Initiative in Corporate Governance

As part of the Green initiative in Corporate Governance, the Bank has been sending all communications and documents such as Notices of AGM and other General Meetings, explanatory statements thereto, Annual Reports, Balance Sheets, Directors' Reports, Auditors Report and other shareholder communications including intimation regarding noting of Change of Address, intimation of payment of Dividend through NACH, intimation of Transfer of Shares etc., in electronic form to the e-mail address registered by the shareholders either with the Bank or with the Depositories as the case may be. **Shareholders are hereby requested to register/update their email ids with their Depository Participants (DPs) or M/s KFin Technologies Pvt. Ltd., the Registrar of the Bank, as the case may be, at the earliest, to enable the Bank to be a part of this green initiative.**

Shareholders who have not provided/updated their email addresses and/or expressed their desire/request to receive the above shareholder communications in printed copies (hard copies) instead of in electronic mode, shall be sent the communications/notices and other documents, as mentioned above, in hard copies only. It is also ensured to send hard copies of the Annual Reports to such of the shareholders in whose case the soft copies of the Annual Reports sent by email have bounced back.

Shareholders are also requested to communicate/ update their contact details like phone/mobile numbers to/with their depository participant/ registrar of the Bank, to enable the Bank to contact them in case of need.

## 12.8 Distribution of Shareholding

12.8.1 Distribution of shareholding as on 31.03.2019 vis-à-vis position as at 31.03.2018 :

| Holding Equity Shares | As on 31.03.2020 (Face Value ₹2/-) | | | | As on 31.03.2019 (Face Value ₹2/-) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. of share holders | % to total | No. of shares | % to total | No. of share - holders | % to total | No. of shares | % to total |
| Upto 5000 | 93,467 | 94.43 | 5,46,64,923 | 0.91 | 80778 | 89.68 | 35218860 | 0.59 |
| 5001 to 10000 | 4,531 | 4.58 | 3,96,59,154 | 0.66 | 3697 | 4.10 | 15141227 | 0.25 |
| 10001 to 20000 | 663 | 0.67 | 82,40,237 | 0.14 | 4602 | 5.11 | 40527685 | 0.68 |
| 20001 to 30000 | 113 | 0.11 | 28,60,837 | 0.05 | 548 | 0.61 | 6139573 | 0.10 |
| 30001 to 40000 | 49 | 0.05 | 17,35,940 | 0.03 | 115 | 0.13 | 2048291 | 0.03 |
| 40001 to 50000 | 34 | 0.03 | 15,32,553 | 0.02 | 75 | 0.08 | 1703731 | 0.03 |
| 50001 to 100000 | 58 | 0.06 | 41,41,174 | 0.07 | 125 | 0.14 | 4308152 | 0.07 |
| 100001 & above | 64 | 0.07 | 5,88,13,49,216 | 98.12 | 131 | 0.15 | 5889096515 | 98.25 |
| **TOTAL** | **98,979** | **100.00** | **599,41,84,034** | **100.00** | **90071** | **100.00** | **5994184034** | **100.00** |

### 12.8.2 Shareholding Pattern as on 31.03.2020

| Sl. No. | Category of Shareholders | No. of shares held | | | % to total holding |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Physical | Demat | Total | |
| 1. | President of India | 0 | 5604799271 | 5604799271 | 93.50 |
| 2. | LIC of India | 0 | 216948648 | 216948648 | 3.62 |
| 3. | Indian Financial Institutions | 0 | 9033695 | 9033695 | 0.15 |
| 4. | Mutual Funds & UTI | 500 | 21162825 | 21163325 | 0.35 |
| 5. | Bodies Corporate (ICBs) | 60500 | 6820090 | 6880590 | 0.12 |
| 6. | Banks | 1000 | 599846 | 600846 | 0.01 |
| 7. | Foreign Institutional Investors | 5500 | 20655700 | 20661200 | 0.35 |
| 8. | OCBs | 25500 | 0 | 25500 | 0.00 |
| 9. | NRIs | 294500 | 2308157 | 2602657 | 0.04 |
| 10. | Resident Individuals | 2620712 | 108847590 | 111468302 | 1.86 |
| | **TOTAL** | **3008212** | **5991175822** | **5994184034** | **100** |

**12.8.3** The total foreign shareholding (NRIs, OCBs and FIIs) as at 31st March, 2020 was **0.39%** which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

| Sl. No. | Category | As on 31.03.2020 (Face Value ₹ 2/-) | | As on 31.03.2019 (Face Value ₹ 2/-) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of shares | % to total capital | No. of shares | % to total capital |
| 1. | Foreign Institutional Investors | 2,06,61,200 | 0.35 | 18127737 | 0.30 |
| 2. | OCBs | 25,500 | 0.00 | 25500 | 0.00 |
| 3. | NRIs | 26,02,657 | 0.04 | 2994680 | 0.05 |
| | **TOTAL** | **2,32,89,357** | **0.39** | **21147917** | **0.35** |

**12.8.4** Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2020

| Sl. No. | Category of Shareholders | No. of shares held | % to total holding |
|---|---|---|---|
| 1. | President Of India | 5604799271 | 93.50 |
| 2. | Life Insurance Corporation of India (including its Associates) | 216948648 | 3.62 |
| 3. | HDFC Trustee Company Ltd. A/c HDFC Balanced Advantage Fund | 19309833 | 0.32 |
| 4 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 5655429 | 0.09 |
| 5. | General Insurance Corporation of India | 5298050 | 0.09 |

**12.8.5 Status of Shares lying in CorpBank Unclaimed Shares Suspense Account as on 31st March 2020:**

| No. of Shareholders | No. of Shares |
|---|---|
| 30 | 19000 |

**12.8.6 Status of Shares lying in CorpBank ESPS 2018 Unclaimed Shares Suspense Account as on 31st March 2020:**

| No. of Shareholders | No. of Shares |
|---|---|
| 16 | 16350 |

## 12.9 Dematerialisation of shares and liquidity

12.9.1 As per Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular SMDRP/POLICY/CIR-03/99 dated February 4, 1999, delivery of the Bank's shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors effective from May 31, 1999. The Bank's shares are therefore, compulsorily traded in demat form. As an issuer, the Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd., for dematerialisation of shares. The ISIN Code allotted to the Bank's Equity Shares is INE112A01023.

**12.9.2 As on 31st March 2020, 99.95% of equity shares held by the public (including Government of India i.e. Promoter) are in demat form.**

12.10 The details of the dividend declared by the Bank during the past three years are as under:

| Year | Amount of Dividend per Share of ₹2/-each | Record Date/ Book Closure Dates for this purpose | Dividend payment date |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | Nil | - | - |
| 2017-18 | Nil | - | - |
| 2018-19 | Nil | - | - |

12.10.1 **Unclaimed Dividends:** Shareholders who have not received the dividend for the earlier years (before 2015-16) may please contact Investor Services Department of the Bank or M/s KFin Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad, for assistance.

12.10.2 During the year, balances in respect of the following two unclaimed dividend accounts which fell due for transfer to the Investor Education Protection Fund (IEPF) account of Government of India, has been transferred to the said account held with Punjab National Bank, New Delhi-Connaught Circus Branch on the dates mentioned against them, as per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with Section 125 of the Companies Act, 2013, and as per the relevant rules made applicable thereunder to the Bank.

| Sl. NO. | Details of Unpaid Dividend Accounts | CA A/c. No. | Date of Declaration | Balance as on date of transfer ₹ | Due date of transfer to IEPF | Date of transfer to IEPF A/c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unpaid Dividend Account – 2011-12 | 510101000855005 | 29.06.2012 | 4163732.00 | 05.08.2019 | 05.08.2019 |

No claim for payment of dividends in respect thereof, lies either with the Bank or the IEPF, by the shareholders.

12.10.3 Shareholders are periodically requested to submit their claim forms, well in advance of the unclaimed dividend accounts falling due for transfer to IEPF Account. The balance in respect of unclaimed dividend Account for FY 2011-12 i.e. CA/c 510101000855005 (Sl. No. 1) in the following table, fell due for transfer to IEPF Account on 05.08.2019. The same shall be transferred to IEPF Account accordingly. The balances in respect of the remaining unclaimed dividend accounts will be

transferred to the Investor Education Protection Fund (IEPF) account, as per the due dates of transfer to IEPF, mentioned against them and thereafter no claim for payment of dividend thereof shall lie either with the Bank or the IEPF, by the shareholders. Shareholders are therefore requested to submit their claims for unpaid dividends, either to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank or to the Investor Services Department at Corporate office, at the earliest.

The list of Unpaid Dividend accounts with balance outstanding as on 31.03.2019 is as follows:

| Sl. No. | Details of the Unpaid Dividend Accounts | C.A. A/c. No. | Date of Declaration | Balance as on 31.03.2020 (₹) | Due date of transfer to IEPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unpaid Dividend Account- 2012-13 | 510101000855013 | 25.06.2013 | 4436578.00 | 31.07.2020 |
| 2 | Unpaid Interim Dividend Account- 2013-14 | 510101000855021 | 23.01.2014 | 1464278.00 | 01.03.2021 |
| 3 | Unpaid Final Dividend Account -2013-14 | 510101000855031 | 26.06.2014 | 804259.00 | 01.08.2021 |
| 4 | Unpaid Final Dividend Account -2014-15 | 510101000855048 | 29.06.2015 | 2433880.00 | 04.08.2022 |

**12.11** SEBI has made it mandatory for all the listed companies including Banks, to use the Bank Account details furnished by the Depositories for payment of dividend. It has also made it mandatory for listed companies to use RBI approved electronic mode of payments such as NACH, NEFT, RTGS etc., for making dividend payments and in the event of non-availability of the required information like bank account details, MICR and IFSC Code etc., to use physical payment instruments for making such payments to shareholders. The Bank shall print Bank account details, as made available by the depositories or the shareholders (in case holding shares in physical form), on payment instruments for distribution of dividends, if any, to the investors.

**12.11.1** The shareholders who have not provided the Bank Mandate or NACH details/change in Bank Mandate details, may furnish the same, to avoid fraudulent encashment of the dividend warrants. Proforma for furnishing the Bank Mandate is provided separately in the Annual Report.

**12.11.2** It may please be noted that the shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd., Hyderabad, for updating the record of the shareholders. The shareholders who are holding the shares in demat (electronic) form may approach their Depository Participant for necessary updation of the particulars.

**12.11.3 The shareholders holding shares in physical form are requested to dematerialise their shares due to the convenience it offers, in holding, in transferring and in trading of shares. Loss, damage, mutilation of share certificates can be totally avoided.**

**12.11.4 Transmission of Shares**: The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide their circular SEBI/HO/MIRSD3/P/2016/0000000085 dated 15th September 2016, has modified the guidelines to make transmission process more investor friendly. The details of the same are available on the Bank's website www.corpbank.com under 'Investor Relations – Information to Investors".

**12.11.5 Nomination facility**: Nomination facility has now been made available by the Bank for shareholders holding the Bank's shares in physical mode. Shareholders are requested to submit the duly filled-in and signed Nomination form as per the format made available in this Annual Report, to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd., Hyderabad, for doing the needful.

**12.12 Address for Correspondence**: The Bank has set up an Investor Services Department at its Corporate Office at Mangaluru. For any assistance regarding share transfers, transmissions, change of address, non-receipt of dividend, duplicate/missing share certificates and other matters pertaining to shares, the investors may contact the Bank at the following address:

**The Company Secretary**
Investor Services Department
Corporation Bank, Corporate Office,
Mangaladevi Temple Road
Mangaluru – 575 001
Tel: 0824-2424971, 2423853 (Direct), 2861482
Fax: 0824-2421581, 2423853.
INVESTOR GRIEVANCES –
E-mail: isd@corpbank.co.in

**12.13** Corporation Bank shares are listed on both BSE and NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

The Bank has not issued GDRs/ADRs/Warrants or any other convertible instruments.

**12.14** The branches of the Bank have spread all over India.

**12.15 Details of the credit rating obtained by the Bank:**

| Particulars | Rating |
|---|---|
| Long-Term Issuer Rating | IND AA-/Rating Watch Evolving (Placed on Rating Watch Evolving from Stable Outlook) |
| Basel III Compliant Tier II Bonds | BWR AA/Credit Watch with Developing Implications (Placed on Credit Watch with Developing Implications) & IND AA-/Rating Watch Evolving (Placed on Rating Watch Evolving from Stable Outlook) |

| Particulars | Rating |
|---|---|
| Upper Tier II Bonds | CARE A+/ Credit watch with Developing Implications (Placed on Credit watch with Developing Implications) & CRISIL A+/ Rating Watch with Positive Implications (Placed on Rating Watch with Positive Implications) |
| Fixed Deposit Programme | FAA+/ Rating Watch with Positive Implications (Placed on Rating Watch with Positive Implications) |
| Certificate of Deposits | [ICRA] A1+ |

**13.** Corporation Bank, as a responsible corporate citizen, believes that Corporate Governance is not just compliance with statutory requirements but doing what is best in the interest of all the stakeholders and the society at large in a transparent and ethical way with a rewarding environment to stakeholders.

**14. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.**

**14.1** In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank which was last modified on 29.06.2018. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

| Dates of closure of Trading Window | Purpose of closure |
|---|---|
| 1st April 2019 to 19th May 2019 | Declaration of Financial results for the quarter/year ended 31st March 2019. |
| 1st July 2019 to 5th August 2019 | Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th June 2019 |
| 1st October 2019 to 8th November 2019 | Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th September 2019. |
| 1st January 2020 to 9th February 2020 | Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 31st December 2019. |

**14.2** The Bank has framed a Code of Corporate Disclosure Practices for Prevention of Insider Trading and made compliance thereof.

**14.3 Related Party Transactions Policy**

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Related Party Transactions Policy has been uploaded on the Bank's website www.corpbank.com under the head "Investor Relations" – "Policies and Disclosures", at the following link, for the information of the shareholders and general public.
https://corpbank.com/node/134953

**14.4 Other weblink**

a. Weblink for familiarization programmes imparted to independent directors is given hereunder:
https://corpbank.com/node/134951

b. Weblink of policy for determining material subsidiaries in given hereunder :
https://corpbank.com/node/123908

c. Weblink of Dividend Distribution policy for determining material subsidiaries in given hereunder :
https://corpbank.com/node/62173

d. Weblink of other policies/disclosures of the bank are as follows :
https://corpbank.com/

**15. Takeover Code**

**15.1** The Bank has also complied from time to time with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

**16. Other Disclosures:**

16.1 Independent Directors on the Board of the Bank fulfils the condition of Independence as specified in SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent applicable to the Bank and are independent of the Bank's Management,

16.2 Disclosure of Commodity Price Risk and commodity hedging activities:

| Commodity Name | Exposure in INR | Exposure in commodity terms | % of such exposure hedged through commodity derivatives | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Domestic Market | | International Market | | Total |
| | | | OTC | Exchange | OTC | Exchange | |
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

16.3 Utilisation of funds raised during 2018-19: Are fully utilised with the main objective of augmenting Tier 1 Capital and overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy and for enhancing its long-term resources.

16.4 A certificate from Practising Company Secretary has obtained by the Bank regarding non-disqualification / non-debarred of any of its Directors on the Bank,

16.5 Details of total fee paid by the Bank and its subsidiary to statutory auditors during the FY 2019-20 are as follows:

| Name | Amount (₹ in Crore) |
|---|---|
| Corporation Bank | 24.14 |
| Corpbank Securities Ltd. (Subsidiary Company) | 0.01 |

16.6 Disclosure in relation to sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

a. Number of complaints filed during the financial year - Nil

b. Number of complaints disposed of during the financial year- Nil

c. Number of complaints pending as on end of the financial year- Nil

**17. Business Responsibility Report**

The Bank being a listed entity, considers itself to be the critical component of the social system in which it operates and hence is accountable not merely to the shareholders from revenue and profitability point of view, but also to the larger society of which it is a part. Hence, adoption of responsible business practices in the interest of the social set-up and the environment is being considered by the Bank as vital as its financial and operational performance. The Bank, having accessed funds from the public, have an element of public interest involved, and hence it takes upon itself the responsibility to make continuous disclosures regarding steps taken by it from environmental, social and governance perspective. SEBI has made it mandatory for the Bank to submit the report for the financial year 2018-19. The weblink to access the Business responsibility report of the Bank is https://corpbank.com/node/62183.

**For and on behalf of the Board of Directors**

**(Rajkiran Rai G)**
**Managing Director & Chief Executive Officer**

Place: Mumbai
Date : 31.07.2020

# CEO & CFO COMPLIANCE CERTIFICATE

**The Board of Directors**
**Union Bank of India (eCorporation Bank)**

Compliance Certificate by CEO & CFO under Regulation 17 (8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is to certify that

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of eCorporation Bank for the year 2019-20 and that to the best of our knowledge and belief:

   (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   (ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D We have indicated to the auditors and the Audit committee

   (1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

   (2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   (3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

E. The financial statements have also been subjected to audit by Statutory Central Auditors.

**(V Muthukrishnan)**
General Manager and CFO

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G)**
Managing Director and CEO

Place : Mumbai
Date : 23rd June 2020.

# AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Union Bank of India (for erstwhile Corporation Bank),

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India [erstwhile Corporation Bank ("the Bank")] for the year ended on 31st March 2020, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion, and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Regulations read with proviso to Regulation 15 of the Listing Regulations.

We state that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by Stakeholder's Relationship Committee of the Board of the Bank (since dissolved after 31st March 2020) and as per the certificate given by the Registrar and Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN – 000990N

**R. Balasubramanian**
Partner
Membership No: -080432
UDIN: 20080432AAAAHD1705

Place: New Delhi
Date : 22nd June, 2020

# Form No. MR-3
# SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the Financial Year ended 31st March, 2020

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014] read along with SEBI circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019

To,

**The Members of Union Bank of India (for erstwhile Corporation Bank)**

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **erstwhile Corporation Bank,** (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **erstwhile Corporation Bank** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31$^{st}$ March, 2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance- mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31$^{st}$ March, 2020 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Bank for the period under review)**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

  (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

  (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

  (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

  (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;.

  (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

  (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

  (g) Securities and Exchange Board of India(Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations,2013; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**

  (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

iv. The Following other Laws as applicable to the Bank:

  (i) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time

  (ii) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and its amendments thereof

  (iii) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

  (iv) Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

  (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

  (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above

**We further report that**

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors and Women Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items in the meeting for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

(i) The Bank in its meeting held on 30th September, 2019 accepted Buy Back offer of its wholly owned subsidiary CorpBank Securities Limited (an unlisted entity) to the extent of 25 % of total paid up equity share capital.

(ii) The Bank has raised an amount of Rs 500 crore with Green Shoe Option upto Rs 500 crore aggregating to Rs 1000 crore by issue of Basel III Compliant Tier II Bonds (Series II).

Accordingly, Securities Allotment Committee of the Board of the Bank in its meeting held on 8th November, 2019 allotted bonds to the respective bond investors with a coupon rate of 8.93% per annum.

(iii) (a) The Government of India made an announcement of amalgamation of 10 public sector banks into four amalgamated entities on 30th August,2019. Accordingly, Corporation Bank and Andhra Bank (Transferor Banks) were anchored by Union Bank of India.

Further, the Board of Directors in their meeting held on 16th September, 2019 had given in-principle approval for the amalgamation of Corporation Bank into Union Bank of India. Therefore, after consultation with Reserve Bank of India, Government of India notified the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 vide gazette notification dated March 4, 2020. Amalgamation is approved by Central Government to create more efficient and bigger public sector bank in the changing environment and to meet the credit needs of a growing economy and to achieve operational efficiency by scale of business.

(b) The Board of Directors of Andhra Bank (“Transferor Bank – 1”), Corporation Bank (“Transferor Bank – 2”) and Union Bank of India (“Transferee Bank”) (collectively, “the concerned banks”) at their respective meetings held on March 5, 2020 further approved the Equity Share Exchange (SWAP) Ratio as per the procedure laid down in the ‘Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020’ (“Scheme”) issued by the Central Government vide gazette notification dated March 4, 2020 and the below mentioned share exchange ratio was approved by the Board :

330 equity shares of the face value of Rs.10 each fully paid up in Union Bank of India for every 1,000 equity shares of the face value of Rs.2 each fully paid up held in the Corporation Bank as on the record date.

**The said amalgamation has come into force on 1st April, 2020 and the Bank ceased to be a listed entity and therefore stock exchange compliances were not submitted for the quarter and financial year ended 31st March, 2020.**

(iv) The Reserve Bank of India in exercise of the power conferred under Section 47A(1)(C) read with Section 46(4)(i) and Section 51(1) of the Banking Regulation Act, 1949 has imposed penalty of Rs.1.5 crore (Rupees One crore Fifty Lakh only) on the Bank for divergence in asset classification and delay in reporting of fraud in respect of certain documents.

Further, penalty of Rs.1 crore (Rupees One crore only) was imposed by Reserve Bank of India on the Bank for deficiency in regulatory compliance with the directions issued by RBI on Cyber Security Framework and Fraud Classification and Reporting.

Again, penalty of Rs.50 Lakh (Rupees Fifty Lakh only) was also imposed on the Bank for delay in reporting of frauds by the Reserve Bank of India.

(v) The Bank in its Annual General Meeting held on 29th June, 2019 passed a special resolution in order to create, offer, issue and allot in one or more tranches by way of offer document or prospectus or such other document in India and abroad:

(a) Such number of equity shares of the face value of Rs.2 each for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of Rs.3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank;

(b) Such number of perpetual debt instruments, Non- Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, Bonds, Perpetual Non- Cumulative Preference Shares and/or other debt securities/ Preference Shares (cumulative or non-cumulative) etc., on a private placement/public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI;

(c) Bank has made interest payment on following debt instruments in terms of Information Memorandum.:

| Sr. No. | Due Date of Payment | Nature of instrument | Amount of payment (in ₹ ) |
|---|---|---|---|
| 1. | 31.03.2019 (Actual date of payment 02.04.2019) | Annual Interest payment on Lower Tier II Bonds (Series III (2) | 44,25,00,000 |
| 2. | 29.04.2019 | Annual Interest payment on Upper Tier II Bonds Series III (7) | 48,12,50,000 |
| 3. | 14.11.2019 | Payment of Annual Interest on Basel III Compliant Tier II Bonds (Series I) | 40,10,00,000.00 |

(d) Bank has redeemed following debt instruments in terms of Information Memorandum and approval granted by Reserve Bank of India :

| Sr. No. | Due Date of Payment | Nature of instrument | Amount of payment (in ₹ ) |
|---|---|---|---|
| 1. | 06.05.2019 | Upper Tier II Bonds III(3) of ₹500 crore | 541,25,00,000 |
| 2. | 28.05.2019 | Upper Tier II Bonds Series III(4) of ₹500 crore | 541,85,00,000 |
| 3. | 31.05.2019 | Lower Tier II Bonds (Series III(2) of ₹500 crore | 507,39,52,053.00 |
| 4. | 10.07.2019 | Upper Tier I Bonds (Series I (2) of ₹300 crore | 327,45,00,000.00 |
| 5. | 11.08.2019 (Actual date of payment 13.08.2019) | Upper Tier I Bonds Series I (3) of ₹100 crore | 109,09,95,902.00 |
| 6. | 26.08.2019 | Upper Tier I Bonds Series I(4) of ₹100 crore | 109,10,00,000.00 |
| 7. | 11.08.2019 (Actual date of payment 13.08.2019) | Upper Tier II Bonds Series III(6) of ₹300 crore | 325,48,89,041.00 |
| 8. | 10.08.2019 (Actual date of payment 13.08.2019) | Upper Tier II Bonds Series III(5) of ₹250 crore | 271,29,86,301.00 |

**For R.S. Padia & Associates**

**Rajshree Padia**
Company Secretaries
FCS: 6804; CP: 7488

UDIN: F006804B000376580

Date : 24/06/2020
Place: Mumbai

**Note:** Due to the outbreak of COVID 19 which is also declared as a global pandemic by the World Health Organization and as a result of which Indian government on 24th March, 2020 announced a strict 21-day lockdown which was further extended by 19 days across the country to contain the spread of the virus. Further, due to increase in cases the lockdown was further extended till 30th June, 2020.

Therefore, the compliance documents for secretarial audit were obtained through electronic mode, verified with requirements and were finalized on the basis of clarifications obtained from the Bank.

## Annexure-I

## To the Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2020

To,

**The Members of Union Bank of India (for erstwhile Corporation Bank),**

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Corporation Bank (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.

2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.

3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.

4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.

5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For R.S. Padia & Associates**

**Rajshree Padia**
Company Secretaries
FCS: 6804; CP: 7488

UDIN: F006804B000376580

Date : 24/06/2020
Place: Mumbai

**Note:** Due to the outbreak of COVID 19 which is also declared as a global pandemic by the World Health Organization and as a result of which Indian government on 24th March, 2020 announced a strict 21-day lockdown which was further extended by 19 days across the country to contain the spread of the virus. Further, due to increase in cases the lockdown was further extended till 30th June, 2020

Therefore, the compliance documents for secretarial audit were obtained through electronic mode, verified with requirements and were finalized on the basis of clarifications obtained from the Bank.

# SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT

ANNUAL SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT OF ERSTWHILE CORPORATION BANK (NOW UNION BANK OF INDIA) FOR THE YEAR ENDED 31[ST] MARCH 2020

[Pursuant to SEBI circular No. CIR/CFD/CMD1/27/201 Dated 08.02.2019 as per Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement, 2015]

To,

**The Members of Union Bank of India (for erstwhile Corporation Bank)**

1. We have examined:

   (a) All the documents and records made available to us and explanation provided by erstwhile Corporation Bank ("the listed entity"), arising from the compliances of Specific Regulations listed under para 2,

   (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges in connection with the above

   (c) website of the listed entity,

   (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

   for the year ended 31st March 2020 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :

   (a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and

   (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");

2. The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include :-

   (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

   (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

   (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

   (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

   (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

      (a) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**.

   (g) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

Based on my examination and verification of documents and records produced to me and according to the information and explanation given by the Bank, we report that:

(a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of the regulations mentioned below.

(b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.

(c) The following are the details of actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder:

| Sr. No. | Action Taken by | Details of violations | Details of action taken E.g. fines, warning letter, debarment, etc. |
|---|---|---|---|
| 1. | Reserve Bank of India | Section 47A(1)(C) read with Section 46(4)(i) and Section 51(1) of the Banking Regulation Act, 1949 for on the Bank for | Penalty of ₹1.5 crore (Rupees One crore Fifty Lakh only) |

| Sr. No. | Action Taken by | Details of violations | Details of action taken E.g. fines, warning letter, debarment, etc. |
|---|---|---|---|
| | | divergence in asset classification and delay in reporting of fraud in respect of certain documents. | |
| 2. | Reserve Bank of India | Deficiency in regulatory compliance with the directions issued by RBI on Cyber Security Framework and Fraud Classification and Reporting. | Penalty of ₹1 crore (Rupees One Crore only) |
| 3. | Reserve Bank of India | Delay in reporting of frauds | Penalty of ₹ 1.5 crore (Rupees One crore Fifty Lakh only) |

(d) The Company was not required to take any action with regard to compliance with the observations made in previous reports.

(e) The Government of India made announcement of amalgamation of 10 public sector banks into four amalgamated entities on 30th August,2019. Accordingly, Corporation Bank and Andhra Bank (Transferor Banks) were anchored by Union Bank of India. Government of India, notified the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 vide gazette notification dated March 4, 2020.

The said amalgamation has come into force on 1st April, 2020 and the Bank ceased to be a listed entity and therefore stock exchange compliances were not submitted for the quarter and financial year ended 31st March, 2020.

**For R.S. Padia & Associates**

**Rajshree Padia**
Company Secretaries
FCS: 6804; CP: 7488

UDIN: F006804B000376580

Date : 24/06/2020
Place: Mumbai

**Note:** Due to the outbreak of COVID 19 which is also declared as a global pandemic by the World Health Organization and as a result of which Indian government on 24th March, 2020 announced a strict 21-day lockdown which was further extended by 19 days across the country to contain the spread of the virus. Further, due to increase in cases the lockdown was further extended till 30th June, 2020

Therefore, the compliance documents for Secretarial Compliance audit were obtained through electronic mode, verified with requirements and were finalized on the basis of clarifications obtained from the Bank.

# CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

**The Members of Union Bank of India (for erstwhile Corporation Bank)**

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of erstwhile Corporation Bank having its Head office at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575001 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

Ensuring the eligibility of for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For R.S. Padia & Associates**

**Rajshree Padia**
Company Secretaries
FCS: 6804; CP: 7488

UDIN: F006804B000376580

Date : 24/06/2020
Place: Mumbai

# BASEL PILLAR - 3 DISCLOSURES

Disclosures under the New Capital Adequacy Framework Guidelines Basel III (Pillar 3) for the year ended on 31st March, 2020 on a consolidated basis.

Pillar 3 disclosures for the year ended on 31st March, 2020 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures' section on the home page. The link to this section is http://www.corpbank.com

The section contains the following disclosures:

- Basel III - Pillar III Disclosures for the year ended 31st March, 2020.
- Capital Composition and Reconciliation as on 31st March, 2020.
- Main features of Regulatory Capital Instruments as on 31st March, 2020.
- Leverage Ratio Disclosures as on 31st March, 2020.
- Liquidity Coverage ratio Disclosure for the year ended 31st March, 2020.

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To**

**The Members of Union Bank of India (erstwhile Corporation Bank)**

**Report on Audit of the Standalone Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Union Bank of India ('erstwhile Corporation Bank ''the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2020, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date, of 20 Branches audited by us and 1440 Branches audited by Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 1048 Branches which have not been subjected to audit. These unaudited Branches account for 5.46 percent of advances, 16.48 per cent of deposits, 6.78 per cent of interest income and 15.71 per cent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for Bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;

   b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Loss; and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**Basis for Opinion**

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Emphasis of matter**

4. We draw attention to: -

   i) Note no 20 of Schedule 18 C regarding the amalgamation of e-Corporation Bank with Union Bank of India, vide Government of India, Gazette Notification no. CG-DL-E-04032020-216535 dated 04th March 2020, with effect from 1.4.2020.

   ii) Note no 4.4 of Schedule 18A of the accompanying standalone financial statements regarding impact of COVID 19 pandemic, which captures the prevailing uncertainties on the business operations of the Bank. We have been informed that the Bank is evaluating the situation and its impact.

   iii) Note no 4.6 of Schedule 18A regarding provision made towards Harmonization as per the directive of RBI with regard to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning in respect of common exposures;

   iv) Note no 3 of Schedule 18 B regarding additional provision made towards Employee Benefits (Pension Fund);

   v) Note no 8c of Schedule 18 B regarding additional provision made towards Income Tax in respect of earlier assessment years;

   vi) Note no 8c of Schedule 18 B regarding reversal of deferred tax asset;

   vii) Note no 12 of Schedule 18 C regarding deferment of provision pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended 31stMarch 2020 and to be charged to Profit and Loss account in subsequent quarters in terms of RBI circular DBR no. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18th April, 2016.

   Our opinion is not modified in respect of these matters.

5. **Key Audit Matters**

   Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone

Financial Statements for the year ended 31st March 2020. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

| S. No | Key Audit Matters | How the matter was addressed in the audit |
|---|---|---|
| 1. | **Classification of Advances, Income recognition, Identification of and provisioning for non-performing assets (refer schedule 18 A read with note 4and accounting policy no 3 in Schedule 17)**<br>The advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets in accordance with the guidelines issued by the RBI (IRAC norms) and other circulars and directions issued by the RBI from time to time which provides guidelines relating to classification of Advances into performing and non-performing advances.<br>The Bank is operating under Core Banking Solution (CBS). The operational and Financial reporting processes are dependent on IT Systems for the large volume of transactions at the front end and at the back end. The Bank accounts for all the transactions related to advances in its Information Technology System Viz. Core Banking Solution which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Further NPA classification and calculation of provision is done through same system. The carrying value of these advances (net of provisions) could be materially misstated if, either individually or in aggregate, the Prudential norms are not properly followed.<br>Advances constitute 55.50 per cent of the Bank's total assets.<br>In view of the significance of the amount of advances, in the financial statements, regulatory requirements, estimation/judgement involved in valuation of securities, the classification of advances and provisioning thereon has been considered as a Key Audit Matter in our Audit Report. | Our audit procedures included an understanding of the Bank's Core Banking Solution (CBS) software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification to ensure that the reported financial statements are proper and reliable.<br>Our audit approach consisted of testing operating effectiveness of internal controls as follows: -<br>Evaluating and critically analysing the Bank's internal control system adheres to the RBI guidelines regarding Income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.<br>Reviewed the documentations, operations/performance and monitoring of the advance accounts on test check basis to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of Branches/relevant divisions audited by us. In respect of the Branches audited by the Branch Statutory Auditors, we have placed reliance on their reports.<br>We assessed and evaluated the process of identification of NPAs and corresponding reversal of income and creation of provision. |
| 2. | **Classification of Advances into Priority & Non-Priority Sector (Refer-Schedule 18 C read with Note 9 of financial statements)**<br>Bank has made re-classification of borrowers' accounts between Priority & Non-Priority Sector during the year under Audit.<br>Consequently, we have considered this as a Key Audit Matter. | We have assessed the efficacy of the system of sector wise classification by the Bank.<br>We have relied on the Branch and zonal returns, Branch Auditor's reports for sector wise classification.<br>We have selected sample of product wise accounts in priority sector classification to determine the correctness of reporting of sector wise classification.<br>The system of identification of priority/non-priority sector advances needs review and revalidation. |
| 3. | **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-performing Investments (Refer –Schedule 18 A read with Note 2 of financial statements)**<br>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Units of Venture Capital Funds and Mutual Funds, Security Receipts of ARC, investment in subsidiary, and other apprved securities. The investments are classified under three categories – Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. | Our audit approach towards Investments with reference to RBI circulars/directives/Investment Policy of the Bank included the review of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments as per RBI guidelines/Accounting Policies followed by the Bank in this regard. |

| | | |
|---|---|---|
| | These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directives of the RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, corresponding non-recognition of Income and provision thereof. The valuation and consequential adjustment and the identification of Non-performing investment are contained in accounting policy No 4 of Schedule 17.<br><br>Investments constitute 28.94 percent of the Bank's total assets.<br><br>In view of the significance of the value of Investments in the standalone financial statements, the same has been considered as a Key Audit Matter. | We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.<br><br>We carried out the audit procedures to verify the valuation, provision and depreciation in respect of selected sample of investments within each category.<br><br>We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, reversal of income as applicable and also ensuring adequacy of provision to be made. |
| 4. | **Assessment of Provisions and Contingent Liabilities in respect of pending litigation under Direct Tax Laws. (refer Schedule 18B Note no 9 )**<br><br>There is a high level of judgement required in assessment of the tax litigation pending before Appellate Authorities. The assessment of the Bank is based on the facts of each case, Judicial Rulings and Expert advice from Independent Tax Consultants. Any adverse inference drawn by the Tax Assessing Officers, Appellate Authorities may significantly impact the Bank's Profit/Loss.<br><br>The above area has been identified as a Key Audit Matter in the light of uncertainties associated with the outcome of these matters | Obtained an understanding of the current status of tax assessment/litigations pending before the Appellate Authorities.<br><br>Examined the Assessment orders/Appellate orders/Court orders received during the financial year under report<br><br>Evaluated the issues from the legal perspective and the tax advice received from the Independent Tax Consultants<br><br>Discussed with the Tax Team of the Bank on the issues arising in pursuance to the assessments completed and the submissions made by the Bank before the Assessing Officers /Appellate Authorities.<br><br>Also reviewed the statement of claims against the Bank by Income Tax Authorities, not acknowledged as debts and the disputed tax paid against such claims. |
| 5. | **Modified Audit procedures carried out in light of COVID-19 outbreak**<br><br>Due to outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent nationwide lockdown and travel restrictions imposed by the Central Government/ State Government/Local Authorities during the period of our audit, we could not travel to the Branches, Zonal Offices, and Head Office to carry out the audit processes physically. The audit was carried out remotely where physical access was not possible.<br><br>Wherever we were not able to visit various locations, the necessary records/reports/documents/certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to the relevant application software (FINACLE). We could not visit most of the Branch Offices and Zones. As informed to us, most of the Branch Auditors also could not visit the Branches allotted to them and accordingly they also adopted modified audit procedures. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports, and records made available to us, which were relied upon by us as audit evidence for conducting the audit and reporting for the year under report.<br><br>Since we could not gather audit evidence physically/in person/through meetings with the officials of the Bank at the respective Branches/zones/head office; we have identified the audit procedure as contained herein as a Key Audit Matter. | We have modified our audit procedures as follows:<br><br>Conducted examination/verification of necessary records/ documents/reports electronically through e mails and remote access to the relevant software (Finacle), where it was not possible to physically visit the Offices of the Bank.<br><br>Carried out verification of scanned copies of the documents, certificates, reports, financial statements, and related records made available to us electronically through remote access/ emails.<br><br>Interaction and gathering audit evidence through video conferencing, scanned copies, documents through emails, telephonic conversations, and other similar modes of communication.<br><br>Resolved audit observations through discussions, receipt of digital records, telephonic conversations and e mails. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | **Information Technology System (Finacle) based Financial reporting process.**<br>The Bank is operating under Core Banking Solution (CBS). The Operational and Financial reporting processes are dependent on IT Systems for the large volume of transactions at the front end and at the backend.<br>Core Banking for all transactions including for integrated treasury management of the Bank has adequate checks, balances ,processes and controls designed for the effective data capturing and reporting.<br>We have considered this as a Key Audit Matter, as lack of control and inputting errors results in wrong reporting of data to the Management and Regulators. | We conducted a review and assessment of information and data derived from Core and Treasury to assure that the reported Financial Statements are proper and reliable.<br>Our audit approach consisted of testing operating effectiveness of internal controls as follows:<br>Obtaining and reviewed the IS Audit conducted during the year.<br>Obtaining an understanding of the Bank's IT Control environment, IT Policies and key changes during the audit period including the notes placed before the Board.<br>Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over key IT systems that are critical to Financial reporting on test check basis.<br>Test checked key automated and manual business cycle controls and system generated reports relevant to audit. |

**Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon**

6. Those charged with governance are responsible for the Other Information. The Other Information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon).

   Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

7. Those charged with governance are responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, those charged with governance are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
   - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditors' Report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditors' Report.

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our Auditors' Report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other Matters**

9. We did not audit the financial statements / information of 1440 Branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 1,78,749.33 crores as at 31st March 2020 and total revenue of Rs.6,095.95 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these Branches have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of Branches, is based solely on the report of such Branch Auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that :

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. **We further report that:**

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from Branches not visited by us;

    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the Branches not visited by us;

    c) the reports on the accounts of the Branch Offices audited by Branch Auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable Accounting Standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. In accordance with letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17thMarch, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20" issued by the RBI and subsequent communication dated 19th May 2020. We further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

    c) Consequent to the Government of India's direction of Amalgamation, the Board of the Bank has been superceded; reporting on Directors as on 31stMarch, 2020 from being appointed as a Director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 is not applicable.

    d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

    e) As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on 19thMay, 2020, there is no reporting requirement for the current year ended 31st March, 2020.

**As per our report of even date**

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants FRN: 000571S

**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants FRN: 000990N

**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | Schedule No. | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL & LIABILITIES** | | | |
| Capital | 1 | **1198,83,68** | 1198,83,68 |
| Reserves & Surplus | 2 | **12551,63,56** | 15366,02,45 |
| Deposits | 3 | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| Borrowings | 4 | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| Other Liabilities and Provisions | 5 | **8133,45,33** | 4050,89,28 |
| **TOTAL** | | **229539,76,99** | 213577,85,38 |
| **ASSETS** | | | |
| Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **15745,23,79** | 9661,06,85 |
| Balances with Banks and Money at call and short notice | 7 | **1262,92,61** | 2907,96,58 |
| Investments | 8 | **66432,43,73** | 59979,19,81 |
| Advances | 9 | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| Fixed Assets | 10 | **1379,40,14** | 1421,84,82 |
| Other Assets | 11 | **17320,70,98** | 18356,56,40 |
| **TOTAL** | | **229539,76,99** | 213577,85,38 |
| Contingent Liabilities | 12 | **36727,50,85** | 62625,62,97 |
| Bills for collection | | **14364,16,42** | 13747,30,85 |
| Significant Accounting Policies | 17 | | |
| Notes to the Accounts | 18 | | |

The schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | Schedule No. | Year ended on 31.03.2020 ₹ | Year ended on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **I. INCOME** | | | |
| Interest earned | 13 | **16170,57,94** | 15622,63,03 |
| Other income | 14 | **3749,19,96** | 1872,06,87 |
| **TOTAL** | | **19919,77,90** | 17494,69,90 |
| **II. EXPENDITURE** | | | |
| Interest Expended | 15 | **10942,09,53** | 10114,16,60 |
| Operating Expenses | 16 | **5175,19,16** | 3486,06,80 |
| Provisions and Contingencies | | **6194,08,61** | 10227,44,79 |
| **TOTAL** | | **22311,37,30** | 23827,68,19 |
| **III. NET PROFIT /(LOSS) FOR THE YEAR** | | **-2391,59,40** | (63,329,829) |
| **TOTAL** | | **-2391,59,40** | (63,329,829) |
| **IV. APPROPRIATIONS (From/To)** | | | |
| Transfer to Statutory Reserves | | **-** | - |
| Transfer to Staff Welfare Fund | | **-** | - |
| Transfer to Investment Reserve | | **-** | - |
| Transfer to Capital Reserve | | **-** | - |
| Transfer to Special Reserves | | **-** | - |
| Transfer to General Reserves | | **-** | - |
| Interim Dividend paid | | **-** | - |
| Proposed Dividend | | **-** | - |
| Tax on Interim Dividends paid | | **-** | - |
| Balance carried over to B/S | | **(23,915,940)** | (63,329,829) |
| **TOTAL** | | **(23,915,940)** | (63,329,829) |
| Earning per share (₹) | | **(3.99)** | (30.06) |

The schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

( ₹ 000's omitted )

| | | **As on 31.03.2020 ₹** | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **[A]** | **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES** | | |
| | Net Profit/ Loss (-) after Tax | **-2391,59,40** | -6332,98,29 |
| | Add:-Provision for Tax | **2645,92,77** | -1715,70,23 |
| | Net Profit /Loss (-) before Tax | **254,33,37** | -8048,68,52 |
| **[i]** | **Adjustment for :-** | | |
| | Depreciation on Fixed Assets | **180,06,14** | 176,50,70 |
| | Depreciation on Investments | **53,80,38** | 340,20,20 |
| | Provision for NPAs | **3279,48,87** | 11585,13,72 |
| | Provision for Standard Assets | **285,83,00** | 180,52,52 |
| | Interest paid on Tier I & Tier II Bonds | **173,27,70** | 420,81,01 |
| | Provision for Contigencies and Others | **33,65,58** | -43,29,41 |
| | (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets | **-1,62,23** | 1,49,49 |
| | Transfer to/from reserves | **-422,79,49** | - |
| | Income earned by way of sale of Investment in Subsidiaries | **-7,03,13** | - |
| | Direct Taxes (paid)/refund | **-565,47,13** | -1139,66,86 |
| | Provision for Interest Capitalisation | **-104,62,00** | -119,42,00 |
| | Cash flow before change in Operating Assets and liabilities | **3158,91,06** | 3353,60,85 |
| **[ii]** | **Adjustment for:-** | | |
| | Increase/(Decrease) in Deposits | **20786,93,73** | 1251,89,46 |
| | Increase/(Decrease) in Borrowings | **-4543,19,28** | -10539,37,83 |
| | Increase/(Decrease) in other liabilies & provisions | **-1097,73,78** | -13443,32,07 |
| | (Increase)/Decrease in Investments | **-6525,79,30** | 10370,55,79 |
| | (Increase)/Decrease in Advances | **-6147,84,82** | -1382,37,21 |
| | (Increase)/Decrease in Other Assets | **641,34,16** | 3617,32,12 |
| | Adjustments to /from Reserves for Write Off/trf | **-** | 19,25,54 |
| | **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES [A]** | **6272,61,77** | **-6752,43,35** |
| **[B]** | **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | | |
| | Sale/Disposal of Fixed Assets | **4,06,57** | -3,78,32 |
| | Purchase of Fixed Assets | **-140,05,80** | -111,49,17 |
| | Proceeds of sale of Investment in Subsidiary/Joint Ventures/ Associates | **25,78,13** | - |
| | Income earned by way of Dividend etc. from Susidiaries and associates | **-** | - |
| | **NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES [B]** | **-110,21,10** | **-115,27,49** |
| **[C]** | **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | | |
| | Proceeds from Issuance of Share Capital | **-** | 11777,37,28 |
| | Proceeds of Tier I & Tier II Bonds | **1000,00,00** | - |
| | Redemption of Tier I & Tier II Bonds | **-2550,00,00** | -3237,50,00 |

# STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR EDED MARCH 31, 2020 (CONTD.)

( ₹ 000's omitted )

| | | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| | Interest paid on Tier I & Tier II Bonds | **-173,27,70** | -420,81,01 |
| | Dividend (Interim & Final) paid | **-** | - |
| | Dividend Distribution Tax paid | **-** | - |
| | **NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES [C]** | **-1723,27,70** | **8119,06,27** |
| **[D]** | **NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS [A+B+C] or [F-E]** | **4439,12,97** | **1251,35,42** |
| **[E]** | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Bank Balance with RBI | **9661,06,85** | 11140,15,36 |
| | Balance with Banks and Money at Call and Short Notice | **2907,96,58** | 177,52,65 |
| | **NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR [E]** | **12569,03,43** | **11317,68,01** |
| **[F]** | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Bank Balance with RBI | **15745,23,79** | 9661,06,85 |
| | Balance with Banks and Money at Call and Short Notice | **1262,92,61** | 2907,96,59 |
| | **NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR [F]** | **17008,16,40** | **12569,03,43** |

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# SCHEDULED ANNEXED TO BALANCE SHEET

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | ₹ | As on 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 1 - CAPITAL** | | | | |
| AUTHORISED CAPITAL | | | | |
| 1500,00,00,000 Equity Shares of ₹ 2 each | | **3000,00,00** | | 3000,00,00 |
| ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL | | | | |
| 599,41,84,034 Equity Shares of ₹ 2 each (Previous year 599,41,84,034 equity share of ₹ 2 Each) | | | | |
| Opening Balance | **1198,83,68** | | 333,10,97 | |
| Additions / (Forfeited) during the year | **-** | **1198,83,68** | 865,72,71 | 1198,83,68 |
| PAID UP CAPITAL | | | | |
| 560,47,99,271 Equity Shares of ₹ 2 each (Previous year 560,47,99,271 equity share of ₹ 2 Each) | **1120,95,99** | **1120,95,99** | 1120,95,99 | 1120,95,99 |
| b) Held by the public & others | **77,87,69** | | 77,87,69 | |
| 38,93,84,193 Equity Shares of ₹ 2 each (Previous year 38,93,84,193 equity share of ₹ 2 Each) | | | | |
| Less : Allotment money due | **-** | | - | |
| Forfeiture during the year | **-** | **77,87,69** | - | 77,87,69 |
| **TOTAL** | | **1198,83,68** | | **1198,83,68** |
| **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS** | | | | |
| **I. Statutory Reserves** | | | | |
| Opening Balance | **3368,88,47** | | 3368,88,47 | |
| Additions during the year | **-** | | - | |
| Appropriation from excess | | | | |
| Provision of Depreciation on Investments | **-** | | - | |
| Amount trfd to Gen Reserve | **-** | | - | |
| | | **3368,88,47** | | 3368,88,47 |
| **II. Capital Reserves** | | | | |
| Opening Balance | **1175,22,00** | | 1175,22,00 | |
| Additions during the year | **-** | | - | |
| Share Forfeited A/c eligible for Re-issue | **-** | | - | |
| | | **1175,22,00** | | 1175,22,00 |
| **III. Share Premium** | | | | |
| Opening Balance | **16081,94,51** | | 5170,29,94 | |
| Additions during the year | **-** | | 10911,64,57 | |
| Less : Calls in Arrears | **-** | **16081,94,51** | - | 16081,94,51 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | ₹ | As on 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE - 2 (Contd.)** | | | | |
| **IV. Revenue & Others Reserves** | | | | |
| **a) Revenue Reserves** | | | | |
| Opening Balance | **3132,04,26** | | 3112,78,74 | |
| Additions during the year | **-** | | 19,25,52 | |
| | **3132,04,26** | | 3132,04,26 | |
| Deductions during the year | **147,20,92** | | - | |
| | | **2984,83,34** | | 3132,04,26 |
| **b) Special Reserve** | | | | |
| Opening Balance | **1430,75,89** | | 1430,75,89 | |
| Additions during the year | | | - | |
| Deductions during the year | **-252,88,00** | | - | |
| | | **1177,87,89** | | 1430,75,89 |
| **c) Special Reserve profit On Fx Swap** | | | | |
| Opening Balance | **5,84,85** | | 5,84,85 | |
| Additions during the year | **-** | | - | |
| Deductions during the year | **-** | | - | |
| | | **5,84,85** | | 5,84,85 |
| **d) Investment Reserve** | | | | |
| Opening Balance | **-** | | - | |
| Transfer from Profit and Loss | **-** | | - | |
| Appropriation Account | | | | |
| Appropriation from excess Depreciation on Investments | **-** | | - | |
| | | **-** | | - |
| **V. Reserve for Revaluation of Premises** | | | | |
| Opening Balance | **902,17,96** | | 646,81,55 | |
| Additions during the year | **-** | | 274,61,95 | |
| Less :Withdrawal during the year | **22,70,57** | | 19,25,54 | |
| | | **879,47,39** | | 902,17,96 |
| **VI. Balance of Profit & Loss Account** | | **-13122,44,89** | | (107,308,549) |
| **TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)** | | **12551,63,56** | | 15366,02,45 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 3 - DEPOSITS** | | |
| A. I. Demand deposits | | |
| i) From banks | **13,77,80** | 31,69,15 |
| ii) From others | **16727,38,40** | 16168,06,59 |
| II. Savings bank deposits | **46029,05,52** | 42106,72,01 |
| III. Term deposits | | |
| i) From banks | **162,25,55** | 164,33,67 |
| ii) From others* | **142422,30,91** | 126097,03,03 |
| **TOTAL (I, II and III)** | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| B. (i) Deposits of branches in India | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| (ii) Deposits of branches outside india | **-** | - |
| **TOTAL** | **205354,78,18** | 184567,84,45 |
| * Which includes Corpgold Deposits | **-** | 13,97,98 |
| | | |
| **SCHEDULE 4 - BORROWINGS** | | |
| I. Borrowings in India | | |
| i) Reserve Bank of India | **203,00,00** | 425,00,00 |
| ii) Other banks | **,18,87** | 4282,94,46 |
| iii) Other institutions and agencies | **47,87,37** | 86,31,06 |
| iv) Unsecured Bonds/Innovative Perpetual Debt Instrument and Subordinated Debts* | **2050,00,00** | 3600,00,00 |
| **TOTAL** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| II. Borrowings outside India | **,,** | ,, |
| **TOTAL (I and II)** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| Secured borrowings included in I & II above | **Nil** | Nil |
| *Includes | | |
| Unsecured Redeemable Bonds(TierII) | **2050,00,00** | 3100,00,00 |
| Tier I Perpetual Bonds | **-** | 500,00,00 |
| | | |
| **SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | |
| I. Bills payable | **461,27,92** | 487,96,95 |
| II. Inter- Office adjustments (net) | **-** | 114,83,76 |
| III. Interest accrued | **690,44,39** | 774,67,39 |
| IV. Others (including provisions)* | **6981,73,02** | 2673,41,18 |
| | **8133,45,33** | 4050,89,28 |
| * Includes<br>Includes contigent provisions against standard assets | **1026,06,78** | 740,23,78 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | |
| I. Cash in hand (including foreign currency notes and Gold) | **1126,59,11** | 1083,77,40 |
| II. Balances with the Reserve Bank of India in | | |
| in Current Accounts | **6518,64,68** | 7202,29,45 |
| in Other Accounts | **8100,00,00** | 1375,00,00 |
| III. Gold in hand | **-** | - |
| **TOTAL (I, II and III)** | **15745,23,79** | 9661,06,85 |
| **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES** | | |
| **I. In India** | | |
| i) Balances with banks | | |
| a) in Current Accounts | **52,26,29** | 72,45,48 |
| b) in other Deposit Accounts | **,2,32** | ,2,80 |
| ii) Money at call and short notice | | |
| a) with banks | **-** | - |
| b) with Other Institutions | **-** | - |
| **TOTAL (i+ii)** | **52,28,61** | 72,48,28 |
| **II. Outside India** | | |
| i) In Current Accounts | **-** | - |
| ii) In other Deposit Accounts | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| iii) Money at call and short notice | **-** | - |
| **TOTAL** | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| **GRAND TOTAL (I and II)** | **1262,92,61** | 2907,96,58 |
| **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS** | | |
| Investments (Gross) | **67608,73,62** | 61215,16,47 |
| Less: Provision for depreciation | **1176,29,89** | 1235,96,66 |
| Net Investments | **66432,43,73** | 59979,19,81 |
| I. Investments in India | | |
| i) Government Securities | **45780,85,32** | 41474,56,08 |
| ii) Other Approved Securities | **,99,61** | ,99,61 |
| iii) Shares | **169,38,46** | 245,87,87 |
| iv) Debentures and Bonds | **1433,12,98** | 2471,85,58 |
| v) Subsidiaries/Joint venture | **-** | - |
| a) Investments in RRB | **-** | - |
| a) Investments in a Subsidiary | **56,25,00** | 75,00,00 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE - 8 (Contd.)** | | |
| vi) Others | | |
| (a) Certificate of Deposit | **3793,31,75** | 559,70,31 |
| (b) Commercial Paper | **138,59,70** | - |
| (c) Units of Mutual Funds | **13,23,61** | 13,12,43 |
| (d) Venture Capital Funds | **67,76,01** | 72,88,11 |
| (e) Government.Special Securities | **14941,22,71** | 14926,57,16 |
| (f) Security Receipts | **37,14,40** | 138,08,48 |
| **TOTAL** | **66431,89,55** | 59978,65,63 |
| II. Investments outside India in Other Investments- In Swift | **,54,18** | ,54,18 |
| **TOTAL (I and II)** | **66432,43,73** | 59979,19,81 |
| **SCHEDULE 9 - ADVANCES** | | |
| A. i) Bills purchased and discounted | **1847,96,96** | 931,80,63 |
| ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand | **32948,72,24** | 41619,71,21 |
| iii) Term loans | **92602,36,54** | 78699,69,08 |
| **TOTAL** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| B. i) Secured by Tangible Assets (includes Advances against book debts) | **104308,41,87** | 95914,76,45 |
| ii) Covered by Bank/Government Guarantees | **,38,20** | 10,61,47 |
| iii) Unsecured | **23090,25,67** | 25325,83,00 |
| **TOTAL** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| C. I. Advances in India | | |
| i) Priority Sector | **47658,09,21** | 49505,99,46 |
| ii) Public Sector | **37373,83,70** | 10328,63,88 |
| iii) Banks | **-** | - |
| iv) Others | **42367,12,83** | 61416,57,58 |
| **TOTAL** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| C. II. Advances outside India | **-** | - |
| **GRAND TOTAL (C.I and C.II)** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |

(₹ 000's omitted)

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | ₹ | As on 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS** | | | | |
| **I. Premises** | | | | |
| At cost as on 31st March of the preceeding year | **1192,97,78** | | 924,01,08 | |
| Additions during the year | **4,88,82** | | 278,80,22 | |
| | **1197,86,60** | | 1202,81,30 | |
| Deductions during the year | **1,23,54** | | 9,83,52 | |
| | **1196,63,07** | | 1192,97,78 | |
| Depreciation to date | **176,38,16** | | 151,42,90 | |
| | **1020,24,91** | | 1041,54,88 | |
| Add: Capital Work in progress | **,32,19** | **1020,57,10** | 4,29,26 | 1045,84,14 |
| **II. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)** | | | | |
| At cost as on 31st March of the preceeding year | **1454,64,17** | | 1416,61,69 | |
| Additions during the year | **99,36,71** | | 57,52,75 | |
| | **1554,00,88** | | 1474,14,44 | |
| Deductions during the year | **18,41,30** | | 19,50,28 | |
| | **1535,59,59** | | 1454,64,17 | |
| Depreciation to date | **1233,43,30** | | 1137,50,48 | |
| | **302,16,29** | | 317,13,69 | |
| Add: Capital work in progress | **,19,91** | **302,36,20** | ,11,05 | 317,24,74 |
| **III. Intangible Assets [Computer Software]** | | | | |
| At cost as on 31st march of preceding year | **270,61,62** | | 243,06,48 | |
| Additions during the year | **39,68,48** | | 37,04,08 | |
| | **310,30,10** | | 280,10,56 | |
| Deductions during the year | **2,87,07** | | 9,48,94 | |
| | **307,43,03** | | 270,61,62 | |
| Depreciation to date | **250,96,19** | **56,46,84** | 211,85,68 | 58,75,94 |
| **TOTAL (I and II)** | | **1379,40,14** | | 1421,84,82 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS** | | |
| I. Inter Office Adjustments (Net) | **378,68,19** | - |
| II. Interest accrued | **1950,56,11** | 1706,05,05 |
| III. Tax paid in advance/TDS | **238,98,31** | 290,87,82 |
| IV. Taxes paid under dispute | **3422,70,42** | 2927,45,72 |
| V. Deferred Tax Assets (net) | **4612,93,43** | 5446,25,82 |
| VI. MAT Credit Entitlement | **671,32,70** | 651,38,99 |
| VII. Cenvat/input Tax Credit | **15,31,07** | 39,78,84 |
| VIII. Stationery and stamps | **4,39,95** | 4,78,60 |
| IX. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims | **,9,44** | ,9,44 |
| X. Deposit With NABARD under RIDF/ SIDBI/RHDF | **4651,36,68** | 5918,77,72 |
| XI. Others | **1374,34,68** | 1371,08,40 |
| **TOTAL** | **17320,70,98** | 18356,56,40 |
| **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES** | | |
| I. Claims against the bank not acknowledged as debts | **5485,82,48** | 3232,79,24 |
| II. Depositors Education and Awareness Fund -Closing Balance With RBI | **128,87,72** | 116,56,16 |
| III. A. Liability on account of outstanding forward exchange contacts | **16947,42,19** | 36004,23,88 |
| B. Derivatives | **-** | 924,00,00 |
| IV. Guarantees given on behalf of constituents | | |
| a) in India | **10908,95,60** | 11583,83,58 |
| b) outside India | **169,31,97** | 223,25,88 |
| V. Acceptances, endorsements and other obligations | **3027,80,49** | 4189,45,19 |
| VI. Other items for which the Bank is contingently liable | **59,30,40** | 105,06,62 |
| VII. Securities Purchased Under Reverse Repo | **-** | 6246,42,42 |
| **TOTAL** | **36727,50,85** | 62625,62,97 |
| Bills For Collection | **14364,16,42** | 13747,30,85 |
| **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED** | | |
| I. Interest/Discount on advances/bills | **10721,46,80** | 10992,59,45 |
| II. Income on investments | **4443,07,04** | 4120,20,01 |
| III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds | **17,88,73** | 22,85,31 |
| IV. Others | **988,15,37** | 486,98,26 |
| **TOTAL** | **16170,57,94** | 15622,63,03 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | **As on 31.03.2020 ₹** | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 14 - OTHER INCOME** | | |
| I. Commission, exchange and brokerage | **263,81,93** | 306,98,33 |
| II. Profit/Loss on sale of investments (net) | **388,45,31** | -80,92,51 |
| III. Profit/Loss on sale of land, building and other assets (net) | **1,62,23** | -1,49,49 |
| IV. Profit/Loss on exchange transactions (net) | **114,51,87** | 99,18,07 |
| V. Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/ companies in India | **3,40,08** | 3,32,66 |
| VI. Miscellaneous income | **2977,38,54** | 1544,99,81 |
| **TOTAL** | **3749,19,96** | 1872,06,87 |
| **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED** | | |
| I. Interest on deposits | **10565,54,14** | 9500,24,42 |
| II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings | **200,70,72** | 119,61,64 |
| III. Others | **175,84,67** | 494,30,54 |
| **TOTAL** | **10942,09,53** | 10114,16,60 |
| **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES** | | |
| I. Payments to and provisions for employees | **3372,69,98** | 1746,94,71 |
| II. Rent, taxes and lighting | **330,62,94** | 318,31,25 |
| III Printing and stationery | **23,13,00** | 21,99,57 |
| IV. Advertisement and publicity | **3,87,61** | 3,08,58 |
| V. Depreciation on Bank's property | **180,06,14** | 176,50,70 |
| VI. Directors' fees, allowances and expenses | **,83,77** | ,31,82 |
| VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors) | **24,13,75** | 25,03,44 |
| VIII. Law charges | **6,45,50** | 6,02,44 |
| IX. Postages and Telephones etc. | **81,31,13** | 77,52,52 |
| X. Repairs and maintenance | **133,65,01** | 115,77,36 |
| XI. Insurance | **274,27,65** | 235,62,59 |
| XII. Other expenditure | **744,12,68** | 758,91,82 |
| **TOTAL** | **5175,19,16** | 3486,06,80 |

# Schedule 17
# SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

## 1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

a) The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and except for items recognized on cash basis, as per guidelines issued by the Reserve Bank of India ['RBI'] and comply with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India [ICAI] and relevant requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and Companies Act, 2013, and current practices prevailing within the banking industry in India.

b) The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles [GAAP] requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. The Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actuals could differ from these estimates.

## 2. REVENUE RECOGNITION

a] Income is recognized on an accrual basis except:

(i) Commission on Bank Guarantees and Letters of Credit; arrangement of suppliers /buyers Credit; and Locker rent which are recognized on receipt basis.

(ii) Interest income on Non-Performing advances and investments, and securities guaranteed by Central Government where interest is not realized within 90 days is recognized on receipt basis.

(iii) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order from the Income Tax Department.

b] Profit or loss on sale of investments is recognized in the profit and loss account on settlement basis at the time of sale except the realized profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category which is recognized in the profit and loss account and subsequently appropriated to capital reserve account in accordance with RBI guidelines.

c] Brokerage/commission/incentives received on Banks direct subscriptions are deducted from the cost of securities, whereas brokerage paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenditure.

d] The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

## 3. ADVANCES

a) Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets in accordance with the guidelines issued by the RBI and are stated net of specific provisions made towards Non-Performing Advances ['NPAs'].

b) Credit Card dues are identified as NPAs where minimum dues receivable as mentioned in the statement are in default for a continuous period of more than 90 days from the payment due date mentioned in statement. Income from non performing card accounts is not recognized in financial statements.

c) Provisions for sub-standard, doubtful and loss advances are made on the basis of asset classification and provisioning requirements under the prudential norms laid down by the Reserve Bank of India.

d) Partial recoveries in non-performing advances will be appropriated account wise (not party-wise) in the following order of priority:

i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery,

ii. Interest irregularities/accrued interest, and

iii. Principal irregularities i.e Principal outstanding in the account.

e) In respect of Suit/NCLT accounts, the adjustment of recoveries as per sanction term of competent Authority/NCLT/Judiciary.

In case of non-performing advances involving compromise settlements, the adjustment of recoveries may be adjusted first toward principal then to interest if the recovery is over and above Principal amount

f) General provision for Standard Assets made in accordance with RBI Guidelines is included under "Other Liabilities & Provisions-others".

g) Restructured Accounts: For restructured advances, provisions for erosion in fair value of loan are made in accordance with the guidelines issued by RBI, in addition to the provision otherwise required. The provision for erosion in fair value of

advance is not reduced from advances and is included in the balance sheet under the head “Other Liabilities & Provisions-Others”

## 4. INVESTMENTS

### 1.1 Categorization & Classification

In accordance with the RBI guidelines, investments at the time of acquisition are categorized as

- Held to Maturity [HTM],
- Available for Sale [AFS] and
- Held for Trading [HFT].

The Bank shifts investments from AFS / HFT category to HTM category at the lower of book value or market value. In other words, in cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation should be ignored and the security should be transferred at the book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) should be adjusted to reduce the book value to the market value and the security should be transferred at the market value.

If the security was originally placed under the HTM category at a discount, it may be transferred to AFS / HFT category at the acquisition price / book value. (It may be noted that as per existing instructions banks are not allowed to accrue the discount on the securities held under HTM category and, therefore, such securities would continue to be held at the acquisition cost till maturity). After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it may be transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held may be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

However, for disclosure in the Balance sheet, investments are classified under six categories – Government securities, State Government securities, other approved securities, shares, debentures and bonds, Investments in Subsidiaries/ RRB/Joint Ventures and Others [units of Mutual Funds, Commercial Papers, Certificate of Deposits, State Government Special securities and Venture Capital Funds.]

Investments classified under ‘Held to Maturity’ include the following:

a) Investments in SLR securities as percentage of Demand and Time liabilities or as notified by RBI from time to time

b) Recapitalisation bonds received from the Government of India towards recapitalisation requirements.

c) Investments in share of subsidiaries and joint ventures.

d) Investment in Venture Capital Funds, for an initial period of 3 years of each draw down, after 23rd August 2006.

e) Investment in long term bonds issued by companies engaged in infrastructure activities.

Investments acquired primarily with an intention for trading are classified as HFT securities. As per RBI guidelines, securities in HFT category are not held beyond 90 days and are transferred to AFS category under exceptional circumstances like not able to sell or extreme volatility or market becoming unidirectional, with the approval of the Board/ALCO/Investment Committee.

All other investments are classified under AFS.

### 4.2 Valuation and consequential adjustments :

a] Held to Maturity: Investments classified under ‘Held-to-Maturity’ are carried at weighted average acquisition cost. Premium on acquisition, if any, is amortized on a straight-line basis over the remaining maturity period. In case of investments in subsidiaries /joint ventures any diminution, other than temporary, in the value of such investment is recognized and provided for. Investments in Venture Capital Fund are valued at Cost.

b] Available for Sale and Held for Trading:

(i) Investments in these categories (classified under the category `Held for Trading’ and `Available for Sale’) are marked to market / estimated realizable value as per RBI guidelines at monthly and quarterly intervals for HFT and AFS respectively. While the resultant net depreciation, if any, within each category referred to in 4.1 above, is recognized in profit & loss account as “Provisions and Contingencies”, the net appreciation is ignored except to the

extent of depreciation previously provided. The book value of the individual scrip is not changed after revaluation.

(ii) In the case of write back of excess provision of depreciation the same is credited to "Provisions and Contingencies "and a like amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserve) is appropriated to Investment Reserve Account under Schedule 2 – "Reserves & Surplus".

(iii) For the purpose of (i) above, the market price / estimated realizable value is determined as under:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Central Government of India securities | [i] Quoted :At market price as per the quotation put out by FIMMDA.<br>[ii] Unquoted: on the basis of the prices /YTM rates put by the FIMMDA |
| 2. | State Government Securities, State Govt. Special Securities, Securities guaranteed by Central/ State Government (other approved securities) | [i] At prices published by FIMMDA in respect of State Govt. Securities.<br>[ii] At appropriate spread upon the yield curve put out by the FIMMDA in respect of other approved securities |
| 3. | Treasury Bills (including Treasury Bills held on account of PD business) / Certificates of deposits / Commercial paper | At carrying cost. |
| 4. | Equity shares | [i] Quoted : At market price<br>[ii] Unquoted: At break up value as ascertained from the company's latest Balance Sheet [not more than one year old], otherwise at Re.1/- per company. |
| 5. | Preference Share, Debentures and Bonds | [i] Quoted: At Market Price<br>[ii] Unquoted: On appropriate Yield to Maturity |
| 6. | Mutual Fund | [i] Quoted : At market price<br>[ii] Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value [where repurchase price is not available] declared by the fund in each of the schemes |
| 7. | Venture Capital Funds | [I] Quoted: At market value<br>[ii] Unquoted: In the case of investments in the form of units, the valuation will be done at the NAV shown by the VCF in its financial statements. Depreciation, if any, on the units based on NAV has to be provided at the time of shifting the investments to AFS category from HTM category as also on subsequent valuations which should be done at quarterly or more frequent intervals based on the financial statements received from the VCF. At least once in a year, the units should be valued based on the audited results. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are to be valued at Rupee 1per VCF. |

**4.3 Non-performing Investments**

a] All such securities where repayment of principal or interest not serviced within 90 days from the due date are classified as Non-Performing Investments, except securities guaranteed by the Central Government which are treated as performing investments notwithstanding arrears of principal / interest payments. In respect of investments classified as Non-performing, appropriate provisions are made for the depreciation in the value of these investments. The depreciation requirement in respect of these securities is not set off against appreciation in respect of other performing securities.

b] Where the Bank has both credit and investment exposures to any borrower/ group and in the event the credit exposure is classified as Non-Performing asset, the investment exposure to them is also classified as Non-Performing.

Clarifications:

If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

**4.4 ACCOUNTING FOR REPO TRANSACTIONS**

The Bank follows the accounting norms prescribed by RBI vide circular Ref. RBI/2018-19/24 FMRD. DIRD.01/14.03.038/2018-19 DATED 24.07.2018 in respect of repo / reverse repo transactions under market repo and the accounting guidelines issued vide Ref.RBI/2015-2016/403 FMRD.DIRD.10/14.03.002/2015-16 dated 19.05.2016 in respect of repo/reverse repo

transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

The accounting norms to be followed by Bank for repo/reverse repo transactions under LAF and the Marginal Standing Facility (MSF) of RBI shall be same as prescribed for market repo transactions. Further, in order to distinguish repo/reverse repo transactions with RBI from market repo transactions, a parallel set of accounts similar to those maintained for market repo transactions but prefixed with 'RBI' may be maintained.

Reckon the market value of collateral securities for calculating the haircut instead of face value while initiating the LAF/MSF transactions;

Bestow SLR status to the securities acquired by banks under reverse repo with RBI; and

Allow re-repo of securities received under LAF reverse repo with market participants subject to the conditions prescribed in RBI circular FMRD.DIRD.5/14.03.002/2014-15 dated February 5, 2015.

**4.5 Accounting For Investment Transactions**

i) The Bank follows settlement date method of accounting its investments;

ii) Cost is determined on weighted average cost method;

iii) Profit on sale is netted with loss on sale of securities and

iv) The portion of income/loss that arises on account of movement in the yield, when the following investments are sold, will have to be treated as profit/loss:

a) The difference between the sale price/ redemption value of fixed income securities and its book value shall be treated as profit or loss on sale of investments.

b) The difference between sale price/ redemption value of mutual funds including liquid Mutual Funds and its book value shall be treated as profit/loss on sale of investments.

c) In respect of discounted securities viz. CD/CP/T-Bills, difference between sale price and carrying cost (book value + accrued interest) shall be treated as profit/ loss on investment.

**5. FIXED ASSETS**

A]. i) Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment. Cost comprises of the purchase price and any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use. The carrying amounts of fixed assets are reviewed at each balance sheet date and adjusted for any impairment in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

ii) Land and Building (Other than Leasehold land) being part of premises revalued during the September 2018 are stated at the average market value of two valuation report crediting to the Revaluation reserve. Consequently, depreciation on these assets is charged to Profit and Loss account and an equal amount is adjusted to accumulated depreciation. Difference between the depreciation on revalued carrying amount and depreciation on its original cost is transferred from "Reserve for revaluation of Land and Building" to "General Reserve" in accordance with AS- 10 "Property, Plant and Equipment issued in this regard by the ICAI".

iii. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be Impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

iv. Capital Work-in-progress includes cost of fixed assets that are not ready for their intended use and also includes advances paid to acquire fixed assets.

B]. Depreciation shall be provided under the straight line method from the date of capitalization. The assets are depreciated taking into consideration the useful life of the asset as provided in schedule II of the Companies Act, 2013. The Bank as a matter of prudence finds that the useful life of the following assets is lower than the useful life of the respective category of assets mentioned in Schedule II (ref.: Sec. 123) of the Companies Act, 2013 as stated below:

a) Motor Cycle, scooters and other mopeds – 8 Years (As against standard life mentioned in Companies Act Schedule –II-10 Years)

b) Mobile Phones – 3 Years (As against standard life mentioned in Companies Act Schedule –II-15 Years)

c) UPS and allied items – 5 Years (As against standard life mentioned in Companies Act Schedule –II-10 Years)

d) Air Conditioners and Electrical fittings – 5 Years As against standard life mentioned in Companies Act Schedule –II-10 Years)

e) Lease hold improvements are depreciated over period of 5 Years.

f) Depreciation on premises is provided for on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identified.

**6. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

a) Transactions denominated in foreign currencies are accounted for at the rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the balance sheet date at closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers Association of India [‘FEDAI’] and the resulting profits/losses are recognized in the profit and loss account.

b) Foreign Currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

c) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts meant for trading purpose are revalued at the exchange rates specified for spot and the respective forward maturities as notified by FEDAI. The resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account.

d) Foreign exchange forward contracts, which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are revalued at the closing spot rate as notified by FEDAI and the resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the period of the contract.

e) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

**7. DERIVATIVES**

a) The bank enters into derivative contracts such as foreign currency interest rate swaps, currency swaps, currency futures, options and forward rate agreements.

b) The income/expenses on derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis.

c) All trading derivative contracts are marked to market and the resultant gains or losses are recognized in the profit and loss account.

d) All derivative transactions are classified under contingent liabilities and those denominated in foreign currencies are reported using the FEDAI closing spot rates.

**8. TRANSACTIONS INVOLVING PRECIOUS METALS**

a] Income from precious metals transactions is accounted for as “Other Income”. In case of metals received on consignment basis, the income thereon is recognized at the time of sale.

b] Commodity loans to the constituents and deposits from public under the gold deposit scheme in the form of precious metals are translated at market related rates prevailing at the close of the period and shown under the head “Advances” and “Deposits” respectively.

c] Closing stock of precious metals [own dealing] is valued at lower of the cost and net realizable value.

d] Closing stock of gold held under Gold Deposit Scheme is valued at market related rates, as per RBI guidelines.

**9. CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**

Cash and Balance with Reserve Bank of India include cash on hand and in ATM’s, and gold in hand and balances with RBI in current accounts.,

**10. EMPLOYEE BENEFITS**

a) The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

b) i) Contributions payable to Gratuity, Pension and Leave Encashment etc., which are defined benefits, based on actuarial valuations, at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary;

ii) Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), which is a defined contribution scheme; are charged to the profit and loss account.

11. **LEASE TRANSACTIONS**

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term.

12. **CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS**

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Past events leading to possible obligations existence of which will be confirmed only by the occurrence or nonoccurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or present obligations where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made, are treated as contingent liabilities and are dealt-with in accordance with AS29.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. **TAXES ON INCOME**

Income-tax expense comprises current tax [i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law] and deferred-tax charge or credit [reflecting tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period].

a] Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinions.

b] The deferred-tax charge or credit and the corresponding deferred-tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. As advised by RBI, Bank shall create of Deferred Tax Liabilities on the "Special Reserves" created by Banks under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961. Deferred-tax assets are recognized keeping in view the consideration of prudence only to the extent there is virtual certainty that the assets can be realized in future.

14. **EARNINGS PER SHARE**

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are computed in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

15. **Treatment of Basel III compliant Additional Tier I Bonds and Tier II Bonds on occurrence of Trigger events:**

A] On occurrence of Trigger event i.e. Common Equity Tier 1 trigger event the Bank shall write-down the outstanding principal of the Bonds not less than that the amount required to immediately return the Banks Common Equity Ratio to above the CET1 trigger event by creating "AT 1 Bond Reserve". The reserve so created shall be part of Common Equity Tier I Capital Bonds written down on occurrence of CET1 Trigger event temporarily may be re-instated in terms of Bond issue /RBI guidelines by debit to AT-1 Bond reserve.

b] On occurrence of Point of Non Viability [PONV] trigger event initiated by Reserve Bank of India, the Bank may create common equity Tier I capital by writing off Additional Tier I Bond principal amount permanently with corresponding creation of AT-1 Bond reserve/Tier II Bond Reserve as the case may be. The re-instatement clause is not applicable on occurrence of PONV trigger event.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S

**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N

**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# SCHEDULE 18
# STANDALONE NOTES FORMING INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

## A. DISCLOSURES REQUIRED IN TERMS OF GUIDELINES ISSUED BY RBI

### 1. CAPITAL

a) During the year, the Bank has raised ₹ 1000.00 crore through Basel III compliant Tier II Bonds on November 08, 2019.

b) The Bank's Capital to Weighted Risk Assets Ratio (CRAR) has been worked out as per the RBI guidelines. These ratios are given below:

(₹ in Crores)

| Sr. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| | | BASEL III | BASEL III |
| i) | Common Equity Tier 1 capital ratio | 9.04% | 10.39% |
| ii) | Tier 1 capital ratio | 9.04% | 10.52% |
| iii) | Tier 2 capital ratio | 2.49% | 1.78% |
| iv) | Total Capital ratio (CRAR) | 11.53% | 12.30% |
| v) | Percentage of the shareholding of the Government of India | 93.50% | 93.50% |
| vi) | Amount of equity capital raised during the year | - | 11,746.97 |
| vii) | Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which | - | - |
| | Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) | - | - |
| | Perpetual Debt Instruments (PDI) | - | - |
| viii) | Amount of Tier 2 capital raised; of which | - | - |
| | Debt capital instruments | 1,000.00 | - |
| | Preference Share Capital Instruments | - | - |
| | Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) | - | - |
| | Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) | - | - |
| | Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS) | - | - |

### 2. INVESTMENTS

(₹ in Crore)

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | **Value of Investments** | | |
| | (i) Gross Value of Investments | | |
| | (a) In India | 67,608.19 | 61,214.62 |
| | (b) Outside India | 0.54 | 0.54 |
| | (ii) Provision for Depreciation | | |
| | (a) In India | 1,176.30 | 1,235.97 |
| | (b) Outside India | Nil | Nil |
| | (iii) Net Value of Investments | | |

(₹ in Crore)

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| | (a) In India | 66,431.89 | 59,978.65 |
| | (b) Outside India | 0.54 | 0.54 |
| **2.** | **Movement of provisions held towards depreciation on investments** | | |
| | Opening balance | 1,235.97 | 1,139.02 |
| | Add: Provisions made during the year | 92.54 | 332.69 |
| | Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year | 152.21 | 235.74 |
| | Closing balance | 1,176.30 | 1,235.97 |

2.1 a) During the year, premium of ₹ 82.16 crore (previous year ₹ 78.94 crore) was amortized in respect of securities held under “Held to Maturity” category.

b) During the year, there was no depreciation (previous year Rs 0.01 Cr) for securities held under the “Held for Trading” category.

c) During the year, there was reversal of provision for depreciation of ₹ 28.63 crore (previous year ₹ 58.96 reversal of provision) for investments under the “Available for Sale” category.

d) During the year, the Bank had transferred securities of book value of ₹ 571.20 crore (Previous year ₹ 8692.94 crore) from “Available for Sale category” to “Held to Maturity” by accounting depreciation of ₹ 21.73 Crore (previous year ₹ 238.52 Crore), transferred securities of book value of ₹ 592.03 crore (Previous year ₹ 12390.91 crore) from “Held to Maturity” to “Available for Sale” category, transferred securities of book value of ₹ NIL Crore (Previous year ₹ Nil) from “Held for Trading” to “Available for Sale category” and also transferred securities of book value of ₹ NIL crore (Previous year ₹ Nil) from “Held for Trading” to “Held to Maturity”.

e) During the current year, the value of sales/ transfers of securities to / from HTM category [ excluding portfolio transfer of securities (under one time / special window permitted by RBI ) and sales to RBI under OMO auctions ] had exceeded the limit of 5% of the book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year. The market value of investment held in the HTM category was Rs.53,995.42 crore as on 31.03.2020 (Previous year ₹ 47,641.72 crore ). The excess of Book Value over Market Value for which provision was not made was ₹ Nil (Previous year ₹ 817.53 Cr ).

f) Government Securities amounting to Rs 108.34 Cr (Previous Year ₹ 661.85 Cr) are pledged with CCIL/ NSCCL/MCXCCL/ ICCL for Settlement Guarantee Fund or Default Fund.

g) Investments include Government securities amounting to Rs 2,171.23 (Previous year Rs 20,244.57 crore) pledged for borrowing under LAF-Repo / TREPS / CROMS-Repo / CBLO / IDL (as applicable) out of which Rs.201.71 Cr (Previous year was 5084.32 Cr) are encumbered.

**2.2 Repo Transactions (In face value terms)**

(₹ in Crores)

| Particulars | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Average outstanding during the year | Outstanding as on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Securities sold under repo** | | | | |
| i. Government securities | 0.00 | 8588.95 | 3360.38 | 0.00 |
| ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii. Any other securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Securities purchased under reverse repo** | | | | |
| i. Government securities | 0.00 | 1535.03 | 69.47 | 0.00 |
| ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii. Any other securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 2.3 Non-SLR Investment Portfolio

#### i) Issuer Composition of Non-SLR Investments

| Sl. No | Issuer | Amount | Extent of Private Placement | Extent of 'Below Investment Grade' Securities | Extent of 'Un-rated' Securities | Extent of 'Un-listed' Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSUs (Excl. PSB & PSU FIs) | 934.60 | 5.16 | - | - | - |
| 2 | FIs | 1,611.99 | 1,609.28 | - | - | - |
| 3 | Banks | 2,242.02 | 2,242.02 | - | - | - |
| 4 | Private Corporates | 1,363.09 | 1,340.34 | 90.58 | 80.58 | 80.58 |
| 5 | Subsidiaries / Joint Ventures | 56.25 | 56.25 | - | - | - |
| 6 | Others | 15,618.94 | 14,788.12 | - | - | - |
| 7 | Provision held towards depreciation | (1,176.30) | - | - | - | - |
| | **Total** | **20,650.59** | **20,041.17** | **90.58** | **80.58** | **80.58** |

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

#### ii) Non-performing Non-SLR Investments

(₹ in Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| **Opening Balance** | **934.69** | **860.73** |
| Additions during the year since 1st April | 29.49 | 99.14 |
| Reduction during the above period | 95.12 | 25.18 |
| **Closing balance** | **869.06** | **934.69** |
| **Total Provisions held** | **857.99** | **889.02** |

### 3. DERIVATIVES

#### 3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate swap

(₹ in Crores)

| Sl. No | Items | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | The notional principal of swap agreements | - | - |
| ii) | Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements | - | - |
| iii) | Collateral required by the bank upon entering into swaps | - | - |
| iv) | Concentration of credit risk arising from the swaps | - | - |
| v) | The fair value of the swap book | - | - |

#### 3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in Crores)

| Sl. No. | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| (i) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise) | - | - |
| (ii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding (instrument wise) | - | - |
| (iii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise) | - | - |
| (iv) | Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise) | - | - |

### 3.3 Disclosure on Risk Exposure in derivatives:

#### (i) Qualitative Disclosure:

a) The Bank's Derivative Policy as approved by the Board permits Bank to undertake deals in over-the-counter (OTC) as well as exchange traded (ET) interest rate and currency derivatives. The policy permits the offering of the products to the customer to manage their foreign currency exposures, which are to be covered on Back-to-Back basis in the interbank market. Derivatives can also be used by the Bank both for trading as well as hedging on-balance sheet items. In the current financial year, Bank has entered into derivative deals involving forwards and currency futures.

b) The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversee management of these risks. The Bank's Integrated Risk Management Department (IRMD), independently identifies, measures and monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.

c) Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Derivative Policy" approved by the Board prescribes the market risk parameters as well as Customer Appropriateness policy for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties in respect of whom appropriate credit limits are sanctioned taking into account their ability to honour obligations. The Bank enters into International Swap Dealers Association (ISDA) agreements with each counter party.

d) The accounting policy for derivatives as stated in Significant Accounting Policies, has been drawn-up in accordance with RBI guidelines and revenues are recognized accordingly.

#### ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Crores)

| Sl. No. | Particulars | 31st March, 2020 | | 31st March, 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Currency Derivatives | Interest rate Derivatives | Currency Derivatives | Interest rate Derivatives |
| 1 | **Derivatives (Notional Principal Amount)** | | | | |
| | a) For hedging | - | - | - | - |
| | b) For trading | - | - | - | - |
| 2 | **Marked to Market Positions** | | - | | - |
| | a) Asset (+) | - | - | - | - |
| | b) Liability (-) | - | - | - | - |
| 3 | **Credit Exposure** | - | - | - | - |
| 4 | **Likely impact of one percentage change in interest rate on IRSs and CCSs (100*PV01)** | | | | |
| | a) on hedging derivatives | - | - | - | - |
| | b) on trading derivatives | - | - | - | - |
| 5 | **Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year for IRSs and CCSs** | | | | |
| | **a) on hedging** | | | | |
| | i) maximum | - | - | - | - |
| | ii) minimum | - | - | - | - |
| | **b) on trading** | | | | |
| | i) maximum | - | - | - | - |
| | ii) minimum | - | - | - | - |

## 4. ASSET QUALITY

### 4.1 ADVANCES

a) In the case of unaudited branches, the classification of advances, as certified by the Branch Managers has been incorporated.

b) During the year the Bank has made provision for NPA of Rs.4229.91 Crores (Previous Year Rs.12,002.72 Crores). The Bank has made required provision cumulative for Non Performing Advances as at 31st March 2020 ₹ 12853.33 Crores (Previous Year Rs.13,525.38 Crores) in the line with RBI guidelines.

### 4.2 Non-Performing Assets

(₹ in Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| **(i) (a) Net NPAs** | **6,256.97** | **6,926.64** |
| **(b) NPA Ratios** | | |
| i) Gross NPAs to Gross Advances | 13.80% | 15.35% |
| ii) Net NPAs to Net Advances | 4.91% | 5.71% |
| **(ii) Movement of NPAs (Gross)** | | |
| a) Opening balance | 20,723.68 | 22,213.44 |
| b) Additions during the year | 4,336.27 | 6,282.60 |
| c) Reductions during the year | 5,660.93 | 7,772.37 |
| d) Closing balance | 19,399.02 | 20,723.68 |
| **(iii) Movement of Net NPAs** | | |
| a) Opening balance | 6,926.64 | 14,077.02 |
| b) Additions during the year | 106.36 | -5,720.12 |
| c) Reductions during the year | 776.03 | 1430.26 |
| d) Closing balance | 6,256.97 | 6,926.64 |
| **(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)** | | |
| a) Opening balance | 13,525.38 | 7,929.68 |
| b) Provisions made during the year | 4,229.91 | 12,002.72 |
| c) Write off/Write back off excess provisions, provision reversed | 4,901.97 | 6407.02 |
| d) Closing balance | 12,853.32 | 13,525.38 |
| **(v) Amount of Non Performing Investments** | **869.06** | **934.69** |

### 4.3 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

As per RBI circular No.DBR.BPBC.No.32.21.04.018.2018-19 dated April 1, 2019, in case, the additional provisioning for NPAs as assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and for additional gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental gross NPAs for the reference period, then the Banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning. In view of the above, details of divergence of our Bank is as under:

(₹ in Crores)

| Sr. No. | Particulars | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Gross NPAs as on March 31, 2019 | 20,723.68 |
| 2 | Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI | 20,967.68 |
| 3 | Divergence in Gross NPAs (2-1) | 244.00 |
| 4 | Net NPAs as on March 31, 2019 | 6,926.64 |
| 5 | Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI | 6,709.87 |
| 6 | Divergence in Net NPAs (5-4) | -216.77 |
| 7 | Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank | 11,585.14 |
| 8 | Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI | 12,045.91 |
| 9 | Divergence in provisioning (8-7) | 460.77 |
| 10 | Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 | -6,332.98 |
| 11 | Adjusted (Notional) Net Profit / (Loss) after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning | -6,672.74 |

Note: The Bank has made full provision against the said divergence as at 31st December, 2019.

4.4 The spread of COVID 19 across the globe has resulted in decline in economic activity and increase in volatility in financial markets and decline in economic activities. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's provision on assets will depend on the future developments, which are highly uncertain, including among the other things any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government mandated or elected by the Bank.

In accordance with RBI guidelines relating to 'COVID 19 Regulatory Package' on asset classification and provisioning, dated 27.03.2020 and 17.04.2020, 23.05.2020 and clarification issued by RBI through Indian Bankers Association dated 06.05.2020, Bank has granted a moratorium on payment of instalments and / or interest as applicable, falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on February 29, 2020 without considering the same as restructuring. The moratorium period, wherever granted, shall be excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms. In accordance with RBI's guidelines, the Bank is required to make provision @ 10% of the outstanding advances over two quarters beginning with the quarter ended March 31, 2020 in respect of such borrowal accounts where assets classification benefit has been granted as per RBI Guidelines. Accordingly, Bank has extended the relief in terms of the said circulars as follows:

(₹ in Crore)

| Sl No. | Particulars | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Amount Outstanding in SMA/Overdue Category where Moratorium / Deferment extended | 8441.89 |
| 2 | Amount Outstanding in Accounts where Asset classification benefit Extended | 1568.67 |
| 3 | Provision Made Q4 FY19-20 | 78.43 |
| 4 | Provision Adjusted During March-19-20 against Slippage and the residual provision | Nil |

Interest income aggregating ₹ 78.42 Crore has been reckoned

4.5 In terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019, Additional provision is made in 2 NPA accounts amounting to Rs.71.06 Crores, in respect of borrowers where ICA is signed and RP is not yet implemented in 180 days and in respect of third borrower account warranting provision of Rs.44.67 Crores, provision made on account of Harmonisation referred to in note 4.6 below and included therein is more than the aggregate of provision required as per IRAC norms and ICA provision

4.6 Consequent to the amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India an additional provision of Rs 199.86 Crores has been made for FY ended 2019-20 in respect of eight NPA accounts with common exposures to give effect for Provisioning Harmonization as directed by RBI vide ref Dos(CO)SSM-UBI / 6754 / 25.01.001 / 2019-20 dated 08.06.2020.

## 4.7 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2020

(₹ in Crores)

| Sr No | Type of Restructuring → | | Under CDR Mechanism | | | | | Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | Others | | | | | Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Asset Classification → / Details ↓ | | Standard | Sub Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub Standard | Doubtful | Loss | Total |
| 1 | Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)* | No. of borrowers | 3 | 0 | 38 | 9 | 50 | 1227 | 3 | 60 | 13 | 1303 | 51 | 2 | 116 | 32 | 201 | 1281 | 5 | 214 | 54 | 1554 |
| | | Amount outstanding | 272.67 | 0.00 | 3793.66 | 439.26 | 4505.59 | 205.60 | 0.08 | 297.02 | 167.92 | 670.62 | 490.79 | 24.03 | 3577.90 | 990.05 | 5082.77 | 969.06 | 24.11 | 7668.58 | 1597.23 | 10258.98 |
| | | Provision thereon | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.48 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 |
| 2 | Fresh restructuring during the year | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 4124 |
| | | Amount outstanding | 57.63 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 62.65 | 631.80 | 0.06 | 0.01 | 0.38 | 632.25 | 3.25 | 0.00 | 3.39 | 0.11 | 6.75 | 692.68 | 0.06 | 8.42 | 0.49 | 701.65 |
| | | Provision thereon | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 3 | Upgradations to restructured standard category during the FY | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.71 | 0.00 | -153.71 | 0.00 | 0.00 | 153.71 | 0.00 | -153.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY including adjustments | No. of borrowers | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | -28 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| | | Amount outstanding | -19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.35 | -11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.38 | -197.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197.05 | -227.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -227.78 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Down-gradations of restructured accounts during the FY | No. of borrowers | -1 | 0 | -8 | 9 | 0 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 3 | -6 | 8 | 0 | -8 | 2 | -12 | 18 | 0 |
| | | Amount outstanding | -48.61 | 0.00 | -1563.95 | 1612.56 | 0.00 | -0.43 | 0.29 | -0.05 | 0.19 | 0.00 | -38.26 | 14.23 | -282.89 | 306.92 | 0.00 | -87.30 | 14.52 | -1846.89 | 1919.67 | 0.00 |
| | | Provision thereon | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | -6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.75 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -5 | 0 | -7 | -5 | 0 | -9 | -5 | -19 | -7 | 0 | -14 | -5 | -26 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | -85.51 | -1.89 | -87.40 | -1.47 | 0.00 | -12.90 | 0.00 | -14.37 | -30.72 | 0.00 | -786.66 | -66.46 | -883.84 | -32.19 | 0.00 | -885.07 | -68.35 | -985.61 |
| | | Provision thereon | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.82 | -31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.35 |
| 7 | Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*) | No. of borrowers | 1 | 0 | 30 | 18 | 49 | 5337 | 2 | 57 | 14 | 5410 | 25 | 5 | 100 | 35 | 165 | 5363 | 7 | 187 | 67 | 5624 |
| | | Amount outstanding | 262.34 | 0.00 | 2149.22 | 2049.93 | 4461.49 | 824.12 | 0.43 | 284.08 | 168.49 | 1277.12 | 381.72 | 38.26 | 2358.03 | 1230.62 | 4008.63 | 1468.18 | 38.69 | 4791.33 | 3449.04 | 9747.24 |
| | | Provision thereon | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 |

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). (RBI Circular DBOD. BP.BC.No.80/21.04.132/2012-13 dated 31-01-2013)

Fresh restructuring during the FY also includes the increase of ₹ 69.99 Crore in outstanding in the existing restructured accounts

Write-offs of restructured accounts during the FY also includes the decrease of ₹ 688.39 Crore in outstanding balances in the existing restructured accounts.

### 4.8 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ in Crores)

| A) | Sl. No | Item | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | i) | No. of accounts | - | - |
| | ii) | Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC | - | - |
| | iii) | Aggregate consideration | - | - |
| | iv) | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | - | - |
| | v) | Aggregate gain/ (Loss) over net book value. | ` | - |

With a view to incentivizing banks to recover appropriate value in respect of their NPAs promptly, banks can reverse the excess provision on sale of NPA if the sale is for a value higher than the net book value (NBV) to its profit and loss account in the year the amounts received. The quantum of excess provision reversed to the profit and loss account on account of sale of NPAs should be disclosed in the financial statements of the bank under "Notes to Accounts".

As on incentive for early sale of NPAs, bank can spread over any shortfall, if the sale value is lower than the NBV, over a period of two years. This facility of spreading over the shortfall would however be available for NPAs sold upto March 31, 2016 and will be subject to necessary disclosures in the "Notes to Account".

(₹ in Crores)

| B) | Details of Book value of Investments in Security Receipts: | | |
|---|---|---|---|
| | **Particulars** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** |
| | (i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying | 137.9 | 139.63 |
| | (ii) Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non banking financial companies as underlying<br>Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC | | - |
| | **Total** | **137.9** | **139.63** |

### 4.9 Details of non-performing financial assets purchased/sold

#### A) Details of non-performing financial assets purchased

(₹ in Crores)

| Sl. No | Particulars | | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (a) | No. of accounts purchased during the year | - | - |
| | (b) | Aggregate outstanding | - | - |
| 2 | (a) | Of these, number of accounts restructured during the year | - | - |
| | (b) | Aggregate outstanding | - | - |

#### B) Details of non-performing financial assets sold

(₹ in Crores)

| Sl. No. | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | No. of accounts sold | - | - |
| 2 | Aggregate outstanding (Net of Provision) | - | - |
| 3 | Aggregate consideration received | - | - |

4.10 **Provision on Standard Assets**

(₹ in Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Provision on Standard Assets | 1,026.07 | 740.24 |

4.11 **Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31st March, 2020**

(₹ in Crores)

| No. of accounts where S4A has been applied | No. of accounts | Aggregate amount outstanding * | Amount outstanding | | Provision Held |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | In Part A | In Part B | |
| Classified as Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classified as NPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.12 **Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans as on 31st March, 2020**

(₹ in Crores)

| Period | No. of borrowers taken up for flexibly structuring | Amount of loans taken up for flexible structuring | | Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Classified as Standard | Classified as NPA | Before applying flexible structuring (in months) | After applying flexible structuring (in months) |
| 2016-17* | 21 | 1288.11 | 1379.93 | 87 | 224 |
| 2017-18* | 5 | 315.16 | 196.32 | 129 | 269 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Balance outstanding as on 31.03.2020 for all the borrowal accounts

4.13 **Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31st March, 2020**

(₹ in Crores)

| No. of accounts where SDR has been invoked | Amount outstanding as on the reporting date | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Classified as standard | Classified as NPA | Classified as standard | Classified as NPA | Classified as standard | Classified as NPA |
| - | - | - | - | - | - | - |

**4.14 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31st March, 2020**

(₹ in Crores)

| No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership | Amount outstanding as on the reporting date | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Classified as standard | Classified as NPA | Classified as standard | Classified as NPA | Classified as standard | Classified as NPA | Classified as standard | Classified as NPA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.15 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31st March, 2020**

(₹ in Crores)

| No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership | Amount outstanding as on the reporting date | | |
|---|---|---|---|
| | Classified as standard | Classified as standard restructured | Classified as NPA |
| - | - | - | - |

**5.0 BUSINESS RATIOS**

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | Interest Income as a % to average Working Funds | 7.64% | 7.74% |
| ii) | Non- Interest Income as a % to average Working Funds | 1.77% | 0.93% |
| iii) | Operating Profit as a % to average Working Funds | 1.80% | 1.93% |
| iv) | Return on Assets | -1.13% | -3.14% |
| v) | Business (deposits plus advances) per employee (₹ in Crores) | 19.00 | 17.2 |
| vi) | Profit per employee (₹ in Crores) | -0.14 | -0.36 |

Note: Average working funds represent average of total assets as reported to RBI during 12 months of the financial year.

**6. Asset Liability Management**

**Maturity pattern of Assets and Liabilities as at March 31, 2020**

(₹ in Crores)

| Sl. No | Particulars | Day 1 | 2-7 Days | 8-14 Days | 15-30 Days | 31D-2M | >2M-3M | >3M-6M | >6M-1Y | >1Y-3Y | >3Y-5Y | >5Yrs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | NET LOANS & ADVANCES | 1,291.34 | 3,358.49 | 1,818.31 | 5,903.46 | 1,224.44 | 7,857.80 | 4,630.91 | 31,432.85 | 46,718.02 | 11,021.98 | 12,141.46 | 127,399.05 |
| ii) | INVESTMENTS | 14,901.29 | 1,507.66 | 1,078.18 | 763.13 | 1,561.37 | 648.64 | 2,861.91 | 7,963.40 | 6,856.04 | 1,480.62 | 26,810.20 | 66,432.43 |
| iii) | DEPOSITS | 1,954.45 | 5,539.92 | 5,599.67 | 4,507.89 | 8,717.07 | 4,317.72 | 14,052.22 | 32,209.97 | 39,336.36 | 9,072.38 | 80,047.11 | 205,354.78 |
| iv) | BORROWINGS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.35 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 208.35 | 20.80 | 2.40 | 1,500.00 | 2,301.06 |

(₹ in Crores)

| Sl. No | Particulars | Day 1 | 2-7 Days | 8-14 Days | 15-30 Days | 31D-2M | >2M-3M | >3M-6M | >6M-1Y | >1Y-3Y | >3Y-5Y | >5Yrs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v) | FOREIGN CURRENCY ASSETS | 133.68 | 464.27 | 25.03 | 1,548.48 | 187.62 | 286.11 | 328.32 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989.09 |
| vi) | FOREIGN CURRENCY LIABILITIES | 191.08 | 60.06 | 35.39 | 62.83 | 65.41 | 145.99 | 54.88 | 415.61 | 485.94 | 235.71 | 0.00 | 1,752.90 |

**Maturity pattern of Assets and Liabilities as at March 31, 2019**

(₹ in Crores)

| Sl. No | Particulars | Day 1 | 2-7 Days | 8-14 Days | 15-30 Days | 31D-2M | >2M-3M | >3M-6M | >6M-1Y | >1Y-3Y | >3Y-5Y | >5Yrs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | NET LOANS & ADVANCES | 2,523.15 | 3,911.14 | 2,947.07 | 10,030.70 | 4,038.97 | 4,743.17 | 4,008.70 | 9,049.22 | 55,784.55 | 12,796.43 | 11,418.11 | 121,251.20 |
| ii) | INVESTMENTS | 10,425.80 | 1,952.58 | 1,016.26 | 726.70 | 1,792.17 | 979.14 | 2,956.55 | 4,309.18 | 6,437.63 | 2,259.04 | 27,124.15 | 59,979.20 |
| iii) | DEPOSITS | 1,997.39 | 3,145.49 | 4,538.15 | 2,797.92 | 6,202.79 | 4,701.21 | 15,802.56 | 25,914.92 | 35,836.32 | 9,075.18 | 74,555.91 | 184,567.84 |
| iv) | BORROWINGS | 0.00 | 4,706.06 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 503.00 | 503.16 | 43.51 | 21.51 | 12.80 | 2,600.00 | 8,394.26 |
| v) | FOREIGN CURRENCY ASSETS | 362.47 | 2,685.04 | 28.44 | 152.59 | 313.49 | 324.66 | 200.89 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068.55 |
| vi) | FOREIGN CURRENCY LIABILITIES | 191.95 | 58.51 | 31.46 | 63.70 | 60.27 | 176.65 | 152.37 | 374.17 | 383.37 | 244.67 | 0.00 | 1,737.13 |

## 7. Exposures

### 7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crores)

| Sl. No. | Category | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| **a)** | **Direct exposure** | | |
| **i)** | **Residential Mortgages –** | | |
| | Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; | 16,080.01 | 15872.14* |
| | of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority Sector advance | (7,568.90) | (7102.24)* |
| **ii)** | **Commercial Real Estate –** | | |
| | Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure also includes non-fund based (NFB) limits | 3,613.92 | 2,660.32 |
| | of which, commercial Real Estate to Residential Housing | (566.83) | (1,028.94) |
| **(iii)** | **Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –** | | |
| | a. Residential | 400.36 | 164.90 |

(₹ in Crores)

| Sl. No. | Category | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| | b. Commercial Real Estate | - | - |
| **b)** | **Indirect Exposure** | | |
| | Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) including State Housing Boards and Corporations | 8,480.37 | 5,790.09 |
| | Total Exposure to Real Estate Sector | 28,574.66 | 24,487.45 |

* inclusion of let out accounts

**7.2 Exposure to Capital market**

(₹ in Crores)

| | Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | i) | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt*** | 1,034.79 | 1,146.89 |
| | ii) | Advances against share/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares [including IPOs/ ESOPs], convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds. | - | 0.21 |
| | iii) | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units or equity oriented mutual funds are taken as primary security. | 0.03 | 0.03 |
| | iv) | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | 58.50* | 218.53* |
| | v) | Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; | 4.65 | 5.85 |
| | vi) | Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources. | - | - |
| | vii) | Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues; | - | - |
| | viii) | Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | - | - |
| | ix) | Financing to stockbrokers for margin trading [Bank Guarantees issued] | - | 1.75 |
| | x) | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | 128.82 | 126.25 |
| | **Total Exposure to Capital Market** | | **1226.79** | **1499.51** |

* Change in the exposure under Sl. No. (iv) & (v) on account of reclassification of accounts

*** includes investments of Rs.826.55 Cr (Previous year Rs.918.53 Cr) on account of conversion of debt into equity under CDR/SDR/ S4A schemes and ₹ 88.95 Cr (previous year Rs.107.70 Cr) as strategic/Subsidiary investments both of which are exempted from 20% ceiling.

### 7.3 Risk Category wise Country Exposure

**The following are the bank's country wise net risk exposure based on the Country risk classification provided by the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).**

(₹ in Crores)

| Sl. No | Risk Category | Exposure (net) as at March 31, 2020 | Provision held as at March 31, 2020 | Exposure (net) as at March 31, 2019 | Provision held as at March 31, 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | Insignificant | 2128.03 | - | 3975.68 | - |
| ii) | Low | 600.57 | - | 839.34 | - |
| iii) | Moderate | 12.47 | - | 12.69 | - |
| iv) | High | 13.33 | - | 9.92 | - |
| v) | Very High | 6.05 | - | 6.58 | - |
| vi) | Restricted | - | - | - | - |
| vii) | Off Credit | - | - | - | - |
| | **Total** | **2,760.45** | **-** | **4,844.21** | **-** |

### 7.4 Details of Single Counterparty Limit, Group of Connected Counterparty Limit exceeded by the Bank

During the year ended March 31, 2020, the Bank has not exceeded the exposure ceiling fixed by RBI under Large Exposure Framework [LEF] to Single Counterparty /Group of Connected Counterparty.

(₹ in Crores)

| Sl No | Name of the Client | Maximum Exposure during the year | Exposure as a percentage of Capital Funds |
|---|---|---|---|
| **A. Single Counterparty** | | | |
| | NIL | | |
| **B. Group of Connected Counterparty** | | | |
| | NIL | | |
| **C. Large Exposure Framework Limits for the purpose fixed by the RBI are as under:** | | | |
| A] **Type of Party/s** | | | **Ceiling [%]*** |
| | Single Counter | | 20% |
| | Single Counterparty with the approval of the Board | | 25% |
| | Group of Connected Counterparties | | 25% |
| | Interbank Exposure [Except intraday exposure] | | 25% |
| | Non QCCP | | 25% |
| * Tier I Capital | | | |
| **B] Particulars** | | | **Ceilings [%]** |
| | NBFC [other than Gold Companies] | | 20% tier I Capital |
| | NBFC [Gold Loan Companies] | | 7.5% of Capital Fund |
| | NBFC [Gold Loan Companies]* | | 12.5% of Capital Fund |

* Additional exposure on account of funds lent by NBFCs to Infrastructure Sector

### 7.5 Unsecured Advances

(₹ In Crores)

| 8. | Sl. No | Particlars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | i) | Total Unsecured Advances | 36,169.89 | 36,865.85 |
| | ii) | Out of which advances with intangible securities such as charge over the rights, licenses, brand valuations, authorizations etc. taken by the bank as collateral. | - | - |
| | iii) | Estimated value of such intangible collateral | - | - |

## 9 DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI

| | | |
|---|---|---|
| | During the year 2019-20, Reserve Bank of India ("RBI") has imposed following Penalties: | |
| | i) | As per the provisions of RBI Master Circular DCM (CC) No.G-5/03.44.01/2019-20 dt 01.07.2019 on "Scheme of Incentive and Penalties for Bank branches based on performance in rendering customer service to the members of public", an aggregate amount of ₹ 0.10 crore has been imposed as penalties for discrepancies detected while a) Processing the soiled notes remittances received from the Bank's Currency Chests and b) Inspection of Currency Chests. |
| | ii) | ₹ 0.25 crore penalty levied by RBI vide communication ref No. EFD. CO. SCN/ 393/02.01.008/2018-19 dt 12.12.2018 under Sections 35, 35A, 46 and 47A of Banking Regulation Act, 1949 for violation of regulatory guidelines in respect of opening a new Current Account and order was passed vide EFD.CO.SO/975/02.01.008/2018-19 dt 25.06.2019. |
| | iii) | ₹ 1.00 crore penalty levied by RBI vide communication ref No. EFD. CO. SCN. 948/02.01.008/2018-19 dt 31.05.2019 under sections 35A, 46 and 47A of Banking Regulation Act, 1949 for violation of regulatory guidelines relating to Cyber Security Framework and reporting of Frauds. |
| | iv) | ₹ 0.50 crore penalty levied by RBI vide communication ref No. EFD. CO. SCN. 770/02.01.008/2018-19 dt 28.02.2019 under section 35A, 46 and 47A of Banking Regulation Act, 1949 for violation of regulatory guidelines in respect of borrowal account and order was passed on 31.07.2019 and communicated vide email dt 02.08.2019. |
| | v) | ₹ 1.50 crore penalty levied by RBI vide communication ref No. EFD. CO. SO/ 372/02.01.008/2019-20 dt 29.11.2019 under sections 35A, 46 and 47A of Banking Regulation Act, 1949 for Violation of RBI guidelines, direction observed during statutory inspection of the bank as on 31.03.2017 in respect of divergence in the account of 14 borrowers and end use of funds in 17 borrowal accounts. |
| | vi) | Penalty levied during Incognito Visit of RBI ₹ 0.001 crore. |

## B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS WHERE RBI HAS ISSUED GUIDELINES IN RESPECT OF DISCLOSURE ITEMS FOR NOTES TO THE ACCOUNTS

### 1. PRIOR PERIOD ITEMS:

Prior Period Income (net of expenses) during the year ₹ 3.88 Crores [Previous year Rs.3.29 Crores (Prior Period Expenses (net of income)] to the extent identified.

### 2. FIXED ASSETS:

1 Pursuant to the notification of Schedule II to the Companies Act 2013, w.e.f. 01.04.2014, following changes have been effected during the Financial Year 2014-15.

a) During the year 2019-20 cost of software acquired is Rs.39.68 Crore (previous year Rs.37.04 crore) and the amount amortized during the year is Rs.41.98 Crore (previous year RS.38.56 crore).

b) Fixed Assets include Rs.20.01 Lakhs (Previous year Rs.440 Lakhs) in respect of Capital Work in Progress-Premises.

c) Contracts pending execution on Capital account and not provided for is Rs.59.30 Crore (previous year Rs.105.06 crore).

d) During the year the Bank has reversed ₹ 22.12 crores from the revaluation reserve towards the General Reserve.

e) During the year 2019-20, an amount of ₹ 9.42 crores has been reduced from the cost of Fixed Assets on account of Goods And Services Tax (GST) for utilizing the same as input credit against GST liability (Previous year Rs.4.19 crores).

## 3. EMPLOYEE BENEFITS:

3.1 The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**DEFINED BENEFITS:**

**3.2 a) Changes in the present value of the defined benefit obligations:**

**Defined benfits**

(₹ In Crores)

| Obligations | Pension | | Gratuity | | Long Term compensated absences [Unfunded] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [Funded] | | [Funded] | | | |
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Opening Balance | 3,646.50 | 3,427.79 | 565.64 | 543.97 | 256.93 | 250.65 |
| Interest Cost | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| Current Service Cost | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| Past service cost-recognized | | - | | - | | - |
| Past service cost- unrecognized | | - | | - | | - |
| Past service cost-Not eligible for amortization | | - | | - | | - |
| Benefits Paid | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.56) | (55.64) | (49.16) |
| Actuarial (Gain) / Loss on obligation | 1356.33 | 85.92 | 101.04 | 19.08 | 94.36 | (0.86) |
| **Closing Balance*** | **5,052.81** | **3,646.50** | **611.77** | **565.64** | **364.72** | **256.93** |

* Increase in obligation is due to reduction in discount rate and Harmonisation impact.

**b) Changes in the fair value of the plan assets:**

(₹ In Crores)

| Plan Assets | Pension [Funded] | | Gratuity [Funded] | |
|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Fair Value of Plan Assets as on April | 3,628.33 | 3,427.79 | 555.25 | 485.48 |
| Expected Return on Plan Assets Contributions | 298.25 | 278.77 | 38.67 | 40.71 |
| Employer Contribution | 449.54 | 147.76 | 150.39 | 113.86 |
| Transfer from other trust and members | | - | | |
| Benefits Paid | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.57) |
| Actuarial gain / (-) loss | 0.08 | (5.33) | 3.50 | (0.23) |
| Fair Value of Plan Assets as on March | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 |

c) **Net Asset/(Liability) recognised in the Balance Sheet as at March 31, 2020:**

(₹ In Crores)

| Defined benefits | Pension [Funded] | | Gratuity [Funded] | | Long Term compensated absences [Un funded] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Present value of the defined obligation | 5,052.81 | 3,646.50 | 611.77 | 565.64 | 364.72 | 256.93 |
| Fair value of the plan assets | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 | - | - |
| Funded Status [surplus/(deficit)] | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |
| Net Asset/(Liability) recognised in the Balance Sheet | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |

d) **Total Expenses recognized in the Profit and Loss Account :**

(₹ In Crores)

| Defined benefits | Pension [Funded] | | Gratuity [Funded] | | Long Term compensated absences [Un funded] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Current Service Cost | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| Interest Cost | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| Expected return on plan assets | (298.25) | (278.78) | (38.67) | (40.71) | - | |
| Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period | 1,356.33 | 91.25 | 97.54 | 19.32 | 94.35 | (0.86) |
| Past service cost-recognized | | - | | - | - | - |
| Past service cost-Not eligible for amortization | | - | | - | - | - |
| Expenses recognized in the statement of Profit and Loss | 1,429.73 | 165.92 | 133.98 | 65.76 | 163.43 | 55.44 |
| Past service cost deferred for amortisation in next year (Equally in three quarters) | | - | | - | - | |

e) **The principal actuarial assumptions used at the balance sheet date:**

(in percentage)

| Defined benefits funded | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | | Long Term compensated absences (Un funded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Discount Rate | 6.79% | 7.77% | 6.84% | 7.77% | 6.84% | 7.77% |
| Salaries increase | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% |
| Attrition Rate | 2.00% | 2.02% | 2.00% | 1.63% | 2.00% | 1.63% |
| Expected Rate of Return on Plan Assets | 6.79% | 8.22% | 6.84% | 8.14% | NA | NA |

f) **The Composition of Plan Assets:**

(in percentage)

| Particulars | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Government Securities | 0.63 | - | 2.68 | - |
| High Quality corporate Bonds | 0.57 | 1.78 | 0.33 | 5.99 |
| Special deposits | 2.32 | 2.62 | 2.72 | 1.58 |
| Other (PSU) | 0.06 | - | 0.35 | - |
| Assets under Insurance Schemes | 96.42 | 95.60 | 93.92 | 92.43 |
| **Total** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

g) **The present value of defined benefits obligations, the fair value of plan assets, Surplus/Deficits and experience adjustments are as under:**

(₹ In Crores)

| Pension | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2018 | 31st March, 2017 | 31st March, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV of obligation | 5052.81 | 3646.50 | 3427.79 | 3206.07 | 2975.91 |
| Fair value of plan assets | 4054.45 | 3628.33 | 3427.79 | 3216.07 | 2985.32 |
| (Surplus) /Deficits | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| Un-amortized Liability | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Surplus) / Deficits [Net of Un-amortized Liability] | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain | (1356.33) | (85.92) | (96.28) | (89.20) | (118.10) |
| Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain | 0.08 | (5.33) | (258.41) | (7.00) | 23.46 |

| Gratuity | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2018 | 31st March, 2017 | 31st March, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV of obligation | 611.77 | 565.64 | 543.97 | 460.38 | 451.25 |
| Fair value of plan assets | 617.79 | 555.25 | 485.48 | 462.37 | 468.42 |
| (Surplus) /Deficits | (6.02) | 10.39 | 58.49 | (1.99) | (17.17) |
| Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain | (101.04) | (19.08) | (60.80) | 23.51 | 28.81 |
| Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain | 3.50 | (0.23) | (3.20) | (1.10) | (1.30) |

| Long term compensated absences | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2018 | 31st March, 2017 | 31st March, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV of obligation | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| Fair value of plan assets | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (Surplus) /Deficits | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain | 71.55 | (0.86) | (4.48) | (7.64) | (5.56) |
| Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

The Employee Sick Leave Scheme: During the year 2019-20, bank has provided total expenses of Rs 3.90 Crore for meeting the obligations towards sick leave. Present Value of fund as on 31st March 2020 is Rs 61.91 Crore.

4. **SEGMENT REPORTING:** Disclosures as per AS 17 - "Segment Reporting", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, are given bellow:

(₹ In Crores)

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| **a)** | **Segment Revenue** | | |
| | i) Treasury Operations | 5,319.20 | 4,121.61 |
| | ii) Wholesale Banking | 9,001.17 | 7,087.52 |
| | iii) Retail Banking | 4,607.18 | 5,320.25 |
| | iv) Other Banking Operations | 360.13 | 388.63 |
| | v) Unallocated | 632.10 | 576.70 |
| | **Total** | **19,919.78** | **17,494.70** |
| **b)** | **Segment Results** | | |
| | Profit (+) Loss (-) before tax and after interest from each segment | | |
| | i) Treasury Operations | 581.50 | (48.13) |
| | ii) Wholesale Banking | 1,632.23 | (7,782.81) |
| | iii) Retail Banking | (701.06) | 498.80 |
| | iv) Other Banking Operations | 359.90 | 388.49 |
| | **Total** | **1,872.57** | **(6,943.66)** |
| **c)** | **Unallocated Expenses** | **1,618.24** | **1,105.03** |
| **d)** | **Operating Profit/(Loss)** | **254.33** | **(8,048.69)** |
| **e)** | **Income Tax** | **2,645.93** | **(1,715.70)** |
| **f)** | **Extraordinary Profit/(Loss)** | **-** | **-** |
| **g)** | **Net Profit/(Loss)** | **(2,391.60)** | **(6,332.98)** |
| **h)** | **Other Information** | | |
| **i)** | **Segment Assets** | | |
| | i) Treasury Operations | 67,471.15 | 60,943.96 |
| | ii) Wholesale Banking | 73,938.28 | 65,204.55 |
| | iii) Retail Banking | 59,121.96 | 63,081.65 |
| | iv) Other Banking Operations | 3.31 | 2.21 |
| | v) Unallocated Assets | 29,005.07 | 24,345.48 |
| | **Total Assets** | **229,539.77** | **213,577.85** |
| **j)** | **Segment Liabilities** | | |
| | i) Treasury Operations | 61,357.60 | 54,109.78 |
| | ii) Wholesale Banking | 68,349.19 | 58,917.43 |
| | iii) Retail Banking | 54,329.27 | 60,929.39 |
| | iv) Other Banking Operations | 3.01 | 1.96 |

(₹ In Crores)

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| | v) Unallocated Liabilities | 31,750.22 | 23,054.42 |
| | **Total Liabilities** | **215,789.29** | **197,012.99** |
| **i)** | **Capital employed (refer note (a) below)** | | |
| | i) Treasury Operations | 6,113.55 | 6,834.18 |
| | ii) Wholesale Banking | 5,589.08 | 6,287.12 |
| | iii) Retail Banking | 4,792.69 | 2,152.26 |
| | ii) Other Banking Operations | 0.30 | 0.25 |
| | iv) Unallocated Assets | (2,745.15) | 1,291.06 |
| | | **13,750.47** | **16,564.86** |

**Part B : Geographic Segment**

The Geographic segment consists of only domestic segment as the Bank does not have any foreign branch.

**Notes on Segment Reporting:**

1 As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, the Bank has adopted "Treasury Operations", "Wholesale", "Retail" and "Other Banking Operations" as Primary segments under "Domestic Segment" for the purpose of compliance with AS-17 on "Segment Reporting" issued by ICAI.

2 Segment Liabilities are distrIbuted in the ratio of their respective Segment Assets.

3 Figures of the previous period / year have been regrouped / reclassified based on current quarter / period's presentation.

**5. RELATED PARTY DISCLOSURE :**

In compliance with Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures, issued by the Institute of Chartered Accountants of India read along with the Reserve Bank of India guidelines, the details pertaining to Related Party transactions are disclosed as under:

**a) Name of the Related Party and relationship**

| **Key Management Personnel (KMP)** | |
|---|---|
| **Name** | **Relationship** |
| Smt. P. V. Bharathi (From 01.02.2019) | Managing Director & Chief Executive Officer |
| Shri Jai Kumar Garg (Till 31.01.2019) | Managing Director & Chief Executive Officer |
| Shri Gopal Murli Bhagat (Till 23.08.2019) | Executive Director |
| Shri Birupaksha Mishra (From 26.12.2018) | Executive Director |
| Corpbank Securities Limited | Subsidiary |

**b) Transactions with the related parties:**

(₹ in Crores)

| Nature of transaction | KMP | |
|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| **Remuneration** | | |
| Smt. P. V. Bharathi | 1.80 | 0.05 |
| Shri Jai Kumar Garg | - | 0.27 |
| Shri Gopal Murli Bhagat | 1.22 | 0.28 |
| Shri Birupaksha Mishra | 0.28 | 0.08 |

The transactions with the subsidiary are not disclosed in view of para 9 of AS-18 " Related Party Disclosure", which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties,which are also state controlled.

Transactions in the nature of banker-customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

**6. Leases:**

The Bank has entered into various operating lease for offices, guest house and residential premises for employees that are renewable on a periodical basis and cancelable at the bank's option. Rental expenses for such operating leases included in the financial statements for the year 2019-20 is Rs.302.08 Crores (previous year 287.70 crores).

**7. Earning Per Share:**

Basic and diluted earnings per share has been computed in accordance with Accounting Standard - 20 (Earnings Per Share):

Calculation of Basic EPS:

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | Net profit / (loss) after tax available for equity shareholders (₹ in Crores) | (2,391.59) | (6,332.98) |
| ii) | Weighted average number of equity shares (in Crores) | 599.42 | 210.66 |
| iii) | Basic Earnings per Share (₹) | (3.99) | (30.06) |
| iv) | Nominal Value per Share (₹) | 2.00 | 2.00 |

Diluted: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

**8. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME**

a) The bank has reckoned the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) as per Notification by Central Board of Direct Taxes (CBDT) Dt 29.09.2016, read with Circular of CBDT Dt 23.03.2017 in this regard which are applicable for the Assessment Year 2017-18 and subsequent Assessment Years.

b) The Bank has been recognizing deferred tax assets and liabilities as per Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The comparative figures of deferred taxes as at 31.03.2019 and 31.03.2020 are as under:

(₹ in Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets on account of** | | |
| Leave Encashment Provision | 127.45 | 89.78 |
| Funded Interest Term Loan & Sacrifice | 27.38 | 77.06 |
| Loan Losses | 4,491.47 | 3,914.38 |
| Depreciation on Fixed Assets | 58.46 | 48.36 |
| Taxable Income (Loss) | - | 1,557.96 |
| Provision made as per IRAC Norms for Standard Assets | 358.56 | 258.66 |
| **Total** | **5,063.31** | **5,946.21** |
| Deferred Tax Liabilities on account of | | |
| Pension & Gratuity - Pre-payment | 2.10 | - |
| Long Term Finance Income | 411.60 | 499.96 |
| Investment Depreciation claimed before 31.03.2016 | 36.66 | - |
| **Total** | **450.37** | **499.96** |
| **Net Deferred tax (liability)/ Asset** | **4,612.94** | **5,446.25** |

**c) Income Tax**

i) Break-up of provision made for Income Tax during the year :

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Normal Tax | - | - |
| Minimum Alternative Tax (MAT) | 19.94 | - |
| MAT Credit Entitlement Asset | (19.94) | |
| Deferred Tax Liability/(Assets) | 833.32 | (1,740.09) |
| Harmonization impact on amalgamation of the Bank - Provision for income tax of earlier years created now | 1,812.60 | - |
| Deferred Tax Liability/(Assets) | 2,645.92 | (1,740.09) |

Note:

A) Consequent to amalgamation of the Bank w.e.f. 01.04.2020; an exercise was undertaken to Harmonize the tax practices followed by the three amalgamating banks before amalgamation, so that there will be uniform tax practices in the amalgamated entity. Expert Opinion was obtained from a Tax Consultant dated 9th June 2020 and based on such opinion, the Bank has decided to provide the following tax impact in the Books of account:

a) Creation of additional provision for Income Tax in respect of earlier years to the tune of ₹ 1812.60 Cr. The break-up is as under:

| S.No. | Assessment Year | Provision (₹) |
|---|---|---|
| i) | 2013-14 | 173,337,370.00 |
| ii) | 2014-15 | 114,304.00 |
| iii) | 2015-16 | 5,001,601,390.00 |
| iv) | 2016-17 | 8,108,499,839.00 |
| v) | 2017-18 | 4,842,485,546.00 |
| | **TOTAL** | **18,126,038,449.00** |

b) Reversal of Deferred Tax Assets on tax losses outstanding as on 31st March 2019 amounting to ₹ 1557.96 crore.

c) Creation of Deferred Tax Liability on "Investment Depreciation" claimed prior to 31.03.2016 to the tune of ₹ 36.66 Crore.

d) Reversal of Special reserve to the tune of ₹ 252.88 crore and consequent reversal of Deferred Tax Liability to the tune of ₹ 88.37 crore.

B) After considering the Harmonization impact in computation of Income Tax Provision for the FY 2019-20 a net debit to P&L A/c of ₹ 2645.92 was arrived. Component-wise details of debit to P&L are given in the above table.

ii) Assessments for Income Tax have been completed up to the financial year 2016-17 (AY 2017-18).

The following appeals by the Bank/ Income Tax Department are pending before various appellate authorities/ courts:

| Income Tax | Service Tax | Professional Tax |
|---|---|---|
| Assessment Year 2011-12 to 2017-18 | Financial Year 2006-07 to June 2017 | 2009-10 to 2013-14 |

iii) Advance Taxes paid, Taxes Paid under Disputes, Input Tax Credit availed and TDS deducted on Income to the Bank are appearing under "Other Assets--Tax Paid in Advance / Tax Deducted at Source". With regard to the Taxes paid under dispute the Bank has filed appeals before Appellate Authorities and no additional provision is considered necessary in view of favourable judicial pronouncements in similar cases.

iv) The Government of India has inserted Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 in pursuance to the Finance Act 2020 with effect from assessment year commencing on or after 1st April 2020. Bank has evaluated the options available under Section 115BAA of Income Tax Act, and opted to continue to recognise the taxes on Income for the year ended 31st March, 2020 as per the earlier provisions of Income Tax Act, 1961.

## 9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

### a) Provisions:

(₹ In Crores)

| Sl No. | Nature of Provision | Opening Balance as on 01.04.2019 | Additional Provision made during the year | Provision used during the year | Provision Reversed during the year | Closing Balance as on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | Provision made towards NPAs | 13,525.38 | 4,229.91 | 3,951.54 | 950.43 | 12,853.32 |
| | | (7,929.68) | (12,002.72) | (5,989.44) | (417.58) | (13,525.38) |
| ii) | Provision for Depreciation on Investment (Including NPI provision) | 1,235.97 | 92.54 | | 152.21 | 1,176.30 |
| | | (1,139.02) | (340.20) | - | (243.25) | (1,235.97) |
| iii) | Provision made towards Income Tax / Wealth Tax | 146.60 | 1,832.54 | 146.60 | | 1,832.54 |
| | | (153.90) | - | | (7.30) | (146.60) |
| iv) | All others * | 1,038.50 | 741.70 | - | 104.62 | 1,675.58 |
| | | (1,020.66) | (189.80) | - | (171.96) | (1,038.50) |

* includes provision for claims against the Bank not acknowledged as debt, provision towards fraudulent transactions and other miscellaneous transactions.

Figures in brackets represent Previous Year figures.

### b) Contingent Liability:

i) Claims against the Bank not acknowledged as debts:

(₹ In Crores)

| Particulars | No. of Claims | Gross Claims | Net Claims |
|---|---|---|---|
| Total Claims outstanding as on 01.04.2019 | 92 | 3,240.27 | 3,233.46 |
| Less: Claims deleted/revised during the year | 19 | 517.74 | 517.45 |
| Add : New Claims added during the year | 30 | 2,811.79 | 2,770.81 |
| **Total Claims outstanding as on 31.03.2020** | **103** | **5,534.32** | **5,486.82** |

Subject wise classification of the claims outstanding as on 31st March, 2020:

(₹ In Crores)

| Particulars | No. of Claims | Gross Claim | Net Claim |
|---|---|---|---|
| Bank Guarantees | 7 | 0.25 | 0.16 |
| Cheques/DD/PO etc., collection | 10 | 1.75 | 1.21 |
| Credit Portfolio | 8 | 0.82 | 0.75 |
| Deposits Portfolio | 3 | 0.03 | 0.03 |
| Vigilance /Fradulant | 20 | 6.22 | 1.72 |
| Miscellaneous [Including claims on account of Income Tax Demands]# | 55 | 5,525.25 | 5,482.95 |
| **Total*** | **103** | **5,534.32** | **5,486.82** |

* Excluding interest on claims, wherever applicable, since inception.

# Contingent liabilities include tax and interest of ₹ 5462.19 Crores (Previous Year ₹ 3210.93 Crores)

## C. ADDITIONAL DISCLOSURES

### 1. Provisions and Contingencies

(₹ In Crores)

| Sl. No. | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | Provision for Depreciation on Investments | 53.80 | 340.20 |
| ii) | Provision towards NPAs (net) | 3,279.49 | 11,585.14 |
| iii) | Provision towards Standard Assets | 285.83 | 180.53 |
| iv) | Provision for Income-tax and Wealth Tax | 2,645.93 | (1,715.70) |
| v) | Provision for Interest Capitalisation | (104.62) | (119.42) |
| vi) | Other Provisions & Contingencies | 33.66 | (43.29) |
| | **TOTAL** | **6,194.09** | **10,227.46** |

(a) As per RBI Letter no. DBR.No. BP. 15199 / 21.04.048 / 2016-17 dated 23rd June, 2017 and letter no DBR. No.BP.1908/21.04.048/2017-18 dated 28th August, 2017 for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy code (IBC), the Bank is holding total provision of Rs 7051.52 crores (100% of Gross NPAs) as on 31st March, 2020.

(b) For other accounts pending resolution, under the provisions of Insolvency and Bankruptcy code (IBC), the Bank is holding total provision of Rs 11434.26 crores (97.17% of Gross NPAs) as on 31st March, 2020.

### 2. Floating Provisions

(₹ In Crores)

| Sl. No | Floating Provision | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | Opening balance | - | - |
| ii) | Additional made during the year | - | - |
| iii) | Purpose and amount of draw down made during the year | - | - |
| iv) | Closing balance | - | - |

3. **Draw Down from Reserves :** During the year 2019-20 was NIL (previous year 2018-19 was NIL ) from Investment Reserve Account as per RBI guidelines

### 4. Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen

#### A. Investor Complaints

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| (a) | No. of complaints pending at the beginning of the year | - | - |
| (b) | No. of complaints received during the year | 582 | 716 |
| (c) | No. of complaints redressed during the year | 582 | 716 |
| (d) | No. of complaints pending at the end of the year | - | - |

#### B. Awards passed by the Banking Ombudsman

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| (a) | No. of unimplemented Awards at the beginning of the year | - | - |
| (b) | No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year | 1 | 4 |
| (c) | No. of Awards implemented during the year | 1* | 4 |
| (d) | No. of unimplemented Awards at the end of the year | - | - |

*Appeal filed against the award

### C. Customer complaints including that of other Bank's ATM during the year 2019-20

| Sl. No. | Particulars | Complaints received from Bank's Card holders | Out of which complaints received from Bank's Card holders while using other Bank's ATM |
|---|---|---|---|
| a) | No. of complaints pending at the beginning of the year | 1555(695) | 1259(674) |
| b) | No. of complaints received during the year | 93719(82172) | 56246(70595) |
| c) | No. of complaints redressed during the year | 95097(81312) | 56446(70010) |
| d) | No. of complaints pending at the end of the year | 177(1555) | NIL(1259) |

Figures in Brackets represents Previous year Figures

It is certified that bank has included all customer complaints pertaining to Bank's Debit cards used at ATMs in the disclosure format specified above. Where the bank can specifically attribute ATM related customer complaints to the acquiring bank, the same is indicated in a separate Column after including the same in the total number of complaints received.

**5. a. Letter of Comforts (LOC) including Buyer's Credit:**

The Bank issues Letters of Comfort (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of the Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(₹ In Crores)

| Sl.No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| a) | Opening balance in Letter of Comfort as at 1st April | - | 2,460.18 |
| b) | Issued during the year | - | - |
| c) | Payment/ Closed during the year | - | 2,460.18 |
| d) | Closing balance 31st March | - | - |

**b. Bank has not entered into any credit default swap during the year.**

6. Provisioning coverage ratio of the Bank as on March 31, 2020 is 84.61 % as against 83.30% as on March 31, 2019.

7. During the year, the Bank has received fee/remuneration of ₹ 10.61 Crores from Bank assurance business (Previous year ₹ 10.00 Crores).

| Sl. No. | Nature of Income/ Commission/ Brokerage | As on March 31, 2020 | As on March 31, 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Life Insurance Business | 5.44 | 5.36 |
| 2 | General Insurance Business | 2.92 | 2.94 |
| 3 | Health Insurance Business | 2.15 | 1.55 |
| 4 | Mutual Fund | 0.1 | 0.15 |
| | **Total** | **10.61** | **10.00** |

Details of fees/ remuneration received/ accrued in respect of Government Business for the Year ending 31st March 2020 vis-à-vis last corresponding period are as follows:

| Sl No | Nature of Income/ Commission/ Brokerage | As on March 31, 2020 | As on March 31, 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tax Collections | 2.43 | 3.34 |
| 2 | E-stamping, Pension, APY, others | 5.83 | 4.19 |
| | | 8.26 | 7.53 |

## 8. CONCENTRATION OF DEPOSITS , ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs

### a. Concentration of Deposits:

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Total deposits of twenty largest depositors | 27,981.65 | 24,811.15 |
| Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits | 13.63% | 13.44% |
| **Total Deposits** | **205,354.78** | **184,567.84** |

### b. Concentration of Advances

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Total Advances to twenty largest borrowers | 36,200.19 | 38,264.33 |
| Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank | 20.57% | 22.24% |

### c. Concentration of Exposures

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2019 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Total exposure to twenty largest borrowers/customers | 36203.95 | 38774.95 |
| Percentage of Exposure of twenty largest borrowers to Total Exposure on borrowers/customers | 17.88% | 20.12% |

### d. Concentration of NPAs:

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Total Exposure to top four NPA Accounts | 2,413.39 | 3,256.84 |

## 9. Sector wise advances

(₹ In Crores)

| Sl. No. | Sector | 31st March, 2020 | | | 31st March, 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | % of Gross NPAs to Total Advances | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | % of Gross NPAs to Total Advances |
| A | **Priority Sector** | | | | | | |
| 1. | Agriculture and allied activities | 21,498.31 | 3,760.85 | 17.49 | 21,939.66 | 2,772.82 | 12.64 |
| 2. | Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 9,223.38 | 3,887.13 | 42.14 | 10,043.51 | 3,727.37 | 37.11 |
| 3. | Services | 14,288.05 | 2,865.57 | 20.06 | 14,847.65 | 2,556.57 | 17.22 |
| 4. | Personal loans | 10,369.64 | 1,083.86 | 10.45 | 10,497.00 | 660.77 | 6.29 |
| | **Sub-total (A)** | **55,379.38** | **11,597.41** | **20.94** | **57,327.82** | **9,717.53** | **16.95** |

(₹ In Crores)

| Sl. No. | Sector | 31st March, 2020 | | | 31st March, 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | % of Gross NPAs to Total Advances | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | % of Gross NPAs to Total Advances |
| **B** | **Non Priority Sector** | | | | | | |
| 1. | Agriculture and allied activities | - | - | | - | - | - |
| 2. | Industry | 52,079.12 | 23,222.42 | 44.59 | 49,192.81 | 25,427.63 | 51.69 |
| | a. Power | 9,591.71 | 687.83 | 7.17 | 11,497.04 | 3,382.04 | 29.42 |
| | b. Others | 18,671.99 | 2,831.49 | 15.16 | 37,695.77 | 22,045.59 | 58.48 |
| 3. | Services | 21,494.61 | 1,358.85 | 6.32 | 17,024.68 | 1,728.77 | 10.15 |
| 4. | Personal loans | 32,804.59 | 4,436.93 | 13.53 | 32,237.60 | 4,584.41 | 14.22 |
| | **Sub-total (B)** | **106,378.32** | **29,018.20** | **27.28** | **98,455.09** | **31,740.81** | **32.24** |
| | **Total (A+B)** | **161,757.70** | **40,615.61** | **25.11** | **155,782.91** | **41,458.34** | **26.61** |

* Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

**10. Movement of NPAs**

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Gross NPAs as on April 1, 2019 | 20,723.68 | 22,213.44 |
| Additions during the year | 4,336.27 | 6,282.60 |
| **Sub Total [A]** | **25,059.95** | **28,496.04** |
| Less : | | |
| [i] Upgradations | 576.58 | 947.04 |
| [ii] Recoveries [excluding recoveries made from upgraded accounts] | 1,270.72 | 835.88 |
| [iii] Technical/ Prudential Write-offs | 3,593.03 | 5,732.53 |
| [iv] Write-offs other than those under (iii) above | 220.60 | 256.91 |
| **Sub-Total [B]** | **5,660.93** | **7,772.36** |
| **Gross NPAs as on March 31, 2020 [A – B]** | **19,399.02** | **20,723.68** |

[1] Gross NPAs as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD.BP.BC.No.46/21.04.048/2009-10 dated September 24, 2009 which specified a uniform method to compute Gross Advances, Net Advances, Gross NPAs and Net NPAs.

[2] Technical or prudential write-off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the books of the branches, but have been written-off (fully or partially) at Head Office level. Amount of Technical write-off should be certified by statutory auditors. (Defined in our circular reference DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-10 dated December 1, 2009 on Provisioning Coverage for Advances)

Further, Banks should disclose the stock of technical write offs and the recoveries made thereon as per the format below:

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1, 2019 | 20,734.66 | 16,222.19 |
| Add: Technical/ Prudential write-offs during the year (includes Rs.0.45 Crores increase in the outstanding balance of technical/prudential written off during the year) | 3,573.40 | 5,537.21 |
| Increase in balance in PWO accounts after classifying as PWO | 19.62 | 195.32 |
| **Sub-total (A)** | **24,327.68** | **21,954.72** |
| Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B) | 2,142.06 | 703.84 |
| Less: Balance written off in PWO accounts during the year | 969.03 | 516.22 |
| Closing balance as at March 31, 2020 (A-B) | 21,216.59 | 20,734.66 |

**11. Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(₹ In Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Total Assets | - | - |
| Total NPAs | - | - |
| Total Revenue | - | - |

12 During the year 2019-20, 126 cases of fraud, involving Rs.4816.38 Crores, having outstanding balance of ₹ 4280.55 Crores were reported to RBI. Total provision made against these cases is ₹ 4280.55 Crores. Further in respect of 3 cases of fraud having outstanding balances of ₹ 730.16 Crores, provision of ₹ 307.95 Crores is made and ₹ 422.21 Crores is reversed from General Reserves as per RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

During the year 2018-19,162 cases of fraud ,involving Rs.1951.10 Cr, with outstanding balance of ₹ 1761.08 Cr were reported to RBI. Total provision made against these cases is Rs.1686.92 Cr.

13. Off Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

| Name of the SPV Sponsored | |
|---|---|
| Domestic | Overseas |
| NIL | NIL |

**14. Securitisation as Originating Bank:**

Information under Securitisation transaction of the Bank as a Originating Bank is given below:

(₹ in Crores/ No.)

| Sl. No. | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | No. of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions* | - | - |
| 2 | Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank | - | - |

(₹ in Crores/ No.)

| Sl. No. | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| 3 | Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet | - | - |
| | a) Off balance sheet exposures | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| | b) On-balance sheet exposures | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| 4 | Amount of exposures to securitization transactions other than MRR | - | - |
| | a) Off balance sheet exposures | | |
| | i) Exposure to own securitizations | | |
| | First loss | | |
| | Loss | | |
| | ii) Exposure to third party securitizations | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| | b) On-balance sheet exposures | | |
| | i) Exposure to own securitizations | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| | ii) Exposure to third party securitizations | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |

* Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here.

**15. Intra Group Exposures**

**Exposure to the group entities is as under:**

(₹ In Crores)

| Sl. No. | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | Total amount of intra group exposures | - | - |
| ii) | Total amount of top 20 intra group exposures | - | - |
| iii) | Percentage of intra group exposures to total exposure on borrowers/customers | - | - |
| iv) | Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any. | - | - |

**16. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

The Bank has transferred the below mentioned amount to DEAF.

(₹ in Crores)

| Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Opening balance of amounts transferred to DEAF | 116.56 | 99.67 |
| Add : Amounts transferred to DEAF during the year | 13.96 | 17.25 |
| Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims | 1.64 | 0.36 |
| Closing balance of amounts transferred to DEAF | 128.88 | 116.56 |

**17. Unhedged Foreign Currency Exposure**

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers. The objective of this policy is to maximize the hedging on foreign currency exposures of borrowers by reviewing their foreign currency product portfolio and encouraging them to hedge the unhedged portion. In line with the policy, assessment of unhedged foreign currency exposure is a part of assessment of borrowers and is undertaken while proposing limits or at the review stage. Additionally, at the time of sanctioning limits for all clients, the Bank stipulates a limit on the unhedged foreign currency exposure of the client (as a % of total foreign currency exposure sanctioned by the Bank).

After considering factors such as internal rating of the borrower, size, possibility of natural hedging, relative size of unhedged foreign currency exposure with respect to total borrowings of the client, etc. Further, the Bank reviews the unhedged foreign currency exposure across its portfolio on a periodic basis.

The Bank also maintains incremental provision towards the unhedged foreign currency exposures of its borrowers in line with the extant RBI guidelines. Further, the bank has maintained provision of Rs 14.627 Crore (Previous year Rs 23.85 Crore) and additional capital of Rs 8.98 Crore (Previous year Rs 18.18 crore) on account of Un-hedged Foreign Currency Exposure of its borrower as at March 31, 2020.

18. As per RBI Circular No DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019 & DOR.No. BP.BC.34 /2 1.04.048/2019-20 dated 11th February 2019 on restructuring of Advances MSME sector, the details of restructured accounts as on 31.03.2020 are as under:

| No. of Accounts Restructured | Amounts (₹ in Crores) |
|---|---|
| 5327 | 813.49 |

19. Pursuant to the proposed bipartite agreement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 231.93 crore has been provided during the year towards wage revision on estimated basis. (Cumulative provision held; Rs 268.55 Crores).

20. Amalgamation and Swap Ratio:

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Deptt of Financial Services has issued Gazette Notification no. CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020, approving the Scheme of Amalgamation of Corporation Bank into Union Bank of India in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980). On 5th March, 2020 the Board of Directors of Corporation Bank and the Board of Directors of Union Bank of India at their respective meetings, approved amalgamation. The Boards of respective Banks have also approved the swap ratio of 330 equity shares of Face Value Rs 10/- each of Union Bank of India for every 1000 equity shares of Face Value Rs 2/- each of Corporation Bank. The amalgamation has come into effect from 1st April, 2020.

**21 Liquidity Coverage Ratio:**

The necessary information is as under:

(₹ in Crores)

| | Particulars | 31st March, 2020 | | 31st March, 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total Un-Weighted Value (Average)** | **Total Weighted Value (Average)** | **Total Un-Weighted Value (Average)** | **Total Weighted Value (Average)** |
| **High Quality Liquid Assets** | | | | | |
| 1. | Total High Quality Liquid Assets (HQLA) | 40,884.53 | 40,714.21 | 32,755.01 | 32,584.93 |
| **Cash Outflows** | | | | | |
| 2. | Retail deposits and deposits from small business customers, of which: | 111,329.88 | 10,923.25 | 104,625.01 | 10,264.95 |
| (i) | Stable deposits | 4,194.83 | 209.74 | 3,951.08 | 197.55 |
| (ii) | Less stable deposits | 107,135.06 | 10,713.51 | 100,673.93 | 10,067.39 |
| 3. | Unsecured wholesale funding, of which: | 40,248.23 | 17,257.67 | 38,466.18 | 16,145.33 |
| (i) | Operational deposits (all counterparties) | - | - | - | - |
| (ii) | Non-operational deposits (all counterparties) | 40,248.23 | 17,257.67 | 38,466.18 | 16,145.33 |
| (iii) | Unsecured debt | - | - | - | - |
| 4. | Secured wholesale funding | 3,428.81 | - | 2,220.86 | - |
| 5. | Additional requirements, of which | 27,711.75 | 4,028.44 | 30,762.12 | 4,121.26 |
| (i) | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 8.78 | 8.78 | 3.43 | 3.43 |
| (ii) | Outflows related to loss of funding on debt products | - | - | - | - |
| (iii) | Credit and liquidity facilities | 27,702.97 | 4,019.66 | 30,758.69 | 4,117.83 |
| 6. | Other contractual funding obligations | 65.69 | 65.69 | 232.69 | 232.69 |
| 7. | Other contingent funding obligations | 18,733.35 | 645.68 | 21,127.80 | 699.39 |
| **8.** | **Total Cash Outflows** | **201,517.71** | **32,920.72** | **197,434.66** | **31,463.61** |
| **Cash Inflows** | | | | | |
| 9. | Secured lending | - | - | - | - |
| 10. | Inflows from fully performing exposures | 7,340.79 | 3,916.88 | 4,747.38 | 2,497.72 |
| 11. | Other cash inflows | 6,633.23 | 6,515.23 | 7,437.06 | 7,068.59 |
| **12.** | **Total Cash Inflows** | **13,974.02** | **10,432.11** | **12,184.44** | **9,566.31** |
| **Total Adjusted value** | | | | | |
| 13. | Total HQLA | 40,884.53 | 40,714.21 | 32,755.01 | 32,584.93 |
| 14. | Total Net Cash Outflows | 187,543.70 | 22,488.62 | 185,250.22 | 21,897.30 |
| **15.** | **Liquidity Coverage Ratio (%)** | | **181.04%** | | **148.81%** |

# QUALITATIVE DISCLOSURE AROUND LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) AS ON 31ST MARCH 2020

1. **LCR Definition**:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) is defined as the ratio of HQLA (High Quality Liquid Assets) to net cash outflows. It aims to ensure that the bank maintains adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

The Guidelines for computation of LCR was implemented with effect from 1st Jan 2015. The minimum LCR requirement increased from 60% as on 1st Jan 2015 to 100% as on 1st Jan 2019. The LCR requirement for the calendar years 2016, 2017 & 2018 was 70%, 80% & 90% respectively. The Bank has been maintaining sufficient liquid assets to maintain the required level of LCR. From 1st January, 2017, as per the RBI guidelines bank is calculating LCR on a daily basis.

1.1 **Components of LCR:**

The major components of LCR result are level of High Quality Liquid Assets, Cash Inflows and net Cash Outflow within next 30 days' time horizon.

a. **HQLA:** The High Quality Liquid Assets comprises of :

- Level 1 assets
- Level 2A assets
- Level 2B assets

**The Level 1 assets comprise of:**

- Cash including cash reserves in excess of required CRR.
- Government Securities in excess of minimum SLR requirement.
- Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) (3% of NDTL is allowed for MSF as on 31.03.2020).
- Facility to avail liquidity for Liquidity Coverage Ratio(FALLCR) (14.50% of NDTL is allowed for FALLCR as on 31.03.2020)
- Marketable securities issued/guaranteed by sovereigns with 0% risk weight.

The yearly average of Level 1 assets of the Bank for the financial year were ₹ 39,750.00 Crores (previous financial year ₹ 31,626.56 Crores) which accounts for 97.23% (previous financial year 96.55%) of total average HQLA of ₹ 40,884.53 Crores (previous financial year ₹ 32,755.01 Crores).

**The Level 2A assets comprise of:**

- Non-Financial Corporate Bonds rated AA- or above by external rating agencies.
- Non-Financial Commercial Papers rated AA- or above by external rating agencies.
- Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, Public Sector Entities (PSEs) or multilateral development banks that are assigned 20% risk weight under the Basel II Standardised Approach for credit risk, provided that they are not issued by a bank/ financial institution/NBFC or any of its affiliates.

Bank is applying 15% haircut on Level 2A assets as per extant guidelines of RBI. The share of average Level 2A assets is 2.77% (₹ 1134.14 crores) [previous financial year 3.44% (₹1126.14 Crores)] of total average HQLA.

**The Level 2B assets comprise of:**

- Equity Shares not issued by a bank/financial institution/ NBFC or any of its affiliated entities and included in NSE CNX Nifty and/or S&P BSE Sensex indices.
- Corporate debt securities (including commercial paper) not issued by a bank/ financial institution/ PD/ NBFC or any of its affiliated entities and having a long-term credit rating from an eligible Credit Rating Agency between A+ and BBB- or in the absence of a long term rating, a short-term rating equivalent in quality to the long-term rating .

Bank is applying 50% haircut on Level 2B assets as per extant guidelines of RBI. The share of average Level 2B assets is 0.001% (₹ 0.40 crores) [previous financial year 0.01% (₹ 2.32 Crores)] of total average HQLA and comprises mainly of equity shares of listed corporates which are listed in National Stock Exchange CNX NIFTY and/ or S&P BSE Sensex.

Bank has maintained a comfortable level of HQLA for the financial year 2019-20. Details are furnished below

**(₹ In Crores)**

| Particulars | Average HQLA for 2019-20 | | Average HQLA for 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|
| | Amount | Weighted Amount | Amount | Weighted Amount |
| Level 1 | 39,750.00 | 39,750.00 | 31,626.56 | 31,626.56 |
| Level 2A | 1134.14 | 964.02 | 1126.14 | 957.22 |
| Level 2B | 0.40 | 0.20 | 2.32 | 1.16 |
| **Total HQLA** | **40,884.54** | **40,714.22** | **32,755.02** | **32,584.93** |

b. **Cash inflows:**

- **Inflows from Secured Lending:** It consists of short term lending such as TREPS, CALL.
- **Inflows from fully performing exposure:** Scheduled loan repayment within 30 days has been considered.
- **Other Cash inflows:** It includes investments in Liquid Mutual Funds/ Certificate of Deposits etc which can be liquidated any time.

c. **Cash Outflows:** The out flows for the purpose of LCR have been divided in to following major categories:

- **Outflows from retail deposits:** All demand and term deposits placed with the Bank by a natural person are considered as retail deposits. The outflows from retail deposit are further bifurcated in to stable deposit and less stable deposit. Insured deposits (to the extent covered by DICGC) in transactional accounts where salaries/pensions are automatically deposited or are paid out from or relationship based accounts (e.g. the deposit customer has another relationship with bank, say, a loan) per borrower have been considered as stable deposit and the remaining portion (Total deposits - stable deposits) is classified as less stable deposits. Total yearly average retail deposit for LCR purposes is ₹1,02,373.70 Crores (previous financial year ₹97,762.10 Crores) out of which average stable deposits was ₹ 2,685.78 Crores (previous financial year ₹2,535.14 Crores) and less stable deposits was ₹ 99,687.92 Crores (previous financial year ₹ 95,226.96 Crores). Bank has considered outflows of all retail deposits for LCR purpose, including those where residual maturity is beyond 30 days.

- **Outflows from small business customers:** The outflows from small business customers are those deposits where the deposit is managed as a retail deposit and aggregate funding from any such customer is up to 5 Crore . Outflows up to 30 days from these deposits have been considered for LCR purposes as per the RBI guidelines.
- **Outflows from wholesale funding:** The outflows other than those from retail deposits and small business customers are considered as outflows due to wholesale funding which has been further bifurcated in to unsecured wholesale funding and secured wholesale funding. For LCR purpose, all unsecured average wholesale funding of ₹ 49,204.41 Crores (previous financial year ₹ 45,329.09 Crores) are classified as non-operational deposits as these deposit do not represent clearing, custody or cash management activities. The secured wholesale funding is consisting of secured borrowings through Liquidity Adjustment Facility (LAF)/ Triparty Repo Dealing System (TREPS) and Repurchase Agreement (REPO). Total average of secured borrowings is ₹3,428.81 Crores (previous financial year ₹ 2,220.86 Crores).
- **Outflows from Credit and Liquidity facilities:** The un-availed/ un-utilized limits of cash credit accounts (CC) and overdrafts (OD) accounts have been considered.
- **Outflows from other contingent funding obligations:** The outflows from other contingent funding obligations include outflows due to bank guarantee and letter of credit commitments etc. For LCR purposes, Bank has considered the entire Non fund based advance as on date as unweighted outflow. Bank has also considered entire claims against the Bank not considered as debt as LCR unweighted outflow.

1.2 **Quarter wise LCR:**

The Quarter wise LCR during the financial year 2019-20 is mentioned below.

| Average LCR of June-2019 Quarter | Average LCR of September-2019 Quarter | Average LCR of December - 2019 Quarter | Average LCR of March -2020 Quarter |
|---|---|---|---|
| 150.53% | 174.24% | 179.61% | 220.83% |

The Quarter wise LCR during the financial year 2018-19 is mentioned below.

| Average LCR of June-2018 Quarter | Average LCR of September-2018 Quarter | Average LCR of December - 2018 Quarter | Average LCR of March -2019 Quarter |
|---|---|---|---|
| 120.96% | 151.79% | 171.78% | 153.73% |

1.3 The Daily LCR maintained by the Bank for the financial year 2019-20 was above the minimum requirement i.e. 100% effective from January 2019 onwards.

**2. Concentration of funding sources:**

The Bank is primarily engaged in lending and borrowing activities. Bank is accepting deposit from the public as per the requirement of the Bank. Bank is borrowing from/ lending in the money market to manage its day to day liquidity and other requirements. The ratio of bulk deposit (₹ 2 crore and above) to aggregate deposits as on 31st Mar 2020 is 25.48%. Bank is taking concerted effort to reduce the share of bulk deposits by focusing more on retail deposits.

**3. Derivative exposures and potential collateral calls:**

Bank deals in derivative for trading as well as for hedging purpose. The volume of derivative deals undertaken is relatively small. The average net derivative cash outflow in LCR for the financial year 2019-20 is ₹ 8.78 Crores (previous financial year ₹3.43 Crores).

**4. Currency mismatch in the LCR:**

Currency mismatch is applicable when the aggregate liabilities in the foreign currency amount to 5% or more of the bank's total liabilities. In such cases, the currency is considered as 'significant'. Our Bank's banking and trading book is denominated in local currency. Bank does not have any foreign subsidiary. Foreign currency liabilities are less than 5% of total liabilities of the Bank and hence not treated as significant for application of currency mismatch.

**5. Degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:**

The Bank manages its liquidity risk proactively in a centralized manner through monitoring of various ratios both under stock and flow approach and the results are placed before the management for decision taking. Bank prepares Structural Liquidity Statement (SLS) on a daily basis for analyzing / monitoring of liquidity mismatches in different time buckets according to internal/RBI norms. Such analysis is being reported to top management. SLS as on each Friday and 15th and last day of every month are placed before Asset Liability Management Committee (ALCO). Dynamic Liquidity Analysis (DLS) for likely position over a 90 days' time horizon is placed to ALCO on monthly / quarterly basis. For financial year 2019-20 bank has been calculating LCR on a daily basis and reported to the Top management & ALCO.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To**

**The Members of Union Bank of India (erstwhile Corporation Bank)**

**Report on Audit of the Consolidated Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Union Bank of India ['erstwhile Corporation Bank' ('the Bank')] and its Subsidiary, Corpbank Securities Limited, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31 March 2020, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and Consolidated notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the report of the other auditor on separate audited financial statements/financial results/financial information of Subsidiary, the aforesaid financial results give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Holding Bank and its Subsidiary as at 31 March 2020, and their consolidated loss, and their consolidated cash flows for the year ended on that date

**Basis for Opinion**

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Holding Bank & its Subsidiary in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of ethics. We believe that the audit evidence obtained by us and the other auditor in terms of their report referred to in paragraph 9 of Other Matters section below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Emphasis of matter**

4. We draw attention to: -

   (i) Note no 20 of Schedule 18C of standalone financial statements regarding the amalgamation of e-Corporation Bank with Union Bank of India, vide Government of India, Gazette Notification no. CG-DL-E-04032020-216535 dated 04th March 2020, with effect from 1.4.2020.

   (ii) Note no 9 of Schedule 18 of consolidated financial statements regarding impact of COVID 19 pandemic, which captures the prevailing uncertainties on the business operations of the Bank. We have been informed that the Bank is evaluating the situation and its impact.

   (iii) Note no 4.6 of Schedule 18A of standalone financial statements regarding provision made towards Harmonization as per the directive of RBI with regard to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning in respect of common exposures;

   (iv) Note no 3 of Schedule 18 B of standalone financial statements regarding additional provision made towards Employee Benefits (Pension Fund);

   (v) Note no 8c of Schedule 18 B of standalone financial statements regarding additional provision made towards Income Tax in respect of earlier assessment years;

   (vi) Note no 8c of Schedule 18 B of standalone financial statements regarding reversal of deferred tax asset;

   (vii) Note no 12 of Schedule 18C of standalone financial statements regarding deferment of provision pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended 31stMarch 2020 and to be charged to Profit and Loss account in subsequent quarters in terms of RBI circular DBR no. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18th April, 2016.

   Our opinion is not modified in respect of these matters.

5. **Key Audit Matters**

   Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2020. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

| S. No | Key Audit Matters | How the matter was addressed in the audit |
|---|---|---|
| 1. | **Classification of Advances, Income recognition, Identification of and provisioning for non-performing assets (refer schedule 18 A read with note 4 and accounting policy no 3 in Schedule 17 of standalone financial statements)**<br><br>The advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets in accordance with the guidelines issued by the RBI (IRAC norms) and other circulars and directions issued by the RBI from time to time which provides guidelines relating to classification of Advances into performing and non-performing advances.<br><br>The Bank is operating under Core Banking Solution (CBS). The operational and Financial reporting processes are dependent on IT Systems for the large volume of transactions at the front end and at the back end. The Bank accounts for all the transactions related to advances in its Information Technology System Viz. Core Banking Solution which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Further NPA classification and calculation of provision is done through same system. The carrying value of these advances (net of provisions) could be materially misstated if, either individually or in aggregate, the Prudential norms are not properly followed.<br><br>Advances constitute 55.50 per cent of the Banks's total assets.<br><br>In view of the significance of the amount of advances, in the consolidated financial statements, regulatory requirements, estimation/judgement involved in valuation of securities, the classification of advances and provisioning thereon has been considered as a Key Audit Matter in our Audit Report. | Our audit procedures included an understanding of the Bank's Core Banking Solution (CBS) software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification to ensure that the reported financial statements are proper and reliable.<br><br>Our audit approach consisted of testing operating effectiveness of internal controls as follows: -<br><br>Evaluating and critically analysing the Bank's internal control system adheres to the RBI guidelines regarding Income recognition and asset classification and provisioning pertaining to advances.<br><br>Reviewed the documentations, operations/performance and monitoring of the advance accounts on test check basis to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of Branches/relevant divisions audited by us. In respect of the Branches audited by the Branch Statutory Auditors, we have placed reliance on their reports.<br><br>We assessed and evaluated the process of identification of NPAs and corresponding reversal of income and creation of provision. |
| 2. | **Classification of Advances into Priority & Non-Priority Sector (Refer- Schedule 18C read with Note 9 of standalone financial statements)**<br><br>Bank has made re-classification of borrowers' accounts between Priority & Non-Priority Sector during the year under Audit.<br><br>Consequently, we have considered this as a Key Audit Matter. | We have assessed the efficacy of the system of sector wise classification by the Bank.<br><br>We relied on the Branch and zonal returns, Branch Auditor's reports for sector wise classification.<br><br>We have selected sample of product wise accounts in priority sector classification to determine the correctness of reporting of sector wise classification.<br><br>The system of identification of priority/non-priority sector advances needs review and revalidation. |
| 3. | **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-performing Investments (Refer – Schedule 18 A read with Note 2 of standalone financial statements)**<br><br>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Units of Venture Capital Funds and Mutual Funds, Security Receipts of ARC, investment in subsidiary, and other approved securities. The investments are classified under three categories – Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. | Our audit approach towards Investments with reference to RBI circulars/directives/Investment policy of the Bank included the review of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/depreciation related to Investments as per RBI guidelines/Accounting policies followed by the Bank in this regard. |

| S. No | Key Audit Matters | How the matter was addressed in the audit |
|---|---|---|
| | These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directives of the RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, corresponding non-recognition of Income and provision thereof. The valuation and consequential adjustment and the identification of Non-performing investment are contained in accounting policy No 4 of Schedule 17 of standalone financial statements<br><br>Investments constitute 28.94 percent of the Bank's total assets.<br><br>In view of the significance of the value of Investments in the consolidated financial statements, the same has been considered as a Key Audit Matter. | We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.<br><br>We carried out the audit procedures to verify the valuation, provision and depreciation in respect of selected sample of investments within each category.<br><br>We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, reversal of income as applicable and also ensuring adequacy of provision to be made. |
| 4. | **Assessment of Provisions and Contingent Liabilities in respect of pending litigation under Direct Tax Laws. (refer Schedule 18B Note no 9 of standalone financial statements )**<br><br>There is a high level of judgement required in assessment of the tax litigation pending before Appellate Authorities. The assessment of the Bank is based on the facts of each case, Judicial Rulings and Expert advice from Independent Tax Consultants. Any adverse inference drawn by the Tax Assessing Officers, Appellate Authorities may significantly impact the Bank's Profit/Loss.<br><br>The above area has been identified as a Key Audit Matter in the light of uncertainties associated with the outcome of these matters. | Obtained an understanding of the current status of tax assessment/litigations pending before the Appellate Authorities.<br><br>Examined the Assessment orders/Appellate orders/Court orders received during the financial year under report.<br><br>Evaluated the issues from the legal perspective and the tax advice received from the Independent Tax Consultants.<br><br>Discussed with the Tax Team of the Bank on the issues arising in pursuance to the assessments completed and the submissions made by the Bank before the Assessing Officers /Appellate Authorities.<br><br>Also reviewed the statement of claims against the Bank by Income Tax Authorities, not acknowledged as debts and the disputed tax paid against such claims. |
| **5.** | **Modified Audit procedures carried out in light of COVID-19 outbreak**<br><br>Due to outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent nationwide lockdown and travel restrictions imposed by the Central Government/ State Government/Local Authorities during the period of our audit, we could not travel to the Branches, Zonal Offices, and Head Office to carry out the audit processes physically. The audit was carried out remotely where physical access was not possible.<br><br>Wherever we were not able to visit various locations, the necessary records/reports/documents/certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to the relevant application software (FINACLE). We could not visit most of the Branch Offices and Zones. As informed to us, most of the Branch Auditors also could not visit the Branches allotted to them and accordingly they also adopted modified audit procedures. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports, and records made available to us, which were relied upon by us as audit evidence for conducting the audit and reporting for the year under report.<br><br>Since we could not gather audit evidence physically/in person/through meetings with the officials of the Bank at the respective Branches/zones/head office; we have identified the audit procedure as contained herein as a Key Audit Matter. | We have modified our audit procedures as follows: -<br><br>Conducted examination/verification of necessary records/ documents/reports electronically through e-mails and remote access to the relevant software (Finacle), where it was not possible to physically visit the Offices of the Bank.<br><br>Carried out verification of scanned copies of the documents, certificates, reports, financial statements, and related records made available to us electronically through remote access/ emails.<br><br>Interaction and gathering audit evidence through video conferencing, emails, telephonic conversations, and other similar modes of communication.<br><br>Resolved audit observations through discussions, receipt of digital records, telephonic conversations and e mails. |

| S. No | Key Audit Matters | How the matter was addressed in the audit |
|---|---|---|
| 6. | **Information Technology System (Finacle) based Financial reporting process.**<br><br>The Bank is operating under Core Banking Solution (CBS). The Operational and Financial reporting processes are dependent on IT Systems for the large volume of transactions at the front end and at the back end.<br><br>Core Banking for all transactions including for integrated treasury management of the Bank has adequate checks, balances, processes and controls designed for the effective data capturing and reporting.<br><br>We have considered this as a Key Audit Matter, as lack of control and inputting errors results in wrong reporting of data to *the Management and Regulators. | We conducted a review and assessment of information and data derived from Core and Treasury to assure that the reported Consolidated Financial Statements are proper and reliable.<br><br>Our audit approach consisted of testing operating effectiveness of internal controls as follows:<br><br>Obtaining and reviewed the IS Audit conducted during the year.<br><br>Obtaining an understanding of the Bank's IT Control environment, IT Policies and key changes during the audit period including the notes placed before the Board.<br><br>Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over key IT systems that are critical to Financial reporting on test check basis.<br><br>Test checked key automated and manual business cycle controls and system generated reports relevant to audit. |

**Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon**

6. Those charged with governance are responsible for the Other Information. The Other Information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our Auditors' Report thereon).

   Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for Consolidated Financial Statements**

7. Those charged with governance are responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Holding Bank & its Subsidiary in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time.

   This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Holding Bank & its Subsidiary and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the consolidated financial statements, those charged with governance are responsible for assessing the Holding Bank & its Subsidiary's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Holding Bank & its Subsidiary or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated

financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Holding Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Holding Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditors' Report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditors' Report.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our Auditors' Report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other Matters**

9. We did not audit the financial statements of the Subsidiary, Corpbank Securities Limited, whose financial statements reflect total assets of ₹102.16 crores as at 31st March 2020 and total revenue of ₹ 8.73 crores for the year ended on that date. These financial statements have been audited by another Auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the said subsidiary, is based solely on the report of the other auditor.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

10. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Holding Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Holding Bank; and

    c) The returns received from the Offices and Branches of the Holding Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

**12. We further report that:**

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank & its Subsidiary so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from Branches not visited by us;

b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the Branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the Branch Offices audited by Branch Auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable Accounting Standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. In accordance with letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20" issued by the RBI and subsequent communication dated 19th May 2020. We further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on consolidated financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Holding Bank.

c) Consequent to the Government of India's direction of Amalgamation, the Board of the Bank has been superceded; reporting on Directors as on 31stMarch, 2020 from being appointed as a Director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 is not applicable.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As the Holding Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on 19th May, 2020, there is no reporting requirement for the current year ended 31st March, 2020.

**As per our report of even date**

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants FRN: 000571S

**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants FRN: 000990N

**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | Schedule No. | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL & LIABILITIES** | | | |
| Capital | 1 | **1198,83,68** | 1198,83,68 |
| Reserves and Surplus | 2 | **12597,46,81** | 15415,67,51 |
| Minority Interest | 3 | **Nil** | Nil |
| Deposits | | **205258,33,41** | 184564,10,70 |
| Borrowings | 4 | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| Other liabilities and provisions | 5 | **8133,43,08** | 4051,24,06 |
| **TOTAL** | | **229489,13,22** | 213624,11,47 |
| **ASSETS** | | | |
| Cash and Balances with | | | |
| Reserve Bank of India | 6 | **15745,24,13** | 9661,06,91 |
| Balances with banks and money at call and short notice | 7 | **1263,29,95** | 2909,05,44 |
| Investments | 8 | **66376,68,73** | 60018,61,38 |
| Advances | 9 | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| Fixed Assets | 10 | **1379,45,42** | 1421,91,55 |
| Other Assets | 11 | **17325,39,25** | 18362,25,27 |
| **TOTAL** | | **229489,13,22** | 213624,11,47 |
| Contingent Liabilities | 12 | **36727,50,85** | 62625,62,97 |
| Bills for collection | | **14364,16,42** | 13747,30,85 |
| Significant Accounting Policies | 17 | | |
| Notes to the Accounts | 18 | | |

The schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | Schedule No. | **Year ended on 31.03.2020 ₹** | Year ended on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **I. INCOME** | | | |
| Interest earned | 13 | **16170,58,88** | 15622,65,40 |
| Other income | 14 | **3750,13,41** | 1881,43,59 |
| **TOTAL** | | **19920,72,29** | 17504,08,99 |
| **II. EXPENDITURE** | | | |
| Interest Expended | 15 | **10941,41,96** | 10113,91,23 |
| Operating Expenses | 16 | **5176,28,06** | 3487,02,71 |
| Provisions and Contingencies | | **6198,43,47** | 10228,44,94 |
| **TOTAL** | | **22316,13,49** | 23829,38,88 |
| Consolidated Net profit for the year before deducting Minority interest | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| Less : Minority interest | | **-** | - |
| Consolidated Net profit of the Group for the year | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| **IV. APPROPRIATIONS (From/To)** | | | |
| Transfer to Statutory Reserves | | **-** | - |
| Transfer to Staff Welfare Fund | | **-** | - |
| Transfer to Capital Reserves | | **-** | - |
| Investment Reserve | | **-** | - |
| Balance carried over to B/S | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| **TOTAL** | | **-2395,41,20** | -6325,29,89 |
| Earning per Share (₹) | | **(4.00)** | (30.03) |

The schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

( ₹ 000's omitted )

| | PARTICULARS | Year ended on 31.03.2020 ₹ | Year ended on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| [A] | **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES** | | |
| | Net Profit/Loss(-) after Tax | -2385,32,20 | -6325,29,89 |
| | Add:-Provision for Tax | 2647,21,74 | -1714,70,08 |
| | Net Profit / Loss (-) before Tax | 261,89,54 | -8039,99,97 |
| [i] | **Adjustment for :-** | | |
| | Depreciation on Fixed Assets | 180,07,60 | 176,54,38 |
| | Depreciation on Investments | 53,80,38 | 340,20,20 |
| | Provision for NPAs | 3279,48,87 | 11585,13,72 |
| | Provision for Standard Assets | 285,83,00 | 180,52,52 |
| | Interest paid on Tier I & Tier II Bonds | 173,27,70 | 420,81,01 |
| | Provision for Contigencies and Others | 33,65,58 | -43,29,41 |
| | Transfer to/from reserves | -422,79,49 | - |
| | (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets | -1,62,23 | 1,49,49 |
| | Interest/Dividend Received | -,84,41 | -,43,57 |
| | Gain on redemption of Mutual Funds | -,2,86 | -,41,04 |
| | Income earned by way of sale of Investment in Subsidiaries | -7,03,13 | - |
| | Direct Taxes (paid)/refund (by Corp Bank) | -565,47,13 | -1139,66,86 |
| | Direct Taxes (paid)/refund ( by Corpbank Securities Ltd) | -3,58,36 | -1,82,77 |
| | Provision for Interest Capitalisation | -104,62,00 | -119,42,00 |
| [ii] | **Cash flow before change in Operating Assets and liabilities** | **3162,03,07** | **3359,65,70** |
| | **Adjustment for:-** | | |
| | Increase/(Decrease) in Deposits | 20690,48,96 | 1254,39,78 |
| | Increase/(Decrease) in Borrowings | -4543,19,28 | -10539,37,83 |
| | Increase/(Decrease) in other liabilies & provisions | -983,91,82 | -13443,05,72 |
| | (Increase)/Decrease in Investments | -6525,79,30 | 10370,57,25 |
| | (Increase)/Decrease in Advances | -6147,84,82 | -1382,37,21 |
| | (Increase)/Decrease in Other Assets | 641,30,85 | 3607,64,53 |
| | Adjustments to /from Reserves for Write Off/trf | - | 19,25,54 |
| | **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES [A]** | **6293,07,66** | **-6753,27,96** |
| [B] | **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | | |
| | Sale/Disposal of Fixed Assets | 4,06,57 | -3,78,32 |
| | Purchase of Fixed Assets | -140,05,80 | -111,49,17 |
| | Proceeds of sale of Investment in Subsidiary/Joint Ventures/ Associates | - | - |
| | Interest / Dividend received | ,84,40 | ,43,57 |
| | Change in Investment of Deposits | ,2,86 | ,41,04 |
| | Income earned by way of Dividend etc. from Susidiaries and associates | - | - |
| | **NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES [B]** | **-135,11,97** | **-114,42,88** |

# CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020 (CONTD.)

( ₹ 000's omitted )

| | PARTICULARS | Year ended on 31.03.2020 ₹ | Year ended on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|---|
| **[C]** | **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | | |
| | Proceeds from Issuance of Share Capital/(Buy Back Of Shares) | | |
| | Proceeds of Tier I & Tier II Bonds | 974,21,88 | 11777,37,28 |
| | Redemption of Tier I & Tier II Bonds | -2550,00,00 | -3237,50,00 |
| | Interest paid on Tier I & Tier II Bonds | -173,27,70 | -420,81,01 |
| | Dividend (Interim & Final) paid | - | - |
| | Dividend Distribution Tax paid | - | - |
| | **NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES [C]** | **-1723,27,70** | **8119,06,27** |
| **[D]** | **NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS [A+B+C] or [F-E]** | **4434,67,99** | **1251,35,42** |
| **[E]** | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Bank Balance with RBI | 9665,40,77 | 11140,15,36 |
| | Balance with Banks and Money at Call and Short Notice | 2907,96,58 | 177,52,65 |
| | **NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR [E]** | **12573,37,35** | **11317,68,01** |
| **[F]** | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Bank Balance with RBI | 15745,24,13 | 9661,06,85 |
| | Balance with Banks and Money at Call and Short Notice | 1262,81,21 | 2907,96,58 |
| | **NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR [F]** | **17008,05,34** | **12569,03,43** |

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# SCHEDULED ANNEXED TO BALANCE SHEET

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | ₹ | As on 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 1 - CAPITAL** | | | | |
| AUTHORISED CAPITAL | | | | |
| 1500,00,00,000 Equity Shares of ₹ 2 each | | **3000,00,00** | | 3000,00,00 |
| ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL | | | | |
| 599,41,84,034 Equity Shares of ₹ 2 each (Previous year 599,41,84,034 equity share of ₹ 2 Each) | | | | |
| Opening Balance | **1198,83,68** | | 333,10,97 | |
| Additions / (Forfeited) during the year | **-** | **1198,83,68** | 865,72,71 | 1198,83,68 |
| PAID UP CAPITAL | | | | |
| 560,47,99,271 Equity Shares of ₹ 2 each (Previous year 560,47,99,271 equity share of ₹ 2 Each) | **1120,95,99** | **1120,95,99** | 1120,95,99 | 1120,95,99 |
| b) Held by the public & others | **77,87,69** | | 77,87,69 | |
| 38,93,84,193 Equity Shares of ₹ 2 each (Previous year 38,93,84,193 equity share of ₹ 2 Each) | | | | |
| Less : Allotment money due | **-** | | - | |
| Forfeiture during the year | **-** | **77,87,69** | - | 77,87,69 |
| **TOTAL** | | **1198,83,68** | | 1198,83,68 |
| **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS** | | | | |
| **I. Statutory Reserves** | | | | |
| Opening Balance | **3368,88,47** | | 3368,88,47 | |
| Additions during the year | **-** | | - | |
| Appropriation from excess | | | | |
| Provision of Depreciation on Investments | **-** | | - | |
| Amount trfd to Gen Reserve | **-** | | - | |
| | | **3368,88,47** | | 3368,88,47 |
| **II. Capital Reserves** | | | | |
| Opening Balance | **1200,22,00** | | 1200,22,00 | |
| Additions during the year | **18,75,00** | | - | |
| Share Forfeited A/c eligible for Re-issue | **-** | | - | |
| | | **1218,97,00** | | 1200,22,00 |
| **III. Share Premium** | | | | |
| Opening Balance | **16081,94,51** | | 5170,29,94 | |
| Additions during the year | **-** | | 10911,64,57 | |
| Less : Calls in Arrears | **-** | **16081,94,51** | - | 16081,94,51 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | ₹ | As on 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE - 2 (Contd.)** | | | | |
| **IV. Revenue & Others Reserves** | | | | |
| a) Revenue Reserves | | | | |
| Opening Balance | **3133,20,53** | | 3113,95,01 | |
| Additions during the year | **-** | | 19,25,53 | |
| | **3133,20,53** | | 3133,20,54 | |
| Deductions during the year | **-148,37,19** | | - | |
| | | **2984,83,34** | | 3133,20,54 |
| b) Special Reserve | | | | |
| Opening Balance | **1436,60,74** | | 1436,60,74 | |
| Additions during the year | **-** | | - | |
| Transferred from Corp Bank Homes | | | | |
| Deductions during the year | **252,88,00** | | - | |
| | | **1183,72,74** | | 1436,60,74 |
| d) Investment Reserve | | | | |
| Opening Balance | **-** | | - | |
| Transfer from Profit and Loss | | | | |
| Appropriation Account | **-** | | - | |
| | | **-** | | - |
| V. Reserve for Relvaluation of Land & Building | | | | |
| Opening Balance | **902,17,96** | | 646,81,55 | |
| Additions during the year | **-** | | 274,61,95 | |
| Less :Withdrawal during the year | **22,70,57** | | 19,25,54 | |
| | | **879,47,39** | | 902,17,96 |
| VI. Balance of P & L Account | | **-13120,36,64** | | -10707,36,70 |
| **TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)** | | **12597,46,81** | | 15415,67,51 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 3 - DEPOSITS** | | |
| A. I. Demand deposits | | |
| i) From banks | **13,77,80** | 31,69,15 |
| ii) From others | **16630,93,63** | 16164,32,84 |
| II. Savings bank deposits | **46029,05,52** | 42106,72,01 |
| III. Term deposits | **-** | - |
| i) From banks | **162,25,55** | 164,33,67 |
| ii) From others* | **142422,30,91** | 126097,03,03 |
| **TOTAL (I,II and III)** | **205258,33,41** | 184564,10,70 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| B. (i) Deposits of branches in India | **205258,33,41** | 184564,10,70 |
| (ii) Deposits of branches outside india | **-** | - |
| **TOTAL** | **205258,33,41** | 184564,10,70 |
| * Which includes Corpgold Deposits | **-** | 13,97,98 |

**SCHEDULE 4 - BORROWINGS**

| | | |
|---|---|---|
| I. Borrowings in India | | |
| i) Reserve Bank of India | **203,00,00** | 425,00,00 |
| ii) Other banks | **,18,87** | 4282,94,46 |
| iii) Other institutions and agencies | **47,87,37** | 86,31,06 |
| iv) Unsecured Bonds/IPDI and Subordinated Debts* | **2050,00,00** | 3600,00,00 |
| **TOTAL** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| II. a) Borrowings outside India | **-** | - |
| **TOTAL (I and II)** | **2301,06,24** | 8394,25,52 |
| Secured borrowings included in I & II above | **Nil** | Nil |
| *Includes | | |
| Unsecured Redeemable Bonds(TierII) | **2050,00,00** | 3100,00,00 |
| Tier I Perpetual Bonds | **-** | 500,00,00 |

**SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**

| | | |
|---|---|---|
| I. Bills payable | **461,27,92** | 487,96,95 |
| II. Inter Office adjustments (net) | **-** | 114,83,76 |
| III. Interest accrued | **690,34,38** | 774,64,95 |
| IV. Deferred Tax Liability | **-** | - |
| V. Others (including provisions)* | **6981,80,78** | 2673,78,40 |
| | **8133,43,08** | 4051,24,06 |
| * Includes contigent provisions against standard assets | **1026,06,78** | 740,23,78 |

**SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**

| | | |
|---|---|---|
| I. Cash in hand (including foreign currency notes and Gold) | **1126,59,45** | 1083,77,46 |
| II. Balances with the Reserve Bank of India in | | |
| – Current Accounts | **6518,64,68** | 7202,29,45 |
| – Other Accounts | **8100,00,00** | 1375,00,00 |
| **TOTAL (I, II and III)** | **15745,24,13** | 9661,06,91 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES** | | |
| **I. In India** | | |
| i) Balances with banks | | |
| a) in Current Accounts | **52,28,63** | 73,19,35 |
| b) in other Deposit Accounts | **37,31** | 37,79 |
| ii) Money at call and short notice | | |
| a) with banks | **1** | - |
| b) with Other Institutions | **-** | - |
| **TOTAL (i+ii)** | **52,65,95** | 73,57,14 |
| **II. Outside India** | | |
| i) In Current Accounts | **-** | - |
| ii) In other Deposit Accounts | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| iii) Money at call and short notice | **Nil** | Nil |
| **TOTAL (i+ii+iii)** | **1210,64,00** | 2835,48,30 |
| **GRAND TOTAL (I and II)** | **1263,29,95** | 2909,05,44 |
| **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS** | | |
| Investment in India (Gross) | **67552,98,62** | 61254,58,04 |
| Less: Provision for depreciation | **1176,29,89** | 1235,96,66 |
| Net Investment | **66376,68,73** | 60018,61,38 |
| I. Investments in India | | |
| i) Government Securities | **45780,85,32** | 41474,56,08 |
| ii) Other Approved Securities | **,99,61** | ,99,61 |
| iii) Shares | **169,88,46** | 246,37,87 |
| iv) Debentures and Bonds | **1433,12,98** | 2471,85,58 |
| v) Investments in Associates | **-** | - |
| vi) Others | | |
| (a) Certificate of Deposit | **3793,31,75** | 580,15,16 |
| (b) Commercial Paper | **138,59,70** | 93,17,10 |
| (c) Units of Mutual Funds | **13,23,61** | 13,42,05 |
| (d) Venture Capital Funds | **67,76,01** | 72,88,11 |
| (e) Government Sepcial Securities | **14941,22,71** | 14926,57,16 |
| (f) Secutiry Receipts | **37,14,40** | 138,08,48 |
| **TOTAL** | **66376,14,55** | 60018,07,20 |
| II. Investments outside India -In Swift | **,54,18** | ,54,18 |
| **TOTAL (I and II)** | **66376,68,73** | 60018,61,38 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 9 - ADVANCES** | | |
| A. i) Bills purchased and discounted | **1847,96,96** | 931,80,63 |
| ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand | **32948,72,24** | 41619,71,21 |
| iii) Term loans | **92602,36,54** | 78699,69,08 |
| **TOTAL** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| B. i) Secured by Tangible Assets (includes Advances against book debts) | **104308,41,87** | 95914,76,45 |
| ii) Covered by Bank/Government Guarantees | **,38,20** | 10,61,47 |
| iii) Unsecured | **23090,25,67** | 25325,83,00 |
| **TOTAL** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| C. I. Advances in India | | |
| i) Priority Sector | **47658,09,21** | 49505,99,46 |
| ii) Public Sector | **37373,83,70** | 10328,63,88 |
| iii) Banks | **-** | - |
| iv) Others | **42367,12,83** | 61416,57,58 |
| **TOTAL** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |
| C. II. Advances outside India | **Nil** | Nil |
| **GRAND TOTAL (C.I and C.II)** | **127399,05,74** | 121251,20,92 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | ₹ | As on 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS** | | | | |
| I. Premises | | | | |
| At cost as on 31st March of the preceeding year | **1192,97,78** | | 924,01,08 | |
| Additions during the year | **4,88,82** | | 278,80,22 | |
| | **1197,86,60** | | 1202,81,30 | |
| Deductions during the year | **1,23,54** | | 9,83,52 | |
| | **1196,63,07** | | 1192,97,78 | |
| Depreciation to date | **176,38,16** | | 151,42,90 | |
| | **1020,24,91** | | 1041,54,88 | |
| Add: Capital Work in progress | **,32,19** | **1020,57,10** | 4,29,26 | 1045,84,14 |
| **II. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)** | | | | |
| At cost as on 31st March of the preceeding year | **1455,14,72** | | 1417,12,24 | |
| Additions during the year | **99,36,71** | | 57,52,75 | |
| | **1554,51,43** | | 1474,64,99 | |
| Deductions during the year | **18,41,30** | | 19,50,28 | |
| | **1536,10,14** | | 1455,14,72 | |
| Depreciation to date | **1233,90,21** | | 1137,96,62 | |
| | **302,19,93** | | 317,18,10 | |
| Add: Capital work in progress | **19,91** | **302,39,84** | 11,05 | 317,29,15 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | ₹ | As on 31.03.2019 ₹ | ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **III. Intangible Assets [Computer Software]** | | | | |
| At cost as on 31st march of preceding year | **270,66,30** | | 243,11,16 | |
| Additions during the year | **39,68,48** | | 37,04,08 | |
| | **310,34,78** | | 280,15,24 | |
| Deductions during the year | **2,87,07** | | 9,48,94 | |
| | **307,47,71** | | 270,66,30 | |
| Depreciation to date | **250,99,23** | **56,48,48** | 211,88,04 | 58,78,26 |
| | **56,48,48** | | | |
| **TOTAL (I II and III)** | | **1379,45,42** | | 1421,91,55 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS** | | |
| I. Inter Office Adjustments (Net) | **378,68,19** | - |
| II. Interest accrued | **1950,53,19** | 1706,06,38 |
| III. Mat Credit Availability | **674,38,11** | 655,28,45 |
| IV. Tax paid in advance/TDS | **238,98,31** | 291,43,30 |
| V. Cenvat Credit | **15,34,51** | 39,81,19 |
| VI. Taxes paid under Dispute | **3422,70,42** | 2927,45,72 |
| V. Stationery and stamps | **4,39,95** | 4,78,60 |
| VI. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims | **,9,44** | ,9,44 |
| VII. Deferred Tax Asset | **4612,94,05** | 5446,26,73 |
| VIII. Investment With NABARD under RIDF/SIDBI/RHDF Dep. | **4651,36,68** | 5918,77,72 |
| VIII. Others | **1375,96,40** | 1372,27,74 |
| **TOTAL** | **17325,39,25** | 18362,25,27 |
| | | |
| **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES** | | |
| I. Claims against the bank not acknowledged as debts | **5485,82,48** | 3232,79,24 |
| II. DEAF - Balance with RBI | **128,87,72** | 116,56,16 |
| II. Securities Purchased under Reverse Repo | **-** | 6246,42,42 |
| III. A. Liability on account of out-standing forward exchange contracts | **16947,42,19** | 36004,23,88 |
| B. Derivatives | **-** | 924,00,00 |
| IV. Guarantees given on behalf of constituents | | |
| a) in India | **10908,95,60** | 11583,83,58 |
| b) outside India | **169,31,97** | 223,25,88 |
| V. Acceptances, endorsements and other obligations | **3027,80,49** | 4189,45,19 |
| VI. Other items for which the Bank is contingently liable | **59,30,40** | 105,06,62 |
| **TOTAL** | **36727,50,85** | 62625,62,97 |

( ₹ 000's omitted )

| PARTICULARS | As on 31.03.2020 ₹ | As on 31.03.2019 ₹ |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED** | | |
| I. Interest/Discount on advances/bills | **10721,47,74** | 10992,61,82 |
| II. Income on investments | **4443,07,04** | 4120,20,01 |
| III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds | **17,88,73** | 22,85,31 |
| IV. Others | **988,15,37** | 486,98,26 |
| **TOTAL** | **16170,58,88** | 15622,65,40 |
| **SCHEDULE 14 - OTHER INCOME** | | |
| I. Commission, exchange and brokerage | **263,87,29** | 316,27,23 |
| II. Profit/Loss on sale of investments (net) | **389,20,95** | -80,92,51 |
| III. Profit/Loss on sale of land, buildings and other assets (net) | **1,62,23** | -1,49,49 |
| IV. Profit/Loss on exchange transactions (net) | **114,51,87** | 99,18,07 |
| V. Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/companies | **3,40,08** | 3,32,66 |
| VI. Miscellaneous income | **2977,50,99** | 1545,07,63 |
| **TOTAL** | **3750,13,41** | 1881,43,59 |
| **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED** | | |
| I. Interest on deposits | **10564,86,57** | 9499,99,05 |
| II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings | **200,70,72** | 119,61,64 |
| III. Others | **175,84,67** | 494,30,54 |
| **TOTAL** | **10941,41,96** | 10113,91,23 |
| **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES** | | |
| I. Payment to and provisions of employee | **3373,35,69** | 1747,47,00 |
| II. Rent, taxes and lighting | **330,62,94** | 318,39,70 |
| III. Printing and stationery | **23,13,83** | 22,00,44 |
| IV. Advertisement and publicity | **3,87,61** | 3,08,67 |
| V. Depreciation on bank's property | **180,07,60** | 176,54,38 |
| VI. Directors' fees, allowances and expenses | **,86,14** | ,33,32 |
| VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors) | **24,14,90** | 25,04,34 |
| VIII. Law charges | **6,47,39** | 6,04,25 |
| IX. Postages, Telegrams, Telephones, etc. | **81,34,03** | 77,55,70 |
| X. Repairs and maintenance | **133,74,22** | 115,81,08 |
| XI. Insurance | **274,27,70** | 235,62,59 |
| XII. Other expenditure | **744,36,01** | 759,11,24 |
| **TOTAL** | **5176,28,06** | 3487,02,71 |

# SCHEDULE 17

# SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

## 1. Principles of Consolidation

The Consolidated Financial Statements include the financial statements of Union Bank of India [erstwhile Corporation Bank ('the Bank')] and its subsidiary Corpbank Securities Limited.

The financial statements of the Bank and its subsidiary have been combined on a line by line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group balances and intra group transactions, except wherever otherwise stated.

## 2. Basis of Preparation

The consolidated financial statements of the Bank and its subsidiary have been prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and except for items recognized on cash basis, as per guidelines issued by the Reserve Bank of India ['RBI'] and comply with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and relevant requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 2013, and current practices prevailing in the banking industry in India.

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles [GAAP] requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. The Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actuals could differ from these estimates.

The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, "Consolidated Financial Statements":

| Name of the Company | Country / Residence | Relationship | Ownership Interest |
|---|---|---|---|
| Corpbank Securities Limited | India | Subsidiary | 100% |

The subsidiary company figures are regrouped to conform with those of the Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank, in certain cases, for like transactions and events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements.

The financial statements of the subsidiary used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the parent company i.e. year ended 31st March, 2020.

## 3. REVENUE RECOGNITION

### a. Banking Entity:

i. Income is recognized on an accrual basis except:

1. Commission on Bank Guarantees and Letters of Credit; arrangement of suppliers /buyers Credit; and Locker rent which are recognized on receipt basis.
2. Interest income on Non-Performing advances and investments, and securities guaranteed by Central Government where interest is not realized within 90 days is recognized on receipt basis.
3. Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order from the Income Tax Department.

ii. Profit or loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account on settlement basis at the time of sale except the realized profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category which is recognized in the profit and loss account and subsequently appropriated to capital reserve account in accordance with the RBI guidelines.

iii. Brokerage/commission/incentives received on Bank's direct subscriptions are deducted from the cost of securities, whereas brokerage paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenditure.

iv. The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

b. **Non-Banking Entity:**

(i) Interest accrued on Dated Government Securities is recognized at its coupon rate.

(ii) Purchase and sale price of fixed income securities is bifurcated into cost and accrued interest paid or realized. Amount paid as interest accrued on purchase and received on sale of fixed income securities (Broken period interest) is netted and reckoned as income/expense.

(iii) Profit / loss on sale of securities is accounted on Weighted Average Price Method (WAP) and is recognized on settlement date.

(iv) Commission on the business done as intermediaries is recognised on accrual basis.

(v) Revenue from brokerage business is recognised on the basis of the confirmed Contract note of the trade.

(vi) Interest on investments is recognised on accrual basis. Dividend income on investments in the Units of Mutual Funds and on equity shares is recognised on the basis of declaration of the same.

## 4. ADVANCES

a) Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets in accordance with the guidelines issued by the RBI and are stated net of specific provisions made towards Non-Performing Advances ['NPAs'].

b) Credit Card dues are identified as NPAs where minimum dues receivable as mentioned in the statement are in default for a continuous period of more than 90 days from the payment due date mentioned in statement. Income from non performing card accounts is not recognized in financial statements.-

c) Provisions for sub-standard, doubtful and loss advances are made on the basis of asset classification and provisioning requirements under the prudential norms laid down by the RBI.

d) Partial recoveries in non-performing advances will be appropriated **account wise (not party–wise)** in the following order of priority:

i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery,

ii. Interest irregularities/ accrued interest, and

iii. Principal irregularities i.e. Principal outstanding in the account.

e) In respect of Suit/NCLT accounts, the adjustment of recoveries as per sanction term of competent Authority/NCLT/Judiciary.

In case of non-performing advances involving compromise settlements, the adjustment of recoveries may be adjusted first toward principal then to interest if the recovery is over and above Principal amount.

f) General provision for Standard Assets made in accordance with RBI Guidelines is included under "Other Liabilities & Provisions-others".

Restructured Accounts**:** For restructured advances, provisions for erosion in fair value of loan are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, in addition to the provisions otherwise required. The provision for erosion in fair value of advance is not reduced from advances and is included in the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions-Others".

## 5. INVESTMENTS

**Banking Entity:**

### 5.1 Categorization & Classification

In accordance with the RBI guidelines, investments at the time of acquisition are categorized as:

- Held to Maturity [HTM],
- Available for Sale [AFS] and
- Held for Trading [HFT].

The Bank shifts investments from AFS / HFT category to HTM category at the lower of book value or market value. In other words, in cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation should be ignored and the security should be transferred at the book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) should be adjusted to reduce the book value to the market value and the security should be transferred at the market value.

If the security was originally placed under the HTM category at a discount, it may be transferred to AFS / HFT category at the acquisition price / book value. (It may be noted that as per existing instructions banks are not allowed to accrue the discount on the securities held under HTM category and, therefore, such securities would continue to be held at the acquisition cost till maturity). After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it may be transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities should be immediately re-valued and resultant depreciation, if any, may be provided.

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held may be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under six categories – Government Securities, State Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investments in Subsidiaries/ RRB/ Joint Ventures and Others **[units of Mutual Funds, Commercial Papers, Certificate of Deposits and Venture Capital Funds].**

Investments classified under 'Held to Maturity' include the following:

a) Investments in SLR securities as percentage of Demand and Time liabilities or as notified by RBI from time to time.

b) Recapitalization bonds received from the Government of India towards recapitalization requirements.

c) Investments in share of subsidiaries and joint ventures.

d) Investments in Venture Capital Funds, for an initial period of 3 years of each draw down, after 23rd August 2006.

e) Investments in long term bonds issued by companies engaged in infrastructure activities.

Investments acquired primarily with an intention for trading are classified as HFT securities. As per RBI guidelines, securities in HFT category are not held beyond 90 days and are transferred to AFS category under exceptional circumstances like not able to sell or extreme volatility or market becoming unidirectional, with the approval of the Board/ALCO/Investment Committee.

All other investments are classified under AFS.

**5.2 Valuation and consequential adjustments :**

a] Held to Maturity: Investments classified under 'Held-to-Maturity' are carried at weighted average acquisition cost. Premium on acquisition, if any, is amortized on a straight-line basis over the remaining maturity period. In case of investments in subsidiaries /joint ventures any diminution, other than temporary, in the value of such investment is recognized and provided for. Investments in Venture Capital Fund are valued at Cost.

b] Available for Sale and Held for Trading:

i. Investments in these categories (classified under the category `Held for Trading' and `Available for Sale') are marked to market / estimated realizable value as per the RBI guidelines at monthly and quarterly intervals for HFT and AFS respectively. While the resultant net depreciation, if any, within each category referred to in 5.1 above, is recognized in profit & loss account as "Provisions and Contingencies", the net appreciation is ignored except to the extent of depreciation previously provided. The book value of the individual scrip is not changed after revaluation.

ii. In the case of write back of excess provision of depreciation the same is credited to "Provisions and Contingencies "and a like amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserve) is appropriated to Investment Reserve Account under Schedule 2 – "Reserves & Surplus".

iii. For the purpose of (i) above, the market price / estimated realizable value is determined as under:

| Sr. No. | Type of Securities | Valuation of Securities |
|---|---|---|
| 1. | Central Government of India securities | Quoted: At market price as per the quotation put out by FIMMDA.<br>Unquoted: on the basis of the prices /YTM rates put by the FIMMDA |
| 2. | State Government Securities, State Govt. Special Securities, Securities guaranteed by Central/ State Government (other approved securities) | At prices published by FIMMDA in respect of State Government Securities.<br>At appropriate spread upon the yield curve put out by the FIMMDA in respect of other approved securities |

| Sr. No. | Type of Securities | Valuation of Securities |
|---|---|---|
| 3. | Treasury Bills (including Treasury Bills held on account of PD business) / Certificates of deposits / Commercial paper | At carrying cost. |
| 4. | Equity shares | [i] Quoted : At market price<br>[ii] Unquoted: At break up value as ascertained from the company's latest Balance Sheet [not more than one year old], otherwise at Re.1/- per company. |
| 5. | Preference Share, Debentures and Bonds | [i] Quoted: At Market Price<br>[ii] Unquoted: On appropriate Yield to Maturity |
| 6. | Mutual Fund | [i] Quoted : At market price<br>[ii] Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value [where repurchase price is not available] declared by the fund in each of the schemes |
| 7. | Venture Capital Funds | [I] Quoted: At market value<br>[ii] Unquoted: In the case of investments in the form of units, the valuation will be done at the NAV shown by the VCF in its financial statements. Depreciation, if any, on the units based on NAV has to be provided at the time of shifting the investments to AFS category from HTM category as also on subsequent valuations which should be done at quarterly or more frequent intervals based on the financial statements received from the VCF. At least once in a year, the units should be valued based on the audited results. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are to be valued at Rupee 1per VCF. |

**5.3 Non-performing Investments**

a] All such securities where repayment of principal or interest not serviced within 90 days from the due date are classified as Non-Performing Investments, except securities guaranteed by the Central Government which are treated as performing investments notwithstanding arrears of principal / interest payments. In respect of investments classified as Non-performing, appropriate provisions are made for the depreciation in the value of these investments. The depreciation requirement in respect of these securities is not set off against appreciation in respect of other performing securities.

b] Where the Bank has both credit and investment exposures to any borrower/ group and in the event the credit exposure is classified as Non-Performing asset, the investment exposure to them is also classified as Non-Performing.

**Clarifications:**

If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

**5.4 ACCOUNTING FOR REPO TRANSACTIONS**

The Bank follows the accounting norms prescribed by the RBI vide circular Ref. No. RBI/2018-19/24 FMRD.DIRD.01/14.03.038/2018-19 dated 24.07.2018 in respect of repo / reverse repo transactions under market repo and the accounting guidelines issued vide Ref. RBI/2015-2016/403 FMRD.DIRD.10/14.03.002/2015-16 dated 19.05.2016 in respect of repo / reverse repo transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and the Marginal Standing Facility (MSF).

The accounting norms to be followed by Bank for repo/reverse repo transactions under LAF and the Marginal Standing Facility (MSF) of RBI shall be same as prescribed for market repo transactions. Further, in order to distinguish repo/reverse repo transactions with RBI from market repo transactions, a parallel set of accounts similar to those maintained for market repo transactions but prefixed with 'RBI' may be maintained.

Reckon the market value of collateral securities for calculating the haircut instead of face value while initiating the LAF/MSF transactions;

Bestow SLR status to the securities acquired by banks under reverse repo with RBI; and

Allow re-repo of securities received under LAF reverse repo with market participants subject to the conditions prescribed in RBI circular FMRD.DIRD.5/14.03.002/2014-15 dated February 5, 2015.

**5.5 Accounting For Investment Transactions**

i) The Bank follows settlement date method of accounting its investments;

ii) Cost is determined on weighted average cost method;

iii) Profit on sale is netted with loss on sale of securities; and

iv) The portion of income/loss that arises on account of movement in the yield, when the following investments are sold, will have to be treated as profit/loss:

a) The difference between the sale price/ redemption value of fixed income securities and its book value shall be treated as profit or loss on sale of investments.

b) The difference between sale price/ redemption value of mutual funds including liquid Mutual Funds and its book value shall be treated as profit/loss on sale of investments.

c) In respect of discounted securities viz. CD/CP/T-Bills, difference between sale price and carrying cost (book value + accrued interest) shall be treated as profit/ loss on investment.

**In respect of Investments of Corpbank Securities Limited:**

i) The securities acquired with the intention of short term holding and trading positions is considered as “Stock-in-Trade” and shown under current assets. Other securities acquired with the intention of long-term holding are treated as “Investments.”

ii) Securities held as investments and held till maturity are valued at cost.

iii) Any diminution in the value of securities held as investment individually is provided for, wherever such diminution is permanent.

(i) The Quoted securities are valued at cost or market price, whichever is lower. In the absence of market quotes, market prices are determined at the rates derived from the prevailing yield of securities having similar standing and maturity period.

(ii) Each type of security is regarded as a separate category. Under each category, valuation is done scrip-wise and depreciation is provided, while appreciation is ignored. The depreciation in one category of securities is not set off against appreciation in another category.

(iii) Treasury Bills held on the balance sheet date are valued at carrying cost or market value whichever is lower. The market value of Treasury Bills held on the balance sheet date is determined as per the rates provided by Clearing Corporation of India Limited.

(iv) The Certificate of Deposits and Commercial Papers held on the balance sheet date are valued at carrying cost.

(v) The market value of Central Government Dated Securities is determined as per the rates provided by Fixed Income and Money Market Dealers Association (FIMMDA).

**6. FIXED ASSETS:**

**Banking Entity:**

a] i. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment. Cost comprises of the purchase price and any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use. The carrying amounts of fixed assets are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted for any impairment in accordance with the Accounting Standard 28 (“Impairment of Assets”) issued in this regard by the ICAI.

ii. Land and Buildings (other than Leasehold Land) being part of Premises revalued during September 2018 are stated at the average market value of two Valuation reports by crediting to Revaluation reserve. Consequently, depreciation on these assets is charged to Profit and Loss account and an equal amount is adjusted to the accumulated depreciation. Difference between the depreciation and revalued carrying amount and depreciation on its original cost is transferred from “Reserve for revaluation of Land and Building“ to “General Reserve” in accordance with AS 10 “Property, Plant and Equipment issued in this regard by the ICAI”.

iii. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

iv. Capital Work-in-progress includes cost of fixed assets that are not ready for their intended use and also includes advances paid to acquire fixed assets.

b] Depreciation shall be provided under the straight line method from the date of capitalization. The assets are depreciated taking into consideration the useful life of the asset as provided in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Bank as a matter of prudence finds that the useful life of the following assets is lower than the useful life of the respective category of assets mentioned in Schedule II (ref.: Sec. 123) of the Companies Act, 2013 as stated below:

a. Motorcycles, scooters and other mopeds- 8 years (As against standard life mentioned in Companies Act Schedule-II -10 years)

b. Mobile Phones- 3 years (As against standard life mentioned in Companies Act Schedule-II -15 years)

c. UPS and allied items- 5 years (As against standard life mentioned in Companies Act Schedule-II -10 years)

d. Air conditioners and Electrical fittings- 5 years(As against standard life mentioned in Companies Act Schedule-II -10 years)

e. Lease hold Improvements are depreciated over period of 5 years.

f. Depreciation on premises is provided for on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identified.

**Non-Banking Entity:**

(i) Fixed assets are valued at original cost less accumulated depreciation. Costs include all direct costs attributable to acquisition, installation and commissioning.

(ii) Depreciation on fixed assets is provided on “Written Down Value” (WDV) method, at the rates specified in and in the manner as laid down by Schedule II of the Companies Act, 2013.

**7. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

a. Transactions denominated in foreign currencies are accounted for at the rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the balance sheet date at closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers Association of India [‘FEDAI’] and the resulting profits/losses are recognized in the profit and loss account.

b. Foreign Currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

c. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts meant for trading purpose are revalued at the exchange rates specified for spot and the respective forward maturities as notified by FEDAI. The resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account.

d. Foreign exchange forward contracts, which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are revalued at the closing spot rate as notified by FEDAI and the resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the period of the contract.

e. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

**8. DERIVATIVES**

i. The bank enters into derivative contracts such as foreign currency interest rate swaps, currency swaps, currency futures, options and forward rate agreements.

ii. The income/expenses on derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis.

iii. All trading derivative contracts are marked to market and the resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. All derivative transactions are classified under contingent liabilities and those denominated in foreign currencies are reported using the FEDAI closing spot rates.

## 9. TRANSACTIONS INVOLVING PRECIOUS METALS

i. Income from precious metals transactions is accounted for as "Other Income". In case of metals received on consignment basis, the income thereon is recognized at the time of sale.

ii. Commodity loans to the constituents and deposits from public under the gold deposit scheme in the form of precious metals are translated at market related rates prevailing at the close of the period and shown under the head "Advances" and "Deposits" respectively.

iii. Closing stock of precious metals [own dealing] is valued at lower of the cost and net realizable value.

iv. Closing stock of gold held under Gold Deposit Scheme is valued at market related rates, as per the RBI guidelines.

## 10. CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

Cash and Balance with Reserve Bank of India include cash on hand and in ATM's, and gold in hand and balances with RBI in current accounts.

## 11. EMPLOYEE BENEFITS

**Banking Entity:**

a) The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

b) i) Contributions payable to Gratuity, Pension, Leave Encashment and Sick Leave etc., which are defined benefits are accounted based on actuarial valuations made at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary;

ii) Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), which is a defined contribution scheme; are charged to the Profit and Loss Account.

**Non-Banking Entity:**

Payments made to parent organization viz., Corporation Bank's staff, towards emoluments/provident funds of their employees/ officials, whose services are lent to the Company on deputation basis, are regarded as Company's costs.

Employee Retirement Benefits being the liability of the parent organization viz. Corporation Bank is not recognized in the Financial Statement. Similar is the case for termination benefits and leave encashment.

## 12. LEASE TRANSACTIONS

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term.

## 13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Past events leading to possible obligations existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or present obligations where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made, are treated as contingent liabilities and are dealt-with in accordance with AS-29.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

## 14. TAXES ON INCOME

Income-tax expense comprises current tax [i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law] and deferred-tax charge or credit [reflecting tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period].

a] Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements/legal opinions.

b] The deferred-tax charge or credit and the corresponding deferred-tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. As advised by the RBI, Bank shall create Deferred Tax Liabilities on the "Special Reserves" created by Banks under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961. Deferred Tax assets are recognized keeping in view the consideration of prudence only to the extent there is virtual certainty that the assets are realized in future.

## 15. EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are computed in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

## 16. TREATMENT OF BASEL III COMPLIANT ADDITIONAL TIER I BONDS AND TIER II BONDS ON OCCURRENCE OF TRIGGER EVENTS:

a] On occurrence of Trigger event i.e. Common Equity Tier 1 trigger event the Bank shall write-down the outstanding principal of the Bonds not less than that the amount required to immediately return the Banks Common Equity Ratio to above the CET1 trigger event by creating "AT 1 Bond Reserve". The reserve so created shall be part of Common Equity Tier I Capital Bonds written down on occurrence of CET1 Trigger event temporarily may be re-instated in terms of Bond issue /RBI guidelines by debit to AT-1 Bond reserve.

b] On occurrence of Point of Non Viability [PONV] trigger event initiated by Reserve Bank of India, the Bank may create common equity Tier I capital by writing off Additional Tier I Bond principal amount permanently with corresponding creation of AT-1 Bond reserve/Tier II Bond Reserve as the case may be. The re-instatement clause is not applicable on occurrence of PONV trigger event.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S

**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N

**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# SCHEDULE 18

## NOTES TO THE ACCOUNTS FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

**1. DEFERRED TAX:**

a) The bank has reckoned the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) as per Notification by Central Board of Direct Taxes (CBDT) Dt 29.09.2016, read with Circular of CBDT Dt 23.03.2017 in this regard which are applicable for the Assessment Year 2017-18 and subsequent Assessment Years.

b) The Bank has been recognizing deferred tax assets and liabilities as per Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The comparative figures of deferred taxes as at 31.03.2019 and 31.03.2020 are as under:

(₹ in Crores)

| **Particulars** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** |
|---|---|---|
| Deferred Tax Assets on account of | | |
| Leave Encashment Provision | 127.45 | 89.78 |
| Funded Interest Term Loan & Sacrifice | 27.38 | 77.06 |
| Loan Losses | 4,491.47 | 3,914.38 |
| Depreciation on Fixed Assets | 58.46 | 48.36 |
| Taxable Income (Loss) | - | 1,557.96 |
| Provision made as per IRAC Norms for Standard Assets | 358.56 | 258.66 |
| **Total** | **5,063.31** | **5,946.21** |
| Deferred Tax Liabilities on account of | | |
| Pension & Gratuity - Pre-payment | 2.10 | - |
| Long Term Finance Income | 411.60 | 499.96 |
| Investment Depreciation claimed before 31.03.2016 | 36.66 | - |
| **Total** | **450.37** | **499.96** |
| **Net Deferred tax (liability)/ Asset** | **4,612.94** | **5,446.25** |

c) Income Tax

i) Break-up of provision made for Income Tax during the year:

(₹ in Crores)

| **Particulars** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** |
|---|---|---|
| Normal Tax | - | - |
| Minimum Alternative Tax (MAT) | 19.94 | - |
| MAT Credit Entitlement Asset | (19.94) | |
| Deferred Tax Liability/(Assets) | 833.32 | (1,740.09) |
| Harmonization impact on amalgamation of the Bank - Provision for income tax of earlier years created now | 1,812.60 | - |
| **Deferred Tax Liability/(Assets)** | **2,645.92** | **(1,740.09)** |

**Note:**

A) Consequent to amalgamation of the Bank w.e.f. 01.04.2020; an exercise was undertaken to Harmonize the tax practices followed by the three amalgamating banks before amalgamation, so that there will be uniform tax practices in the amalgamated entity. Expert opinion was obtained from a tax consultant Dt. 09th June, 2020 and based on such opinion, the bank has decided to provide the following tax impact in the books of account:

a) Creation of additional provision for Income Tax in respect of earlier years to the tune of ₹ 1812.60 Cr. The break-up is as under:

| S. No. | Assessment Year | Provision (₹) |
|---|---|---|
| i) | 2013-14 | 173,337,370.00 |
| ii) | 2014-15 | 114,304.00 |
| iii) | 2015-16 | 5,001,601,390.00 |
| iv) | 2016-17 | 8,108,499,839.00 |
| v) | 2017-18 | 4,842,485,546.00 |
| | **TOTAL** | **18,126,038,449.00** |

b) Reversal of Deferred tax asset on tax losses outstanding as on 31st March,2019 amounting to Rs1557.96 Crore.

c) Creation of Deferred Tax Liability on "Investment Depreciation" claimed prior to 31.03.2016 to the tune of ₹ 36.66 Crore.

d) Reversal of Special reserve to the tune of ₹ 252.88 crore and consequent reversal of Deferred Tax Liability to the tune of ₹ 88.37 crore.

B) After considering the Harmonization impact in computation of Income Tax Provision for the FY 2019-20 a net debit to P&L A/c of ₹ 2645.92 was arrived. Component-wise details of debit to P&L are given in the above table.

ii). Assessments for Income Tax have been completed up to the financial year 2016-17 (AY 2017-18).

The following appeals by the Bank/ Income Tax Department are pending before various appellate authorities/ courts:

| Income Tax | Service Tax | Professional Tax |
|---|---|---|
| Assessment Year 2011-12 to 2017-18 | Financial Year 2006-07 to June 2017 | 2009-10 to 2013-14 |

iii). Advance Taxes paid, Taxes Paid under Disputes, Input Tax Credit availed and TDS deducted on Income to the Bank are appearing under "Other Assets--Tax Paid in Advance / Tax Deducted at Source". With regard to the Taxes paid under dispute the Bank has filed appeals before Appellate Authorities and no additional provision is considered necessary in view of favourable judicial pronouncements in similar cases.

iv). The Government of India has inserted Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 in pursuance to the Finance Act 2020 with effect from assessment year commencing on or after 1st April 2020. Bank has evaluated the options available under Section 115BAA of Income Tax Act, and opted to continue to recognise the taxes on Income for the year ended 31st March, 2020 as per the earlier provisions of Income Tax Act, 1961.

## 2. SEGMENT REPORTING:

Part A: Disclosures as per "AS 17 - Segment reporting", issued by the Institute of Chartered Accountants of India are given below:

(₹ in Crores)

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| **a)** | **Segment Revenue** | | |
| | i) Treasury Operations | 5319.20 | 4121.61 |
| | ii) Wholesale Banking | 9001.17 | 7087.52 |
| | iii) Retail Banking | 4607.18 | 5320.25 |
| | iv) Other Banking Operations | 360.13 | 398.02 |
| | v) Unallocated | 640.07 | 576.70 |
| | **Total** | **19927.75** | **17504.09** |
| **b)** | **Segment Results** | | |
| | Profit (+) Loss (-) before tax and after interest from each segment | | |
| | i) Treasury Operations | 581.50 | (48.13) |
| | ii) Wholesale Banking | 1632.23 | (7782.81) |
| | iii) Retail Banking | (701.06) | 498.80 |

(₹ in Crores)

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| | iv) Other Banking Operations | 363.11 | 397.17 |
| | **Total** | **1875.79** | **(6934.97)** |
| c) | Unallocated Expenses | 1618.24 | 1105.03 |
| d) | Total Profit/(Loss) before Tax | 257.55 | (8040.00) |
| e) | Income Tax | 2645.93 | (1714.70) |
| f) | Extraordinary Profit/Loss | 0.00 | 0.00 |
| g) | Net Profit/(Loss) | (2388.38) | (6325.30) |
| h) | Other Information | | |
| i) | Segment Assets | | |
| | i) Treasury Operations | 67471.15 | 60943.96 |
| | ii) Wholesale Banking | 73865.99 | 65204.55 |
| | iii) Retail Banking | 59121.96 | 63081.65 |
| | ii) Other Banking Operations | 24.96 | 48.47 |
| | iv) Unallocated Assets | 29005.08 | 24345.48 |
| | **Total** | **229489.13** | **213624.11** |
| | Segment Liabilities: | | |
| | i) Treasury Operations | 61357.60 | 54109.78 |
| | ii) Wholesale Banking | 68252.72 | 58914.04 |
| | iii) Retail Banking | 54329.27 | 60929.39 |
| | ii) Other Banking Operations | 3.01 | 1.96 |
| | iv) Unallocated liabilities | 31750.22 | 23054.42 |
| | **Total** | **215692.83** | **197009.60** |
| | Capital Employed (Segment assets- Segment liabilities) | | |
| | i) Treasury Operations | 6113.55 | 6834.18 |
| | ii) Wholesale Banking | 5613.26 | 6290.51 |
| | iii) Retail Banking | 4792.69 | 2152.26 |
| | iv) Other Banking Operations | 21.95 | 46.51 |
| | v) Unallocated Assets | (2745.15) | 1291.06 |
| | **Total** | **13796.31** | **16614.51** |

**Part B : Geographic Segment**

The Geographic segment consists of only domestic segment as the Bank does not have any foreign branch.

**Notes:**

1 As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, the Bank has adopted “Treasury Operations”, “Wholesale”, “Retail” and “Other Banking Operations” as Primary segments under “Domestic Segment” for the purpose of compliance with AS-17 on “Segment Reporting” issued by ICAI.

2 Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.

3 Figures of the previous period / year have been regrouped / reclassified based on current quarter / period’s presentation.

**3. RELATED PARTY DISCLOSURE :**

In compliance with Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures, issued by the Institute of Chartered Accountants of India read along with the Reserve Bank of India guidelines, the details pertaining to Related Party transactions are disclosed as under:

a) **Name of the Related Party and relationship**

| Key Management Personnel (KMP) | |
|---|---|
| **Name** | **Relationship** |
| Smt. P. V. Bharathi (From 01.02.2019) | Managing Director & Chief Executive Officer |
| Shri Jai Kumar Garg (Till 31.01.2019) | Managing Director & Chief Executive Officer |
| Shri Gopal Murli Bhagat (Till 23.08.2019) | Executive Director |
| Shri Birupaksha Mishra (From 26.12.2018) | Executive Director |
| Corpbank Securities Limited | Subsidiary |

b) **Transactions with the related parties:**

(₹ in Crores)

| Nature of transaction | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|
| Remuneration | | |
| Smt. P. V. Bharathi | 1.80 | 0.05 |
| Shri Jai Kumar Garg | - | 0.27 |
| Shri Gopal Murli Bhagat | 1.22 | 0.28 |
| Shri Birupaksha Mishra | 0.28 | 0.08 |

Note: The transactions with the subsidiary are not disclosed in view of para 9 of AS-18 " Related Party Disclosure", which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.

Transactions in the nature of banker-customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

**4. EARNING PER SHARE:**

**Basic Earnings Per Share :**

| Sl. No | Particulars | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
|---|---|---|---|
| i) | Net profit / (loss) after tax available for equity shareholders (₹ in Crores) | (2,391.59) | (6,332.98) |
| ii) | Weighted average number of equity shares (in Crores) | 599.42 | 210.66 |
| iii) | Basic Earnings per Share (₹) | (3.99) | (30.06) |
| iv) | Nominal Value per Share (₹) | 2.00 | 2.00 |

Diluted Earnings Per Share: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

**5. CAPITAL ADEQUACY :**

Not applicable

**6. FIXED ASSETS:**

1. During the year 2019-20 cost of software acquired is ₹ 39.68 Crore (previous year ₹ 37.04 crore) and the amount amortized during the year is ₹ 41.98 Crore (previous year ₹ 38.56 crore).
2. Fixed Assets include ₹ 20.01 Lakhs (Previous year ₹ 440 Lakhs) in respect of Capital Work in Progress-Premises.
3. Contracts pending execution on Capital account and not provided for is ₹ 59.30 Crore (previous year ₹ 105.06 crore).
4. During the year the Bank has reversed ₹ 22.12 crores from the revaluation reserve towards the General Reserve.
5. During the year 2019-20, an amount of ₹ 9.42 crores has been reduced from the cost of Fixed Assets on account of Goods And Services Tax (GST) for utilizing the same as input credit against GST liability (Previous year ₹ 4.19 crores).

7. **EMPLOYEE BENEFITS:**

7.1 The Bank has accounted for Employee Benefits as per AS 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

a) The principal actuarial assumptions used at the balance sheet date:

(in percentage)

| Defined benefits funded | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | | Long Term compensated absences (Un funded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Discount Rate | 6.79% | 7.77% | 6.84% | 7.77% | 6.84% | 7.77% |
| Salaries increase | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% | 5.00% | 5.50% |
| Attrition Rate | 2.00% | 2.02% | 2.00% | 1.63% | 2.00% | 1.63% |
| Expected Rate of Return on Plan Assets | 6.79% | 8.22% | 6.84% | 8.14% | NA | NA |

b) A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and Plan assets is as under:

(₹ in Crores)

| Defined benefits | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | Pension | | Gratuity | | Long Term compensated absences [Unfunded] | |
| | [Funded] | | [Funded] | | | |
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Opening Balance | 3,646.50 | 3,427.79 | 565.64 | 543.97 | 256.93 | 250.65 |
| Interest Cost | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| Current Service Cost | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| Past service cost-recognized | | - | | - | | - |
| Past service cost- unrecognized | | - | | - | | - |
| Past service cost-Not eligible for amortization | | - | | - | | - |
| Benefits Paid | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.56) | (55.64) | (49.16) |
| Actuarial (Gain) / Loss on obligation | 1356.33 | 85.92 | 101.04 | 19.08 | 94.36 | (0.86) |
| Closing Balance | 5,052.81 | 3,646.50 | 611.77 | 565.64 | 364.72 | 256.93 |

* Increase in obligation is due to reduction in discount rate and Harmonisation impact.

(₹ in Crores)

| Plan Assets | Pension [Funded] | | Gratuity [Funded] | |
|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Fair Value of Plan Assets as on April | 3,628.33 | 3,427.79 | 555.25 | 485.48 |
| Expected Return on Plan Assets Contributions | 298.25 | 278.77 | 38.67 | 40.71 |
| Employer Contribution | 449.54 | 147.76 | 150.39 | 113.86 |
| Transfer from other trust and members | | - | | |

(₹ in Crores)

| Plan Assets | Pension [Funded] | | Gratuity [Funded] | |
|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Benefits Paid | (321.75) | (220.66) | (130.02) | (84.57) |
| Actuarial gain / (-) loss | 0.08 | (5.33) | 3.50 | (0.23) |
| Fair Value of Plan Assets as on March 2019 | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 |

**c) Total Expenses recognized in the Profit and Loss Account :**

(₹ in Crores)

| Defined benefits | Pension [Funded] | | Gratuity [Funded] | | Long Term compensated absences [Un funded] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Current Service Cost | 88.40 | 93.03 | 36.21 | 48.17 | 51.27 | 38.55 |
| Interest Cost | 283.33 | 260.42 | 38.90 | 38.98 | 17.80 | 17.75 |
| Expected return on plan assets | (298.25) | (278.78) | (38.67) | (40.71) | - | |
| Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period | 1,356.33 | 91.25 | 97.54 | 19.32 | 94.35 | (0.86) |
| Past service cost-recognized | | - | | - | - | - |
| Past service cost-Not eligible for amortization | | - | | - | - | - |
| Expenses recognized in the statement of Profit and Loss | 1,429.73 | 165.92 | 133.98 | 65.76 | 163.43 | 55.44 |
| Past service cost deferred for amortisation in next year (Equally in three quarters) | | - | | - | - | |

**d) The Composition of Plan Assets:**

(in percentage)

| Particulars | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 | 31st March, 2020 | 31st March, 2019 |
| Government Securities | 0.63 | - | 2.68 | - |
| High Quality corporate Bonds | 0.57 | 1.78 | 0.33 | 5.99 |
| Special deposits | 2.32 | 2.62 | 2.72 | 1.58 |
| Other (PSU) | 0.06 | - | 0.35 | - |
| Assets under Insurance Schemes | 96.42 | 95.60 | 93.92 | 92.43 |
| **Total** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

e) **The present value of defined benefits obligations, the fair value of plan assets, Surplus/ Deficits and experience adjustments are as under:**

(₹in Crores)

| **Pension** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** | **31st March, 2018** | **31st March, 2017** | **31st March, 2016** |
|---|---|---|---|---|---|
| PV of obligation | 5052.81 | 3646.50 | 3427.79 | 3206.07 | 2975.91 |
| Fair value of plan assets | 4054.45 | 3628.33 | 3427.79 | 3216.07 | 2985.32 |
| (Surplus) /Deficits | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| Un-amortized Liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Surplus) / Deficits [Net of Un-amortized Liability] | 998.36 | 18.17 | 0.00 | (10.00) | (9.41) |
| Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain | (1356.33) | (85.92) | (96.28) | (89.20) | (118.10) |
| Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain | 0.08 | (5.33) | (258.41) | (7.00) | 23.46 |

| **Gratuity** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** | **31st March, 2018** | **31st March, 2017** | **31st March, 2016** |
|---|---|---|---|---|---|
| PV of obligation | 611.77 | 565.64 | 543.97 | 460.38 | 451.25 |
| Fair value of plan assets | 617.79 | 555.25 | 485.48 | 462.37 | 468.42 |
| (Surplus) /Deficits | (6.02) | 10.39 | 58.49 | (1.99) | (17.17) |
| Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain | (101.04) | (19.08) | (60.80) | 23.51 | 28.81 |
| Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain | 3.50 | (0.23) | (3.20) | (1.10) | (1.30) |

| **Long term compensated absences** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** | **31st March, 2018** | **31st March, 2017** | **31st March, 2016** |
|---|---|---|---|---|---|
| PV of obligation | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| Fair value of plan assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Surplus) /Deficits | 364.72 | 256.93 | 250.65 | 247.16 | 247.36 |
| Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain | 71.55 | (0.86) | (4.48) | (7.64) | (5.56) |
| Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**The Employee Sick Leave Scheme:** The Employee Sick Leave Scheme: During the year 2019-20, bank has provided total expenses of Rs 3.90 Crore for meeting the obligations towards sick leave. Present Value of fund as on 31st March 2020 is Rs 61.91 Crore.

f) **Net Asset/(Liability) recognised in the Balance Sheet as at March 31, 2020:**

(₹ in Crores)

| **Defined benefits** | **Pension [Funded]** | | **Gratuity [Funded]** | | **Long Term compensated absences [Un funded]** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** | **31st March, 2020** | **31st March, 2019** |
| Present value of the defined obligation | 5,052.81 | 3,646.50 | 611.77 | 565.64 | 364.72 | 256.93 |
| Fair value of the plan assets | 4,054.45 | 3,628.33 | 617.79 | 555.25 | - | - |
| Funded Status [surplus/(deficit)] | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |
| Net Asset/(Liability) recognised in the Balance Sheet | (998.36) | (18.17) | 6.02 | (10.39) | (364.72) | (256.93) |

## 8. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

### a) Provisions:

(₹ in Crores)

| Sl No. | Nature of Provision | Opening Balance as on 01.04.2019 | Additional Provision made during the year | Provision used during the year | Provision Reversed during the year | Closing Balance as on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | Provision made towards NPAs | 13,525.38 | 4,229.91 | 3,951.54 | 950.43 | 12,853.32 |
| | | (7,929.68) | (12,002.72) | (5,989.44) | (417.58) | (13,525.38) |
| ii) | Provision for Depreciation on Investment (Including NPI provision) | 1,235.97 | 92.54 | | 152.21 | 1,176.30 |
| | | (1,139.02) | (340.20) | - | (243.25) | (1,235.97) |
| iii) | Provision made towards Income Tax / Wealth Tax | 146.60 | 1,832.54 | 146.60 | | 1,832.54 |
| | | (153.90) | - | | (7.30) | (146.60) |
| iv) | All others * | 1,038.50 | 741.70 | - | 104.62 | 1,675.58 |
| | | (1,020.66) | (189.80) | - | (171.96) | (1,038.50) |

Figures in brackets represent Previous Year figures.

* includes provision for claims against the Bank not acknowledged as debt, provision towards fraudulent transactions and other miscellaneous transactions.

### b) Contingent Liability:

#### i) Claims against the Bank not acknowledged as debts:

(₹ in Crores)

| Particulars | No. of Claims | Gross Claims | Net Claims |
|---|---|---|---|
| Total Claims outstanding as on 01.04.2019 | 92 | 3,240.27 | 3,233.46 |
| Less: Claims deleted/revised during the year | 19 | 517.74 | 517.45 |
| Add : New Claims added during the year | 30 | 2,811.79 | 2,770.81 |
| Total Claims outstanding as on 31.03.2020 | 103 | 5,534.32 | 5,486.82 |

**Subject wise classification of the claims outstanding as on 31st March, 2020:**

(₹ in Crores)

| Particulars | No. of Claims | Gross Claim | Net Claim |
|---|---|---|---|
| Bank Guarantees | 7 | 0.25 | 0.16 |
| Cheques/DD/PO etc., collection | 10 | 1.75 | 1.21 |
| Credit Portfolio | 8 | 0.82 | 0.75 |
| Deposits Portfolio | 3 | 0.03 | 0.03 |
| Vigilance /Fradulant | 20 | 6.22 | 1.72 |
| Miscellaneous [Including claims on account of Income Tax Demands]# | 55 | 5,525.25 | 5,482.95 |
| **Total*** | **103** | **5,534.32** | **5,486.82** |

* Excluding interest on claims, wherever applicable, since inception.

9. The spread of COVID 19 across the globe has resulted in decline in economic activity and increase in volatility in financial markets and decline in economic activities. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's provision on assets will depend on the future developments, which are highly uncertain, including among the other things any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government mandated or elected by the Bank.

   In accordance with RBI guidelines relating to 'COVID 19 Regulatory Package' on asset classification and provisioning, dated 27.03.2020 and 17.04.2020, 23.05.2020 and clarification issued by RBI through Indian Bankers Association dated 06.05.2020, Bank has granted a moratorium on payment of instalments and / or interest as applicable, falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on February 29, 2020 without considering the same as restructuring. The moratorium period, wherever granted, shall be excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms.

   In accordance with RBI's guidelines, the Bank is required to make provision @ 10% of the outstanding advances over two quarters beginning with the quarter ended March 31, 2020 in respect of such borrowal accounts where assets classification benefit has been granted as per RBI Guidelines. Accordingly, Bank has extended the relief in terms of the said circulars as follows:

| Sl No. | Particulars | Amount (₹ in Crore) |
|---|---|---|
| 1 | Amount Outstanding in SMA/Overdue Category where Moratorium / Deferment extended | 8441.89 |
| 2 | Amount Outstanding in Accounts where Asset classification benefit Extended | 1568.67 |
| 3 | Provision Made Q4 FY19-20 | 78.43 |
| 4 | Provision Adjusted During March-19-20 against Slippage and the residual provision | NIL |

   Interest income aggregating ₹ 78.42 Crore has been reckoned.

10. In terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019, Additional provision is made in 2 NPA accounts amounting to ₹ 71.06 Crores, in respect of borrowers where ICA is signed and RP is not yet implemented in 180 days and in respect of third borrower account warranting provision of ₹ 44.67 Crores, provision made on account of Harmonisation referred to in note 4.6 below and included therein is more than the aggregate of provision required as per IRAC norms and ICA provision

11. Consequent to the amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India an additional provision of Rs 199.86 Crores has been made for FY ended 2019-20 in respect of eight NPA accounts with common exposures to give effect for Provisioning Harmonization as directed by RBI vide ref Dos(CO)SSM-UBI/6754/25.01.001/2019-20 dated 08.06.2020.

12. As per RBI Letter no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated 23rd June, 2017 and letter no DBR.No.BP.1908/21.04.048/2017-18 dated 28th August, 2017 for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy code (IBC), the Bank is holding total provision of Rs 7051.52 crores (100% of Gross NPAs) as on 31st March, 2020.

13. For other accounts pending resolution, under the provisions of Insolvency and Bankruptcy code (IBC), the Bank is holding total provision of Rs 11434.26 crores (97.17% of Gross NPAs) as on 31st March, 2020.

14. The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Deptt of Financial Services has issued Gazette Notification no. CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020, approving the Scheme of Amalgamation of Corporation Bank into Union Bank of India in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980). On 5th March, 2020 the Board of Directors of Corporation Bank and the Board of Directors of Union Bank of India at their respective meetings, approved amalgamation. The Boards of respective Banks have also approved the swap ratio of 330 equity shares of Face Value Rs 10/- each of Union Bank of India for every 1000 equity shares of Face Value Rs 2/- each of Corporation Bank. The amalgamation has come into effect from 1st April, 2020.

**As per our report of even date**

**(Madhukar Bhat K)**
Dy. General Manager

**(Birupaksha Mishra)**
Executive Director

**(Dinesh Kumar Garg)**
Executive Director

**(Rajkiran Rai G.)**
Managing Director & CEO

**(V Muthukrishnan)**
General Manager & CFO

**(Manas Ranjan Biswal)**
Executive Director

**(Gopal Singh Gusain)**
Executive Director

**(Kewal Handa)**
Chairman

**Director**
(Arun Kumar Singh)
(Rajiv Kumar Singh)
(Dr. Madhura Swaminathan)
(Dr. Uttam Kumar Sarkar)
(K. Kadiresan)
(Jayadev M.)

**For Chandran & Raman**
Chartered Accountants
FRN: 000571S
**[CA P R Suresh]**
(M. No. 027488) Partner

**For S. Ramanand Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000990N
**[CA Binod C Maharana]**
(M. No. 056373) Partner

Place : Mumbai
Date : 23.06.2020

# NOTES

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

**कार्पोरेट कार्यालय :** मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरू - 575 001 कर्नाटक, भारत
**Corporate Office :** Mangaladevi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru - 575 001 Karnataka, India
**www.corpbank.com | टोल फ्री नं./Toll Free No.: 1800 425 3555**